त्रयोदश माला, खंड 28, अंक 3

गुरुवार, 21 नवम्बर, 2002

30 कार्तिक, 1924 (शक)

FOR REFERNCE ONLY

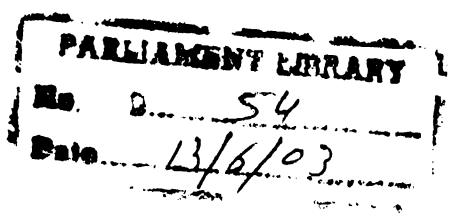
लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)





(खण्ड 28 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी. सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

अजीत सिंह यादव
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, खंड 28, ग्यारहवां सत्र, 2002/1924 (शक)

अंक 3, गुरुवार, 21 नवम्बर, 2002/30 कार्तिक, 1924 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
	*तारांकित प्रश्न संख्या 41 और 42	3-32
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
	तारांकित प्रश्न संख्या 43 से 60	32-82
	अतारांकित प्रश्न संख्या 461 से 675	82-403
सभा पटल पर रखे गए पत्र		403-406
राज्य सभा से संदेश		406
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति		
	सातवां, आठवां और नौवां प्रतिवेदन	407
कार्यमंत्रणा समिति		
	बयालीसवां प्रतिवेदन	407
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति		
	दसवां प्रतिवेदन	407
श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति		
	तेईसवां प्रतिवेदन	408
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति		
	तिरानवेवां, चौरानवेवां, पचानवेवां और छियानवेवां प्रतिवेदन	408
	(दो) साक्ष्य	408-409
परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति		
	(एक) साठवां और इकसठवां प्रतिवेदन	409
	(दो) साक्ष्य	409

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
समितियों के लिए निवार्धन	409-411
(एक) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	409-410
(दो) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	410-411
सरकारी विधेयक–पुरःस्थापित	411-416
(एक) मैसूर स्टेट लेजिस्लेचर (डेलिगेशन ऑफ पावर्स) निरसन विधेयक	411
(दो) उत्प्रवास (संशोधन) विधेयक	412-414
(तीन) संसद अधिकारी तथा संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक	414
(चार) दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) विधेयक	414-416
दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अध्यादेश संबंधी विवरण	416
नियम 377 के अधीन मामले	442-448
(एक) झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 पर नागफिनी गांव में कोईल नदी पर पुल का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता	
प्रो. दुखा भगत	442-443
(दो) उड़ीसा में दैतारी–बांसपानी रेल लाइन का निर्माण शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता	
श्री अनन्त नायक	443
(तीन) उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 के 262वें कि.मी. पर राप्ती नदी पर नए पुल का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता	
योगी आदित्यनाथ	443-444
(चार) उड़ीसा में सूखे से प्रभावित लोगों को राहत उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री के. पी. सिंह देव	444-445
(पांच) बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य की लम्बित रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री राजो सिंह	445
(छह) अस्पृश्यता संबंधी कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता	
श्री एस. अजय कुमार	445-446

(सात) उत्तर प्रदेश के खीरी जिले में सूखा प्रभावित किसानों को राहत प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री रवि प्रकाश वर्मा 446

(आठ) महाराष्ट्र के नासिक जिले में भोअरगढ़ में राडार केन्द्र के निकट मशरूल में रह रहे अनुसूचित जनजातियों के लोगों के प्रस्तावित निष्क्रमण से उत्पन्न समस्याओं की जांच किए जाने की आवश्यकता

श्री हरीभाऊ शंकर महाले 447

(नौ) कुवैत से निष्क्रान्त उन भारतीयों के मामले को संयुक्त राष्ट्र प्रतिकर आयोग के साथ उठाए जाने की आवश्यकता जो समय सीमा समाप्त हो जाने के कारण प्रतिकर प्राप्त नहीं कर पाए थे

श्री जी. एम. बनातवाला 447-448

(दस) सन्त गुरू घासी दास जयन्ती 18 दिसम्बर को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नू लाल मोहले 448

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (दूसरा) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन विधेयक 449-548

विचार करने के लिए प्रस्ताव 449

श्री बसुदेव आचार्य 449-454, 532-533

श्री किरीट सोमैया 454-461

श्री पवन कुमार बंसल 461-476

डा. बी. बी. रमैया 477-481

श्री खारबेल स्वाइं 482-488

श्री रूपचन्द पाल 488-496

श्री मोहन रावले 496-500

श्री पी. एच. पांडियन 500-504

श्री रामजीलाल सुमन 505-506

श्री आदि शंकर 506-507

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन 507-512

विषय	कॉलम
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	513-517
श्री प्रबोध पण्डा	517-519
श्री जी. एम. बनातवाला	519-523
श्री वरकला राधाकृष्णन	523-525
श्री रामदास आठवले	525-526
श्री जसवंत सिंह	526-532
खंड 2 से 42 और 1	534-548
पारित करने के लिए प्रस्ताव	548
परक्राम्य लिखत (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) विधेयक	548-554
विचार करने के लिए प्रस्ताव	552-554
श्री जसवंत सिंह	548-549
श्री मोइनुल हसन	549
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	549-556
डा. वरकला राधाकृष्णन	549-550
खण्ड 2 से 13 और 1	551-552
पारित करने के लिए प्रस्ताव	552

लोक सभा

गुरुवार, 21 नवम्बर, 2002/30 कार्तिक, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, हमने कार्य स्थगन का नोटिस दिया है कि झज्जर में पुलिस चौकी पर पांच निर्दोष अनुसूचित जाति के लोगों को चौकी से खींचकर मार डाला गया।...*(व्यवधान)* यह बहुत गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं देख लूंगा।

(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमारा भी एडजर्नमैंट मोशन है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : राम विलास पासवान जी, आप बताइए कि आपको क्या कहना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी उनको सुनने दीजिए। मैं आपको बाद में बताऊंगा।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, पांच निर्दोष लोगों की हत्या हुई है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सुमन जी, मैंने आपको सुना है। श्री राम विलास पासवान जी अब आप बोलिए।

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, आज तक सरकार ने कुछ नहीं किया है।...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एडजर्नमैंट मोशन का नोटिस दिया है। मेरे अलावा श्री रामजीलाल सुमन, रामदास आठवले, सरदार बूटा सिंह और बसुदेव आचार्य जी ने भी एडजर्नमैंट मोशन का नोटिस दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि लोगों को जीने का अधिकार है या नहीं? इस देश में पांच-पांच दलितों को झज्जर में मार दिया गया।...*(व्यवधान)* उनको यह कहकर मार दिया गया कि वे जिंदा गाय की खाल खींच रहे थे। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।...*(व्यवधान)* मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप यह एडजर्नमैंट मोशन लें।...*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, समाचार पत्रों में छपा है कि पुलिस उन पर दबाव डाल रही है और उन्हें समझौता करने के लिए कह रही है।...*(व्यवधान)* अगर यह मामला इस तरह से रफा-दफा हुआ तो पंजाब, राजस्थान और यू.पी. के लोग...*(व्यवधान)* उनमें बहुत आक्रोश है। पांच निर्दोष लोगों को पुलिस स्टेशन के अंदर मार डाला गया। ...*(व्यवधान)* श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आब्जैक्ट किया और इस पर सी.बी.आई. जांच की मांग की है। सभी बड़े नेताओं ने नियम 193 के अधीन और एडजर्नमैंट मोशन का नोटिस दिया है। कृपया आप हमें इस इश्यू को उठाने का मौका दें ताकि हम उनके सामने असलियत रख सकें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं यह जानता हूं कि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे पास तीनों के नोटिस आए हुए हैं। मैं यह सोच रहा हूं कि जब शून्यकाल होगा तब मैं इस विषय को सबसे पहले लूं। इस विषय पर चर्चा की जरूरत है और यह चर्चा में जरूर दूंगा। मैं एक रिक्वैक्ट सभी से करूंगा कि जब प्रश्न काल शुरू हो रहा हो तो ऐसे विषय सदन में न उठायें क्योंकि दूसरे मैम्बर्स के भी प्रश्न सदन में हैं। वे भी लेने बहुत जरूरी हैं। यह विषय महत्वपूर्ण जानते हुए भी मैं आप सभी से यही कहूंगा कि प्रश्न काल समाप्त होने के बाद आप शून्यकाल में इस प्रश्न को उठाइए। उस समय मैं आपको बोलने की इजाजत दूंगा।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

पुरानी अधूरी परियोजनाएं

+

*41. **श्री महबूब जाहेदी :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या प्रधान मंत्री कार्यालय ने मंत्रालय से उन सभी परियोजनाओं का पता लगाने, आकलन करने और रद्द करने हेतु कहा है, जिनको दस वर्ष पूर्व अथवा उससे पहले स्वीकृति प्रदान की गई थी किंतु जिन्हें अभी शुरू नहीं किया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा की जा रही है;

(ग) क्या इनमें से अनेक परियोजनाओं को बिना विस्तृत परियोजना रिपोर्टों, परियोजना पूर्व कार्यकलापों अथवा समुचित वित्तीय संसाधनों को प्रबंध किए तैयार किया गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इन परियोजनाओं को शुरू न करने के मुख्य कारण क्या हैं;

(च) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) के दौरान 5000 कि.मी. से अधिक नई रेल लाइनों, आमान परिवर्तन और उनके दोहरीकरण के कार्य को पूरा करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना–वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

(च) जी, हां।

(छ) बड़ी लाइन की निम्नलिखित परियोजनाओं को जिनकी कुल लम्बाई 1331 किलोमीटर बनती है, 2002–2003 में पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

नई लाइनें : 214 किलोमीटर

(i) इकलाखी–बालूरघाट का बुनियादपुर–बालूरघाट

(ii) दैतारी–बांसपानी का जरोली–क्योंझर

(iii) कुमारघाट–अगरतला का कुमारघाट–मानु

(iv) कटरा–फैजाबाद

(v) दुरौंधा–महाराजगंज को फिर से चालू करना

(vi) तामलुक–दीघा का बाजकुल–कांठी

(vii) फतुआ–इस्लामपुर

(viii) नंगल डैम–तलवाड़ा का ऊना–चुरारू तकराला

आमान परिवर्तन : 867 किलोमीटर

(i) मिरज–लातूर का लातूर–लातूर रोड

(ii) लूनी–मुनाबाव का लूनी–समदढ़ी–जसई

(iii) सेलम–कुड्डालोर का वडालूर–वृद्धाचलम

(iv) अरसीकेरे–मंगलोर का मंगलोर–पुट्टूर

(v) धर्माबाद–निजामाबाद और मुदखेड़–सिकन्दराबाद का जंकमपेट–बोधन

(vi) काटपाडि–पकाला–तिरुपति

(vii) राजकोट–वेरावल का राजकोट–जेतलसर–जूनागढ

(viii) सुरेन्द्रनगर–राजौला सिटी–पीपावाव

(ix) कोल्लम–तिरुनेलवेली–तिरुचेन्दूर का विरुदनगर–राजापालायम ओर तेनकासी–विरुदनगर

दोहरीकरण : 250 किलोमीटर

(i) चंदनपुर–गुरूप

(ii) न्यू अलीपुर–अकरा

(iii) परसा बाजार–पुनपुन

(iv) सीहो–कर्पूरीग्राम

(v) गोनाड–जरवल रोड का कर्नलगंज–सरजू

(vi) कालीकट–मंगलोर (शेष 50 किलोमीटर)

(vii) व्हाइटफील्ड–कुप्पम का बांगरपेट–बिसनाथम

(viii) गुडूर–रेणिगुंटा (4 ब्लॉक खंड–40 किमी.)

(ix) बल्लापल्ली–पुल्लमपेट (4 ब्लॉक खंड–30 किमी.)

(x) अकलतारा–चम्पा का नैला–चम्पा

(xi) चम्पा–सरगबुंदिया का चम्पा–बालपुर

(xii) बिलासपुर–उरकुरा तीसरी लाइन का बिलासपुर–डंगोरी और निपानिया–भाटापाड़ा

(xiii) कोरबा–गेवरा रोड का गेवरा रोड–कुसुमंडा

(xiv) टिटलागढ–लांजीगढ का केसिंगा–नोरला रोड

(xv) रजतगढ़--नेरगुंडी का सलेगांव–नेरगुंडी

10वीं योजना के दौरान नई लाइनों के निर्माण, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण से 5,000 किलोमीटर से ज्यादा बडी लाइन का रेलपथ और जोडे जाने की योजना है। 10वीं योजना के शेष चार वर्षों के दौरान पूरा करने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं की पहचान करने के कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है, यह कार्य बजटीय समर्थन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

श्री महबूब जाहेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया है, उसमें उन्होंने कुछ लिस्ट दे दी हैं। उसमें गेज कन्वर्शन और नयी लाइन के बारे में जो बताया है, वह भी ज्यादा नहीं है। हमने मंत्री जी से यह प्रश्न पूछा था कि अखबार में निकला था कि दस वर्ष पहले जो प्रोजैक्ट इनकम्पलीट थे, उनके संबंध में प्रधान मंत्री कार्यालय से एक आर्डर निकला था कि उनको चिन्हित किया जाए, विश्लेषण किया जाए ओर छटाई की जाए। एक यह बात आई थी और यह भी कहा था कि दस साल पहले वाले प्रोजैक्ट्स इनकम्प्लीट थे और फाइनैंशियली सपोर्टेड भी नहीं थे। मैंने पूछा था कि दस साल पहले वाले प्रोजैक्ट्स की आपने कितनी छटाई की है, उसकी क्या हालत है।

आपके डिपार्टमैंट के जरिए जब योजना बनाई गई थी, वह डिफैक्टेट योजना थी, इनकम्प्लीट थी और फाइनैंशियली सपोर्टेड नहीं थी। आपने जो तय किया था कि पांच हजार किलोमीटर गेज कन्वर्जन करेंगे और नई लाइन बनाएंगे, उसकी कुछ लिस्ट यहां दी गई है, मैं जानना चाहता हू कि आप उसके बारे में सदन को बताएं कि क्या हो रहा है। एक लाइन बाण्डेल कटवा के बारे में हम बहुत दिनों से कह रहे हैं लेकिन वह इसमें नहीं है। सदन के सामने यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप संक्षेप में प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इतना लम्बा प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं।

श्री महबूब जाहेदी : आप सदन को पूराने वाले प्रोजैक्ट्स के बारे में बताइए।

श्री नीतीश कुमार : माननीय सदस्य ने पूछा था कि क्या प्रधान मंत्री कार्यालय ने रेल मंत्रालय को ऐसा कोई निर्देश दिया है कि दस साल पहले या दस साल से ज्यादा वाले ऐसे कुछ प्रोजैक्ट्स हैं जिनका अप्रूवल हुआ है लेकिन उन पर काम शुरू नहीं किया गया है तो उसको असैस करें और स्क्रैप करें। हमने जवाब दे दिया है कि इस तरह की कोई बात प्रधान मंत्री कार्यालय से रेल मंत्रालय को नहीं कही गई है। न ऐसी कोई बात कही गई है और न ही रेल मत्रालय का ऐसा कोई विचार है। हां, इतना जरूर है कि दस साल और दस साल पहले के अप्रूवल्स के कई प्रोजैक्ट चल रहे हैं। इसमें से तीन प्रोजैक्ट्स ऐसे हैं जिन पर काम शुरू नहीं हो पाया है, उनमें एक बिलडी–समदरी गेज कन्वर्जन प्रोजैक्ट है। इसके बारे में इस साल के बजट में हमने 15 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था और इस पर ऐस्टीमेट सैंक्शन कर दिया गया है और काम शुरू किया जा रहा है। एक प्रोजैक्ट डबलिंग का काला पीपल–फांदा और था। उसके बारे में एस्टीमेट वगैरह मांगे जा रहे हैं।

उसको भी प्रारंभ करने का विचार है और रेल मंत्रालय की तरफ से यह डबलिंग का प्रोजैक्ट आवश्यक है। एक और नार्थ–ईस्ट का दूधनाई–दीपा प्रोजैक्ट है। यह साढ़े पन्द्रह किलोमीटर का प्रोजैक्ट है। रेल मंत्रालय की तरफ से इस पर लैंड एक्वीजिशन के पेपर्स कई साल पहले किए जा चुके हैं लेकिन स्थानीय स्तर पर इसका कुछ विरोध है जिसके चलते लैंड एक्वीजिशन नहीं हो रहा है। ऐसे तीन ही प्रोजैक्ट्स हैं जो दस पहले के अप्रूव्ड हैं, जिन पर काम नहीं शुरू किया गया है। उसमें से हम दो पर काम शुरू कर रहे हैं और 2002–2003 के बजट में उनके लिए सफीशिएंट प्रोवीजन भी किया गया है। इसलिए माननीय सदस्य को मन से यह निकाल देना चाहिए कि ऐसा कोई प्रोजैक्ट हम स्क्रैप करने जा रहे हैं।

जहां तक उन्होंने पूछा है कि हमने प्रोजैक्ट्स की लिस्ट दे दी है। हमने उन प्रोजैक्ट्स की लिस्ट दी है जिनको हम इस साल कम्प्लीट करने वाले हैं। लेकिन दसवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जो पूछा गया है बाकी के चार साल के लिए हम और जो प्रोजैक्ट कम्प्लीट करना चाहते हैं, उनको फाइनलाइज कर रहे हैं। आप भी एप्रीशिएट करेंगे कि जब दसवीं योजना बन जाएगी, स्वीकृत हो जाएगी, यह सब कुछ उस पर निर्भर करेगा। उसमें रेलवे को कितने बजटरी सपोर्ट को इंडीकेशन दिया जाता है। उसके आधार पर हम फाइनलाइज कर पाएंगे कि कितने प्रोजैक्ट को पूरा कर पाएंगे। लेकिन हमारा इरादा है कि पांच हजार किलोमीटर से ज्यादा ब्रॉडगेज लाइन हम दसवीं पंचवर्षीय योजना में जोड़ें और इराको समर्थन भी मिला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अपेक्षित धनराशि प्राप्त होगी।

श्री महबूब जाहेदी : अध्यक्ष महोदय, पहली बात यह है कि पूरी दस योजना की जो फाइनैंशियल सपोर्ट बजट में करवाई हुई हैं। उसका पैसा मिल रहा है या नहीं जिससे पूरा काम खत्म कर पाएं। मैं कहना चाहता हूं कि मेरी पार्लियामैंट्री कौन्सटीट्यूएंसी में जो बाण्डेल कटवा डबल लाइन की बात थी, उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

श्री नीतीश कुमार : इनके प्रोजैक्ट के बारे में हम अलग से चर्चा कर लेंगे, इसमें सदन का समय लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि क्या आपको पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यह तो हमेशा सब माननीय सदस्यों की इच्छा होती है कि अधिक से अधिक प्रोजैक्ट्स लिए जाएं। हम भी चाहते हैं कि सारे प्रोजैक्ट्स को एक समय सीमा के अन्दर पूरा करें और उसके लिए हमने धनराशि की मांग की है, लेकिन यह कहना कि जितना हम मागेंगे, सब मिस जाएगा, यह उम्मीद करना संभव नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जितना इस साल का प्रोवीजन है, उसे हम संतोषजनक कह सकते हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती श्यामा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री के जवाब से मुझे ज्यादा आशा नहीं है। इसलिए, मेरे प्रश्न का जो उत्तर मिला है वह संतोषजनक नहीं है। फिर भी, मैं यही कहना चाहूंगी कि देश में रेलवे एक बडा उद्योग होने के कारण जिस पर देश की पूरी गतिशीलता निर्भर है, क्या माननीय मंत्री स्पष्ट रूप से यह बताएंगे कि रेलवे बोर्ड की नीतियां क्या हैं?

हाल ही में, 'राजधानी रेलगाड़ी' की एक भयंकर दुर्घटना हुई। वह मेरे ही चुनाव क्षेत्र में हुआ। पिछले दस वर्षों में कई परियोजनाओं को बंद कर दिया और नई परियोजनाएं शुरू की गई। क्या कारण है कि इन विभिन्न परियोजनाओं को बंद कर वर्ष 2002–03 में ये नई परियोजनाएं शुरू की गई?

हालांकि, आज माननीय मंत्री से मेरा सीधा प्रश्न यह है, इस देश में 50 करोड़ रुपए या इससे भी अधिक लागत की कितनी परियोजनाएं हैं। जिन्हें समय पर पूरा नहीं किया गया है? क्या रेलवे ने अधिक लागत एवं समय लगने पर कोई विश्लेषण किया है और उपचारात्मक उपाय किए हैं? क्या मंत्री इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे, रेलवे संबंधी व्यय के बारे मे इस प्रतिष्ठित सभा को उत्तर देने की कृपा करेंगे?

अब मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, रेलवे की जो पालिसी होती है, उसका एक तरह से रेल बजट में उल्लेख किया जाता है और उस पर पूरी चर्चा होती है। जहां तक प्रोजैक्ट्स का सवाल है, इस बार हम लोगों ने पालिसी अख्तियार की है कि हम पांच हजार किलोमीटर से ज्यादा ब्रॉड गेज लाइन अपने सिस्टम में एड करेंगे। उस हिसाब से इस साल के लिए 1300 किलोमीटर का टार्गेट रखा गया है, उस पर

काम चल रहा है। कुछ सेफ्टी की बात भी कही गई है। सेफ्टी के लिए भी स्पेशल सेफ्टी रेलवे फंड का निर्माण किया गया है। जहां तक प्रोजैक्ट्स का सवाल है, ऐसे कोई प्रोजैक्ट्स नहीं हैं, जिनके बारे में माननीय सदस्या ने उल्लेख किया कि दस साल पहले लिए गए थे और जिनको शैल्व कर दिया गया। ऐसे कोई प्रोजैक्ट्स नहीं हैं, जिनको लिया गया है और शैल्व कर दिया गया है। जो भी एप्रूव्ड प्रोजैक्ट्स हैं, उन पर काम चल रहा है और तीन प्रोजैक्ट्स की चर्चा हमने की है। जहां तक नम्बर ऑफ प्रोजैक्ट्स का सवाल है, ये कुल मिलाकर मेरे ख्याल से जो दसवीं पंचवर्षीय योजना में कंपलीट होने के लिए अगर रहेंगे तो अगर हम न्यू लाइंस, गेज कन्वर्शन, एन.टी.पी. प्रोजैक्ट्स रेलवे इलैक्ट्रीफिकेशन के प्रोजैक्ट्स लेंगे तो लगभग 225 हमारे ऐसे प्रोजैक्ट्स हैं, जिनको पूरा करने के लिए हमें करीब 40 हजार करोड़ रुपए की जरूरत होगी।

अभी 15 अगस्त को प्रधान मंत्री जी ने 15 नए इनीशिएटिव्ज की एक घोषणा की है। उसमें रेलवे के सम्बन्ध में भी उन्होंने कुछ घोषणाएं की हैं और उनमें नॉन बजटरी इनीशिएटिव की भी बात की गई है। 15 हजार करोड़ रुपए की एक राष्ट्रीय रेलवे विकास परियोजना को लांच करने की बात हो रही है, जिसमें कई प्रकार से फंडिंग अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। उस पर काम हो रहा है, इसलिए यह कहना कि कोई पालिसी नहीं है, एक्सपेंशन नहीं है, ठीक नहीं है, सब कुछ हो रहा है। जहां तक 50 करोड़ रुपए से ऊपर के प्रोजैक्ट्स की जो उन्होंने चर्चा की है, हमारे पास ये सारे प्रोजैक्ट्स हैं, लेकिन 50 करोड़ रुपए से ऊपर के प्रोजैक्ट्स की संख्या अलग से गिनकर हमने अभी नहीं रखी है। यह सूचना मैं उन्हें दे दूंगा, इसलिए मैंने समस्त प्रोजैक्ट्स, जो ओन गोइंग हैं, उनका जिक्र कर दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री राधाकृष्णन।

श्रीमती श्यामा सिंह : महोदय, मैं कृपया दूसरा प्रश्न पूछना चाहूंगी।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है?

(व्यवधान)

श्रीमती श्यामा सिंह : महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मुझे खेद है, मैं आपको अनुमति नहीं दे सकती। अब, श्री राधाकृष्णन।

श्रीमती श्यामा सिंह : यह महत्वपूर्ण विषय है। या तो आप आधे घंटे की चर्चा या करीब एक घंटे की कोई अन्य चर्चा की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता। आप एक और अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकतीं। यही मेरी परेशानी है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है कि दोहरीकरण की सूची में, एक चालू परियोजना को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अलेप्पी और कोट्टयम होते हुए कायमकुलम एर्नाकुलम रेल लाइन के दोहरीकरण का पहले ही प्रस्ताव किया गया है जिसके दोहरीकरण की प्रक्रिया मुलानमूर्ति से पहले ही शुरू कर दी गई है। लेकिन इसे सूची में नहीं देखा गया। मैं नहीं जानता यह कैसे हो गया। ऐसा इसलिए कि यह प्रक्रिया जारी है और कुछ कार्य पहले ही शुरू हो गया है।

जहां तक केरल राज्य का संबंध है, यह बहुत महत्वपूर्ण विकास है। जब तक रेलवे कार्य शुरू नहीं करती राज्य के विकास या प्रगति पर विपरित प्रभाव पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया ठोस प्रश्न पूछिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : इसे सूची में क्यों नहीं शामिल किया गया? यही बात मैं उनसे पूछना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : जिस प्रोजैक्ट का इन्होंने जिक्र किया, वह इस साल कम्प्लीट होने के टार्गेट में नहीं है।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन : यह तब शुरू किया गया जब श्री राजगोपाल मंत्री थे।

श्री ए. सी. जोस : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह शुरू किया गया था या नहीं। आपने केरल से एक वायदा किया है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : यह प्रोजैक्ट जो हाथ में लिया गया है, जिसका जिक्र इन्होंने किया है, यह 17 किलोमीटर का है। जहां तक मुझे स्मरण है इसके लिए 3.65 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है और उस पर काम चल रहा है। इस प्रोजैक्ट को छोड़ने का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन इस साल पूरा करने के लिए यह सेम्शन टार्गेट में नहीं रखा गया है।

[अनुवाद]

इसे इस वर्ष के दौरान पूरा करने के लक्ष्य में नहीं रखा गया है। यह उन परियोजनाओं के नाम हैं जिन्हें चालू वर्ष के दौरान पूरा करने के लक्ष्य में रखा गया है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : इसे पहले ही शुरू किया जा चुका है। अब कार्य प्रगति पर है। इसे सूची में क्यों नहीं शमिल किया गया? इसे सूची में क्यों नहीं स्थान दिया गया?

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील : मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं, वह रेल मंत्री जी को अड़चन में डालने के लिए नहीं है, बल्कि उनकी मदद करने के लिए पूछ रहा हूं। उन्होंने बार–बार कहा है कि पैसा मिलने पर प्रोजैक्ट पूरा करेंगे। पैसा वित्त मंत्रालय और योजना आयोग को देना है। रेल मंत्रालय की ओर से हमेशा कहा जाता है कि पैसा नहीं है इसलिए प्रोजैक्ट में अडचन है। यह बात सही है। क्या यह जरूरी नहीं है हमारे देश के लिए कि हमारे यहां यातायात का काम सुचारु रूप से चले, इसलिए इन सारी बातों की ओर सर्वांगीण दृष्टिकोण से देखना चाहिए। रेलवे में कितना खर्च होना चाहिए, रोड पर कितना खर्च होना चाहिए, एयरवेज पर कितना खर्च होना चाहिए और वाटरवेज पर कितना खर्च होना चाहिए। इसकी योजना बनाकर यदि हम जो पैसा देते हैं। यातायात की मदद करने के लिए तो सबसे ज्यादा रेलवे और वाटरवेज को देने में मदद करनी चाहिए। प्रधान मंत्री जी की योजना अच्छी है, उसका हम समर्थन करते हैं, विरोध नहीं करते। लेकिन रेलवे को पर्याप्त मदद न मिले तो हम न तो पैसेंजर्स की मदद कर सकते हैं, और न ही माल ले जा सकते हैं। इसलिए रेलवे को अधिक पैसे की जरूरत पड़ती है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप कैबिनेट में और योजना आयोग में यह बात रखेंगे कि जितने पैसे की जरूरत रेलवे को है, वह मिलना चाहिए, जिससे प्रोजैक्ट्स को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश की जा सके? ब्रिटिश के जमाने में एक हजार किलोमीटर का लक्ष्य एक साल में पूरा करने का रखा जाता था, लेकिन हम कई–कई प्रोजैक्ट ले लेते हैं और इस वजह से एक भी प्रोजैक्ट दस साल में भी पूरा नहीं कर पाते। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपकी मदद करेंगे।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या मदद करेंगे, वह भी बता दें?

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है, वह बिल्कुल सही है। मैं उसी दिशा में प्रयत्नशील हूं। इस साल आप देखेंगे कि बजट्री सपोर्ट उतनी नहीं है, लेकिन एक हद तक बढ़ी है। हमारी कोशिश है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में और ज्यादा पैसा मिले। हमने सरकार को कहा है कि रेलवे का प्लान साइज 40,000 करोड़ रुपए का हो और इसमें सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि प्रधान मंत्री जी के 15 इनीशिएटिव्स हैं जिसमें रेलवे का कम्पोनेंट है। उसमें जहां राष्ट्रीय रेलवे विकास योजनाओं की बात है जिसमें हमारे गोल्डन क्वाडिरेटरल्स और जो बॉटलनेक्स हैं तथा पोर्ट कनैक्टिविटी मेगा ब्रिजेज हैं, इनको पूरा करने के लिए 15000 करोड़ है, इसके अलावा जो भी हमारे सैक्शंड प्रोजैक्ट्स हैं, उनको एक समय सीमा के अंदर पूरा किया जा सकता है। इसी स्ट्रेटजी पर हमने सब कुछ, जो भी हो सकता है, अपनी मांग रखी है और जब आप मदद करने के लिए तैयार हैं तो इससे हमें बल मिलेगा। अभी एनडीसी की मीटिंग होगी, उसमें अगर आप चाहेंगे तो एनडीसी की मीटिंग में रेलवे का जो प्रस्ताव होगा, हम उसको पढ़वा सकते हैं। उसमें सारे चीफ मिनिस्टर्स उसके सदस्य होते हैं, आपकी मदद की उसमें बहुत आवश्यकता होगी और इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं।

श्री सोहन पोटाई : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उन्होंने अपने उत्तर में बताया है कि दसवीं योजना के दौरान नई लाइन के निर्माण आमान परिवर्तन और दोहरीकरण के लिए 5000 कि. मी. से ज्यादा बड़ी लाइन को रेलवे से जोड़ने की जो योजना

है, इसके लिए प्रस्तावित योजना की पहचान करने के लिए उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। क्या मंत्री जी यहां यह बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ के दल्ली–राजहरा घाट एवं रायपुर से धमतरी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में तबदील करके, गुंडादरी से जोडने की इस योजना में सम्मिलिति करने का क्या कोई विचार है? क्या इस योजना को पूरा करने एवं प्रारम्भ करने हेतु राज्य सरकार का अपेक्षित सहयोग प्राप्त हो रहा है? यदि नहीं तो केन्द्र सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है?

श्री नीतीश कुमार : जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे पूरे देश में जितने हमारे ऑन–गोइंग प्रोजैक्ट्स हैं, हम सब कुछ सामने रखेंगे। आपने देखा है कि इस बार के बजट में रीजनल बैलेंस का पूरा ख्याल हमने रखा है। आबादी और क्षेत्रफल तथा उस राज्य में रेल की जितनी परियोजनाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए कितने धन की आवश्यकता है, इन तीन आधारों पर पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। इसलिए पूरे देश के सर्वांगीण विकास के लिए क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखते हुए यह काम किया जाएगा और जब भी हम इस पंचवर्षीय योजना में इन लाइनों को पूरा करेंगे, इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे लेकिन दल्ली–राजहरा प्रोजैक्ट के बारे में कहा है कि यह रेलवे सैल और राज्य सरकार तीनों के सहायोग से होना है। इसमें कई इश्यूज इनवाल्वड हैं। कुछ दिन पहले मैं वहां गया था और मैंने राज्य सरकार से भी चर्चा की थी। हम इन सबके सहयोग से इन प्रोजैक्ट को पूरा कर सकते हैं।

श्री अनन्त गुढे : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने कहा है कि दस साल पहले से जो प्रोजैक्ट चल रहे हैं, उनको पहले जल्दी पूरा करना है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विदर्भ एक ऐसा प्रदेश है जिस पर केन्द्र सरकार के हर मंत्रालय ने बड़ा अन्याय किया है। 1905 से लेकर अगरावती–नारखेड़ रेल लाइन का सर्वे चल रहा था और आज उसको शुरू किया गया है तथा यह ऑन–गोइंग प्रोजैक्ट है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हू कि जो प्रोजैक्ट्स ऑन–गोइंग हैं और जिनकी आज विकास के लिए जरूरत है, क्या आप वे प्रोजैक्ट्स पहले पूरा करेंगे या 10–15 साल से जो प्रोजैक्ट्स चल रहे हैं और जिनकी आज जरूरत नहीं है, वे पूरा करेंगे? अमरावती–नारखेड़ रेल लाइन ऐसा प्रोजैक्ट है जो आज विदर्भ के लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली लाइन के लिए आने के लिए पूरे विदर्भ से कोई जगह नहीं है। नागपुर को अगर छोड दिया जाए तो मराठवाडा से आने के लिए भुसावल से लेकर छेजा, अगरावती से आने के लिए अगरावती–नारखेड़ जो रेल लाइन है, वह यहां के लिए बहुत जरूरी रेल लाइन है और जिसका काम चल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह ऑन–गोइंग प्रोजैक्ट है, इसे कब तक पूरा करने का विचार है?...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल में कुछ रेल बजट पर बहस जैसा दृश्य उपस्थित हो रहा है। जहां तक प्रोजैक्ट्स को चिह्नित करने का सवाल है, उसमें हर बात का ख्याल रखा जाएगा। हमारे जितने भी सैंक्शन्ड प्रोजैक्टस हैं, उनमें से हम किसी को भी ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं। जब वे सैंक्शन्ड हैं, तो वे सभा के सभी प्रोजैक्ट्स जनहित में हैं। अब इसमें कुछ प्रोजैक्ट्स ऐसे हैं, जिनके बारे में मान्यता है कि उनमें इन्टरनल रेट आफ रिटर्न काफी अच्छा है, यानि लाभप्रद प्रोजैक्ट्स माने जाते हैं। दूसरी तरफ ऐसे प्रोजैक्ट्स हैं, जिनको आज के पैरामीटर्स में लाभप्रद नहीं माना जा सकता है, लेकिन आम जनता की दृष्टि से, बैकवर्ड एरियाज को रिमोट एरियाज से जोडने की दृष्टि से लाभप्रद हैं। इस देश में कुछ ऐसी मान्यता जरूर है कि लाभ वाले प्रोजैक्ट्स ही लेने चाहिए, लेकिन रेल मंत्रालय इसको स्वीकार नहीं करती है। दोनो ही रिस्पांसिबिलिटीज–लाभ वाले प्रोजैक्ट्स और रिमोट एरियाज को रेल लाइन से जोडने वाले प्रोजैक्ट्स को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता है। दोनों को मिलाकर, दोनों का ख्याल करते हुए काम करना है।...*(व्यवधान)* महोदय, इस साल जिन प्रोजैक्ट्स को कम्पलीट करने की योजना है, उनको आप गौर करेंगे, तो दोनों ही प्रकार के प्रोजैक्ट्स–लाभ वाले प्रोजैक्ट्स और रिमोट एरियाज को रेल लाइन से जोड़ने वाले प्रोजैक्ट्स–की पालिसी जारी रहेगी।

जहां तक अमरावती और नारखेड़ प्रोजैक्ट का सवाल है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सभी बैठ जाइए।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, अमरावती और नारखेड़ प्रोजैक्ट्स में लैंड एक्विजीश्न का काम चालू है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती श्यामा सिंह : अध्यक्ष महोदय, कृपया इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दीजिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं दूसरे प्रश्न पर जा रहा हूं और इस प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा एलाउ करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आधा घंटे की चर्चा एलाउ करूंगा।

[अनुवाद]

पुराने पुलों को बदलना

+

*42 **श्री बसुदेव आचार्य :**
प्रो. ए. के. प्रेमाजम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा समीक्षा संबंधी न्यायामूर्ति एच. आर. खन्ना की रिपोर्ट (1999) में लगभग 262 रेलवे पुलों की पहचान 'खस्ता हाल' पुलों के रूप में की गई है, जिनकी तुरंत मरम्मत किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) क्या भारतीय रेल नेटवर्क के 40 प्रतिशत से अधिक पुल स्वतंत्रता पूर्व बनाए गए थे और इनमें से अनेक पुल 90 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं;

(ग) क्या कुंजरू समिति (1962), वांचू समिति (1968), सीकरी समिति (1978), और खन्ना समिति (1999) की रिपोर्टों में की गई सिफारिशों के अनुसरण में इन पुलों का कोई वास्तविक निरीक्षण/ढांचों का परीक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो विशेषज्ञ समितियों की रिपोर्टों का अनुसरण नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इन पुलों की मरम्मत/पुनःनिर्माण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और इस पर कितना व्यय किया गया है/किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 01.04.99 की स्थिति के अनुसार रेलवे में 262 रेलवे पुल "खस्ता हाल" में थे, जिनकी रेल संरक्षा समीक्षा समिति ने 5 वर्ष की अवधि के भीतर मरम्मत किए जाने की सिफारिश की थी।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) जी हां, पुराने और "खस्ता हाल" पुलों सहित सभी पुलों का रेल संहिताओं और नियमावलियों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वर्ष में एक बार विभिन्न स्तरों पर व्यापक निरीक्षण किया जाता है। "खस्ता हाल" पुलों के निरीक्षण के लिए नियमावलियों में एक से अधिक बार निरीक्षण करने की व्यवस्था की गई है। सभी पुलों के इस्पाती बाहरी ढांचे की पांच वर्ष में एक बार और प्रारंभिक इस्पाती गर्डरों की आधारभूत प्रणाली की वर्ष में एक बार विस्तृत तकनीकी जांच की जाती है। पुलों के अवसंरचनात्मक ढांचे का निरीक्षण बारीकी से देख-परख कर किया जाता है, जिसमें हथौड़े से ठोक-पीटकर यह जांच भी की जाती है कि कहीं इमारत में खोखलापन तो नहीं है। देख-परख कर किए जाने वाले निरीक्षण/100 साल पुराने पुलों के ढांचे की जांच/प्रारंभिक इस्पाती गर्डरों अथवा खस्ता हाल पुलों की जांच के संबंध में कुंजरू समिति (1962), वांचू समिति (1968), सीकरी समिति (1978) द्वारा कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की गई थी। खन्ना समिति (1999) ने यह सिफारिश की थी कि खस्ता हाल पुलों और 100 साल पुराने पुलों या प्रारंभिक इस्पाती पुलों का आधुनिकतम गैर-विनाशक उपकरणों की सहायता से वरिष्ठ प्रशासी ग्रेड के अधिकारी द्वारा आगे और निरीक्षण किया जाना चाहिए और इस परियोजना का समन्वय अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन द्वारा किया जाना चाहिए। इस सिफारिश के अनुसरण में प्रश्न के भाग (क) में "खस्ता हाल" के रूप में पहचाने गए सभी पुलों का रेलों के क्षेत्रीय मुख्य इंजीनियरों से निरीक्षण करवाया गया है। अन्य पुलों अर्थात् 100 वर्ष पुराने अथवा प्रारंभिक इस्पाती गर्डरों के संबंध में ऊपर बताई गई मौजूदा प्रणाली को संतोषजनक समझा गया है और जब उनमें कोई कमी-बेशी देखी जाती है, तब इन पुलों का उच्च स्तर पर निरीक्षण करवाया जाता है। सिफारिश में उल्लिखित गैर-विनाशक जांच उपकरण संकेतात्मक हैं और भारतीय रेलों पर इन्हें बडे पैमाने पर इस्तेमाल करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने से पहले इनका व्यापक मूल्यांकन

जांच–पड़ताल और परीक्षण किए जाने आवश्यक हैं। कुछ गैर–विनाशक जांच उपस्करों में से एक सैट की अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन के लिए खरीद की गई है और रेलों पर उनके व्यापक इस्तेमाल पर विचार करने के लिए उसका विस्तृत मूल्यांकन, परीक्षण और जांच की जा रही है।

(च) इस संबंध में किए गए/किए जा रहे उपाय निम्नलिखित हैं :

1. आगामी तीन से चार वर्षों के भीतर पुनर्निर्माण के लिए सभी ढलवां लोहे के पाइल पुलों की स्वीकृति दी गई है।

2. सभी खस्ता हाल पुलों की मरम्मत/उनके पुनर्निर्माण के काम को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

3. नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 3400 पुलों के पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण के काम पर 410 करोड रुपए खर्च किए गए थे।

4. पुलों की मरम्मत/उनके पुनर्निर्माण के परिव्यय में पर्याप्त रूप से वृद्धि की गई है। आगामी 5 से 6 वर्षों के भीतर रेल संरक्षा विशेष निधि से मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए 1530 करोड रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा हर वर्ष रेलवे के वार्षिक निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत पुलों की मरम्मत/पुनर्निर्माण की स्वीकृति दी जाती है।

5. वर्ष 2002–03 के दौरान पुलों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए 209 करोड़ रुपए (143 करोड रुपए रेल संरक्षा विशेष निधि में से और 66 करोड़ रुपए मूल्य आरक्षित ह्रास निधि में से) निर्धारित किए गए हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : रेल मंत्री ने अपने कथन में कहा है कि इस संबंध में सब कुछ ठीक है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम सदन में व्यवस्था बनाए रखें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया उनसे विशेष प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : वह कहते हैं कि पुराने पुलों की स्थिति के संबंध में सब कुछ ठीक है। भारतीय रेलवे में 1,07,000 पुल हैं। 1,07,000 पुलों में से लगभग पचास प्रतिशत पुलों का निर्माण ब्रिटिश शासन के द्वारा किया गया था। 62000 कि.मी. रेल मार्ग में से 53000 कि.मी. रेल मार्ग का निर्माण स्वतंत्रता पूर्व अवधि में किया गया था। उन्होंने कुंजरू समिति, वान्चू समिति, सीकरी समिति के बारे में भी बताया है, इन तीनों समितियों का गठन दुर्घटनाओं की जांच करने और सरकार से उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करने के लिए किया गया था। उन्होंने बताया है कि उन्होंने पुराने पुलों के निर्माण के बारे में कोई विशेष सिफारिश नहीं की है। किन्तु मैंने इन सभी रिपोर्टों को देखा है। इन समितियों ने भी सौ वर्ष पुराने पुलों की स्थिति के बारे में बताया है। रेल सुधार समिति ने काफी पहले 1982 में उल्लेख किया था कि एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए जिसमें रेलवे बोर्ड से एक निदेशक हों, आर.डी.एस.ओ. से और रेलवे सुरक्षा आयुक्त इस विशेषज्ञ समिति के सदस्य हों ताकि पुराने पुलों के पुनर्निर्माण की समस्या का विस्तृत अध्ययन किया जा सके। उन्होंने रेलवे सुधार समिति की सिफारिश के बारे में उल्लेख नहीं किया है। इस समिति ने बीस वर्ष पहले सभी पुराने पुलों के पुनर्निर्माण की सिफारिश की थी। उस सिफारिश का क्या हुआ?

श्रीमती श्यामा सिंह : बिहार में औरंगाबाद सहित।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं इस पर बाद में बोलूंगा क्योंकि मैंने इस दुर्घटना के बाद आपके निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया था।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया अध्यक्षपीठ का सम्बोधित कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : न्यायाधीश खन्ना की अध्यक्षता में रेलवे सुरक्षा समीक्षा समिति ने एक विशेष सिफारिश की थी कि एक वर्ष के भीतर खतरनाक घोषित किए गए सभी पुलों, जो न केवल खतरनाक पुल हैं बल्कि सौ वर्ष से अधिक पुराने हैं अथवा जिसमें पहले स्टील के शहतीर लगे हुए हैं,

के ढांचागत निर्धारण और तत्काल उपचारात्मक उपाय हेतु विशेषरूप से चयन किए गए वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक रेलवे मण्डल में कृतिक बल द्वारा विशेष जांच की जानी चाहिए। प्रत्येक कृतिक बल अत्याधुनिक गैर विध्वंसक परीक्षण उपकरण से सुसज्जित होना चाहिए जो इस समय उपलब्ध है और यह कार्य एक माह के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बसुदेव जी, आप प्रश्न पूरा करिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि रेलवे द्वारा सभी पुलों का निरीक्षण करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है? उन्होंने खतरनाक पुलों के बारे में उल्लेख किया है। खन्ना समिति ने न केवल 262 खतरनाक पुलों की ही पहचान की थी किन्तु सौ वर्ष से अधिक पुराने सभी पुलों के पूर्ण निरीक्षण की भी सिफारिश की थी। क्या रेल मंत्रालय ने खन्ना समिति द्वारा यथा अनुशंसित विशेषज्ञ कृतिक बल का गठन किया है?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बसुदेव जी, आप इतना लम्बा प्रश्न पूछेंगे तो दूसरे किसी को प्रश्न पूछने का चांस नहीं मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : मैं जानना चाहता हूं कि क्या एक वर्ष के भीतर इन सभी पुलों का निरीक्षण किया गया है अथवा नहीं? मैं माननीय मंत्री से इस प्रश्न का विशेष उत्तर चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष जी, पूरे सदन की मांग है कि मैं उनके प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दूं। लेकिन मेरी भी सीमा है। जहां तक रेलवे रिफोर्म कमेटी का सवाल है, उसने 1982 में ब्रिज की कंडीशन के असेसमेंट की कुछ सिफारिशें की थीं। उन्हीं के आधार पर 1986 में एक कमेटी बनाई गयी थी जिसने उस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 1988 में काम करना शुरू किया और वह काम चल रहा है। जो हमारे डिस्ट्रेस्ड और पुराने ब्रिजेज हैं या स्क्रू पाईल ब्रिजेज हैं, अर्ली–स्टील–गर्डर्स वाले सब ब्रिजेज का असेसमेंट करके, कहीं रिहैबिलिटेशन और कहीं रिबिल्डिंग का प्रोग्राम चल रहा है। उसी के आधार पर काफी ब्रिजेज का रिहैबिलिटेशन हुआ है और काफी ब्रिजेज को रिबिल्ट किया गया है।...*(व्यवधान)* खन्ना कमेटी ने जो सुझाव दिए हैं, उसके आधार पर रेलवे बोर्ड के लोगों ने मुझे बताया कि 100 साल से अधिक पुराने ब्रिजेज की संख्या 50 हजार से ज्यादा है जिसमें इम्पोर्टेंट, मेजर, माइनर सभी हैं। जो यह कहा गया है कि आफिसर्स का टास्क–फोर्स बना दीजिए और वह एक साल के अंदर हो और वह भी नॉन–डिस्ट्रक्टिव मैथड से हो तो उसके लिए कुछ लिटरेचर के आधार पर आरडीएसओ में कुछ प्रोक्यूरमेंट किया गया है। उसका स्टैंडर्डाइजेशन किया जा रहा है और बाकी जगहों पर भी ब्रिजेज इंस्पेक्शन के क्या नियम हैं तथा नॉन–डिस्ट्रक्टिव इक्विपमेंट्स किस तरह से काम कर रहा है, उसा क्या शैड्यूल है, इन सब बातों की स्टडी करके टास्क फोर्स हमने बनाई है। टास्ट, फोर्स इन दिनों उन्हीं देशों की यात्रा पर है जहां के बारे में मालूम हुआ है कि नॉन–डिस्ट्रक्टिव इक्विपमेंट्स वे बनाते हैं और नॉन–डिस्ट्रक्टिव इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल चाहे हाईवेज हों या रेलवेज हों उनके ब्रिजेज पर हो रहा है। इस प्रकार से इस दिशा में काम किया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय रफीगंज स्टेशन के समीप ढावा नदी के ऊपर पुल पर भयंकर दुर्घटना हुई जिसमें सौ से भी अधिक लोग मारे गए। मैं जानना चाहूंगा कि क्या 1 सितम्बर से पहले इस कार्यबल ने पुल की ठीक से जांच की थी।

मारे गए अधिकांश रेल यात्री पश्चिम बंगाल के थे लेकिन मुझे बताया है कि रेल दावा अधिकरण पटना में गठित किया गया है। अब मारे गए यात्रियों के परिजन, उनकी विधवाओं और बच्चों को मुआवजा देने में परेशान किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वे कोलकाता में एक और अधिकरण के गठन पर विचार करेंगे ताकि मृत यात्रियों के रिश्तेदारों के दावों के भुगतान को तेजी से निपटाया जा सके?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : इन्होंने जो सप्लीमेंटरी पूछा है उसके पार्ट (ए) का उत्तर यह है कि जिस ब्रिज की उन्होंने चर्चा की है जिसका पहले डिरेलमेंट हुआ था, वह ब्रिज ठीक कंडीशन में था और उसका शैड्यूल इंस्पैक्शन के हिसाब से ही इंस्पैक्शन किया गया था।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय वह निलंबित और दंडित कर्मचारी था। सतर्कता विभाग द्वारा उसकी कई बार कटु आलोचना की गई है। उसे जांच समिति की अध्यक्षता कैसे करने दी गई? यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, दुर्घटना पर चर्चा होने दीजिए...*(व्यवधान)*

श्रीमती रमा देवी सिंह : महोदय क्या उन्होंने पूरे मुद्दे की जांच की है? रेलवे इस दुखद स्थिति से निपटने में पूरी तरह असफल रहा। गांव वालों ने घायलों (रोगियों) को जल, घन और राहत दी रेलवे अधिकारियों ने नहीं...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : गांव वालों ने यात्रियों को बचाया न कि रेलवे अधिकारियों ने।

श्रीमती रमा देवी सिंह : रेलवे हर पहलू में असम साबित हुआ। वहां कोई शिविर नहीं लगाया गया लोग दर्दनाक तरीके से मौत के शिकार हुए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : बसुदेव जी की सप्लीमेंटरी के बाद और सवाल उठा है। इसके बाद राजधानी एक्सप्रेस पर जो सवाल है उसका स्पैसिफिक उत्तर दिया जा सकता है। अगर आप चर्चा स्वीकार करते हैं तो उस दौरान जितने भी प्रश्न आएंगे, उनका मैं उत्तर दिया जा सकता है। अगर आप चर्चा स्वीकार करते हैं तो उस दौरान जितने भी प्रश्न आएंगे, उनका मैं उत्तर दे सकूंगा। लेकिन इस सप्लीमेंटरी के दौरान तो हरेक बात के बारे में कहना मुश्किल होगा।

अध्यक्ष महोदय : आप बसुदेव आचार्य जी के सप्लीमेंटरी प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री नीतीश कुमार : ब्रिजेस का शेड्यूल इन्सपैक्शन हुआ है। उनको बिल्कुल दुरुस्त पाया गया। माननीय सदस्य ने जो एक सवाल पूछा वह मूल प्रश्न से नहीं उठता है। इन्होंने इन्सपैक्शन क्लेम के बारे में प्रश्न पूछा? ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स जारी किए जा चुके हैं। जहां यह एक्सीडैंट हुआ वह पटना रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल के पटना बैंच के टैरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन में आता है। वहां कई क्लेम्स फाइल हुए। इन्स्ट्रक्शन दिए जा चुके हैं कि रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल की कोलकाता बैंच में कोई राजधानी एक्सीडैंट का क्लेम फाइल कर सकता है। रेलवे एथोरिटी उनके क्लेम फाइल करने में हर प्रकार की मदद भी करेगी।

[अनुवाद]

प्रो. ए. के. प्रेमाजम : महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री से विशिष्ट पूछना चाहूंगी।

सभा पटल पर रखे गए वक्तव्य में यह कहा गया है कि सभी पुलों की इस्पात जांच की बुनियादी संरचना का प्रत्येक 5 वर्ष में विस्तृत तकनीकी जांच की जानी चाहिए और इस्पात के प्रारंभिक ग्रिडर्स की फर्शप्रणाली की विस्तृत तकनीकी जांच वर्ष में एक बार की जानी होती है।

इस महान सभा में 2 अगस्त, 2001 को रखे गए एक और वक्तव्य में रेल मंत्री ने कहा था कि खन्ना समिति ने कार्य बल द्वारा जीर्ण–शीर्ण और 100 वर्ष से पुराने या प्रारंभिक इस्पात के पुलों की जांच एक वर्ष के अन्दर विस्तृत जांच और अलग धनराशि से पांच वर्ष के अन्दर जीर्ण–शीर्ण वाले पुलों के बदले नए पुल बनाने की सिफारिश की थी।

दोनों वक्तव्यों में कुछ अन्तर्विरोध है। आज के वक्तव्य में कहा गया है कि सभी पुलों की इस्पात की बुनियादी संरचना का हर पांच वर्ष में विस्तृत तकनीकी जांच की जानी होती है और इस्पात के प्रारंभिक ग्रिडर्स की फर्शप्रणाली की विस्तृत तकनीकी जांच वर्ष में एक बार की जानी होती है और 2 अगस्त, 2001 को दिए गए जवाब कहा गया है कि खन्ना समिति ने सिफारिश की थी कि कार्य बल द्वारा जीर्ण–शीर्ण और 100 वर्ष से पुराने या प्रारंभिक इस्पात के बने पुलों की एक वर्ष के भीतर विस्तृत जांच की जाए और अलग धनराशि से 5 वर्ष के भीतर नए पुल बनाए जाएं। मुझे नहीं पता कि कौन सा जवाब सही है। मैं माननीय रेल मंत्री से जानना चाहूंगी कि क्या खन्ना समिति द्वारा दी गई अति महत्वपूर्ण सिफारिश को शामिल करने हेतु रेलवे के कोड और पुस्तिका को अद्यतन बनाया गया है।

यहां, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि रेलवे पुलों संबंधी स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया। पुल की रेल पटरी या रेलवे के किसी अन्य हिस्से जितने ही महत्वपूर्ण हैं और जिनका यात्रियों और माल की सुरक्षा से काफी निकट का संबंध है। लेकिन किसी कारणवश पुलों को महत्व नहीं दिया जाता है। खन्ना समिति की सिफारिशों के बावजूद, राजधानी एक्सप्रेस पुल पर दुर्घटनाग्रस्त हो गयी। और यही अन्तर्विरोध है।

अतः मैं माननीय रेल मंत्री से 2 अगस्त, 2001 और एक अन्य दिन दिए गए वक्तव्य में अर्न्तविरोध के बारे में स्पष्टीकरण चाहूंगी।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। खन्ना कमेटी ने क्या सिफारिशें की हैं? उसने यह कहा है कि जितने डिसट्रैस्ड ब्रिजेस और सौ साल पुराने ब्रिजेस हैं उनका सुपर चैक कराइए तथा एक टास्क फोर्स बना कर आरडीएसओ की देखरेख में, उनकी लीडरशिप में इस काम को कराया जाए। इसके बारे में रेलवे ने फैसला ले लिया था। जितने टैरिटोरियल चीफ इंजीनियर है, उन्होन एक बार फिर डिसट्रैस्ड ब्रिजेस को चैक किया। जहां तक सौ साल पुराने पुलों का सवाल है, उन्होंने पाया कि जो चैक करने का एग्जिस्टिंग मैथड है, उसके अनुसार साल भर में एक महीने में कौन चैक करता है, पीडब्ल्यूआई करता है, असिस्टैंट इंजीनियर करता है, चीफ इंजीनियर करता है यानी इनकी पूरी की पूरी एक कार्य योजना होती है। उसे उन्होंने सफिशिएंट पाया लेकिन खन्ना कमेटी ने यह कहा था कि टास्क फोर्स बना कर नॉन डिस्ट्रक्टिव इक्विपमैंट्स, मैथड से इसे चैक कराइए। नॉन डिस्ट्रक्टिव इक्विपमैंट्स का स्टैंडर्डाजेशन किया जा रहा है। अभी हमने एक टास्क पोर्स बनायी है जो इन देशों की यात्रा कर रही है जिन की फर्म्स ने रिप्रेजेंटेशन दिए थे कि हमारे यहां नॉन डिस्ट्रक्टिव इक्विपमैंट्स उपलब्ध हैं। वे स्पॉट में जाकर देख रहे हैं कि इनका क्या इम्पैक्ट है। जब वह मिल जाएगा, नॉन डैस्ट्रक्टिव इक्विपमेंट का स्टैंडर्डाजेशन होगा, उसके अनुसार किया जाएगा लेकिन कोई टॉस्क फोर्स बना दिया जाए जो 50 हजार ब्रिजेस का सुपर चैक कर लेंगे जो कि वास्तविक रूप से सम्भव नहीं है लेकिन ब्रिज के इसपैक्शन के लिए एक नियम बना हुआ है। उस नियम को सफिशिएंट पाया गया है। फिर मैंने पहले ही कहा है कि दुनिया भर से नॉन–डैस्ट्रक्टिव इक्विपमेंट की जानकारी इकट्ठी करके, उसके अनुभव के आधार पर अपने यहां काम है। हमारे यहां आर. एंड डी.ओ. इस काम में लगा हुआ। इक्विपमेंट लाकर उन्होंने अनुभव प्राप्त कर लिया है, उनका टैस्ट कर रहे हैं। उसका स्टैंडर्डाइज करके लागू करेंगे। इन दोनों में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। यह आज की स्थिति है।

[अनुवाद]

प्रो. ए. के. प्रेमाजम : महोदय, मैंने समय प्रबन्धन के बारे में पूछा। एक स्थान पर यह एक वर्ष है और दूसरी जगह पांच वर्ष है। जहां तक पुल पर हुई दुर्घटना का प्रश्न है समय आवंटन बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय मंत्री महोदय ने उस प्रश्न का जवाब नहीं दिया है।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : माननीय अध्यक्ष जी, जिन पुराने रेल पुलों की हालत जर्जर हो चुकी है, उन्हें बदलने एवं उनकी वाइडनिंग करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा की जा रही चर्चा जोरों पर है। मैं माननीय रेल मंत्री जी के इस तर्क से संतुष्ट हूं लेकिन जो पुल अत्यंत पुराने हो चुके हैं या जर्जर हो चुके हैं उनको या तो बदला जाए या उनका कोई रिप्लेसमेंट ढूंढा जाए। आज विवाद इस बात पर हो रहा है कि किस कमेटी से और किस तरीके से चैक कराया जाये जिससे वास्तव में यह बिन्दु उभर कर सामने आये कि हमारे देश में ऐसे कितने पुराने पुल हैं जो जर्जर हो चुके हैं, वे बदलने लायक हैं। लेकिन रेल मंत्रालय के वर्तमान नियमों के अनुसार जिन राज्यों में ये पुल पड़ेंगे और रेल मंत्रालय ने 100–50 पुलों को छांट लिया कि उन पुलों को बदलना जरूरी है, उनके लिए अगर राज्य सरकार उसका आधा अंशदान देने के लिए अंडरटेकिंग नहीं देगी, तब तक रेल मंत्रालय उन पुलों को नहीं बदलेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे इस पुराने नियम को बदलने की कोई व्यवस्था नहीं करेंगे कि राज्य सरकार को जो 50 प्रतिशत अंशदान देना होता है, वह उनके लिए कंपलसरी हो जाए। प्रायः यह देखा गया है कि ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रभावी मंत्री अपनी–अपनी कांस्टीट्यूएंसी में रेल पुलों को बदलने के लिए अनुमति प्रदान कर देते हैं कि पुराने पुलों को बदला जाए लेकिन दूसरों के लिए रिगरेट कर देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है और हम इसके लिए अपना अंशदान नहीं

दे सकते। क्या रेल मंत्रालय इस तरीके से कोई बदलाव अपने नियम में नहीं कर सकती है कि जिन पुलों को बदलना आवश्यक हो, या जिन पुलों की वाइडनिंग करनी हो, उसे अनिवार्य कर दिया जाए कि यदि रेल मंत्रालय प्रोपोजल भेजेगी तो राज्य सरकार के लिए अनिवार्य होगा। वह अपना अंशदान आगे–पीछे दे सकती है लेकिन यह बात अनिवार्य होनी चाहिए?

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न रेलवे ट्रेक पर पुलों से संबंधित है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि माननीय सदस्य रोड ओवर ब्रिजेस के बारे में जानकारी चाह रहे हैं। रेल मंत्रालय का यह फैसला है। जहां तक रोड ओवरब्रिज का सवाल है, ब्रिज पोर्शन और डबल लेन ब्रिजेस के लिए किसी लैवल क्रॉसिंग के एवज में रेल मंत्रालय 50 प्रतिशत कॉस्ट शेयर करती थी लेकिन अब यह फैसला लिया गया है कि अगर राज्य सरकार, रोड अथौरटी या एन. एच. या कारपोरेशन से कोई प्रस्ताव आता है कि वे चार लेन का ब्रिज बनाना चाहते हैं तो पहले इसके लिए रेलवे को–शेयर करती थी, उसके लिए वह ब्रिज के उस पोर्शन की कॉस्ट शेयर करने की बात स्वीकर कर ले। अगर कहीं वाइडनिंग की जरूरत है या किसी खास व्यस्त एरिया में, उसके लिए रेल मंत्रालय खर्च वहन करना स्वीकार करे, उसके लिए इस बात का निरीक्षण किया जा रहा है। लेकिन रेल मंत्रालय राज्य सरकार को बाध्य नहीं कर सकती। राज्य सरकारों की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए, उसके लिए माननीय सदस्य को अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना होगा।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्ष जी, अगर राज्य सरकार कोई प्रस्ताव नहीं भेजती है और वह आवश्यक कार्य है तो उसके लिए रेल मंत्रालय नियम में संशोधन कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय : मैं विनती करता हूं कि सदन में कोई सदस्य समाचार पत्र नहीं पढ़ेंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : सर, हम कभी प्रश्न नहीं पूछते हैं, हमने बहुत समय से प्रश्न नहीं पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : आपके पहले दस लोगों के प्रश्न यहां हैं, इसलिए मैं आपको बोलने का चान्स नहीं दे सकता।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने विस्तार से सब कुछ उत्तर में दिया है।...*(व्यवधान)* मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि विभिन्न स्तरों से जांच करने के बाद खस्ता पुलों की पहचान की जाती है। हम जानना चाहते हैं कि जो विभिन्न स्तरों से जांच की गई है, उसमें कितने खस्ता पुलों की पहचान की गई है और जिन खस्ता पुलों की पहचान की गई है, उन पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? इसी के साथ हम जानना चाहते हैं कि खन्ना समिति की रिपोर्ट में जिन 262 पुलों का जिक्र किया गया है और इन्होंने इस संबंध में किए गए उपायों की जो सूची दी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि 3400 पुलों का पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण किया गया है। क्या इन 2400 पुलों में जो खन्ना समिति की रिपोर्ट में सूचीबद्ध पुल थे, वे शामिल हैं या नहीं?

इसके साथ हम यह भी कहना चाहते हैं कि जैसे कि अभी चर्चा चली है कि राजधानी एक्सप्रेस का जो एक्सीडैन्ट हुआ था, उसमें कमिश्नर, सेफ्टी की जांच शायद हो चुकी है। जैसा हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि जांच रिपोर्ट आ गई है। हम जानना चाहते हैं कि अगर जांच में पुल के क्षतिग्रस्त होने की बात नहीं बताई गई है थी यानी कि पुल की वजह से एक्सीडैन्ट नहीं हुआ है तो क्या सरकार ऐसा कोई कानून बनाएगी कि जिससे रेल मंत्रालय का विश्वास और साख गिराने के लिए एक साजिश के तहत इस तरह का हंगामा मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। क्या सरकार उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु कोई कानून बनाना चाहती है। हम सरकार से यही जानना चाहते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मीडिया को पकडने के लिए कानून बनाएंगे...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, खन्ना समिति ने जब रिपोर्ट दी थी तो उस समय उन्होंने एक अप्रैल, 1999 तक कुल 262 पुलों का जिक्र किया था, जो डिस्ट्रैस्ड ब्रिजेज हैं या 262 थकानग्रस्त पुल थे। लेकिन एक अप्रैल, 2002 तक का आकलन है कि कुल डिस्ट्रैस्ड ब्रिजेज की संख्या 527 है और इन 527 ब्रिजेस को अगले दो–तीन सालों के अंदर या तो रिप्लेस कर दिया जाएगा या रीहैबिलिटेट कर दिया जाएगा। इस साल इन 527 ब्रिजेज में से 341 डिस्ट्रैस्ड ब्रिजेस के रीहैबिलिटेशन और रीबिल्डिंग का प्लान है। जिसमें से 30 सितम्बर, 2002 तक 72 ब्रिजेज के रीहैबिलिटेशन और रीबिल्डिंग का काम पूरा हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक कमिश्नर, रेलवे सेफ्टी की

अध्यक्ष महोदय, जहां तक कमिश्नर, रेलवे सेफ्टी की रिपोर्ट का सवाल है, वह फाइनल रिपोर्ट आ गई है और जो उसके नियम हैं, उसके हिसाब से कमैन्ट्स मांगे गए हैं और अब फाइनल कमैन्ट्स भी आ रहे हैं तथा फाइनली जो कमिश्नर, रेलवे सेफ्टी का नोट होता है, वह नोट भी रेल मंत्रालय को प्राप्त हो चुका है। उसमें उन्होंने जो कारण बताए हैं, उनके बारे में यूं तो एक स्पेसिफिक प्रश्न है जिसके उत्तर में मैंने उन चीजों का जिक्र किया है। इसलिए उन सब चीजों का यहां जिक्र करना संभव नहीं है...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : वहां किसी को बर्खास्त करने के बाद बहाल किया गया है। अब यह हेराफेरी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पुल की खराबी थी।...*(व्यवधान)* हम लोग भी इस पर सवाल पूछेंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कु. ममता बैनर्जी आप प्रश्न पूछ सकती है। प्लीज आप लोग बैठिए, अभी कु. ममता बैनर्जी का प्रश्न है। प्रभुनाथ जी आप बैठिए, मंत्री जी आप भी बैठिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सर, अभी प्रभुनाथ सिंह जी ने कहा कि मीडिया के जिन लोगों ने साजिश की है, उन्हें पकड़ने के लिए सरकार क्या कर रही है, उसका जवाब रेल मंत्री जी दे रहे थे।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : मंत्री जी हमारे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, उत्तर अभी बाकी है।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर दे दिया है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, उन्होंने अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। यदि इसके निष्कर्ष अन्यथा निकलते है तो मीडिया के साथ किस ने मिलकर षड्यंत्र किया, क्या इस का निर्णय नए कानून द्वारा किया जाएगा।...*(व्यवधान)* मंत्री महोदय को इसका उत्तर देना चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने जो प्रश्न पूछना है वह पूछ सकते हैं। लेकिन इस तरह बीच में प्रश्न पूछेंगे तो सदन कैसे चल सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को इजाजत दे सकता हूं, लेकिन ऐसे नहीं दे सकता हूं। आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है।

श्री नीतीश कुमार : मैं उत्तर कंप्लीट कर रहा था, इसी बीच व्यवधान हो गया।

अध्यक्ष महोदय : आप जल्दी पूरा कीजिए।

श्री नीतीश कुमार : मैं जल्दी पूरा कर रहा हूं।

महोदय, ट्रैक की हिफाजत का काम राज्य सरकारों का दायित्व है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ जी, आप बैठिए। ममता जी, आप प्रश्न पूछिए।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : वे अनावश्यक रूप से व्यवधान डाल रहे हैं और वे मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न नं. 45 भी इसके साथ ले लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : वह शुरू में ही बोलना पड़ता है। अब नहीं हो सकता।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : मैं सरकार को सुरक्षा संबंधी समीक्षा समिति की सिफारिशों पर रेलवे को धन देने के लिए धन्यवाद देती हूं। खन्ना समिति की सिफारिशों के अनुसार रेलवे को धन पुलों के निर्माण, ट्रैकों के नवीनीकरण और अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए दिया जा रहा है।

महोदय, मेरा मूल प्रश्न रफीगंज दुर्घटना से संबंधित है। मैं वहां हावड़ा रेलवे स्टेशन पर शुरू से ही मौजूद थी, और मैंने वहां रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही देखी है, यद्यपि मैं हमेशा कर्मचारियों का पक्ष लेती रही हूं। मैंने पीड़ित परिवारों की सहायता करने में रेलवे द्वारा की जा रही लापरवाही को देखा है, तथापि यह प्रश्न वह नहीं है जो मैं पूछना चाहती हूं।

मैं रेल मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य की प्रशंसा करती हूं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा समीक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और उसमें यह कहते हुए बरी कर दिया गया है कि यह दुर्घटना नहीं थी बल्कि यह तोड़फोड़ का मामला है। क्या मैं मंत्री महोदय से यह पूछ सकती हूं कि पूरी जानकारी किए बगैर या जांच पूरी होने की प्रतीक्षा किए बगैर उन्होंने यह सार्वजनिक वक्तव्य क्यों दिया कि यह दुर्घटना नहीं तोड़फोड का मामला है? दूसरे, क्या यह सच नहीं है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध रेलवे में जांच का कोई मामला चल रहा है जो कि सुरक्षा समीक्षा आयोग का सदस्य है? देश को इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि व्यवस्था बहुत खराब है। यदि आप मुझसे यह पूछें कि रेल मंत्री रहते मैंने क्या किया तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैंने कड़ा नोट लिया था। लोगों की धारणा इतनी खराब है कि कोई रेलवे दुर्घटना होने पर जांच उन अधिकारियों द्वारा की जाती है जो रेलवे से त्यागपत्र देकर नागर विमानन मंत्रालय में चले गए हैं। इन कर्मचारियों को रेलवे की सभी सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, ऐसे लोग निष्पक्ष जांच कैसे कर सकते हैं? वे अपने को जांच के मामले से बचाने के लिए सदैव रेलवे और रेल मंत्री को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। मैं सरकार और रेल मंत्रालय को इस कथन के साथ चुनौती देती हूं कि उन्होंने ऐसी रिपोर्ट अपने आपको जांच के मामलों से बचाने के लिए दी है। इस दुर्घटना में काफी लोग मारे गए और उनके साथ न्याय नहीं किया गया है।

मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार जनहित में इस मामले को सीबीआई को सौंपेगी?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अपने प्रश्नों का उत्तर चाहती है तो अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, हम उनकी इस मांग का समर्थन करते हैं कि यह मामला सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इसका उत्तर मुझे देने दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : समय बहुत कम है।

श्री नीतीश कुमार : समय बहुत कम है मगर यह अन्याय होगा अगर इसका उत्तर देने का मुझे अवसर नहीं मिला। मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा कि इसका उत्तर देने दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप जवाब दीजिए।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, यूं तो इस प्रश्न का कोई संबंध मूल प्रश्न से नहीं है। यह ब्रिज पर प्रश्न था, एक्सीडेन्ट पर प्रश्न था, लेकिन फिर भी आपने अलाउ कर दिया और कुछ बातें कही गई हैं तो इसका उत्तर देना मेरे लिए लाजमी है।...*(व्यवधान)* ये उत्तर पाने में इंटरैस्टेड नहीं हैं। ये शक का धुआं पैदा करने में रुचि रखते हैं। ...*(व्यवधान)*

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, सच्चाई जानने में दिलचस्पी नहीं है बल्कि इनकी दिलचस्पी भ्रम पैदा करने में है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको उत्तर सुनना चाहिए।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, एक बात कही गई है कि रेलवे मिनिस्टर ने बगैर जाने हुए, बगैर कोई जांच के कैसे कह दिया कि सैबोटाज है।

महोदय, इस एक्सीडेंट की जो रिपोर्टिंग है, इसमें जो नियम बने हुए हैं, जो परम्पराएं हैं, उनके अनुसार प्राइमाफेसी कॉज जो भी अधिकारी मौके पर जाता है, प्राइमाफेसी का अर्थ ही होता है कि पहली नजर में, वह वास्तविक कारण नहीं है वह प्रथम दृष्ट्या कारक हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी मौके पर जाते हैं, वे कम्युनिकेट करते हैं। डी.आर.एम. मुगलसराय तीन बजे वहां पहुंचे। उन्होंने स्थल पर अध्ययन के बाद जो कम्युनिकेट किया। उसके आधार पर हमने यह कहा कि हमने मौके पर जो देखा है, जो रेलवे के अधिकारी बता रहे हैं, उसके आधार पर ऐसा लगता है, यह ऐसा प्रतीत होता है यह तोड–फोड़ का मामला हो सकता है। मैंने यह कभी नहीं कहा कि सेबोटाज है। मैं कह रहा हूं कि मौके को देखने के बाद, रेलवे अधिकारियों के वर्शन को सुनने के बाद, हमने यह कहा कि यह सेबोटाज हो सकता है। मेरे इस वर्शन को अनेक टी.वी. चैनलों ने प्रसारित किया है। उनके चैनल की पूरी रील को देख लीजिए।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : जो होम मिनिस्टर का बयान हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि कोई सेबेटाज नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : होम मिनिस्टर के बयान के बारे में रेल मंत्री को कैसे पता चलेगा। कृपया बैठिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस अधिकारी के खिलाफ विजिलेंस केस चल रहे हों, उसे मंत्री महोदय द्वारा बहाल किया गया है। अब यदि ऐसा अधिकारी जांच करेगा, तो वह जांच तो मंत्री महोदय के बयान की पुष्टि करेगी ही। इसलिए वह जांच निष्पक्ष नहीं कही जा सकती। *(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या आपने रघुवंश बाबू को बोलने की अनुमति दी है, यदि नहीं तो वे बिना अनुमति के कैसे बोले जा रहे हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जो अब रघुवंश प्रसाद जी बोलेंगे, वह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

श्री छत्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह, बीच-बीच में बार-बार उठ कर क्यों बोलते हैं, क्या उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती?

अध्यक्ष महोदय : जो मंत्री जी बोल रहे हैं, उसको छोडकर कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, रेलवे एक्सीडेंट के बाद जो इन्क्वायरी की जाती है, वह स्टेट्यूटरी इन्क्वायरी होती है। रेलवे एक्ट 1989 के प्रॉवीजन्स के मुताबिक यह स्टेट्यूटरी इन्क्वायरी है। कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी का गठन रेलवे एक्ट के हिसाब से हुआ है। कमीशन आफ रेलवे सेफ्टी में कौन कमिश्नर बनता है और कौन चीफ कमिश्नर बनता है, यह मेरे हाथ में नहीं है। वह नियम और कायदा-कानून पहले से ही चला आ रहा है। यह सदन सर्वोपरि है। यदि उस कानून में यह सदन परिवर्तन करना चाहे, तो कर सकता है।

जहां तक एक पर्टीकुलर आफीसर के बारे में कहा गया है कि उनके ऊपर विजिलेंस के केसेस पेंडिंग थे, उन्हें कैसे बहाल कर दिया गया। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जिस आफीसर को कमीशन आफ रेलवे सेफ्टी चाहेगा वह चीफ कमिश्नर आफ रेलवे सेफ्टी बहाल होगा। वह कमीशन के द्वारा ही होगा। उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। इसके लिए प्रॉसीजर लेड-डाऊन है और यह रेलवे मिनिस्ट्री नहीं करती, बल्कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री करती है।

[हिन्दी]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मिग विमान दुर्घटनाएं

*43. **श्री चन्द्रकांत खैरे** :
श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा :

क्या रक्षा मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिग विमानों की बहुत अधिक दुर्घटनाएं हो रही हैं जिनमें हाल ही में गोवा तट पर हुए दो नौसैनिक विमानों की टक्कर भी शामिल है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन माह के दौरान कितने विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने प्रत्येक दुर्घटना के कारणों की कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) प्रत्येक पीडित को कितना मुआवजा दिया गया है;

(च) क्या पीड़ितों के परिवारजनों ने और अधिक मुआवजे की मांग की है;

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार का क्या रुख है;

(ज) क्या सरकार ने मिग स्क्वैड्रन के समूचे आपरेशन, जो इस समय चल रहा है, को बंद करने के बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(झ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा मिग बेड़े के आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (झ) विगत तीन माह में भारतीय वायुसेना में श्रेणी–I की कुल सात विमान दुर्घटनाएं हुई हैं। नौसेना के दो विमान जो गोवा के ऊपर आपस में टकरा गए थे, आई एल–38 विमान थे न कि मिग विमान । श्रेणी–I की सात दुर्घटनाओं में मिग–21 विमान, एक में एच पी टी–32 विमान और एक में जगुआर विमान अंतर्ग्रस्त था।

इन दुर्घटनाओं के कारणों की जांच–पड़ताल करने के लिए जांच अदालतें बिठाई गई हैं जिनका कार्य अभी चल रहा है। भुगतान किए जाने वाले मुआवजे की राशि जांच–अदालतों द्वारा निर्धारित की जाएगी। संबंधित परिवारों की अधिक मुआवजे की यदि कोई मांगें होंगी तो उनका पता जांच–अदालतों का कार्य पूरा होने पर ही लग सकेगा।

चूंकि मिग–21 विमानों की सुरक्षा कभी भी संदेहास्पद नहीं रही है, अतः सरकार ने मिग–21 बेड़े को सेवा से हटाए जाने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

मिग–21 विमानों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है मिग–21 बिस (बी आई एस) विमानों की एक स्कवाड्रन का पहले ही स्तरोन्नयन किया जा चुका है। कुल 125 विमानों का 2005 तक स्तरोन्नयन किया जाएगा।

[अनुवाद]

पेट्रोल के साथ ईथनाल का मिश्रण

*44. **श्री विनय कुमार सोराके :**
श्री बृजलाल खाबरी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों में वाहन ईंधन के रूप में दस प्रतिशत ईथनाल मिश्रित पेट्रोल और डीजल का परीक्षण शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पांच प्रतिशत ईथनाल का मिश्रण सफल पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वाहन ईंधन के रूप में दस प्रतिशत ईथनाल मिश्रित पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति कब तक किए जाने की संभावना है;

(च) क्या देश में इसके कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आने की संभावना है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या इस मिश्रण से चीनी उत्पादक राज्य लाभान्वित होंगे;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ञ) इस कदम से तेल भण्डारों को किस सीमा तक संरक्षण करने में सहायता मिलेगी;

(ट) क्या ईथानाल मिश्रित पेट्रोल और डीजल के उपयोग से प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी; और

(ठ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ठ) वर्ष 2001 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोल (मोटर स्पिरिट) में 5 प्रतिशत एथेनॉल के मिश्रण के पर्यावरणीय, प्रचालनात्मक, वित्तीय और अन्य संबंधित पहलुओं की जांच करने के लिए तीन प्रयोगिक परियोजनाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया जिनमें से एक उत्तर प्रदेश में है और दो महाराष्ट्र में हैं। इन परियोजनाओं के परिणाम उत्साहवर्धक थे, इसलिए सरकार ने नौ राज्यों और चार संसक्त संघ राज्य क्षेत्रों में 1.1.2003 से 5 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की अनिवार्य रूप से आपूर्ति करने का निर्णय लिया। ये राज्य हैं–आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र हैं–दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, चंडीगढ़ और पांडिचेरी।

पेट्रोल में 10 प्रतिशत की सीमा तक एथेनॉल के मिश्रण के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन के अनुसंधान और विकास केन्द्र द्वारा किए गए अध्ययन व्यवहार्य पाए गए हैं। तदनुसार भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) से यह अनुरोध किया गया है कि वे 10 प्रतिशत एक एथेनॉल के मिश्रण की अनुमति

देने के लिए पेट्रोल के विनिर्देशों में संशोधन करें। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि विनिर्देश के संशोधन के बाद महाराष्ट्र में मीरज और मनमाड और उत्तर प्रदेश में बरेली में पेट्रोल में 10 प्रतिशत सीमा तक एथेनॉल के मिश्रण के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं आरम्भ की जाएंगी।

मिश्रित पेट्रोल का मूल्य प्रशासित मूल्य व्यवस्था (ए पी एम) के बाद के परिदृश्य अर्थात् 1.4.2002 के बाद एथेनॉल और पेट्रोल की संबंधित कीमतों के आधार पर बाजार निर्धारित होगा।

ईंधन में एथेनॉल का मिश्रण करने के द्वारा अधिशेष सीरे के लिए वैकल्पिक मांग उत्पन्न होगी जिससे गन्ना उत्पादक राज्यों में गन्ना किसानों और गन्ना उद्योग को लाभ होगा।

परिवहन ईंधनों में एथेनॉल के मिश्रण से ऐसे मिश्रण के लिए प्रयुक्त एथेनॉल की मात्रा की सीमा तक हाइड्रोकार्बनों का संरक्षण होगा। इससे आरम्भ में अधिशेष हुए हाइड्रोकार्बनों की मात्रा के निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी और बाद में इससे देश में कच्चे तेल के आयात में कमी होगी।

इसके अलावा एथेनॉल का उत्पादन ऊर्जा के सतत स्रोतों से किया जाता है, इसलिए एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल एक पर्यावरण अनुकूल ईंधन है और इंजन की परिस्थितियों के आधार पर 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का उपयोग करते हुए कार्बन–मोनाआक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जनों में कमी परिकल्पित है।

जैसा कि पूरे विश्व में हो रहा है, डीजल में 5 प्रतिशत एथेनॉल के मिश्रण के लिए अभी भी अध्ययन किए जा रहे हैं और इस प्रकार सरकार द्वारा एथेनॉल मिश्रित डीजल की आपूर्ति के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की रेल दुर्घटना की जांच

*45. **श्री विलास मुत्तेमवार :**
श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 2002 में हुई हावड़ा–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की दुर्घटना में कितने व्यक्ति मरे/घायल हुए और कितने मूल्य की सरकारी सम्पत्ति का नुकसान हुआ;

(ख) उक्त दुर्घटना के पीड़ितों को कितना मुआवजा/राहत दी गई;

(ग) क्या उक्त दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और उस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या जहां पर उक्त दुर्घटना हुई थी उस पुल की पहचान रेलवे सुरक्षा समीक्षा समिति द्वारा "खस्ता हाल" पुल के रूप में की गई थी; और

(च) यदि हां, तो भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) 9.9.2002 को मुगलसराय मंडल के गया–मुगलसराय खंड पर रफीगंज के निकट 2301 अप हावड़ा–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पटरी से उतरने से 107 व्यक्तियों की जानें गईं और 60 को गंभीर चोटों सहित 165 व्यक्तियों को चोटें आईं रेल सम्पत्ति को हुई क्षति की लागत 9,42,18,000 रुपए आंकी गई है।

(ख) गाड़ी दुर्घटनाओं के लिए क्षतिपूर्ति दावे का विनिश्चय रेल दावा अधिकरण द्वारा किया जाता है। 13.11.2002 को मृत्यु और चोट के लिए रेल दावा अधिकरण, पटना में 72 दावे के मामले दायर किए गए हैं. अधिकरण द्वारा दावा मामलों में डिक्री पारित करते ही क्षतिपूर्ति की व्यवस्था कर दी जाएगी।

मृतकों के लिए 1 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 25,000 रुपए और मामूली रूप से घायलों 5,000 रु. की बढ़ी हुई "अनुग्रह राशि" की घोषणा की गई थी। 15.11.2002 तक मृत्यु और घायलों के 217 मामलों में 1,07,00500 रुपए का भुगतान किया गया है।

134 घायल व्यक्तियों को विभिन्न अस्पतालों/नर्सिंग होमों में भर्ती कराया गया था और आवश्यकतानुसार यथासंभव उत्तम उपचार मुहैया कराया गया था। अन्य घायलों का प्राथमिक

उपचार किया गया था क्योंकि उन्हें भर्ती करने की आवश्यकता नहीं थी।

(ग) और (घ) जी, हां। रेल संरक्षा आयुक्त/पूर्व परिक्षेत्र ने इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की। अपनी जांच रिपोर्ट में उन्होंने दुर्घटना का कारण "पुल सं. 445 के पहुंच पर हावड़ा छोर में शरारती तत्वों द्वारा फिश प्लेटें खोल देने और सेस साइड सिंगनल रेल की इलास्टिक रेल क्लिपें खोल देना" था। उन्होंने दुर्घटना को "तोड–फोड़" की कोटि में वर्गीकृत किया है।

उन्होंने प्राथमिक जिम्मेवारी 'अनजान' व्यक्तियों की मानी जिन्होंने यात्रियों तथा रेलवे सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से जान बूझकर रेलपथ पर तोड़–फोड़ की।

रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा अपनी आरम्भिक रिपोर्ट में की गई "तत्काल सिफारिशों" के आधार पर निम्नलिखित कदम उठाए गए थे :

(i) मुगलसराय, धनबाद, दानापुर मंडलों और आसनसोल मंडल के मधुपुर–झाझा खंड पर रात्रि में 2000 बजे से 0500 बजे तक सभी गाडियों के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे का गति प्रतिबंध लगाया गया था।

(ii) रात्रि 2000 बजे से 0500 बजे के दौरान कथित पहचाने गए खंडों से गुजरने वाली सभी राजधानी एक्सप्रेसों के आगे पायलट इजन चलाना।

(iii) भेद्य खंडों. में फिश बोल्टों की बरिंग।

(iv) पहचाने गए खंडों पर रात्रि के दौरान अकस्मात् सुरक्षा गश्त शुरू की गई है।

(v) रात्रि के दौरान इन सभी खंडों पर सभी महत्वपूर्ण और बड़े पुलों/सुरंगों पर मुकामी चौकीदार तैनात किए गए थे।

की गई सिफारिशें और उनकी अंतिम जांच रिपोर्ट में उठाए गए अन्य मुद्दों की जांच की जा रही है।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) "तोड़फोड़" के कारण इसी प्रकार की दुर्घटनाओं की संभावना से बचने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

(i) फिश प्लेट ज्वाइंट की संख्या में कमी, जहां कहीं व्यावहारिक है और भेद्य खंडों में स्थित ज्वाइंटों पर दो फिश बोल्टों प्रत्येक पटरी पर एक की बरिंग के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

(ii) चुराए न जा सकने वाले इलास्टिक रेल क्लिप और फिश बोल्ट जुड़नार का विकास करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

(iii) जहां कहीं रेलपथ और पुलों से संबंधित इस किस्म के अपराधों की रोकथाम करने के लिए अपेक्षित है, वहां राज्य पुलिस विभागों के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखा जा रहा है।

(iv) निरीक्षकों, पर्यवेक्षकों और अधिकारियों के क्रॉस सेक्शनों को शामिल करते हुए गाड़ियों को सुरक्षित गुजारने के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए व्यापक संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।

न्यायाधीशों का वेतन पैकेज
अधर में

*46. **श्री चिंतामन वनगा** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 सितम्बर, 2002 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में "पे पैकेज ऑफ जजेज इन लिम्बो" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने न्यायाधीश के. जे. शेट्टी राष्ट्रीय न्यायपालिका आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केंद्रीय सरकार ने संघ राज्य क्षेत्रों की बाबत शेट्टी आयोग (एफ.एन.जे.पी.सी.) की सिफारिशों को तारीख 11.10.2001 और 11.03.2002 के कार्यान्वयन आदेशों द्वारा भागतः कार्यान्वित कर दिया है। तथापि, उच्चतम न्यायालय के तारीख 21 मार्च, 2002 के निर्णय में, अन्य बातों के साथ–साथ, सरकार द्वारा किए गए विनिश्चय को बदलने वाले कतिपय निदेश अतर्विष्ट हैं। इस निर्णय का जहां तक यह संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, केंद्रीय सरकार द्वारा और जहां तक यह राज्यों से संबंधित है, राज्य सरकारों द्वारा अनुपालन किया जाना है।

केंद्रीय सरकार ने, राज्य सरकारों के लिए अंतर्वलित अत्यधिक वित्तीय भारों और इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, इस विषय पर राज्य सरकारों से परामर्श करने और निर्णय के कार्यान्वयन में अंतर्वलित कठिनाइयों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के समक्ष आवश्यक निवेदन करने में समर्थ होने के लिए उच्चतम न्यायालय से समुचित समय विस्तार की याचना करते हुए आवेदन फाइल किए हैं। सुनिश्चित जीवनवृत्ति प्रगति (ए.सी.पी.) स्कीम, न्यायाधीश पदसंख्या में वृद्धि पेंशन के पचास प्रतिशत तक संराशीकरण, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को घरेलू नौकर के लिए भत्ते, सत्कार भत्ते, चिकित्या सुविधाओं और उस तारीख के, जिससे विभिन्न भत्ते संदेय किए जाने चाहिए, विषय में उच्चतम न्यायालय से उसके निर्देशों के संबंध में स्पष्टीकरण/उपांतरण भी मांगे गए हैं। मामले को तारीख 25.11.2002 को उच्चतम न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए नियत कर दिया गया है।

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत कल्याणकारी योजनाएं

*47. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत कौन–कौन सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और उनका अन्य ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा ऋण, अनुदान और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या सूत्र (फार्मूला) अपनाया गया है और इसमें प्रत्येक राज्य सरकार का योगदान अथवा वित्तीय हिस्सा कितना है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक सीधे केन्द्र सरकार अथवा राजस्थान सरकार अथवा किसी अन्य स्वैच्छिक संगठन द्वारा राजस्थान में और ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत कौन–कौन सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा ऋण, अनुदान अथवा वित्तीय सहायता के रूप में वर्ष–वार योजना–वार, और एजेंसी–वार कितनी धनराशि प्रदान की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय सौर ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत कई योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है जिनमें ऐसी प्रणालियों के उपयोगकर्त्ताओं को सब्सिडी और/अथवा उदार ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा उपलब्ध वित्तीय सहायता के लिए मानकों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। सभी मामलों में योजनाओं के अंतर्गत शामिल प्रणालियों की शेष लागत लाभभोगियों अथवा कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा पूरी की जानी है।

(ख) और (ग) मंत्रालय, राजस्थान में सौर प्रकाशवोल्टीय (पीवी) प्रणालियों, सौर तापीय प्रणालियों और सौर विद्युत उत्पादन के विस्तार की योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। इन योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य नोडल एजेंसी नामतः राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी (आरईडीए) द्वारा किया जा रहा है जिसे अब राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आर आर ई सी) के नाम से जाना जाता है। राजस्थान सरकार राज्य नोडल एजेंसी को निधियां भी उपलब्ध करा रही है जिनका उपयोग अतिरिक्त उपयोगकर्त्ताओं को सहायता देने के लिए किया जा रहा है। सोशल वर्क एंड रिसर्च सैंटर (एस डब्लू आर सी), तिलोनिया और वर्ल्ड रिन्युएबल स्पिरिचुअल ट्रस्ट (डब्लू आर एस टी), माउंट आबू जैसे अन्य संगठन भी सौर पीवी प्रणालियों एवं सौर तापीय प्रणालियों संबंधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान और इस वर्ष अब तक राजस्थान में इन एजेंसियों को मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों के विवरण नीचे दिए गए हैं

(लाख रु. में)

योजना का नाम	एजेंसी का नाम	1999–2000	2000–2001	2001–2002	2002–2003 (अब तक)
एसपीवी कार्यक्रम	आरईडीए/आरआरईसी	308.00	141.92	474.22	350.58
	एसडब्लूआरसी	7.12	70.29	100.06	56.46
	डब्लूआरएसटी	–	40.32	42.79	18.31
सौर तापीय कार्यक्रम	आरईडीए/आरआरईसी	–	–	–	–
	एसडब्लूआरसी	–	–	–	–
	डब्लूआरएसटी	3.19	0.70	1.25	–
एसपीवी बाजार विकास कार्यक्रम (इरेडा से ऋण)	एसडब्लूआरसी	35.30	–	109.29	59.55
सौर विद्युत	आरईडीए/आरआरईसी	9.75	–	83.67	5.00

विवरण

वर्ष 2002–2003 के दौरान सौर ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए निधियन के मानक

सौर प्रकाशवोल्टीय

1.0 सौर घरेलू प्रणालियां, सड़क रोशनी, विद्युत संयंत्र, सौर जनरेटर, भवन सम्बद्ध प्रकाशवोल्टीय (बीआईपीवी) प्रणालियां और सामुदायिक अनुप्रयोग

क्र.सं.	सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणाली	केन्द्रीय सब्सिडी	
		सामान्य क्षेत्र	पूर्वोत्तर राज्य
1	2	3	4
1.	सौर घरेलू प्रणाली	पूर्व कार्य लागत का 50%, जो अधिकतम निम्नलिखित के अध्यधीन है	पूर्व कार्य लागत का 90%, जो अधिकतम निम्नलिखित के अध्यधीन है
	मॉडल 1 (18 वाट मॉडयूल, 1 रोशनी)	3,000/– रुपये	5,000/– रुपये
	मॉडल 2 (37 वाट मॉडयूल, 2 रोशनी)	5,500/– रुपये	10,000/– रुपये
	मॉडल 3 (37 वाट मॉडयूल, 1 रोशनी, 1 पंखा)	5,500/– रुपये	10,000/– रुपये
	मॉडल 4 (74 वाट मॉडयूल, 2 रोशनी, 1 पंखा)	10,000/– रुपये	18,000/– रुपये
	मॉडल 5 (74 वाट मॉडयूल, 2 रोशनी)	10,000/– रुपये	18,000/– रुपये

1	2	3	4
2.	सड़क रोशनी प्रणाली	11,000/– रुपये	20,000/– रुपये
3.	विद्युत संयंत्र एवं अन्य सामुदायिक प्रणालियां	पीवी ऐरे क्षमता का 1,80,000 रु. केडब्लूपी	पीवी ऐरे क्षमता का 3,50,000 रुपये/केडब्लूपी
4.	सौर जनरेटर (150 वाट–600 वाट)	अधिकतम 40,000 रुपये के साथ 40 प्रतिशत	
5.	भवन संबद्ध प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां (बीआईपीवी)	बीआईपीवी परियोजनाओं में उपयोग किए जाने वाले प्रकाशवोल्टीय मॉडयूल की लागत का 80 प्रतिशत	

2.0 कृषि एवं संबंधित उपयोगों के लिए सौर प्रकाशवोल्टीय जल पंपन प्रणालियां

क्र.सं.	कार्यान्वयन व्यवस्था	केन्द्रीय सब्सिडी	अन्य सहायता
1.	विनिर्माताओं द्वारा प्रत्यक्ष मार्केटिंग, सब्सिडी भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) के माध्यम से	उपयोग किए गए प्रकाशवोल्टीय ऐरे (पीवी) का 110 रु. प्रतिवाट जो प्रति प्रणाली अधिकतम 2.5 लाख रु. के अध्यधीन है	एक वर्ष के विलम्बन काल के साथ 10 वर्षों में अदा दिए जाने के लिए शेष बिना सब्सिडी की लागत के 90 प्रतिशत पर बिचौलियों और उपयोग–कर्त्ताओं को क्रमशः 2.5 प्रतिशत और 5 प्रतिशत ब्याज दर पर उदार ऋण
2.	राज्यों द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति	उपयोग किए गए प्रकाशवोल्टीय ऐरे (पीवी) का 135 रु. प्रतिवाट जो प्रति प्रणाली अधिकतम 2.5 लाख रु. के अध्यधीन है	
3.	पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति	प्रणाली की अनुमोदित पूर्व–कार्य लागत का 90 प्रतिशत	
4.	सामुदायिक पेय जल की आपूर्ति	उपयोग किए गए प्रकाशवोल्टीय ऐरे (पीवी) का 110 रु. प्रतिवाट जो प्रति प्रणाली अधिकतम 2.5 लाख रु. के अध्यधीन है	

3.0 ग्रिड संबंद्ध सौर पीवी विद्युत परियोजनाएं

ग्रामीण ग्रिडों में वोल्टेज सहायता हेतु ग्रिड संबद्ध पीवी विद्युत संयंत्रों, शहरी केन्द्रों में पीक लोड शेविंग और द्वीप समूहों/सुदूरवर्ती स्थानों में डीजल की बजत के लिए 100 किवा, क्षमता की एक परियोजना के लिए अधिकतम 2 करोड़ रु. के अध्यधीन परियोजना लागत की 2/3 तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। मंत्रालय, एक विस्तृत परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1 लाख रुपए तक भी उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त परियोजना की मानीटरिंग के लिए राज्य एजेंसी को 5 लाख रु. तक की राशि उपलब्ध कराई जाती है। मंत्रालय, उद्योग द्वारा कैप्टिव परियोजनाओं की भी सहायता करता है जिसके लिए 10 प्रतिशत के फ्लोर ब्याज दर के साथ 4 प्रतिशत तक की ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है।

4.0 पीवी प्रणालियों संबंधी उदार ऋण योजना

मंत्रालय, उपयोगकर्त्ताओं/बिचौलियों को उदार ऋण उपलब्ध कराने के लिए- इरेडा (भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी) और बैंकों को नीचे दी गई दरों पर ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराता है :

(क) सौर लालटेन

क्र.सं.	विशेषता	कार्यान्वयन	
		इरेडा के माध्यम से	बैंकों के माध्यम से
1.	सौर लालटेनों के लिए ऋण	सामान्य क्षेत्रों में 5 प्रतिशत और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 3 प्रतिशत की ब्याज दर पर लालटेन की लागत का 85 प्रतिशत ऋण के रूप में दिया जाएगा।	सामान्य क्षेत्रों में 5 प्रतिशत और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 3 प्रतिशत की ब्याज दर पर लालटेन की लागत का 85 प्रतिशत ऋण के रूप में दिया जाएगा।

(ख) अन्य पीवी प्रणालियां

क्र.सं.	उदार ऋण	ब्याज दर (प्रतिशत) प्रतिवर्ष	अदायगी की अवधि (वर्ष)	विलम्बन काल (वर्ष)	अधिकतम लाभभोगी अंशदान (प्रतिशत)
1.	इरेडा के माध्यम से (वाणिज्यिक उपयोगकर्त्ताओं के लिए)	7	5	1	20
2.	इरेडा के माध्यम से (गैर–वाणिज्यिक उपयोगकर्त्ताओं के लिए)	5	5	1	20
3.	बैंकों के माध्यम से (व्यक्तियों और संगठनों के लिए जो अवमूल्यन का दावा नहीं करते हैं)	5	5	शून्य	15

इस योजना के अंतर्गत सौर पंप शामिल नहीं हैं।

सौर तापीय कार्यक्रम

1.0 कनसेंट्रेटिंग टाइप सौर कुकर

कुकर का प्रकार	उपयोगकर्त्ता को सहायता
डिश सौर कुकर (न्यूनतम व्यास 1.4 मीटर)	प्रति कुकर 2500 रु. तक सीमित, कुल लागत का 50 प्रतिशत
इनडोर कुकिंग के लिए सामुदायिक और कुकर (न्यूनतम द्वारक क्षेत्र 7 वर्गमीटर)	प्रति कुकर 25000 रु. तक सीमित, कुल लागत का 50 प्रतिशत
सौर स्टीम कुकिंग प्रणाली	मंत्रालय द्वारा यथा सहमत पात्र पूंजीगत लागत का 50 प्रतिशत

2.0 पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रदर्शन कार्यक्रम और नई प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन

पूर्वोत्तर क्षेत्र, द्वीप समूह तथा जम्मू एवं कश्मीर में प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सब्सिडी के विवरण निम्नलिखित हैं :

1. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 6000 रु. प्रति वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र
2. द्वीप समूह तथा जम्मू एवं कश्मीर के लिए 4000 रु. प्रति वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र

3. प्रदर्शन परियोजनाओं के अंतर्गत देश के किसी भी भाग में नई प्रौद्योगिकियों के प्रयास के लिए सब्सिडी के रूप में प्रणाली लागत का 50 प्रतिशत उपलब्ध कराया जाता है।

3.0 उदार ऋण की योजना

योजना के विवरण निम्नलिखित हैं :

उधारकर्त्ता	पात्र अनुप्रयोग	पात्र अंतिम उपयोगकर्त्ता	अंतिम उपयोगकर्त्ताओं को ब्याज दर
1	2	3	4
इरेडा के माध्यम से			
इरेडा के वित्तीय बिचौलिए (इरेडा से 1. व्यक्तियों एवं लाभ न कमाने वाले संगठनों को 2.5 प्रतिशत की दर से और 2. उद्योग, होटलों और अन्य वाणिज्यिक संगठनों को 4.5 प्रतिशत की दर से आगे उधार देने के लिए ऋण प्राप्त करेंगे)	सौर जल तापन प्रणाली (कोई क्षमता), और वायु तापन प्रणाली, सौर विलवणीकरण प्रणाली, सौर स्वीमिंग पुल	1. व्यक्ति, संस्था, न्यास, धर्मार्थ संगठन (लाभ न न कमाने वाले संगठन)	लाभ न कमाने वाले संगठनों एवं व्यक्तियों को *5 प्रतिशत
		2. उद्योग, होटल, अस्पताल, अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान/ वाणिज्यिक संगठन	वाणिज्यिक संगठनों को 7 प्रतिशत
अंतिम उपयोगकर्त्ता (गैर वाणिज्यिक)	सौर जल तापन प्रणाली (कोई क्षमता), सौर वायु तापन प्रणाली, सौर विलवणीकरण, सौर स्वीमिंग पुल	संस्था, न्यास, धर्मार्थ संगठन आदि (लाभ न कमाने वाले संगठन)	5 प्रतिशत
अंतिम उपयोगकर्त्ता (वाणिज्यिक)	सौर जल तापन प्रणाली (कोई क्षमता), सौर वायु तापन प्रणाली, और विलवणीकरण प्रणाली, सौर स्वीमिंग पुल	उद्योग, होटल, अस्पताल, अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान/ वाणिज्यिक संगठन	7 प्रतिशत
बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से (हाउसिंग वित्त पोषण संगठनों सहित)			
व्यक्ति, संस्था, अस्पताल, नर्सिंग होम, छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठान, हाउसिंग कोओपरेटिव सोसायटी/ विकासकर्त्ता आदि	सौर जल तापन प्रणालियां (5000 लीटर क्षमता तक)	व्यक्ति, संस्था, अस्पताल, नर्सिंग होम, छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठान हाउसिंग को–ओपरेटिव सोसायटी/ विकास–कर्त्ता आदि होटल पात्र नहीं है	*5 प्रतिशत

1	2	3	4
व्यक्ति, संस्था, अस्पताल, नर्सिंग होम, छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठान/ कृषिगत कोओपरेटिव आदि	सौर ड्राइंग यूनिट	व्यक्ति, संस्था, अस्पताल, नर्सिंग होम, छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठान/कृषिगत कोओपरेटिव आदि	*5 प्रतिशत

*अंतिम उपयोगकर्त्ताओं (व्यक्तियों को छोड़कर) को इस आशय की वचनबद्धता देनी होगी कि आयकर नियमों के अंतर्गत किसी अवमूल्यन भत्ते का दावा नहीं किया जाएगा।

सौर जल तापकों संबंधी ब्याज सब्सिडी योजना का संचालन निम्नलिखित बैंक कर रहे हैं :

केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एवं सिंध बैंक, सिंडिकेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक

3.0 सौर भवन

सरकारी/अर्धसरकारी क्षेत्र में बनाए जाने वाले भवनों के लिए अधिकतम 10 लाख रु. के अध्यधीन निर्माण लागत के 10 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता।

इरेडा द्वारा वित्त-पोषित और ऊर्जा कार्यक्रम

मंत्रालय की सब्सिडी एवं उदार ऋण कार्यक्रमों के अतिरिक्त इरेडा द्वारा भी सौर ऊर्जा परियोजनाओं को दिए गए मानकों के अनुसार ऋण उपलब्ध कराया जाता है :

क्र.सं.	कार्यक्रम/योजना	ब्याज दर (प्रतिशत) प्रतिवर्ष	विलंबन काल सहित अदायदी की अवधि (अधिकतम वर्ष)	विलम्बन काल (अधिकतम) (वर्ष)	न्यूनतम प्रमोटर का अंशदान (प्रतिशत)
1.	एस पी वी निर्माण	13.5	8	2	30
2.	एस पी वी बाजार विकास	13.5	10	1	20
3.	सौर तापीय प्रणालियां	13.5	10	1	20

अन्य प्रोत्साहन

सौर ऊर्जा सहित अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उत्पादन और विकास की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा कई प्रोत्साहन उपलब्ध कराए गए हैं, जैसे–80 प्रतिशत त्वरित अवमूल्यन, कच्ची सामग्रियों, खपाने योग्य वस्तुओं और संघटकों का रियायती शुल्क पर आयात, विद्युत परियोजाओं के लिए मशीनरी के आयात के लिए रियायती शुल्क और कुछ युक्तियों/प्रणालियों पर उत्पादन शुल्क से छूट। मंत्रालय अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण और अन्य संबंधित कार्यकलापों के लिए भी सहायता उपलब्ध कराता है।

घुसपैठ

*48. **श्री वीर सिंह महतो :**
श्री रघुराज सिंह शाक्य :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना द्वारा की जा रही नियमित गश्त के बावजूद अभी भी घुसपैठ जारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रकार की घुसपैठ पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) पाकिस्तान द्वारा जम्मू एवं कश्मीर में चलाए जा रहे परोक्ष युद्ध में घुसपैठ एक सतत् रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। भू-स्थिति तथा जलवायु संबंधी परिस्थितियों के कारण नियंत्रण रेखा को पूरी तरह से सील करना अत्यंत कठिन हो जाता है।

इस दिशा में पर्याप्त सैन्य उपाय किए गए हैं जिनमें नियंत्रण रेखा पर एक बहुस्तरीय रक्षात्मक एवं घुसपैठरोधी संस्थिति बनाना शामिल है। आसूचना विभाग से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर घुसपैठरोधी संस्थिति की लगातार समीक्षा की जाती है तथा आतंकवादियों को नुकसान पहुंचाने में इससे काफी सफलता प्राप्त हो रही है।

चालू वर्ष के दौरान, बढ़ाई गई सतर्कता, सैन्य बलों की तैनाती तथा विभिन्न स्तरों पर की गई कूटनीतिक पहल से घुसपैठ के प्रयासों की संख्या में काफी कमी आई है।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

***49. श्री वी. वेत्रिसेलवन :**
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में पिछले छह माह के दौरान पन्द्रह से बीस दिन के नियमित अन्तराल पर वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या मूल्य वृद्धि के इस रुख का आम जनता पर भारी बोझ पड़ा है;

(ग) क्या कभी-कभी सरकार का मूल्यों में वृद्धि न करने का वक्तव्य आने के बाद भी मूल्यों में वृद्धि की गई है; और

(घ) यदि हां, तो हर पन्द्रह दिन में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करने का क्या औचित्य है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (ए पी एम) की समप्ति के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल और घरेलू एल पी जी के अलावा सारे पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य नियंत्रणमुक्त कर दिए गए हैं। एक मुक्त बाजर परिदृश्य में अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में उतार-चढ़ावों का पेट्रोलियम के घरेलू उपभोक्ता मूल्यों पर प्रभाव अवश्य पड़ता है।

तेल विपणन कंपनियों और घरेलू रिफाइनिरयों के बीच वर्तमान व्यवस्था के अनुसार तेल विपणन कंपनियां घरेलू रिफाइनरियों को डीजल और पेट्रोल के लिए आयात समता मूल्यों का भुगतान करती हैं जिसे अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में मूल्य प्रवृत्ति के आधार पर पाक्षिक आधार पर संशोधित किया जाता है। इसके बदले तेल विपणन कंपनियों को इन उत्पादों के घरेलू उपभोक्ता मूल्यों में तदनुसार संशोधन करना पड़ता है। क्रूडों के भारतीय बास्केट के मूल्य मार्च, 2002 से सितम्बर, 2002 के दौरान 23.30 अमरीकी डालर/बैरल से बढ़कर 27.48 अमरीकी डालर/बैरल हो गए थे।

प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (ए पी एम) के बाद ए पी एम अवधि से मुक्त बाजार परिदृश्य तक सुचारु संक्रमण सरल बनाने के लिए तेल विपणन कंपनियों ने अप्रैल और मई, 2002 के महीनों के दौरान डीजल और पेट्रोल के घरेलू उपभोक्ता मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं की, हालांकि इन उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए तेल विपणन कंपनियों ने इन उत्पादों के घरेलू उपभोक्ता मूल्यों में दो बार कमी की, चार अवसरों पर मूल्यों में परिवर्तन नहीं किया और मूल्यों में छह बार वृद्धि की।

मुक्त बाजार परिदृश्य में सरकार द्वारा पेट्रोलियम के मूल्यों में वृद्धि न करने के बारे में विवरण जारी करने का प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण रेलवे का क्षेत्राधिकार

***50. श्री टी. एम. सेल्वागनपति :**
श्री टी. गोविन्दन :

क्या **रेल** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में, विशेषकर दक्षिण रेलवे में, रेलवे जोनों/डिवीजनों का द्विविभाजन/सृजन करने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। देश में जोनों के द्विविभाजन/सृजन के संबंध में सरकार को अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। विशेषकर दक्षिण रेलवे में ये मांगें केरल में नए जोन के सृजन जिसका मुख्यालय कोच्चि में हो, बेंगलूरु/हुबली में मुख्यालय के साथ नया जोन तथा गुंतूर, सेलम, गुलबर्गा, कण्णौर, ईरोड एवं मंगलौर में नए मंडलों के सृजन से संबंधित हैं। कुछ अन्य अभ्यावेदन मंडलों विशेषकर हुबली और गुंतकल के अधिकारिता क्षेत्र में परिवर्तन से संबंधित हैं।

(ग) नीति/मानदंड के अनुसार, नए जोनों तथा मंडलों का सृजन उनके कार्यभार सुगम्यता, भौगोलिक फैलाव तथा अन्य प्रशासनिक/परिचालनिक आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों के आधार पर नहीं। नए जोनों और मंडलों का सृजन करते समय सरकार द्वारा विभिन्न अभ्यावेदनों पर विधिवत विचार–विमर्श किया गया था। मानदंड के आधार पर ही एक नए जोन दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली का सृजन किया गया है जो 1.4.2003 से परिचालित होगा। साथ ही, गुंतूर में एक नया मंडल 01.04.2003 से परिचालित होगा। केरल में एक जोन या सेलम, गुलबर्गा अथवा ईरोड में आदि में मंडल का सृजन करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

रेल टिकटों का आरक्षण करने हेतु निजी एजेंसियों को प्राधिकृत करना

*51. **श्री हरिभाई चौधरी :**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल टिकटों के आरक्षण हेतु कुछ निजी एजेंसियों को प्राधिकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रेल विभाग द्वारा इन प्राधिकृत एजेंसियों के बारे में लोगों को सूचित करने हेतु क्या प्रबंध किए गए हैं;

(घ) इन निजी एजेंसियों की सेवा लेने हेतु सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा अनधिकृत निजी एजेंसियों को रेल के टिकटों का आरक्षण करने से रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। रेल आरक्षण कार्यालयों के टिकटों का क्रय करने के लिए रेल यात्री सेवा अभिकर्ता नियम, 1985 के उपबंधों के अंतर्गत भारतीय रेलों पर लगभग 765 रेल यात्री सेवा अभिकर्ताओं को नियुक्त किया गया है जो इच्छुक यात्रियों की ओर से एक सामान्य यात्री की भांति कतार में खड़ा होकर ऐसा करते हैं।

(ग) अधिकांश क्षेत्रीय रेलों द्वारा रेल यात्री सेवा अभिकर्ताओं के बारे में सूचना क्षेत्रीय रेलवे की समय–सारणियों में प्रकाशित की जाती है।

(घ) रेल यात्री सेवा अभिकर्ताओं की नियुक्ति समय–समय पर यथासंशोधित रेल यात्री सेवा अभिकर्ता नियम, 1985 के प्राधिकार की शर्तों के अनुसार की जाती है।

(ङ) टिकटों के गैरकानूनी व्यापार में संलिप्त अनधिकृत व्यक्तियों की धरपकड़ करने के लिए रेलवे अधिकारी समय–समय पर पुलिस के सहयोग से जांच करते हैं और उनके विरुद्ध कानून के संगत उपबंधों के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। अधिकतम भीड़भाड़ की अवधि के दौरान महत्वपूर्ण स्टेशनों पर निगरानी बढ़ा दी जाती है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन/आकाशवाणी की बकाया धनराशि

*52. **श्री अखिलेश यादव :**
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन/आकाशवाणी की 31 अक्तूबर, 2002 की स्थिति के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों/पार्टियों और फर्मों पर बकाया धनराशि का व्यक्ति–वार/पार्टी–वार/फर्म–वार और वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रोग्राम प्रोड्यूसरों/कम्पनियों द्वारा धनराशि बकाया रखने के क्या कारण हैं। और सरकार द्वारा बकाया धनराशि वसूल करने हेतु क्या प्रयास किए गए और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या उपर्युक्त चूककर्ताओं ने कोई संगठन बनाया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या उद्देश्य हैं और बकाया धनराशि की वसूली पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ङ) क्या सरकार ने कुछ मामलों में बकाया धनराशि को बट्टेखाते में डाल दिया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि 31 अक्टूबर, 2002 की स्थिति के अनुसार दूरदर्शन के संबंध में मुख्य चूककर्त्ता एजेंसियों की ओर बकाया धनराशि 164.82 करोड़ रु. है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। आकाशवाणी के संबंध में (दोषी) चूककर्त्ता एजेंसियों पर बकाया धनराशि संबंधी दिनांक 15.05.2002 तक सूचना उपलब्ध है जो 6.69 करोड रु. बैठती है। ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

प्रसार भारती ने सूचित किया है कि बकाया धनराशि को नहीं चुकाने की स्थिति में दूरदर्शन कंपनियों की प्रत्यायन दर्जे को निलंबित कर देता है/वापस ले लेता है। बकाया की वसूली के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए :

1. मासिक (मानिटरिंग) की जाती है तथा एजेंसियों को उन पर बकाया धनराशि चुकाने का अनुरोध करते हुए अनुस्मारक भेजे जाते हैं।

2. चूककर्त्ता एजेंसियों/निर्माताओं को तब तक नए कार्यक्रम/कार्यक्रमों का विस्तार नहीं दिया जाता है जब तक कि वे अग्रिम भुगतान देने तथा एक सहमत भुगतान योजना के अनुपालन करने के लिए सहमत नहीं होते।

3. यदि चूककर्त्ता एजेंसियां भुगतान योजना का पालन नहीं करती है तो उनके कार्यक्रमों का प्रसारण रोक दिया जाता है तथा उनकी प्रत्यायन दर्जे को रद्द कर दिया जाता है/वापस ले लिया जाता है।

4. प्रत्यायन दर्जे को रद्द करने/वापस लेने के बाद एजेंसियों की बैंक गारंटी भुना ली जाती है।

5. दूरदर्शन के राजस्व को सुरक्षित करने तथा साख अवधि को कवर करने के लिए, सामान्य प्रसारण शुल्क पर प्रसारित हो रहे धारावाहिकों के प्रसारण हेतु बैंक गारंटी रकम को प्रसारण शुल्क के चार गुना तक बढ़ा दिया गया।

6. कुछ मामलों में, बकाया धनराशि की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

आकाशवाणी प्रत्यायित एजेंसियों के जरिए विज्ञापन स्पॉटो/प्रायोजकता/प्रायोजित कार्यक्रमों को स्वीकार करता है। चूककर्त्ता एजेंसियों के प्रत्यायित दर्जे को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है तथा उनकी बुकिंग बकाया के भुगतान तक सिर्फ अग्रिम भुगतान पर स्वीकार की जाती है। यदि ऐसी कोई एजेंसी बकाया धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ रहती है तो उसकी बैंक गारंटी भुना ली जाती है। भुगतान के विवाद की स्थिति में मामले को विवाचन के लिए भेज दिया जाता है तथा कुछ मामलों में बकाया की वसूली के लिए दीवानी मुकदमे भी दायर किए जाते हैं।

(ग) प्रसार भारती को ऐसे किसी घटनाक्रम की जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

दूरदर्शन वाणिज्यिक सेवा : नई दिल्ली

मुख्य चूककर्त्ता एजेंसियां

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	31.10.02 तक बकाया
1	2	3
1.	आलिया प्रोडक्शन्स	60

1	2	3
2.	एडवांस टीवी नेटवर्क	213
3.	एडविजन मल्टीमीडिया	17
4.	आनन्द एडवर्टाइजिंग	140
5.	ए एंड ए फिल्मस	9
6.	एशियन एड एज	12
7.	बी फोर यू मल्टीमीडिया	197
8.	बालाजी टेलीफिल्मस	111
9.	विधान एडवर्टाइजिंग	11
10.	सिनेमा विजन	35
11.	कॉन्सेप्ट एडवर्टाइजिंग	186
12.	कॉपी डेस्क	45
13.	कोरम कॉमर्शियल	18
14.	क्रियेटिव चैनल	28
15.	क्रियेटिव आई	1200
16.	दूष्टि इंडिया	294
17.	इटर्नल ड्रीम्स	20
18.	फेम कॉमर्शियल	1074
19.	फेम एंड फॉरच्यून	16
20.	फिल्म क्राफ्ट	90
21.	फर्स्ट ऑप्शन टी/एफ	94
22.	फ्यूचर कॉमर्शियल	11
23.	जी. एम. कॉमर्शियल	25
24.	ग्लोबल इंट	161
25.	दिल्ली सरकार	6
26.	ग्रुप ए एंड कन्स.	4
27.	गुरूजी एडवर्टाइजिंग	85
28.	एचएमटी	3
29.	एचटीए	11
30.	आई डी टीवी	13
31.	इन्नोविजन फिल्म	25
32.	जया एडवर्टाइजिंग	49
33.	जौस्लिम कॉप	42
34.	किने स्कोप	70
35.	के एल आई	122
36.	लहर सेवा	28
37.	मैजिक बॉक्स	11
38.	मैग्ना विजन	108
39.	मार्किट मूवर्स	311
40.	माया इंट.	170
41.	एमबीएम	163
42.	मीडिया एशिया	122
43.	मल्टी चैनल	1102
44.	नीरजा फिल्म्स	25
45.	नेटवर्क 7	35
46.	एन एफ डी सी	4481
47.	निम्बुस कॉम.	612
48.	न्यूमेरो उनो	1010
49.	पीएनसी	154
50.	पास इंटरनेशनल	46
51.	पिंकी एड.	144
52.	प्लस चैनल	1012

1	2	3
53.	प्रभा फिल्म्स	75
54.	प्राइम टाईम मीडिया	20
55.	राधा पब्लिसिटी	16
56.	रिज्नेबल एड.	64
57.	सागर इंटरप्राइजेज	590
58.	ऐल्विआ	6
59.	संवाद वीडियो	49
60.	श्री माधव	1156
61.	स्टार गजेर	13
62.	टाईम मेग्नेटिक्स	33
63.	ट्रेसर एड.	33
64.	ट्रांसलिंक टेली	22
65.	ट्राइवन कॉम.	50
66.	यूनिवर्सल	73
67.	यूरेनस	46
68.	विज्ञापन	3
69.	डब्ल्यू डी कंजूमर	8
70.	दर्ल्ड मीडिया	132
71.	वर्ल्डकॉम एम/एम	58
	योग	16480

विवरण-II

आकाशवाणी में 15.05.2002 तक विभिन्न एजेंसियों की ओर बकाया धनराशि

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	बकाया धनराशि (रुपए में)
1	2	3
1.	आरोही एडवरटाइजिंग एजेंसी	35779
2.	एड–एयर एडवरटाजिंग	651244
3.	अनुग्रह	223213
4.	आर्ट कामर्सिया	357965
5.	एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लखनऊ	6000
6.	ए वी इण्टरनेशनल	1785
7.	एरीज एडवरटाइजिंग	12809
8.	ए टू जेड एजेंसीज	27462
9.	एडवरटाइजिंग एंड सेल्स प्रोमोशन	9741
10.	एडविस्ता	94930
11.	एडवर	946223
12.	असिस्टेंट डायरेक्टर एन्टी मलेरिया	21
13.	आर्ट एडवरटाइजिंग	1286
14.	एड हाऊस	272300
15.	सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	12512
16.	एड्स कण्ट्रोल पंजाब	144068
17.	एड्स कण्ट्रोल अहमदाबाद	24190
18.	एड्स कण्ट्रोल हैदराबाद	45085
19.	अपर निदेशक सूचना	50320
20.	एडमिनिस्ट्रेटर जम्मू	3808
21.	ब्यूटेक्स	382366
22.	बी एस एन एल	2500
23.	ब्राइट	3801
24.	ब्लेज एडवरटाइजिंग	22363
25.	बी आई पाध्ये	19527
26.	बी डी खन्ना पब्लिसिटी	89

1	2	3
27.	बुबना एडवरटाइजिंग	17213
28.	बुमा एडवरटाइजिंग	25738
29.	क्लेरियन एडवरटाइजिंग	647309
30.	कार्पोरेट वाइस	642776
31.	कण्ट्रैक्ट एडवरटाइजिंग	209028
32.	सीएमएचओ, जयपुर	25
33.	कमीशनरेट इण्डस्ट्री	25
34.	चरित्र एडवरटाइजिंग	4590
35.	चावला एडवरटाइजिंग	1140723
36.	कन्सेप्ट कम्यूनिकेशंस	38298
37.	कामर्शियल टैक्स ऑफिस	517
38.	सिविल सप्लाईज	3144
39.	क्रिएटिव यूनिट	89786
40.	कमीशनर, आईपीआर, विभाग	138551
41.	करेंट एडवरटाइजिंग	1669
42.	कॉम इन्फा.बी.आर.	17340
43.	कैरट मीडिया सर्विस	40163
44.	कमीशनर स्माल सेविंग चेन्नई	2003
45.	चण्डीगढ़ स्टेट टी बी सोसायटी	304
46.	चीफ काम.	6120
47.	आयुक्त, लघु बचत	19530
48.	डीएवीपी	8988867
49.	डेजर्ट कर्नाटका	24566
50.	डाउन मोड	132196

1	2	3
51.	निदेशक लघु बचत जयपुर	109332
52.	निदेशक, एग्रीकल्चर शिमला	6710
53.	निदेशक, सामाजिक और वूमैन वेलफेयर	15125
54.	निदेशक, लघु बचत	180471
55.	उद्योग निदेशालय	1428
56.	निदेशक, पंजाब शिक्षा	1302
57.	निदेशक, सूचना और पी आर	1446
58.	जनगणना विभाग	104126
59.	एवरेस्ट	22775
60.	एफीसिएण्टी पब्लिसिटी	106733
61.	इंटरप्राइजेज एडवरटाइजिंग	5610
62.	एवरेस्ट एन्ट्रीग्रेटेड	4485
63.	फ्रेन्डस एडवरटाइजिंग	308790
64.	ग्रेशम	1615
65.	गुरू नानक एडवरटाइजिंग	1738
66.	ग्रे वर्ल्ड वाइड इंडिया	2943
67.	गुजरात स्टेट एड्स कण्ट्रोल	193680
68.	हेड स्टार्ट	172862
69.	हिन्दुस्तान थाम्सन	2294904
70.	एच एम टी	3521689
71.	मानव विकास	8415
72.	इंडियन ऑयल कारपोरेशन	2855890
73.	इफको	4781
74.	इमेज एडवरटाइजिंग	121385

1	2	3
75.	सूचना विभाग, श्रीनगर	46968
76.	सूचना एंड जनसंपर्क शिमला	26520
77.	इनसाइट एडवरटाइजिंग	64038
78.	इंटरफेस कम्यूनिकेशंस	144604
79.	एल इ ओ लखनऊ	182784
80.	इंडियन पब्लिकेशंस प्रोजेक्ट	11948
81.	जेडीएसएमइआइओ, कोलकाता	16830
82.	जेटिसन कम्बाइंस	3944
83.	जिंगलेशन, मुम्बई	64483
84.	जयश्री पिक्चर्स	6926
85.	जया एडवरटाइजिंग	4
86.	जुपिटर एडवरटाइजिंग	11014
87.	कर्नाटक एड्स सोसायटी	535050
88.	के एच डी सी	3124
89.	के एस डी आई	1020
90.	के पी टी सी एल	389523
91.	के पी बी एडवरटाइजिंग	5683
92.	केरल स्टेट कोयर बोर्ड	1745
93.	कल्याणी रिकार्डिंग	14450
94.	केएलआई एडवरटाइजिंग	29878
95.	कर्नाटक मिल्क फेडरेशन	66953
96.	कर्नाटक सोप एंड डिपार्टमेंट	1054
97.	कर्नाटक स्टेट एड्स प्रोजेक्ट सोसायटी	73600
98.	कर्नाटक एड्स प्रिवेंशन	80600
99.	कर्नाटक इलेक्ट्रीसिटी	680
100.	लिण्टास	3130198
101.	एल आर स्वामी	97292
102.	एल आई सी	775200
102.	लिवी पब्लिसिटी	26394
104.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	8357461
105.	गृह मंत्रालय	12147
106.	मा कम्युनिकेशंस	748700
107.	मोड एडवरटाइजिंग	502264
108.	मुशिरेका	1366776
109.	एम सी–सीसीएएन एरिक्शन	255510
110.	मैडिसन एडवरटाइजिंग	314372
111.	मार्केट एडवरटाइजिंग	3213
112.	मध्यम	13386
113.	मीडिया वेब्स	1477726
114.	मद्रास फर्टिलाइजर्स	3004
115.	एम सी मीडिया	36720
116.	मंत्रालय महान एडवरटाइजिंग	535649
117.	मास मार्केटिंग सर्विस	144908
118.	मोण्टेज एडवरटाइजिंग	285431
119.	मिल्क फेड वर्का	128
120.	एम पी टूर डिपार्टमेंट कारपोरेशन	4973
121.	महिला एवं बाल विकास	3910
122.	नायजी रिकार्डिंग सेंटर	80738

1	2	3
123.	नेशनल एडवरटाइजिंग एजेंसी	21505
124.	नूतन एडवरटाइजिंग	44753
125.	ओम एडवरटाइजिंग	19283
126.	वन अप एडवरटाइजिंग	187237
127.	प्रोफाड चेन्नई	575391
128.	पेन ए ट्रेट	5032
129.	प्लस एडवरटाइजिंग	52413
130.	परफेक्ट पब्लिसिटी	1190
131.	जनसंपर्क एम पी	3998
132.	जनसंपर्क जयपुर	44
133.	प्रगति रेडियो	117263
134.	परफेक्ट एडवरटाइजिंग	8863
135.	पब्लिसिटी पार्लर	1235158
136.	पंजाब स्टेट कोआपरेटिव	12623
137.	पंजाब स्टेट लाटरीज	13770
138.	परिवार कल्याण लखनऊ	149940
139.	प्रदूषण सुरक्षा	7140
140.	रैक एडवरटाइजिंग	3700
141.	रेडिफ्यूजन	1951892
142.	रोशन एडवरटाइजिंग	38675
143.	आर के स्वामी	67835
144.	राज्य कृषि उत्पादन	37570
145.	राष्ट्रीय एडवरटाइजिंग	43207
146.	राडा श्री	39977
147.	रेडियो इण्टरप्राइजेज	13473
148.	प्यार कम्यूनिकेशंस	978813
149.	आरटीवीसी	681863
150.	रविराज	94847
151.	रविराज पब्लिसिटी	16830
152.	रेणुके एडवरटाइजिंग	3105446
153.	राजस्थान मोटर्स	3212
154.	आर एस एन एडवरटाइजिंग	3375
155.	ग्रामीण शिक्षा संस्था	1275
156.	पंजीयन निदेशक महिला एवं संस्कृति	2910
157.	पंजीयन निदेशक लघु बचत	5724
158.	पंजीयन प्रारम्भिक शिक्षा	10710
159.	पंजीयन सामान्य जन्म एवं मृत्यु	853893
160.	ससि एडवरटाइजिंग	280479
161.	श्री राघवेन्द्र	1444117
162.	पुलिस अधीक्षक, कर्नाटक	4984
163.	सुचन्द्रा एड मीडिया	277674
164.	शिल्पी एडवरटाइजिंग	112637
165.	स्वरलिमि	10709
166.	स्टेट लेप्रोसी कोलकाता	3780
167.	सिफ्सा कानपुर	337079
168.	श्री एडवरटाइजिंग	493407
169.	सुपर एडवरटाइजिंग	84320
170.	शंकर एडवरटाइजिंग	10668

1	2	3
171.	लघु बचत, हैदराबाद	65960
172.	सिस्ता सांची एंड सांची	2027464
173.	सौभाग्य एडवरटाइजिंग	21420
174.	स्टैण्डर्ड पब्लिसिटी	50
175.	स्वर सुधा एडवरटाइजिंग	42500
176.	सुभाष रेडियो	1373
177.	सिचुएशन एडवरटाइजिंग एंड मार्केटिंग	1551031
178.	श्री संस्थावाली	800
179.	श्रावणी इनफर्टीलिटी क्लिनिक	8060
180.	श्रीधर एजेंसी	2231
181.	ट्विन एडवरटाइजर	343438
182.	डेलकॉम	46078
183.	टेलीक्रॉफ्ट	318485
184.	तमिलनाडु स्टेट को आपरेटिव	45833
185.	ट्राइटन कम्यूनिकेशंस	212553
186.	टीएन हैण्डलूम वीवर्स	12750
187.	महापंजीयक, भारत	1239327
188.	यू पी पावर कारपोरेशन	26011
189.	उषा एडवरटाइजिंग	16902
190.	यू पी राज्य एड्स नियंत्रण	47040
191.	यू पी महिला कल्याण	7769
192.	विकास दिल्ली	4080
193.	वी के नागवानी	2773
194.	विज्ञापन एण्टरप्राइजेज	5312
195.	वेधम एडवरटाइजिंग	1100
196.	विश्व विजय	3442
197.	वी आर जी एजेंसी	119104
198.	यश एडवरटाइजिंग	33906
199.	यूथ इंडिया	62220
	कुल (रुपए में)	6690492

[अनुवाद]

पेट्रोल और डीजल का विक्रय मूल्य

*53. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :**
श्री माणिकराव होडल्या गावित :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और अमेरिका में पेट्रोल और डीजल का पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष में रुपयों में वास्तविक विक्रय मूल्य कितना रहा है;

(ख) अमेरिका और अन्य एशियाई देशों की तुलना में, जो प्रमुख तेल उत्पादक देश (अरब देश) से पांच गुना से अधिक दूरी पर स्थित हैं, भारत में पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य असामान्य रूप से अधिक होने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विद्यमान मूल्य के बराबर लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) वर्ष 2000–01, 2001–02 और वर्तमान वर्ष के दौरान दिल्ली और न्यूयार्क में पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्यों की तुलना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) क्रूड लागत के अलावा पेट्रोलियम उत्पादों के बिक्री मूल्य अन्य बातों के साथ किसी देश में करों और शुल्कों की दरों पर निर्भर करते हैं और ऐसी स्थिति में विभिन्न देशों के बीच इनकी तुलना नहीं की जा सकती।

विवरण

चुनिंदा तारीखों को 2000–01 से आगे दिल्ली और न्यूयार्क में पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्यों की तुलना

(रुपए प्रति लीटर)

	एम एस		एच एच डी	
दिनांक	दिल्ली	न्यूयार्क	दिल्ली	न्यूयार्क
1.7.2000	26.07	20.31	14.04	17.55
1.10.2000	28.44	19.42	16.55	19.37
1.1.2001	28.75	18.77	16.55	18.63
1.4.2001	28.75	18.46	17.06	17.66
1.7.2001	28.75	19.99	17.06	17.63
1.10.2001	28.75	18.15	17.06	17.07
1.1.2002	28.93	14.43	17.17	15.01
1.4.2002	26.54	17.92	16.59	16.64
1.7.2002	29.18	18.61	18.23	16.60
1.10.2002	29.91	19.51	18.91	18.62

टिप्पणी : न्यूयार्क में खुदरा मूल्य को संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए औसत आर बी आई संदर्भ विनिमय दर के आधार पर रुपए प्रति लीटर में परिवर्तित किया गया है।

रेल सुरक्षा रिपोर्ट का धूल चाटना

*54. **डा. बी. बी. रमैया :**
श्री रामजी मांझी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 अक्तूबर, 2002 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में "रेल सेफ्टी रिपोर्ट गैदरिंग डस्ट" शीर्षक से प्रकाशित प्रेस रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या फरवरी 2001 में प्रस्तुत जस्टिस खन्ना रेलवे सुरक्षा समीक्षा समिति की रिपोर्ट के द्वितीय खंड, जिसमें सुरक्षित रेल यात्रा के बारे में दीर्घकालीन संदर्श की व्यवस्था है, को रेलवे द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) इस रिपोर्ट की सिफारिशें कब तक लागू की जाएंगी;

(ङ) क्या सरकार ने रेलवे सुरक्षा आयुक्त की जांच रिपोर्टों पर कोई कार्रवाई की है ताकि इसकी रिपोर्टों को पारदर्शी बनाया जा सके; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रेल संरक्षा समीक्षा समिति–98 (खन्ना समिति) की रिपोर्ट के भाग–II में की गई 83 सिफारिशें रेल मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से स्वीकार कर ली गई हैं। रिपोर्ट में की गई 36 सिफारिशों की संवीक्षा की जा रही है और 9 सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई हैं।

(घ) स्वीकार की गई सिफारिशें संसाधनों की उपलब्धता और कुछ मामलों में परीक्षण की सफलता के आधार पर उत्तरोत्तर कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ङ) और (च) रेल संरक्षा आयुक्तों द्वारा की गई दुर्घटना जांचें और जांच रिपोर्ट गोपनीय होती हैं और न्यायालय में प्रस्तुत करने या उजागर करने के लिए नहीं होती हैं। रेल संरक्षा आयोग की दुर्घटना विशेष की जांच के प्रकाशन के संबंध में सिफारिश मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा की जाती है; मौजूदा नियमों के अनुसार रिपोर्ट के प्रकाशन के संबंध में या अन्यथा निर्णय, नागर विमानन मंत्रालय जिसका रेल संरक्षा आयोग पर प्रशासनिक नियंत्रण है, पर निर्भर करता है।

उन्नत प्रशिक्षण जेट विमानों की खरीद

*55. **श्री ए. नरेन्द्र :**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्नत प्रशिक्षण जेट विमानों की खरीद के बारे में क्या प्रगति हुई है;

(ख) प्रत्येक उन्नत प्रशिक्षण जेट विमान की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा मिग–21 के बार–बार दुर्घटनाग्रस्त होने को ध्यान में रखते हुए उन्नत प्रशिक्षण जेट विमानों के सौदे को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) सरकार उन्नत जेट ट्रेनर (ए जे टी) के अर्जन संबंधी विभिन्न विकल्पों की जांच कर रही है। उन्नत जेट ट्रेनर के लिए किसी संविदा को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इस प्रकार की बड़ी अधिप्राप्ति परियोजना के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित करना संभव नहीं होगा। तथापि, सरकार चाहती है कि इस मसले को शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जाए।

तेल और गैस "रायल्टी"

*56. **श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया :**
श्री जी. जे. जावीया :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान रायल्टी में कितनी बार संशोधन किया गया;

(ख) कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर विभिन्न राज्यों को 31 मार्च, 2002 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष–वार कितनी रायल्टी का भुगतान किया गया;

(ग) क्या अपतटीय उत्पादन के लिए राज्यों को रायल्टी का भुगतान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) प्राकृतिक गैस पर रायल्टी कूपशीर्ष मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से पट्टाधारी द्वारा प्राप्त की है। परन्तु, दरों को अंतिम रूप दिए जाने के लंबित रहते अप्रैल, 1999 से मार्च, 2002 के दौरान, कच्चे तेल पर संदेय रायल्टी में अनन्तिम आधार पर 578 रुपए प्रति मीट्रिक टन से 580 रुपए प्रति मीट्रिक टन के लिए तीन बार संशोधन किया गया है। 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर विभिन्न राज्यों को वर्षवार भुगतान की गई रायल्टी निम्नानुसार थी :

वर्ष	धनराशि करोड रुपए में
1999–2000	885
2000–2001	1013
2001–2002	1124

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डी.ए.वी.पी. समिति के कार्य

*57. **डा. मदन प्रसाद जायसवाल :**
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "विज्ञापन नीति" में कुछ परिवर्तन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय में पैनल बनाने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं और इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) इन मानदंडों की जांच करने हेतु क्या तंत्र उपलब्ध है;

(ङ) इन समिति के सदस्य कौन–कौन होंगे और पैनल में शामिल किए जाने हेतु प्रस्तावित सदस्यों की पृष्ठभूमि क्या होगी; और

(च) उक्त समिति की बैठक बुलाने के लिए क्या मानक निर्धारित किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) भारत सरकार की विज्ञापन नीति तथा विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय में समाचारपत्रों के सूचीकरण के दिशा–निदेशों को व्यापक पारदर्शिता लाने, सूचीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने और वास्तविक समाचार पत्र के सूचीकरण को सुनिश्चित करने के लिए संशोधित किया गया था। भारत सरकार की विज्ञापन नीति और विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय में समाचारपत्रों के सूचीकरण के दिशा–निदेशों की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

प्रकाशक द्वारा मीडिया ब्यौरे सहित सूचीकरण के लिए प्रस्तुत किए गए सूचीकरण प्रपत्र और समाचारपत्रों की नमूना प्रतियों की विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय में जांच की जाती है। और इन पर कार्यवाही की जाती है। सभी टिप्पणी एवं विसंगतियां, यदि कोई हों को सूचीबद्ध किया जाता है तथा पैनल सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के महानिदेशक/निदेशक की अध्यक्षता वाली पैनल सलाहकार समिति में पत्र सूचना कार्यालय के अपर प्रधान सूचना अधिकारी/भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय के प्रेस पंजीयक तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रिंट मीडिया को देखने वाले उप सचिव/अवर सचिव और लघु और मझौले समाचारपत्रों से एक–एक प्रतिनिधि शामिल होते हैं। पैनल सलाहकार समिति की बैठकें कार्यभार अर्थात विचारार्थ प्रार्थनापत्रों की संख्या पर निर्भर करते हुए आयोजित की जाती हैं।

विवरण

दिनांक 1.5.2002 से विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय में भारत सरकार को विज्ञापन नीति और समाचार पत्रों के सूचीकरण के दिशा–निदेशों की मुख्य विशेषताएं

विज्ञापन देने में सरकार का मूल उद्देश्य यह है कि दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक के रूप में प्रकाशित होने वाले विभिन्न समाचार पत्रों और समसामयिक विषयों की पत्रिकाओं के जरिए अभिप्रेत विषय सामग्री या संदेश का यथासंभव व्यापक रूप से कवरेज किया जाए। समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को विज्ञापन जारी करते समय विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय उस समाचारपत्र या पत्रिका की राजनीतिक संबद्धता अथवा संपादकीय नीतियों को नहीं देखता।

सरकारी विज्ञापनों का उद्देश्य समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को आर्थिक सहायता पहुंचाना नहीं है। विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय केवल उन्हीं समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को पैनल में रखेगा जिनकी भारत सरकार के विज्ञापनों को जारी करने के लिए आवश्यकता होगी। यह सावधानी रखी गई है कि उन्हीं समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को पैनल में शामिल किया जाए जो देश के विभिन्न भागों में समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा पढ़े जाते हों।

पैनल सलाहकार समिति

सरकारी विज्ञापन प्राप्त करने के लिए पैनल में शामिल होने हेतु समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिए एक पैनल सलाहकार समिति है। महानिदेशक, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय/निदेशक, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय इसके अध्यक्ष हैं और इसमें पत्र सूचना कार्यालय के अतिरिक्त मुख्य सूचना अधिकारी, प्रेस पंजीयक, आर.एन.आई. तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में प्रिंट मीडिया का कार्य देख रहे उप सचिव/अवर सचिव शामिल हैं। इस समिति में बड़े, मध्यम तथा छोटे समाचारपत्र/पत्रिकाओं के संघों के एक–एक प्रतिनिधि होंगे।

पैनल में शामिल होने के लिए मानदंड

वे सभी समाचारपत्र/पत्रिकाएं जो पहली बार पैनल में शामिल होना चाहते हैं, बिना किसी व्यवधान के उनका निरंतर प्रकाशन हो और यह अवधि 11 महीनों से कम नहीं होनी चाहिए और प्रेस तथा पुस्तकों के पंजीकरण कानून 1867 के प्रावधानों का उन्हें पालन करना चाहिए। पैनल में शामिल होने के लिए नए आवेदन पत्र वर्ष के दौरान किसी भी समय भेजे जा सकते हैं। तथापि प्रत्येक आवेदन पत्र पर वर्ष में केवल एक बार ही विचार किया जाएगा।

अनुबंधों के नवीनीकरण के लिए समाचारपत्रों को वर्ष की 31 मई तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय में जमा करने होंगे।

समाचारपत्र/पत्रिका का विस्तृत विवरण दिया जाना चाहिए जैसे आकार, भाषा, अवधि, प्रिंट एरिया एवं प्रिंटिंग प्रेस का विवरण आदि जैसा कि पैनल में शामिल करने के फार्म में दिया गया है। समाचारपत्र/पत्रिका को यह प्रमाणित करना

होगा कि इसे समुचित स्तर पर प्रकाशित किया जा रहा है। समुचित स्तर का अभिप्राय यह है कि :

(क) छपी हुई विषय सामग्री और फोटोग्राफ पढ़े जा सकते हैं और स्पष्ट हों, सुव्यवस्थित एवं दाग-धब्बों रहित हों तथा उसमें बार-बार काट-छांट करके उसके ऊपर फिर न लिखा गया हो।

(ख) समाचारों या लेखों का अन्य अंकों से लेकर दोहराव नहीं होना चाहिए।

(ग) अन्य समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के समाचारों या लेखों का बिना आभार प्रकट किए पुनर्प्रकाशन नहीं होना चाहिए।

(घ) इसके प्रथम पृष्ठ पर ऊपर की ओर इस समाचार पत्र का नाम, स्थान, तारीख और प्रकाशन का दिन छपा होना चाहिए, इसके साथ ही उसमें आर.एन.आई. पंजीकरण क्रमांक, खंड और अंक संख्या तथा समाचारपत्र/पत्रिका की कीमत दी जानी चाहिए।

(ङ) समाचारपत्र को पी.आर.बी. कानून के तहत आवश्यक इम्प्रिंट लाइन प्रकाशित करना जरूरी है।

(च) अंदर के पृष्ठों में पृष्ठ संख्या, समाचारपत्र का नाम और प्रकाशन की तारीख अवश्य दी गई हो।

किसी समाचारपत्र को पिछले चार महीनों के अंक और साप्ताहिक एवं पाक्षिक समाचारपत्र/पत्रिका के पिछले छह महीनों के अंक तथा मासिक पत्र/पत्रिकाओं को 12 महीनों के ताजे अंक प्रस्तुत करने चाहिए।

निरंतरता

आवेदनकर्ता समाचारपत्र ने पिछले 12 महीनों के दौरान हर महीने कम से कम 25 दिन समाचारपत्र अवश्य प्रकाशित किया हो। साप्ताहितक पत्रिकाओं ने पिछले वर्ष 46 अंक; पाक्षिक पत्रिकाओं ने 24 अंक एवं मासिक पत्रिकाओं ने पिछले वर्ष 10 अंक प्रकाशित किये हों तो उन्हें नियमित रूप से प्रकाशित हुआ माना जाएगा।

आवेदनकर्ता को प्रकाशक के नाम आर.एन.आई. द्वारा जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र भी साथ में देना चाहिए।

जिन समाचारपत्रों/पत्रिकाओं ने 75,000 से अधिक प्रतियां प्रकाशन दिवस का वितरण प्रमाणित कर दिया है, जैसा कि वितरण लेखा ब्यूरो द्वारा प्रमाणित हुआ हो; वे एक नई जगह से अपने ताजा संस्करण को पैनल में शामिल करवा सकते हैं, फिर चाहे पिछले 12 महीनों में उसका नियमित प्रकाशन न हुआ हो, किंतु ऐसे मामलों में ताजा संस्करण को पैनल में वितरण के केवल सबसे नीचे वाले स्लैब में शामिल किया जाएगा। छोटे और मध्यम समाचारपत्रों के नए संस्करणों को भी इसी प्रकार से पैनल में शामिल किया जाएगा।

किसी समाचारपत्र/पत्रिका का कम से कम 2000 प्रतियों का भुगतान वितरण होना चाहिए तभी उसे पैनल में शामिल करने पर विचार किया जाएगा लेकिन संस्कृत में प्रकाशित होने वाले समाचारपत्र/पत्रिकाएं पिछड़े, सीमावर्ती या सुदूरवर्ती क्षेत्रों में या जनजातीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्र/पत्रिकाएं या फिर जो जम्मू और कश्मीर में प्रकाशित होते हों, उन्हें प्रति प्रकाशन दिवस के लिए केवल 500 प्रतियों का ही न्यूनतम भुगतान वितरण प्रमाणित करना होगा।

एक समाचारपत्र/पत्रिका में निम्न अल्पतम प्रिंट क्षेत्र होना चाहिए :

अवधि	निम्न से कम प्रिंट क्षेत्र नहीं हो
दैनिक	1520 स्टे. कॉ.सें.मी.
साप्ताहिक, पाक्षिक	700 स्टे. कॉ.सें.मी.
मासिक	960 स्टें. कॉ.सें.मी.

तथापि उपरिलिखित संस्कृत आदि की श्रेणी में आने वाले समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के मामले में पैनल सलाहकार समिति द्वारा कुछ छूट दी जा सकती है।

आवेदनकर्ता समाचारपत्र/पत्रिका को ए.बी.सी., आर.एन.आई. या चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किए गए वितरण के आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाणपत्र एक वर्ष तक केवल 25,000 प्रतियां प्रति प्रकाशित दिवस तक ही स्वीकार्य होगा।

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय पिछले एक वर्ष

के लिए औसत वितरण को मान्य करेगा, जैसा ए.बी.सी., आर. एन.आई. द्वारा प्रमाणित किया गया हो, यह न हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया गया हो (जो भी कम हो)।

आर.एन.आई. वितरण जांच तीन वर्षों तक वैध रहेगी बशर्ते कि समाचारपत्र/पत्रिका का प्रकाशन स्थगित न हो या उसे आर.एन.आई. द्वारा अप्रमाणित घोषित न कर दिया गया हो। इस अवधि के दौरान पैनल में उसी स्लैब में नवीनीकरण करवाने की इच्छा रखने वाले समाचारपत्र/पत्रिका को वितरण का कोई प्रमाण प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। जो समाचारपत्र/पत्रिकाएं वितरण में वृद्धि दिखाकर दरों की ऊंची स्लैब में आना चाहते हैं, उन्हें ए.बी.सी./आर.एन.आई. वितरण जांच प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के महानिदेशक/निदेशक को अपने प्रतिनिधि या आर.एन.आई. द्वारा जहां भी उचित समझें वितरण के आंकड़ों की जांच करवाने का अधिकार होगा।

दरों के नवीनीकरण/पैनल में शामिल करने के मामलों में जहां तीन वर्ष का अनुबंध दिया जाना है, वहां प्रकाशक को विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय को 31 मई से पूर्व प्रत्येक वर्ष के लिए यह शपथ–पत्र देना होगा कि उसने आर.एन.आई. के पास वार्षिक रिटर्न जमा कर दिया है। शपथ–पत्र में ए.बी.सी./आर.एन.आई./चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित ताजा आंकडे भी बताने होंगे।

यदि कोई समाचारपत्र आर.एन.आई. द्वारा अप्रमाणित घोषित कर दिया जाता है तो उसे विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के पैनल में से हटा दिया जाएगा तथा किए गए भुगतान की वसूली उससे की जाएगी। आर.एन.आई. द्वारा वितरण का प्रमाण देने पर ही उसे फिर से पैनल में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

किसी समाचारपत्र/पत्रिका को आर.एन.आई. द्वारा एक बार अगर अप्रमाणित घोषित कर दिया जाता है तो उसे उसी वर्ष से प्रमाणित माना जाएगा, जब आर.एन.आई. उसे प्रमाणित घोषित कर देगा। यदि वितरण आर.एन.आई./ए.बी.सी. द्वारा प्रमाणित घोषित वितरण से कम पाया गया तो देय की वसूली करने पर विचार किया जायेगा।

विज्ञापन दर

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा जारी विज्ञापनों के लिए भुगतान हेतु दर ढांचा निर्धारित नियमों के आधार पर किया जाएगा। विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय दर ढांचा समिति द्वारा बनाए भारत सरकार दर फार्मूला के अनुसार विज्ञापन दरें निर्धारित करेगा। किसी एक समाचारपत्र के वितरण के आधार पर दरें निर्धारित की जाएंगी और सभी समाचारपत्रों पर समान रूप से लागू होंगी। समाचारपत्र विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा समय–सयम पर निर्धारित दरें तथा अन्य शर्तें मानते हुए विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के साथ दर अनुबंध करेगा तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय समाचारपत्र को जब भी विज्ञापन जारी करेगा, व उनका प्रकाशन सुनिश्चित करेगा।

दर अनुबंध का नवीनीकरण

नवीनीकरण के लिए सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक विज्ञापन एव दृश्य प्रचार निदेशालय को भेज दिए जाने चाहिए, आवेदन की अंतिम तिथि केलेंडर वर्ष के मई महीने की अंतिम तारीख होगी जबकि पैनल की सदस्यता समाप्त होती है, ऐसा न होने पर विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय संबंधित वर्ष के लिए समाचारपत्र को दर के संशोधन के योग्य नहीं मानेगा। विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय संबंधित वर्ष की 30 सितम्बर तक नवीनीकरण करने संबंधी अपना निर्णय बता देगा। विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय नवीनीकरण प्रोफार्मा को अपनी बेबसाइट (http://www.nic.in/davp) पर जारी करेगा और सभी समाचारपत्र इस प्रोफार्मा को इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने समाचारपत्र के लिए दरों के नवीनीकरण का आवेदन कर सकते हैं या फिर समय रहते वे देश के विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय अथवा पत्र सूचना कार्यालयों से आवेदन प्रोफार्मा हासिल कर सकते हैं। भारतीय प्रेस परिषद द्वारा मान्य, बड़े, मध्यम और छोटे समाचारपत्रों के संगठनों को विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय दर नवीनीकरण/नए आवेदन पत्रों का प्रोफार्मा उपलब्ध करवा देगा। यदि पिछले वर्ष के वितरण का समर्थन आर.एन.आई. या ए.बी.सी. द्वारा कर दिया जाता है तो उस समाचारपत्र को तीन वर्षों के लिए दर नवीनीकरण अनुबंध दे दिया जाएगा। फिर भी, अगर कोई समाचारपत्र ताजा आर.एन.आई. या ए. बी.सी. प्रमाणपत्र सहित वितरण में वृद्धि का दावा करता है तो दर में बढ़ोतरी के लिए संशोधन पर विचार किया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष दरों में घट/बढ़ के वास्ते संशोधन करने पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

ओ.एन.जी.सी. के उत्पादन में कमी

*58. **श्री रामजीवन सिंह :**

श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओ एन जी सी का उत्पादन प्रतिवर्ष कम हो रहा है और इसके अधिकारी प्रबंधकों से लाभ बोनस की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ओ एन जी सी के उत्पादन में कितनी कमी आई है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) अधिकारियों की लाभ बोनस संबंधी मांग के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा उनकी मांग माने जाने की स्थिति में इस पर कितनी राशि खर्च होगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस और तरलीकृत गैस (एल पी जी), प्राकृतिक गैस तरल (एन जी एल) और नाफ्था जैसे मूल्य वर्धित उत्पादों (मू. व. उ.) के उत्पादन में रत है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त के संबंध में ओ एन जी सी के उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	तेल* (एम एम टी)	गैस (बी सी एम)	मू. व. उ. (100 एम टी)
1999–2000	24.648	23.252	3694
2000–2001	25.057	24.020	3732
2001–2002	24.708	24.042	3621
2002–2003** अप्रैल–सितम्बर	12.940	12.014	–

*कंडेनसेट सहित **अनन्तिम

एम एम टी – मिलियन मीलियन मीट्रिक टन

बी सी एम – बिलियन घन मीटर एम टी – मीट्रिक टन

पिछले वर्ष की तुलना में 2001–02 के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन में मामूली कमी हुई, ऐसा मुख्य रूप से पश्चिमी अपतट में मुंबई हाई उत्तर (एम एच एन) परिसर को अधिक समय तक बन्द रखने के कारण हुआ। अप्रैल–सितम्बर, 2002 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि में तेल और गैस के उत्पादन में क्रमशः 7.63 प्रतिशत और 0.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

17.7.2001 को वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारी संघ (ए एस टी ओ) ओ एन जी सी ने लाभ बोनस/कार्य निष्पादन संबंधी भुगतानों के बारे में ओ एन जी सी के प्रबंधन को अभ्यावेदन दिया। चर्चा के बाद एक समझौता–ज्ञापन के माध्यम से ए एस टी ओ और ओ एन जी सी प्रबंधन के बीच यह मामला 30.9.2002 को सौहार्द से सुलझा लिया गया। कार्यनिष्पादन संबंधी भुगतानों के बतौर कुल वित्तीय व्यय 146 करोड़ रुपए (लगभग) है।

पाकिस्तानी सेना द्वारा सामरिक महत्व की चौकियों पर कब्जा

*59. **श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :**

श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी सेना ने जुलाई, 2002 में कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर भारत की ओर कुछ सामरिक महत्व की चौकियों पर कब्जा कर लिया था;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ किन परिस्थितियों के अंतर्गत की;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) भारतीय सेना और पाकिस्तान को जान–माल की कितनी हानि हुई?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) पाकिस्तानी सैनिकों ने जुलाई 2002 के दौरान नियंत्रण रेखा पर भारत की ओर सामरिक महत्व की किसी भी चौकी पर कब्जा नहीं किया था। तथापि, जुलाई, 2002 के अंतिम सप्ताह में, नियंत्रण रेखा पर हमारी तरफ सामरिक रूप से कम

महत्वपूर्ण प्वाइंट 3260 के क्षेत्र में लगभग 600 मीटर तक मामूली घुसपैठ हुई थी। थल सेना तथा वायुसेना ने 2 अगस्त, 2002 को समुचित कार्रवाई करके घुसपैठियों को खदेड़ दिया था।

हमारे अपने सैन्य दल द्वारा प्वाइंट 3260 को सामरिक रूप से महत्वपूर्ण तथा वास्तविक कब्जे के लिए व्यवहार्य नहीं समझा जाता है। इस क्षेत्र के नियंत्रण रेखा के बिल्कुल समीप होने तथा इस पर वास्तविक कब्जा नहीं होने के कारण पाकिस्तानी सैनिक इस क्षेत्र में घुस आए थे। तथापि, चूंकि इस क्षेत्र में हमारी अपनी सेनाएं नियमित रूप से गश्त लगाती रहती हैं इसलिए उन्होंने 26 जुलाई, 2002 को प्वाइंट 3260 के क्षेत्र में कुछ पाकिस्तानी सैनिकों को देखा और भारतीय सैनिकों द्वारा घुसपैठ को समाप्त करने तथा नियंत्रण रेखा की अलंघ्यता बहाल करने के लिए उचित कार्रवाई की गई थी। अतः, इस घटना की जांच के लिए कोई आदेश नहीं दिए गए।

इस कार्रवाई के दौरान कोई भारतीय सैनिक हताहत नहीं हुआ। पाकिस्तानी सैनिकों के हताहत होने के संबंध में जानकारी नहीं है।

भारत-अमरीका नौसेना द्वारा युद्ध-अभ्यास

*60. **श्री जी. गंगा रेड्डी :**
श्री वाई. जी. महाजन :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितंबर, 2002 में केरल समुद्र तट (अरब सागर) पर भारत–अमरीका नौसेना युद्ध अभ्यास आयोजित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो इन युद्ध–अभ्यासों में कितने युद्ध पोतों और कार्मिकों ने भाग लिया और इनकी अवधि कितनी थी;

(ग) क्या निकट भविष्य में सशस्त्र बलों के किसी संयुक्त युद्ध–अभ्यास का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी देशवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे क्या लाभ मिलेगा?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) भारत अमेरिका नौसेना युद्धाभ्यास सितंबर, 2002 के महीने में किए गए थे जिनमें दोनों के पोतों तथा बड़ी संख्या में कार्मिकों ने भाग लिया था। सशस्त्र बलों द्वारा संयुक्त युद्धाभ्यास, जरूरत तथा पारस्परिक सुविधा के आधार पर समय–समय पर किए जाते हैं।

अन्य देशों की नौसेनाओं के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास का तात्पर्य एक–दूसरे की परिचालन प्रक्रियाओं की समझ को बढ़ाना है। प्रौद्योगिकी की दृष्टि से उन्नत देशों, जैसे अमरीका और फ्रांस, की नौसेनाओं के साथ युद्धाभ्यास करने से हमारी नौसेना को सामुद्रिक युद्ध पद्धति के क्षेत्र में हुई उन्नति के बारे में सीखने का अवसर मिलता है जो संक्रियात्मक दृष्टि से काफी लाभकारी होता है। इसके अलावा, इन युद्धाभ्यासों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी सामुद्रिक–शक्ति के रूप में भारत की छवि बढ़ती है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में विद्युत परियोजनाओं में निवेश

461. **श्री शिवाजी माने** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र की विद्युत परियोजनाओं में कोई निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका परियोजनावार ब्यौरा क्या है और पिछले दो वर्षों में कितनी धनराशि का निवेश किया गया; और

(ग) इस संबंध में राज्य सरकार का अंश कितना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) तारापुर एटामिक पावर संयंत्र यूनिट–3 तथा 4, जिसकी लागत 6421 करोड़ (1996 कीमत स्तर पर) रु. है, को क्रमशः जनवरी, 2007 तथा अप्रैल 2008 में आरंभ करने का कार्यक्रम है। इस परियोजना पर 31.3.2002 तक 2363 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है।

[अनुवाद]

यूरोपीय रेल नियंत्रण प्रणाली

462. **श्री किरीट सोमैया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या रेल मंत्रालय लोकोमोटिव प्रणाली के लिए यूरोपीय रेल नियंत्रण प्रणाली लागू करने के बारे में विचार कर रहा है;

(ख) क्या इसी तरह की प्रणाली का विकास कोंकण रेलवे और भारत की अन्य रेलवे द्वारा किया जा रहा है;

(ग) क्या यूरोपीय और स्वदेशी प्रणाली में बहुत अधिक अंतर है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उससे क्या–क्या लाभ प्राप्त होंगे;

(ङ) क्या सरकार का किसी स्वदेशी प्रस्ताव पर विचार करने का प्रस्ताव है;

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार स्वदेशी प्रस्ताव का समर्थन करेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) मध्य रेलवे पर 1999–2000 में लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत पर यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम (ईटीसीएस) की एस पॉयलट परियोजना स्वीकृत की गई थी। इस कार्य के लिए पहली निविदा को उच्च लागत तथा अनुपालन न होने के कारण निरस्त कर दिया गया था। तदनुपारान्त, उच्च लागत के दृष्टिगत इस परियोजना के स्थगित रखने का विनिश्चय किया गया।

(ख) कोंकण रेलवे लिमिटेड ने उच्च गति पर टक्करों को रोकने के लिए एक टक्कर रोधी उपस्कर (एसीडी) विकसित किया है। यह प्रणाली अपने वर्तमान स्वरूप में बहरहाल, यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम के समान नहीं है। भारत में अन्य कोई रेलवे इस प्रकार की प्रणाली का विकास नहीं कर रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) दो प्रणालियों के बीच प्रमुख विभिन्नताओं तथा मिलने वाले लाभ निम्नानुसार हैं :

ई.टी.सी.एस.	ए.सी.डी.
ई.टी.सी.एस–2 प्रणाली सचल गाड़ी रेडियो सहित एक स्वचल गाड़ी सुरक्षा प्रणाली है। यह प्रणाली निर्धारित दूरी तथा निर्धारित गति के सिद्धांत पर कार्य करती है। संचलन प्राधिकार गति प्रबन्धन तथा अन्य सूचनाएं रेडियो का उपयोग करते हुए रेल इंजन को संप्रेषित कर दी जाती हैं। गाड़ी के स्थान निर्धारित करने के लिए पैसिव बैलीसेस का उपयोग किया जाता है। संचलन प्राधिकरण का परिकलन रेलपथ की दशा, समपार फाटकों तथा स्टेशनों में अन्तर्पाशन प्रणली के बारे में सूचनाओं के आधार पर रेडियो ब्लॉक सेन्टर (आरबीसी) द्वारा किया जाता है। रेल इंजन में एक दृश्य प्रदर्श करने की व्यवस्था रहती है जो उपलब्ध दूरी तथा अधिकतम गति, जिस पर ड्राइवर गाड़ी को चला सकता है, के बारे में निरन्तर अद्यतन हो रहता है।	दूसरी ओर, टक्कर रोधी उपस्कर, माइक्रोप्रोसेसर आधारित संचार उपस्कर आधारित होते हैं। जो स्टेशनों एवं समपारों पर खड़े रेल इंजनों, ब्रेक यानों में लगे होते हैं। ये रेल इंजनों तथा ब्रेक यानों की स्पष्ट पहचान करते हैं तथा ग्लोबल पोजिशिनिंग प्रणाली तथा एंगूलर डीविएशन काउंट प्रिन्सीपिल का उपयोग करते हुए "टक्कर जैसी" स्थितियों की पहचान करते हैं तथा 3 कि.मी. की दूरी में रेल इंजनों में ब्रेक लगा देते हैं। टक्कर रोधी उपस्कर, गाड़ी के अलग हो जाने का पता लगाने तथा समपारों पर चेतावनी सिगनल देने में भी सहायक हैं।
प्रणाली में व्यवस्थाएं हैं	प्रणाली में व्यवस्थाएं हैं
• स्वचल गाड़ी सुरक्षा तथा गति नियन्त्रण	• स्टेशन क्षेत्र में, उच्च गति पर टक्करों को रोकना

ई.टी.सी.एस	ए.सी.डी.
• समपारों पर पहुंच चेतावनी • स्टेशनों में कामगारों के लिए पहुंच चेतावनी • जीएसएमआर आधारित सचल गाड़ी रेडियो संचार • अस्थाई रूप से गति प्रतिबंध लगना ईटीसीएस में प्रतिकूल दृश्यता स्थिति के दौरान गाड़ी परिचालन सुचारु सुसाध्य बचने के लिए केब सिगनलिंग की व्यवस्था है।	• तीन कि.मी. की दूरी में ब्लॉक खंडों में टक्कर जैसी स्थितियों का पता लगाना • गाड़ी के अलग हो जाने का पता लगाना • समपार गेटों पर चेतावनी देना

(ङ) जी, हां।

(च) (ङ) को देखते हुए लागू नहीं है।

(छ) उत्तर रेलवे के जालन्धर–अमृतसर खंड पर स्वदेशी टक्कर रोधी उपकरण के विस्तारित फील्ड परीक्षण पहले ही प्रगति पर है। विस्तारित फील्ड परीक्षणों के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के बाद सरकार भारतीय रेल पर स्वदेशी टक्कर रोधी उपकरण प्रणाली को अपनाने में जोर देगी, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

सेवा संबंधी मामलों का उच्च न्यायालयों से स्थायी लोक अदालतों को हस्तान्तरण

463. श्री सुरेश रामराव जाधव :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश ने केन्द्र सरकार को सेवा संबंधी सभी लंबित मामले सभी 21 उच्च न्यायालयों से स्थायी लोक अदालतों को हस्तान्तरित करने की सलाह दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

केबल शुल्क में वृद्धि

464. प्रो. रासासिंह रावत : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा केबल आपरेटरों की मनमानी से दूरदर्शन के दर्शकों की रक्षा करने के लिए क्या प्रभावी उपाय किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में बड़े शहरों, नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों के केबल आपरेटरों के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो किन कारणों से सरकार उन पर नियंत्रण रखने में असफल रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) केबल नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 में प्राधिकृत अधिकारियों की व्यवस्था की गई है जिनमें जिला मजिस्ट्रेट, उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त तथा अपनी स्थानीय सीमाओं के क्षेत्राधिकार के भीतर उक्त अधिनियम का उल्लंघन करने वाले केबल आपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित अधिकारी शामिल हैं। प्रसार भारती अधिसूचित दूरदर्शन चैनलों के अनिवार्य प्रसारण संबंधी उक्त अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन कराने के लिए सतत रूप से प्रयत्नशील है।

यद्यपि इनके अनुपालन नहीं किए जाने के मामले भी प्रकाश में आए हैं तथापि दूरदर्शन लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए एक जागरूकता अभियान चला रहा है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए इस मामले को राज्य सरकारों के साथ उठाया है कि अधिसूचित अधिकारी इस संबंध में केबल आपरेटरों से उक्त प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करें। दूरदर्शन ने सूचित किया है कि वे केबल आपरेटरों द्वारा प्रसारित किए जा रहे दूरदर्शन चैनलों की मॉनिटरिंग करने के लिए नियमित समयांतराल पर केबल आपरेटरों से मिल रहे हैं/बैठकें कर रहे हैं।

[अनुवाद]

पुलों/नदी पुलों पर रेलगाड़ी की गति पर प्रतिबंध

485. श्रीमती मिनाती सेन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलों और नदी पर बने पुलों को पार करते समय रेलगाड़ियों की गति पर प्रतिबंध है;

(ख) यदि हां, तो क्या धावा नदी पर रेलगाड़ियों के गुजरते समय इस प्रतिबंध पर अमल किया गया था जहां राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी;

(ग) क्या उसके इंजन के स्पीडोमीटर को सील किया गया था;

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पुलों और नदियों पर बने पुलों को पार करते समय रेलगाड़ी की गति को नियंत्रित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जब तक संरक्षा की दृष्टि से पुल अथवा रेलपथ की वास्तविक स्थिति के लिए अपेक्षित न हो, नदियों पर पुलों के पहुंच मार्गों अथवा पुल खास पर कोई गति प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है।

(ख) धावा पुल जहां 9.9.02 को राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, पर कोई गति प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। अतः गति प्रतिबंध के अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) 10.9.2002 को गति रिकार्डिंग कार्ट्रिज पूर्व रेलवे द्वारा विधिवत् रूप से सील कर दी गई थी और रेल संरक्षा आयुक्त को सौंप दी गयी थी।

(ङ) यदि पुल, पुल के पहुंच मार्ग अथवा अन्यथा पर कोई अस्थाई गति प्रतिबंध लगाया जाता तो खंड पर फेरा शुरू करने से पूर्व ऐसे सभी प्रतिबंधों के लिए गाड़ी ड्राइवरों और गार्डों को चेतावनी आदेश जारी करने की निर्धारित प्रणाली विद्यमान है। इनके अलावा, अपेक्षित स्थलों पर चेतावनी संसूचक बोर्डों की भी व्यवस्था की जाती है। गाड़ी के चालन, ड्राइवर की इंजन–मैन–शिप और गति प्रतिबंध के अनुपालन पर विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा गैस की खरीद

486. श्रीमती प्रभा राव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) ने पेट्रोनेट एलएनजी की उच्च लागत के कारण इसकी आपूर्ति के संबंध में अपनी आपत्तियां प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो क्या एनटीपीसी ने अपने गैस आधारित प्लाटों के लिए आवश्यक एलएनजी के परिवहन और गैस की पुनः भराई के लिए एलएनजी को विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित की थीं;

(ग) यदि हां, तो एनटीपीसी द्वारा प्राप्त निविदा दरों की तुलना में पीएलएल द्वारा प्रस्तावित दरें किस प्रकार से अधिक हैं;

(घ) क्या पीएलएल अंतर्राष्ट्रीय वितरकों द्वारा प्रस्तावित प्रतियोगी दरों पर एनटीपीसी को एलएनजी के आपूर्ति करने के लिए दरों की पुनः समीक्षा करने के लिए सहमत हो गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु गैस खरीदने के लिए एनटीपीसी ने क्या निर्णय लिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ङ) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली (आईसीबी) आधार पर द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) के स्रोत का पता लगाने तथा द्रवीकृत प्राकृतिक गैस के पुनर्गैसीकरण के लिए सेवाओं तथा नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन को गैस के ट्रांसपोर्टेशन हेतु बोलियां आमंत्रित की हैं। दो चरणीय बोली प्रक्रिया के एक भाग के तौर पर एन टी पी सी योग्यता हेतु अनुरोध (आर.एफ.क्यू.) के लिए पहले ही सार्वभौमिक निविदा आमंत्रित कर चुका है। मै. पेट्रोनेट एल.एन.जी. लि. ने भी नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा जारी योग्यता के लिए अनुरोध दस्तावेज लिए हैं।

रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी

467. श्री अनन्त नायक : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा परियोजनाओं में भागीदारी के लिए निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) रक्षा उद्योग क्षेत्र को भारतीय निजी क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत इक्विटी के साथ मई, 2001 में खोल दिया गया था तथा इस क्षेत्र में 26 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति भी दी गई है और ये दोनों ही लाइसेंस की मंजूरी के अधीन हैं। इसमें सभी किस्म के रक्षा उपस्कर शामिल हैं। लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन-पत्रों पर विचार करने के वास्ते औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग द्वारा रक्षा मंत्रालय तथा उद्योग संघों के साथ परामर्श करने के बाद विस्तृत दिश-निर्देश जनवरी, 2002 में जारी किए गए थे।

(ग) विभिन्न प्रकार के रक्षा उपस्करों का विनिर्माण करने के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग के माध्यम से अभी तक 10 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें से 6 आवेदन-पत्रों के संबंध में औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग को संस्तुति सूचित कर दी गई है।

[हिन्दी]

झारखण्ड में विद्युत परियोजनाओं का पूरा न होना

468. श्री लक्ष्मण सिलुवा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखण्ड में विद्युत संयंत्र अपनी निर्धारित समय-सीमा से पीछे चल रहे हैं

(ख) इस अनावश्यक देरी के कारण होने वाली लागत वृद्धि का संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस अनुचित विलम्ब के लिए किसी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) आज की स्थिति अनुसार झारखंड राज्य में किसी विद्युत परियोजना पर कार्य नहीं चल रहा है। तेनुघाट विद्युत निगत लि. द्वारा संचालित तेनुघाट ताप विद्युत परियोजना चरण-2 (3 x 210 मेगावाट) को योजना आयोग द्वारा 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए लगभग 669.10 करोड़ रुपए की लागत से फरवरी, 1989 में स्वीकृत किया गया था। संसाधनों की कमी के कारण परियोजना का कार्य शुरू नहीं हो सका है।

परियोजना के कार्यान्वयन में अधिक विलम्ब तथा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति मई, 1987 में मिलने के कारण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट दुबारा मांगी गयी जिसे टीवीएनएल द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को अगस्त/सितम्बर, 2002 मे प्रस्तुत किया गया। के.वि.प्रा. ने टीवीएनएल को अक्तूबर, 2002 में सूचित किया कि कुछ आवश्यक स्वीकृति न मिलने के कारण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का आकलन नहीं किया जा सकता है। टीवीएनएल से अनुरोध किया गया है कि सभी स्वीकृति मिलने के बाद संशोधित एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

तथापि इस बीच टीवीएनएल ने सूचित किया है कि भारत सरकार द्वारा हाल में जारी परिपत्र के अनुसार उन उत्पादक कम्पनियों के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति लेना जरूरी नहीं है जहां विद्युत

मूल्य का निर्धारण केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अथवा राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया जाता हो तथा परियोजना की अनुमानित लागत 2500 करोड़ रुपए से कम हो। इसलिए ऊर्जा मंत्रालय, झारखंड सरकार ने परियोजना के कार्य का संचालन भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लि. द्वारा टर्न–की आधार पर कराने का निर्णय लिया है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लि. ने टीवीएनएल, रांची को प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत कर दिया है जिसकी जांच टीवीएनएल प्राधिकारियों/परामर्शदाताओं द्वारा की जा रही है।

केन्द्र सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में औद्योगिक रुग्णता

469. श्री सुरेश चन्देल : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में औद्योगिक रुग्णता प्रतिवर्ष बढ रही है;

(ख) यदि हां, तो 31 अक्टूबर, 2002 तक रुग्ण और घाटे में पाए गए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की उपक्रमवार संख्या क्या है; और

(ग) उनके कार्यकरण में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण औद्योगिक उपक्रमों की संख्या 31.3.2000 तक 67 थी, जो 30.6.2002 तक बढ़कर 68 हो गई थी। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन 68 उपक्रमों से उपलब्ध सूचना के अनुसार 31.3.2001 तक 7 उपक्रमों ने लाभ अर्जित किया था तथा 60 उपक्रमों ने घाटा उठाया था। स्वदेशी माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड नामक एक केन्द्रीय सरकारी उपक्रम को पिछले वर्ष के लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2000–2001 में ही शामिल किया गया था, परन्तु इस उद्यम के लाभ/हानि से सम्बन्धित जानकारी अभी संकलित की जानी है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 68 उपक्रमों की सूची तथा उसके साथ 31.3.2001 तक उनके लाभ/घाटे (–) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) उनके कार्यचालन में सुधार के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा उद्यम सापेक्ष कदम उठाए जाते हैं। इस संबंध में उठाए गए कुछ सामान्य कदमों में संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यनिष्पादन की समय–समय पर समीक्षा, पुनरुद्धार/पुनर्वास योजना तैयार करने के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों को सौंपना, व्यापारिक और वित्तीय पुनर्गठन, संयुक्त उद्यमों का गठन, नई धनराशि का निवेश, सुदृढ़ विपणन नीतियां, मानवशक्ति का यौक्तिकीकरण, वस्तुओं और सेवाओं के लिए क्रय अधिमानता, लागत नियंत्रण उपाय आदि शामिल हैं।

विवरण

31.3.2001 के अनुसार उनके निवल लाभ/हानि (–) सहित 30.6.2002 तक बीआईएफआर को सौंपे गए केन्द्रीय सरकारी उद्यम

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	निवल लाभ/ हानि (–) 2000–2001
1	2	3
1.	बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.	–7.02
2.	बंगाल इम्युनिटी लि.	–15.41
3.	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि.	–9.29
4.	भारत कोकिंग कोल लि.	–1276.70
5.	भारत गोल्ड माइन्स लि.	–54.74
6.	भारत इम्युनोलॉजिकल एण्ड बायोलॉजिकल्स कारपो. लि.	0.87
7.	भारत ऑप्थैल्मिक ग्लास लि.	–37.69
8.	भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स लि.	–43.87
9.	भारत पम्प्स एण्ड कंप्रेशर्स लि.	–5.59
10.	भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि.	–53.36
11.	भारत वेगन एण्ड इंजी. कंपनी लि.	–4.69

1	2	3
12.	बीको लॉरी लि.@	–8.67
13	बर्ड्स, जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लि.	–4.47
14.	ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि.	1.74
15.	ब्रिटिश इंडिया कारपो. लि.	–37.41
16.	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि	–45.22
17.	कानपुर टेक्सटाईल्स लि.	–13.98
18.	सीमेंट कारपो. ऑफ इंडिया लि.	–230.76
19.	सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	–792.90
20.	साइकिल कारपो. ऑफ इंडिया लि.	–59.49
21.	इस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	–917.19
22.	एल्गिन मिल्स कंपनी लि.	–61.56
23.	फर्टिलाइजर कारपो. ऑफ इंडिया लि.	–948.84
24.	हैवी इंजीनियरिंग कारपो. लि.	–189.26
25.	हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लि.	–4.98
26.	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	–71.41
27.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो. लि.	–1956.58
28.	हिन्दुस्तान फलूरोकार्बन्स लि.	–2.08
29.	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म मैन्यु. कंपनी लि.	–328.16
30.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.	–2.19
31.	हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल कारपो. लि.	–19.44
32.	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.	–245.39
33.	इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि.	187.31
34.	इंस्ट्रूमेंटेशन लि.	–34.52
35.	जेसप एण्ड कंपनी लि.	–48.77
36.	महाराष्ट्र एंटिबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.	–2.98
37.	महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लि.	–17.84
38.	मणिपुर स्टेट ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.	–1.67
39.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपो. लि.	–230.72
40.	नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लि.	–15.26
41.	नेशनल बाइसिकल कारपो. ऑफ इंडिया लि.	–0.34
42.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि.	0.09
43.	नेशनल जूट मैन्यु. कारपो. लि.	–320.74
44.	नेपा लि.*	4.86
45.	नेटेका (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं माहे) लि.	–92.55
46.	नेटेका (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि.	–58.48
47.	नेटेका (गुजरात) लि.	–141.45
48.	नेटेका (मध्य प्रदेश) लि.	–100.78
49.	नेटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि.	–207.67
50.	नेटेका (साउथ महाराष्ट्र) लि.	–188.24
51.	नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि.	–135.68
52.	नेटेका (प. बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा) लि.	–129.72
53.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम@	–1.20
54.	उड़ीसा ड्रग्स एण्ड कैमिकल्स लि.	–0.97
55.	प्रागा टूल्स लि.	–34.96
56.	प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि.	–32.66
57.	पायराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि.	–108.30

1	2	3
58.	आरबीएल लि.	–4.96
59.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि.	–8.15
60.	स्कूटर्स इंडिया लि.*@	5.10
61.	स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.	–9.78
62.	सदर्न पेस्टीसाइड्स कारपो. लि.	–6.09
63.	स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैन्यु. कंपनी लि.	0.00
64.	टेनरी एण्ड फुटवियर कारपो. ऑफ इंडिया लि.	–31.43
65.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.	–45.92
66.	टायर कारपो. ऑफ इंडिया लि.	–66.43
67.	यू.पी. ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.*	0.03
68.	विगनयन इंडस्ट्रीज लि.*	0.16
	जोड़	–9701.06

*लाभ अर्जित किया।

@बी आई एफ आर द्वारा 'अब अरुग्ण' घोषित।

[अनुवाद]

बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स

470. श्री एम. के. सुब्बा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई. ओ.सी.) ने सहायक इकाई बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (बी.आर.पी.एल.) के तेल शोधक कारखानों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के समाधान में सहायता नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस तेलशोधक कारखाने को बंद होने से बचाने के लिए बी.आर.पी.एल. का आई.ओ. सी. के साथ विलयन करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था के समापन के पश्चात्, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड की सभी रिफाइनरियां, जिनमें बोंगाईगांव रिफाइनरी तथा पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड सम्मिलित हैं, प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई हैं। तथापि, बी.आर.पी.एल. में आई.ओ.सी. के द्वारा अधिकांश हिस्सेदारी अर्जित कर लेने के पश्चात् बी.आर.पी. एल. को कई एक लाभ प्रोद्भूत हुए हैं। इनमें निम्न सम्मिलित हैं–

(1) बी.आर.पी.एल. के उत्पादों की आई.ओ.सी. द्वारा निकासी।

(2) लाभप्रदत्ता में सुधार के लिए बी.आर.पी.एल. के साथ तकनीकी विशेषज्ञता की भागीदारी।

(ख) आज की तारीख में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आसनसोल में साइकिल कारपोरेशन को चलाना

471. श्री विकास चौधरी : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने आसनसोल में साइकिल कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया को संयुक्त या निजी क्षेत्र में चलाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने पश्चिमी बंगाल सरकार के प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) साइकिल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के हस्तांतरण की प्रक्रिया किस समय तक पूर्ण हो जाएगी?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (घ) पश्चिमी बंगाल

सरकार ने साइकिल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआईएल) की इकाइयों में से एक इकाई अर्थात् आसनसोल इकाई को नियंत्रण में लेने के लिए एक निजी कम्पनी के एक अनुरोध को अग्रेषित किया था। भारत सरकार ने पश्चिमी बंगाल सरकार को सूचित किया है कि बीआईएफआर ने सीसीआईएल को रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम के तहत बन्द करने के आदेश पारित कर दिए थे और अब यह मामला बन्द करने की प्रक्रिया के लिए कोलकाता उच्च न्यायालय के समक्ष है। इस स्तर पर कम्पनी की किसी यूनिट को नियंत्रणाधीन करने के मामले पर विचार नहीं किया जा सकता।

महाप्रबंधकों की मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठक

472. श्री समीक लाहिड़ी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी क्षेत्र विशेष में असामाजिक गतिविधियों की सूचना मिलने पर संयुक्त कार्यवाही की योजना बनाने के लिए महाप्रबंधकों को संबंधित राज्यों के मुख्य सचियों और पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठकें आयोजित करना अपेक्षित है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में आयोजित बैठकों की राज्यवार और वर्षवार संख्या का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। रेलवे बोर्ड द्वारा मुख्य सचिवों का ध्यान उनके स्तर पर महाप्रबंधकों के साथ समन्वय बैठकें कराने की ओर आकर्षित किया गया है। इसके अलावा, रेलवे बोर्ड स्तर पर कुछ राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों के साथ समन्वय बैठकें की हैं।

[हिन्दी]

गुजरात में विद्युत उत्पादन

473. श्री मानसिंह पटेल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में आज की तिथि तक उत्पादित की जाने वाली विद्युत की मात्रा कितनी है;

(ख) इस राज्य में विद्युत की कुल मांग कितनी है;

(ग) विद्युत की इस मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) गुजरात में अक्टूबर, 2002 के दौरान कुल मिलाकर (ताप + जल + नाभिकीय) 4593 मेगावाट यूनिट बिजली पैदा की गई।

(ख) राज्य में अक्तूबर, 2002 के दौरान 5740 मि.यू. की ऊर्जा आवश्यकता तथा 8641 मेगावाट की उच्चतम मांग उत्पन्न हुई।

(ग) और (घ) राज्य में विद्युत उत्पादन में सुधार करने तथा विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं–

(1) गुजरात को पश्चिमी क्षेत्र के केन्द्रीय क्षेत्र उत्पादन केन्द्रों के अनावंटित कोटे से 24.5% तथा पूर्वी क्षेत्र के एनटीपीसी केन्द्रों से 59 मेगावाट का आवंटन किया गया।

(2) गुजरात द्विपक्षीय समझौतों के अंतर्गत पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन लि. के जरिए गोवा से 50 मेगावाट तथा छत्तीसगढ़ से 100 मेगावाट विद्युत प्राप्त कर रहा है।

(3) 9वीं योजना के दौरान उकई जल विद्युत परियोजना का नवीकरण, आधुनिकी एवं दर वृद्धि (4 × 75 मेगावाट) पूरा कर लिया गया है जिससे 75 मेगावाट का लाभ प्राप्त हुआ है।

(4) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 10वीं योजना के दौरान थर्मल यूनिटों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण/जीवन विस्तार कार्यों की पहचान की है और ये कार्य क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(5) 2000–01 के दौरान अनुमोदित वानकबोरी

टीपीएस की नवीकरण एवं आधुनिकीकरण स्कीम क्रियान्वयनाधीन है।

(6) राज्य में 10वीं योजनावधि के दौरान लगभग 2381 मेगावाट क्षमता की अभिवृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

[अनुवाद]

सीमावर्ती क्षेत्रों में किसानों को मुआवजा

474. **श्री जय प्रकाश :**
प्रो. रासासिंह रावत :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने सरकार का ध्यान बारूदी सुरंगों से बडी संख्या में मरने वाले मवेशियों, फसलों के विनाश या बारूदी सुरंग वाले क्षेत्रों से ग्रामीण मजदूरों के विस्थापन से सीमावर्ती जिलों के निवासियों को होने वाली बहुत सी परेशानियों की ओर आकर्षित किया है;

(ख) क्या सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रभावित ग्रामीणों के लिए किसी मुआवजे की अनुमति नहीं दी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने बारूदी सुरंगों से होने वाले नुकसान का अनुमान लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में विशेषकर, सूखे से प्रभावित किसानों के मुआवजे के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (च) सीमावर्ती क्षेत्रों में किसानों को मुआवजे का भुगतान राज्य सरकारों के माध्यम से किया जा रहा है। जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब और राजस्थान की राज्य सरकारों ने सेना प्राधिकारियों के साथ सर्वेक्षण किए हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों में रक्षात्मक तैयारी तथा सशस्त्र सेनाओं के संचलन के दौरान फसलों को हुई क्षति का आकलन किया है। सिफारिशों के आधार पर, प्रभावित क्षेत्रों में लोगों/किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकारों को अनुग्रह मुआवजा निर्मुक्त किया जा रहा है। लामबंदी के दौरान सेना द्वारा अधिकृत भूमि और भवन के मुआवजे के लिए राज्य सरकारों को भुगतान की गई/की जा रही कुल धनराशि लगभग 300 करोड़ रुपए बैठती है।

अमरीका के साथ उपयोगी आसूचना का आदान-प्रदान

475. **श्री दलपत सिंह परस्ते :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक-दूसरे की वायुसेना में अधिकारियों द्वारा सेवा करने के लिए कर्मचारियों के अभूतपूर्व आदान-प्रदान का परस्पर प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना के किसी शिष्टमंडल ने उपयोगी आसूचना के आदान-प्रदान में सहयोग की मांग करने के लिए भारत की यात्रा की थी; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

तालचेर-बिमलगढ़ रेल लाइन

476. **श्री त्रिलोचन कानूनगो** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 2002 के अंत तक गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और दसवीं योजना अवधि के प्रथम

वर्ष के दौरान योजना आयोग और सी.सी.ई.ए. द्वारा स्वीकृत विभिन्न जोनों की नई लाइनों के नाम क्या हैं, उनकी अनुमानित लागत कितनी है और उनकी लंबाई कितनी है;

(ख) क्या तालचेर–बिमलगढ़ रेललाइन को सभी स्तरों पर स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है; और

(ग) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा नवीनतम सर्वेक्षण रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और लाभ की अनुमानित दर कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस लाइन के लिए सर्वेक्षण 2000–2001 में किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, इस 154 किमी. लम्बी लाइन की लागत 10.18% प्रतिफल की दर सहित 606.60 करोड़ रु. आंकी गई है। क्षेत्रीय रेलवे के परामर्श से सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान योजना आयोग और सरकार द्वारा मूल्यांकित और स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

रेलवे	परियोजना	जिस वर्ष बजट में शामिल की गई	प्रत्याशित लागत	अनुमानित लम्बाई किमी.	योजना आयोग/ सरकार द्वारा अनुमोदित महीना
1	2	3	4	5	6
मध्य	फतेहबाद प्रंताम्बर–शिरडी के रास्ते आगरा–इटावा	1999–2000	109	110	फरवरी, 1999
		1997–1998	32	17	अक्टूबर, 1999
पूर्व	मुगेर में गगा नदी पर पुल	1997–98	600	14	सितंबर, 2002
	कुमारकुंडू तक विस्तार सहित तारकेश्वर–विष्णुपुर	2000–01	131	64	फरवरी, 2000
	भितिया रोड तक विस्तारित सहित देवगढ़–सुलतानगंज	2000–01	312	130	फरवरी, 2000
	पटना में गंगा नदी पर पुल	1997–98	600	19	अक्टूबर, 2001
पूर्व–मध्य रेलवे	कोडरामा–तलिया	2000–01 (पूरक)	308	68	नवंबर, 2001
उत्तर	कोलायत–फिलोदी	2002–03	171	111	जनवरी, 2002
	इटावा–मैनपुरी	1997–98	120	60	सितंबर, 2001
	अबोहर–फाजिल्का	1997–98	72	25	सितंबर, 2001
पूर्वोत्तर रेलवे	दौरंडा–महाराजगंज	1997–98	3.57	6	जून, 2001
पू.सी. रेलवे	न्यू मैनागुडी–जोगीगोपा	2000–01	733	245	फरवरी, 2000

1	2	3	4	5	6
दक्षिण रेलवे	कोटापाली–इरुमाली	1997–98	200	43	मार्च, 2002
दक्षिण–मध्य रेलवे	कोटापाली–नरसापुर	2000–01	329	58	फरवरी, 2000
पश्चिम रेलवे	रामगंजमंडी–भोपाल	2000–01	425	262	फरवरी, 2000
	गांधीनगर–अदरेज़ मोती–कलोल	2000–01	52	20	फरवरी, 2000
	अजमेर–पुष्कर	2000–01	67	26	फरवरी, 2000

[हिन्दी]

समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम

477. **श्री बीर सिंह महतो :**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर तथा पश्चिमी बंगाल में समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम किस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के संबंध में हुई प्रगति का अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस कार्यक्रम के वांछित परिणाम प्राप्त हो गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम (आईआर ईपी) का कार्यान्वयन जम्मू एवं कश्मीर में 18 ब्लॉकों में किया जा रहा है जहां पर इस कार्यक्रम को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। आईआरईपी का कार्यान्वयन पश्चिमी बंगाल में 30 ब्लॉकों में किया जा रहा है जहां पर इस कार्यक्रम को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इन राज्यों तथा अन्य राज्यों में आईआरईपी के कार्यान्वयन को दो संघटकों के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है नामतः केन्द्रीय क्षेत्र संघटक, जिसके अंतर्गत स्टाफ और उसके परीक्षण के प्रावधान सहित क्षमताओं के विकास हेतु सहायता दी जाती है और राज्य क्षेत्र संघटक, जिसके अंतर्गत विभिन्न ग्राम ऊर्जा युक्तियों के संवर्धन, विस्तार और अन्य संबद्ध कार्यकलापों हेतु राज्य परिव्यय के अंतर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1999–2000 में बारह राज्यों में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से सरकार द्वारा 'आईआरईपी का विश्लेषण एवं क्षमता निर्माण नीति का विकास' नामक आईआरईपी की प्रगति पर अद्यतन अध्ययन कार्य आरंभ किया गया। इस अध्ययन से पता चला कि आईआरईपी के परिणामस्वरूप जिला और राज्य स्तरों पर ग्रामीण ऊर्जा योजनाओं और परियोजनाओं को तैयार करने के लिए न्यूनतम अवसंरचना की स्थापना कर ली गई है। इसके अतिरिक्त आईआरईपी से ग्रामीण लोगों और क्षेत्र विकास अधिकारियों को ग्रामीण ऊर्जा की समस्या के विभिन्न उपायों को समझने और इसके समाधान करने में सहायता मिली है। आईआरईपी से नई एवं अक्षय ऊर्जा के बारे में और ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के संरक्षण की जरूरत के प्रति बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा हुई है। इस अध्ययन में यह अनुशंसा की गई है कि आईआरईपी को समेकित किया जाना चाहिए; राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षाकृत उच्च स्तर पर सहायता दी जानी चाहिए; और कायक्रम की मानीटरिंग को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

(घ) जैसा कि उक्त अध्ययन में कहा गया है, आईआरईपी ने कुछ पहलुओं में सफलता प्राप्त की है, परंतु कार्यान्वयन पहलू को सुदृढ किए जाने की आवश्यकता है।

(ङ) ग्रामीण ऊर्जा आयोजना एवं कार्यान्वयन के लिए अवसंरचना की स्थापना करने और आईआरईपी ब्लॉकों में अक्षय ऊर्जा युक्तियों के संवर्धन के रूप में सफलता रही है। तथापि, अन्य राज्यों में से जम्मू एवं कश्मीर और पश्चिमी बंगाल में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है जिसके लिए राज्य सरकारों से अधिक संसाधनों की आवश्यकता है।

शिवपुर-ग्वालियर के बीच आमान-परिवर्तन

478. श्री अशोक अर्गल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतकाल में ग्वालियर और शिवपुर कलां के बीज आमान परिवर्तन के लिए कोई सर्वेक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना खर्च हुआ है; और

(ग) उक्त परियोजना पर कब तक कार्य शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) कोटा तक विस्तार सहित ग्वालियर से शिवपुर कलां तक के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण 1996 में कराया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, इस 283.96 किमी. लंबी परियोजना की लागत ऋणात्मक प्रतिफल की दर के साथ 363.92 करोड़ रु. आकलित की गई है। परियोजना की कुल मिलाकर अलाभप्रद प्रकृति तथा संसाधनों की अत्यधिक तंगी को देखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार करना व्यावहारिक नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

ब्रिटेन के रक्षा मंत्री के साथ विचार-विमर्श

479. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के रक्षा राज्य मंत्री ने हाल ही में उनसे मुलाकात की थी;

(ख) यदि हां, तो विचार-विमर्श हुए मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां। यू. के. के रक्षा मंत्री श्री ज्योफ्री हून के साथ जुलाई, 2002 में एक बैठक हुई थी।

(ख) और (ग) इस यात्रा के दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा सहयोग संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के उत्पीड़न और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा-पार आतंकवाद सहित क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया था। इन विचार- विमर्शों का पूर्ण ब्यौरा देना राष्ट्र हित में नहीं होगा।

भारतीय वायुसेना के अनुरक्षण बेस का उन्नयन

480. श्री सुबोध मोहिते : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागपुर में भारतीय वायुसेना के अनुरक्षण बेस के उन्नयन की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने परिवहन हेलीकाप्टर का उपयोग नागपुर के लिए शुरू करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हा।

(ख) इस समय केवल अवसंरचना विकास की योजना बनाई जा रही है जिसमें आवास शामिल है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में रसोई गैस के काम में लगी कंपनियां

481. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) गुजरात में रसोई गैस कनेक्शन और वितरण के काम में लगी कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए वितरकों/डीलरों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का उस राज्य में रसोई गैस कनेक्शनों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो 2002–2003 के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियां नामतः इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी एल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और आई बी पी कंपनी लिमिटेड गुजरात राज्य में एल पी जी का विपणन कर रही हैं।

(ख) 1.10.2002 की स्थिति के अनुसार तेल विपणन कंपनियां गुजरात में 496 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का प्रचालन कर रही थीं।

(ग) और (घ) एलपीजी कनेक्शन गुजरात सहित देश के सारे राज्यों में मांग पर उपलब्ध हैं और इसलिए 2002–2003 की अवधि के लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

कच्चे तेल की मांग और उत्पादन

482. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन और उसकी मांग के बीच भारी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कच्चे तेल की मांग साल–दर–साल बढ़ रही है और उसका उत्पादन वर्ष 1996–97 से 2000–2001 तक 31.33 एम.एम.टी. पर स्थिर रहा है;

(घ) क्या सरकार द्वारा देश में कच्चे तेल उत्पादन में वृद्धि के लिए उठाए गए कदम विदेशी स्रोत से कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करने में सफल नहीं हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए अथवा उठाए जा रहे कदम क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) वर्ष, 1996–97 से वर्ष, 2000–01 के दौरान देश में स्वदेशी कच्चे तेल का उत्पादन रिफाइनरी थ्रुपुट के रूप में इसकी मांग की तुलना में नीचे दिया गया है–

(रिफाइनरी क्रूड थ्रुपुट के रूप में)

(मिलियन मीट्रिक टन (एम एम टी))

वर्ष	उत्पादन	मांग
1996–1997	32.901	62.870
1997–1998	33.855	65.166
1998–1999	32.704	68.538
1999–2000	31.927	85.964
2000–2001	32.426	103.444

(घ) और (ङ) विदेशी स्रोतों से कच्चे तेल पर निर्भरता निम्नलिखित कारणों से कम नहीं की जा सकी–

- स्वदेशी क्रूड उत्पादन का कमोवेश रूप से स्थिर रहना, तथा
- पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में वृद्धि।

(च) तेल एवं गैस के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनमें निम्नांकित सम्मिलित हैं–

(1) विशेषतया वर्द्धित तेल निकासी (ई ओ आर)/उन्नत तेल निकासी (आई ओ आर) योजनाओं के क्रियान्वयन के द्वारा विद्यमान

प्रमुख क्षेत्रों से निकासी घटक को सुधारने के लिए आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) ने इस प्रयोजनार्थ 10,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश पर 15 क्षेत्र हाथ में लिए हैं जिससे इन क्षेत्रों से तेल उत्पादन को तेज करने में मदद मिलेगी।

(2) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन ई एल पी) के माध्यम से अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि करने के लिए एन ई एल पी के प्रथम तथा द्वितीय दौर के तहत 47 ब्लाकों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पी एस सीज) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एन ई एल पी–III के तहत 27 अन्वेषण ब्लाकों के प्रस्ताव के विषय में भी मार्च, 2002 में घोषणा की गई थी तथा बोली समापन की तारीख अर्थात् 28 अगस्त, 2002 तक 23 ब्लाकों के लिए कुल 45 बोलियां प्राप्त हुई हैं।

(3) नए क्षेत्रों, विशेषतया गहन जल तथा दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण करना, साथ ही उत्पादनशील क्षेत्रों की और अधिक गहरी परतों में भी अन्वेषण करना।

(4) नए खोजे गए क्षेत्रों का और अधिक तेजी से विकास करने तथा उत्पादनशील क्षेत्रों के अंतर्गत भूकंपीय सर्वेक्षणों, वर्क ओवर, स्टिमुलेशन प्रचालनों, कूपों के वेधन, इत्यादि के लिए नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग में वृद्धि करना।

(5) विदेश मे रकबे प्राप्त करना।

भूतपूर्व सैनिक परियोजनाएं

483. श्री अमर राय प्रधान : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में चल रही भूतपूर्व सैनिक पुनर्वास परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए अब तक परियोजनावार उक्त परियोजनाओं के अंतर्गत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या उक्त परियोजनाओं के लिए प्रदान की गई वर्तमान वित्तीय सहायता अपर्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त परियोजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) पश्चिमी बंगाल सहित किसी भी राज्य में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए कोई विशिष्ट परियोजनाएं नहीं हैं। तथापि, इस प्रयोजन से कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं में सरकारी नौकरियों में आरक्षण, स्वरोजगार उद्यमों की स्थापना के लिए ऋण सुविधाएं प्रदान करना, सेवानिवृत्ति अथवा सेवामुक्ति के पश्चात् उनकी नियोज्यता में वृद्धि करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, भूतपूर्व सैनिक एजेंसियों, भूतपूर्व सैनिक कोयला परिवहन कंपनियों आदि के जरिए रोजगार के अवसर शामिल हैं।

भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए कोई विशिष्ट बजट आवंटन नहीं किया जाता है और इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को कोई वित्तीय सहायता मुहैया नहीं कराई जाती है।

[हिन्दी]

रायगढ़ सवारी गाड़ी से कुचलकर मरने वाले गैंगमैनों का ब्यौरा

484. श्री राधा मोहन सिंह :
श्री ए. ब्रह्मनैया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन के पास नवंबर, 2002 को रायगढ़ सवारी गाड़ी से कुचलकर मरने वाले गैंगमैनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या मृतकों के परिवार को कोई मुआवजा दिया गया है अथवा दिए जाने का विचार है;

(ङ) क्या मृतकों के परिवार के किसी सदस्य को रेलवे में अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जबलपुर-गोंदिया रेल लाइन का आमान परिवर्तन

485. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा जबलपुर–गोंदिया के बीच आमान परिवर्तन के लिए अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक सरकार और निजी पक्षों द्वारा अलग–अलग भूमि का कितना क्षेत्र अधिगृहीत किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो भूमि अधिग्रहण में क्या अड़चन आ रही है और साथ ही इन अड़चनों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) उक्त आमान परिवर्तन के कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित समय–सीमा क्या है; और

(ङ) इस कार्य के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, हां। लगभग 600 हेक्टेयर भूमि की कुल आवश्यकता में से अब तक 41.683 हेक्टेयर प्राइवेट भूमि तथा 0.68 हेक्टेयर सरकारी भूमि ही राज्य सरकार से अधिग्रहीत की गई है।

(ग) भूमि अधिग्रहण कार्य प्रगति पर है।

(घ) समग्र परियोजना के लिए अभी तक लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है। गोंदिया–बालाघाट (42 किमी) 2002–03 के दौरान पूरी होने की संभावना है।

(ङ) कार्य पहले ही प्रगति पर है।

[अनुवाद]

ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस

486. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 नवंबर, 2002 को ग्वालियर–बरौनी एक्सप्रेस बिहार में खड़ी अमृतसर ट्रेन से टकराई थी; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के कारण और हताहतों के संबंध मे ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) 5.11.2002 को 8.05 बजे जब पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के गोरखपुर–छपरा खंड के कोपा समहोता और टेकनवास स्टेशनों के बीच 5210 डाउन अमृतसर–बरौनी जनसेवा एक्सप्रेस रोक दी गई थी। 5224 डाउन ग्वालियर–बरौनी मेल कोपा समहोता स्टेशन से 8.10 बजे गुजरती हुई 5210 डाउन एक्सप्रेस के पीछे जा टकराई। इस दुर्घटना में एक यात्री की मृत्यु हो गई, 5 गंभीर रूप से घायल हो गए और 5 को मामूली चोटें आईं। इस दुर्घटना की जांच पूर्वोत्तर सर्किल के रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा की जा रही है, जिसकी जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

पानी के अंदर विद्युत पारेषण लाइनों का निर्माण

487. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नदियों के बीच में बनाई जा रही पारेषण लाइनों से नदी के जल प्रवाहों में बनाई जा रही पारेषण लाइनों से नदी के जल प्रवाहों में परिवर्तन हो रहा है और अपने जीवन यापन के लिए नदियों का इस्तेमाल करने वाले लोगों के जीवन के लिए ये खतरा बन रही है;

(ख) यदि हां, तो पानी के अंदर विद्युत लाइनों के

निर्माण के लिए इसी लागत पर कोई अन्य प्रौद्योगिकी उपलब्ध है;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा नदियों के ऊपर पारेषण टावरों के निर्माण द्वारा नदियों के निर्बाध प्रवाह को अवरुद्ध करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई दिशा–निर्देश निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ङ) पारेषण टावरों को नदी वाले क्षेत्रों की अपेक्षा पारेषण लाइनों के मार्ग में पड़ने वाले नदी के ठोस किनारों पर स्थापित किया जाता है। हालांकि कुछ मामलों में जहां पर नदी की चौड़ाई 1000 मीटर से अधिक है, वहां सड़क एवं रेल पुलों के लिए वेल फाउंडेशन पर सिथत बड़ी संख्या में पियर की तुलना में प्रत्येक 1000 मीटर के अंतराल पर (सामान्यतः 50 मीटर के अंतराल पर) पाइल या वेल फाउंडेशन पर मिड–स्ट्रीम टावर दिए जाते हैं। ये टावर फाउंडेशन, जो अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं, नदी के प्रवाह या नदी के जल के निर्बाध प्रवाह को प्रभावित नहीं करते हैं और उन लोगों के लिए खतरा पैदा नहीं करते हैं जो अपनी जीविका के लिए नदी का उपयोग करते हैं। हालांकि अंडरवाटर केबल के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, किन्तु ये ओवरहैड पारेषण की तुलना में महंगी है। इस प्रकार भारत में विद्युत के पारेषण के लिए आमतौर से ओवरहैड पारेषण लाइन का निर्माण किया जाता है।

उड़ीसा से समाचार-पत्रों/ पत्रिकाओं का प्रकाशन

488. **श्री भर्तृहरि महताब :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक और दैनिक समाचार–पत्रों/पत्रिकाओं की भाषा–वार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा इन पत्रिकाओं की परिचालित संख्या के सत्यापन की पद्धति क्या है और प्रमुख दैनिक समाचार–पत्रों की परिचालित प्रतियों की संख्या कितनी है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, सरकार द्वारा इन दैनिक समाचार–पत्रों के विज्ञापन के लिए वर्ष–वार कितनी राशि दी गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) उड़ीसा से प्रकाशित होने वाले पंजीकृत दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक समाचार–पत्रों/पत्रिकाओं का भाषावार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) भारत के समाचार–पत्रों के पंजीयक का कार्यालय (आर.एन.आई.) प्रकाशक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की जांच करके समाचार–पत्रों की प्रसार के दावों को सत्यापित करता है। प्रकाशक द्वारा अनुरोध किए जाने पर प्रकाशन स्थल पर मूल अभिलेखों का सत्यापन भी किया जाता है। आर.एन.आई. समाचार–पत्रों के प्रकाशन/छपाई के स्थान पर बाह्य स्थल की जांच करता है तथा दस्तावेजों/अभिलेखों/स्थल के सत्यापन की जांच करने के बाद प्रकाशक द्वारा दावा किए गए प्रसार को मामले के अनुसार पूर्णप्रमाणित, निम्न प्रमाणित, अप्रमाणित किया जाता है। उड़ीसा से प्रकाशित होने वाले मुख्य समाचार–पत्रों का उनके वर्ष 2001 के लिए दावा किए गए प्रसार सहित ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ग) वर्ष 1999–2000, 2000–2001 तथा 2001–2002 के दौरान विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) द्वारा उड़ीसा से प्रसारित समाचार–पत्रों/पत्रिकाओं को जारी की गई विज्ञापन धनराशि क्रमशः 1.29 करोड़ रु. 1.12 करोड़ रु. तथा 1.34 करोड़ रु. थी।

विवरण-I

वर्ष 2001 के दौरान भारत के समाचार–पत्रों के पंजीयक (आर.एन.आई.) के पास पंजीकृत उड़ीसा से प्रकाशित होने वाले समाचार–पत्रों/पत्रिकाओं का भाषावार तथा समयवार ब्यौरा

भाषा	दैनिक	साप्ताहिक	पाक्षिक	मासिक	कुल
1	2	3	4	5	6
अंग्रेजी	11	14	7	24	56
हिन्दी	13	4	1	2	20

1	2	3	4	5	6
बंगाली	0	0	0	0	0
असमिया	0	0	0	0	0
गुजराती	0	0	0	0	0
कोंकणी	0	0	0	0	0
मणिपुरी	0	0	0	0	0
मराठी	0	0	0	0	0
नेपाली	0	0	0	0	0
उड़िया	82	160	90	270	602
पंजाबी	0	0	0	0	0
संस्कृत	0	0	0	1	1
सिंधी	0	0	0	0	0
तमिल	0	0	0	0	0
तेलुगु	0	0	0	0	0
उर्दू	1	1	0	1	3
द्विभाषी	4	13	5	24	46
बहुभाषी	0	1	0	5	6
अन्य	0	0	0	1	1
कुल	111	193	103	328	735

विवरण-II

वर्ष 2001 के लिए परिचालन दावों सहित उड़ीसा से प्रकाशित मुख्य समाचार–पत्रों का ब्यौरा

बड़े समाचार पत्र

समाचार–पत्र का नाम	भाषा	प्रकाशन का स्थान	दावा किया गया परिचालन संख्या
1	2	3	4
अनुपम भारत	उडिया	गंजम	102722
धरित्री	"	भुवनेश्वर	154296
खोलदार	"	"	92969
मातृभाषा	"	कटक	121378
उड़ीसा टाइम्स	द्विभाषी	भुवनेश्वर	92439
प्रगतिवादी	उड़िया	"	120808
प्रजातंत्र	"	कटक	121714
समाज	"	"	143614
समय	"	भुवनेश्वर	127524
सम्वाद	"	"	98873
सम्वाद कालिका	"	"	87501
उत्कल मेल	हिन्दी	सुन्दरगढ़	78059
उत्कल मेल	उड़िया	राउरकेला	85478
कलिंगा मेल	"	भुवनेश्वर	84950
वर्तमान समाचार	"	"	114945

मझौले समाचार-पत्र

समाचार–पत्र का नाम	भाषा	प्रकाशन का स्थान	दावा किया गया परिचालन संख्या
1	2	3	4
अजिकाली	उड़िया	भुवनेश्वर	74844
भारत दर्शन	"	राउरकेला	60567
डाकरा	"	संबलपुर	33130
ध्वनि प्रतिध्वनि	"	बालासोर	70898
जनमुख	"	संबलपुर	56400
सम्वाद	"	गंजम	25203

1	2	3	4
संवाद	उड़िया	बालासोर	25538
द कलान्तर	"	"	29328
उत्कल मेल	"	कटक	47186
उत्कल मेल	हिन्दी	भुवनेश्वर	53029
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस	अंग्रेजी	"	36504
न्यायचातौ	उड़िया	कटक	37730
इंडियन ईरा	अंग्रेजी	भुवनेश्वर	28562

[हिन्दी]

केन्द्रीय पूल द्वारा महाराष्ट्र को बिजली की आपूर्ति

489. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय पूल से और अधिक बिजली की आपूर्ति की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे सहित मेगावाट्स में मांगी गई बिजली की प्रमात्रा कितनी है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने अपने दिनांक 16.10.2002 के पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि पश्चिम क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र के स्टेशनों से 70 प्रतिशत आनलाइन शेयर कैपिसिटी की जगह 100 प्रतिशत बिजली केन्द्रीय क्षेत्र से उपलब्ध कराया जाए।

(ग) किसी क्षेत्र को केन्द्रीय उत्पादक स्टेशनों से राज्य–संघ राज्यों को विद्युत आवंटन संयंत्र की कुल क्षमता के आधार पर किया जाता है। तथापि, वास्तविक संचलन समय के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र के स्टेशनों से आनलाइन हकदारी उत्पादक संयंत्रों, वास्तविक उपलब्धता/उत्पादन स्तर आदि के अनुरूप विद्युत खपत पर आधारित है। अप्रैल–अक्टूबर, 2002 की अवधि के दौरान के वास्तविक उत्पादन के आधार पर महाराष्ट्र द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र के स्टेशनों से वास्तविक रूप से 9021 मिलियन यूनिट (हकदारी का 100 प्रतिशत) की जगह 9022 मिलियन यूनिट विद्युत लिया गया था। इसी अवधि के दौरान एनटीपीसी के कोयला आधारित स्टेशनों तथा पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र के परमाणु ऊर्जा स्टेशनों का संयंत्र भार क्षमता 84.3 प्रतिशत से 93.6 प्रतिशत की श्रेणी में थी जिसकी बेहतर तुलना अखिल भारतीय संयंत्र भार क्षमता 70.2 प्रतिशत और महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के ताप विद्युत संयंत्रों की संयंत्र भार क्षमता 67.9 प्रतिशत के साथ की जा रही है।

[अनुवाद]

सीमा सड़क संगठन द्वारा परियोजनाओं को पूरा किया जाना

490. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमा सड़क संगठन द्वारा पूरी की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ परियोजनाओं पर वर्तमान में काम चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्धारित समय–सीमा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान सीमा सड़क संगठन द्वारा निष्पादित सड़क परियोजनाओं की लंबाई संबंधी ब्यौरा निम्नवत् है–

1999–2000	–	1574 कि.मी.
2000–2001	–	1421 कि.मी.
2001–2002	–	1271 कि.मी.

(ख) और (ग) फिलहाल 13399 कि.मी. लंबी सामरिक महत्व की 301 सड़कें तथा 7480 कि.मी. लंबी 67 एजेंसी सड़कें निर्माणाधीन हैं। इन सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है तथा यह निर्माण कार्य अनुमोदित निर्माण योजना तथा धन आवंटन के अनुरूप किया जा रहा है।

(घ) प्रत्येक अलग सड़क का पूरा होना धन की प्राप्ति तथा सेना अथवा प्रायोजित एजेंसी द्वारा प्रदान की गई प्राथमिकता पर निर्भर करता है। तथापि, सेना के सामरिक महत्व के अधिकार सड़कों को वर्ष 2007 तक पूरा किए जाने की योजना है।

[हिन्दी]

भारत और नेपाल के बीच रेल सेवाएं

491. डा. अशोक पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल दो देशों के बीच रेल सेवाएं शुरू करने के लिए सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेल संपर्क के कब तक शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) भारत और नेपाल के बीच मालगाड़ी सेवा शुरू करने के लिए रेल सेवा समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

मध्य प्रदेश में विद्युत संकट

492. श्री रामानन्द सिंह : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकारों ने विद्युत संकट से उबरने के लिए केन्द्र सरकार से राज्यों में नये विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन दोनों राज्यों में विद्युत की मांग और उपलब्धता की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन दोनों राज्यों में विद्युत की पर्याप्त/समुचित उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में 10वीं योजना के दौरान चालू किए जाने हेतु निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं की योजना बनाई गई है–

मध्य प्रदेश

केन्द्रीय क्षेत्र

विंध्याचल (थर्मल	1000 मे.वा. (10वीं योजना के लिए 500 मे.वा. लक्षित)
इंदिरा सागर (हाइड्रो), संयुक्त उद्यम	1000 मे.वा.
ओंकारेश्वर (हाइड्रो), संयुक्त उद्यम	525 मे.वा.
कुल	**2520 मे.वा.**

राज्य क्षेत्र

बानसागर टोंस (हाइड्रो)	55 मे.वा. (35 मे.वा. चालू हो गई)
मारिखेडा (हाइड्रो)	40 मे.वा.
बरसिंगपुर विस्तार (थर्मल)	500 मे.वा.
सरदार सरोवर (हाइड्रो)	1450 मे.वा. (मध्य प्रदेश का हिस्सा 769.5 मे.वा.)
कुल	**2045 मे.वा**

निजी क्षेत्र

महेश्वर (हाइड्रो)	400 मे.वा.
बीना (थर्मल)	578 मे.वा.
कुल	**978 मे.वा.**
सकल योग	**5543**

छत्तीसगढ़

केन्द्रीय क्षेत्र

सिपत–1 (एनटीपीसी) (थर्मल)	1320 मे.वा.
सिपत–2 (एनटीपीसी) (थर्मल)	420 मे.वा.
कुल	**1980 मे.वा.**

राज्य क्षेत्र	
कोरबा पूर्व विस्तार (थर्मल)	420 मे.वा.
कुल	**420 मे.वा.**
सकल योग	**2400 मे.वा.**

छत्तीसगढ़ की वर्तमान विद्युत आपूर्ति की स्थिति संतोषजनक है। अक्टूबर, 2002 माह के दौरान मध्य प्रदेश की ऊर्जा और व्यस्ततमकालीन कमिया क्रमशः 13.8% है।

केन्द्रीय सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में एनटीपीसी स्टेशनों के अनावंटित कोटे से मध्यप्रदेश को अक्टूबर, 2002 से 50 मे.वा. विद्युत आवंटित की है। पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित एनटीपीसी के केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत उत्पादन स्टेशनों से नवम्बर 2002 में मध्यप्रदेश को अस्थाई तौर पर 90 मे.वा. का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।

लोकमान्य एक्सप्रेस में डकैती

493. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 अगस्त, 2002 के हिन्दुस्तान के पटना संस्करण के मुख पृष्ठ पर 'लोकमान्य एक्सप्रेस को लूटा, यात्रियों की पिटाई' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन महीनों के दौरान विभिन्न राज्यों में घटित ऐसी घटनाओं की संख्या कितनी है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कोच्ची में एल.एन.जी. परियोजना

494. श्री पी. सी. थामस :
श्री टी. गोविन्दन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कोच्ची स्थित एल.एन.जी. परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु केन्द्र सरकार से निवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) प्रस्ताव को कब तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पेट्रोनेट एल.एन.जी. लिमिटेड केरल में कोच्चि में 2.5 एम.एम.टी.पी.ए. क्षमता का एल.एन.जी. टर्मिनल स्थापित कर रही है। पर्यावरणीय स्वीकृति के सिवाय अधिकांश परियोजनापूर्व क्रियाकलाप, सांविधिक अनुमोदन/स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं, एकमुश्त टर्नकी संविदा के लिए इंजीनियरिंग, प्रापण तथा निर्माण (ई पी सी) बोलीदाताओं की पूर्व शर्त पूरी कर ली गई है। कोच्चि परियोजना को पूरा करने की समय सीमा पुनरगैसीकृत एल.एन.जी. के लिए बाजारगत सहयोग पर निर्भर करेगी।

[हिन्दी]

सीरोंज होते हुए ब्यावरा से बीना के बीच नई लाइन

495. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से राजगढ़ जिले के ब्यावरा को रेल मार्ग से बीना तक बरास्ता विदिशा जिले के सीरोंज तक जोड़ने का निवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) ब्यावरा राजगढ़–सीरोंज–बीना नई बड़ी लाइन के सर्वेक्षण 1999 में कराया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस 147 किमी. लंबी लाइन के निर्माण की लागत

प्रतिफल की ऋणात्मक दर सहित 224.75 करोड़ रु. आकलित की गई है। परियोजना की समग्रतः अलाभप्रद प्रकृति तथा संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण इस परियोजना पर विचार करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा की जा रही बिजली आपूर्ति की शुल्क दर

496. श्री धापरचन्द गेहलोत : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक और कृषि कार्यों के लिए की जा रही बिजली आपूर्ति की राज्य-वार और इकाई-वार शुल्क दर क्या है;

(ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा विभिन्न राज्यों को आपूर्ति की जा रही बिजली की शुल्क दर क्या है और इन राज्यों को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा राज्य-वार कितनी विद्युत की आपूर्ति की जा रही है; और

(ग) अक्टूबर, 2002 की स्थिति के अनुसार देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा टैरिफ दरें परियोजना के स्थान, आकार तथा लागत के आधार पर परियोजना दर परियोजना भिन्न-भिन्न होती है। वर्ष 2001-02 के दौरान एनटीपीसी की परियोजना से स्टेशन-वार ऊर्जा लागत विवरण-I में दी गई है। विभिन्न यूटिलिटियों द्वारा पावर स्टेशनों से ली गई वास्तविक ऊर्जा विवरण-II में दी गई है। विभिन्न राज्य यूटिलिटियों द्वारा घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा कृषि संबंधी उपभोक्ताओं को प्रभारित औसत टैरिफ विवरण-III में दिया गया है।

(ग) अक्टूबर, 2002 के अनुसार देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति के राज्य-वार ब्यौरे विवरण-IV में दिए गए हैं।

विवरण-I

एनटीपीसी विद्युत स्टेशनों से ली गई वास्तविक ऊर्जा

क्षेत्र	विद्युत स्टेशन	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	दर (पैसे/कि.वा.घं.)
उत्तरी क्षेत्र	सिंगरौली एसटीपीएस	2000	94.54
	रिहन्द एसटीपीएस	1000	127.29
	एनसीटीपीपी दादरी	840	213.45
	दादरी गैस	817	193.86
	एफजी ऊंचाहार टीपीएस	840	171.89
	औरैया जीपीएस	652	164.12
	अंता जीपीएस	413	135.99
	टाण्डा टीपीएस	440	90.34
	फरीदाबाद जीपीएस	430	163.75
पश्चिमी क्षेत्र	कोरबा एसटीपीएस	2100	79.39
	विन्ध्याचल एसटीपीएस	2260	113.32
	कवास जीपीएस	645	319.64
	गांधार जीपीएस	648	222.09
दक्षिणी क्षेत्र	रामागुण्डम एसटीपीएस	2100	122.34
	कायमकुलम सीसीपीएस	350	382.17
पूर्वी क्षेत्र	फरक्का एसटीपीएस	1600	166.81
	कहलगांव एसटीपीएस	840	204.10
	तालचेर एसटीपीएस	1000	143.78
	तालचेर एसटीपीएस	460	139.04

विवरण-II

एनटीपीसी विद्युत स्टेशनों से ली गई वास्तविक ऊर्जा (क्षेत्रीय ऊर्जा लेखों के अनुसार)

क्षेत्र	ली गयी ऊर्जा	2001–02
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र	यूपीपीसीएल	16551.8
	आरवीपीएन	7103.6
	डीपीएससीएल	9257.6
	पीएसईबी	4726.6
	एचवीपीएन	4526.3
	एचपीएसईबी	1091.4
	जम्मू व कश्मीर	2437.1
	यूटीसी	301.5
	बीएसईबी	19.2
	एमपीएसईबी	60.5
	पश्चिम क्षेत्र	416.0
	पावरग्रिड	0.0
	रेलवे	317.5
	कुल	46811.1
पश्चिमी क्षेत्र	एमपीएसईबी	10378.3
	एमएसईबी	12128.7
	जीईबी	10164.2
	गोवा	1216.1
	डीएनएच	1273.0
	डी एंड डी	799.6
	उत्तरी क्षेत्र	204.9
	सीएसईबी	1021.2
	कुल	37177.0
दक्षिणी क्षेत्र	एपीट्रांस्को	4135.9
	केपीटीसीएल	3255.5
	टीएनईबी	4281.4
	केएसईबी	3224.4
	गोवा	576.2
	पांडिचेरी	611.2
	ग्रिडको	2.5
	कुल	16087.1
पूर्वी क्षेत्र	डब्ल्यूबीएसईबी	1769.0
	बीएसईबी	5248.3
	ग्रिडको	3004.0
	डीवीसी	1188.1
	सिक्किम	34.6
	एपीट्रांस्को	1683.8
	एएसईबी	717.6
	एमपीएसईबी	1977.8
	पांडिचेरी	79.8
	जेएसईबी	423.2
	टीएनईबी	821.8
	जीईबी	348.9
	उ.क्षे. (यूपीपीसीएल)	991.4
	केपीटीसीएल	1419.9
	कुल	19708.2
कुल एनटीपीसी		119783.4

विवरण-III

उपभोक्ता श्रेणी–वार औसत टैरिफ, 2001–02 (वार्षिक योजना)

(पैसे प्रति कि.वा.घं.)

क्र.सं.	राज्य	घरेलू	वाणिज्यिक	कृषि/सिंचाई	औद्योगिक
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	174.00	426.00	15.00	439.45
2.	असम	186.76	468.66	272.41	429.66
3.	बिहार	109.50	276.60	13.37	362.26
4.	दिल्ली (डीवीबी)	149.86	415.81	50.00	424.80
5.	गुजरात	243.00	448.00	39.00	439.57
6.	हरियाणा	259.33	411.73	37.02	428.00
7.	हिमाचल प्रदेश	104.00	261.00	50.00	265.00
8.	जम्मू–कश्मीर	85.00	160.00	220.00	135.00
9.	कर्नाटक	198.00	572.12	30.51	409.93
10.	केरल	81.02	436.40	67.21	225.18
11.	मध्य प्रदेश	159.58	430.64	7.20	437.77
12.	महाराष्ट्र	248.01	456.39	82.28	419.93
13.	मेघालय	135.53	192.23	51.72	208.26
14.	उड़ीसा (ग्रिडको)	175.72	369.74	107.73	322.98
15.	पंजाब	211.46	368.56	0.00	300.26
16.	राजस्थान (ट्रांसको)	190.87	429.76	46.26	392.88
17.	तमिलनाडु	169.26	401.70	1.31	379.60
18.	उ.प्र. (विद्युत निगम)	185.17	431.50	107.83	464.44
19.	पश्चिम बंगाल	148.88	237.28	57.87	320.01
	औसत : रा.वि.बो.	184.16	406.65	35.38	368.37

1	2	3	4	5	6
	ईडी				
1.	अरुणाचल प्रदेश	300.00	300.00	0.00	300.00
2.	गोवा	134.41	390.48	112.84	379.76
3.	मणिपुर	181.90	250.00	171.00	198.50
4.	मिजोरम	129.00	199.00	0.00	245.00
5.	नागालैंड	160.00	280.00	0.00	225.00
6.	पांडिचेरी	94.95	235.82	7.51	205.54
7.	सिक्किम	97.00	152.00	0.00	135.00
8.	त्रिपुरा	92.00	120.00	68.00	118.00
	ईडी का औसत	119.09	254.45	41.69	266.74
	अखिल भारत औसत	183.13	404.21	35.40	366.50

विवरण-IV

विद्युत आपूर्ति वास्तविक स्थिति

(सभी आंकडे मिलियन यूनिट में)

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अक्टूबर, 2002				अप्रैल–अक्टूबर, 2002			
	जरूरत (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	सरप्लस/घाटा (–) (मि.यू.)	(%)	जरूरत (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	सरप्लस/घाटा (मि.यू.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	85	85	0	0.0	728	728	0	0.0
दिल्ली	1,555	1,546	–9	–0.6	12,683	12,491	–192	–1.5
हरियाणा	1,719	1,679	–40	–2.3	12,264	12,107	–157	–1.3
हिमाचल प्रदेश	282	282	0	0.0	1,995	1,939	–56	–2.8
जम्मू–कश्मीर	598	506	–92	–15.4	4,089	3,520	–569	–13.9
पंजाब	2,419	2,221	–198	–8.2	20,219	18,920	–1,299	–6.4
राजस्थान	2,272	2,258	–14	–0.6	15,050	14,894	–156	–1.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तर प्रदेश	3,940	3,156	−784	−19.9	26,848	21,371	−5,477	−20.4
उत्तरांचल	320	310	10	3.1	2,199	2,150	−49	−2.2
उत्तरी क्षेत्र	13,190	12,043	−1,147	−8.7	96,075	88,120	−7,955	−8.3
छत्तीसगढ़	945	909	−36	−3.8	5,676	5,475	−201	−3.5
गुजरात	5,740	5,143	−597	−10.4	34,115	30,193	−3,922	−11.5
मध्य प्रदेश	2,699	2,326	−373	−13.8	16,547	14,397	−2,150	−13.0
महाराष्ट्र	7,862	6,807	−1,055	−13.4	48,890	42,559	−6,331	−12.9
गोवा	161	161	0	0.0	1,075	1,075	0	0.0
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
दमन और दीव	0	0	0	0.00	0	0	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	17,407	15,346	−2,061	−11.8	106,303	93,699	−12,604	−11.9
आंध्र प्रदेश	3,930	3,726	−204	−5.2	28,400	25,576	−2,824	−9.9
कर्नाटक	2,463	2,254	−209	−8.5	18,378	16,167	−2,211	−12.0
केरल	1,087	998	−89	−8.2	8,172	7,457	−715	−8.7
तमिलनाडु	3,802	3,528	−274	−7.2	27,095	24,566	−2,529	−9.3
पांडिचेरी	100	100	0	0.0	669	669	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	11,382	10,606	−776	−6.8	82,714	74,435	−8,279	−10.0
बिहार	858	819	−39	−4.5	5,281	5,018	−263	−5.0
डीवीसी	704	701	−3	−0.4	4,832	4,753	−79	−1.6
झारखंड	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
उड़ीसा	1,093	1,081	−12	−1.1	7,897	7,690	−207	−2.6
पश्चिमी बंगाल	1,743	1,743	0	0.0	12,689	12,452	−237	−1.9
सिक्किम	10	10	0	0.0	53	53	0	0.0
पूर्वी क्षेत्र	4,398	4,344	−54	−1.2	30,699	29,913	−786	−2.6
अरुणाचल प्रदेश	16	16	0	0.0	94	93	−1	−1.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
असम	280	275	–15	–5.2	2,031	1,933	–98	–4.8
मणिपुर	42	42	0	0.0	267	263	–4	–1.5
मेघालय	91	91	0	0.0	536	534	–2	–0.4
मिजोरम	24	24	0	0.0	167	165	–2	–1.2
नागालैंड	25	25	0	0.0	160	159	–1	–0.6
त्रिपुरा	64	62	–2	–3.1	417	384	–33	–7.9
पूर्वोत्तर क्षेत्र	552	535	–17	–3.1	3,672	3,531	–141	–3.8
अखिल भारत	46,929	42,874	–4,055	–8.6	319,463	289,698	–29,765	–9.3

व्यस्ततमकालीन वास्तविक मांग बनाम व्यस्ततमकालीन आपूर्ति

(सभी आंकड़े मे.वा. में)

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अक्टूबर, 2002				अप्रैल–अक्टूबर, 2002			
	व्यस्ततम–कालीन मांग (मे.वा.)	व्यस्ततम–कालीन आपूर्ति (मे.वा.)	व्यस्ततम–कालीन सरप्लस (मे.वा.)	कमी (–) (%)	व्यस्ततम–कालीन मांग (मे.वा.)	व्यस्ततम–कालीन आपूर्ति (मे.वा.)	व्यस्ततम–कालीन सरप्लस (मे.वा.)	कमी (–) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	160	160	0	0.0	206	206	0	0.0
दिल्ली	2,853	2,812	–41	–1.4	3,347	3,101	–246	–7.3
हरियाणा	3,043	3,013	–30	–1.0	3,411	3,325	–86	–2.5
हिमाचल प्रदेश	551	551	0	0.0	565	565	0	0.0
जम्मू–कश्मीर	1,158	891	–267	–23.1	1,169	940	–229	–19.6
पंजाब	4,364	3,924	–440	–10.1	5,849	5,455	–394	–6.7
राजस्थान	3,716	3,716	0	0.0	3,716	3,716	0	0.0
उत्तर प्रदेश	6,685	5,577	–1,088	–16.3	6,685	5,626	–1,059	–15.8
उत्तरांचल	700	640	–60	–8.6	771	681	–90	–11.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तरी क्षेत्र	22,186	19,855	−2,331	−10.5	24,092	21,889	−2,203	−9.1
छत्तीसगढ़	1,548	1,492	−56	−3.6	1,548	1,492	−56	−3.6
गुजरात	8,641	7,336	−1,305	−15.1	8,641	7,336	−1,305	−15.1
मध्य प्रदेश	5,437	4,157	−1,280	−23.5	5,437	4,157	−1,280	−23.5
महाराष्ट्र	13,371	10,881	−2,490	−18.6	13,371	10,881	−2,490	−18.6
गोवा	271	271	0	0.00	296	296	0	0.0
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
दमन और दीव	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	27,773	22,775	−4,998	−18.0	27,773	22,775	−4,998	−18.0
आंध्र प्रदेश	8,240	6,858	−1,382	−16.8	8,491	6,858	−1,633	−19.2
कर्नाटक	5,002	4,456	−546	−10.9	5,289	4,456	−833	−15.7
केरल	2,419	2,030	−389	−16.1	2,623	2,126	−497	−18.9
तमिलनाडु	6,977	6,000	−977	−14.0	7,236	6,120	−1,116	−15.4
पांडिचेरी	150	150	0	0.0	150	150	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	22,419	18,860	−3,559	−15.9	22,419	18,892	−3,527	−15.7
बिहार	1,305	1,206	−99	−7.6	1,389	1,325	−64	−4.6
डीवीसी	1,152	1,081	−71	−6.2	1,207	1,146	−61	−5.1
झारखंड	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
उड़ीसा	1,948	1,792	−156	−8.0	2,125	1,988	−137	−6.4
पश्चिमी बंगाल	3,548	3,340	−208	−5.9	3,752	3,418	−334	−8.9
सिक्किम	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
पूर्वी क्षेत्र	8,046	7,469	−577	−7.2	8,076	7,676	−400	−5.0
अरुणाचल प्रदेश	42	42	0	0.0	45	44	−1	−2.2
असम	589	589	0	0.0	650	589	−61	−9.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मणिपुर	95	95	0	0.0	101	100	−1	−1.0
मेघालय	172	171	−1	−0.6	172	171	−1	−0.6
मिजोरम	68	68	0	0.0	74	73	−1	−1.4
नागालैंड	60	58	−2	−3.3	61	61	0	0.0
त्रिपुरा	159	156	−3	−1.9	182	156	−26	−14.3
पूर्वोत्तर क्षेत्र	1,068	1,068	0	0.0	1,161	1,068	−93	−8.0
अखिल भारत	81,492	70,027	−11,465	−14.1	81,492	70,027	−11,465	−14.1

[अनुवाद]

पशु चारे की ढुलाई हेतु माल डिब्बा

497. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पशु चारे की निःशुल्क ढुलाई हेतु और अधिक माल डिब्बे उपलब्ध कराने हेतु मध्य रेलवे से निवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) 31.12.2002 तक सूखा प्रभावित अधिसूचित जिलों के लिए चारे के निःशुल्क परिवहन की अनुमति दी गई है। 21.10.2002 को आंध्रप्रदेश राज्य सरकार को भी कहा गया है परन्तु रेलों के पास कोई मांग प्रस्तुत नहीं की गई है।

[हिन्दी]

राज्यों को विशेष प्रोत्साहन

498. श्री रामशकल : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 'फास्ट ट्रेक' न्यायालयों को प्रोत्साहित करने वाले राज्यों को विशेष प्रोत्साहन देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) और (ख) सरकार ने त्वरित निपटान न्यायालयों को प्रोत्साहित करने वाले राज्यों को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए अभी तक कोई स्कीम नहीं बनाई है।

भारतीय सेना में आई.एस.आई. एजेंट

499. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पाकिस्तान की आई.एस.आई. भारतीय सेना के महत्वपूर्ण ठिकानों पर सैनिकों के रूप में अपने जासूसों की तैनाती कर भारत के बारे में गोपनीय और महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे जासूसों की पहचान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) वर्ष 1999 से आज तक ऐसे कितने जासूसों की पहचान कर उन्हें सजा दी गई?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

जल विद्युत परियोजनाएं

500. **श्री पद्मसेन चौधरी :**
डा. अशोक पटेल :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चार वर्षों की अवधि के भीतर जल विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया है और मंत्रालय ने सभी संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई निर्देश जारी किए गए हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) जल परियोजनाओं के समय एवं अतिरिक्त लागत को कम करने के उद्देश्य से, जहां तक अपर्याप्त जांच एवं पहुंच सडक एवं भूमि के लिए समुचित आधारभूत की अनुपलब्धता का संबंध है, सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र में नई जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए त्रि–चरणीय क्लियरेंस प्रक्रिया की शुरूआत की है। केन्द्र, राज्य एवं निजी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा उनके कार्यान्वयन में होने वाली देरी को कम करने के लिए समय–समय पर सरकार द्वारा की जाती है तथा उनको समय से पूरा करने के लिए निवारक उपाय किए जाते हैं। चूंकि प्रत्येक जल परियोजना स्थल स्थितियों, हाइड्रोलॉजिकल डाटा तथा सिविल इंजीनियरिंग के विस्तार के दृष्टिकोण से अपने आप में अनोखी होती है, अतः विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के लिए समान समय सीमा तय करना संभव नहीं हो सकता। तथापि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लि. द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि हाइड्रो–इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों का निष्पादन निवेश अनुमोदन मिलने की तिथि से 5 वर्षों से कम समय में पूरा कर लिया जाए।

भारतीय फिल्मों का निर्यात

501. **श्री रामदास रुपला गावीत :**
श्री चन्द्र भूषण सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी भारतीय फिल्मों का निर्यात किया गया और उनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या सरकार फिल्मों के निर्यात को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या भारतीय फिल्मों के लिए चीन एक बड़े बाजार के रूप में विकसित हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) भारतीय फिल्म निर्यात संघ से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों में निर्यात की गई भारतीय फिल्मों की संख्या और पिछले तीन वर्षों के दौरान फिल्मों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार से है–

वर्ष	निर्यात की गई फिल्मों की संख्या	फिल्मों से अर्जित विदेशी मुद्रा (रुपये में)
1999–2000	190	250 करोड़ रुपए
2000–2001	207	450 करोड रुपए
2001–2002	210	900 करोड *रुपए

*इसमें एनिमेशन निर्यात की राशि शामिल है।

(ख) और (ग) भारतीय फिल्मों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं।

(i) सरकार ने फिल्म उद्योग के सर्वांगीण विकास को सुविधाजनक बनाने के व्यापक उद्देश्य से फिल्म क्षेत्र को उद्योग का दर्जा प्रदान किया था।

(ii) वर्ष 2001 और 2002 के दौरान केन्स फिल्म बाजार में भारतीय सिनेमा की ओर ध्यान आकर्षित करने एवं रुचि पैदा करने के लिए भारतीय पैविलियन स्थापित किया गया था जिसके अंतर्गत काफी संख्या में भारतीय फिल्म कम्पनियों ने भाग लिया था।

(iii) जून, 2001 के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनोरंजन का भारतीय उद्योग की उपलब्धियों तथा सम्भावनाओं का प्रदर्शन करने और कारोबार के विकास के लिए नए अवसरों का पता लगाने के लिए यू.एस. ए. एवं जापान जाने वाले भारतीय मनोरंजन उद्योग के एक 35 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

(iv) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. के नेतृत्व में भारतीय फिल्म निर्यातकों के एक वृहद् प्रतिनिधिमंडल ने हांगकांग में फिल्म बाजार में भाग लिया जो जून, 2002 में हुआ था।

(v) 'इंडियन समर' नामक 30 भारतीय फिल्मों के एक पैकेज को अगस्त, 2002 में स्विट्रजरलैण्ड में आयोजित विख्यात लोकार्नो अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के एक भाग के रूप में दिखाया गया था।

(vi) इस वर्ष सरकार द्वारा एक फिल्म बाजार भारतीय फिल्म उद्योग और अन्तर्राष्ट्रीय क्रेता एवं विक्रेता के बीच पारस्परिक क्रिया करने हेतु एक मंच उपलब्ध करवाने के लिए भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के साथ एक फिल्म बाजार लगाया गया था।

(vii) 10वीं योजना में एक विशेष योजना स्कीम शामिल की गई है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भारत तथा विदेश में फिल्म बाजार में भाग लेने के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।

(viii) फिल्म समारोह निदेशालय सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों और विभिन्न फिल्म समारोहों में भाग लेकर विदेशों में भारतीय फिल्मों की दृश्यता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय फिल्मों की दृश्यता बढ़ाने से इनकी मांग बढ़ती है और इससे निर्यात आय बढ़ती है।

(घ) और (ङ) भारतीय फिल्मों के लिए चीन संभाव्य बाजार है। फिल्म लगान का प्रीमियर चीन में शीघ्र ही आयोजित किया जाना है और इसके साथ भारतीय फिल्म पोस्टरों की एक प्रदर्शनी होगी जिसमें सिनेमा के मूल काल से वर्तमान काल तक इतिहास का पता चलेगा। नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित फिल्म बाजार में चीन का भी प्रतिनिधित्व था जहां चीन के टी.वी. पर भारतीय फिल्म को देखने में रुचि दिखाई गई थी।

वरिष्ठ नागरिकों, खिलाड़ियों और विकलांग व्यक्तियों को सुविधाएं

502. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार वरिष्ठ नागरिकों, खिलाडियों, विकलांग व्यक्तियों और स्वतंत्रता सेनानियों आदि को और अधिक रेलवे सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रभावी कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) वरिष्ठ नागरिकों, खिलाड़ियों तथा विकलांगों के लिए किरायों में रियायत तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए मानार्थ कार्ड पास मुहैया कराए जाने जैसी सुविधाएं पहले से ही मौजूद हैं और वित्तीय संसाधनों को तंगी के कारण इन सुविधाओं में और इजाफा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। संबंधित कोटियों के व्यक्तियों के लिए पहिए वाली कुर्सियां, नीचे की शायिकाएं इत्यादि भी मौजूद हैं। अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था कराना एक सतत प्रक्रिया है जो कि संसाधनों की मौजूदगी तथा व्यवहार्यता पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

650 मेगावाट नाप्था आधारित विद्युत परियोजना की स्थापना

503. श्री के. येरननायडू : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार का 650 मेगावाट नाप्था आधारित हैदराबाद मैट्रो सीसीपीपी के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को निर्देश जारी करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश में शंकरापल्ली के निकट हैदराबाद मेट्रो कंबाइन्ड सायकल पावर प्रोजेक्ट (सीसीपीपी), 650 मे. वा. के संबंध में नाफ्था को ईंधन बतौर प्रस्तावित करने हेतु सोचा गया था। हालांकि नाफ्था की उच्च लागत एवं परिणामी टैरिफ के कारण परियोजना प्रस्ताव का अनुपालन नहीं किया गया।

स्लीपर की खरीद

504. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या रेल मंत्री स्लीपर्स की खरीद के बारे में 2 मई, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5693 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने विभिन्न पैराग्राफों पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पण तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने लकड़ी के स्लीपरों को पूरी तरह से हटाने हेतु कार्यक्रम तैयार किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) रेल पटरियों के नीचे अभी कितने लकड़ी के स्लीपर बिछे पड़े हैं और इनके स्थान पर सीमेंट रोड़ी के स्लीपर कब तक लगाए जाने की संभावना है;

(च) क्या सुरक्षा संबंधी खन्ना समिति ने फिश प्लेटों की मैनुअल चैकिंग की सिफारिश की थी लेकिन ऐसा अब तक नहीं किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो रेल पटरियों से फिश प्लेटों को हटाने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने और रेल पटरियों की जांच को सुदृढ़ करने हेतु उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) प्रतिलिपि विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) जी, नहीं। यद्यपि भारतीय रेल ने मुख्य लाइन रेलपथ से लकड़ी के स्लीपरों का उपयोग पूर्णतया समाप्त कर दिया है तथा मानक ले–आउट से इन्हें समाप्त करने की प्रक्रिया जारी है, तथापि इनका उपयोग, तकनीकी पहलुओं के कारण गर्डर पुलों तथा गैर–मानक लेआउटों पर जारी रहेगा। अतः रेलपथों से लकड़ी के स्लीपरों का उपयोग पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सकता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस समय, मुख्य लाइन रेलपथ पर कोई लकड़ी के स्लीपर मौजूद नहीं हैं। लकड़ी के स्लीपरों के साथ बिछाए गए टर्न आउटों को लगभग 3000 सेट प्रतिवर्ष की दर से पीएससी टर्न आउटों से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। गैर–मानक टर्न आउटों तथा गर्डर पुलों जैसे अन्य स्थानों के लिए तकनीकी कारकों से कंकरीट स्लीपरों का उपयोग करना संभव नहीं है। विश्व भर में सभी रेलें अभी भी इस प्रकार के विशेष स्थानों पर लकड़ी के स्लीपरों का उपयोग करती है।

(च) जी, नहीं। खन्ना समिति ने इस प्रकार की कोई सिफारिश नहीं की है। अतः कार्यान्वित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

(छ) गृह मंत्रालय के मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, रेलपथ तथा गर्डरों पर तोड़–फोड़ को रोकने की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित होती है। रेलें, केवल इन मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करती हैं। यदि राज्य सरकार द्वारा विशेष तौर पर अनुरोध किया जाता है तो विनिर्दिष्ट भागों पर सुरक्षा संबंधों गश्त कुछ अवधि के लिए भी की जाती है। बहरहाल, एहतियाती उपाय के रूप में, जहां कहीं व्यवहार्य हो, फिश प्लेट जुड़नारों की संख्या कम करने तथा प्रत्येक पटरी पर एक, भेद्य समझे जाने वाले भागों में स्थित जुड़नारों पर दो फिश प्लेटों को खुर्दरा करने के लिए दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। चोरी रोकने के लिए इलास्टिक रेल स्लिप का विकास करने तथा फिश बोल्ट को कसने संबंधी प्रयास भी किए जा रहे हैं। इंजीनियरिंग पदाधिकारियों के स्तर पर निरीक्षण और उसकी आवृति पहले विनिर्दिष्ट की गई है और उसके अनुपालन पर निगरानी की जाती है।

विवरण

की गई कार्रवाई संबंधी नोट

I	(क)	मंत्रालय/विभाग	रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)
	(ख)	विषय/समीक्षा/पैराग्राफ का शीर्षक	लकड़ी के स्लीपर टर्न आउटों के प्रतिस्थापन तथा कंक्रीट स्लीपर टर्न आउटों की खरीद में विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय।
	(ग)	पैराग्राफ सं.	4.3.2
	(घ)	रिपोर्ट सं. एवं वर्ष	2002 का 9 (रेलवे)
II	(क)	मंत्रालय अंतिम में ड्राफ्ट पैराग्राफ प्राप्ति की समीक्षा की तारीख	1.6.2001
	(ख)	मंत्रालय के उत्तर की तारीख	28.3.2002
III		पैराग्राफ/समीक्षा का सार	लकड़ी के स्लीपरों को कंक्रीट स्लीपरों को लकड़ी स्लीपरों के टर्न आउटों की तुलना में अधिक किफायती हैं, द्वारा प्रतिस्थापित करने में कदम उठाने में विलंब के कारण लकड़ी स्लीपरों के टर्न आउटों के खरीद पर अतिरिक्त व्यय।
IV	(क)	क्या मंत्रालय इस पैराग्राफ में शामिल तथ्यों और आंकड़ों से सहमत है?	कुछ क्षेत्रों में नहीं।
	(ख)	यदि नहीं, कृपया असहमति के क्षेत्रों के बारे में बताएं और उसके समर्थन में दस्तावेज भी संलग्न करें।	भारतीय रेल दशकों से लकड़ी स्लीपर टर्न आउटों का उपयोग कर रही थी। तदनुपरान्त, गैर रेलपथ परिपथन क्षेत्रों के लिए स्टील टॉ (एस टी) स्लीपर ले आउटों का विकास किया गया था। परन्तु रेलपथ परिपथन क्षेत्र के लिए लकड़ी के ले आउट के बदले लगभग 1988 तक कोई विकल्प उपलब्ध नहीं था। 1989 में, अ.अ.मा.सं. ने पीएससी स्लीपरों से एवं ले आउट का विकास किया, जो पहले से इन सेटों के फील्ड परीक्षणों के बाद संतोषजनक पाए गए। अ.अ.मा.सं. द्वारा कंक्रीट स्लीपर केवल तकनीकी दृष्टि से बेहतर नहीं हैं अपितु उनकी जीवन चक्र की लागत भी लकड़ी के ले आउटों की तुलना में कम पाई गई थी। इसलिए, लकड़ी स्लीपरों के ले आउटों के बदले कक्रीट स्लीपरों के ले आउटों का उपयोग करने का सैद्धान्तिक निर्णय लिया गया था। उस समय, रेलपथ में लकड़ी के स्लीपर टर्न आउटों के लगभग 65,400 सैट थे। यद्यपि कंक्रीट स्लीपर ले आउटों के डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया था। परन्तु पीएससी टर्न आउट सेटों के निर्माण के लिए अवसंरचना रेलपथ में इन भारी टर्न आउटों के परिवहन को सम्हालने तथा बिछाने के लिए अवसंरचना तथा इन ले आउटों

से बिछे रेलपथ के लिए संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर बिलकुल भी मौजूद नहीं थे। इस प्रकार की अवसंरचना के विकास में समय की प्रक्रिया शामिल थी जिसमें पर्याप्त विनिर्माण सुविधाओं को सृजित करना, तथा रेलपथ में इन दुर्घटनाओं की ढुलाई को सम्हालने तथा अनुसरण के लिए आवश्यक मशीनों तथा उपस्करों की खरीद एवं कंक्रीट स्लीपर ले आउटों के बिछाने सम्हाले तथा उनके अनुसरण संबंधी कार्यों के निपटाने हेतु आवश्यक विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना अपेक्षित था।

रेल प्रशासन द्वारा पीएससी टर्न आउटों स्लीपरों के लिए अपेक्षित अवसंरचना का विकास करने के लिए कार्रवाई निर्धारित मौजूदा नियम एवं विनियमों के अंतर्गत अविलम्ब की गई जब तब ये सुविधाएं विकसित हुईं तब तक यात्री तथा माल गाड़ियों के संचलन हेतु रेलपथ को सुरक्षित रखने के लिए लकड़ी के स्लीपरों का उपयोग करना अपरिहार्य था।

V (क) लेखा प्रणाली के मुख्य निष्कर्ष—

1. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सहित मौजूदा प्रणाली की खामियां।	कुछ नहीं
2. प्रणाली और प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफलता।	वही।
3. व्यक्तियों की असफलता।	वही।
4. हानि/अल्प आकलन/कम लेवी की राशि।	44.04 करोड़

(ख) क्या मंत्रालय लेखा परीक्षा के निष्कर्षों से सहमत है? यदि नहीं, कृपया असहमति के विशिष्ट क्षेत्रों, असहमति के कारणों के बारे में बताएं और जहां कहीं आवश्यक हो, संगत प्रलेखों की प्रतियां संलग्न करें।

लकड़ी स्लीपर टर्न आउटों का पीएससी स्लीपर टर्न आउटों से बदलाव करना एक बंद की गई कार्रवाई को शुरू करना नहीं है। जैसा कि उपर्युक्त पैरा iv(ख) में स्पष्ट किया गया है कि रेलें दशकों से लकड़ी के स्लीपरों का उपयोग कर रही थी एक उपर्युक्त विकल्प का विकास किया गया और पीएससी स्लीपरों को उपयुक्त पाया गया, परन्तु विनिर्माण, सम्हलाई तथा परिवहन, अनुसरण के लिए अवसंरचना का विकास पीएससी स्लीपर ले आउटों के अपनाने में जनशक्ति को प्रशिक्षण देना एक समय लगने वाली प्रक्रिया थी। रेल प्रशासन द्वारा आवश्यक अवसंरचना निर्धारित नियमों एवं विनियमों के तहत बिना किसी विलम्ब के विकसित की गई। जब तक आवश्यक अवसंरचना विकसित हुई तब तक लकडी के स्लीपरों का उपयोग करना अपरिहार्य था। अतः लेखा परीक्षा द्वारा परिचालित की गई हानि कल्पित है।

VI की गई उपचारात्मक कार्रवाई–

(i)	आंतरिक नियंत्रणों सहित प्रणाली और प्रक्रियाओं में सुधार।	लागू नहीं।
(ii)	लेखा परीक्षा द्वारा उल्लिखित अधिक भुगतान की वसूली।	लागू नहीं।
(iii)	कम आकलन, कम वसूली अथवा आय बकायों की वसूली।	लागू नहीं।
(iv)	हानियों/अपव्यय/गैर वसूलनीय राशि को बट्टे–खाते डालना।	लागू नहीं।
(v)	वित्तीय स्वरूप सहित योजना में आशोधन।	लागू नहीं।
(vi)	लेखा परीक्षा द्वारा नमूना जांच के निष्कर्षों के प्रकाश में ऐसे मामलों/ पूर्ण योजना/परियोजना की समीक्षा।	लागू नहीं।

यह लेखा परीक्षा को भेजा गया था, जिन्होंने अपने दिनांक 1.10.2002 के यू.ओ.आई. सं. 181–आर ए 11/7–388/98 के तहत यह वांछा की कि की गई कार्रवाई के अंत में निम्नलिखित को जोड़ दिया था।

"लेखा परीक्षा की आपत्ति"

1. भारतीय वन संरक्षण नीति के दृष्टिगत, लकड़ी स्लीपर टर्न आउटों का कंक्रीट स्लीपर टर्नआउटों को बदलने की आवश्यकता अन्ततोगत्वा हो चुकी होती। रेल मंत्रालय कृपया की गई कार्रवाई में यह बताए कि क्या उपयुक्त लिखित नीति/योजना के तैयार करते समय इस पहलु पर भी विचार किया गया था। यदि नहीं तो इस आवश्यक कवायद को न करने के कारणों का उल्लेख करें।

2. लेखा पैरा तथा इससे जुडे रिकार्ड यह इंगित करते हैं कि उच्चतर जीवन, कम अपरिहार्य लागत इत्यादि के संबध में कंक्रीट लकड़ी स्लीपर टर्न आउटों की तुलना में टर्न आउट बेहतर थे। रेल मंत्रालय कृपया की गई कार्रवाई में स्पष्ट करे कि किन कारणों से–

   (i) बीएससी स्लीपर टर्न आउटों के स्रोत का विकास करने का मामला क्षेत्रीय रेलों पर छोड़ दिया गया जबकि पीएससी स्लीपर टर्न आउटों के उपयोग से लाभ/बचत प्रत्याशित थे। किसी एक रेलवे द्वारा आदेशित मात्रा इतनी कम थी कि वह अच्छी प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं कर सकी।

   (ii) पीएससी टर्न आउट स्लीपरों से स्पष्ट लाभों को देखते हुए पीएससी स्लीपर टर्न आउटों के लिए स्रोत विकसित करने हेतु केन्द्रीयकृत रूप से क्यों नहीं पहल की गई?

   (iii) पीएससी स्लीपर टर्न आउटों के विनिर्माण में प्रारंभिक समस्याओं का निराकरण करने हेतु क्षेत्रीय रेलवे स्तर पर अ.अ.मा.सं. की विशेषता का क्यों नहीं उपयोग किया गया।

3. रेलों के रिकार्ड से पता चलता है कि पीएससी स्लीपरों के विनिर्माणकर्ताओं की आकलित 75 प्रतिशत क्षमता का उपयोग रेलों द्वारा किया जा रहा है, रेल मंत्रालय कृपया बताएं कि क्या इस उपर्युक्त क्षमता का उपयोग पीएससी स्लीपर टर्न आउटों के निर्माण के लिए किया जा सकता था।

यदि हां, तो पीएससी स्लीपर विनिर्माणकर्ताओं के साथ पीएससी स्लीपर टर्न आउटों के विनिर्माण के लिए 25 प्रतिशत (अप्रयुक्त) उपयोग करने के लिए कोई प्रयास किए गए थे।

4. लेखा परीक्षा पैरा से पता चलता है कि रेल मंत्रालय ने कंक्रीट स्लीपर टर्न आउटों की खरीद के लिए अगस्त 1993 में एक सीमित निविदा जारी की। रेल मंत्रालय कृपया स्पष्ट करें कि किस प्रकार से खुली निविदाओं के बदले (कमी को देखते हुए) सीमित निविदा जारी करना सही निर्णय था।

लेखा परीक्षा की उपर्युक्त आपत्तियों पर रेल मंत्रालय की टिप्पणियां

1. भारतीय वन संरक्षण नीति को देखते हुए रेल मंत्रालय के लकड़ी के स्लीपरों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए ठीक समय पर कार्रवाई की थी। इसके परिणामस्वरूप भारतीय रेल में लकड़ी के स्लीपरों की आवश्यकता 1960 में 3.5 लाख घनमीटर से घटकर 1993–94 में 54000 घनमीटर हो गई। गर्डर पुलों तथा गैर–मानक ले आउटों जिनके लिए विश्व की किसी भी रेल ने अभी तक लकड़ी के स्लीपरों के उपयोग के बदले कोई विकल्प विकसित नहीं किया है, के लिए लकड़ी के स्लीपरों के उपयोग की मौजूदा आवश्यकता केवल प्रतिवर्ष 20,000 घनमीटर है। यह बिल्कुल न्यूनतम आवश्यकता है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय रेल के लकड़ी के स्लीपरों की इस मात्रा को आयात करने के लिए अनुमति दे दी है। इस प्रकार, रेलों ने भारतीय वन संरक्षण नीति के अनुकूल समय पर कार्रवाई की परन्तु शुरूआत में जहां भारी संख्या में लकड़ी के स्लीपर के कंक्रीट स्लीपरों द्वारा बदले जाने पर प्रमुख रूप से जोर दिया गया था तथा जब मेन लाइन के लिए कंक्रीट स्लीपरों का उपयोग स्थिर हो गया, रेलों ने टर्न आउटों, स्विच एक्शपेंशन ज्वाइंट्स डिरेलिंग स्विचेज इत्यादि जैसे विशेष स्लीपरों का विकास किया।

2(i) और (ii) इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि पीएससी स्लीपर टर्न आउट उच्चतर जीवन अवधि कम अनुरक्षण लागत तथा बेहतर स्थिरता के संबंध में लकड़ी के टर्न आउट स्लीपरों की तुलना में बेहतर होते हैं। कंक्रीट स्लीपरों के इन लेखा पर विचार करते हुए रेलों ने योजनाबद्ध आधार पर सभी लकड़ी के स्लीपर टर्न आउटों के कंक्रीट के स्लीपर टर्न आउटों द्वारा बदलने का निर्णय लिया। परन्तु प्रौद्योगिकी का विकास शनैः–शनैः हुआ, कंक्रीट स्लीपरों की भारी मात्रा में विकास तथा शुरू करने में समय लगा टर्न आउटों के लिए कंक्रीट स्लीपरों के उपयोग शुरू करने में धीमी प्रगति के कारण रहे हैं, टर्न आउटों के लिए व्यापक रूप से उत्पादन करने वाली प्रौद्योगिकी का न होना तथा सम्हलाई, परिवहन तथा पुनः बिछाने संबंधी सेवाओं की कमी, क्योंकि टर्न आउट स्लीपर बहुत भारी होते हैं तथा मेन लाइन स्लीपरों की तुलना में अधिक लंबे होते हैं, जब तक सम्हलाई तथा बिछाने के लिए यांत्रिकी उपस्कर विकसित किए गए, तब तक टर्न आउट स्लीपरों को हाथ द्वारा बिछाया गया जो कि अत्यधिक भारी–भरकम कार्य था और इसमें अधिक समय लगता था। इसी प्रमुख कारण की वजह से क्षेत्रीय रेलों को शुरूआत में प्रयोग के आधार पर कम मात्रा में टर्न आउटों की खरीद करने के लिए कहा गया था। बाद में, जब टर्न आउटों के लिए कंक्रीट स्लीपरों की आवश्यकता स्थिर हो गई एवं अ.अ.मा.सं. द्वारा भी मानवीकरण कर दिया गया, रेलवे बोर्ड ने खरीद करने हेतु कैन्द्रीकृत निविदा आमंत्रित करने में कोई समय नहीं गंवाया। रेलवे बोर्ड ने पीएससी स्लीपर टर्न आउटों के 1000 सैटों के लिए जल्दी से जल्दी 1990 एवं 1993 में दो निविदाओं को अंतिम रूप दिया तथा 7 फर्मों को आदेश दिए।

2(iii) अ.अ.मा.सं. जो मेन लाइन के लिए जल्दी से जल्दी टर्न आउटों के रूप में कंक्रीट स्लीपरों के विकास में मार्गदर्शक है, ने टर्न आउट स्लीपरों के डिजाइन का प्रारंभिक विकास किया। इसके बाद, अ.अ.मा.सं. ने अध्ययन किया तथा विनिर्माताओं द्वारा सामना की जा रही शुरूआती समस्याओं का विश्लेषण किया तथा डिजाइन का मानकीकरण किया।

3. मेन लाइन स्लीपरों के निर्माण की अपेक्षा टर्न आउटों के लिए पीएससी स्लीपरों का निर्माण करना पूर्णतः एक

भिन्न प्रक्रिया है। मेन लाइन स्लीपरों का निर्माण करने वाली फर्में अपनी अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करके टर्न आउट स्लीपरों का निर्माण नहीं कर सकती हैं। टर्न आउट स्लीपरों के निर्माण के लिए फर्म को मोल्डस, बेंचेज एवं सम्हलाई सुविधाएं जैसे भिन्न सुविधा सैटों का विकास करना होता है तथा पृथक् लेइंग यार्ड एवं पृथक् रूप से अ.अ.मा.सं. का अनुमोदन प्राप्त करना होता है। टर्न आउट स्लीपरों के मामले में सभी 96 स्लीपर भिन्न-भिन्न आरेखण विनिर्मित किए जाते हैं। जिसमें प्रत्येक स्लीपर के लिए भिन्न-भिन्न मोल्ड्स की आवश्यकता होती है, जबकि मेन लाइन स्लीपर के लिए एक सैट मोल्ड्स पर्याप्त हो सकता है। इस कारण मौजूदा विनिर्माणकर्ताओं से अतिरिक्त सुविधाएं सृजित किए बिना टर्न आउट स्लीपरों का निर्माण करने के लिए नहीं कहा जा सका।

4. वर्ष 1993 में टर्न आउट स्लीपरों के लिए सीमित निविदा आमंत्रित की गई थी क्योंकि भारतीय रेलों पर सम्हलाई तथा उपर्युक्त स्पष्ट की गई रेलपथ बिछाने संबंधी उपस्करों की कमी के कारण टर्न आउट स्लीपरों की आवश्यकता सीमित थी। यहां तक कि आज भी टर्न आउट स्लीपरों की आवश्यकता केवल प्रतिवर्ष लगभग 3000 सैट है। केवल उन स्थापित आपूर्तिकर्ताओं से सीमित निविदा आमंत्रित करने की तरजीह दी गई थी जिन्होंने लाइन स्लीपरों के निर्माण के अनुभव प्राप्त हुआ था। यह इसलिए है क्योंकि स्लीपर निर्माण करने के बाकी यूनिट को स्थापित करने की सगर्मता अवधि बहुत अधिक लम्बी होती है तथा नया निर्माणकर्ता नए संयंत्र को स्थापित करने में अनुभवशील फर्म की अपेक्षा अधिक समय लेगा तथा रेलवे नए संयंत्र स्थापित करने के लिए सगर्मता अवधि के लम्बे होने के कारण समय नहीं गंवाना चाहती थी। सीमित निविदा आमंत्रित करने का यह भी एक प्रमुख कारण था।

रेल मंत्रालय की उपर्युक्त टिप्पणियों पर लेखा परीक्षा और आपत्तियां

"रेलवे बोर्ड ने (1991) में अगले 19 वर्षों अर्थात् 2005 तक चरणबद्ध आधार पर 65,400 लकड़ी के स्लीपर टर्न आउटों को कंक्रीट के स्लीपर टर्नआउटों द्वारा बदल दिए जाने की आवश्यकता का परिकलन किया था परन्तु जनवरी 2001 तक केवल 12148 सेटों की ही खरीद की जा सकी। यह स्पष्ट है कि धीमी प्रगति के कारण रेलें 1991 में निर्धारित किए गए लक्ष्य से काफी पीछे थीं तथा इसके कारण उच्चतर दरों पर लकड़ी के स्लीपर टर्न आउटों की खरीद की गई।"

ह./-

(के. सुब्रामणियम)
निदेशक, वित्त (बजट कमेटी)

रेल मंत्रालय का मामला संख्या 2002-बीसी-एपी 4.3.2/00-01

[हिन्दी]

पाकिस्तान टी.वी. पर प्रतिबंध

905. श्री राजो सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पाकिस्तान सरकार द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रभाव से निपटने हेतु पाकिस्तान टी.वी. पर प्रतिबंध लगाने सहित विभिन्न स्तरों पर कदम उठाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ गठित उच्चाधिकारियों के विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) पी.टी.वी. पर प्रतिबंध लगाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है। केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 की धारा 20 के तहत उक्त अधिनियम में निर्धारित

कार्यक्रम संहिता और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन संबंधी मामलों की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई है। समिति की सिफारिशों पर समय–समय पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। पाक टी.वी. के दुष्प्रचार का सामना करने के लिए सरकार दूरदर्शन/आकाशवाणी के उपयुक्त कार्यक्रमों के प्रसारण के द्वारा सतत रूप से प्रयास कर रही है। सीमावर्ती इलाकों में दूरदर्शन की कवरेज को बढ़ाने के लिए एक विशेष पैकेज के अंतर्गत दूरदर्शन के आधारभूत ढांचे के विस्तार तथा उन्नयन का कार्य भी शुरू किया गया है।

तट रक्षकों को सुविधाएं

506. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी :
श्री रामदास आठवले :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तट रक्षकों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार तट रक्षक के लिए अतिरिक्त संख्या में पोत/मोटर बोट और वायुयान खरीदने का है;

(ङ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसके लिए कितनी धनराशि नियत की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (च) तट रक्षकों की सुविधाएं बढ़ाना एक सतत प्रक्रिया है। 10 नए पोत स्टेशनों को चरणबद्ध तरीके से बनाने के एक प्रस्ताव पर कार्य चल रहा है। अनंतिम रूप से चयनित स्थान इस प्रकार हैं–

पश्चिम तट–वादिनगर (गुजरात), जाफराबाद या पिपावाव (गुजरात), रत्नागिरी (महाराष्ट्र), बटकल या माल्पे (कर्नाटक), बेपोर (केरल) और लक्षद्वीप में कावारती।

पूर्वी तट–काकिंडा (आंध्र प्रदेश), गोपालपुर (उड़ीसा) और पांडिचेरी।

अंडमान एवं निकोबार–कमोरटा।

तटरक्षक बल का आधुनिकीकरण और विकास मुख्यतः हमले की आशंका और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी निर्भर है। वर्ष 2002–2003 के दौरान तटरक्षक बल के लिए पोतों/विमानों को लेने का प्रस्ताव है जिसके लिए 271.40 करोड़ रुपए की राशि विनिर्दिष्ट की गई है। इन प्रस्तावों को जांच के बाद, अगर उचित समझा गया, अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। इन प्रस्तावों के ब्यौरे दर्शाना संभव नहीं होगा क्योंकि इनमें से कुछ को जांच के पश्चात् अनुमोदन प्रदान के लिए उचित न समझे जाएं।

[अनुवाद]

रेल सुरक्षा निधि से धनराशि का अन्यत्र उपयोग

507. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री विकास चौधरी :
श्री मोइनुल हसन :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने नवगठित रेल जोनों के विकास सहित अन्य उद्देश्यों हेतु विशेष रेल सुरक्षा निधि से कुछ धनराशि का अन्यत्र उपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) रेलवे द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान सुरक्षा प्रभार के माध्यम से कुल कितनी धनराशि एकत्रित की गई है;

(घ) यात्रियों की सुरक्षा हेतु विशेष रेल सुरक्षा निधि में से अब तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ङ) विशेष रेल सुरक्षा निधि के सृजन के बाद जोन–वार और राज्य–वार नवीनीकरण किए गए रेल मार्गों और पुलों के नाम क्या हैं; और

(च) सरकार द्वारा विशेष रेल सुरक्षा निधि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, नहीं। विशेष रेल संरक्षा निधि से शुरू किए जाने वाले कार्यों की पहचान रेल मंत्रालय द्वारा गठित की गई एक चयन समिति द्वारा की गई है। रेलों को विशेष रेल संरक्षा निधि के तहत उपलब्ध राशि को केवल संरक्षा से संबंधित पहचाने गए कार्यों पर ही खर्च करने के लिए स्पष्ट अनुदेश हैं तथा रेल संरक्षा निधि को प्रभारित कार्यों से, यहां तक कि नए जोनों के सृजन के लिए भी धन का अन्यत्र उपयोग/पुनर्विनियोग करने की अनुमति नहीं है।

(ग) यात्रियों पर/1 अक्टूबर, 2001 से 'संरक्षा अधिभार' लगा दिया गया है। 2001–2002 के दौरान (1.10.2001 से 31.03.2002 तक) एकत्रित किया गया 'संरक्षा अधिभार' 304.86 करोड़ रु. था तथा वर्ष 2002–03 में (1.4.2002 से अगस्त, 2002 तक) 249.96 करोड़ रु. एकत्रित किए गए हैं।

(घ) 1 अक्टूबर, 2001 से विशेष रेल संरक्षा निधि स्थापित एवं परिचालित की गई थी। वर्ष 2001–2002 के दौरान विशेष रेल संरक्षा निधि में से 1434.28 करोड़ रु. का वास्तविक खर्च (शुद्ध) हुआ था, जबकि वर्ष के लिए संशोधित अनुमान में 1400 करोड़ रु. का आवंटन किया गया था। वर्ष 2002–03 में (बजट अनुमान) विशेष रेल संरक्षा निधि के अंतर्गत 2210 करोड़ रु. की एक शुद्ध राशि की व्यवस्था की गई है। रेल परिचालन की संरक्षा, जो यात्रियों तथा माल दोनों के हित में होगी, सुनिश्चित करने के लिए विशेष रेल संरक्षा निधि के अंतर्गत उपलब्ध कुल धन राशि केवल पहचाने गए कार्यों पर ही खर्च की जाएगी।

(ङ) रेलपथ नवीकरण, सिगनलिंग, पुल संबंधी कार्यों, मशीनरी एवं संयंत्र, चल स्टॉक, के अंतर्गत कार्यों के साथ–साथ विशेष रेल संरक्षा निधि से वित्त पोषित करने के लिए चयन समिति द्वारा पहचाने गए संरक्षा संवर्धन संबंधी अन्य कार्य, जो अभी भी प्रगति पर हैं, उन्हें 2002–2003 के भाग–III कार्यों, मशीनरी एवं चल स्टॉक कार्यक्रम शीर्षक से संबंधित बजट प्रलेख, अथवा 'ग्रीन बुक' में सूचीबद्ध कर दिया गया है। चूंकि रेल बजट जोन–वार तैयार किया जाता है न कि राज्य–वार अतः ये सूचियां जोन–वार उपलब्ध हैं।

(च) निधि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रेल संरक्षा निधि के अंतर्गत कार्यों की प्रगति पर नजर रखने हेतु एक व्यापक तंत्र स्थापित किया गया है। विशेष रेल संरक्षा निधि से पोषित किए जाने वाले कार्यों को 'ग्रीन बुक' में सूचीबद्ध किया गया है। सरकार द्वारा यथा अनुमोदित निगरानी योजना में विभिन्न स्तरों पर जो निम्नानुसार है, आवधिक रूप से निगरानी करने का विचार किया जाता है–

(i) मंउल स्तर पर–मासिक

(ii) क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबंधकों द्वारा–प्रत्येक दो महीने में

(iii) रेलवे बोर्ड द्वारा–प्रत्येक 6 महीने में

(iv) अन्तर मंत्रालय स्तर पर–वर्ष में एक बार।

घटिया कल-पुर्जों का आयात

508. श्री कमलनाथ :
श्री प्रबोध पण्डा :
श्री एन. जनार्दन रेड्डी :
श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या अगस्त–सितंबर, 2002 के दौरान अम्बाला और जोधपुर में दो मिग–21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या लगातार हो रही दुर्घटना के कारण इन दोनों मिग विमानों को कई सप्ताह तक मैदान पर रखने के बाद हाल ही में उड़ान भरने की स्वीकृति दी गई थी;

(ग) क्या रूस द्वारा की गई टिप्पणी से इस बात की पुष्टि हुई है कि भारत स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल से घटिया स्तर के कल–पुर्जों और उपकरणों की खरीद कर रहा था जैसा कि दिनांक 28 अगस्त, 2002 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' समाचार–पत्र में प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) रूस की एक सरकारी कंपनी के डायरेक्टर जनरल, रोसोबोर्नएक्स्पोर्ट, द्वारा दिया गया वक्तव्य तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। मिग–21 विमानों का लाइसेंस के तहत ओवरहाल हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में किया जा रहा है। हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में निर्मित तथा विदेश से खरीदे गए सभी हिस्से–पुर्जों को विमान पर लगाए जाने से पहले उनके कड़े गुणता नियंत्रण संबंधी परीक्षण किए जाते हैं। भारतीय वायुसेना को सप्लाई किए गए हिस्से–पुर्जों को वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय द्वारा प्रमाणित भी किया जाता है।

[हिन्दी]

रसोई गैस कनेक्शन

509. श्रीमती जस कौर मीणा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरे देश में कुल कितने रसोई गैस कनेक्शन जारी किए गए;

(ख) क्या रसोई गैस कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची निपटा दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त प्रतीक्षा सूची को कब तक समाप्त किए जाने की संभावना है; और

(घ) वर्ष 2002–2003 और 2003–2004 के दौरान कितने रसोई गैस कनेक्शन जारी किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) ने विगत तीन वर्षों के दौरान देश में लगभग 2.54 करोड़ नए एल पी जी कनेक्शन जारी किए थे।

(ख) से (घ) वर्तमान में ओ एम सीज वितरकों के पास पंजीकृत कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है। एल पी जी कनेक्शन देश भर में मांग पर उपलब्ध हैं और इसलिए वर्ष, 2002–2003 तथा वर्ष 2003–2004 के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

राज्यों को विशेष प्रोत्साहन

510. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के उच्च न्यायालयों ने तीव्रता, कार्य कुशलता और उपकरणों का रख–रखाव सुनिश्चित करने हेतु कुछ सहायक कार्यों को प्राइवेट पार्टियों को सौंपने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्राइवेट पार्टियों को सौंपने हेतु किन क्षेत्रों पर विचार किया जा रहा है;

(घ) क्या इस प्रयोग को किसी न्यायालय में पहले ही शुरू कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रयोग के क्या परिणाम निकले?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) से (ङ) मुम्बई उच्च न्यायालय, मुम्बई में नगर न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग की उस अग्रणी परियोजना के भागरूप में, जिसका वित्तपोषण भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा किया जाना है, न्यायालय से संबंधित कतिपय अनुषंगी कार्यों में निजी विक्रेताओं की भागीदारी को सूचीबद्ध करने पर विचार कर रहा है। ये कार्य निम्नलिखित हैं–

- प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराना
- तामील और आदेशिकाएं जारी करना
- वीडियो डिसप्ले यूनिटों और इंटरनेट/ई–किओक्स/इंटरएक्टिव वायस रिस्पोंस सिस्टम (आई. वी.आर.एस.) पर मुकदमा लड़ने वाली जनता और वकीलों के लिए न्यायालय संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना।
- न्यायालय में फाइल किए गए वादों, याचिकाओं पर कार्यवाही करना।

विक्रेता अपने स्वयं के हार्डवेयर, साफ्टवेयर और अन्य उपस्कर अधिष्ठापित करेंगे। वे अपने उपस्कर के रखरखाव के लिए उत्तरदायी होंगे और उन्हें किए गए कार्य या दी गई सेवाओं की वास्तविक मात्रा के आधार पर न्यायालय द्वारा

संदाय किया जाएगा। निजी विक्रेताओं की भागीदारी से यह अपेक्षित है कि इससे सेवाओं के दिए जाने में तेजी और दक्षता आएगी और उपस्कर का उचित रखरखाव सुनिश्चित होगा। निजी विक्रेताओं की भागीदारी के लिए निविदाओं की मांग की गई है।

तेल कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ

511. **डा. सुशील कुमार इन्दौरा :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या वर्ष 2002–2003 के प्रथम 6 माह के दौरान देश में सरकार के स्वामित्व वाली पेट्रोलियम कंपनियों की लाभांश की राशि में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान ऐसी कंपनियों द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन कंपनियों का कुल कारोबार कितना रहा; और

(घ) इन कंपनियों द्वारा गत वर्ष की पहली छमाही की तुलना में चालू वर्ष की पहली छमाही के दौरान कितना अतिरिक्त लाभ अर्जित किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा 2002–2003 की पहली छमाही के लिए अभी तक लाभांश का निर्धारण नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(करोड़ रुपए)

तेल सा.क्षे.उ. का नाम	निम्न अवधि के दौरान कर पश्चात लाभ अप्रैल–सितम्बर, 2001	कर पश्चात लाभ अप्रैल–सितम्बर, 2002	पिछले वर्ष की तुलना में लाभ में वृद्धि	अप्रैल–सितम्बर, 02 के दौरान कारोबार
1	2	3	4	5
गेल	543.60	716.69	173.09	5736.87
ती पी सी एल	404.76	569.62	164.86	22309.85
ई आई एल	44.15	23.76	–20.39	153.24
आई ओ सी एल	1019.43	3138.68	2119.25	56663.06
एच पी सी एल	302.26	572.62	270.36	24091.00
ओ आई एल	266.95	381.88	114.93	1286.23
ओ एन जी सी	3143.00	4258.00	1115.00	15004.00
योग	5724.15	9661.25	3937.10	125244.25

टिप्पणी : कालम 3 में दी गई सूचना गैर लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार है।

संसद सदस्यों के निजी सहायकों को निःशुल्क रेलवे पास

512. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या संसद सदस्यों के निजी सहायकों के लिए द्वितीय श्रेणी शयनयान या तृतीय श्रेणी वातानुकूलित यान में यात्रा हेतु निःशुल्क रेलवे पास जारी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसद सदस्यों, उनके पति–पत्नियों और सहचरों के लिए रेल यात्रा सुविधाएं, संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में उल्लिखित उपबंधों की शर्तों के अनुसार मुहैया कराई जाती हैं। यह अधिनियम संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा शासित है। इस अधिनियम में संसद सदस्यों के व्यक्तिगत सहायकों के लिए रेल यात्रा सुविधा मुहैया कराने का कोई प्रावधान नहीं है।

[अनुवाद]

देश में विद्युत उत्पादक कम्पनियां

513. श्री एन. एन. कृष्णदास : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में कितनी कंपनियां विद्युत उत्पादन कर रही हैं;

(ख) इन प्रत्येक इकाइयों द्वारा उत्पादन की जा रही **विद्युत** की लागत का इकाई–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कम्पनियों द्वारा बेची जा रही विद्युत की कम्पनी–वार प्रति यूनिट दर क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) केन्द्रीय क्षेत्र की उत्पादक कम्पनियों के लिए टैरिफ का निर्धारण लागत और मान्य प्राप्ति के विभिन्न तत्वों को ध्यान में रखकर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन के लिए भारत सरकार द्वारा) द्वारा तथा राज्य क्षेत्र की उत्पादक कम्पनियों के लिए टैरिफ का निर्धारण राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (राज्य सरकारों/राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा जहां राज्य विद्युत विनियामक आयोगों का गठन नहीं किया गया है) द्वारा किया जाता है। विद्युत केन्द्रों से संबंधित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का टैरिफ संलग्न विवरण में दिया गया है।

राज्य और निजी क्षेत्र की इकाइयों के संदर्भ में सूचना एकत्र की जा रही है तथा विवरण सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण

क्र.सं.	विद्युत केन्द्र	2001–2002 हेतु ऊर्जा लागत दर (पैसे/कि.वा.घं.)
1	2	3
1.	सिंगरौली एसटीपीएस	94.54
2.	रिहन्द एसटीपीएस	127.29
3.	कोरबा एसटीपीएस	73.39
4.	विंध्याचल एसटीपीएस	113.32
5.	रामागुण्डम एसटीपीएस	122.34
6.	फरक्का एसटीपीएस	168.81
7.	कहलगांव एसटीपीएस	204.10
8.	तालचेर एसटीपीएस	204.10
9.	तालचेर टीपीएस	139.04
10.	एफजी ऊंचाहार टीपीएस	171.89
11.	एनसीटीपीसी दादरी	213.45
12.	टाण्डा टीपीएस	90.34
13.	अंता जीपीएस	135.99
14.	औरैया जीपीएस	164.12
15.	दादरी जीपीएस	193.86

1	2	3
16.	कवास जीपीएस	319.64
17.	गांधार जीपीएस	222.09
18.	कायमकुलम सीसीपीएस	382.17
19.	फरीदाबाद जीपीएस	163.75
नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन		
20.	बैरास्यूल एचईपी	64.54
21.	लोकतक एचईपी	93.13
22.	सलाल एचईपी	62.65
23.	टनकपुर एचईपी	112.17
24.	चमेरा–1 एचईपी	182.61
25.	उडी एचईपी	259.23
26.	रंगित एचईपी	*211.00
न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन		
27.	मद्रास अटोमिक पावर स्टेशन	198.00
28.	तारापुर अटोमिक पावर स्टेशन	92.00
29.	काकरापारा अटोमिक पावर स्टेशन	278.00
30.	नरौरा अटोमिक पावर स्टेशन	234.00
नीपको		
31.	कोपिली एचईपी	69.80
32.	कोपिली एचईपी चरण–1	69.80
33.	दयांग एचईपी अंतिम रूप दिया जा रहा है।	
34.	रंगानदी एचईपी	165.51
35.	असम गैस	225.00
36.	अगरतला गैस	190

*अनंतिम।

राजस्थान में आयल ब्लाकों का पता लगाया जाना

514. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल का पता लगाने संबंधी कार्यों को शुरू करने के लिए राजस्थान में, विशेषकर राजस्थान के बाडमेर, जैसलमेर और जालौर जिलों में पहचान किए गए आयल ब्लाकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने तेल का पता लगाने संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए कोई समयसीमा निर्धारित की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) 1991 से 2002 तक, जब नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन ई एल पी) के तीसरे दौर की घोषणा की गई थी, सरकार ने राजस्थान राज्य में 12 अन्वेषण ब्लाकों का प्रस्ताव किया है और जिनमें से 5 ब्लाकों के लिए संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन 5 ब्लाकों में से 3 ब्लाक जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर जिलों में हैं।

(ख) और (ग) संविदा के निबंधनों के अनुसार इन 5 ब्लाकों के लिए अन्वेषण कार्यक्रम सामान्यतया तीन चरणों में विभक्त सात वर्ष की समयावधि के लिए है।

[हिन्दी]

सीमेंट कम्पनियों का उत्पादन

515. डा. चरणदास महंत : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में कौन–कौन सी सीमेंट कम्पनियां हैं और वे कहां–कहां स्थापित हैं और उनका प्रतिदिन का कुल कितना उत्पादन है;

(ख) क्या भारत की सीमेंट कम्पनियां सीमेंट का उत्पादन ड्राइ प्रोसेस या वेट प्रोसेस से कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कम्पनीवार ब्यौरा क्या है;

(घ) सीमेंट कम्पनियों को किन–किन इकाइयों में इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रिसिपिटेटर (इ.एस.पी.) लगाए गए हैं और इन प्रिसिपिटेटरों की क्षमता कितनी है और ये प्रिसिपिटेटर कब से लगाए गए हैं;

(ङ) किन–किन इकाइयों में उक्त प्रिसिपिटेटर नहीं लगाए गए हैं; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान देश की इन सभी कम्पनियों में उत्पादित सीमेंट का वर्षवार, इकाईवार, महीनावार ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटे के बकाया रिक्त पद

516. डा. जयंत रंगपी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) रेलवे में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटे के बकाया रिक्त पद कितने हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार रेलवे का विशेषकर रेलवे के पूर्वोत्तर क्षेत्र की इन बकाया रिक्तियों को भरने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) 1999–2000 के रेलवे बजट में दी गई वचनबद्धता के तहत भारतीय रेलों पर 30.6.2000 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों का बकाया निम्नलिखित था–

वर्ग ग		वर्ग घ		जोड़
अजा	अजजा	अजा	अजजा	
1334	1139	1078	1965	5516

(ख) जी, हां।

(ग) 30.6.2000 से एक विशेष भर्ती अभियान के तहत अजा/अजजा की रिक्तियों के बकाया को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव है। 30.9.2002 तक 2637 रिक्तियों का बकाया समाप्त कर दिया गया है जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है–

वर्ग ग		वर्ग घ		जोड़
अजा	अजजा	अजा	अजजा	
1000	586	507	544	2637

विशेष भर्ती अभियान अभी भी जारी है। जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है। अभियान के लिए चिह्नित अजा/अजजा की रिक्तियों का शेष बकाए को समाप्त करने के लिए भर्ती प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर है–

वर्ग ग		वर्ग घ		जोड़
अजा	अजजा	अजा	अजजा	
334	553	571	1421	2879

अजा/अजजा की रिक्तियों के कुल आकलित बकायों में से पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, जिसमें संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र शामिल है, का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है–

	वर्ग ग		वर्ग घ		
	अजा	अजजा	अजा	अजजा	जोड़
30.6.2000 को आकलित बकाया	11	20	261	489	781
30.9.2002 को समाप्त बकाया	02	शून्य	35	31	68
शेष बकाया जो कि भर्ती के विभिन्न स्तरों पर हैं	09	20	226	458	713

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) के कायमकुलम संयंत्र के लिए एलएनजी टर्मिनल

517. श्री के. मुरलीधरन : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत मंत्रालय ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) के कायमकुलम संयंत्र के लिए स्वयं अपना एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने के संबंध में कोई निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) के कायमकुलम संयंत्र की विस्तार योजना के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन ने कायमकुलम सहित वर्तमान/विस्तारण संबंधी विभिन्न गैस परियोजनाओं के लिए तरल प्राकृतिक गैस/प्राकृतिक गैस/पुनःगैसीकृत तरल प्राकृतिक गैस की प्राप्ति हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धात्मक निविदा आमंत्रित की है। एक एलएनजी टर्मिनल की स्थापना तथा कायमकुलम का विस्तारण कार्य उचित कीमत/शर्तों पर एलएनजी की उपलब्धता तथा केन्द्र से विद्युत क्रय करने वाले लाभार्थियों की वचनबद्धता पर आधारित है।

उड़ीसा के ताप विद्युत संयंत्रों में कर्मचारियों की छंटनी

518. **श्री के. पी. सिंह देव** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा के कुछ ताप विद्युत संयंत्रों में विशेषकर आईबी ताप विद्युत संयंत्र में, कर्मचारियों की बडे पैमाने पर छंटनी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में भूमि का अधिग्रहण

519. श्री महेश्वर सिंह : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले के आवेरी क्षेत्र में सैनिक छावनी बनाने के लिए कुल कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है; और

(ख) भूमि अधिग्रहण के बाद इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) रोना यूनिटों को स्थापित करने के उद्देश्य से कुल्लू जिले के आवेरी गाव में 1259 बीघे 16 बिस्वे जमीन का अर्जन किया गया है। इस भूमि पर रहने वाले परिवारों को दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। अब यह पता लगा है कि अर्जित भूमि के साथ राज्य सरकार की 261 बीघे 16 बिस्वे जमीन पड़ी है जिसे रक्षा मंत्रालय के नाम/स्थानांतरित/दाखिल–खारिज करने की आवश्यकता है। इसके लिए सेना प्राधिकारियों ने 'अनापत्ति' मांगी है जिसे अभी राज्य सरकार से प्राप्त होना प्रतीक्षित है।

[अनुवाद]

10वीं योजना तक ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

520. श्री सुनील खां : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना का अनुमोदन 10वीं योजना में कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में प्रति व्यक्ति मिलने वाली बिजली का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) 10वीं योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थापना हेतु ताप विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं–

परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)
केन्द्रीय क्षेत्र	
त्रिपुरा गैस (नीपको)	500
राज्य क्षेत्र	
असम	
लकवा डब्ल्यूएच (टी)	38
मिजोरम	
बेराबी एचएफओ (टी	22.92
मेघालय	
बाइरिनहाट (टी)	24
मेडिपत्थर (टी)	24
त्रिपुरा	
बारामूरा जीटी (टी)	21

(ग) वर्ष 1999–2000 के दौरान प्रतिव्यक्ति बिजली उपलब्धता के राज्य–वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं–

(कि.वा.घं.)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	प्रति व्यक्ति उपलब्धता
1	2
चण्डीगढ	1172.72
दिल्ली	1247.52
हरियाणा	789.95
हिमाचल प्रदेश	469.12
जम्मू–कश्मीर	497.76
पंजाब	1116.68
राजस्थान	451.83
उत्तर प्रदेश	230.14
गुजरात	979.85
मध्य प्रदेश	436.31
महाराष्ट्र	760.77
गोवा	692.58
आंध्र प्रदेश	583.30
कर्नाटक	512.20
केरल	377.55
तमिलनाडु	592.27
बिहार	84.17
उड़ीसा	311.95
पश्चिमी बंगाल	232.88
अरुणाचल प्रदेश	102.28
असम	111.98
मणिपुर	181.20
मेघालय	227.41
नागालैंड	125.18
त्रिपुरा	131.38
मिजोरम	238.19
जोड अखिल भारत	449.46

गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं

521. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को स्वीकृति

देने और उन्हें स्थापित करने में कौन सी विधि अपनाई जा रही है;

(ख) क्या गैस की स्वीकृति पूरी तरह से राज्य सरकारों की सिफारिशों या केन्द्र सरकार के विवेकाधिकार के आधार पर होती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) प्रस्तावित विद्युत संयंत्रों को गैस का आवंटन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जो संबंधित राज्य सरकार और विद्युत मंत्रालय के विचारों तथा इस प्रयोजनार्थ गठित गैस लिंकेज समिति द्वारा इस संबंध में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखता है।

निजी कम्पनियों द्वारा पेट्रोलियम की कीमतों में कमी

522. श्री रघुनाथ झा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी पेट्रोलियम आयल कम्पनियों ने पेट्रोलियम और डीजल की वर्तमान दर में 18 पैसे की कमी की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके साथ सरकार भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करेगी;

(ग) यदि हां, तो क्या हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) 1 अप्रैल, 2002 से पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य निर्धारण पद्धति की समाप्ति पर पेट्रोल और डीजल के मूल्यनिर्धारण को नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है। तेल कम्पनियां अब इन उत्पादों के बिक्री मूल्यों का निर्धारण अंतरराष्ट्रीय तेल मूल्यों को ध्यान में रखकर कर रही हैं। इन उत्पादों के मूल्यों में तेल कम्पनियों द्वारा 1 अप्रैल, 2002 के बाद आठ बार संशोधन किया गया है। 16 नवम्बर, 2002 में किए गए अंतिम संशोधन द्वारा पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्यों में दिल्ली में क्रमशः 69 पैसे प्रति लीटर और 68 पैसे प्रति लीटर की कमी आई है।

नई दिल्ली/दिल्ली में मतदाताओं के फोटो पहचान-पत्र

523. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और विशेषकर नई दिल्ली के अधिसंख्य मतदाताओं को फोटो पहचान–पत्र जारी नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली के मतदाताओं को अपना फोटो पहचान–पत्र प्राप्त करने हेतु सूचना जारी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ नई दिल्ली में किसी केन्द्र का चयन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) और (ख) दिल्ली और नई दिल्ली में मतदाता फोटो पहचान–पत्रों के वितरण के अंतर्गत 66.81 प्रतिशत मतदाताओं को लाया गया है, अर्थात् तारीख 31 अक्टूबर, 2002 तक 81,76,002 मतदाताओं में से लगभग 54,62,382 मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान–पत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं। तारीख 11 फरवरी, 2002 को वर्तमान अभियान आरंभ किए जाने से 31 अक्टूबर, 2002 तक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में लगभग 17,22,597 मतदाता फोटो पहचान–पत्र वितरित किए गए हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया तीन चरणों में हैं। पहले चरण में ऐसे निर्वाचकों को, जिन्हें पहले मतदाता पहचान–पत्र जारी नहीं किए गए थे, विक्रेताओं द्वारा पत्रों के माध्यम से अभिहित फोटोग्राफिक अवस्थानों पर मतदाता फोटो पहचान–पत्रों के तैयार किए जोन और जारी किए जाने का समय और स्थान बताते हुए आमंत्रित किया जाता है। कुछ सभा निर्वाचन–क्षेत्रों में पहले चरण की समाप्ति पर दूसरा चरण आरभ कर दिया गया है। दूसरे चरण में, अभिहित फोटोग्राफिक अवस्थान नए मतदाता फोटो पहचान–पत्र, मतदाता फोटो पहचान–पत्र की दूसरी प्रति तैयार करने या विद्यमान मतदाता फोटो पहचान–पत्र में कोई उपांतरण करने के लिए सभी निर्वाचकों के लिए खुले हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय प्रमुख समाचार–पत्रों में इसका प्रचार करता है। मतदाताओं को इन अभिहित फोटोग्राफिक अवस्थानों पर अपनी सुविधानुसार आना होता है। कार्य विक्रेताओं द्वारा किया जाता है। दूसरे चरण की समाप्ति के पश्चात् मतदाता फोटो पहचान–पत्र कार्यक्रम का तीसरा चरण 16 सभा निर्वाचन–क्षेत्रों में आरंभ कर दिया गया है, जिसमें मतदाता फोटो पहचान–पत्रों को तैयार करने और उन्हें जारी करने का कार्य निर्वाचन कर्मियों द्वारा दैनिक कार्य के रूप में किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां। सभी 70 सभा निर्वाचन–क्षेत्रों में कुल 75 स्थान या अभिहित फोटोग्राफिक अवस्थान हैं, जिनका प्रचार प्रमुख समाचार–पत्रों के माध्यम से पहले ही किया जा चुका है।

विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार

524. श्री वी. एम. सुधीरन : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार दिए जाने की आवश्यकता की जानकारी है; और

(ख) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) और (ख) अनिवासी भारतीयों (अर्थात् ऐसे व्यक्ति, जो सामान्यतः भारत के निवासी नहीं हैं) को मताधिकार प्रदान करने का प्रस्ताव, व्यावहारिक और प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण साध्य नहीं पाया गया है।

(हिन्दी)

दुर्घटना राहत कार्य

525. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या रेलवे में रेल दुर्घटनाओं, राहत कार्यों में लापरवाही और लोगों को गलत सूचना देने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि रेलवे में सुरक्षा और बचाव की कारगर प्रणाली उपलब्ध होने के बावजूद भी रेलवे इस मोर्चे पर असफल रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सतर्कता में कहीं न कहीं कमी के कारण अधिकारी अपने कर्त्तव्यों का जवाबदेही के साथ निर्वहन करने में असफल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे में सुधार लाने और गैर जिम्मेदार तथा दोषी अधिकारियों से सख्ती से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली में पेट्रोल पम्पों पर सी एन जी की सुविधा

526. डा. बलिराम : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पेट्रोल पम्पों के अधिकांश मालिकों ने सरकार से उनके पेट्रोल पम्पों पर सी एन जी की सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पेट्रोल पम्पों पर सी एन जी की सुविधा उपलब्ध न कराए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) दिल्ली में पेट्रोल पम्पों पर कब तक सी एन जी की सुविधा प्रदान किए जाने की सभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) दिल्ली तेल विपणन कम्पनियों (ओ एम सीज) के खुदरा बिक्री केन्द्रों पर सी एन जी सुविधा का प्रावधान सुरक्षा मानक को पूरा करने और पुनः ईंधन भरने के लिए वाहनों की साज–संभाल के लिए पर्याप्त स्थान की उपलब्धता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता जैसे कारकों पर निर्भर करता है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में तेल विपणन कम्पनियों के सभी खुदरा बिक्री केन्द्रों पर

सी एन जी सुविधाएं प्रदान करना सम्भव नहीं है। तथापि, इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आई जी एल) ने दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से सी एन जी सुविधाएं प्रदान करने के लिए तेल विपणन कम्पनियों के साथ परामर्श से 50 खुदरा बिक्री केन्द्र निर्धारित किए हैं।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में स्थिरता

527. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के समय में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में जो उतार–चढ़ाव देखा गया है उनमें स्थिरता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या गत वर्ष के दौरान भारत के पेट्रोलियम उत्पादों के देशी उत्पादन में वृद्धि या कमी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो देश में पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य निर्धारण प्रणाली की समाप्ति पर अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में मूल्यों में उतार–चढ़ाव पेट्रोलियम उत्पादों के घरेलू उपभोक्ता मूल्यों में अवश्य प्रतिबिंबित होंगे। अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में उतार–चढ़ाव के असर को आंशिक रूप से नियन्त्रित करने के विचार से सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल प्रत्येक पर उत्पाद शुल्क दरों में 4 जून, 2002 से 2% की कमी की गई थी।

(ख) और (ग) पिछले वर्ष 2001–02 के दौरान देश की परिशोधन क्षमता 112.54 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़कर 116.07 मिलियन टन प्रति वर्ष हो गई है जिससे पेट्रोलियम उत्पादों के घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई है। पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से तेल कम्पनियां परिशोधन क्षमता में और वृद्धि करने के लिए परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रही हैं।

[हिन्दी]

लोक अदालतों का बहिष्कार

528. श्री चन्देश पटेल : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अधिवक्ता संघ और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा विभिन्न अदालतों के अधिवक्ताओं ने लोक अदालतों का बहिष्कार करने की अपील की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पहली जनवरी, 2002 से आज तक गुजरात, दिल्ली और देश के अन्य राज्यों में कितनी लोक अदालतें लगाई गईं;

(घ) इनमें कितने मामले दर्ज किए गए और कितने मामलों का निपटारा किया गया; और

(ङ) इस पर सरकार, जनता और प्रेस की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने सूचित किया है कि इसने राज्य विधिज्ञ परिषदों के माध्यम से देश के वकीलों से यह अपील की है कि वे विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2002 के अधीन लोक अदालतों का बहिष्कार करें। वकीलों से ऐसी अपील करने का कारण यह है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद् के अनुसार उक्त संशोधन अधिनियम, 2002 के उपबंध 'मुकदमा लड़ने वालों और वकीलों के विरोधी' हैं।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 1 जनवरी, 2002 तक देश भर में 19,557 लोक अदालतें आयोजित की गई हैं, जिनमें लगभग 8,49,861 मामले निपटाए गए हैं। जहां तक गुजरात का संबंध है, उसी अवधि के दौरान 164 लोक अदालतें आयोजित की गई हैं, जिनमें लगभग 21,543 मामले निपटाए गए हैं। जहां तक दिल्ली का संबंध है, उसी अवधि के दौरान 377 लोक अदालतें आयोजित की गई हैं, जिनमें 4,315 मामले निपटाए गए हैं। प्राधिकरण, फाइल किए गए मामलों की संख्या की बाबत आंकडे नहीं रख रहा है।

देशभक्ति की फिल्मों का निर्माण

529. श्री रामदास आठवले : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान देशभक्ति की फिल्मों के निर्माण में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष आज तक देश में **विशेषकर महाराष्ट्र में कितनी देशभक्ति की फिल्में** बनाई गईं और दूरदर्शन पर ऐसी कितनी फिल्में दिखाई गईं;

(घ) क्या सरकार का विचार देशभक्ति की फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन देने और मारधाड़ वाली फिल्मों के निर्माण पर रोक लगाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) फिल्म का निर्माण निजी क्षेत्र में होता है इसलिए इस मंत्रालय में देश में बनाई गई देशभक्ति की फिल्मों की संख्या के आकडे उपलब्ध नहीं हैं। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार देशभक्ति की फिल्मों के रूप में प्रमाणित फिल्मों का कोई श्रेणीकरण नहीं है लेकिन पिछले पांच वर्षों के दौरान ऐतिहासिक फिल्मों के रूप में प्रमाणित की गई फिल्में नीचे दी गई हैं–

1997	–	3
1998	–	शून्य
1999	–	3
2000	–	1
2001	–	5
2002	–	4 (आज की तारीख तक)

(ग) से (घ) इस मंत्रालय के अधीन फिल्म प्रभाग और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम अन्य प्रकार की फिल्मों सहित देशभक्ति की फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने एक देशभक्ति की फिल्म का निर्माण/सह–निर्माण किया है और एक फिल्म निर्माणाधीन है। तथापि, महाराष्ट्र में कोई फ़िल्म प्रसारित नहीं की गई है। निगम द्वारा देशभक्ति की फिल्मों के निर्माण की कम दर का कारण अच्छी पटकथा की कमी बताया जा रहा है।

फिल्म प्रभाग ने पिछले तीन वर्षों में देशभक्ति के विषयों पर 20 वृत्त–चित्र, फिल्में और 3 न्यूज मैगजीन तैयार की हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन पर प्रसारित फिल्मों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

दूरदर्शन केवल बाहर से जुटाई गई फिल्मों को प्रसारित करता है और यह खुद फिल्मों का निर्माण नहीं करता है।

विवरण

दूरदर्शन केन्द्रों में प्रसारित की गई फिल्म प्रभाग द्वारा निर्मित देशभक्ति की फिल्मों की सूची

क्र.सं.	फिल्म का नाम	प्रसारित करने वाला चैनल	प्रसारण की तारीख
1.	ए मेन ऑफ साइलेंस– सरदार वल्लभभाई पटेल	डीडी वर्ल्ड	31.10.2001
2.	नेता जी	(i) नेशनल नेटवर्क, दिल्ली	14.9.2000
		(ii) डी डी वर्ल्ड	21.10.2001
3.	शहादत	नेशनल नेटवर्क, दिल्ली	14.9.2002

[अनुवाद]

डेनमार्क द्वारा वित्त पोषित पुनःप्रयोज्य ऊर्जा परियोजनाएं

530. श्री वाई. वी. राव : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में डेनमार्क द्वारा वित्तपोषित

छह पुनःप्रयोज्य ऊर्जा परियोजनाओं को शुरू किए जाने की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) से (ग) नीदरलैंड सरकार द्वारा आरंभ किए गए सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन यूनिट प्रोग्राम टेंडर (सीईआरयूपीटी) के अंतर्गत भारत से छः अक्षय ऊर्जा परियोजना प्रस्तावों का चयन करके उन्हें सूचीबद्ध किया गया है, जैसा कि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

सीईआरयूपीटी टेंडर के अंतर्गत परियोजनाएं डच प्राधिकरण द्वारा अंतिम अनुमोदन के पश्चात् आरंभ की जाएंगी।

विवरण

सीईआरयूपीटी टेंडर के अंतर्गत सूचीबद्ध परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र.सं.	परियोजना	प्रमोटरों के नाम	राज्य
1.	7.5 मे.वा. बायोमास विद्युत	इंड–बरथ इनर्जी लि.	महाराष्ट्र
2.	3 × 7.5 मे.वा बायोमास विद्युत	कल्पतरु इनर्जी वेंचर प्रा.लि.	राजस्थान
3.	15 मे.वा. पवन बायोमास विद्युत	वेस्टास आरआरबी इंडिया लि.	तमिलनाडु
4.	14.45 मे.वा. पवन विद्युत	वेस्टास आरआरबी इंडिया लि.	तमिलनाडु
5.	15 मे.वा. पवन विद्युत	सुजलोन इनर्जी लि.	तमिलनाडु
6.	15 मे.वा. पवन विद्युत	इनरकोन (इंडिया) लि.	कर्नाटक

नागरिक और सैन्य जनसंपर्क सम्मेलन

531. श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद के एओसी केन्द्र पर नागरिक और सैन्य जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसमें दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस दिशा में क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) सेना मुख्यालय से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार आंध्र उप क्षेत्र मुख्यालय के तत्वावधान में 17 अक्टूबर, 2002 को हैदराबाद में एक सिविल मिलिटरी संपर्क सम्मेलन, 2002 आयोजित किया गया था जिसमें यह सुझाव दिया गया कि सेना और सिविल प्राधिकारियों के बीच अक्सर परस्पर विचार–विमर्श आयोजित किए जाने चाहिए।

बारूदी सुरंग फटने की घटनाएं

532. श्रीमती जयावहन बी. ठक्कर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में बारूदी सुरंग फटने की घटनाओं में कितने रक्षाकर्मियों और आम नागरिकों की जानें गईं;

(ख) ऐसी घटनाओं के लिए कौन–कौन से कारक जिम्मेदार हैं; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) 1 जनवरी, 2001 से 13 नवम्बर, 2002 की अवधि के दौरान देश के विभिन्न भागों में बारूदी सुरंगों के फटने के कारण मारे गए सेना कार्मिकों की संख्या निम्नवत् है–

अफसर	जूनियर कमीशनप्राप्त अफसर	अन्य रैंक	कुल
2	7	60	69

वर्ष 2002 के उत्तरार्द्ध के दौरान हताहतों की संख्या सेना मुख्यालयों द्वारा पुनः पुष्टि करने पर अलग–अलग हो सकती है।

सिविलियन हताहतों के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं।

(ख) इन दुर्घटनाओं का कारण मानवीय चूक, दोषपूर्ण बारूदी सुरंगों और फ्यूजों, माइनफील्डों में लावारिस पशुओं का घुसना तथा भू–भाग और जलवायु का प्रतिकूल/अत्यधिक प्रभाव है।

(ग) बारूदी सुरंग फटने की ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बारूदी सुरंगों तथा फ्यूजों के कड़े गुणता नियंत्रण, पुरानी पीढ़ी के भंडार को नष्ट करने तथा बदलने और बारूदी सुरंग बिछाने के कार्यों में लगे सैनिकों को बेहतर प्रशिक्षण मुहैया कराए जाने सहित एहतियाती कदम उठाए गए हैं।

आपदा प्रबंधन प्रणाली

533. श्री वी. वेंकटेश्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा के लिए एक पांच सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठिति की है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने रेलवे नेटवर्क के दुर्घटना प्रवण रेल खंडों की गहन जांच–पड़ताल करने और महाप्रबंधक स्तर पर सुधारात्मक उपायों का सुझाव देने हेतु दो बहु–अनुशासनिक जांच दल गठित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या समितियों ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो समिति द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न क्षेत्रीय रेलों पर निरीक्षणों के लिए हाल ही में दो बहु–आयामी संरक्षा दलों का गठन किया गया है जिसमें रेलवे बोर्ड के अधिकारी शामिल हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) इन दलों ने उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल तथा मध्य रेलवे के झांसी मंडल पर पहले ही निरीक्षण किया है। इन दलों ने रेलपथ, पुलों, स्टेशनों, यार्डों, रनिंग कक्ष, दुर्घटना राहत गाड़ियां/दुर्घटना राहत चिकित्सा उपस्कर, कर्मीदल, बुकिंग लॉबी, समपार इत्यादि कई मदों के आम अनुरक्षण से संबंधित निरीक्षण किया। निवारक कार्रवाई की जा रही है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुजरात में मताधिकार का उपयोग

534. श्री नवल किशोर राय :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात विधान सभा चुनाव में कितने मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं;

(ख) क्या वर्तमान विधान सभा चुनाव के लिए तैयार मतदाता सूचियों से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम गायब हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कोल बेड मिथेन गैस की खोज

535. श्री नरेश पुगलिया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोल बेड मिथेन गैस की खोज और उत्पादन के लिए कतिपय गैर–सरकारी और सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में कोल बेड मिथेन गैस की खोज और उत्पादन के लिए प्रत्येक कम्पनी को कौन–कौन से क्षेत्र आवंटित किए गए; और

(घ) इन कम्पनियों द्वारा कब तक परियोजना संबंधी कार्य को आरम्भ किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) कोल बेड मिथेन नीति (सी बी एम–1) के तहत ब्लाकों के पहले प्रस्ताव में सरकार ने 26.7.2002 को सी बी एम के अन्वेषण और उत्पादन के लिए देश में पांच ब्लाकों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी कम्पनियों के साथ उत्पादन हिस्सेदारी संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संबंध में ब्यौरा निम्नानुसार है–

क्र.सं.	ब्लाक का नाम	कोयला क्षेत्र	राज्य	कम्पनी
1.	आरजी (पूर्व)–सीबीएम–2001/1	रानीगंज	प. बंगाल	एस्सार आयल लिमिटेड
2.	बीके–सीबीएम–2001/1	बोकारो	झारखंड	ओएनजीसी–आईओसी*
3.	एनके–सीबीएम–2001/1	उत्तरी कर्णपुरा	झारखंड	ओएनजीसी–आईओसी*
4.	एसपी (पूर्व)–सीबीएम–2001/1	सोहागपुर	मध्य प्रदेश	रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.
5.	एसपी (पश्चिम)–सीबीएम–2001/1	सोहागपुर	मध्य प्रदेश	रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.

*ओ एन जी सी–आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड
आई ओ सी–इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड

(घ) पूर्वी और पश्चिमी सोहागपुर ब्लाकों में अन्वेषण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है। बाकी ब्लाकों अर्थात् बोकारो, उत्तर कर्णपुरा और पूर्वी रानीगंज में एवार्डी कम्पनियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पी ई एल) के जारी करने के बाद काम आरम्भ कर सकती हैं।

[हिन्दी]

विष्णुप्रयाग और श्रीनगर जल विद्युत परियोजना में नया समझौता

536. श्री भेरूलाल मीणा : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को उत्तरांचल की विष्णुप्रयाग और श्रीनगर जल विद्युत परियोजनाओं के संबध में किए जाने वाले नये समझौतों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश की 12 प्रतिशत मुफ्त विद्युत की मांग इस परियोजना के कार्यान्वयन की मुख्य अडचन बन चुकी है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस गतिरोध को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है, और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा विष्णुप्रयाग और श्रीनगर जल विद्युत स्कीमों को क्रियान्वयन हेतु निजी क्षेत्रों को सौंपा गया था। बाद में उत्तर प्रदेश राज्य के विघटन होने और उत्तरांचल नया राज्य बन जाने के बाद ये स्कीमें अब नए राज्य उत्तरांचल में आती हैं, यद्यपि इनसे उत्पादित विद्युत की आपूर्ति उत्तर प्रदेश को की जाएगी। इस संदर्भ में कुछेक करारों यथा क्रियान्वयन करार, विद्युत क्रय करार और एस्क्रो करार इत्यादि जो कि पहले ही परियोजना विकासकर्त्ताओं और यू.पी.एस.ई.बी. के बीच निष्पन्न है, उपयुक्त रूप से संशोधित किए जाने हैं।

(ग) से (ङ) उत्तरांचल सरकार की इन दोनों जल विद्युत उत्पादन स्कीमों से 12% निशुल्क विद्युत प्राप्त करने की मांग संबंधी मुद्दे पर चर्चा अन्य के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल की सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ 24 जून, 2002 को सचिव (विद्युत) द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में की गई थी। बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों द्वारा यह सूचित किया गया था कि विष्णुप्रयाग परियोजना के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार उत्तरांचल को 12% निःशुल्क विद्युत प्रदान करने के लिए तैयार हैं यदि उत्तर प्रदेश द्वारा इस विद्युत की निकासी किए जाने हेतु पारेषण नेटवर्क निर्मित करने की अनुमति मिल जाती है। बाद में उत्तरांचल सरकार इस मात्रा के लिए राजी हो गई। कथित बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि द्वारा यह भी सूचित किया गया था कि श्रीनगर परियोजना के लिए उन्होंने समान कार्रवाई करना प्रस्तावित किया है। उत्तरांचल सरकार ने हाल ही में सूचित किया है कि इन दोनों परियोजनाओं के क्रियान्वयन में यह (12% निशुल्क विद्युत) कोई बाधा नहीं है।

[अनुवाद]

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

537. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायपालिका में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने हेतु न तो विधि आयोग की सिफारिशों और न ही उच्चतम न्यायालय के अनुवर्ती मुख्य न्यायाधीशों के बार-बार के स्मरण पत्रों का कार्यपालिका पर कोई प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विधि आयोग की सि[illegible]रिशों को कार्यान्वित करने में विलंब के क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) और (ख) इस समय देश में प्रति दस लाख जनसंख्या पर 13.08 न्यायाधीश हैं। विधि आयोग ने "मैन पावर प्लानिंग इन ज्यूडिशरी; ए ब्लयू प्रिंट" पर जुलाई, 1987 में अपनी 120वीं रिपोर्ट में प्रति दस लाख जनसंख्या पर 50 न्यायाधीशों की पदसंख्या की सिफारिश की थी। उच्चतम न्यायालय ने आल इंडिया जजेज एशोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में अपने तारीख 21.3.2002 के निर्णय में यह संप्रेक्षन किया है कि "न्यायाधीशों की पदसंख्या में प्रति दस लाख जनसंख्या पर 50 न्यायाधीश तक की वृद्धि को, संघ के विधि मंत्रालय द्वारा अवधारित और निदेशित की जाने वाली चरणबद्ध रीति में रिक्तियों को भरकर प्रभावी और कार्यान्वित किया जाना चाहिए, किंतु आज से पांच वर्ष की अवधि के भीतर यह प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए और बढ़ी हुई रिक्तियों और पदों को भरा जाना चाहिए।"

उपर्युक्त प्रस्ताव में अधिक वित्तीय भार अंतर्वलित हैं। अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की पदसंख्या में वृद्धि करना राज्य सरकारों का प्रमुख उत्तरदायित्व है।

संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की पदसंख्या 26 है। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की पदसंख्या 647 है, जिसका प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार पुनर्विलोकन किया जाता है।

केंद्रीय सरकार ने, राज्य सरकारों के लिए अंतर्वलित अत्यधिक वित्तीय भारों और इस संबंध ने राज्य सरकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, इस विषय पर राज्य सरकारों से परामर्श करने और निर्णय के कार्यान्वयन में अंतर्वलित कठिनाइयों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के समक्ष आवश्यक निवेदन करने में समर्थ होने के लिए उच्चतम न्यायालय से समुचित समय विस्तार की याचना करते हुए आवेदन फाइल किए हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) का वितरण क्षेत्र में प्रवेश

538. श्री रामचन्द्र पासवान : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्युत वितरण क्षेत्र में कुल कितनी कम्पनियां कार्यरत हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) को विद्युत वितरण क्षेत्र में लाने की तैयारी की जा रही है;

(ग) क्या विद्युत वितरण क्षेत्र .मे विदेशी कम्पनिया भी आगे आ रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) विद्युत समवर्ती सूची का विषय है तथा वितरण राज्य सरकार का दायित्व है। उपलब्ध सूचना के अनुसार सरकारी क्षेत्र में विद्युत वितरण में 18 कम्पनियां और निजी क्षेत्र में 11 कम्पनियां लगी हुई हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) ने वितरण क्षेत्र में प्रवेश का निर्णय लिया है और इसके लिए पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंम्पनी अर्थात् एनटीपीसी इलेक्ट्रिक आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड बनाई गई है।

(ग) और (घ) यद्यपि कई विदेशी कम्पनियां वितरण क्षेत्र में रुचि दर्शा रही हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

I. सार्वजनिक वितरण कम्पनियां

आंध्र प्रदेश

1. सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी
2. इस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी
3. नॉर्थर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी
4. सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी

हरियाणा

5. दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लि.
6. उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लि.

राजस्थान

7. अजमेर विद्युत वितरण निगम लि.
8. जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.
9. जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.

उत्तर प्रदेश

10. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि.
11. केस्को

उत्तरांचल

12. उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि.

कर्नाटक

13. बेस्कॉम
14. मेस्कॉम
15. हेस्कॉम
16. जेस्कॉम

पश्चिमी बंगाल

17. दुर्गापुर प्रोजेक्ट लि.
18. दिसेरगढ़ पावर सप्लाई कम्पनी लि.

II. निजी वितरण कम्पनियां

गुजरात

1. अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी लि.
2. सूरत इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी लि.

महाराष्ट्र

3. बॉम्बे सब–अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि.

पश्चिमी बंगाल

4. कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि.

उत्तर प्रदेश

5. ग्रेटर नोएडा पावर कम्पनी

उड़ीसा

6. नेस्को

7. वेस्को

8. साउथको

दिल्ली

9. नॉर्थ दिल्ली पावर कम्पनी लि.

10. बीएसईएस यमुना पावर लि.

11. बीएसईएस राजधानी पावर लि.

[अनुवाद]

प्रसार भारती द्वारा अर्जित राजस्व

539. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रसार भारती की वार्षिक संचालन लागत कितनी है और इसकी राजस्व से होने वाली आय कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा प्रसार भारती की राजस्व आय में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं,

(ग) क्या डी.डी. स्पोर्ट्स को एक निःशुल्क चैनल बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसके पीछे क्या तर्क है; और

(ङ) सभी डी.डी. चैनलों के प्रसारण को केबल ऑपरेटर के माध्यम से सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि प्रसार भारती की संचालन लागत और 2001–02 के दौरान इसका अर्जित राजस्व क्रमशः 1050.83 करोड रुपए और 711.88 करोड़ रुपए है।

(ख) प्रसार भारती ने अपने राजस्व सृजन को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक सेवा प्रसारक के अधिदेश के अन्तर्गत कई कदम उठाए हैं। इस बारे में प्रसार भारती द्वारा अन्य बातों के साथ–साथ अपनाई गई नीति निम्न प्रकार से है -

(i) आधारभूत सुविधाओं का इष्टतम उपयोग,

(ii) बाजार तन्त्र में सुधार करना,

(iii) घरेलू कार्यक्रम बनाने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों से निधियां प्राप्त करने हेतु सतत प्रयत्न करना।

(ग) यह मामला न्यायधीन है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 निर्धारित करता है कि देश में सभी केबल प्रचालकों को प्राइम बैण्ड पर प्रसार भारती द्वारा यथा अधिसूचित 3 डी.डी. चैनलों का प्रसारण अवश्य करना चाहिए। प्रसार भारती अधिसूचित डी.डी. चैनलों के अनिवार्य प्रसारण के अनुपालन को कराने के लिए सतत रूप से प्रयास करता है। दूरदर्शन लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए एक जागरूकता अभियान चला रहा है। दूरदर्शन ने सूचित किया है कि केबल प्रचालकों द्वारा प्रसारित किए जाने वाले दूरदर्शन चैनलों की मॉनिटरिंग के लिए वे नियमित अन्तराल पर केबल प्रचालको मिल रहे हैं। सरकार ने मामले को राज्य सरकार के साथ भी उठाया है।

एन.ई.एल.पी. के अंतर्गत खोज हेतु नये ब्लाकों की पेशकश

540. श्री अम्बरीश : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार एन.ई.एल.पी. के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन भंडारों के 23 नये ब्लाकों की पेशकश करने का है;

(ख) यदि हां, तो खोज हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले इन ब्लाकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा खोज हेतु इन ब्लाकों का पहले सर्वेक्षण किया जा चुका है लेकिन बाद में उसने खोज का विचार त्याग दिया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) नए भंडारों की वृद्धि के लिए और अधिक निवेश आकर्षित करने तथा अन्वेषण प्रयास तेज करने हेतु सरकार ने नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन.ई.एल.पी.) प्रतिपादित की है जिसके तहत एक खुली वैश्विक बोली प्रणाली का अनुसरण करते हुए तेल एवं गैस के अन्वेषण के लिए बोलियां आमंत्रित की जाती हैं। एन.ई.एल.पी. के तहत ब्लाकों के तृतीय प्रस्ताव में 27 ब्लाक, जिनमें 11 जमीनी, 7 अपतटीय तथा 9 गहन जल ब्लाक सम्मिलित हैं, प्रस्तावित किए गए हैं। 28 अगस्त, 2002 की बोली समापन तारीख तक 23 ब्लाकों, जिनमें 8 जमीनी ब्लाक, 6 उथले जल अपतटीय तथा 9 गहन जल ब्लाक शामिल हैं, ने बोलियां आकर्षित की हैं। अन्वेषण क्रियाकलाप, जिनमें एन.ई.एल.पी. के माध्यम से ब्लाकों की पहचान तथा प्रस्तावित करना सम्मिलित है, एक सतत एवं जारी रहने वाली प्रक्रिया है।

(ग) और (घ) कुछ ब्लाकों, जिन्होंने एन.ई.एल.पी. के तृतीय प्रस्ताव के तहत बोलियां आकर्षित की हैं, की पहचान की गई है, और इन्हें हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डी.जी.एच.), आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) तथा आयल इंडिया लिमिटेड (ओ.आई.एल.) द्वारा किए गए अन्वेषण-पूर्व-सर्वेक्षणों के आधार पर प्रस्ताव हेतु सम्मिलित किया गया है।

तेल कम्पनियों को बांड जारी करना

541. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार डीजल और पेट्रोल की कीमतों को बनाए रखने के लिए हानि उठाने वाली भारतीय तेल कम्पनियों को मुआवजे के रूप में बांड जारी करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी परिस्थितियों के कारण सरकार ऐसे निर्णय पर विचार कर रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर कोई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आम नागरिक की कीमत पर राष्ट्रीय तेल कम्पनियों पर अनुचित कृपा करने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) 1 अप्रैल, 2002 पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था की समाप्ति के साथ पेट्रोल और डीजल का मूल्यनिर्धारण नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है। तेल कम्पनियां अब अंतरराष्ट्रीय तेल मूल्यों को ध्यान में रखते हुए इन उत्पादों के बिक्री मूल्य नियत कर रही हैं। तथापि, प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था प्रणाली से मुक्त बाजार परिदृश्य तक सुचारु संक्रमण सुकर बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों ने अप्रैल, और मई, 2002 के महीनों के दौरान पेट्रोल और डीजल के बिक्री मूल्यों में वृद्धि नहीं की हालांकि अंतरराष्ट्रीय तेल मूल्यों में वृद्धि हुई थी। इसके मद्देनजर कम वसूलियों के कारण तेल कम्पनियों की क्षतिपूर्ति करने की पद्धति को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

जनता के लिए सुरक्षा और गुणवत्ता सेवाएं कार्यान्वित करने हेतु कदम

542. डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एनएफआईआर) ने यात्रा करने वाली जनता को दी जाने वाली सुरक्षा और गुणवत्ता सेवाओं में सुधार करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन (एनएफआईआर) ने 19 अगस्त से 21 अगस्त, 2002 तक

विशाखापत्तनम में 23वां राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं, उपकरणों तथा सामग्रियों की खराब गुणवत्ता, खराब अनुरक्षण तथा संरक्षा कोटियों इत्यादि से संबंधित कर्मचारियों की असंतोषजनक कार्य दशाओं जैसे विभिन्न कारकों का पता लगाया गया एवं इन कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय सुझाए, ताकि संरक्षा तथा यात्री जनता को दी जाने वाली सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

(ग) भारतीय रेलवे में यात्रियों की संरक्षा पर सरकार द्वारा यथासंभव अधिकतम ध्यान दिया जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दृष्टिगत भारतीय रेलवे ने विशेष रेल संरक्षा निधि से पुलों के पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण का एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है। संरक्षा उपायों में पर्याप्त वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अनुरक्षण के दौरान नियमित अन्तराल पर धुरों जैसे महत्वपूर्ण कल पुर्जों का पराश्रव्य परीक्षण किया जा रहा है। सेवाओं की गुणवत्ता के संबंध में, रेल सेवाओं के 150वें वर्ष को रेल यात्रियों को समर्पित किया गया है तथा यात्री सुविधाएं वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। 16 अन्तर–नगरीय गाड़ी सेवाएं, जिन्हें जन शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी कहा जाता है, को विशेष डिजाइन के दूसरे दर्जों के कुर्सीयान स्थान सहित शुरू करने का प्रोग्राम है। नई गाड़ियों को शुरू करने के अलावा, रेल यात्रियों के हित में मौजूदा सेवाओं के फेरे बढ़ाने की भी योजना है।

[हिन्दी]

एफ.एम. न्यूज चैनल, पटना द्वारा कार्य आरंभ करना

543. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पटना रेडियो स्टेशन से एफ.एम. न्यूज चैनल आरंभ करने संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त चैनल द्वारा कब तक कार्य आरम्भ किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) आकाशवाणी ने सूचित किया है कि वर्तमान में पटना से एफ.एम. न्यूज चैनल शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कर्नाटक में 500 मेगावाट वाली ताप विद्युत परियोजना की स्थापना

544. श्री आर. एल. जालप्पा : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार का राज्य में 500 मेगावाट वाले ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव अन्य राज्यों में भी 500 मेगावाट वाले ताप विद्युत स्टेशन स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार के उपक्रम कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि. ने कर्नाटक में बेलारी जिले में दो चरणों में 1000 मेगावाट (2 × 500 मेगावाट) क्षमता का कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना गठित करने का प्रस्ताव किया है। विद्युत मंत्रालय ने फरवरी, 2002 में इस परियोजना में प्रयोग हेतु वरियतः वेस्टन कोलफील्ड लि. से कोयले के आवंटन हेतु कोयला मंत्रालय से सिफारिश की है।

(ग) और (घ) 500 मेगावाट क्षमता वाले उन ताप विद्युत परियोजनाओ के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं जिनकी योजना बनाई गई है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना/राज्य	क्षमता (मेगावाट)
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी)		
1.	रिहन्द सुपर पावर प्रोजेक्ट (एसटीपीपी)	2x500
2.	रामागुडम सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण–IV आंध्र प्रदेश	1x500
3.	तालचेर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (टीपीपी) चरण–IV उड़ीसा	4x500
4.	विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन–IV मध्य प्रदेश	2x500
उत्तरी-पूर्वी इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनईईपीसीओ)		
5.	मानारचक कंबाइंड साइकल पावर प्रोजेक्ट (सीसीपीपी)/त्रिपुरा	500
दामोदर घोटी कारपोरेशन (डीवीसी)		
6.	चन्द्रपुर थर्मल पावर स्टेशन यूनिटें 7 और 8 झारखंड	2x250
7.	मैथन राइट बैंक थर्मल पावर स्टेशन (डीवीसी/बीएएसईएस जाइंट वेंचर)	4x250
8.	मेजिया थर्मल पावर स्टेशन यूनिटें–5 और 6	2x250
नेवली लिग्नाइट कारपोरेशन (एनएलसी)		
9.	नेवली थर्मल पावर स्टेशन–II एक्सटेंशन/तमिलनाडु	2x250
स्टेट सेक्टर प्रोजेक्ट		
10.	ताऊ देवीलाल (पानीपत) थर्मल पावर स्टेशन यूनिटें–7 और 8/हरियाणा	2x250
11.	गुरु हरगोविंद थर्मल पावर स्टेशन–II/पंजाब	2x250
12.	यमुनानगर थर्मल पावर स्टेशन/हरियाणा	2x250
13.	अनपरा सी थर्मल पावर स्टेशन/उत्तर प्रदेश	2x250
14.	बीरसिंहपुर थर्मल पावर स्टेशन एक्सटेंशन/मध्य प्रदेश	1x500
	कुल	10,500

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

545. श्री सईदुज्जमा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के लिए देश में पेट्रोलियम और अन्य निर्मित उत्पादों की लागत की तुलना मे इनका आयातित मूल्य (उतरने तक का मूल्य), मदवार क्या था;

(ख) सभी करों सहित देश में इन उत्पादों का विक्रय मूल्य कितना था;

(ग) इन सभी उत्पादों, आयातित और स्वदेशी उत्पादों की सम्भलाई पर किए गए अन्य खर्चे क्या थे और इससे प्रतिवर्ष कितना घाटा अथवा लाभ हुआ;

(घ) क्या सरकार का विचार घरेलू और औद्योगिक उद्देश्य दोनों के लिए एल.पी.जी संबंधी अपनी आयात नीतियों की समीक्षा करने और इनके स्थान पर अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात की लागत प्रेषण दर प्रेषण अलग होती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल और प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों के आयात बिल का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है। सभी उत्पाद रिफाइनरी में एक साथ उत्पादित किए जाते हैं, इसलिए अलग–अलग उत्पाद की उत्पादन लागत का अलग से निर्धारण नहीं किया जा सकता। अंतिम बिक्री से पहले किसी उत्पाद के रिफाइनरी द्वारा मूल्य में जोड़े जाने वाले घटकों में भाडा, विपणन लागत, शुल्क, कर, डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का कमीशन आदि सम्मिलित होते हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख मूल्य संशोधनों की तारीखों पर दिल्ली में पेट्रोल, डीजल, घरेलू एल.पी.जी और सा.वि.प्र. के मिट्टी तेल के खुदरा बिक्री मूल्य संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

तेल विपणन कम्पनियों ने पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष लाभ कमाया है। 1999–2000 से 2001–02 की अवधि के दौरान इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा कमाया गया कर पश्चात लाभ निम्नानुसार रहा है–

(करोड़ रुपए)

	1999–2000	2000–01	2001–02
कर पश्चात् लाभ	2443	2720	2885

(घ) और (ङ) देश में एल.पी.जी की कमी है और यह इस उत्पाद का आयात कर रहा है। जहां तक ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने का संबंध है सरकार देश के लोगों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौर, पवन, छोटे हाइड्रो और बायोमास जैसे अपारम्परिक संसाधनों का दोहन करने के लिए विविध प्रकार के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल और प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों के लिए आयात बिल दर्शाने वाला ब्यौरा

	ईकाई	1999–2000	2000–01	2001–02 (अनंतिम)
कच्चा तेल				
–मात्रा	ह.मी.ट.	57805	74097	78706
–मूल्य	करोड़ रुपए	40028	65932	60397
–दर	रुपए/मी.ट.	6925	8898	7674
एल.पी.जी				
–मात्रा	ह.मी.ट.	1587	853	659
–मूल्य	करोड़ रुपए	1801	1332	810
–दर	रुपए/मी.ट.	11348	15615	12291
एस.के.ओ.				
–मात्रा	हजार मी.ट.	6312	1918	391
–मूल्य	करोड रुपए	5543	2386	388
–दर	रुपए/मी.ट.	8782	12440	9923
डीजल				
–मात्रा	हजार मी.ट.	5006	0	0
–मूल्य	करोड रुपए	3713	0	0
–दर	रुपए/मी.ट.	7417	0	0

विवरण-II

दिल्ली में खुदरा बिक्री मूल्य में प्रमुख संशोधन दर्शाने वाला ब्यौरा

(रु./ली./सीवाई)

	पेट्रोल	डीजल	एल.पी.जी.	मिट्टी तेल
1	2	3	4	5
1.1.1999 को निम्न तारीख से	23.94	9.87	136.00	2.56
9.1.99		8.89		
1.2.99			152.00	
28.2.99	23.80	9.94	146.00	
20.4.99		10.37		
6.10.99		13.91		
15.1 00!	25.94	14.04		
23.3.2000			196.55	5.55
3.4.2000*	26.07			
30.9.2000	28.44	16.55	232.25	8.35
3.11.2000**	28.75			
22.11.2000			222.25	7.35
3.3.01>		17.06		
12.1.02	27.54	17.09		
1.3.02	26.54	16.59	259.95	8.92
17.3.02			240.45	
4.6.02	28.94	17.99		
16.6.02	29.18	18.23		
16.8.02	29.00	18.05		
1.9.02	29.20	18.34		
16.9.02	29.66	18.68		
1.10.02	29.91	18.91		
17.10.02	30.24	19.23		
16.11.02	29.57	18.57		

1 अप्रैल, 2002 के बाद पेट्रोल और डीजल के मूल्य तेल विपणन कम्पनियों द्वारा नियत किए जा रहे हैं।

!बिक्री कर संशोधन।

*0.05% सल्फरयुक्त पेट्रोल की शुरूआत की गई।

**0.05% सल्फर और 1% बेंजीन युक्त पेट्रोल की शुरूआत की गई।

>राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 0.05% सल्फरयुक्त डीजल की शुरूआत की गई।

एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में यात्रा हेतु सीटों का आरक्षण

546. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शताब्दी और अन्य रेलगाड़ियों में ए.सी. चेयर कारों और एग्जिक्यूटिव श्रेणियों को छोड़कर एक्सप्रेस और अन्य रेलगाड़ियों में रेल यात्रा के लिए बैठने का स्थान आरक्षित नहीं किया जाता जबकि विभिन्न श्रेणियों में यात्रियों के लिए शयनयान और अन्य यानों को आरक्षित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो यात्रियों की सुविधा हेतु विभिन्न रेलगाड़ियों में यानों से अलग सीट आरक्षित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेल यात्रियों के विभिन्न वर्गों के लिए बैठने के स्थान के आरक्षण के प्रश्न पर विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) गाड़ियों में मुहैया कराए जाने वाले आरक्षित स्थान की उपलब्धता की जाने वाली यात्रा की अवधि पर

निर्भर करती है। दिन के समय यात्रा करने वाली गाड़ियों में द्वितीय श्रेणी तथा कुर्सीयान सवारी डिब्बों में बैठने के स्थान के आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां, जो कि लंबी दूरी की होती हैं और जिनमें रात्रि की यात्रा शामिल होती है, में यात्रियों की आवश्यकता पूरी करने हेतु ज्यादातर सोने के लिए स्थान मुहैया कराया जाता है। चूंकि लंबी दूरी की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में रात्रि की यात्रा शामिल होती है और बैठने के आरक्षण की व्यवस्था करने से यात्रियों को असुविधा होती है, इसलिए आमतौर पर इन गाड़ियों में बैठने के लिए आरक्षण मुहैया नहीं कराया जाता है।

मुंबई में सी.एन.जी. की मांग

547. श्री किरीट सोमैया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुंबई में पर्याप्त सी.एन.जी. उपलब्ध कराने हेतु कोई कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महानगर गैस लिमिटेड स्टेशनों को पर्याप्त सी.एन.जी. उपलब्ध कराने में असमर्थ है;

(घ) क्या टैक्सी अथवा आटोरिक्शा चालकों को पंक्ति में प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ङ) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या उच्च न्यायालय ने इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ब्रिटिश गैस और महाराष्ट्र सरकार की एक संयुक्त उद्यम कम्पनी महानगर गैस लिमिटेड (एम.जी.एल.) का निगमन मुंबई में सी.एन.जी. की आपूर्ति करने के लिए किया गया है। फिलहाल एम.जी.एल. की संपीड़न क्षमता 3,18,000 कि.ग्रा. प्रतिदिन है और इसके 37 खुदरा बिक्री केन्द्र और 144 वितरण बिन्दु हैं। एम.जी.एल. लगभग 53,000 वाहनों की सी.एन.जी. की जरूरत पूरी कर रही है। सी.एन.जी. की औसत बिक्री 2,25,000 कि.ग्रा. प्रतिदिन से अधिक है। मुंबई में सी.एन.जी. की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए एम.जी.एल. की योजना जून, 2003 तक संपीड़न क्षमता 6,00,000 कि.ग्रा. प्रतिदिन तक, सी.एन.जी. केन्द्रों की संख्या 63 तक और वितरण बिन्दुओं की संख्या 270 तक बढ़ाने की है।

अति व्यस्त घंटों के दौरान वाहनों को कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ती है जो मुख्यतया स्थान की कमी और कभी-कभी गैस के दबाव में कमी के कारण है। संपीड़न क्षमता और सी.एन.जी. केन्द्रों की संख्या में वृद्धि होने से प्रतीक्षा समय कम हो जाएगा।

(च) और (छ) जी, हां। मुंबई उच्च न्यायालय ने विभिन्न प्रकार के वाहनों की चलनावधि और किस्म के आधार पर उन्हें बंद करने/स्वच्छ ईंधन अर्थात् सी.एन.जी./एल.पी.जी. से चलने वाले वाहनों में परिवर्तित करने के लिए मार्च, 2002 से जनवरी, 2004 तक की समय-सीमा निर्धारित की है।

[हिन्दी]

विज्ञापनों पर खर्च की गई धनराशि

548. प्रो. रासासिंह रावत : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में खर्च की गई धनराशि में इतने अधिक अन्तर के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा मझौले और छोटे समाचार-पत्रों के उत्थान के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) विज्ञापन देते समय भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा भाषावार विज्ञापनों पर खर्च

की गई राशि का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण–I और II में दिया गया है।

(ख) ग्राहक विभागों द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार सरकारी विज्ञापनों को जारी करने के लिए अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार–पत्रों का चयन किया जाता है। क्योंकि विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के पैनल में शामिल समाचार–पत्रों की दरें उनके प्रसार–आंकडों के आधार पर तय की जाती है इसलिए अंग्रेजी और हिन्दी के समाचार–पत्रों की दरें उनके प्रसार आंकडे अधिक होने के कारण ज्यादा होती हैं।

(ग) और (घ) विज्ञापन नीति के अनुसार, सरकारी विज्ञापना का अभिप्राय समाचार–पत्रों को वित्तीय सहायता देना नहीं है। सामाजिक, आर्थिक विषयों से संबंधित विज्ञापनों का प्रदर्शन करने के लिए विज्ञापन अभियानों को शुरू करते समय छोटे और मंझौले समाचार–पत्रों को वरीयता दी जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि छोटे और मंझौले समाचार–पत्रों को वर्ष में कम से कम 9 विज्ञापन जारी किए जाएं।

विवरण-I

वर्ष 2000–2001 के दौरान राशि के रूप में विभिन्न समाचार–पत्रों और पत्रिकाओं को दिए गए विज्ञापनों की भाषावार कुल भागीदारी को दर्शाने वाला ब्यौरा

क्र.सं.	भाषा	राशि रुपयों में
1	2	3
1	अंग्रेजी	349104175
2.	हिन्दी	207136419
3.	उर्दू	19547760
4.	पंजाबी	11191343
5.	मराठी	29311752
6.	गुजराती	27521667
7.	सिंधी	824761
8.	असमी	2285241
9.	बंगाली	33131796
10.	उड़िया	9635101
11.	तमिल	13661079
12.	तेलुगु	7224846
13.	मलयालम	17259402
14.	कन्नड	11960353
15.	संस्कृत	7105
16.	नेपाली	242710
17.	मिजो	495656
18.	खासी	55888
19.	कोणकनी	5178
20.	मणिपुरी	3066
	कुल	738805298

विवरण-II

वर्ष 2001–2002 के दौरान राशि के रूप में विभिन्न समाचार–पत्रों और पत्रिकाओं को दिए गए विज्ञापनों की भाषावार कुल भागीदारी को दर्शाने वाला ब्यौरा

क्र.सं.	भाषा	राशि रुपयों में
1	2	3
1.	अंग्रेजी	448597844
2.	हिन्दी	238936376
3.	उर्दू	17852923
4.	पंजाबी	11628998
5.	मराठी	31994013
6.	गुजराती	28774349

1	2	3
7.	सिंधी	880288
8.	असमी	2998489
9.	बंगाली	36312899
10.	उड़िया	11813068
11.	तमिल	14304425
12.	तेलुगु	8292852
13.	मलयालम	22515101
14.	कन्नड़	10390164
15.	संस्कृत	11529
16.	नेपाली	201601
17.	मिजो	529314
18.	खासी	29351
19.	कोणकनी	3451
20.	मणिपुरी	189341
	कुल	886256376

[अनुवाद]

चुनाव सुधारों के लिए सिफारिशें

549. श्रीमती प्रभा राव : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा नियुक्त विभिन्न समितियों द्वारा चुनाव सुधारों हेतु सरकार को दिए गए सुझाव वाली सिफारिशें क्या हैं और अन्य मंचों पर क्या सिफारिशें की गई हैं तथा निर्वाचन आयोग और उच्चतम न्यायालय में कार्यान्वयन होना शेष है; और

(ख) सरकार द्वारा इन्हें कब तक कार्यान्वित किए जाने का विचार है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) और (ख) सरकार ने अनेक समितियों और आयोगों की सिफारिशों को प्रभावी करने के लिए हाल ही में अनेक विधेयक पुरःस्थापित किए हैं। इनमें निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 1999, लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2001 और निर्वाचन तथा अन्य संबद्ध विधियां (संशोधन) विधेयक, 2002 सम्मिलित हैं, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं, अर्थात्, क्रमशः सशस्त्र सेना बलों के कार्मिकों के लिए (भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अनुसार) परोक्षी मतदान की सुविधा, राज्य सभा के निर्वाचनों की बाबत खुली मतदान पद्धति (संसद की आचार समिति द्वारा सिफारिश किए गए अनुसार) और राजनीतिक दलों को निर्वाचनों के वित्तपोषण के साधन उपलब्ध कराना (दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति, भारत के विधि आयोग, भारत निर्वाचन आयोग और राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण पुनर्विलोकन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अनुसार)। सरकार का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2002 पुरःस्थापित करने का भी आशय है, जो राजनीति के अपराधीकरण के कतिपय पहलुओं पर तारीख 8.7.2002 और तारीख 2.8.2002 को हुई सर्वदलीय बैठकों में बने मतैक्य को कार्यान्वित करने के लिए है। पश्चात्वर्ती, 2001 की सिविल अपील संख्या 7178 में उच्चतम न्यायालय द्वारा तारीख 2.5.2002 को भारत निर्वाचन आयोग को दिए गए निर्देशों में व्यक्त कुछ चिंताओं को ध्यान में रखेगा। लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2002 को भी वर्तमान सत्र में पुरःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है, जो (भारत निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, आदि द्वारा सिफारिश किए गए अनुसार) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), (2) और (3) को सुव्यवस्थित करने के लिए है।

निर्वाचन विधियों के सुधार की प्रक्रिया निरंतर और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है तथा इसे राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाकर ही क्रियान्वित किया जा सकता है, जिसमें समय लगता है। अतः इस संबंध में कोई समय–सीमा नहीं बताई जा सकती।

[हिन्दी]

बारबिल रेलवे स्टेशन को टर्मिनल में परिवर्तित किया जाना

550. श्री लक्ष्मण गिलुवा : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार झारखंड के बारबिल रेलवे स्टेशन को रेल टर्मिनल में परिवर्तित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना पर कब तक कार्य आरंभ होने और पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

लखीमपुर में सड़क उपरिपुल का निर्माण

551. श्री एम. के. सुब्बा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लखीमपुर शहर को हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए एक सड़क उपरिपुल का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की लागत कितनी है;

(ग) क्या इसके लिए पहले ही सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त परियोजना पर कब तक कार्य पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं। राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विरार और दहानू रोड स्टेशन के बीच स्वचालित सिग्नलिंग

552. श्री चिंतामन वनगा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विरार और दहानू रोड स्टेशन के बीच स्वचालित सिग्नलिंग के कार्य को पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार मुंबई उपनगर सेवा का विस्तार दहानू रोड तक करने जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसका विस्तार कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) कार्य अप्रैल, 2002 माह के दौरान पूरा कर लिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) यह स्वीकृत चालू परियोजना है तथा वर्ष दर वर्ष आधार पर, संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति की जा रही है।

जोलारपेट्टै से होसूर के बीच नई लाइन

553. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास कृष्णागिरी होते हुए जोलारपेट्टै और होसूर के बीच नई रेल लाइन की मांग काफी समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन क्षेत्रों के संसद सदस्य गत एक वर्ष के दौरान समय-समय पर इस मांग को उठाते रहे हैं;

(ग) यदि हां तो क्या सरकार ने वर्ष 2000 के दौरान उक्त लाइन के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार चालू पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस लाइन पर कार्य आरंभ करने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (छ) मांग के आधार पर, कृष्णागिरी के रास्ते जोलारपेट्टै से होसूर तक नई लाइन के लिए सर्वेक्षण 2000–2001 में पूरा हो गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, इस 104 किमी. लंबी लाइन के निर्माण की लागत ऋणात्मक प्रतिफल की दर सहित 226 करोड़ रु. आकलित की गई है। प्रस्ताव की अलाभप्रद प्रकृति तथा चालू परियोजनाओं के भारी थ्रोफारवर्ड को देखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

554. श्री रामजी मांझी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996–97 से 2000–01 की अवधि के दौरान नौ जोनल रेलवे के 66977 कर्मचारियों में से केवल 41901 कर्मचारियों ने ही प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया;

(ख) यदि हां, तो सभी कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा न लेने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन का उद्देश्य क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उच्च न्यायालयों को उच्चतम न्यायालय के निर्देश

555. श्री अमर राय प्रधान : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को मामलों के निपटान के समय आपराधिक मामलों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो उच्च न्यायालयों द्वारा निर्देश का पालन किया जा रहा है;

(ग) 31.3.2002 की तिथि के अनुसार देश में उच्च न्यायालयों के समक्ष ऐसे कितने मामले लंबित हैं; और

(घ) इन मामलों के कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार एक विवरण संलग्न है।

(घ) यह उच्च न्यायालयों के अनन्य अधिकार–क्षेत्र के भीतर है। तथापि, सरकार और न्यायपालिका, दोनों ही उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों सहित न्यायालयों में लंबित मामलों के प्रति चिंतित हैं। उच्च न्यायालयों से यह अनुरोध किया गया है कि वे प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए मलिमथ समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करें जिससे कि, अन्य बातों के साथ–साथ, लंबित मामलों के निपटारे में शीघ्रता आएगी। इनमें से अधिकांश सिफारिशों को विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा कार्यान्वित कर दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	लंबित दांडिक मामले	निम्नलिखित तारीख को
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद	149587	31.3.2002
2.	आंध्र प्रदेश	10863	31.3.2002
3.	बंबई	27936	30.9.2002
4.	कलकत्ता	36433	31.3.2002
5.	दिल्ली	17718	31.12.2001
6.	गुवाहाटी	5629	31.12.2001
7.	गुजरात	19526	31.12.2001

1	2	3	4
8.	हिमाचल प्रदेश	4037	31.3.2002
9.	जम्मू–कश्मीर	1740	31.3.2002
10.	कर्नाटक	7417	31.3.2002
11.	केरल	17107	31.3.2002
12.	मध्य प्रदेश	46121	31.3.2002
13.	मद्रास	33258	31.12.2001
14.	उडीसा	10598	31.3.2002
15.	पटना	17297	31.3.2002
16.	पंजाब और हरियाणा	44487	31.3.2002
17.	राजस्थान	27718	31.12.2001
18.	सिक्किम	20	31.3.2002
19.	उत्तरांचल	5201	31.8.2002
20.	झारखंड	उपलब्ध नहीं	
21.	छत्तीसगढ	उपलब्ध नहीं	
	कुल	482693	

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन

556. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश में अपने संसाधनों से ताप विद्युत और जल विद्युत संयंत्रों की स्थापना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश की जरूरत के अनुरूप उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से विद्युत आपूर्ति हेतु कोई तंत्र विकसित करने का है; और

(घ) मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढाने के लिए और कौन से उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश राज्य में 10वीं योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र में निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं (ताप विद्युत और जल विद्युत) को चालू करने की योजना बनाई गई है–

(i) विंध्याचल (ताप विद्युत), केन्द्रीय क्षेत्र	1000 मे.वा. (10वीं योजना के लिए 500 मे.वा. लक्षित)
(ii) इंदिरा सागर (जल विद्युत), संयुक्त उद्यम	1000 मे.वा.
(iii) ओंकारेश्वर (जल विद्युत), संयुक्त उद्यम	520 मे.वा.

संयुक्त उद्यम परियोजनाओं का क्रियान्वयन नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कारपोरेशन लि. और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश को पूर्वी क्षेत्र में एन.टी.पी.सी. स्टेशनों के आवंटित कोटे से 339 मे.वा. विद्युत आवंटित की गई है। अक्टूबर, 2002 में उत्तरी क्षेत्रीय ग्रिड के जरिए पूर्वी क्षेत्र में स्थित एन.टी.पी.सी. स्टेशनों के आवंटित कोटे से और 50 मे.वा. विद्युत आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय क्षेत्र में छत्तीसगढ के हिस्से की 90 मे.वा. विद्युत अस्थाई तौर पर मध्य प्रदेश को आवंटित की गई है।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ दोनों पश्चिमी क्षेत्र में हैं और मध्य प्रदेश द्विपक्षीय विद्युत क्रय करार के अंतर्गत छत्तीसगढ से विद्युत प्राप्त कर सकता है। पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन ने भी द्विपक्षीय समझौतों के अंतर्गत विद्युत बिक्री का प्रस्ताव किया है।

पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के बीच 400 के.वी. रायपुर–राउरकेला डबल सर्किट पारेषण लाइन को पूरा किया जा रहा है जिससे पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र को 1000 मे.वा. विद्युत का अंतरण किया जा सकेगा। इस लाइन के पूरा हो जाने के पश्चात् मध्य प्रदेश पूर्वी और उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों से अतिरिक्त सहायता प्राप्त कर सकता है।

इसके अतिरिक्त मांग पक्ष प्रबंधन, टी एण्ड डी हानियों में कमी, ऊर्जा संरक्षण, पुराने और अदक्ष संयंत्रों का नवीकरण व आधुनिकीकरण तथा जीवन विस्तार, अधिशेष विद्युत वाले क्षेत्रों/राज्यों से कमी वाले क्षेत्रों/राज्यों को विद्युत का अंतर-क्षेत्रीय अंतरण को बढ़ाने, निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्र चालू करने इत्यादि जैसे उपाय करके विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

ओ.एन.जी.सी. द्वारा तेल शोधक कारखानों में निवेश

557. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) ओ.एन.जी.सी. द्वारा विभिन्न तेल शोधक परियोजनाओं में किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ओ.एन.जी.सी. की योजना अपने तेल के उपयोग हेतु तेल शोधक कारखानों के अधिग्रहण की है;

(ग) यदि हां, तो देश में तेल शोधक कारखानों की खरीद या नए कारखानों के निर्माण की योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस परियोजना के संबंध में कोई वित्तीय अध्ययन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तेल शोधक कारखानों की खरीद या निर्माण की आर्थिक संभाव्यता संबंधी निष्कर्ष और उनकी लाभप्रदत्ता का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओ. एन.जी.सी.) ने तातीपाका, आंध्र प्रदेश में अपनी लघु रिफाइनरी कायम करने के संबंध में लगभग 29 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

(ख) से (ङ) ओ.एन.जी.सी. ने मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एम.आर.पी.एल.) के अंतर्गत 37.38 प्रतिशत इक्विटी प्राप्त करने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। ओ.एन.जी.सी. का यह प्रस्ताव जांच के तहत है तथा अभी तक सरकार द्वारा इसके विषय में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

आंध्र प्रदेश में आई.ओ.सी.एल. के पेट्रोल पंप

558. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में आई.ओ.सी.एल. के नये पेट्रोल पंपों की संख्या कितनी है और वे किन स्थानों पर चल रहे हैं;

(ख) वर्ष 2002 के दौरान और आज की तिथि तक चालू किए गए ऐसे पंपों को जिलेवार किन-किन स्थानों पर लगाया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश में आगामी भविष्य में पेट्रोल पंपों की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) इंडियन आयल कारपोरेशन लि. (आई. ओ.सी.) ने पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में विभिन्न स्थानों पर 91 नए खुदरा बिक्री केन्द्र चालू किए हैं।

आई.ओ.सी. ने अप्रैल-अक्टूबर, 2002 के दौरान हैदराबाद, वारंगल, खम्माम, अनंतपुर, पूर्वी गोदावरी, गुंटूर, चित्तूर और नालगोंडा प्रत्येक जिले में एक-एक करके 8 खुदरा बिक्री केन्द्र चालू किए हैं।

ऐसे खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों की संख्या बता पाना कठिन है जिन्हें वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात् 2002-2003 के दौरान चालू किया जाएगा क्योंकि यह भूमि की प्राप्ति, स्थलों की उपलब्धता, एन.ओ.सीज. आदि पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

लाभकारी सरकारी उपक्रम

559. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी 50 कम्पनियों ने कितने प्रतिशत लाभ कमाया;

(ख) क्या इन कम्पनियों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने से बेहतर लाभ मिला है या बेहतर लाभ मिलने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) वर्ष 1998–99, 1999–2000 और 2000–2001 की नवीनतम अवधि के लिए सूचना उपलब्ध है, जिसके अनुसार लाभार्जनकारी केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कुल लाभ के प्रतिशत के रूप में शीर्ष 50 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (सी.पी.एस.ई.) का अर्जित लाभ निम्नवत है–

(करोड़ रुपए)

वर्ष	लाभार्जनकारी केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों का कुल लाभ	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 50 शीर्ष उपक्रमों का लाभ	प्रतिशत
1998–99	22508	22026	97.86
1999–00	24633	24065	97.69
2000–01	28492	28046	98.43

(ख) और (ग) जब तक सरकार अधिकतम शेयर अपने पास रखती है, तब तक कुछ उपायों के रूप में संसद और मंत्रालय का नियंत्रण बना रहेगा। तथापि, सरकार ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को निम्नलिखित तरीकों से अधिकाधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं, ताकि वे वाणिज्यिक निर्णय ले सकें–

(i) निवेश संबंधी निर्णय करने के लिए नवरत्न/मिनीरत्न श्रेणी के अंतर्गत आने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को अधिकाधिक वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना।

(ii) सरकारी उद्यमों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना।

(iii) लोक उद्यम विभाग के अनेक दिशानिर्देशों को रद्द करना।

दलालों का रैकेट

560. श्री कैलाश मेघवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 30 सितंबर, 2002 को हिन्दी दैनिक 'दैनिक जागरण' में 'रेलवे पर हावी दलाल' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की जानकारी है, जिसमें खबर थी कि दलालों का रैकेट न केवल आरक्षण काउंटरों बल्कि पार्सल बुकिंग और सुपुर्दगी केन्द्रों में भी सक्रिय है;

(ख) क्या ये दलाल इतने हावी हैं कि आम आदमी सामान्य टिकट काउंटरों पर घंटों लाइन में खड़े होकर भी टिकट नहीं खरीद पाता और ट्रेन छूटने के डर से इन दलालों से अधिक मूल्य पर टिकट खरीदने को बाध्य होता है;

(ग) क्या इस समस्या के कारण ट्रकों द्वारा माल ढुलाई की तुलना में रेलवे की माल ढुलाई और पार्सल दर कम होने के बावजूद रेलवे का माल ढुलाई में हिस्सा दिन पर दिन कम हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सांकेतिक छापा मारने की बजाय व्यापक कार्रवाई करने की कोई कार्य योजना तैयार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) रेलें, विभिन्न स्थानों पर नियमित और अचानक जांच करने के अलावा, मौजूदा गाडियों का चालन क्षेत्र बढ़ाकर, नई गाडियों की शुरूआत करके, और व्यस्त अवधि के दौरान विशेष गाडियां चलाकर मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर को पाटने के लिए प्रौद्योगिकी का उन्नयन तथा क्षमता में सुधार करने के निरंतर कदम उठा रही हैं। इंटरनेट पर आरक्षण की शुरूआत करने के अलावा, सतत आधार पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा को बढ़ाकर टिकट खरीदने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। दिल्ली क्षेत्र में अनारक्षित टिकट प्रणाली कार्यान्वित कर दी गई है

जहां से 30 दिन पूर्व अनारक्षित टिकटें खरीदी जा सकती हैं।

अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण

561. श्री जय प्रकाश : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकारी नौकरियों में प्रवेश करने वाले लोगों की व्यापक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने उन्हें अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण देने का फैसला किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) सरकारी नौकरियों में आने वाले व्यक्तियों को अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण देने संबंधी किसी प्रस्ताव पर इस समय कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

[अनुवाद]

तेल कम्पनियों द्वारा रसोई गैस न उठाना

562. श्री महबूब जाहेदी

श्री जी. एस. बसवराज :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मुख्य आपूर्ति प्राप्त कर्त्ताओं द्वारा रसोई गैस न उठाए जाने के कारण ओ.एन.जी.सी. को 15,000 टन रसोई गैस का नुकसान हुआ;

(ख) क्या वर्ष 1999 से आज की तिथि तक उत्पादन में कटौती के कारण यह कम्पनी भारी राजस्व घाटा उठा रही है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या ओ.एन.जी.सी. द्वारा ऊरान और हजीरा में अधिक रसोई गैस भंडार जमा करने से इन संयंत्रों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो भंडार क्षमता से अधिक रसोई गैस के भंडारण से उत्पन्न भारी खतरे को टालने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) वर्तमान में आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) के द्वारा उत्पादित एल. पी.जी. का विपणन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों (ओ.एम.सीज.) के माध्यम से किया जा रहा है तथा विगत तीन वर्षों के दौरान ओ.एम. सीज. द्वारा एल.पी.जी. का उठान ओ.एन.जी.सी. द्वारा उत्पादन के अनुमानित आंकड़ों और वास्तविक उत्पादन के अनुरूप थी।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। एल.पी.जी. इन्वेंट्री तैयार करने की अनुमति केवल सुरक्षित भंडार सीमाओं तक के लिए दी जाती है।

ओ.एन.जी.सी. और गेल द्वारा रसोई गैस का विपणन

563. श्री बसुदेव आचार्य :

श्री जी. एस. बसवराज :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओ.एन.जी.सी. और गेल ने वर्तमान विक्रय केन्द्रों के अलावा स्वतंत्र रूप से रसोई गैस के विपणन हेतु आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति की है क्योंकि इसे ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस की बढ़ती मांग को पूरा करना है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इन विक्रय केन्द्रों के लिए शारीरिक रूप से विकलांग युवकों का चयन किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सरकार ने अभी तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

लीगल सर्विस अथारिटीज (संशोधन) अधिनियम, 2002 के क्रियान्वयन का विरोध

564. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लीगल सर्विस अथारिटीज (संशोधन) अधिनियम, 2002 के क्रियान्वयन के विरोध में बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा स्थायी लोक अदालतों के अनिश्चितकालीन बहिष्कार की धमकी का सरकार ने समुचित संज्ञान लिया है;

(ख) क्या बी.सी.आई. इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों को मुकदमा करने वालों का विरोधी मानती है;

(ग) क्या किसी सामाजिक कार्यकर्ता समूह/उपभोक्ता कल्याण संघ ने इस मुद्दे पर ऐसे ही विचार व्यक्त किए थे;

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते समय उपभोक्ता संघों/ लिटिगेंट कल्याण समूहों के वकीलों की अलग से सुनवाई की थी; और

(ङ) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) और (ख) सरकार को विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2002 के अधीन लोक अदालतों का बहिष्कार करने के संबंध में भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा दी गई धमकी की जानकारी है, क्योंकि यह उक्त अधिनियम के उपबंधों को 'मुकदमेबाज विरोधी' समझती है।

(ग) सरकार को किसी जन संक्रियावादी समूह/उपभोक्ता कल्याण एसोसिएशन द्वारा इस मुद्दे पर व्यक्त किए गए ऐसे ही विचारों की जानकारी नहीं है।

(घ) और (ङ) उच्चतम न्यायालय ने एस. एन. पाण्डेय बनाम भारत संघ के मामले में अपने तारीख 28.10.2002 के आदेश द्वारा पूर्वोक्त अधिनियम की सांविधानिक विधिमान्यता को मान्य ठहराया है। उक्त आदेश की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

भारत का उच्चतम न्यायालय

कार्यवाहियों का अभिलेख

रिट याचिका (सिविल) सं. 543/2002 (प्रारंभिक सुनवाई के लिए)

एस. एन. पाण्डेय याची

बनाम

भारत संघ और अन्य प्रत्यर्थी

तारीख : 28.10.2002 यह याचिका आज सुनवाई के लिए निर्धारित की गई थी।

गणपूर्ति :

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय न्यायमूर्ति श्री वाई. के सब्बरवाल,

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरिजीत पसायत

याची (याचियों) के लिए श्री मनोज गोयल, अधिवक्ता

स्वयं याची

प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) के लिए

काउंसेल को सुनने के पश्चात् न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश किया

हमने याची के विद्वान् काउंसेल को सुना है। विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2002 (संक्षिप्त में 'अधिनियम') की विधिमान्यता पर आक्षेप किया गया है, जिसके द्वारा मुकदामपूर्व सुलह और समाधान से संबंधित एक नया अध्याय 6(क) अंत:स्थापित किया गया है। यह सुस्पष्ट है कि यह अध्याय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षिप्त में 'संहिता') की धारा 89 के सम्पूरक के रूप में अधिनियमित किया गया है, जो एक नया उपबंध है, जिसे 1 जुलाई, 2002 से अधिनियमित और कार्यान्वित किया गया है।

हमने उक्त अध्याय के उपबंधों का अध्ययन किया है, जो ऐसे विवादों का, जिनमें लोक उपयोगिता सेवाएं भी एक विषय के रूप में सम्मिलित हैं, विनिश्चय करने के लिए स्थायी लोक अदालतों के गठन को अनुध्यात करते हैं। यह सुस्पष्ट है कि विधान–मंडल का प्रयास वैकल्पिक विवाद समाधान का आश्रय लेकर न्यायालयों में कार्यभार को कम करना है। लोक अदालत विवाद समाधान का ऐसा ढंग है जो दो दशकों से अधिक समय से प्रचलन में है। इस तंत्र के माध्यम से लाखों मामलों का निपटारा किया जा चुका है और यह अविवादित रूप से न्याय प्रदान करने का एक त्वरित साधन है। इससे मुकदमों को, आगे और अपीलों के या मुकदमा लड़ने वालों को व्यथित किए बिना तुरंत समाप्त किया जाता है। स्थायी लोक अदालतों के तंत्र के गठन में, न्यायिक अधिकारी या किसी सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी का ऐसे अन्य व्यक्तियों के साथ, जिनको लोक उपयोगिता सेवाओं में पर्याप्त अनुभव हैं, पदासीन होना अनुध्यात है।

हम उक्त विधान में कोई सांविधानिक कमजोरी नहीं पाते हैं। अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि मुकदमा लड़ने वालों को शीघ्रतापूर्वक और निष्पक्ष रूप से न्याय प्राप्त होगा। हम यह जोर देते हैं कि स्थायी लोक अदालतों में नियुक्त किए गए व्यक्तियों को सत्यनिष्ठा और पर्याप्त अनुभव वाला व्यक्ति होना चाहिए। अन्य बातों के साथ–साथ, इस संबंध में निःसंदेह उपयुक्त नियम, यदि पहले से ही विद्यमान नहीं है, बनाए जाने होंगे।

हम उक्त अधिनियम की विधिमान्यता को मान्य ठहराते हैं और यह आशा करते हैं कि स्थायी लोक अदालतें शीघ्र ही गठित कर दी जाएंगी। लोक अदालतों का गठन मुख्य रूप से पक्षकारों के बीच समझौता कराने के लिए किया जाता है। पक्षकारों से सामान्यतः व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती है और चूंकि आक्षेपित उपबंध मुकदमा लड़ने वाली जनता के हित में है, अतः लोक अदालतें तब भी अपना कर्त्तव्य पालन करेंगी और कार्य करती रहेंगी, चाहे बार के सदस्य उनके समक्ष उपसंजात न होना चाहें।

उपरोक्तानुसार याचिका का निपटारा किया जाता है।

आदेश की प्रतियां, उच्च न्यायालयों को तथा महान्यायवादी को भी भेजी जाएं।

ह./–

(एस. एल. गोयल)
कोर्ट मास्टर

ताजिक सैन्य कर्मियों को प्रशिक्षण

565. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्रीमती प्रभा राव :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने ताजिक सैन्य कर्मियों को प्रशिक्षण देने और सोवियत और रूसी सैन्य उपकरणों को ठीक–ठाक करने और सेना तथा वायुसेना कर्मियों को अंग्रेजी पढ़ाने हेतु ताजिकिस्तान में स्थायी बेस बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देश आतंकवाद को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने हेतु सुरक्षा मुद्दे पर सूचना के आदान–प्रदान पर सहमत हो गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए द्विपक्षीय समझौते का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारत ने ताजिक रक्षा कार्मिकों को प्रशिक्षण देने, सोवियत और रूसी सैन्य उपस्करों की मरम्मत तथा रिट्रोफिट करने के लिए ताजिकिस्तान में कोई स्थायी बेस स्थापित नहीं किया है। तथापि, भारत ताजिक रक्षा कार्मिकों को अंग्रेजी और कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दे रहा है।

(ग) दोनों देशों में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन से संबंधित मामलों पर सूचना का आदान–प्रदान करने पर सहमति हुई है।

(घ) इस संदर्भ में और ब्यौरे देना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा।

[हिन्दी]

रेल मार्गों का विद्युतीकरण

566. श्री बीर सिंह महतो :
श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :

श्री टी. टी. वी. दिनाकरन :

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन :

श्री सवशीभाई मकवाना :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्युतीकृत रेल मार्गों की राज्यवार लम्बाई कितनी है;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेलमार्गों के विद्युतीकरण हेतु राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं/ हासिल किए गए हैं;

(ग) विद्युतीकरण हेतु राज्यवार लक्ष्य हासिल न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) रेल मार्गों के विद्युतीकरण का परियोजनावार लंबित कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेललाइनों के विद्युतीकरण हेतु राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) भारतीय रेलों पर 31.3.2002 तक 16001 मार्ग किलोमीटर रेलपथ विद्युतीकृत हो गया है। विद्युतीकृत रेलपथ का मार्ग किमी. मोटे तौर पर राज्य–वार इस प्रकार है–

क्र.स.	राज्य	विद्युतीकृत मार्ग किमी.
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2012
2.	बिहार	631
3.	दिल्ली	129
4.	गुजरात	706
5.	हरियाणा	366
6.	हिमाचल प्रदेश	23
7.	कर्नाटक	104
8.	केरल	199
9.	मध्य प्रदेश	1880
10.	महाराष्ट्र	1942
11.	उड़ीसा	800
12.	पंजाब	242
13.	राजस्थान	491
14.	तमिलनाडु	967
15.	उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	1394
16.	पश्चिमी बंगाल	1692
17.	झारखंड	1562
18.	छत्तीसगढ	861
19.	अन्य राज्य	–
	जोड	16001

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्धारित किए गए 2300 मार्ग किमी. विद्युतीकरण के लक्ष्य की तुलना में 2484 मार्ग किमी. विद्युतीकृत हो गया है।

(ग) उपरोक्त (ख) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(घ) चालू/लंबित विद्युतीकरण परियोजनाओं का ब्यौरा और पूरा करने की लक्ष्य तिथि इस प्रकार है–

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लक्ष्य तिथि
1	2	3
1.	भुवनेश्वर–कोट्टावलासा	खुर्दा रोड–पुरी को छोडकर पूरा हो गया है जो अंतिम चरण में पहुंच गया है और मार्च, 2004 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
2.	पटना–गया	मार्च, 03
3.	खड़गपुर–नीमपुरा–भुवनेश्वर–तालचेर–कटक– पाराद्वीप की शाखा लाइन सहित	मार्च, 03

1	2	3
4.	उधना–जलगांव	मार्च, 03
5.	तांवरम–विषुपुरम और चेंगलपट्टु–अरकोणम	मार्च, 03
6.	अम्बाला–मुरादाबाद	मार्च, 04
7.	रेणिगुंटा–गुंतकल	मार्च, 04
8.	लुधियाना–अमृतसर	मार्च, 04
9.	एर्णाकुलम–तिरुवनंतपुरम	मार्च, 04
10.	कृष्णनगर–लालगाला	मार्च, 04
11.	दिल्ली–सराय रोहिल्ला–गुडगांव	अपेक्षित स्वीकृतियों की प्रतीक्षा है।
12.	मुगलसराय–जाफराबाद	अपेक्षित स्वीकृतियों की प्रतीक्षा है।
13.	खुर्जा–मेरठ–सहारनपुर	अपेक्षित स्वीकृतियों की प्रतीक्षा है।

(ङ) भारतीय रेलों पर दसवीं योजना के दौरान 2150 मार्ग किमी. के विद्युतीकरण का अनंतिम लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चूंकि रेल परियोजनाएं राज्य की सीमा तक ही सीमित नहीं हैं इसलिए राज्य–वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

[अनुवाद]

चीन द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन

567. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री अखिलेश यादव :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन द्वारा खुल्लमखुल्ला वास्तविक नियंत्रण रेखा के उल्लंघन के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या आई.टी.बी.पी. के अध्यक्ष ने हाल में इस संबंध में कई तथ्यों के बारे में सरकार को जानकारी दी है। जैसा कि 22 अक्टूबर, 2002 को 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में खबर प्रकाशित हुई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) चीन द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा के उल्लंघन को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) भारत और चीन के बीच सीमा का प्रश्न अभी सुलझाया जाना है। भारत–चीन सीमावर्ती दोनों पक्षों की अवधारणा में भी भिन्नता है। दोनों पक्ष, वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में अपनी–अपनी अवधारणा के अनुसार वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त लगाते रहते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की गतिविधियों को इस संदर्भ में देखा जाना है। इसके बावजूद, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर प्रतीत उल्लंघनों को राजनयिक चैनलों के जरिए तथा सीमा कार्मिक बैठकों/ध्वज बैठकों में उठाया जाता है।

भारत और चीन सीमा के प्रश्न पर भारत–चीन संयुक्त कार्यकारी दल तथा भारत–चीन राजनयिक तथा सैन्य अधिकारी विशेषज्ञ दल के ढांचे के अंतर्गत विचार–विमर्श करते रहे हैं। दोनों पक्षों ने सीमा के प्रश्न पर निष्पक्ष, समुचित तथा एक–दूसरे को स्वीकार्य हल बातचीत के जरिए निकालने के उद्देश्य को दोहराया है। इस समय वे वास्तविक नियंत्रण रेखा के स्पष्टीकरण तथा पुष्टि के लिए नक्शों का आदान–प्रदान कर रहे हैं। मध्य क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा की संबंधित अवधारणाओं को दर्शाने वाले नक्शे एक–दूसरे को दे दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के स्पष्टीकरण और पुष्टिकरण के बारे में विचार–विमर्श जारी है। भारत–चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और अमन बनाने संबंधी समझौता (1993) और भारत–चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य क्षेत्रों में विश्वास उत्पन्न करने संबंधी उपायों पर समझौता (1996), दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और अमन कायम करने के लिए एक संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराते हैं।

सरकार सतर्क रहती है और देश की सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा की संरक्षा के लिए सभी आवश्यक और समुचित उपाय करती है।

[हिन्दी]

यात्री रेलगाड़ियों में नशीले खाद्य पदार्थों को खिलाना

568. श्री हरिभाई चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ियों में नशीले खाद्य पदार्थ खिलाकर यात्रियों को ठगने की कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान तत्संबंधी जोनवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा रेलगाड़ियों में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मैहर में रेल उपरिपुल

569. श्री रामानन्द सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबलपुर रेलवे डिवीजन के अंतर्गत मैहर नगर में रेल उपरिपुल के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को सुझाव दिया है कि उक्त उपरिपुल का निर्माण बी.ओ.टी. के अंतर्गत कराया जाए; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) इस कार्य को निक्षेप शर्त पर स्वीकृत किया गया था और इसे शुरू करने के लिए राज्य सरकार को 2.45 करोड़ रु. जमा कराने के लिए कहा गया था किन्तु सरकार द्वारा अभी तक कोई राशि जमा नहीं कराई गई है, अतः कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

(ख) जी. नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तेल के आयात हेतु आकस्मिक योजना

570. श्री एन. जनार्दन रेड्डी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमेरिका और इराक के बीच किसी युद्ध की स्थिति में तेल के आयात हेतु एक आकस्मिक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु किन-किन देशों की पहचान की गई है और कितनी मात्रा में आयात किए जाने का प्रस्ताव है तथा उनकी आपूर्ति की अवधि क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और यदि हां, तो इन देशों के तेल से धनराशि के संदर्भ में हमारे देश को कितना लाभ होगा; और

(घ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कुल कितनी धनराशि के तेल का आयात होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मध्य पूर्व क्षेत्र तथा विश्व के अन्य क्षेत्रों से कई देशों की कच्चे तेल का आयात करने के लिए पहचान की गई है। तेल कम्पनियां अपनी जरूरतों के अनुसार इन देशों से कच्चा तेल प्राप्त करेंगी। इस संबंध में तेल आयात बिल वास्तविक खरीदों के समय प्रचलित कच्चा तेल मूल्यों पर निर्भर करेगा।

लंबित जल विद्युत परियोजनाएं

571. श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) जल विद्युत परियोजनाओं को शुरू करने के लिए सरकार के पास राज्यवार कितने प्रस्ताव लंबित हैं;

(ख) क्या कर्नाटक राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) पश्चिमी बंगाल राज्य में तीस्ता लो डैम स्टेज–3 (4x33 मेगावाट) नामक एक जल विद्युत योजना केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तकनीकी आर्थिक स्वीकृति हेतु जांचाधीन है। कर्नाटक राज्य की 5 जल विद्युत योजनाओं सहित 93 जल विद्युत योजनाओं को सम्बद्ध प्राधिकारियों को वापिस लौटा दिया गया है तथा यह अनुरोध किया गया है कि अंतर्राज्यीय और अन्य मसलों के समाधान के बाद इन्हें दुबारा प्रस्तुत करें। इन योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उन बहुउद्देशीय/जल विद्युत योजनाओं की सूची जिन्हें दुबारा प्रस्तुत करने के लिए परियोजना प्राधिकारियों को वापस किया गया है

1.11.2002 की स्थितिनुसार

क्र.सं.	स्कीम	राज्य	क्षेत्र	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	वार्षिक ऊर्जा (जीडब्ल्यू एच)	अनुमानित लागत	मूल्य स्तर	डीपीआर प्राप्ति की तिथि	डीपीआर हेतु लौटाने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उत्तरी क्षेत्र									
1.	एएनएस चरण–2	जे. एंड के.	राज्य	30	148.00	115.56	5/92	4/93	9/94
@2.	बरसर	जे. एंड के.	राज्य	1020	1626.00	1385.58	1986	3/87	10/94
3.	लोअर कलनई	जे. एंड के.	राज्य	50	226.00	155.35	4/91	12/91	3/93
4.	न्यू गांडरेबल	जे. एंड के.	राज्य	45	217.00	171.24	12/94	8/95	9/96
@5.	पकालडल	जे. एंड के.	राज्य	1000	3590.00	574.00	1986	12/85	10/94
6.	परखाचिक पानीकर	जे. एंड के.	राज्य	60	244.71	243.82	9/94	6/95	9/96
7.	शितकारी कुलां	जे. एंड के.	राज्य	84	453.00	383.43	93–94	6/94	3/95
@8.	उड़ी–2 (चरण–1)	जे. एंड के.	राज्य	280	1446.00	2234.66	95–96	5/96	3/97
@9.	किशनगगा	जे. एंड के.	केन्द्रीय	330	1025.00	4240.42	पूर्ण	7/2000	10/2000
10.	मुकेरियां चरण–2	पंजाब	राज्य	12.5	174.50	123.50	3/97	12/97	6/99
11.	यूबीडीसी–3 (रवि यू–4)	पंजाब	राज्य	75	472.00	530.00	5/96	6/99	7/99
12.	शाहपुर कंडी विस्तार	पंजाब	राज्य	55.5		676.63	11/2000	1/2001	11/2001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	13. बग्गी	हि.प्र.	राज्य	40	अनुपलब्ध	40.00	3/80	4/80	3/81
●	14. हिबरा	हि.प्र.	राज्य	231	936.00	1162.91	12/96	3/97	5/97
	15. करछाम वाग्चू	हि.प्र.	राज्य	1000	4402.00	7871.01	पूर्ण	12/2000	2/2001
●	16. पार्बती चरण–3	हि.प्र.	राज्य	501	1997.00	891.71	6/89	10/92	7/95
	17. रेनुका बांध	हि.प्र.	राज्य	40	217.68	1224.64	5/97	7/98	9/99
	18. बुदहिल	हि.प्र.	राज्य	70	285.59	290.03	12/95	1/97	2/2000
	19. कुठेर	हि.प्र.	राज्य	260	941.00	1075.33	9/98	12/98	2/2001
	20. बाउला नन्द प्रयाग	यूटीटी	राज्य	132	782.00	380.66	3/92	5/93	9/94
	21. धौलीगंगा चरण–1 व 2	यूटीटी	केन्द्रीय	210	955.00	1102.92	11/96	11/96	2/99
	22. गोरी गंगा चरण–1 व 2	यूटीटी	केन्द्रीय	180	849.00	478.77	7/90	10/90	2/91
	23. गोरी गंगा 3ए व 3बी	यूटीटी	केन्द्रीय	140	612.00	431.12	11/96	4/92	10/98
	24. कोटलीभेल	यूटीटी	राज्य	1000	5411.00	593.00	2/83	9/83	6/86
	25. लोहारी नागपाला	यूटीटी	राज्य	520	1939.00	372.60	1/85	12/88	1/89
	26. पाला मनेरी	यूटीटी	राज्य	400	1576.00	383.46	12/85	1/87	12/88
	27. तपोवन विष्णुगढ	यूटीटी	राज्य	360	1586.00	555.62	3/92	5/93	9/94
	28. किशनु	यूटीटी	राज्य	600	1327.00	3455.11	5/98	6/98	7/99
	29. लखवर व्यासी	यूटीटी	राज्य	420	852.00	920.50	3/92	11/98	7/99
	30. तुन्नी प्लासू	यूटीटी	राज्य	42	237.95	251.84	3/2000	7/2000	8/2000
	31. पंचड	उ.प्र.	राज्य	90	418.00	559.00	6/83	6/83	6/83
	32. राहुघाट	राजस्थान	राज्य	160	395.00	415.00	6/87	6/87	2/88
	कुल उ. क्षेत्र–32			9438					
पश्चिमी क्षेत्र									
	33. बिनौदा	म.प्र.	राज्य	600	1752.00	825.02	1991	1/98	1/99
	34. गांधीसागर चरण–2	म.प्र.	राज्य	160	$	228.60	1/93	2/93	6/94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.	गोपड	म.प्र.	राज्य	60	189.00	109.94	12/84	1/85	7/85
36.	गोपालपुर	म.प्र.	राज्य	25	73.00	112.10	7/94	8/94	7/95
37.	केन एमपीपी	म.प्र.	राज्य	50	अनुपलब्ध	202.06	अनुपलब्ध	7/82	2/87
38.	मारा पीएसएस	म.प्र.	राज्य	450	1314.00	763.13	1991	12/97	1/99
39.	ओरछा एमपीपी	म.प्र.	राज्य	90	410.00	89	3/80	12/81	7/85
40.	कान्हा एमपीपी	म.प्र.	राज्य	90	98.75	183.12	1991	3/98	8/99
41.	भोपालापटनम	छत्तीसगढ़	राज्य	1000	2500.00	402.94	1/82	1/82	3/85
42.	कुत्रू–1	छत्तीसगढ़	राज्य	150	388.00	153.22	1/85	4/85	4/88
43.	कुत्रू–2	छत्तीसगढ़	राज्य	150	530.00	113.16	1/82	2/82	3/85
44.	मतनार	छत्तीसगढ़	राज्य	60	192.92	253.64	9/98	6/2000	1/2001
45.	चिकलवाड़ा पीएसएस	महाराष्ट्र	राज्य	400	721.20	931.74	94–95	3/95	12/96
46.	मलशेज घाट पीएसएस	महाराष्ट्र	राज्य	600	1121.00	908.52	95–96	12/97	1/99
47.	हम्बरली पीएसएस	महाराष्ट्र	राज्य	400	751.00	838.92	96–97	9/99	7/2000
48.	दूधसागर	गोवा	राज्य	30	70.00	11.67	1971	–	–
	कुल प.क्षे.–16			4315					
दक्षिणी क्षेत्र									
49.	इंछमपल्ली एमपीपी	आ.प्र.	राज्य	975	2762.00	1110.00	87–88	11/88	5/89
50.	लोअर जुराला	आ.प्र.	राज्य	147.6	304.97	344.37	91–92	1/92	11/92
51.	नेलाकोटा एमपीपी	आ.प्र.	राज्य	60	140.00	36.80	85–86	1/87	4/87
52.	पोलावरम एमपीपी	आ.प्र.	राज्य	720	524.00	528.59	89–90	1/90	4/90
53.	पुलिचिंटाला	आ.प्र.	राज्य	60	102.99	238.36	96–97	9/97	3/99
54.	कबीनी बांध	कर्नाटक	राज्य	20	73.00	9.32	78–79	8/79	5/90
55.	कटला एवं पालना डिवीजन	कर्नाटक	राज्य		100.00	8.13	अनुपलब्ध	11/85	10/87
56.	मेकादातू चरण–1 और 2(*)	कर्नाटक	राज्य	360	अनुपलब्ध	731.27	96–97	10/96	10/96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57.	शिवसमुद्रम	कर्नाटक	राज्य	270	1590.00	132.27	6/97	10/87	10/88
58.	महादायी	कर्नाटक	राज्य	320	635.00	850.05	–	7/2002	8/2002
59.	बड़ापोल	केरल	राज्य	9	26.00	12.71	अनुपलब्ध	6/91	8/91
60.	केरला भवानी	केरल	राज्य	150	420.00	168.75	90–91	8/91	1/92
61.	कुटियाडी संवर्धन	केरल	राज्य	100	213.00	61.72	अनुपलब्ध	5/92	5/92
62.	कुरियाकुट्टी करपारा एमपीपी	केरल	राज्य	84	240.00	85.64	–	11/90	6/91
63.	कनंथवड़ी एमपीपी	केरल	राज्य	240	817.00	69.17	1980	5/80	7/80
64.	पंडियार पुन्नापुजा	केरल	राज्य	70	262.00	22.00	12/72	12/72	7/82
65.	पाम्बर	केरल	राज्य	30	168.00	65.46	1989	2/90	3/90
66.	पल्लीवसल पुनर्स्थापन	केरल	राज्य	60	279.00	45.48	89–90	7/90	4/92
67.	अथिरापल्ली	करेल	राज्य	163	387.00	388.46	2001	4/2002	6/2002
68.	भवानी कुट्टलई	तमिलनाडु	राज्य	90	340.00	368.46	2001	4/2002	6/2002
69.	चोलाटीपुजा	तमिलनाडु	राज्य	60	179.00	7.39	1976	2/68	7/82
70.	कावेरी विद्युत परियोजना	तमिलनाडु	राज्य	850	1880.00	1660.00	96–97	1/97	2/97
71.	पांडियार पुन्नापूजा	तमिलनाडु	राज्य	100	409.00	73.90	11/76	12/76	7/82
72.	शानुमघंडी	तमिलनाडु	राज्य	30	84.00	17.43	76–77	1972	7/82
73.	अपर अमरावती	तमिलनाडु	राज्य	30	69.00	15.78	77–78	–	7/82
	कुल द.क्षे.–25			4998.6					
पूर्वी क्षेत्र									
74.	कदवान एमपीपी	झारखंड	राज्य	450	754.40	759.90	1/94	2/95	3/95
75.	कन्हर एमपीपी	झारखंड	राज्य	300	373.70	242.80	1989	5/99	7/99
76.	शंख चरण–2	झारखंड	राज्य	186	241.20	526.70	2/96	12/99	1/2000
77.	राम्मम चरण–3	प. बंगाल	राज्य	60	306.00	169.07	1991	5/93	9/94
@78.	तीस्ता लोअर डैम चरण–4	प. बंगाल	राज्य	332	1499.00	1947.86	9/2001	1/2002	1/2002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79.	भीमकुंड एमपीपी	उड़ीसा	राज्य	393	1358.00	304.10	1/80	8/80	9/84
80.	हीराकुंड–बी और चिपलिमा–बी	उड़ीसा	राज्य	408	451.00	1339.65	3/94	6/94	7/96
81.	मणिभद्रा एमपीपी	उड़ीसा	राज्य	960	2620.00	657.00	8/84	10/85	8/88
82.	सिंडोल	उड़ीसा	राज्य	320	1284.00	2246.14	1994	4/94	7/96
83.	जलापुट बांध टो	उड़ीसा/आ.प्र.	राज्य	18	82.50	72.50	1/01	12/01	12/01
	कुल पू.क्षे.–10			3427					
पूर्वोत्तर क्षेत्र									
84.	डेम्भे	अरुणाचल प्रदेश	केन्द्रीय	520	3860.00	1495.10	7/91	4/92	1/93
85.	दिहांग (सियांग)(*)	अरुणाचल प्रदेश	राज्य	20000	50081.00	12171.00	10/88	2/89	1/91
86.	रंगानदी चरण–2	अरुणाचल प्रदेश	केन्द्रीय	180	729.10	854.35	3/98	4/98	6/98
@87.	सुबनसिरी लोअर	अरुणाचल प्रदेश	केन्द्रीय	2000	7551.10	6411.91	3/2001	6/2001	7/2001
88.	कारबी लांग्पी (अपर बोरपानी)	असम	राज्य	60	213.00	127.47	1984	7/85	11/86
89.	लोअर कोपिली	असम	केन्द्रीय	150	748.90	570.38	3/97	6/97	7/97
90.	इरांग	मणिपुर	राज्य	60	219.40	118.00	1989	11/89	1/91
91.	तिपाईमुख	मणिपुर	केन्द्रीय	1500	3516.00	5255.70	12/2000	1/2001	5/2001
92.	तुईवुई	मणिपुर	राज्य	51	236.00	117.00	1989	3/89	1/91
93.	कोलोडाइन चरण–1	मिजोरम	राज्य	120.0	392.86	1174.12	3/99	6/2000	6/2001
	पूर्वोत्तर क्षेत्र–10			24641					
	जोड़ अखिल भारत–92			46819.6					

($)व्यस्ततमकालीन हेतु

(*)अनुमानित लागत केवल चरण–1 के लिए

(#)एनएचपीसी द्वारा कुल 13700 मेगावाट क्षमता (अपर सियांग डैम प्रोजेक्ट–11000 मेगावाट, स्योम डैम प्रोजेक्ट–1000 मेगावाट और लोअर दिहांग प्रोजेक्ट–1700 मेगावाट) के 3 पावर हाऊसों के विकल्प संबंधी प्रि फीजिबिलिटी रिपोर्ट दिनांक 25.6.2002 के पत्र द्वारा वापिस ले ली गई है।

@एनएचपीसी को सौंपी गई परियोजनाएं जो संशोधित डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) की तैयारी के लिए जांचाधीन है।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालयों के रेडियो स्टेशन

572. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न विश्वविद्यालयों को अपना रेडियो स्टेशन शुरू करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय ले लिए जाने की सम्भावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) एक स्थान/क्षेत्र विशेष की आकांक्षाओं और विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुस्थापित एवं मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं/संगठनों को सामुदायिक रेडियो प्रसारण लाइसेंस प्रदान करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) इस स्कीम को अभी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना है और इसलिए इस स्थिति में कोई निश्चित समय-सीमा इंगित नहीं की जा सकती है।

मिट्टी के तेल की कमी

573. डा. मदन प्रसाद जायसवाल :
प्रो. दुखा भगत :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में मिट्टी तेल की कमी के कारण उसकी कालाबाजारी हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट विशेष प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डी.एस.बी. का गठन

574. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :
श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1999 से डीलर चयन बोर्डों के गठन में कोई भारी परिवर्तन किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे परिवर्तन के क्या कारण हैं; और

(ग) इससे इसका स्वरूप कितना बदला है तथा पेट्रोल/रसोई गैस डीलरों के चयन के औचित्य की तर्कसंगतता क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) इसके सिवाय कि सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों/सेवानिवृत्त अधिकारियों, जो समकक्ष न्यायिक पद धारण कर चुके थे, अध्यक्षों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र बनाए गए थे, वर्ष 1999 के पश्चात् डीलर चयन बोर्डों के गठन में कोई भारी परिवर्तन नहीं किए गए थे।

[हिन्दी]

रक्षा उत्पादन

575. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान रक्षा सेनाओं को सुदृढ़ करने और उन्हें आत्म-निर्भर बनाने हेतु देश में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में हासिल की गई विभिन्न उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार देश में निर्मित रक्षा सामग्रियों को निर्यात कर रही है अथवा निर्यात करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इन सामग्रियों का सामग्रीवार किस तिथि से निर्यात किया जा रहा है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) गत पांच वर्षों के दौरान रक्षा बलों को सुदृढ़ करने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आयुध निर्माणियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों द्वारा किए गए प्रमुख उपाय निम्नवत् हैं–

(i) रक्षा बलों के लिए उत्पादन तथा आपूर्ति का स्तर बढ़ा दिया गया है। आयुध निर्माणियों से निर्गमों का मूल्य वर्ष 1997–98 में 2653 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2001–2002 में 5349 करोड़ रुपए हो गया है। इसी प्रकार, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों से रक्षा बलों को मदों की आपूर्ति भी वर्ष 1997–98 में 4150 करोड़ रुपए से वर्ष 2001–2002 में 6149 करोड़ रुपए हो गई है।

(ii) रक्षा बलों की गुणात्मक तथा मात्रात्मक अपेक्षाओं से तालमेल बनाए रखने के लिए आयुध निर्माणियों और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों में उत्पादन सुविधाओं को आधुनिकीकृत किया जा रहा है।

(iii) आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा टी–90 टैंकों का देश में ही उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण अधिप्राप्त करने की कार्रवाई की जा चुकी है।

(iv) गत पांच वर्षों के दौरान रक्षा बलों को आपूर्ति करने के लिए कई नई मदें विकसित तथा निर्मित की जा चुकी हैं।

(ख) और (ग) निर्यात की जा रही मदों में लघु शस्त्र गोलीबारूद, विस्फोटक, राकेट, राइफलों और तोपों के हिस्से–पुर्जे, वस्त्र, पैराशूट और अनुषंगी सामग्री, वैमानिकी–सामान, संचार–उपस्कर, संघटक तथा उपप्रणाली आदि शामिल हैं। पहले के रक्षा निर्यात वर्ष 1973–74 के बाद के हैं। मद–वार ब्यौरा देना लोक हित में नहीं है।

के.जी. बेसिन में गैस भंडार

576. **श्री रामजीलाल सुमन :**
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री सी. श्रीनिवासन :
श्री अजय सिंह चौटाला :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने हाल ही में आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी बेसिन में भारी पैमाने पर प्राकृतिक गैस की उपलब्धता का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो गैस के इस भंडार का पता किस तिथि को लगाया गया था;

(ग) क्या इस गैस भंडार की खोज का कार्य इससे पहले किसी अन्य एजेंसी को सौंपा गया था;

(घ) यदि हां, तो यह कार्य किस तिथि को सौंपा गया था और कार्य–निष्पादन करने वाली एजेंसियों का नाम क्या है; और

(ङ) एजेंसी द्वारा गैस का पता लगाने संबंधी कार्य के क्या परिणाम निकले और यह परिणाम किस तारीख को प्राप्त हो गया था?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) गहन जल अपतटीय ब्लाक केजी–डीडब्ल्यूएन–98/3 को वर्ष 1996–97 में किए गए भूकंपीय सर्वेक्षणों तथा मानचित्रण के आधार पर एनईएलपी के प्रथम दौर के तहत वर्ष 1999 में पहली बार वैश्विक बोली के लिए प्रस्तावित किया गया था। इस ब्लाक के लिए मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. तथा नीको रिसोर्सिस लि. के परिसंघ के साथ संविदा पर 12 अप्रैल, 2000 को हस्ताक्षर किए गए थे। 30 अक्टूबर, 2002 को परिसंघ ने इस ब्लाक में लगभग 7 ट्रिलियन घन फीट (लगभग 198 बिलियन घन मीटर) के प्राथमिक गैस भंडार अनुमान वाली महत्वपूर्ण गैस खोजन की रिपोर्ट दी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

न्यायिक सुधार संबंधी राष्ट्रीय स्तर सम्मेलन

577. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :**
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में नई दिल्ली में हुए विधि और न्यायिक सुधार संबंधी राष्ट्रीय स्तर सम्मेलन के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन–किन मुद्दों को उठाया गया और चर्चा की गई; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन में निम्नलिखित संकल्प अंगीकृत किए गए थे–

(i) अंतरिक्ष विधि (1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि; 1972 का बाध्यता अभिसमय; और 1979 का चंद्रमा करार के संबंध में);

(ii) अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् (अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् पंचाटों को मान्यता न देने या उनके प्रवर्तन से इंकार करने के लिए आधार के रूप में लोक नीति लागू करने के संबंध में);

(iii) संपोषणीय विकास (जिसमें संपोषणीय विकास से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धान्तों की नई दिल्ली की घोषणा को अंगीकृत किया गया था);

(iv) अंतर्राष्ट्रीय सिविल और वाणिज्यिक मुकदमेबाजी (जिसमें निगमों पर अधिकारिता के अभिप्रायों/नई दिल्ली के सिद्धांतों को अंगीकृत किया गया था);

(v) शरणार्थी प्रक्रियाएं (दो संकल्प; पहला अस्थायी संरक्षण पर मार्गदर्शक सिद्धांतों को अपनाने वाला और दूसरा जो शरणार्थी प्रक्रियाओं के लिए न्यूनतम मानकों की अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है)।

(ग) सम्मेलन के दौरान जिन मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया था उनमें से अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय विधि से संबंधित हैं और की गई/किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई में इससे संबंधित अभिसमय को ध्यान में रखा जाएगा।

[अनुवाद]

गिरफ्तार किए जाने संबंधी कानून पर गोष्ठी

578. **डा. मन्दा जगन्नाथ** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में अक्टूबर में गिरफ्तार किए जाने, पुलिस अधिकार और उत्तरदायित्व संबंधी कानून पर दो–दिवसीय गोष्ठी आयोजित हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस गोष्ठी में क्या–क्या सिफारिशें/सुझाव दिए गए; और

(ग) ऐसी गोष्ठियां इस क्षेत्र में सरकार के समक्ष आ रही वर्तमान समस्याओं को सुलझाने में कितनी सहायता करती हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सिफारिशों/सुझावों के ब्यौरे दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

तारीख 10–11 अक्टूबर, 2002 को नई दिल्ली में **गिरफ्तारी-पुलिस शक्ति और जवाबदेही से संबंधित विधि पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी** में दंड न्याय के प्रशासन में सुधार लाने की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन करने की सिफारिश की गई। अन्य बातों के साथ–साथ, कुछ सिफारिशें/सुझाव निम्नलिखित हैं–

(1) 'संज्ञेय' और 'असंज्ञेय' या 'जमानतीय' और 'अजमानतीय' अपराधों के प्रवर्गीकरण को समाप्त करना;

(2) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में संज्ञेय अपराधों की परिभाषा का संशोधन करना;

(3) छोटे–मोटे 'संज्ञेय' अपराधों का 'असंज्ञेय' अपराधों के रूप में पुनः वर्गीकरण करना;

(4) अनावश्यक गिरफ्तारियों को कम करना और किसी अधिकारवान गिरफ्तारी तथा सदोष गिरफ्तारी में भेद करना;

(5) सदोष गिरफ्तारियों में निवारक दंड सहित मनमानी गिरफ्तारियों के संबंध में प्रभावी निवारण तंत्र विकसित करने की आवश्यकता; और

(6) अधिकाधिक अपराधों को 'शमनीय' बनाना।

[हिन्दी]

तेल भंडार बनाया जाना

579. श्री रामशकल :
श्री रामपाल सिंह :
डा. एस. वेणुगोपाल :
डा. अशोक पटेल :
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कतिपय पश्चिमी देशों की भांति 3–4 महीनों के लिए तेल भंडार बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो कितने दिनों के लिए देश में कच्चे तेल को सुरक्षित रखा जाता है और इसके लिए तैयार की गई नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि विदेशों से तेल की आपूर्ति बाधित होती है तो इस आपात स्थिति से निपटने के लिए क्या विचार किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) सरकार कुल 45 दिन के कवर के प्राप्त करने के विचार से कच्चे तेल के लिए धीरे–धीरे, चरणों में कार्यनीतिक टैंकेज उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित टैंकेज, विदेश से कच्चे तेल की आपूर्तियों में किसी व्यवधान से उत्पन्न होने वाली आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिकल्पित किया गया है। नीति के विस्तृत विवरणों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

नाफ्था आधारित विद्युत परियोजनाएं

580. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या नाफ्था आधारित तेल ईंधन विद्युत परियोजनाएं नंजनगुड (96.7 मेगावाट), हासन (189 मेगावाट) और माण्डया (64.37 मेगावाट) हेतु सीईए द्वारा प्रौद्योगिकी–आर्थिक स्वीकृति गत कई वर्षों से प्रतीक्षारत है; और

(ख) उपरोक्त विद्युत परियोजनाओं को अंतिम स्वीकृति कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इन परियोजनाओं को नीचे बताए गए कुछ शर्तों को पूरा नहीं किए जाने के कारण तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति (टी.ई.सी.) नहीं जारी की जा सकी।

नंजनगुड कम्बाइंड साइकल विद्युत परियोजना (सीसीपीपी) (96.7 मे.वा.)

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अप्रैल, 1998 में प्राप्त हुई थी और 26.2.1999 को आयोजित के.वि.प्रा. की बैठक में इस पर विचार किया गया। उक्त प्रस्ताव पर टी. ई.सी. नहीं दी गई क्योंकि इसे अंतःराज्यीय दृष्टिकोण से जल उपलब्धता को केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई थी, कारण कि परियोजना के लिए प्रस्तावित जल स्रोत कावेरी बेसिन से था और जल आवंटन का मामला निर्णय हेतु कावेरी जल विवाद प्राधिकरण के पास विचाराधीन था।

इसके अलावा परियोजना प्रवर्तकों द्वारा परियोजना के कठोर लागत और मृदु लागत में कमी भी की जानी थी। इन मामलों को स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आई.पी.पी.) ने काफी समय तक हल नहीं किया और तत्पश्चात् अक्टूबर, 2001 में के.वि.प्रा. ने डी.पी.आर. वापस लौटा दिया।

हासन सीसीपीपी (189 मे.वा.)

आई.पी.पी. द्वारा दिसंबर, 1997 में प्रस्तुत डीपीआर पर के.वि.प्रा. ने 28.5.1999 को आयोजित बैठक में विचार किया किन्तु उक्त प्रस्ताव पर टी.ई.सी. नहीं दी गई, क्योंकि इसे अंतःराज्यीय दृष्टिकोण से जल उपलब्धता को केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई थी, कारण कि परियोजना के लिए प्रस्तावित जल स्रोत कावेरी बेसिन से था और जल आवंटन का मामला निर्णय हेतु कावेरी जल प्राधिकरण के पास विचाराधीन था। इसके अलावा आईपीपी द्वारा परियोजना के कठोर लागत एवं मृदु लागत में कमी की जानी थी। जल उपलब्धता के मामले के समाधान के लिए के.वि.प्रा. ने तीनों परियोजनाओं के प्रवर्तकों के साथ 23.1.2001 तथा 3.4.2001 को बैठकें आयोजित कीं जिनमें केवल हासन परियोजनाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में जल आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत की जांच की गई और आईपीपी ने भूमिगत जल अपनाने का प्रस्ताव किया जिसके लिए राज्य एवं केन्द्रीय भूमिगत जल प्राधिकरणों से स्वीकृति की आवश्यकता थी। प्रवर्तकों को यह स्वीकृति फरवरी, 2002 में प्राप्त हो गई। हालांकि हसन परियोजना के विद्युत उत्पादन की ऊंची लागत होने के कारण के.वि.प्रा. ने अगस्त, 2002 में राज्य सरकार को सलाह दी कि वे पूंजीगत लागत में कमी करने तथा ईंधन की लागत को नेप्था के बदले अन्य किफायती ईंधन को अपनाकर कम करने की संभावना तलाश करें और के.वि.प्रा. को इस संबंध में अपने विचारों से अवगत कराए जिससे कि के.वि.प्रा. आवश्यक टीईसी जारी कर सके। अभी तक के.वि.प्रा. को राज्य सरकार के विचार प्राप्त नहीं हुए हैं। हालांकि 21.9.2001 को आईपीपी को डीपीआर वापस भेज दिया गया।

मांडया सीसीपीपी (164.37 मे.वा.)

दिसम्बर, 1997 में प्राप्त डीपीआर को मई, 2000 में अपूर्ण होने के कारण वापस कर दिया गया क्योंकि अनेक आवश्यक सूचनाए/स्वीकृति जैसे विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 29(2) का अनुपालन, जल उपलब्धता (राज्य और केन्द्रीय) ईंधन लिंकेज, ईंधन हेतु परिवहन व्यवस्था, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति, विद्युत निकासी प्रबंध, वित्तीय पैकेज और डीपीआर तथा लागत की कर्नाटक सरकार द्वारा सिफारिश प्राप्त नहीं हुई थी। प्रवर्तक ने उपरोक्त स्वीकृति प्राप्त कर संशोधित डीपीआर प्रस्तुत नहीं की।

(ख) इन परियोजनाओं को के.वि.प्रा. द्वारा टीईसी तभी दी जा सकती है, जब आवश्यक सूचनाएं/स्वीकृति प्राप्त हो जाते हैं। इसी बीच भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय ने विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 (1948 का 54) की धारा 29 की उप–धारा (1) के अंतर्गत एक अधिसूचा सं.एस.ओ. 888 (ई), दिनांक 19 अगस्त, 2002 जारी की जिसके द्वारा उत्पादन केन्द्रों के वैसे स्कीम जिसे जेनरेटिंग कम्पनी द्वारा 2500 करोड़ रु. की पूंजीगत लागत पर तैयार किया गया हो और जिसके विद्युत की बिक्री के लिए टैरिफ का निर्धारण केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग या किसी राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया जाता है, के लिए के.वि.प्रा. की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति (टी.ई.सी.) आवश्यक नहीं है।

अज्ञात विमान द्वारा
वायुसीमा का उल्लंघन

581. **श्री रघुराज सिंह शाक्य :**
श्री प्रियरंजन दासमुंशी :
श्री अधीर चौधरी :
श्री रामदास आठवले :
श्रीमती मिनाती सेन :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अज्ञात विमान ने 3 अक्टूबर, 2002 को बांग्लादेश सीमा को पार करके हमारी वायु–सीमा का उल्लंघन किया था और पश्चिमी बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले के एक तालाब में कोई वस्तु गिराई थी;

(ख) यदि हा, तो तत्संबधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय वायुसेना ने ऐसे विमान की घुसपैठ की पूर्ण जांच कराई है;

(घ) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वायु–सीमा के ऐसे उल्लंघन को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय वायुसेना द्वारा की गई विस्तृत जांच से यह साबित होता है कि भारतीय हवाई क्षेत्र में न तो किसी विमान ने घुसपैठ की और न ही उसने कोई सामान गिराया।

(ङ) भारतीय वायुसेना के पास किसी विमान द्वारा हवाई घुसपैठ पर नजर रखने और उसे विफल करने के लिए अपेक्षित हवाई रक्षा तंत्र है।

[हिन्दी]

प्रमुख रेलगाड़ियों में मोबाइल पुलिस गश्त

582. श्री जयभान सिंह पवैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ मंडलों में प्रमुख रेलगाड़ियों में मोबाइल पुलिस गश्त लगाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मंडल–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव अन्य मंडलों में भी यह सुविधा प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि सं. 2 के अनुसार 'पुलिस' (रेलवे तथा ग्रामीण पुलिस) राज्य सरकार का विषय है। रेल परिसरों तथा चलती गाड़ियों में भी कानून और व्यवस्था को बनाए रखना राज्य पुलिस की संवैधानिक जिम्मेदारी है। अतः, इस सुविधा को मुहैया कराना तथा इसका विभिन्न गाडियों में विस्तार करना रा.रे.पु. के क्षेत्राधिकार में आता है जो कि संबंधित राज्य सरकारों के अधीन कार्य करती है।

[अनुवाद]

चिकित्सा और सौन्दर्य प्रसाधन संबंधी विज्ञापन

583. प्रो. ए. के. प्रेमाजम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दूरदर्शन को उन चिकित्सा और सौन्दर्य प्रसाधन संबंधी वस्तुओं के विज्ञापन की अनुमति देती है जिनकी मूल और गुणवत्ता की कोई जानकारी नहीं होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इसे कब तक रोकने जा रही है और ऐसे विज्ञापनों के विरुद्ध कब तक कठोर कानून अधिनियमित करने जा रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले सभी विज्ञापन वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता के प्रावधानों द्वारा विनियंत्रित होते हैं। संहिता के अनुसार विज्ञापित मदों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में यथाउल्लिखित कोई दोष या कमी नहीं होनी चाहिए और उनमें ऐसे संदर्भ नहीं देने चाहिए जिनसे लोगों में यह अर्थ लगाने की संभावना बढ़ती हो कि विज्ञापित उत्पाद अथवा इसके अंशों में कुछ विशेष अथवा अद्भुत या अति–प्राकृतिक विशेषता या गुणवत्ता छिपी है, जिसको सिद्ध किया जाना कठिन हो।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास सड़क का निर्माण

584. श्री बृजलाल खाबरी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत–चीन सीमा पर चीन की ओर से वास्तविक नियंत्रण रेखा के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए भारतीय संघ राज्य में वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास सड़क नेटवर्क का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) हमारी संक्रियात्मक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सड़क निर्माण करना एक सतत प्रक्रिया है। भारत–चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा सहित हमारी सीमाओं के साथ अनेक सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।

सरकार सतर्क रहती है और भारत की संप्रभुत्ता, प्रादेशिक अखंडता और सुरक्षा के प्रति सभी संभव उपाय करती है।

[अनुवाद]

जम्मू-उधमपुर रेल लाइन

585. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू–उधमपुर रेल लिंक परियोजना जिसकी शुरूआत 20 वर्ष पहले हुई थी, अभी भी एक सपना बनी हुई है;

(ख) क्या इस लंबी अवधि के दौरान तीन निर्माण कम्पनियां चली गईं और चूककर्त्ता ठेकेदारों से 1.42 करोड़ रुपये वसूला जाना शेष है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या बकाया धनराशि की वसूली अब तक नहीं की गई है;

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जम्मू–उधमपुर रेल संपर्क परियोजना 1982 में प्रारंभ की गई थी तथा लगभग पूरी होने वाली है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। बहरहाल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने उनकी 2001 की रिपोर्ट सं. 9 में निम्नलिखित फर्मों से निम्नानुसार 1.42 करोड़ रु. की वसूली का उल्लेख किया है। वसूली की स्थिति उनके सामने नीचे दी गई है।

(i) मैसर्स चहल इंजीनियरिंग एण्ड कम्पनी लि.

वसूली की किस्म	वसूली जाने वाली राशि	वसूली की स्थिति
सीमेंट, स्टील तथा विस्फोटकों आदि के लिए वसूली	0.37 करोड़ रु.	अभी वसूली की जानी है। मामला न्यायालय में है।

(ii) मैसर्स हिमालयन कंसट्रक्टशन कं.

वसूली की किस्म	वसूली जाने वाली राशि	वसूली की स्थिति
अग्रिम जुटाना	0.62 करोड़ रु.	पूर्ण वसूली कर ली गई।
सीमेंट, स्टील तथा विस्फोटकों आदि के लिए वसूली	0.43 करोड़ रु.	अभी वसूली की जानी है। मामला न्यायाधीन है।

(ङ) परियोजना के 2003–2004 के दौरान पूरी होने की प्रत्याशा है।

कोयले की ढुलाई के लिए माल भाड़े में रियायत

586. श्री. के. येरननायडू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से ए.पी.जी.ई.एन.सी.ओ. द्वारा कोयले की ढुलाई के लिए माल भाड़े में 25% रियायत देने और ए.पी.जी.ई.एन.सी.ओ. को पूर्व भुगतान के आधार पर 15% अधिभार के भुगतान की छूट देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) माननीय मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश से मानगुरु से कोथागुदेम, ए.पी.जी.ई.एन.सी.ओ. के ताप बिजलीघर तक कोयले पर 25 प्रतिशत रियायत देने तथा 'टू–पे' आधार पर कोयले की ढुलाई पर लगाए गए 15 प्रतिशत के अधिभार से मुक्त करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए थे।

मौजूदा नीति के अनुसार, 50 किमी. की दूरी तक बुक किए गए यातायात के लिए माल भाड़े में 25 प्रतिशत की छूट अनुमेय हैं। चूंकि मानगुरु से कोथागुदेम, ए.पी.जी.ई.एन. सी.ओ. के ताप बिजलीघर तक कोयले के यातयात के लिए प्रभार योग्य दूरी, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए सुझाव कि एक बार में शामिल विभिन्न खंडों की दूरी को पूर्णांकित करने के बाद भी 50 किमी. से अधिक हो जाती है, अतः कथित रियायत को स्वीकार करना व्यावहारिक नहीं है।

कोयला यातायात के लिए माल भाड़े के पूर्व–भुगतान की मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार 1.10.1996 से अनिवार्य कर दिया गया है। पूर्व–भुगतान यातायात पर कोई अधिभार वसूलनीय नहीं है।

[हिन्दी]

आकाशवाणी/एफएम सामुदायिक रेडियो स्टेशन

587. श्री वाई. जी. महाजन :
श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में आकाशवाणी/एफएम रेडियो सेवाओं की शुरूआत हेतु अनुमति प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक किस–किस राज्य ने केन्द्र सरकार के पास ऐसे प्रस्ताव भेजे हैं; और

(घ) इन राज्यों में सामुदायिक रेडयो स्टेशनों के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) इस समय देश में आकाशवाणी के पांच सामुदायिक रेडियो स्टेशन काम कर रहे हैं। ये मेघालय में नांगस्टोइन और विलियम नगर, मिजोरम में सैहा, नागालैंड में मोन और तुएंगसांग में स्थित हैं।

(ग) और (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

जासूसी मामले

588. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुसेना कर्मी पाकिस्तान के लिए जासूसी में लिप्त पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला है; और

(ग) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) एक।

(ग) एक वायुसैनिक गिरफ्तार किया गया है और वह न्यायिक हिरासत में है। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही है।

[अनुवाद]

नये जोनों पर व्यय

589. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री अधीर चौधरी :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने नये रेलवे जोनों के सृजन हेतु 700 करोड़ रुपये की धनराशि नियत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे में वित्तीय संकट के कारण अनेक सुरक्षा संबंधी कार्य लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो नये जोनों के सृजन पर भारी धनराशि खर्च किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या रेलवे बोर्ड ने मंत्रिमंडल को अपने टिप्पण में नये जोनों के सृजन के विरुद्ध सिफारिश की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या रेलवे बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष और फेडरेशन ऑफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन ने सरकार से रेलवे जोनों के पुनर्गठन पर पुनः विचार करने की मांग की है; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं। बहरहाल, नए जोनों को सृजित करने की अनुमानित लागत 620 करोड़ रुपए है जो कि 5 वर्षों की अवधि में खर्च की जाएगी जिसमें पहले से खर्च किए गए 58 करोड़ रुपए तथा चालू वर्ष (अर्थात् 2002–03) के दौरान निर्धारित 29.77 करोड़ रुपए शामिल हैं।

(ख) संरक्षा संबंधी कार्यों का निष्पादन रेलों पर एक सतत प्रक्रिया है। संरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण परिसम्पत्तियों के नवीकरण के बकाया कार्य को समाप्त करने के लिए हाल ही में 17,000 करोड़ रुपये से एक विशेष रेल संरक्षा निधि की स्थापना की गई है।

(ग) इन नए जोनों का उद्देश्य रेलों की कार्यकुशलता में बेहतरी लाना है। जैसा कि विशेषज्ञों ने सिफारिश की थी छोटे संगठन ज्यादा कार्यकुशल होते हैं। रेलवे संचालन के विशाल स्वरूप को देखते हुए, कार्यकुशलता में थोड़ी–सी वृद्धि होने पर भी काफी फायदा होगा और एकबारगी निवेश का पता भी नहीं चलेगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी, हां। फेडरेशन ऑफ रेलवे आफीसर्स एसोसिएशन (एफ.आर.ओ.ए.) के पूर्व अध्यक्ष एवं अन्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(छ) सरकार उनके विचारों से सहमत नहीं है।

उड़ान सुरक्षा

590. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना ने उड़ान सुरक्षा में सुधार हेतु एक निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय वायु सेना ने अपनी प्रशिक्षण अकादमियों से वाणिज्यिक उड़ान लाइसेंस प्रदान करने का भी निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) उडान सुरक्षा में वृद्धि करने तथा इसका स्तरोन्नयन करने के लिए भारतीय वायुसेना में एक सतत तथा बहुमुखी प्रयास चलता रहता है। पायलटों के कौशल के स्तरों, सही निर्णय लेने की सक्षमता तथा उनमें परिस्थितिजन्य जागरूकता को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण की गुणता में वृद्धि के उपाय किए जा रहे हैं।

विमान के तकनीकी दोषों को दूर करने के लिए हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तथा संबंधित देशों के मूल उपस्कर निर्माताओं के साथ भी नियमित रूप से संपर्क बनाए रखा जाता है।

(ग) और (घ) भारतीय वायुसेना ने कमिशनिंग चरण के दौरान प्रशिक्षुओं (पायलटों तथा नेविगेटरों) के लिए दिसंबर, 2002 से नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा संचालित वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस तथा उड़ान नेविगेटर लाइसेंस परीक्षाएं शुरू की हैं।

फ्रांस से पनडुब्बी की खरीद

591. श्री एन. एन. कृष्णदास :
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :
श्रीमती प्रभा राव :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्क्रोपीन पनडुब्बी की खरीद हेतु फ्रांस के साथ कोई सौदा किया है;

(ख) क्या फ्रांसीसी निर्माताओं द्वारा उद्धृत दर प्रोजेक्ट 75 में प्रस्तावित स्वदेशी उत्पादन की अनुमानित लागत की अपेक्षा कहीं अधिक है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे उपरोक्त सौदे किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार रूस अथवा फ्रांस के सहयोग से अमूर और स्क्रोपीन श्रेणी की पनडुब्बी का निर्माण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं। स्क्रोपीन पनडुब्बियों की सीधी खरीद का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) परियोजना 75 में प्रौद्योगिकी अंतरण के तहत फ्रांसीसी डिजाइन की पनडुब्बी का स्वदेशी विनिर्माण किए जाने की परिकल्पना है तथा सीधी खरीद की कोई बात नहीं है।

(घ) और (ङ) सरकार ने पनडुब्बियों का स्वदेशी विनिर्माण करने तथा पनडुब्बी निर्माण में राष्ट्रीय सक्षमता प्राप्त करने के लिए एक 30 वर्षीय संदर्शी योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत दो प्रकार की पनडुब्बियों का विनिर्माण किए जाने की योजना है। आवश्यक स्वीकृतियों के बाद फ्रांसीसी डिजाइन की स्क्रोपीन पनडुब्बियों के विनिर्माण हेतु विनिर्माण यार्ड के रूप में माझगांव डॉक लिमिटेड की पहचान की गई है। रूस के सहयोग से अमूर पनडुब्बियों के निर्माण के प्रस्ताव क सबध म काइ निणय नहा लिया गया है।

क्षेत्रीय और लघु समाचार-पत्रों का विकास

592. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय और लघु समाचार–पत्रों का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने भारत के समाचार–पत्र पंजीयक, नई दिल्ली द्वारा लघु समाचार–पत्रों को तंग किए जाने की ओर ध्यान दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार समाचार–पत्रों विशेषकर राजस्थान के पिछड़े रेगिस्तान क्षेत्रों से प्रकाशित लघु समाचार–पत्रों के पंजीकरण में विलंब और असुविधा दूर करने हेतु दिशा–निर्देश जारी करने और समय तथा मार्ग–निर्देश जारी करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) विज्ञापन नीति के अनुसार सरकारी विज्ञापनों का अभिप्राय समाचार–पत्रों को वित्तीय सहायता देना नहीं है। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय प्रचार अपेक्षाओं और धनराशि की उपलब्धता के अनुसार समाचार–पत्रों में विज्ञापन जारी करता है। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि छोटे और मझौले समाचार–पत्रों को एक वर्ष में कम से कम नौ विज्ञापन जारी किए जाएं।

(ग) से (छ) भारत के समाचार–पत्रो के पंजीयक का कार्यालय समाचार–पत्रों शीर्षकों के सत्यापन और पंजीकरण के लिए प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 और समाचार–पत्रों का पंजीकरण (केन्द्रीय), नियम, 1956 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करता है। भारत के समाचार–पत्रों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा प्रसार आंकडों की जांच की प्रक्रिया भी निर्धारित कर दी गई है। कभी–कभी प्रकाशकों द्वारा शीर्षक सत्यापन/पंजीकरण/प्रसार आंकड़ों की जांच के लिए अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण देरी हो जाती है। पूर्ण दस्तावेजों सहित आवेदन करने के मामले में पंजीकरण का कार्य अधिमानतः 30 दिनों में पूरा कर दिया जाता है।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन संबंधी योजनाओं को मंजूरी

593. डा. चरणदास महंत : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999 से अक्टूबर, 2002 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा निजी और सरकारी क्षेत्र की किन–किन विद्युत उत्पादन संबंधी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ख) उपरोक्त वित्तीय वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र की किन–किन विद्युत उत्पादन कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और इस संबंध में कितनी धनराशि जमा की गई है;

(ग) किन–किन राज्यों में निजी क्षेत्र की विद्युत उत्पादन कम्पनियों द्वारा विद्युत उत्पादन शुरू किया जाना है;

(घ) क्या विद्युत परियोजना संबंधी कार्य पूरा हो गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इस विलंब के योजनावार कारण क्या हैं जिसके फलस्वरूप ऐसी महत्वाकांक्षी विद्युत परियोजनाएं फाइलों में रह जाती हैं; और

(च) इन परियोजनाओं के विलंब के लिए कौन–कौन से व्यक्ति दोषी पाए गए?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) द्वारा 1.4.99 से 31.10.2002 तक जिन निजी और सरकारी क्षेत्र की विद्युत उत्पादन स्कीमों को तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई थी उन स्कीमों के नाम, क्षमता और राज्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि 18.2.1995 के बाद निजी क्षेत्र कम्पनियों को विद्युत परियोजनाएं प्रदान करने संबंधी समझौता ज्ञापन प्रक्रिया को छोटा बना दिया गया है। इस प्रकार निजी कम्पनियों को अंतिम तिथि के पश्चात् विद्युत परियोजनाएं केवल प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से ही प्रदान की जा सकती हैं। तथापि कुछ श्रेणियों की स्कीमों, जहां समझौता ज्ञापन प्रक्रिया व्यवहार्य समझी गई, को इस शर्त में छूट प्रदान की गई है। सामान्यतः निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत बोर्डों और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) के बीच किए जाते हैं। भारत सरकार ने प्रश्नगत अवधि के दौरान किसी भी आईपीपी के साथ कोई एमओयू निष्पन्न नहीं किया है।

(घ) और (ङ) वर्ष 1999 से अक्टूबर, 2002 के दौरान के.वि.प्रा. से तकनीकी आर्थिकी स्वीकृति प्राप्त कोई भी निजी विद्युत परियोजना पूरी नहीं हुई है। इन परियोजनाओं की स्थिति विलंब के मुख्य कारण इंगित करते हुए संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(च) वित्तीय समापन प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्वीकृतियां/सूचनाएं सुनिश्चित करने तथा निर्माण कार्य आरभ करने की प्राथमिक जिम्मेवारी संबंधित परियोजना विकासकर्त्ताओं की होती है। भारत सरकार ने विलंब हेतु उत्तरदायी व्यक्तियो का पता लगाने के लिए किसी प्रकार की कोई जाच नहीं कराई है।

विवरण-I

स्कीम का नाम/क्षमता (मेगावाट)	क्षेत्र	राज्य	स्वीकृति की तिथि
1	2	3	4
1999-2000			
हाइड्रो			
मिंटडू (लेश्क) स्टेज–I एचईपी (84 मे.वा.)	राज्य क्षेत्र	मेघालय	20.9.1999
लारजी एच ई पी (126 मे.वा.)	राज्य क्षेत्र	हिमाचल प्रदेश	14.1.2000
मनेरी भाली एचईपी स्टेज–II (304 मे.वा.)	राज्य क्षेत्र	उत्तरांचल	21.2.2000
थर्मल			
वेमागिरी सीसीपीपी (492 मे.वा.–520 मे.वा. में) संशोधित	निजी क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	14.1.99

1	2	3	4
गौरीपोर ओपीपी (150 मे.वा.)	निजी क्षेत्र	पश्चिमी बंगाल	19.4.99 (प्रस्ताव समाप्त)
रामागुंडम टीपीपी चरण–III (500 मे.वा.)	केन्द्रीय क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	29.4.99
डूबरी टीपीपी (500 मे.वा.)	निजी क्षेत्र	उड़ीसा	29.4.99
नागार्जुन टीपीपी (1015 मे.वा)	निजी क्षेत्र	कर्नाटक	29.4.99
जामनगर पेटकोक आधोरित टीपीपी (500 मे.वा.)	निजी क्षेत्र	गुजरात	24.5.99
पारली ओपीएस विस्तार चरण–I (250 मे.वा.)	राज्य क्षेत्र	महाराष्ट्र	9.7.99
करियाकल सीसीजीटी (32.5 मे.वा.)	राज्य क्षेत्र	पांडिचेरी	12.7.99
सूरतगढ़ टीपीएस चरण–II (500 मे.वा.)	राज्य क्षेत्र	राजस्थान	9.7.99
कुडालोर टीपीपी (1320 मे.वा.)	निजी क्षेत्र	तमिलनाडु	13.8.99
मथानिया एकीकृत सोलर सीसीपी (140 मे.वा.)	राज्य क्षेत्र	राजस्थान	27.8.99
अकरीमोटा टीपीएस (250 मेगावाट)	राज्य क्षेत्र	गुजरात	6.9.99
कनीमिंके सीसीपीपी (107.6 मे.वा.)	निजी क्षेत्र	कर्नाटक	20.9.99
वैम्बर सीसीपीपी (1873 मे.वा.)	निजी क्षेत्र	तमिलनाडु	24.9.99
रिहंद एसटीपीएस चरण–II (1000 मे.वा.)	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	1.10.99
सीपत एसटीपीपी–i (1980 मे.वा.)	केन्द्रीय क्षेत्र	मध्य प्रदेश	17.1.2000
प्रगति सीसीजीटी (330 मे.वा.)	केन्द्रीय क्षेत्र	दिल्ली	10.2.2000
कन्नूर सीसीजीटी (513 मे.वा.)	निजी क्षेत्र	केरल	16.2.2000
2000-01			
हाइड्रो			
श्रीनगर एचइपी (330 मे.वा.)	निजी क्षेत्र	उत्तरांचल	14.6.2000
बैराबी डैम एचईपी (80 मे.वा.)	राज्य क्षेत्र	मिजोरम	9.11.2000
पार्बती एचईपी चरण–II (800 मे.वा.)	केन्द्रीय क्षेत्र	हिमाचल प्रदेश	3.1.2001
बालीमेला एचईपी एक्स. प्रोजेक्ट यूनिट 7 व 8 (150 मे.वा.)	राज्य क्षेत्र	उड़ीसा	5.1.2001

1	2	3	4
थर्मल			
गुरु हरगोबिन्द टीपीपी चरण–II (500 मे.वा.)	राज्य क्षेत्र	पंजाब	15.9.2000
हजीरा सीसीपीपी (156 मे.वा.)	राज्य क्षेत्र	गुजरात	22.9.2000
रायचूर टीपीपी यूनिट–7 (210 मे.वा.)	राज्य क्षेत्र	कर्नाटक	31.1.2001
रामगढ़ सीसीजीटी चरण–II (75.325 मे.वा.)	राज्य क्षेत्र	राजस्थान	16.2.2001
कोविलकल्लापल सीसीपीपी (107.88 मे.वा.)	राज्य क्षेत्र	तमिलनाडु	28.2.2001
2001-02			
हाइड्रो			
धामवारी सुंडा एचईपी (70 मे.वा.)	निजी क्षेत्र	हिमाचल प्रदेश	6.7.2001
अल्माटी डैम पावर हाऊस (290 मे.वा.)	राज्य क्षेत्र	कर्नाटक	28.2.2002
थर्मल			
सूरतगढ़ टीपीएस चरण–III (250 मे.वा.)	राज्य क्षेत्र	राजस्थान	27.7.2001
बढ़ एसटीपीएस (1980 मे.वा.)	केन्द्रीय क्षेत्र	बिहार	28.9.2001
धुवरन सीसीजीटी (106.617 मे.वा.)	राज्य क्षेत्र	गुजरात	30.10.2001
कहलगांव एसटीपीएस चरण–II (1320 मे.वा.)	केन्द्रीय क्षेत्र	बिहार	27.11.2001
मोनारचक गैस आधारित सीसीजीटी (500 मे.वा.)	केन्द्रीय क्षेत्र	त्रिपुरा	19.2.2002
मेजिया टीपीएस एक्स. यूनिट–4 (210 मे.वा.)	केन्द्रीय क्षेत्र	पश्चिमी बंगाल	21.3.2002
2002-03			
हाइड्रो			
कोल डैम एचईपी (800 मे.वा.)	केन्द्रीय क्षेत्र	हिमाचल प्रदेश	30.6.2002
अलैन दुहानगंज एचईपी (192 मे.वा.)	निजी क्षेत्र	हिमाचल प्रदेश	20.8.2002
उहल चरण–III (100 मे.वा.)	राज्य क्षेत्र	हिमाचल प्रदेश	19.9.2002
थर्मल			
कोटा टीपीएस यू.–6 (चरण–4) (195 मे.वा.)	राज्य क्षेत्र	राजस्थान	23.5.2002
बकरेश्वर टीपीएस एक्स. यूनिट–4 व 5 (420 मे.वा.)	राज्य क्षेत्र	पश्चिमी बंगाल	31.5.2002

1	2	3	4
वैलूथर (पैरूनगुलाम) सीसीजीटी (94 मे.वा.)	राज्य क्षेत्र	तमिलनाडु	2.8.2002
ताऊ देवी लाल टीपीएस यूनिट 7 व 9 चरण–5 (500 मे.वा.)	राज्य क्षेत्र	हरियाणा	8.8.2002
नेवेली टीपीएस ॥ एक्सपेंशन (500 मे.वा.)	केन्द्रीय क्षेत्र	तमिलनाडु	19.8.2002
विंध्याचल एसटीपीएस चरण–III (1000 मे.वा.)	केन्द्रीय क्षेत्र	मध्य प्रदेश	27.8.2002
सीपत एसटीपीएस चरण–II (660 मे.वा.)	केन्द्रीय क्षेत्र	छत्तीसगढ़	29.8.2002

विवरण-II

1999 से अक्टूबर, 2002 के दौरान केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत की गई निजी विद्युत परियोजनाएं

परियोजना का नाम/क्षमता (मे.वा.)	राज्य	चालू होने का समय	टिप्पणी/विलंब के कारण
1	2	3	4
ताप विद्युत			
जामनगर पैटकोक आधारित टीपीपी (500 मे.वा.)	गुजरात	वित्तीय समापन से 49 महीने	वित्तीय समापन नहीं प्राप्त होने से।
नागार्जुन टीपीपी (1015 मे.वा.)	कर्नाटक	वित्तीय समापन से 39 महीने	कर्नाटक सरकार से पीपीए का अनुमोदन प्राप्त होना शेष है। वित्तीय समापन नहीं प्राप्त हुआ है।
कनीमिनीका सीसीजीटी (107.6 मे.वा.)	कर्नाटक	वित्तीय समापन से 17 महीने	एस्क्रो प्रबंध/भुगतान सुरक्षा प्रबंधी अभी प्राप्त नहीं हुआ है।
कन्नूर सीसीजीटी (513 मे.वा.)	केरल	वित्तीय समापन से 25 महीने	एस्क्रो कवर एवं वित्तीय समापन प्राप्त नहीं होने से।
वैम्बर सीसीपीपी (1873 मे.वा.)	तमिलनाडु	पहले माड्यूल के लिए वित्तीय समापन से 38 महीने तथा शेष माड्यूल 3 महीने के अंतराल पर	(1) तमिलनाडु पूरी बिजली लेने में असमर्थ है। (2) वित्तीय समापन प्राप्त नहीं होना।
कुडालोर टीपीएस (1320 मे.वा.)	तमिलनाडु	वित्तीय समापन से 44 महीने	(1) तमिलनाडु पूरी बिजली लेने में असमर्थ है। (2) वित्तीय समापन प्राप्त नहीं होना।
वेमागिरी सीसीपी (492 मे.वा.– संशोधित 520 मे.वा.)	आंध्र प्रदेश	वित्तीय समापन से 24 महीने	(1) क्षमता को 492 मे.वा. से 520 मे.वा. करने से संशोधित टीईसी प्राप्त करने में।

1	2	3	4
			(2) वित्तीय समापन प्राप्त नहीं होना।
इब वैली चरण–II (500 मे.वा.)	उडीसा	वित्तीय समापन से 36 महीने	(1) अब तक ग्रिडको और एईएस कम्पनी के बीच एस्क्रो समझौता पर हस्ताक्षर नहीं हुआ है। एस्क्रो समझौता का अंतिम प्रारूप हस्ताक्षर हेतु उड़ीसा के ग्रिड कारपोरेशन के पास लंबित है। (2) ईपीसी संविदा की तकनीकी बोली का मूल्यांकन हो चुका है। वित्तीय बोली भारत सरकार से काउंटर गारंटी प्राप्त होने के बाद आमंत्रित की जाएगी। अब तक काउंटर गारंटी जारी नहीं की गई है।
डुबूरी टीपीएस (500 मे.वा.)	उड़ीसा	वित्तीय समापन से 36 महीने	उड़ीसा सरकार द्वारा गारंटी जारी होने के कारण वित्तीय समापन प्राप्त नहीं हो सका।
हाइड्रो			
श्रीनगर एचईपी (330 मे.वा.)	उत्तरांचल	11वीं योजना	वित्तीय समापन प्रतीक्षित
धामवाड़ी सुंडा (70 मे.वा.)	हिमाचल प्रदेश	2006–07	वित्तीय समापन प्रतीक्षित
अलैन दुहानगंज (192 मे.वा.)	हिमाचल प्रदेश	2008–09	वित्तीय समापन प्रतीक्षित
गौरीपोर टी पी पी (150 मे.वा.)	पश्चिमी बंगाल	–	राज्य सरकार ने परियोजना को निजी क्षेत्र के जरिए क्रियान्वित नहीं करने का फैसला किया है।

एफसी = वित्तीय समापन, सीसीपीपी = कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट, सीसीजीटी = कंबाइंड साइकल गैस टरबाइन, टीपीपी = थर्मल पावर प्रोजेक्ट, टीपीएस = थर्मल पावर स्टेशन, एचईपी = हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट

निर्माणाधीन विद्युत उत्पादक परियोजनाएं

594. श्री सुरेश चन्देल : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एवं गैर–सरकारी क्षेत्रों की कई विद्युत उत्पादक परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो उन विद्युत उत्पादक परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है जो ताप, जल विद्युत एवं पेट्रोलियम उत्पादों पर आधारित है;

(ग) प्रत्येक परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने प्रत्येक परियोजना के विद्युत उत्पादन की प्रति मेगावाट लागत का आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ङ) जी, हां। सरकारी एवं गैर–सरकारी क्षेत्रों में अनेक विद्युत उत्पादन परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इन परियोजनाओं के संबंध में ईंधन–वार, राज्य–वार तथा प्रति मेगावाट लागतवार ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षमता (मेगावाट)	क्रियान्वयक एजेंसी	अनुमानित लागत (करोड़)	लागत/ मेगावाट (करोड़)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8
केन्द्रीय क्षेत्र							
कोयला आधारित							
1.	रिहंद एसटीपीपी चरण–2	उत्तर प्रदेश	1000	एनटीपीसी	4028.03	4.03	
2.	रामागुण्डम टीपीपी चरण–3	आंध्र प्रदेश	500	एनटीपीसी	2128.61	4.26	
3.	तालचेर एसटीपीपी चरण–2	उड़ीसा	2000	एनटीपीसी	6854.99	3.43	
4.	नैवेली टीपीएस–1	तमिलनाडु	420	एनएलसी	1590.58	3.79	यूनिट–1 21.10.02 को समकालित
5.	मेजिया टीपीएस विस्तार	पश्चिमी बंगाल	210	डीवीसी	797.82	3.80	
राज्य क्षेत्र							
कोयला आधारित							
1.	सूरतगढ़ चरण–3	राजस्थान	250	आरआरवीयूएनएल	752.738	3.01	
2.	कोटा टीपीएस चरण–4	राजस्थान	195	आरआरवीयूएनएल	634.78	3.25	
3.	अकरीमोटा लिग्नाइट टीपीपी आधारित	गुजरात	250	जीएमडीसीएल	1338.42	5.35	
4.	रायचूर टीपीपी	कर्नाटक	210	केपीसीएल	613.00	2.92	
गैस आधारित							
1.	प्रगति सीसीपीपी	दिल्ली	330	पीपीसीएल	1077.30	3.26	जी.टी.–1 5.03.02 को समकालित

1	2	3	4	5	6	7	8
							जी.टी.–2 9.11.02 को समकालित
2.	बारामूरा जी.टी. विस्तार	त्रिपुरा	21	त्रिपुरा सरकार	95.36	4.54	
3.	वलथूर जीटीपीपी	तमिलनाडु	94	टीएनईबी	301.36	3.21	
4.	रामगढ़ चरण–2 सीसीजीटी	राजस्थान	75.325	आरआरवीयूएनएल	280.00	3.72	जी.टी.–2 7.8.02 को समकालित
5.	धुवरण सीसीपीपी	गुजरात	106.617	जीएसईसीएल	310.06	2.91	
6.	कुट्टालम जीटीपीपी	तमिलनाडु	101	टीएनईबी	288.75	2.88	
तरल ईंधन आधारित							
1.	बैराबी में एचएफओ आधारित डीजीपीपी	मिजोरम	22.92	मिजोरम सरकार	87.73	3.83	
निजी क्षेत्र							
कोयला आधारित							
1.	रामागुण्डम टीपीपी	आंध्र प्रदेश	520	बीपीएल पावर प्रोजेक्ट लि.	2389.06	4.59	
गैस आधारित							
1.	डाभोल (चरण–2)	महाराष्ट्र	1444	डीपी कंपनी	6538.00	4.53	
तरल ईंधन							
1.	बम्बूफ्लैट डीजी यूनिट–1–4	अंडमान व निकोबार	20	मै. सूर्यचक्र पावर कारपोरेशन लि.	63.14	3.16	यू–2 और 4 06/02 को समकालित

निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं

क्र.सं.	स्कीम का नाम	राज्य	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का कार्यक्रम अद्यतन	अद्यतन लागत (करोड़ रुपये)	लागत/ मेगावाट (करोड़ रुपये)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8
	केन्द्रीय क्षेत्र						
1.	धौलीगंगा (एनएचपीसी)	उत्तरांचल	280.00	2004–05	1578.31	5.64	

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	चमेरा चरण–2 (एनएचपीसी)	हिमाचल प्रदेश	300.00	2004–05	1684.02	5.61	
3.	दुलहस्ती (एनएचपीसी)	जम्मू–कश्मीर	390.00	2003–04	3559.77	9.13	
4.	पुरुलिया पीएसएस (एनएचपीसी)	पश्चिमी बंगाल	900.00	2006–07	31888.90	3.54	संयुक्त उद्यम
5.	तीस्ता चरण–5 (एनएचपीसी)	सिक्किम	510.00	2006–07	2198.04	4.31	
6.	लोकतक डी/एस (एनएचपीसी)	मणिपुर	90.00	2008–09	578.62	6.43	कार्य रुका हुआ है
7.	पार्वती चरण–2	हि.प्र.	800.00	2009–10	3919.59	4.90	
8.	इंदिरा सागर (एनएचडीसी)	म.प्र.	1000.00	2004–06	3527.54	3.53	संयुक्त उद्यम
9.	नाथपा–झाकड़ी (एनजेपीसी)	हि.प्र.	1500.00	2003–04	7666.31	5.11	
10.	टिहरी चरण–1 (टीएचडीसी)	उत्तरांचल	1000.00	2002–04	5690.64	5.69	
11.	कोटेश्वर (टीएचडीसी)	उत्तराचल	400.00	2005–06	1301.56	3.25	
12.	तुरियल (नीपको)	मिजोरम	60.00	2006–07	448.19	7.47	
13.	कोपिली चरण–2 (नीपको)	असम	25.00	2003–04	99.35	3.97	
14.	कोल डैम (एनटीपीसी)	हि.प्र.	800.00	2008–10	4492.77	5.62	
	कुल (केन्द्रीय क्षेत्र)		8055.00				
	राज्य क्षेत्र						
15.	बगलीहार	जम्मू–कश्मीर	450.00	2004–05	3810.00	8.47	
16.	लारजी	हि.प्र.	126.00	2004–05	908.64	7.21	
17.	मेनरी भाली–2	उत्तरांचल	304.00	2005–06	1249.18	4.11	
18.	लखवर व्यासी	उत्तरांचल	420.00	11वीं योजना	1446.00	3.44	कार्य रुका हुआ है
19.	सरदार सरोवर	गुज./म.प्र./महा.	1450.00	2002–07	3267.25	2.25	सीएचपीएच की यू–2 और 3 चालू हो गई हैं
20.	मडीखेड़ा	मध्य प्रदेश	40.00	2004–05	169.17	4.23	
21.	बाणसागर टोंस चरण–4	मध्य प्रदेश	20.00	2004–05	84.97	4.25	

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	घाटघर पीएसएस	महाराष्ट्र	250.00	2004–05	1184.60	4.74	
23.	प्रियदर्शिनी जुराला	आंध्र प्रदेश	235.00	2006–07 (दो यूनिटें) और चार यूनिटें 11वीं योजना में	547.00	2.33	
24.	श्रीसेलम एलबीपीएच	आंध्र प्रदेश	900.00	2000–04	2482.00	2.76	यू–1 से 3 चालू
25.	अलमट्टी बांध	कर्नाटक	290.00	2004–06	674.38	2.33	
26.	पाइकारा अल्टीमेट	तमिलनाडु	150.00	2003–04	373.06	2.49	
27.	भवानी बैराज 1 से 3	तमिलनाडु	90.00	2004–05	241.82	2.69	अंतर्राज्यीय समस्या
28.	बालीमेला विस्तार	उड़ीसा	150.00	2005–07	200.09	1.33	
29.	बालीमेला डैम टो पीएच	उड़ीसा	60.00	11वीं योजना	69.30	1.16	कार्य रुका हुआ है
30.	कारबी लांग्पी (लोअर बोरपानी)	असम	100.00	2004–05	267.27	2.67	
31.	मिंत्दू	मेघालय	84.00	2006–07	363.08	4.32	
	निजी क्षेत्र						
32.	बास्ता चरण–2	हि.प्र.	300.00	2003–04	949.23	3.16	2002–03 तक चालू होने की संभावना है
33.	धामवाड़ी सुन्डा	हि.प्र.	70.00	2006–07	439.96	6.29	
34.	विष्णुप्रयाग	उत्तर प्रदेश	400.00	2006–07	1614.66	4.04	
35.	महेश्वर	मध्य प्रदेश	400.00	2005–07	1673.00	4.18	
	कुल (अखिल भारत)		14344.00				
	उपरोक्त में से जल विद्युत क्षमता पहले ही चालू हो चुकी है		550.00				
	क्रियान्वयनाधीन निवल जल विद्युत क्षमता		13794.00				

यू–यूनिट

जीटी–गैस टरबाईन

[अनुवाद]

असम में ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

595. श्री सुनील खां : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के मारघरिता में एक ताप विद्युत परियोजना स्थापित किए जाने का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस ताप विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु कुछ हद तक भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ग) अब तक इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) असम राज्य में मारघरिता में ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव तकनीकी आर्थिक स्वीकृति के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में नहीं प्राप्त हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

रेल भूमि का अतिक्रमण

596. श्री रघुनाथ झा : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अतिक्रमणकारियों ने रेलवे की भूमि के एक विशाल हिस्से पर कब्जा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड कार्यालय में विभिन्न रेल जोनों की रेलवे भूमि पर हुए अतिक्रमण पर अब मासिक आधार पर निगरानी रखी जा रही है;

(घ) क्या अतिक्रमणों की रोकथाम, पता लगाने एवं उन्हें हटाने हेतु विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी समन्वय और अतिरिक्त अतिक्रमणों हेतु प्रभारी निरीक्षक को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाने हेतु दिए गए संयुक्त प्रक्रिया संबंधी आदेशों के कोई प्रभावी परिणाम निकले हैं;

(ङ) क्या उनके मंत्रालय ने शहरी विकास मंत्रालय से पी.पी.ई. अधिनियम 1971, में संशोधन करके संपदा अधिकारी को ज्यादा शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) रेलवे की लगभग 2218 हेक्टेयर भूमि में अतिक्रमण है। राज्य–वार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। रेलवे जोन–वार ब्यौरा (30.9.2002 तक) नीचे दिया गया है–

जोन	अतिक्रमणाधीन क्षेत्र (हेक्टेयर)
मध्य	130
पूर्व	125
उत्तर	1213
पूर्वोत्तर	62
पूर्वोत्तर सीमा	230
दक्षिण	77
दक्षिण मध्य	50
दक्षिण पूर्व	256
पश्चिम	75
जोड़	2218

(ग) और (घ) जी, हां।

(ङ) और (च) जी, हां। सरकारी स्थान बेदखली अधिनियम, 1971 के खंड 5, 7, 8, 11 तथा 16 में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं कि (i) संपदाधिकारी (ई ओ) के आदेशों को दीवानी अदालत की डिग्री माना जाए, (ii) संपदाधिकारी के आदेशों का अनुपालन न करने पर वित्तीय दंड का प्रावधान हो और अदालत की अवमानना के लिए कार्रवाई की जाए और (iii) मामला चलने के दौरान संपदाधिकारी को व्यादेश/अंतरिम आदेश और अतिक्रमणकर्त्ता की संपत्ति को जब्त करने का निर्देश जारी करने का अधिकार हो।

[हिन्दी]

वाहन ईंधन संबंधी माशेलकर समिति की रिपोर्ट

597. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या वाहन ईंधन नीति की समीक्षा करने हेतु गठित माशेलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट में यातायात क्षेत्र में एलपीजी एवं सीएनजी जैसे गैस ईंधनों के उपयोग का विरोध किया है और ऐसे ईंधनों पर अत्यधिक निर्भरता के प्रति सरकार को आगाह किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने देश में उन प्रमुख वाहन ईंधनों के रूप में विशिष्ट गुणवत्ता वाले तरल ईंधनों पर बल दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने माशेलकर समिति की रिपोर्ट पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, नहीं।

माशेलकर समिति ने निम्न सिफारिश की हैं–

"न्यून कीमतों पर आटो ईंधनों की निश्चित आपूर्ति और पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करने के दो उद्देश्य निम्नलिखित उपलब्ध करवाकर प्राप्त किए जाने चाहिए :

(1) पूरे देश में मुख्य आटो ईंधनों के रूप में विशेष गुणवत्ता के तरल ईंधन, और

(2) उच्च वाहन प्रदूषण वाले नगरों में तरल आटो ईंधनों के साथ वैकल्पिक आटो ईंधन जिससे वाहन मालिक ईंधन और इंजन प्रौद्योगिकी के उपयुक्त मिश्रण का चुनाव करते हुए ऐसे नगरों में निर्धारित उत्सर्जन मानकों को पूरा कर सकें।"

(ग) और (घ) सरकार को माशेलकर समिति की रिपोर्ट 25 सितंबर, 2002 को प्राप्त हुई थी। सरकार ने सभी संबंधित पक्षों से 31 अक्टूबर, 2002 तक सुझाव आमंत्रित किए। समिति की सिफारिशों पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मशीनों का आयात

598. डा. बलिराम : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जनवरी, 1999 से 31 अक्टूबर, 2002 के बीच अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से संबंधित मशीनों का मूल्य कितना है;

(ख) उन भिन्न संस्थानों के नाम एवं पते क्या हैं जिन्होंने उन मशीनों का आयात किया है;

(ग) सरकार द्वारा इन मशीनों के आयात के लिए दी जा रही रियायतों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय निर्माताओं द्वारा निर्मित ऐसी मशीनें सस्ती दरों पर उपलब्ध हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मशीनों का उपयोग करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) 1 जनवरी, 1999 से 31 अक्टूबर, 2002 के दौरान लघु पनबिजली और खोई सहउत्पादन परियोजनाओं की स्थापना के लिए लगभग 62 करोड रु. के कुल मूल्य की मशीनरी और उपकरण रियायती शर्तों पर आयात किए गए थे। विभिन्न संस्थाओं, जिन्होंने ये मशीनें/उपकरण आयात किए हैं, के ब्यौरे विवरण–I में दिए गए हैं।

(ग) उस दौरान सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सीमा शुल्क रियायतों के ब्यौरे विवरण–II में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) ये मशीनें एवं उपकरण निजी निवेश के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय निधियन द्वारा सहायता प्राप्त आरंभ की गई वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए आयात की गई थीं। एक स्वतंत्र और प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में मशीनों के तुलनात्मक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए इनकी गुणवत्ता और कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना वाणिज्यिक परियोजनाओं के प्रमोटरों का काम है।

विवरण-I

मशीनों/उपकरणों का आयात करने वाली संस्थाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	संस्थाओं का विवरण
1.	मैसर्स काकतिया सीमेंट और शूगर इंडस्ट्रीज लि., जिला खम्मन, आंध्र प्रदेश
2.	मैसर्स गायत्री शूगर काम्पलेक्स लि., मैसर्स जिला नेलोर, आंध्र प्रदेश
3.	मैसर्स जामखंडी शूगरस लि., जिला बगलकोट, कर्नाटक
4.	मैसर्स सागर शूगर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स लि., जिला तनजावूर, तमिलनाडु
5.	मैसर्स ऑरो इनर्जी लि., जिला तनजावूर, तमिलनाडु
6.	मैसर्स सुप्रीम रिन्यूएबल इनर्जी लि., जिला कुड्डालोर, तमिलनाडु
7.	मैसर्स जीएमआर टेक्नुलोजीस एंड इंडस्ट्रीज लि., जिला श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश
8.	मैसर्स बोविंग फॉरेस लि., बंगलोर
9.	मैसर्स एचपीपी इनर्जी (इंडिया) प्रा. लि., नई दिल्ली
10.	मैसर्स ज्योति लि., बडोदरा
11.	मैसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लि., नई दिल्ली
12.	यूएनडीपी–जीईएफ पहाड़ी क्षेत्र पन बिजली परियोजना, एमएनईएस, नई दिल्ली
13.	मैसर्स अल्टरनेट हाइड्रो इनर्जी सेंटर, आईआईटी रुड़की, रुड़की

विवरण-II

सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सीमा शुल्क रियायतों का ब्यौरा

मद	मूल शुल्क	कुल शुल्क
1	2	3
विद्युत संयंत्र (कैप्टिव के अलावा)	5%	26.67%
के लिए मशीनरी के उत्पादन एवं आपूर्ति हेतु विनिर्माताओं द्वारा आयातित सामग्रियां		
कैप्टिव विद्युत संयंत्र	25%	50.8%
विद्युत उत्पादन परियोजनाएं (कैप्टिव संयंत्र को छोड़कर)	5%	26.67%
अन्य परियोजनाएं	25%	50.8%

[अनुवाद]

रक्षा भूमि का अतिक्रमण

599. श्री राम मोहन गाड़े :
श्री सुरेश रामराव जाधव :
डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में 9000 एकड़ रक्षा भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और भूमि का क्षेत्रफल कितना है;

(ग) सरकार द्वारा कब्जा करने वालों से अतिक्रमित भूमि को वापस लेने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार के पास 82 छावनी में फैली 17,00,000 एकड़ रक्षा भूमि में से किसी अतिरिक्त भूमि को बेचने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) लगभग 10617 एकड रक्षा भूमि क्षेत्र अतिक्रमण के अंतर्गत है। अतिक्रमण संबंधी, राज्यवार, सही–सही ब्यौरा संकलित किया जा रहा है तथा सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) छावनी अधिनियम, 1924 तथा सरकारी स्थान (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के तहत महानिदेशक रक्षा संपदा तथा सैन्य मुख्यालय

को अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई करने हेतु निदेश जारी किए गए हैं। कुछ अतिक्रमणों के संबंध में मुकदमे चल रहे हैं। अतः उन्हें न्यायालय के आदेश मिलने पर हटाया जाएगा।

(घ) जी, नही। मौजूदा रक्षा भूमि नीति में किसी रक्षा भूमि को अधिशेष घोषित करने का प्रावधान नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुजरात विधान सभा
चुनावों की घोषणा

600. श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री रामदास आठवले :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने स्थिति का आकलन करने के पश्चात् गुजरात एवं अन्य राज्यों में विधान सभा चुनावों एवं लोक सभा के लिए उप–चुनावों की तिथियों की घोषणा कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तिथियां एवं ब्यौरा क्या है; और

(ग) शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां। निर्वाचन आयोग ने गुजरात विधान सभा के साधारण निर्वाचनों के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, जिसके अनुसार ये निर्वाचन तारीख 12 दिसंबर, 2002 को कराए जाने के लिए नियत किए गए हैं। आयोग ने गुजरात, झारखंड और उत्तरांचल से लोक सभा के तीन उप–निर्वाचनों और राज्य विधान सभाओं के पांच उप–निर्वाचनों, अरुणाचल प्रदेश और असम से एक–एक तथा राजस्थान से तीन, के लिए कार्यक्रम की भी घोषणा कर दी है। इन उप–निर्वाचनों को गुजरात विधान सभा के साधारण निर्वाचनों के साथ ही कराया जा रहा है।

(ग) निर्वाचन आयोग ने यह सूचित किया है कि वह गुजरात विधान सभा के निर्वाचनों और उप–निर्वाचनों को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कराए जाने को सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय कर रहा है। इसने निर्वाचनों के सर्वेक्षण के लिए संप्रेक्षकों को तैनात करने का विनिश्चय किया है। इसने निर्बाध निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सरकार से गुजरात राज्य में पर्याप्त संख्या में परा–सैनिक बलों को तैनात करने की मांग की है। इसने शांतिपूर्ण और निर्बाध रीति में निर्वाचन कराने के लिए गुजरात सरकार को आवश्यक उपाय करने का निदेश दिया है। इसने गुजरात विधान सभा के लिए मतदान के संबंध में निम्नलिखित उपाय करने का भी विनिश्चय किया है–

(i) समस्त राज्य के लिए एक दिवसीय मतदान कराना।

(ii) सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के संचालन में इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों का प्रयोग करना।

(iii) राज्य में उचित मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मतदाता फोटो पहचान–पत्रों और अन्य पद्धतियों द्वारा मतदाताओं की पहचान करना।

रक्षा सेनाओं में भर्ती

601. श्री रामदास आठवले :
श्री त्रिलोचन कानूनगो :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक रक्षा सेनाओं के तीनों अंगों में जनजातीय क्षेत्रों सहित प्रत्येक राज्य में की गई भर्ती का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) आज तक की तिथि के अनुसार देश में विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में स्थित भर्ती केन्द्रों की राज्यवार एवं स्थानवार संख्या कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर देश के जनजातीय क्षेत्रों में किन भर्ती केन्द्रों से भर्ती की गई थी; और

(घ) देश में विशेषकर महाराष्ट्र, उडीसा एवं बिहार में भर्तियों में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) सेना तथा नौसेना में प्रत्येक राज्य से की गई भर्तियों की संख्या विवरण–I तथा II पर दी गई है। भारतीय वायु सेना में राज्यवार भर्ती के आंकड़े नहीं रखे जाते। भारतीय वायुसेना में गत तीन वर्षों में की गई भर्तियों का वर्षवार ब्यौरा निम्नवत् है–

वर्ष	भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या
2000	1891
2001	4019
2002	3026

(ख) और (ग) सेना, नौसेना तथा वायुसेना के भर्ती केन्द्रो/कार्यालयो का ब्यौरा विवरण–III पर दिया गया है।

(घ) रक्षा सेवाओं के प्रति युवकों को आकर्षित करने के लिए भर्ती कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार किया जा रहा है। नौसेना तथा वायुसेना में भर्ती अखिल भारतीय मेरिट के आधार पर की जाती है, अतः बिहार, उडीसा अथवा महाराष्ट्र से भर्ती में वृद्धि करने के लिए विशेष कदम उठाने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है। सेना में महाराष्ट्र तथा उडीसा से भर्ती संतोषजनक है। बिहार में बडी संख्या में सेना भर्ती मेले आयोजित किए गए हैं तथा शेष वर्ष के लिए भर्ती संबंधी योजना बनाई गई है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान सेना में की गई भर्ती

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999–2000	2000–2001	2001–2002
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप	25	14	49
2.	आंध्र प्रदेश	2292	3663	6614
3.	अरुणाचल प्रदेश	54	149	191
4.	असम	743	1225	1555
5.	बिहार	2558	3684	5105
6.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	9	6	11
7.	छत्तीसगढ़	–	407	1030
8.	दादरा और नगर हवेली	–	0	0
9.	दमन और दीव	–	0	0
10.	दिल्ली	311	410	1210
11.	गोवा (संघ राज्य क्षेत्र)	38	12	140
12.	गुजरात	787	1034	1899
13.	हरियाणा	2186	3328	3922
14.	हिमाचल प्रदेश	2242	3201	2747
15.	जम्मू–कश्मीर	2963	3989	3638
16.	झारखंड	–	749	1574
17.	कर्नाटक	1756	2755	3994
18.	केरल	1141	2266	3037
19.	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	4	15	0
20.	मध्य प्रदेश	1966	3244	4084
21.	महाराष्ट्र	3211	6079	7998
22.	मणिपुर	211	397	644
23.	मेघालय	59	88	120
24.	मिजोरम	114	222	296
25.	नागालैंड	199	236	578
26.	उड़ीसा	584	1562	1929
27.	पांडिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	–	7	6

1	2	3	4	5
28.	पजाब	5855	7840	6995
29.	राजस्थान	3870	5443	6575
30.	सिक्किम	7	19	62
31.	तमिलनाडु	2069	3598	5462
32	त्रिपुरा	54	149	157
33.	उत्तर प्रदेश	8631	9717	12562
34.	उत्तरांचल	–	4023	5966
35.	पश्चिमी बंगाल	1558	3449	4760
	कुल	45497	72980	94930
नोट :	भारतीय सेना में नेपाल से भर्ती किए गए व्यक्ति	1244	2135	1880
	कुल योग	46741	75115	96810

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान नौसेना में की गई भर्ती

क्र.सं.	राज्य	2000	2001	2002 अर्द्धवार्षिक
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	323	269	132
2.	अरुणाचल प्रदेश	03	01	01
3.	असम	63	19	16
4.	बिहार	779	490	446
5.	गुजरात	05	16	02
6.	हरियाणा	274	296	149
7.	हिमाचल प्रदेश	46	71	16
8.	जम्मू–कश्मीर	33	26	23
9.	कर्नाटक	27	16	00
10.	केरल	176	213	58
11.	गोवा	09	06	04
12.	मध्य प्रदेश	82	51	14
13.	महाराष्ट्र	59	77	23
14.	मणिपुर	12	08	07
15.	मेघालय	06	03	02
16.	नागालैंड	–	02	00
17.	मिजोरम	01	04	00
18.	त्रिपुरा	01	00	00
19.	उड़ीसा	165	219	97
20.	पंजाब	39	59	33
21.	राजस्थान	91	128	112
22.	पश्चिमी बंगाल	294	256	63
23.	उत्तर प्रदेश	896	693	279
24.	तमिलनाडु	80	67	07
25.	दिल्ली	66	59	27
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	05	05	00
27.	चंडीगढ़	05	13	00
28.	दमन और दीव	–	00	00
29.	लक्षद्वीप	–	00	00
30.	पांडिचेरी	4	01	01
31.	छत्तीसगढ़	00	13	05
32.	दादरा और नगर हवेली	00	00	00

1	2	3	4	5
33.	सिक्किम	00	00	00
34.	झारखंड	00	35	34
35.	उत्तराचल	00	37	47
	कुल	3544	3153	1598

विवरण-III

सशस्त्र सेनाओं के राज्यवार भर्ती केन्द्र

राज्य का नाम	सेना	नौसेना	वायुसेना
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	सिकन्दराबाद	विशाखापट्टनम	सिकन्दराबाद
	गन्तूर		
	विशाखापट्टनम		
अरुणाचल प्रदेश			
असम	जोरहाट	गुवाहाटी	गुवाहाटी
	सिलचर		
	नारंगी		
बिहार	दानापुर	मुजफ्फरपुर	पटना
	मुजफ्फरपुर	बिहटा	
	गया	गया	
	कटिहार		
गुजरात	अहमदाबाद	जामनगर	
	जामनगर		
हरियाणा	अम्बाला	अम्बाला	अम्बाला
	रोहतक		
	हिसार		
	चरखी दादरी		
हिमाचल प्रदेश	पालमपुर	शिमला	
	हमीरपुर		
	शिमला		
	मंडी		
जम्मू–कश्मीर	जम्मू	जम्मू	
	श्रीनगर	श्रीनगर०	
		लेह	
कर्नाटक	बेंगलूर	बेंगलूर	बेंगलूर
	मेंगलूर	करवार	
	बेलगाम		
केरल	त्रिवेन्द्रम	कोच्ची	कोचीन
	कालीकट		
गोवा		वास्को डी गामा	
मध्य प्रदेश	जबलपुर	जबलपुर	
	ग्वालियर		
	मऊ		
	भोपाल		
महाराष्ट्र	पुणे	मुम्बई	मुम्बई
	मुम्बई	लोनावाला	
	नागपुर		
	कोल्हापुर		
	औरंगाबाद		
मणिपुर			
मेघालय	शिलांग	शिलांग	
नागालैंड	रंगापहाड़	कोहिमा	
		दिमापुर	

1	2	3	4
मिजोरम		एजोल	
त्रिपुरा			
उडीसा	कटक	चिल्का	भुवनेश्वर
	सम्भलपुर		
	गोपालपुर	छावनी	
पंजाब	जालंधर	जालंधर	
	अमृतसर		
	फिरोजपुर		
	पटियाला		
	लुधियाना		
राजस्थान	जयपुर	जोधपुर	जोधपुर
	अलवर		
	झुंझनूं		
	जोधपुर		
	कोटा		
पश्चिमी बंगाल	कोलकाता	कोलकाता	बैरकपुर
	शिलीगुडी		
	कचनपाड़ा		
उत्तर प्रदेश	लखनऊ	देहरादून	कानपुर
	मेरठ	कानपुर	
	बरेली		
	आगरा		
	वाराणसी		
	अमेठी		
तमिलनाडु	चेन्नई	चेन्नई	चेन्नई
	त्रिचनापल्ली	कोयम्बटूर	
	कोयम्बटूर		
दिल्ली	नई दिल्ली	नई दिल्ली	नई दिल्ली
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह			
चंडीगढ़			
दमन व दीव			
लक्षद्वीप			
पांडिचेरी			
छत्तीसगढ़	रायपुर		
दादरा और नगर हवेली			
सिक्किम		गंगटोक	
		नामची	
झारखंड	रांची		
उत्तरांचल	लैंसडाऊन	देहरादून	
	अल्मोड़ा		
	पिथौरागढ़		

[अनुवाद]

रसोई गैस एवं मिट्टी के तेल के मूल्यों में वृद्धि

602. श्री वाई. वी. राव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या तेल कंपनियों ने सरकार से रसोई गैस एवं मिट्टी तेल के मूल्यों में वृद्धि करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हा, तो उनके द्वारा क्या औचित्य दिया गया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) मार्च 2002 के बाद एलपीजी और

मिट्टी तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए तेल कंपनियों की यह राय है कि घरेलू एलपीजी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल के उपभोक्ता मूल्यों में वृद्धि की आवश्यकता है।

(ग) सरकार को घरेलू एलपीजी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल पर राजसहायता की एक समान दर का अभी नियतन करना है। राजसहायता दरों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इन उत्पादों के उपभोक्ता मूल्य तेल कंपनियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में मूल्यों के अनुसार नियत किए जाएंगे।

[हिन्दी]

दिल्ली-हावड़ा मार्ग पर पांडु नदी पर रेल पुल

603. डा. अशोक पटेल : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली–हावडा रेल मार्ग पर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के निकट करबिगवां एवं आंग स्टेशनों के बीच पांडु नदी पर ब्रिटिश काल में निर्मित 40 मीटर लंबा पुल जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे की निर्माण शाखा ने 11 वर्ष पूर्व के इस पुल का पुनर्निर्माण किए जाने संबंधी सिफारिशें प्रस्तुत की थीं परन्तु अभी भी इसको मंजूरी दिया जाना शेष है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस पुल के निर्माण कार्य के कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) पुल जीण–शीर्ण अवस्था में नहीं है परंतु इसमें टूट–फूट के कुछ चिह्न उत्पन्न हो गए थे और इसलिए मानदंडों के अनुसार इसे संकटग्रस्त पुलों की सूची में शामिल कर लिया गया है। 11 वर्ष पहले इसके पुनर्निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं था। पुल का पुनर्निर्माण स्वीकृत कर दिया गया है और इस कार्य को दिसम्बर, 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

वल्लारपदम कंटेनर टर्मिनल परियोजना को मंजूरी

604. श्री टी. गोविन्दन :
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वल्लारपदम कंटेनर टर्मिनल परियोजना के लिए काफी पहले भारतीय नौसेना से अपेक्षित मंजूरी मांगी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजना को मंजूरी प्रदान करने में हुए विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) जी, हां। 22 मार्च, 2002 को परियोजना स्थल पर 120 मीटर ऊंची क्रेन अधिष्ठापित करने के लिए मंजूरी का अनुरोध किया गया था।

भारतीय नौसेना ने वल्लारपदम कंटेनर टर्मिनल परियोजना पर ऊंची क्रेन अधिष्ठापित करने की इस आधार पर कुछ आपत्ति की थी कि इससे नौसेना हवाई अड्डे से नौसेना के विमानों के उड़ान भरने तथा उतरने में बाधा आएगी। बाधाओं को दूर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की अपेक्षाएं भी प्रस्तावित क्षेत्र में ऊंची क्रेन स्थापित करने की अनुमति नहीं देती। इस मामले की अभी जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

मिट्टी के तेल की डीलरशिप

605. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सभी प्रखंड मुख्यालयों में मिट्टी के तेल की डीलरशिप खोलने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) 1.4.2002 के बाद से प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था की समाप्ति के बाद तेल कंपनियां आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर स्थान चुनने और एसकेओ–एलडीओ डीलरशिपों की स्थापना करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[अनुवाद]

विद्युत संयंत्रों को नाफ्था की आपूर्ति

606. श्री नरेश पुगलिया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय विद्युत उत्पादन हेतु विद्युत संयंत्रों को रियायती दरों पर नाफ्था को उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है जैसा कि ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसके लिए अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नाफ्था एक नियंत्रणमुक्त उत्पाद है और तेल कंपनियां वाणिज्यिक आधार पर इस उत्पाद के मूल्य निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

भारत द्वारा नेपाल से विद्युत की खरीद

607. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल ने विद्युत की कमी से जूझ रहे उत्तरी भारतीय राज्यों को बिजली की बिक्री करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच कोई समझौता किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कब तक कार्यान्वित किए जाने की सभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती मेहता) : (क) से (घ) वर्तमान में भारत तथा नेपाल के बीच में लगभग 100 मेगावाट का विद्युत विनिमय होता है जिसमें नेपाल भारत से विद्युत का आयात करता है। तथापि काली गंडकी परियोजना (144 मेगावाट) आरंभ होने से नेपाल ने भारत को कुछ अधिशेष विद्युत बिक्री करने का प्रस्ताव किया है। पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन, जिसे भारत की तरफ से प्रमुख एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है, नेपाल विद्युत प्राधिकरण से संपर्क बनाए हुए हैं ताकि पारस्परिक स्वीकार्य शर्तों पर अधिशेष विद्युत खरीद की संभावनाओं का पता लगाया जा सके।

समेकित रक्षा अभिग्रहण परिषद

608. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सैन्य खरीद हेतु एक समेकित रक्षा अभिग्रहण परिषद का गठन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) उक्त परिषद के कब तक कार्य आरंभ करने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने मत्रालय के सभी विभागों और सेना मुख्यालयों के वरिष्ठ स्तर के प्रतिनिधित्व के साथ रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रक्षा अधिप्राप्ति परिषद (डी ए सी) का गठन किया है, रक्षा अधिप्राप्ति परिषद दीर्घकालिक परिदृश्य योजना और पंचवर्षीय योजनाओं के तहत सिद्धांततः पूंजीगत अधिप्राप्तियों को अनुमोदन प्रदान करती है, यह प्रमुख परियोजनाओ की प्रगति पर भी निगरानी रखती है।

(ग) रक्षा अधिप्राप्ति परिषद कार्य कर रही है।

[हिन्दी]

विद्युत संवितरण हेतु
बहुमुखी रणनीति

609. श्री रामचन्द्र पासवान : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्युत संवितरण के क्षेत्र मे बहुमुखी रणनीति को अपनाए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विद्युत मंत्रालय द्वारा विद्युत क्षेत्र में सुधार कार्य व्यापक पैमाने पर शुरू किया गया है। मंत्रालय द्वारा इन सुधार कार्यक्रमों के तहत वर्ष 2000–01 में त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) शुरू किया गया है ताकि विद्युत क्षेत्र की वाणिज्यिक व्यवहार्यता बनाए रखने के साथ–साथ तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में भी कमी लायी जा सके। विद्युत वितरण संबंधी सुधार कार्यों के फलस्वरूप राज्य विद्युत बोर्डों के कार्य निष्पादन में आशातीत बदलाव आएगा तथा वितरण क्षेत्र के संचालन और प्रबधन में ये बोर्ड उत्कृष्ट तकनीकी और वाणिज्यिक कार्य कौशल का प्रयोग कर सकेंगे।

एपीडीआरपी के तहत विद्युत मंत्रालय ने सभी स्तर पर बेहतर कार्य निष्पादन, समर्पण तथा जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य, राज्य विद्युत बोर्ड, वितरण सर्किल, फीडर और उपभोक्ता स्तर पर छः स्तरीय मध्यस्थता नीति तैयार की है।

● राष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थता

इसके तहत विद्युत सुधार हेतु कानूनी प्रावधान किया जाना है ताकि स्थानीय संस्थानों द्वारा विद्युत वितरण का प्रबंध किया जा सके, तीसरे पक्ष को बिक्री की जा सके, सुदूरवर्ती क्षेत्र में मीटर की व्यवस्था, क्रास सब्सिडी की समाप्ति, विद्युत चोरी के लिए दंड का प्रावधान किया जा सके।

● राज्य स्तरीय मध्यस्थता

राज्यों से यह अपेक्षा की गई है कि वे विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें ताकि राज्य विद्युत नियामक आयोगों की स्थापना, राज्य विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन, क्रास सब्सिडी और टैरिफ विसंगति की समाप्ति, राज्य विद्युत बोर्डों को सब्सिडी स्वरूप बजटीय सहायता का प्रावधान तथा निजीकरण की शुरूआत आदि कार्य शुरू किया जा सके। अब तक 24 राज्यों ने विद्युत मत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, 21 राज्यों ने राज्य विद्युत विनियामक आयोगों का गठन कर लिया है तथा 12 राज्य विद्युत विनियामक आयोगों ने टैरिफ आदेश जारी कर दिए हैं और 9 राज्यों ने राज्य विद्युत बोर्डों का पृथक्कीकरण कर लिया है।

● राज्य विद्युत बोर्ड स्तरीय मध्यस्थता

विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार कार्य को अंजाम देने के लिए राज्य विद्युत बोर्डों से यह अपेक्षा की गई है कि वे विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता करार पर हस्ताक्षर करें। इससे जिम्मेदारानेपन की भावना का विकास होगा, त्वरित सूचना प्रणाली का गठन किया जा सकेगा, पारेषण और वितरण हानियों में कमी लाई जा सकेगी, उपभोक्ताओं की संतुष्टि और प्रणाली की स्थिरता के लिए मानक निर्धारण का कार्य शुरू किया जा सकेगा। आज की स्थिति के अनुसार 18 राज्यों ने समझौता करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तथा दूसरे भी शीघ्र ही ऐसे करार पर हस्ताक्षर कर देंगे।

● वितरण सर्किल स्तरीय मध्यस्थता

इस स्तर पर बंदी में कमी और विश्वसनीयता में सुधार लाने तथा तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी लाने के लिए तकनीकी, वाणिज्यिक और प्रशासनिक मध्यस्थता की ओर ध्यान दिया जाएगा। वितरण सर्किल का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधीक्षण अभियंता होगा। प्रत्येक सर्किल एक स्वतंत्र लाभ केन्द्र के रूप में कार्य करेंगे।

● फीडर स्तरीय मध्यस्थता

इस स्तर पर 11 के.वी. के फीडर को कार्य में लाया जाएगा जो विद्युत की गुणवत्ता और विश्वसनीयता, मीटर बिल और वसूली की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होंगे। फीडर और वितरण ट्रांसफार्मर स्तर पर सुदूरवर्ती क्षेत्र में मीटर व्यवस्था

कार्य तथा निगरानी और वसूली कार्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा। कंडक्टरों तथा ऊर्जा दक्ष वितरण ट्रांसफार्मर को बदलने, फीडर और वितरण ट्रांसफार्मरों की मीटर व्यवस्था करने, उच्च टेंशन/निम्न टेंशन अनुपात में कमी लाने, तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में कमी लाने की ओर ध्यान दिया जाएगा।

● उपभोक्ता स्तरीय मध्यस्थता

इसके तहत सभी उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल इंटरफेस वाले मीटरों की व्यवस्था, प्रीपेट मीटर व्यवस्था तथा ऊर्जा बचत हेतु प्रोत्साहन दिया जाना शामिल है।

बहुआयामी रणनीति के कार्यान्वयन के ही आगामी 3–5 वर्षों में वितरण क्षेत्र में भारी बदलाव संभव हो सकेगा।

[अनुवाद]

ऑटो उद्योग का विकास

610. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व स्तर पर 'भारत में निर्मित' है; ब्रांड को लोकप्रिय बनाने और उनके उद्यमों में विकासात्मक क्रियाकलापों को सुदृढ़ करने हेतु ऑटो उद्योग को दिशा–निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऑटो उद्योग ने विद्यमान जांच सुविधाओं के स्तरोन्नयन की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कई परियोजनाओं का अनुमोदन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि जारी की गई है; और परियोजनाओं की लागत कितनी है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) सरकार ने ऐसे कोई मार्गदर्शी सिद्धांत जारी नहीं किए हैं। हालांकि, सरकार 'भारत में निर्मित' ब्राड को विश्व स्तर पर इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के जरिए जो अब पूरी तरह से लाइसेंस मुक्त है और विश्व व्यापार संगठन में प्रतिस्पर्द्धात्मक वातावरण में चल रही है, को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रोत्साहन दे रही है।

(ग) से (ङ) सरकार ने स्वयं आरंभ से यह माना है कि मौजूदा जांच सुविधाओं के उन्नयनीकरण और आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटो मोबाइल मेन्यूफैक्चरर्स (एसआईएएम) के एक व्यापक प्रस्ताव के आधार पर 1480 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर जांच सुविधाओं के वृहत उन्नयनीकरण के खाके को सरकार ने 'सिद्धांत रूप में' मंजूरी दे दी है। चूंकि निवेश की भागीदारी बहुत बड़ी है इसलिए सरकार संस्थागत वित्त–पोषण से प्रबंध करने की संभावनाओं को तलाश रही है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के पुलिस बल को लंबित धनराशि का भुगतान

611. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31 अक्टूबर, 2001 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय द्वारा वहन किए जा रहे रेल मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहे राज्य पुलिस बल पर होने वाले व्यय में 50 प्रतिशत के अंशदान के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार को देय 20.44 करोड़ रुपए की लंबित धनराशि का भुगतान राज्य सरकार को कब तक किया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : इस लेखे में 31.10.2001 को मध्य प्रदेश सरकार को मात्र 12.62 करोड़ रु. की राशि देय थी। 31.10.2002 तक 7.18 करोड़ रु. और भी बढ़ गए हैं। इस अवधि के दौरान रेलवे ने 11.51 करोड़ रु. की राशि अदा की है। अतः 31.10.2002 को 8.29 करोड रु. की राशि बकाया है। उपरोक्त में से 2.05 करोड़ रु. की राशि महालेखा परीक्षक से प्रमाण–पत्र न प्राप्त होने और 3.8 करोड़ रु. की राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गैर–स्वीकृत पदों के परिचालन के कारण बकाया है। 2.43 करोड़ रु. की राशि फिलहाल विवादास्पद है। महालेखा परीक्षक से प्रमाण–पत्र प्राप्त हो जाने पर रा.रे.पु. के सभी अनुमेय दावों के निपटान के लिए रेलवे के पास स्थायी अनुदेश है।

लंबित विद्युत परियोजनाएं

612. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लंबित पड़ी केन्द्र प्रायोजित विद्युत परियोजनाओं की संख्या कितनी है और इसके राज्यवार क्या कारण हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं पर खर्च की जाने वाली धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) वर्तमान में विद्युत मंत्रालय में केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई योजना नहीं है। तथापि देश में केन्द्रीय क्षेत्र में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

31 अक्टूबर, 2002 के अनुसार देश में केन्द्रीय क्षेत्र में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाएं

क्र.सं.	स्कीम का नाम	राज्य	क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (करोड़)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
	केन्द्रीय क्षेत्र				
1.	रिहन्द एसटीपीपी चरण–2 एनटीपीसी	उत्तर प्रदेश	1000	4028.03	
2.	रामागुण्डम टीपीपी चरण–3 विस्तार एनटीपीसी	आंध्र प्रदेश	500	2128.61	
3.	तालचेर एसटीपीपी चरण–2 एनटीपीसी	उड़ीसा	2000	6854.99	
4.	नैवेली टीपीएस–1 एनएलसी	तमिलनाडु	420	1590.58	यूनिट–1 21.10.02 को समकालित
5.	मेजिया टीपीएस विस्तार डीवीसी	पश्चिमी बंगाल	210	797.82	
	केन्द्रीय क्षेत्र				
1.	धौलीगंगा (एनएचपीसी)	उत्तरांचल	280.00	1578.31	
2.	चमेरा चरण–2 (एनएचपीसी)	जम्मू–कश्मीर	390.00	3559.77	
4.	तीस्ता चरण–5 (एनएचपीसी)	सिक्किम	510.00	2198.04	
5.	लोकतक डी/एस (एनएचपीसी)	मणिपुर	90.00	578.62	
6.	पार्बती चरण–2	हि.प्र.	800.00	3919.59	
7.	इंदिरा सागर (एनएचडीसी)	म.प्र.	1000.00	3527.54	
8.	नाथपा–झाकडी (एनजेपीसी)	हि.प्र.	1500.00	7666.31	
9.	टिहरी चरण–1 (टीएचडीसी)	उत्तरांचल	1000.00	5690.64	
10.	कोटेश्वर (टीएचडीसी)	उत्तरांचल	400.00	1301.56	

1	2	3	4	5	6
11.	तुरियल (नीपको)	मिजोरम	60.00	448.19	
12.	कोपिली चरण–2 (नीपको)	असम	25.00	99.35	
13.	कोल डैम (एनटीपीसी)	हि.प्र.	800.00	4492.77	
	कुल		11285		

पाकिस्तान द्वारा किए गए आक्रमण में मारे गए सैनिक

613. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं नियंत्रण रेखा पर लगातार गोलीबारी की जा रही है;

(ख) 1 जून, 2002 से अब तक किन स्थानों पर और कितनी झड़पें हुई हैं;

(ग) 1 जून, 2002 से अब तक पाकिस्तानी सेनाओं और आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले में कितने भारतीय सैनिक मारे गए;

(घ) मारे गए सैनिकों के प्रत्येक आश्रित को कितनी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा दुश्मन के कितने सैनिक और आतंकवादी मारे गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास दोनों ओर से बारंबार गोलाबारी होते रहना एक आम बात है। कालूचक घटना के बाद जून/जुलाई में गोलाबारी में तेजी आई थी लेकिन अगस्त, 2002 से इसमें कमी आई है। पिछले पांच माह में जम्मू–कश्मीर के सियाचिन, कारगिल, द्रास, पुंछ, रजौरी और जम्मू क्षेत्रों में गोलाबारी अधिक हुई है।

(ग) सेना मुख्यालय के नवीनतम अभिलेखों के अनुसार 1 जून, 2002 से 13 नवंबर, 2002 तक पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के हमलों में 163 भारतीय सैनिक मारे गए हैं।

(घ) एक व्यापक कल्याण पैकेज के अनुसार शहीद सैनिक के निकटतम संबंधी को मुआवजे का भुगतान किया जाता है।

(ङ) 1 जून से 17 नवंबर, 2002 तक भारतीय सेना ने 488 पाकिस्तानी सैनिक और 722 आतंकवादी मारे हैं।

[अनुवाद]

विचाराधीन कैदियों के मुकदमों की उचित पैरवी न हो पाना

614. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख विशेषज्ञों ने देश भर की विभिन्न जेलों में जमानत न मिलने के कारण बंद पड़े उन विचाराधीन कैदियों के मुकदमों की उचित ढंग से पैरवी न हो पाने की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सूचित किया है कि 2.90 लाख विचाराधीन कैदी हैं जो कि जेल में बंद कैदियों का 74.18 प्रतिशत है;

(ग) यदि हां, तो क्या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने इंगित किया है कि शीघ्र विचारण हेतु आपराधिक मामलों को सभी खंडपीठों को सौंपने के बाद भी न्यायपालिका के सभी स्तरों में कुछ और न्यायाधीशों को नियुक्त किए जाने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश के आपराधिक कानूनों में संशोधन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) जेलों में सड़ रहे विचाराधीन कैदियों की समस्या ने सरकार, न्यायपालिका और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इत्यादि जैसे अन्य प्राधिकरणों का ध्यान आकृष्ट किया है।

(ख) जी, हां।

(ग) उच्चतम न्यायालय, आर.डी. उपाध्याय के मामले में आवधिक रूप से राज्यों को विचारणाधीन कैदियों की समस्याओ पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहता रहा है। उच्चतम न्यायालय ने आल इंडिया जजेज एसोसिएशन के मामले में तारीख 21 मार्च, 2002 को निम्नानुसार संप्रेषण किया है :

> "न्यायाधीशों की पदसंख्या में प्रति दस लाख जनसंख्या पर 50 न्यायाधीश तक की वृद्धि को, संघ के विधि मंत्रालय द्वारा अवधारित और निदेशित की जाने वाली चरणबद्ध रीति में रिक्तियों को भरकर प्रभावी और कार्यान्वित किया जाना चाहिए, किन्तु आज से पांच वर्ष की अवधि के भीतर यह प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए और बढ़ी हुई रिक्तियों और पदों को भरा जाना चाहिए।"

(घ) सरकार और न्यायपालिका, दोनों ही जेलों में सड़ रहे विचारणाधीन कैदियों की समस्या के प्रति चिंतित हैं। भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को यह सुझाव दिया है कि सभी जिलों में, यथास्थिति, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट को मास में एक या दो बार ऐसे विचारणाधीन कैदियों के मामलों पर, जो छोटे-मोटे अपराधी हैं और जो अपने अपराध-स्वीकारण के इच्छुक हों, सुनवाई करने के लिए अपनी-अपनी जेलों में अपने न्यायालय आयोजित करने चाहिए। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से भी विचाराधीन कैदियों द्वारा झेली जा रही कठिनाइयों को कम करने के लिए आवश्यक उपाय करने का अनुरोध किया है।

(ङ) और (च) राज्य सभा में तारीख 9 मई, 1994 को पुरःस्थापित दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक-1994, अन्य बातों के साथ-साथ, यह आज्ञापक उपबंध करने के लिए कि यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति किसी जमानतीय अपराध के लिए अभियुक्त है और यदि वह कोई दीनहीन व्यक्ति है और प्रतिभू प्रस्तुत नहीं कर सकता है तो न्यायालय उसे उसके द्वारा बिना प्रतिभू के बंधपत्र निष्पादित किए जाने पर निर्मुक्त करेगा धारा 436(i) को संशोधित करने का प्रस्ताव करता है।

[हिन्दी]

हाजीपुर-वैशाली-सुगौली के बीच रेल लाइन

615. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बौद्ध सर्किट में रेल मार्ग के माध्यम से अंतराल को पाटने के लिए हाजीपुर-वैशाली-सुगौली से नई रेल लाइन के निर्माण हेतु सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हा।

(ख) अद्यतन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वैशाली के रास्ते हाजीपुर से सगौली तक 148 किमी. लंबी इस लाइन के निर्माण की लागत ऋणात्मक प्रतिफल की दर सहित 324.66 करोड़ रु आंकी गई है।

(ग) आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए इस प्रस्ताव पर कार्रवाई चल रही है।

(घ) आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने तथा कार्य को बजट में शामिल किए जाने के बाद यह कार्य शुरू किया जाएगा।

[अनुवाद]

कालियाभोमोरा पुल

616. श्री एम. के. सुब्बा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1980 के दौरान तेजपुर के निकट ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कालियाभोमोरा पुल में खतरनाक दरारें पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पुल के रखरखाव, मरम्मत और इसे अद्यतन बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सशस्त्र सेना मुख्यालय के असैनिक अधिकारियों की मांग

617. श्री अमर राय प्रधान : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए.एफ.एच.क्यू. सिविलियन ऑफीसरस् एसोसिएशन द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई विभिन्न मांगें नौ सेना मुख्यालय में लंबित हैं;

(ख) वायु सेना मुख्यालय और सेना मुख्यालय में कार्यान्वित की गई उन विभिन्न मांगों का ब्यौरा क्या है जिन्हें नौ सेना मुख्यालय में कार्यान्वित नहीं किया गया है; और

(ग) सरकार का उनके मंत्रालय के अंतर्गत नौसेना मुख्यालय और अन्य मुख्यालयों/कार्यालयों/निदेशालयों के संयुक्त निदेशकों के संबंध में असमानता को कब तक दूर करने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, हां। नौसेना मुख्यालय में तैनात उन उप-निदेशकों (तत्कालीन सिविलियन स्टाफ अफसर) (वेतनमान 10000-325-15200 रु.) को रिहायशी टेलीफोन सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई हैं जिन्हें संयुक्त निदेशक (वेतनमान 12000-375-16500 रु.) के स्तर पर स्वस्थाने संयुक्त निदेशकों (वेतनमान 12000-375-16500 रु.) को रिहायशी टेलीफोन मुहैया कराए गए हैं।

(ग) कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।

[हिन्दी]

रक्षा उत्पादन संस्थापनाओं में चोरी के मामले

618. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जबलपुर स्थित रक्षा उत्पादन संस्थापनाओं में किन-किन तिथियों को चोरी की घटनाएं हुईं और उससे कितनी हानि हुई;

(ख) क्या जांच पड़ताल के दौरान इन मामलों में अधिकारियों अथवा विदेशी षड्यंत्र की संलिप्तता का कोई सबूत पाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो बड़े माफियों और मध्यप्रदेश में अल-कायदा से जुड़े लोगों की संदेहास्पद उपस्थिति के कारण रक्षा उत्पादन संस्थापनाओं की सुरक्षा के लिए क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान जबलपुर स्थित रक्षा उत्पादन अधिष्ठानों में चोरी की कोई घटना नहीं हुई। तथापि, फैक्ट्री अधिष्ठापनों से बाहर परंतु व्हीकल फैक्ट्री, जबलपुर तथा आयुध फैक्ट्री, खमरिया की भूसंपत्ति में चोरी की छोटी-मोटी घटनाएं हुई हैं।

व्हीकल फैक्ट्री, जबलपुर की भूसंपत्ति में दिनांक 9.6.2000, 22.3.2001, 31.5.2001 तथा 26.6.2001 को चोरी की चार घटनाएं घटीं जिनमें क्रमशः 8,677/-, 3880/-, 21,904/- तथा 786/- रुपए की हानि हुई। आयुध फैक्ट्री, खमरिया की भूसंपत्ति में दिनांक 20.10.1999, 7.8.2000, 18.10.2000, 20.11.2000, 29.1.2001 तथा 8.7.2002 को चोरी की छह घटनाएं हुईं जिनमें क्रमशः 700/-, 11,911/-, 27,000/-, 26,395/-, 13,332/- तथा 1,744/- रुपए की हानि हुई।

(ख) जी, नहीं।

(ग) खतरे की संभावना को ध्यान में रखते हुए, आयुध निर्माणियों को मौजूदा सुरक्षा ढांचे की पुनरीक्षा करने तथा निम्नलिखित कदम उठाने के निदेश दिए गए हैं–

(i) फैक्ट्रियों के भीतर तथा बाहर और सम्पदा क्षेत्र में गश्तों की आवर्ती बढ़ाना।

(ii) अनियत मजदूरों तथा आगंतुकों की अच्छी तरह से तथा 100% जांच करना।

(iii) प्रत्येक फैक्ट्री के लिए सुरक्षा/सतर्कता समिति का गठन करना तथा स्थानीय पुलिस और नागरिक प्रशासन के साथ समुचित सम्पर्क तथा समन्वय सहित एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करना।

(iv) आपदा प्रबंधन तथा आंतरिक सुरक्षा योजनाओं के लिए बनावटी कवायद तथा अभ्यास करना।

(v) ट्रेड यूनियनों के साथ सुरक्षा बैठकें आयोजित करना तथा संपदा में रहने वाले कामगारों और उनके परिवारों को बचाव तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के कार्य में शामिल करना।

[अनुवाद]

नोटरी की नियुक्ति हेतु पात्रता मानदंड में छूट

619. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अ.जा. और अ.ज.जा. से संबंधित विधिक पेशेवरों के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति हेतु पात्रता मानदंडों में छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली में नोटरी के पदों में वृद्धि की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) तारीख 5.1.2000 की राजपत्रित अधिसूचना की एक प्रति विवरण–I के रूप में संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) तारीख 25.6.2001 की राजपत्रित अधिसूचना की एक प्रति विवरण–II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33004/99

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II—खंड 3—उप-खण्ड (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 17] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 5, 2000/ पौष 15, 1921

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2000

सा.का.नि. 17(अ).—केन्द्रीय सरकार, नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटेरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटेरी (संशोधन) नियम, 2000 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. नोटेरी नियम, 1956 के नियम 3 में उपनियम (क) के स्थान पर रखा जाएगा, अर्थात्–

"(क) कोई व्यक्ति जो कम से कम दस वर्ष से विधि व्यवसायी के रूप में व्यवसाय कर रहा हो, या

(कक) कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडे वर्गों का हो और जो कम से कम सात वर्ष से विधि व्यवसायी के रूप में व्यवसाय कर रहा हो, या

(कख) कोई महिला जो कम से कम सात वर्ष से विधि व्यवसायी के रूप में व्यवसाय कर रही हो, या

[फा. सं.–5(485)/99–एन. सी.]

कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

विवरण-II

अधिकृत प्रतिलिपि

रजिस्ट्री सं. डी. एल.–33004/99

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 325] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 26, 2001/आषाढ़ 5, 1923

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2001

सा.का.नि. 460 (अ).—केन्द्रीय सरकार, नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटेरी नियम, 1956 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटेरी (तृतीय संशोधन) नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नोटेरी नियम, 1956 में, अनुसूची के स्तम्भ (1) में "दिल्ली" से संबंधित क्र.सं. 29 के सामने स्तम्भ (2) और (3) में दर्ज आंकडों "225" और "225" के स्थान पर क्रमशः "325" और "325" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 5(271)/2000–एन.सी.]

ब्रह्म अवतार अग्रवाल, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

टिप्पण—मूल नियम का.नि.आ. 324, तारीख 14 फरवरी, 1956 के तहत प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन सा.का.नि. 370(अ), तारीख 8 जुलाई, 1997, सा.का.नि. 547(अ), तारीख 31 अगस्त, 1998, सा.का.नि 17(अ), तारीख 5 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 262(अ), तारीख 28 मार्च, 2000, सा.का.नि. 630(अ), तारीख 21 जुलाई, 2000, सा.का.नि. 172(अ), तारीख 21 जुलाई, 2000, सा.का.नि. 172(अ), तारीख 12 मार्च, 2001 और सा.का.नि. 330(अ), तारीख 12 मार्च, 2001 और सा.का.नि. 330(अ), तारीख 9 मई, 2001 द्वारा किए गए।

पवन ऊर्जा फार्मों की स्थापना

620. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पवन ऊर्जा का उत्पादन भारतीय परिस्थितियों में खर्चीला पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार पवन ऊर्जा फार्मों की स्थापना के लिए नए भौगोलिक क्षेत्रों का पता लगाएगी;

(घ) यदि हां, तो क्या जिन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किए जाने हैं उनकी गलत पहचान की गई है; और

(ङ) जिन नए क्षेत्रों में पवन ऊर्जा का उत्पादन किए जाने की संभावना है, उनका पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए उपलब्ध विभिन्न राजकोषीय और संवर्धनात्मक प्रोत्साहनों को ध्यान में रखते हुए, पवन विद्युत उत्पादन की स्तरीकृत लागत पारंपरिक विद्युत के तुल्य है। साथ ही, पवन से विद्युत का उत्पादन करने से प्रदूषण नहीं होता तथा पर्यावरणीय दृष्टि से यह लाभकारी होता है।

(ग) से (ङ) पवन संसाधन मूल्यांकन कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 13 राज्यों में 201 स्थलों की पहचान कर ली गई है जो कि, पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए उपयुक्त हैं। पवन संसाधन मूल्यांकन एक जारी कार्यक्रम है जिसमें राज्यों और संभाव्यता वाले नए क्षेत्रों को शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में पवन वाले स्थलों की पहचान करने के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में 500 मेगावाट की विद्युत परियोजना की स्थापना

621. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर क्षेत्र में स. ामुरा सब डिवीजन के अंतर्गत मनारछक में 500 मेगावाट की विद्युत परियोजना की स्थापना के संबंध में व्याप्त अनिश्चितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जे. बी. आई. कारपोरेशन (जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कारपोरेशन) ने इस परियोजना के लिए धनराशि देने से इंकार कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारतीय विद्युत वित्त निगम ने भी इस संबंध में ऋण देने से अनिच्छा जाहिर की है; और

(च) यदि हां, तो इसे क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : से (च) त्रिपुरा गैस आधारित विद्युत परियोजना (500 ाट) 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विद्युत मंत्रालय के ाता अभिवृद्धि कार्यक्रम में शामिल है। इस परियोजना को .वि.प्रा. द्वारा तकनीकी–आर्थिकी स्वीकृति पहले ही प्रदान की जा चुकी है।

इस परियोजना को वर्ष 2002–03 में वित्तपोषण हेतु जेबीआईसी को प्रस्तुत किया गया था और जेबीआईसी की तथ्य अन्वेषी समिति और मूल्यांकन समिति ने अपनी संवीक्षा कर ली है।

पावर फाइनेंस कारपोरेशन ने अपनी नीतिगत कार्य ढांचा के अंतर्गत विस्तृत मूल्यांकन करने के पश्चात् सम्पूर्ण लागत का 40% ऋण स्वीकृत करने के लिए सिद्धान्त रूप में स्वीकृति प्रदान कर दी है।

बलात्कार, शारीरिक उत्पीड़न, जेबतराशी और चोरी की घटनाएं

622. श्री वी. वेत्रिसेलवन :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री सुरेश कुरुप :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चलती रेलगाड़ियों में बलात्कार, शारीरिक उत्पीड़न, जेब–तराशी, चोरी और डकैती की घटनाएं दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अक्टूबर, 2002 तक रेल विभाग के ध्यान में ऐसे कितने मामले आए हैं;

(ग) क्या रेलवे द्वारा चलती रेलगाडियों में यात्रियों को ऐसी घटनाओं से बचाने के लिए कारगर सुरक्षा उपाय नहीं किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या अक्टूबर, 2002 में शिप्रा एक्सप्रेस और हावडा–मुम्बई मेल में मुगलसराय–गया ग्रांडकोर्ड सेक्शन के बीच डकैती डाली गई थी;

(च) क्या सरकार इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है और उसका विचार चलती रेलगाड़ियों में यात्रियों के लिए कुछ कारगर सुरक्षा उपाय करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (छ) "पुलिस" राज्य सरकार का विषय होने के कारण चलती गाड़ियों और रेलों पर अपराध का पता लगाना एवं उन पर अंकुश लगाना राज्य सरकारों की संवैधानिक जिम्मेदारी है। रेलों पर अपराध के मामलों को राजकीय रेल पुलिस (जी आर पी) के पास दर्ज, पंजीकृत कराया जाता है एवं उन्हीं के द्वारा उनकी जांच की जाती है। अतः प्रश्न में पूछी गई सूचना रेल मंत्रालय के पास तत्काल उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

विनिर्माण इकाइयां

623. श्री हरिभाई चौधरी :
श्री मानसिंह पटेल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के अंतर्गत विभिन्न विनिर्माण इकाइयों में कई वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इन इकाइयों में विनिर्मित वस्तु के इकाईवार नाम और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये इकाइयां लाभ में चल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो अक्टूबर, 2002 में अन्त तक प्रत्येक विनिर्माण इकाई में कुल कितना निवेश किया गया है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक इकाई द्वारा कितनी राशि का वार्षिक औसत लाभ अर्जित किया गया; और

(च) इन विनिर्माण इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां, भारतीय रेलों की उत्पादन इकाइयों में चल स्टाक अर्थात् सवारी डिब्बे और रेल इंजन दोनों और कुछ महत्वपूर्ण पुर्जे तथा असेम्बलीज निर्मित किए जाते हैं।

(ख) रेल मंत्रालय के अधीन 6 उत्पादन इकाइयां हैं। इकाइयों के नाम तथा प्रत्येक द्वारा निर्मित मुख्य मदें इस प्रकार हैं–

क्र.सं.	नाम	निर्मित मदें
1.	चितरंजन रेल इंजन कारखाना, चितरंजन	बिजली रेल इंजन
2.	डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी	डीजल रेल इंजन
3.	सवारी डिब्बा कारखाना, चेन्नै	यात्री सवारी डिब्बे और स्वनोदित पैसेंजर वाहक वाहन
4.	रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला	यात्री सवारी डिब्बे और स्वनोदित पैसेंजर वाहक वाहन
5.	पहिया एवं धुरा कारखाना,	पहिया, धुरा और चल स्टाक के लिए पहिया सेट
6.	डीजल कलपुर्जा कारखाना, पटियाला	मुख्य डीजल–बिजली रेल इंजन उपस्कर और डीजल–बिजली रेल इंजनों का पुनर्स्थापन

(ग) रेल मंत्रालय के अधीन परिचालित 6 उत्पादन इकाइयां "न लाभ न हानि" के आधार पर घरेलू उत्पादन संगठन के रूप में कार्य कर रही हैं। विभिन्न मदें, जो निर्मित की जाती हैं, के लिए उपयुक्त रूप से निर्धारित रथानांतरण कीमत के रूप में उत्पादन की संपूर्ण लागत उपभोग करने वाली इकाइयों को हस्तांतरित की जाती है।

(घ) 1.4.2001 को इन प्रत्येक इकाइयों में अचल परिसम्पत्तियों के संबंध में ब्याज देय पूंजी इस प्रकार थी–

इकाई का नाम	ब्याज देय पूंजी (आंकडे लाख रु. में)
1	2
चितरंजन रेल इंजन कारखाना	12984.02
डीजल कल पुर्जा कारखाना	17057.96

1	2
डीजल रेल इंजन कारखाना	7416.50
सवारी डिब्बा कारखाना	8122.95
रेल डिब्बा कारखाना	36168
पहिया एवं धुरा कारखाना	15751

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) इन इकाइयों का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है और जब कभी आवश्यकता होती है तब यह किया जाता है।

मध्य प्रदेश में मिट्टी के तेल की मांग

624. श्री रामानन्द सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में विशेषकर मध्य प्रदेश में बिजली की कटौती और अभाव के कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार राज्यों के लिए मिट्टी के तेल के कोटे को बढ़ाने हेतु विचार कर रही है जिससे कि वे मिट्टी के तेल की बढ़ती मांग की पूर्ति कर सकें; और

(ग) वर्तमान में मध्य प्रदेश को कितने बैरल मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जा रहा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) मिट्टी तेल के आवंटन को बढ़ाने हेतु मध्य प्रदेश सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य को भारी संख्या में एलपीजी कनैक्शन जारी किए जाने को ध्यान में रखते हुए यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया था।

(ग) तेल कम्पनियां भारतीय मानक विनिर्देश संख्या आईएस–1459 के गुणवत्ता मानक को पूरा करने वाले मिट्टी तेल की आपूर्ति करती हैं।

गैर-कानूनी गतिविधियों में संलिप्त रेलवे कर्मचारी

625. श्री अखिलेश यादव : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सभी रेलवे स्टेशनों पर बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारी गैर–कानूनी गतिविधियों में संलिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है; और

(ग) रेलवे कर्मचारियों और एजेंटों के बीच सांठ–गांठ को रोकने और आरक्षण केन्द्रों और पार्सल कार्यालयों द्वारा की जा रही घोर अनियमितताओं को भी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलवे का सतर्कता संगठन निवारक उपाय यथा निवारक जांच/शिकायत प्राप्त होने तथा स्रोत सूचना के आधार पर समय–समय पर छद्म जांच करती है ताकि इस प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि पर रोक लगाई जा सके।

[अनुवाद]

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता

626. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा अगले पांच वर्षों में आरंभ किए जाने वाली व्यापक ऊर्जा निपुणता परियोजनाओं (मैसिव इनर्जी एफिसेन्सी प्रोजैक्ट्स) के वित्त पोषण हेतु बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से सहायता लिए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) वित्तीय संस्थान तथा बैंक आमतौर पर कम्पनियों के तुलन–पत्र के आधार पर परियोजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था करते हैं जबकि लार्ज पेनिट्रेशन, ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं के लिए निवेश के लागत लाभ के आधार पर वित्तीय प्रबंध आवश्यक होता है। ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं के फलस्वरूप बिजली बिल में कमी आएगी। जिसका उल्लेख तुलन–पत्र में नहीं होता है। विशेषकर ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं में ही निवेश के लिए बैंक द्वारा वित्तीय प्रबंध किया जाता है जिसे महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के कार्यान्वयन के लिए गठित सांविधिक निकाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसीएसी द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था की जाए तथा वित्तीय बाधाओं को दूर करने के संबंध में बहुद्देश्यीय तथा घरेलू वित्तीय एजेंसियों से वित्तीय संसाधनों का दोहन किया जाए। इसके लिए सभी स्टेकहोल्डरे द्वारा लगातार प्रयास करना होगा ताकि वित्तीय संस्थानों/बैंको द्वारा ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं के लिए किए गए निवेश वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य तथा विश्वसनीय माने जाने से पहले ऊर्जा सेवा से जुड़ी कम्पनियों की योग्यता में विश्वास पैदा किया जा सके।

[हिन्दी]

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार

627. **डा. मदन प्रसाद जायसवाल :**
प्रो. दुखा भगत :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9.11.2000 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में, सलेकनेस ऑफ सी. जेज कॉज ऑफ क्रपशन, शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श किया है। न्यायालय ने निम्नानुसार सूचित किया है–

"भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति का कथन उनके अपने प्रतिबोधन पर आधारित है जो उन्हें समय–समय पर समाचार–पत्रों में प्रकाशनों के विभिन्न स्रोतों से हुआ है। भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, आरोपों के समर्थन में उच्च न्यायालयों के संबंधित मुख्य न्यायमूर्तियों से मामूली से मामूली सामग्री भी प्राप्त करने का प्रयास करते रहे हैं, जिससे कि वे उच्चतम न्यायालय और साथ ही उच्च न्यायालयों द्वारा की जा रही आंतरिक प्रक्रिया जांच पर कार्यवाही कर सकें।"

[अनुवाद]

भारत-ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना

628. **श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :**
श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत–ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी लागत आएगी;

(ग) क्या पाकिस्तान अपने जल और भू–क्षेत्र के ऊपर बिछाई जाने वाली पाइपलाइन के लिए किसी व्यवस्था के लिए सहमत हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नही उठते।

सेना को स्कीइंग का प्रशिक्षण

629. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना स्विस एल्पस में स्कीइंग का प्रशिक्षण प्राप्त करेगी; और

(ख) यदि हा, तो स्विट्जरलैंड के साथ अन्य किन–किन क्षेत्रों में विचार–विमर्श किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि भारतीय सेना स्विस एल्प्स पर स्कीइंग प्रशिक्षण लेगी। दोनों देशों के बीच हुआ विचार–विमर्श आपसी राष्ट्रीय रक्षा प्रशिक्षण सुविधाओं के उपयोग सहित रक्षा सहयोग के क्षेत्र में सामान्य स्वरूप का था।

हुबली डिवीजन का क्षेत्राधिकार

630. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री ए. वैंकटेश नायक :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हुबली रेलवे डिवीजन के क्षेत्राधिकार में बेल्लारी तोरंगल, बंतानाला और रानाजीत–पुरा को शामिल करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) मांग बंतानहल (बंतानलाल)–बेल्लारी–तोरनगाल्लू–रणजीतपुरा (रणजीतपुरा) और बेल्लारी–रायदुर्ग खंडों को दक्षिण–पश्चिम जोन के अंतर्गत हुबली मंडल में बनाए रखने की है।

जारी अधिसूचना के अनुसार गुंतकल और हुबली मंडल का क्षेत्राधिकार 1.4.2003 से संशोधित किया जाना है। गुंतकल–बेल्लारी (मी.ला.) और बेल्लारी–रायदुर्ग गुंतकल मंडल का भाग होना चाहिए और होसपेट–तोरनगाल्लू खंड, गुंतकल से हुबली मंडल में हस्तानांतरित किया जाना है।

[हिन्दी]

गैस नीति

631. श्री बृजलाल खाबरी :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नई गैस नीति बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पानी से भरे और कम वजन के रसोई गैस के सिलेंडर

632. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उपभोक्ताओं से डिलिवरी के समय पानी से भरे और कम वजन के रसोई गैस सिलेंडरों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में सरकार को राज्यवार कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ग) सरकार द्वारा प्रत्येक शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी गतिविधियों में संलिप्त कितनी रसोई गैस एजेंसियां रद्द की गईं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों को पूरे देश में उपभोक्ताओं से डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध पानी से भरे सिलेंडरों की 25 सिद्ध शिकायतें और कम वजनी सिलेंडरों की आपूर्ति से संबद्ध 92 सिद्ध शिकायतें प्राप्त हुईं।

(ग) और (घ) शिकायतों के ऐसे सारे सिद्ध मामलों में डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा कम वजनी/पानी से भरे सिलेंडर मुफ्त में बदले गए। इसके अलावा दोषी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध प्रत्येक मामलो में विद्यमान विपणन अनुशासन दिशा–निर्देशों/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के संबंध में कार्रवाई भी की गई।

[हिन्दी]

फ्लाइट सिमुलेटर्स का लगाया जाना

633. श्री वाई. जी. महाजन : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लड़ाकू विमानों में फ्लाइट सिमुलेटर्स लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लड़ाकू विमानों में फ्लाइट सिमुलेटर लगाने के परिणामस्वरूप क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) कुछ लड़ाकू विमानों के लिए सिमुलेटरों का पहले से उपयोग किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना में सिमुलेटरों को शामिल करना एक सतत प्रक्रिया है।

(ग) सिमुलेटर कौशल का स्तर बढ़ाने और सुरक्षित परिवेश में आपात स्थितियों और प्रक्रियाओं का अभ्यास करने में सहायता करते हैं।

[अनुवाद]

कृषकों को क्षतिपूर्ति

634. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेनाओं की तैनाती के कारण जिन कृषकों के खेत और फसलों को नुकसान पहुंचा है, उनको क्षतिपूर्ति के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार कितनी राशि स्वीकृत और जारी की गई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को कृषकों के बीच क्षतिपूर्ति वितरण में अनियमितता के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जम्मू–कश्मीर, पंजाब तथा राजस्थान के सीमा क्षेत्रों में रक्षा तैयारियों के प्रारम्भिक चरण/सशस्त्र बलों की आवाजाही के दौरान लोगों/किसानों की फसल को हुए नुकसान के लिए उन्हें अनुग्रही मुआवजे के भुगतान हेतु रक्षा मंत्रालय ने 1,30,29,52,580/– रुपए की राशि मंजूर की है। समूची राशि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार राज्य सरकारों को जारी कर दी गई है–

क्र.सं.	राज्य का नाम	जारी की गई राशि
1.	पंजाब	66,00,00,000/– रु.
2.	राजस्थान	54,31,57,580/– रु.
3.	जम्मू–कश्मीर	09,97,95,000/-- रु.
	कुल	1,30,29,52,580/– रु.

(ख) और (ग) प्रभावित किसानों को मुआवजे की राशि, राज्य के राजस्व प्राधिकारियों द्वारा उनके राजस्व अभिलेखों के आधार पर बांटी जा रही है। तथापि, किसानों को मुआवजा बांटे जाने में अनियमितता के संबंध में कोई शिकायत मंत्रालय के ध्यान में नहीं आई है।

पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क

635. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोत्तरी के प्रभाव को रोकने के लिए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद

शुल्क लगभग 2 प्रतिशत कम किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) पेट्रोलियम क्षेत्र के अंतर्गत 1.4.2002 से प्रभावी प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था के समापन के साथ अतर्राष्ट्रीय तेल बाजार के उतार–चढ़ावों का असर पेट्रोल तथा डीजल के घरेलू उपभोक्ता मूल्यों पर अवश्य पड़ता है।

अतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में अतिशय मूल्यगत अस्थिरताओं के प्रभाव को रोकने के विचार सरकार ने 4.6.2002 के पेट्रोल तथा डीजल पर उत्पाद शुल्कों में 2 प्रतिशत तक की कटौती की थी। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में तेल के मूल्यों में हाल ही में गिरावट हुई है, इसलिए वर्तमान में पेट्रोल तथा डीजल पर उत्पाद शुल्कों में आगे और कटौती करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

मैनपुर-गया मार्ग के बीच टूटे फिश प्लेट

636. श्री रामजी मांझी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या रेल सुरक्षा बल के गश्तीदल ने मैनपुर और गया के बीच दोनों तरफ टूटे फिश प्लेट देखे थे;

(ख) क्या गया–मैनपुर के बीच की पटरी 25 वर्ष पुरानी है और यह बदली जा रही है;

(ग) क्या फिश प्लेटों को मुख्य धातुकर्मीय परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या कारणों का पता लगाने के लिए अब तक परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) रिपोर्ट के अनुसार सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में सौर जल ऊष्मक

637. श्री किरीट सोमैया : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की सौर जल ऊष्मक संबंधी योजना को महाराष्ट्र में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष महाराष्ट्र में कुल कितने सौर जल ऊष्मक लगाए गए हैं;

(ग) सरकार किस प्रकार उपयोगकर्त्ताओं को प्रेरित एवं सहायता करती है; और

(घ) इसके लाभ का ब्यौरा क्या है और इसके उपयोग को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) जी, हां। सौर जल तापकों के वित्त पोषण के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) और कुछ बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही उदार ऋण योजना को महाराष्ट्र में अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

(ख) सौर जल तापन प्रणालियों में सौर संग्राहक नामक युक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है जो सौर विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं और ताप को संग्राहक के ऊपर बहते जल की ओर हस्तांतरित कर देती हैं। एक खास प्रकार के संग्राहक में 2 वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र होता है। किसी प्रणाली में इस्तेमाल किए जाने वाले संग्राहकों की संख्या प्रतिदिन जरूरत पड़ने वाले गरम जल की मात्रा पर निर्भर करती है। अधिकांश घरेलू प्रणालियों में एक या दो संग्राहकों का इस्तेमाल किया जाता है जबकि वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में 50–100 या अधिक संग्राहकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। महाराष्ट्र में पिछले 3 वर्षों के दौरान स्थापित किया गया कुल सौर तापीय संग्राहक क्षेत्र और जल तापकों की समतुल्य संख्या (प्रति प्रणाली 4 वर्ग मी. के औसत का उपयोग करते हुए) का अनुमान निम्न प्रकार से है--

वर्ष	कुल सौर संग्राहक क्षेत्र (वर्गमीटर)	सौर जल तापकों की समतुल्य संख्या
1999–2000	8000	2000
2000–2001	13000	3250
2001–2002	14000	3500

(ग) सौर जलतापकों का संवर्धन पहले सरकार द्वारा एक प्रदर्शन योजना के माध्यम से और बाद में लगभग एक दशक के लिए उपयोगकर्त्ताओं को प्रत्यक्ष सब्सिडी प्रदान कर किया गया था। चूंकि यह प्रौद्योगिकी, तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हो गई, पूंजीगत सब्सिडी बंद कर दी गई और इसके स्थान पर सरकार द्वारा ब्याज सब्सिडी लाई गई। वर्तमान में उपयोगकर्त्ताओं को घटी हुई ब्याज दर पर ऋण सात विनिर्दिष्ट बैंको और इरेडा के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। उपयोगकर्त्ताओं को प्रेरित करने और सहायता देने के लिए विज्ञापन जारी किए जाते हैं और व्यापार बैठकें/प्रशिक्षण कार्यक्रम/प्रदर्शनियां अक्सर आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त विश्वसनीय उत्पादों के फैलाव को सुनिश्चित करने के लिए सौर संग्राहकों हेतु राष्ट्रीय मानक तैयार किए गए हैं तथा सरकार की सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी परियोजना के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा प्रमाणित उत्पादो का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है।

(घ) अनुमान लगाया गया है कि वर्ष भर 100 लीटर क्षमता के सौर जल तापक के उपयोग से लगभग 1500 गनित बिजली की बचत हो सकती है और प्रतिवर्ष 1.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोका जा सकता है। ऐसे 1000 सौर जल तापकों की स्थापना से 1 मेगावाट की पीक लोड में भी कमी आ सकती है।

देश मे सौर जल तापकों के उपयोग को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं--

(i) कुछ श्रेणियों के भवनों में सौर सहायता युक्त जलतापन प्रणालियों के उपयोग को अनिवार्य बनाने वाले भवन उप–नियमों में एक आदर्श संशोधन तैयार किया गया है और राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों से उनके भवन उप–नियमों में उन्हें शामिल करने का अनुरोध किया गया है। उन नगर–पालिकाओं/नगर–निगमों/स्थानीय निकायों, जिन्होंने प्रशिक्षण एवं जागरूकता संवर्धन कार्यकलापों की सहायता के लिए अपने भवन उप–नियमों में उपरोक्त सशोधन शामिल किया है, के लिए वित्तीय सहायता हेतु प्रावधान रखे गए हैं।

(ii) अपेक्षाकृत अधिक उपयोगकर्त्ताओं को उदार ऋणों को लाभ देने के लिए देश के बड़े क्षेत्रों को शामिल करने हेतु बैंक योजना का विस्तार किया गया है।

(iii) कुछ राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी) ने उन घरों, जहां सौर जल तापकों की स्थापना की गई है के लिए बिजली शुल्क में कटौती की घोषणा की है। अन्य राज्य विद्युत बोर्डों से ऐसा ही करने का अनुरोध किया गया है।

(iv) पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर तथा द्वीप समूहों में लागत भागीदार आधार पर एक विशेष प्रदर्शन कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

बड़े शहरों में मेट्रो रेल

638. श्री रघुनाथ झा : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली में दिसम्बर तक मेट्रो रेल उपलब्ध कराने के बाद सरकार का विचार 35 अन्य बडे शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी शहर–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त 35 शहरों में मेट्रो रेल सेवा कब तक आरम्भ कराए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रांची दूरदर्शन से समाचार का प्रसारण न होना

639. श्री लक्ष्मण गिलुवा :
प्रो. दुखा भगत :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्तमान में रांची दूरदर्शन से प्रसारित हो रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ समस्याओं के कारण इस दूरदर्शन केन्द्र से स्थानीय समाचार का प्रसारण नहीं हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है/की जाएगी?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इस समय रांची दूरदर्शन केन्द्र से विभिन्न विषयों पर बहुत से कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं जिनमें अन्य कार्यक्रमों के साथ–साथ लोक संगीत, महिलाओं के कार्यक्रम, समसामयिक विषयों, खेल–कूद, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण, संस्कृति, विज्ञान आदि से संबंधित कार्यक्रम शामिल होते हैं।

(ख) और (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि 2 अप्रैल, 2002 में रांची केन्द्र से स्थानीय समाचार बुलेटिन सायं 7.00 बजे से सायं 7.15 बजे तक प्रसारित किए जा रहे हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हाइड्रोजन कार संबंधी भारत-अमरीकी परियोजना

640. श्री वाई. वी. राव : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत और अमरीका हाइड्रोजन कार विकसित करने के लिए संयुक्त रूप से एक परियोजना पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या लक्ष्य रखे गए हैं; और

(घ) इस परियोजना में भारत की सहभागिता कितनी है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (घ) ऑटो उद्योग पूरी तरह से लाइसेंस मुक्त है और इसके संचलन में सरकार की सीधे तौर पर कोई भूमिका नही है। सोसायटी फॉर इंडियन ऑटोमोबाइल मेन्यूफेक्चर्स एशोसिएशन (एसआईएएम) से प्राप्त सूचना के अनुसार, इस समय इस विषय पर मौजूदा दो देशों के उद्योगों के बीच कोई संयुक्त परियोजना नहीं है।

कच्चे तेल की कीमतें

641. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली तेल विपणन कम्पनियों को कहा है कि वे अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के भार को वहन करें और इसे पूरी तरह उपभोक्ताओं पर न डालें;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि तेल कम्पनिया अपने लाभ सुरक्षित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के साथ अपनी कीमतें 25–30 पैसा पाक्षिक रूप से नहीं बढा सकती;

(ग) यदि हां, तो इन कम्पनियों को और क्या कहा गया; और

(घ) वे किस सीमा तक सहमत हुई हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बीना तेलशोधक कारखाना

642. श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्रीमती जयश्री बैनर्जी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीना तेलशोधक कारखाने पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ख) बीना तेलशोधक कारखाने के कब तक शुरू होने की सभावना है?

पट्रोलियम आर प्राकृतिक गैस मत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) बीना (मध्य प्रदेश) में मध्य भारत रिफाइनरी परियोजना पर अब तक उपगत कुल व्यय 150 करोड़ रुपए (लगभग) है।

(ख) इस परियोजना के परियोजना क्रियान्वयन की पुनः शुरूआत की जाने की तारीख से 42 माह के भीतर पूरा होने की आशा है।

फास्ट ट्रैक न्यायालयों के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता

643. श्री जय प्रकाश : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में मुकदमों की निरन्तर बढ़ती संख्या को देखते हुए चालू वित्त वर्ष के दौरान फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता जारी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी मिल रही है कि अनेक राज्य सरकारें फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना के प्रति उदासीन हैं;

(घ) क्या उचित प्रशासनिक संसाधनों की अनुपलब्धता और केन्द्र सरकार द्वारा जारी धनराशि के उपयोग न किए जाने के कारण मुकदमों के शीघ्र निबटान के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा रहा है, और

(ङ) यदि हां, तो इस स्थिति से निबटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) संघ सरकार द्वारा अभी तक उत्तर प्रदेश को त्वरित निपटान न्यायालय स्कीम के अधीन 28.24 करोड रुपए की राशि जारी की गई है।

(ग) से (ङ) उच्चतम न्यायालय ने, ब्रिज मोहन लाल बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में अपने तारीख 6 मई, 2002 के निर्णय में त्वरित निपटान न्यायालय स्कीम के क्रियान्वयन के लिए निदेश दिए हैं। विधि और न्याय मंत्री आवधिक रूप से राज्य सरकारों को ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा यथा परिकल्पित पूर्ण संख्या में त्वरित निपटान न्यायालय स्थापित करने के लिए अनुरोध करते रहे हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के विधि/गृह सचिवों के हाल ही में आयोजित सम्मेलन में राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया था कि वे सभी उद्दिष्ट त्वरित निपटान न्यायालयों का गठन करें और उन्हें क्रियाशील बनाएं, जिससे कि त्वरित निपटान न्यायालयों द्वारा मामलों के निपटान के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।

बिहार में पारेषण लाइनों का निर्माण

644. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पावर ग्रिड कारपोरेशन ने बिहार में पारेषण लाइनों के निर्माण की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने बिहार को 325 करोड रु. का वित्तीय पैकेज स्वीकृत किया है और पावर ग्रिड कारपोरेशन ने इस क्रियान्वयन पर सहमति जताई है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना के कब तक पूर्ण होने और कार्य शुरू करने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां। पावर ग्रिड ने बीएसईबी के साथ परामर्श करके 365.79 करोड रुपये की अनुमानित लागत पर बिहार राज्य में उप–पारेषण प्रणाली को सशक्त बनाने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; जिसमें पारेषण लाइनों और सब–स्टेशन की स्थापना, निर्माण और चालू करने से संबंधित 49.77 करोड़ रुपए के प्रभार शामिल है।

(ख) इस स्कीम को योजना आयोग की विकास एवं सुधार सुविधा संबंधी उच्च स्तरीय समिति ने सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है।

(ग) स्कीम को स्वीकृति की तिथि से 18 माह के भीतर पावर ग्रिड द्वारा क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

[अनुवाद]

मेघालय में विद्युत परियोजना की स्थापना

645. श्री एम. के. सुब्बा : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत के राष्ट्रपति ने मेघालय में मिन्टडू लेइस्का में 84 (2 × 42) मेगावाट जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी समय अवधि सहित इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है, और

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र की अनुमानित जल विद्युत क्षमता का ब्यौरा क्या है और इसका कितना दोहन और उपयोग किया जा रहा है.

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) भारत के राष्ट्रपति ने दिनांक 25.10.2002 को मेघालय में मिंटडू लेइस्का में मेघालय राज्य विद्युत बोर्ड के 84 (2 × 42) मे.वा. की हाइडल परियोजना की आधारशिला रखी।

(ख) परियोजना लागत 363.08 करोड रु. (जनवरी 1999 मूल्य स्तर पर) है तथा पूरा करने की अवधि निवेश मजूरी की तिथि से 60 महीने है। यह अक्टूबर, 2006 तक शुरू होने की उम्मीद है।

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 1978–87 से किए गए पुनर्मूल्यांकन अध्ययनों के अनुसार उ.पू. क्षेत्र की पता लगाई गई अनुमानित हाइड्रो क्षमता 58971 मे.वा. है। उपर्युक्त में से पता लगाई गई संभावित 1070 मेगावाट का अभी तक दोहन कर लिया गया है, जबकि दूसरी 379 मे.वा. निवेश अनुमोदन के बाद निर्माणाधीन है। उत्तर पूर्व की राज्यवार अनुमानित जल विद्युत संभावना तथा इसमें अभी तक हुई प्रगति को नीचे दर्शाया गया है–

क्षेत्र/ राज्य	पुनर्मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार पता लगाई गई क्षमता	विकसित क्षमता		निर्माणाधीन क्षमता	त्रिचरणीय प्रक्रिया के चरण–II के तहत विकासाधीन क्षमता
	(मे.वा.)	(मे.वा.)	%	(मे.वा.)	(मे.वा.)
मेघालय	2394	185	8	84	0
त्रिपुरा	15	15	100	0	0
मणिपुर	1784	105	6	90	0
असम	680	250	37	145	0
नागालैंड	1574	99	6	0	0
आंध्र प्रदेश	50328	416	1	0	2600
मिजोरम	2196	0	0	60	0
कुल	58971	1070	2	379	2600

कारगिल के शहीदों के परिवारजनों को पेट्रोल पम्पों का आवंटन

646. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को पेट्रोल पम्पों या गैस एजेंसियों के आवंटन हेतु कश्मीर–कारगिल शहीदों की विधवाओं या आश्रितों से कोई आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त लम्बित आवेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में कहीं भी गत छः माहों में इस प्रकार के आवेदन आमंत्रित नहीं किए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कश्मीर–कारगिल शहीदों की विधवाओं को पेट्रोल पम्पों के आवंटन की योजना बंद करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस योजना को कब तक बंद किया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) 'आपरेशन विजय' (कारगिल) के अंतर्गत कार्रवाई में मारे गए रक्षा कर्मियों की विधवाओं/निकटतम संबंधियों के लिए विशेष योजना के तहत खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का आवंटन पुनर्वास महानिदेशक (डीजीआर), रक्षा मंत्रालय की सिफारिशों पर किया जाता है। अभी तक 454 मामलों के संबंध में डीजीआर से सिफारिशें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से अब तक 439 मामलों में डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आवंटन के लिए सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है।

सरकार का प्रस्ताव डीजीआर द्वारा सिफारिश किए गए सभी पात्र मामलों को शामिल करने का है।

तलचर से कोलार तक पूर्व-दक्षिण पावर ग्रिड लिंक

647. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावर ग्रिड कारपोरेशन ने तलचर से कोलार तक पूर्व–दक्षिण पावर ग्रिड का कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पावर ग्रिड द्वारा बड़ी मात्रा में विद्युत को तलचर से बाहर भेजने और अतिरिक्त विद्युत को पूर्वी क्षेत्र से दक्षिणी क्षेत्र में स्थानांतरित करने में सहायता मिलने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो इसके कब तक तैयार हो जाने की संभावना है और इस नए पावर ग्रिड की लागत कितनी है;

(घ) क्या इस प्रकार से विद्युत स्थानांतरित करना सस्ता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) तलचर–कोलार पारेषण प्रणाली के लिए निवेश अनुमोदन सरकार द्वारा फरवरी, 2000 में जारी किया गया था, जिसकी अनुमानित लागत 3865.61 करोड़ रुपए थी। तलचर व कोलार में एचवीडीसी टर्मिनल स्टेशनों समेत इस लिंक के 1000 मेगावाट क्षमता पोल–1 का सितम्बर, 2002 में पावरग्रिड द्वारा टेस्ट चार्ज कर लिया गया है। लिंक के पोल–2 के जनवरी, 2003 तक पूरा होने की उम्मीद है तथा मार्च, 2003 तक पूर्णरूपेण चार्ज हो जाएगा। परियोजना की पूरी लागत 3150 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस लिंक से उड़ीसा में 2000 मेगावाट तलचर–2 सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट से विद्युत कमी को पूरा किया जा सकेगा तथा दक्षिणी क्षेत्र के प्रांतों में विद्युत भेजी जा सकेगी। लिंक का प्रयोग दक्षिणी क्षेत्र से पूर्वी क्षेत्र को अतिरिक्त विद्युत को अंतरित करने के लिए भी किया जाएगा।

(घ) और (ङ) विद्युत पारेषण ईंधन ट्रांसपोर्टेशन की तुलना में लागत प्रभावी होना माना जाता है। एक अनुमान के अनुसार कोयले की ट्रांसपोर्टेशन लागत सामान्यतः विद्युत पारेषण की लागत का लगभग 1.5 से 1.75 गुना होती है।

पश्चिमी बंगाल में प्राकृतिक गैस की मांग

648. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा गठित कार्य समूह ने 2005–06 में पश्चिमी बंगाल में लगभग 275 एमएससीएफडी (मिलियन क्यूबिक फीट/डे) प्राकृतिक गैस की मांग बताई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र के तीन केन्द्रीय तेल उपक्रमों (आईओसी, ओएनजीसी, गेल) के समूह द्वारा नियुक्त भारतीय बाजार अनुसंधान ब्यूरो (आईएमआरबी) ने 2005–06 में पश्चिमी बंगाल में प्राकृतिक गैस की भारी मांग का आकलन किया है;

(ग) क्या सरकार को पश्चिमी बंगाल सरकार से राज्य में प्राकृतिक गैस की माग को पूरा करने के लिए राज्य में संलयन योजना बनाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सबधी ब्यौरा क्या है और इस सबध में क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, पश्चिमी बंगाल को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति मुख्य रूप से बांग्लादेश से प्राकृतिक गैस के आयात पर निर्भर करती है। इस उद्देश्य के लिए बांग्लादेश से प्राकृतिक गैस के आयात के लिए इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड नामक तीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के परिसंघ का गठन किया गया है। बांग्लादेश सरकार को भारत को प्राकृतिक गैस का निर्यात करने के बारे में अभी अपना निर्णय सूचित करना है।

तेल की कीमतों में बढ़ोत्तरी

649. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोत्तरी से भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस स्थिति से उबरने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) पेट्रोलियम क्षेत्र के अंतर्गत 1.4.2002 से प्रभावी प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था के समापन के साथ अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार के उतार-चढ़ावों का असर पेट्रोलियम उत्पादों के घरेलू उपभोक्ता मूल्यों पर अवश्य पड़ना है। 1.4.2002 के बाद तेल कम्पनियों के द्वारा पेट्रोल तथा डीजल के संशोधित मूल्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में मूल्यगत अस्थिरता के पेट्रोल तथा डीजल के घरेलू उपभोक्ता मूल्यों पर पडने वाले प्रभाव को आंशिक रूप से काबू करने के विचार से सरकार ने इनमें से प्रत्येक उत्पाद पर उत्पाद शुल्क दरों में 2 प्रतिशत तक की कटौती की जो 4.6.2002 से प्रभावी थी। अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में हाल ही में हुई गिरावट को भी ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों ने पेट्रोल तथा डीजल के उपभोक्ता मूल्यों में कटौती की है, जो 16.11.2002 से प्रभावी है।

विवरण

तेल कम्पनियों द्वारा 1.4.2002 के पश्चात् पेट्रोल तथा डीजल के खुदरा बिक्री मूल्यों में किए गए संशोधन

प्रभावी तारीख	दिल्ली में खुदरा बिक्री मूल्य	
	पेट्रोल	डीजल
1.3.02 की स्थिति के अनुसार	26.54	16.59
4.6.02	28.94	17.99
16.6.02	29.18	18.23
16.8.02	29.00	18.05
1.9.02	29.20	18.34
16.9.02	29.66	18.68
1.10.02	29.91	18.91
17.10.02	30.24	19.23
1.11.02*	30.26	19.25
16.11.02	29.57	18.57

*डीलरों के कमीशन में वृद्धि के कारण।

[हिन्दी]

अनुबंध के आधार पर
रेल स्टेशन

650. श्री अखिलेश यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में अनुबंध के आधार पर चलाए जाने वाले रेल स्टेशनों की संख्या और दिल्ली में इस प्रकार के स्टेशनों की संख्या कितनी है;

(ख) अनुबंध के आधार पर स्टेशनों को पट्टे पर देने के लिए किन नियमों, मानदंडों को अपनाया गया है और गत तीन वर्षों के दौरान कितनी आय हुई और इस प्रकार के स्टेशनों से विशेषतः दिल्ली में रेलवे को वर्षवार कितनी आय हुई;

(ग) किसी दुर्घटना की स्थिति में इस प्रकार के स्टेशनों के संचालक किस सीमा तक जिम्मेदार हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा अनुबंध के आधार पर चलाए जा रहे स्टेशनों को रेलवे के नियंत्रण में लाने की कोई योजना सरकार द्वारा तैयार की गई है जिससे उनकी जिम्मेदारी तय करने और इस प्रकार के स्टेशनों से राजस्व बढाने के लिए मानदंड बनाए जा सकें; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

वेंकटस्वामी आयोग की रिपोर्ट

651. **श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :**
श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कथित 'तहलका' रक्षा सौदे की जांच कर रहे वेंकटस्वामी आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कच्चे तेल का आयात

652. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) अप्रैल, 2002 से अक्टूबर, 2002 तक कुल कितनी मात्रा में कच्चे तेल का आयात किया गया; और

(ख) इस आयात की कुल लागत कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) अप्रैल–सितंबर, 2002 की अवधि के दौरान 42.007 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल का आयात किया गया है जिसकी लागत 37,549 करोड रुपए है।

नैरोकास्टिंग डिजिटल डीडी का प्रावधान

653. **श्री रामशेठ ठाकुर :**
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की दर्शकों के लिए नैरोकास्टिंग उपलब्ध कराने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा नैरोकास्टिंग उपलब्ध कराने के लिए राज्यवार कितने डिजिटल डीडी केन्द्र खोले गए हैं;

(ग) क्या देश में और डिजिटल डीडी केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) दूरदर्शन ने कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य के स्वास्थ्य विभागों आदि के सहयोग से निर्मित कार्यक्रमों का प्रसारण करने के लिए एक नैरोकास्टिंग की स्कीम तैयार की है जिसे विभिन्न राज्यों में चुने गए अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों से प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाना है।

(ख) से (घ) महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ तथा झारखड से एक-एक केन्द्र से और पंजाब में दो केन्द्रों से एनोलोग पद्धति में 12 अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों से नैरोकास्टिंग का प्रस्ताव है। आठ केन्द्रों से सीमित प्रसारण शुरू कर दिया गया है। दूरदर्शन द्वारा नैरोकास्टिंग को डिजिटल दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना हेतु लिक नहीं किया जाता है। दूरदर्शन के 10वीं योजना के प्रस्तावों में दूरदर्शन केन्द्रों के डिजिटलीकरण की स्कीमें शामिल हैं।

लखनऊ जंक्शन पर मची भगदड़ की जांच

654. श्री चन्द्र भूषण सिंह :

श्री जय प्रकाश :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में लखनऊ जंक्शन पर मची भगदड़ की घटना की जांच के लिए किसी जांच आयोग का गठन किया गया है;

(ख) यदि हा, तो क्या उक्त आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य मे इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

मुम्बई के नाहूर में नया हाल्ट/स्टेशन

655. श्री किरीट सोमैया : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार मुम्बई के नाहूर में हाल्ट/स्टेशन के निर्माण का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए आवंटित धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) उक्त परियोजना का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मुंबई में भांडुप और मुलुंड स्टेशन के बीच नाहूर में हाल ही में एक हाल्ट स्टेशन स्वीकृत किया गया है। बहरहाल, स्वीकृति इस शर्त के अध्यधीन दी गई है कि राज्य सरकार द्वारा भूमि निशुल्क/नाममात्र के प्रभार पर उपलब्ध कराई जाएगी। 1745 वर्ग मी. भूमि का अधिग्रहण करने और इसे राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराने के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है।

चूंकि समग्र प्रस्ताव भूमि की उपलब्धता पर आधारित है। जिसे राज्य सरकार द्वारा अभी मुहैया कराया जाना है। अतः निधि, समय सीमा, आदि के बारे में कोई विशिष्ट ब्यौरा फिलहाल प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

भारत-इराक संयुक्त आयोग की बैठक

656. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 जुलाई, 2002 को किसी भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत-इराक संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने के सिलसिले में बगदाद की यात्रा की थी और उन्होंने इराक सरकार के साथ विचार-विमर्श किया;

(ख) यदि हा, तो किन-किन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए; और

(ग) दोनों देशों ने एक-दूसरे से किस सीमा तक निर्यात को बढाने पर सहमति जताई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) बगदाद में 6 और 7 जुलाई, 2002

को आयोजित आर्थिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत–इराक संयुक्त आयोग के 15वें सत्र के दौरान अपस्ट्रीम एवं डाऊनस्ट्रीम तेल क्षेत्र और इराक से कच्चे तेल की आपूर्ति में परस्पर हित के मामलों पर चर्चा की गई थी। परन्तु इस दौरे के दौरान किसी नए करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

इस्पात संयंत्रों को रेल मार्ग से जोड़ा जाना

657. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास फीडर खान क्षेत्रों से इस्पात संयंत्रों को रेल मार्ग के द्वारा जोड़ने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय के एस.ए.आई.एल., खान विभाग और उन राज्यों से भी जहां इस्पात संयंत्र स्थित है, कोई विशेष अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) देश में प्रमुख एकीकृत इस्पात संयंत्र पहले ही फीडर माइन्स तक भली–भांति जुड़े हुए हैं। इसके अलावा, भिलाई प्लांट को रावघाट के रास्ते बेलाडिला/किरांडुल की लौह अयस्क खानों के साथ भी जोड़ने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, हां।

(ग) दल्लीराजहरा–रावघाट–जगदलपुर नई लाइन का निर्माण रेल मंत्रालय, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, मैसर्स स्टील आथोरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) तथा मैसर्स नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एन डी एम सी) के बीच लागत में भागीदारी के आधार पर किया जाना है। समझौता ज्ञापन के अनुसार इस रल लाइन अर्थात् दल्लीराजहरा से रावघाट तक का प्रथम चरण समग्रतः मैसर्स सेल की लागत पर निर्मित किया जाना है क्योंकि लाइन मुख्यतः भिलाई स्टील प्लांट के लिए लौह अयस्क के परिवहन के लिए है। बहरहाल, मैसर्स सेल ने अभी तक रेलों के पास परियोजना के भाग की लागत जमा नहीं कराई है। अपेक्षित पर्यावरणात्मक क्लीयरेंस प्राप्त करने के बाद जैसे ही मैसर्स सेल द्वारा रेलों के पास लागत जमा करा दी जाएगी, कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

इलेक्ट्रानिक मीडिया को भारतीय प्रेस परिषद के अन्तर्गत लाना

658. श्री जय प्रकाश : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इलेक्ट्रानिक मीडिया को भारतीय प्रेस परिषद के क्षेत्राधिकार में लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में कब तक निर्णय लेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों हेतु वित्तीय सहायता

659. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढावा देने हेतु सरकार द्वारा कौन–कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता का राज्य–वार और वर्ष–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार और अन्य राज्यों को कितनी सहायता दिए जाने की संभावना है और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी सहायता दी गई?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) देश भर में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास और उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए बायोगैस,

एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम, ऊर्जा पार्क, सौर प्रकाशवोल्टीय, लघु पनबिजली, पवन विद्युत, बायोमास विद्युत, सौर विद्युत, बायोमास गैसीफायर, सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम, सौर कुकर, नई प्रौद्योगिकियां और अपशिष्ट से ऊर्जा जैसी वृहत पैमाने की योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के राज्यवार और वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) विभिन्न कार्यक्रमों के लिए राज्यवार निधियों का आवंटन नहीं किया जाता है। तथापि, नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बिहार राज्य को 7.82 करोड़ रु. की कुल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई।

विवरण

नौवीं योजना के दौरान राज्यवार और वर्षवार दी गई वित्तीय सहायता

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशि करोड़ रु. में				
		1997–98	1998–99	1999–00	2000–01	2001–02
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	8.614	11.042	15.355	20.993	24.986
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.788	0.707	0.383	0.894	16.528
3.	असम	1.073	1.186	2.519	0.777	0.471
4.	बिहार	0.725	2.802	3.939	0.224	0.133
5.	गोवा	0.118	0.314	0.104	0.056	0.020
6.	गुजरात	6.056	7.679	4.544	5.900	5.522
7.	हरियाणा	2.354	3.098	3.539	4.239	3.477
8.	हिमाचल प्रदेश	4.311	7.423	6.094	4.370	6.151
9.	जम्मू–कश्मीर	1.008	1.966	3.492	1.514	0.849
10.	कर्नाटक	7.569	9.943	10.179	15.210	13.405
11.	केरल	1.078	2.507	4.744	5.190	10.674
12.	मध्य प्रदेश	8.312	9.594	11.421	7.736	3.805
13.	महाराष्ट्र	7.152	9.132	16.527	11.120	7.804
14.	मणिपुर	0.396	1.812	1.205	0.399	1.342
15.	मेघालय	0.324	0.636	0.466	1.296	2.095
16.	मिजोरम	9.524	3.336	2.928	5.042	0.528

1	2	3	4	5	6	7
17.	नागालैंड	0.325	0.802	0.586	1.181	3.341
18.	उड़ीसा	3.445	7.158	9.877	5.448	8.025
19.	पंजाब	4.380	7.638	11.126	3.967	12.876
20.	राजस्थान	2.108	6.227	7.817	7.099	9.136
21.	सिक्किम	1.580	4.108	3.970	6.681	5.097
22.	तमिलनाडु	3.994	4.339	6.266	5.218	3.844
23.	त्रिपुरा	0.464	1.131	0.937	3.284	2.686
24.	उत्तर प्रदेश	13.197	17.203	11.687	15.531	18.582
25.	पश्चिमी बंगाल	6.315	9.339	16.200	15.881	18.157
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.040	0.134	0.184	8.049	2.655
27.	चंडीगढ	0.038	0.248	0.080	0.020	0.160
28.	दादरा और नगर हवेली	0.000	0.023	0.012	0.000	0.000
29.	दमन और दीव	0.000	0.023	0.012	0.036	0.000
30.	दिल्ली	0.468	0.223	0.660	1.402	0.825
31.	लक्षद्वीप	0.000	0.573	1.191	2.882	5.725
32.	पांडिचेरी	0.081	0.105	0.119	0.135	0.132
33.	छत्तीसगढ	0.000	0.000	9.000	0.000	1.772
34.	झारखंड	0.000	0.000	0.000	0.000	0.125
35.	उत्तरांचल	0.000	0.000	0.000	0.000	1.416
36.	अन्य	30.068	26.067	34.369	26.841	30.808

[अनुवाद]

गया के टिकारी में ग्रिड स्टेशन का निर्माण

660. श्री रामजी मांझी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया जिले के टिकारी जो कि अनुमंडल स्तर का शहर है जिसमें परया, गुरारू और कोंच जैसे ब्लॉक आते हैं, में ग्रिड सेवा स्टेशन के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो टिकारी में विद्युत ग्रिड स्टेशन स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए गए है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण विद्युत निगम द्वारा विद्युत की आपूर्ति हेतु सहकारिताओं का गठन

661. प्रो. उम्मारेड्डी वेंटेस्वरलु : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युत निगम का एक प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति के लिए सहकारिताओं का गठन करना है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों जहां कि इस प्रकार की सहकारिताएं कार्य कर रही हैं के नाम सहित इस प्रकार की सहकारिताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके क्रियाकलाप के विस्तार का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना में और अधिक विद्युत सहकारिताओं के गठन संबंधी ग्रामीण विद्युत निगम की क्या योजनाएं हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) ग्रामीण विद्युत सहकारिताओं का सृजन व विकास की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की इस संबंध में इनकी नीति के अनुसार होती है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) ने ग्रामीण विद्युत सहकारिताओं और संबंधित राज्य सरकारों को ऋण सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया को सुगम बनाया है। आरईसी ने देश में 12 राज्यों नामशः आंध्र प्रदेश (9), बिहार (1), गुजरात (1), जम्मू व कश्मीर (1), कर्नाटक (1), मध्य प्रदेश (17), महाराष्ट्र (1), उड़ीसा (1), राजस्थान (3), तमिलनाडु (3), उत्तर प्रदेश (1) और पश्चिमी बंगाल (2) में संबंधित समितियों/राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 41 ग्रामीण विद्युत सहकारिताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

ओपेक देशों द्वारा कच्चे तेल के मूल्य निर्धारण में भेदभाव

662. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "कच्चे तेल के मूल्य निर्धारण में भेदभाव के मामले" को 'ओपेक' के साथ उठाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या 'ओपेक' विकासशील देशों विशेषकर भारत पर लगाए जा रहे अतिरिक्त प्रभार में कटौती पर सहमत हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने सितंबर, 2002 के प्रथम सप्ताह में सम्पन्न हुई 14वीं विश्व पेट्रोलियम कांग्रेस में इस मुद्दे को उठाया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने 22–23 डालर प्रति बैरल के बीच मूल्य रखने और मूल्य में होने वाले बहुत अधिक उतार–चढ़ाव में विकासशील देशों को सुरक्षित रखने की मांग की है; और

(च) यदि हां, तो सरकार के सुझावों को किस सीमा तक स्वीकार कर लिया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) कतिपय ओपेक देशों द्वारा कच्चे तेल के मूल्यनिर्धारण में भेदभाव का मामला अंतर्राष्ट्रीय मंचों और ओपेक के सदस्य देशों के साथ उठाया गया था। इस मामले को विभिन्न ओपेक देशों के साथ आगे बढाया जा रहा है।

(घ) और (ङ) जी, हां।

(च) ओपेक के सदस्य देशों ने अभी भारत सरकार के सुझाव स्वीकार नहीं किए हैं।

इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा सीएनजी के संबंध में भ्रामक आंकड़े दिया जाना

663. श्री वी. वेत्रिसेलवन :
श्रीमती श्यामा सिंह :

डा. मदन प्रसाद जायसवाल :

श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी फिलिंग स्टेशनों की अधिष्ठापित क्षमता और वितरण क्षमता के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय को भ्रमित किया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है;

(ग) इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की आवश्यकता के मुकाबले वर्तमान अधिष्ठापित और वितरण क्षमता कितनी है;

(घ) क्या अभी भी इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड राजधानी में वाहनों को पर्याप्त सीएनजी उपलब्ध कराने में असफल रही है; और

(ङ) यदि हां, तो राजधानी मे सीएनजी की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) श्री एम. सी. मेहता द्वारा भारत सरकार और अन्य के विरुद्ध दायर एक जनहित मुकदमा रिट याचिका सं. 13029/85 की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय को गलत सूचना देने के लिए इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) के कुछ वर्तमान और पहले के पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अपने दिनांक 23 अक्टूबर, 2002 के शपथ पत्र में आईजीएल ने समय-समय पर आईजीएल द्वारा प्रस्तुत विभिन्न शपथपत्रों से उत्पन्न होने वाले किसी भ्रम के लिए बिना शर्त क्षमा-याचना की है और स्थिति स्पष्ट की है। यह मामला अभी भी उच्चतम न्यायालय के समक्ष है।

(ग) से (ङ) लगभग 5.8 लाख कि.ग्रा. प्रतिदिन की औसत बिक्री की तुलना में 31.10.2002 की स्थिति के अनुसार आईजीएल की संपीड़न क्षमता 9.3 लाख कि.ग्रा. प्रतिदिन है जिसके जून, 2003 तक चरणबद्ध ढंग से बढ़कर 18 लाख कि.ग्रा. प्रतिदिन हो जाने की आशा है। आईजीएल की वर्तमान वितरण क्षमता 18 कार्य घंटे प्रतिदिन के हिसाब से लगभग 18 लाख कि.ग्रा. प्रतिदिन है।

नौवीं योजना के दौरान विद्युत उत्पादन का लक्ष्य

664. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाई गई स्कीमों हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो नौवीं योजना के दौरान 30538 मेगावाट के अनुमानित लक्ष्य को प्राप्त न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या किसानों और अन्य व्यक्तियों को बिजली की अनुपलब्धता के कारण देश बडे संकट से गुजर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) 9वीं योजना के दोरान 40245.2 मेगावाट लक्ष्य की तुलना में 19015 मेगावाट क्षमता को बढ़ाया गया है। परियोजना कार्यान्वयन की प्रगति पर विपरीत प्रभाव डालने वाले कारण हैं–

(1) एस्क्रो की अनुपलब्धता के कारण निजी क्षेत्र की परियोजनाओं की विलंबित वित्तीय बन्दी

(2) भूमि अधिग्रहण में देरी

(3) निवेश निर्णय में देरी

(4) पुनर्वास एवं पुनःस्थापन समस्याएं

(5) नियम एवं कानून समस्याएं

(6) संविदात्मक समस्याए

(7) कुछ जल परियोजनाओं के अंतर्राज्यीय विवाद।

(ग) और (घ) दिनांक 30.9.2002 को देश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति निम्नानुसार है–

ऊर्जा आवश्यकता	–	272,534 मि.यू.
ऊजा उपलब्धता	–	246,824 मि.यू.
कमी	–	25,710 मि.यू. (9.4%)
उच्चतम मांग	–	79443 मेगावाट
उच्चतम आपूर्ति	–	68581 मेगावाट
कमी	–	10862 मेगावाट (13.7%)

विद्युत की उपलब्धता तथा उत्पादन क्षमता में सुधार लाने एवं देश में उपलब्ध विद्युत संसाधनों का ईष्टतम उपयोग करने हेतु निम्न उपाय किए गए हैं–

(क) ग्रिड मॉनीटरिंग करके क्षमता संवर्धन कार्यक्रम का शीघ्र कार्यान्वयन

(ख) निवेश प्रक्रिया विधियों का उदारीकरण

(ग) माग पक्ष प्रबधन के लिए उपायों की वृद्धि

(घ) मौजूदा पुरानी उत्पादन इकाइयों का पुनः नवीकरण एवं आधुनिकीकरण

(ङ) संवर्धन उत्पादन कार्यक्रम के तहत ताप विद्युत स्टेशनों के परिचालन एवं अनुरक्षण में सुधार के लिए पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा ऋण का संवितरण

(च) अंतर्राज्यीय तथा अंतर क्षेत्र विद्युत अंतरणों की वृद्धि

(छ) विद्युत प्रणाली में पारेषण, रूपान्तरण क्षमता की वृद्धि तथा वोल्टेज सुधार करने के लिए शंट कैपेसिटर्स का संस्थापन

(ज) पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी।

उप–पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए तथा पुनः नवीकरण व आधुनिकीकरण में सहायता करने के लिए भी सरकार ने इस वर्ष 2002–03 में 3500 करोड़ रुपये बजटीय परिव्यय से संवर्धित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) की शुरूआत की है।

सरकार ने राज्यों में विद्युत उपयोगिताओं की वित्तीय हालत में सुधार लाने के लिए विद्युत क्षेत्र सुधारों पर एक राष्ट्रीय जनमत की शुरूआत की है तथा विकास किया है। विद्युत क्षेत्र में सुधारों पर मुख्यमंत्रियों एवं राज्य विद्युत मंत्रियों का एक सम्मेलन 3 मार्च, 2001 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ था तथा सुधारों में तेजी लाने एवं विद्युत क्षेत्र की वित्तीय हालत में सुधार लाने हेतु कई निर्णय लिए गए थे।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल

665. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दिल्ली के उन निजी अस्पतालों के नाम क्या हैं जो कि मंत्रालय के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने कर्मचारियों के इलाज के लिए मान्यताप्राप्त हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन अस्पतालों को इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सरकारी क्षेत्र उपक्रम–वार, अस्पताल–वार और वर्ष–वार कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सूची से हटाए गए अस्पतालों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन सा.क्षे. उपक्रमों का नाम	सा.क्षे. उपक्रमों द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अस्पतालों के नाम	निम्न अवधि के दौरान दी गई धनराशि (रुपयों में)			सा.क्षे. उपक्रमों के पैनल से हटाए गए अस्पतालों के नाम	हटाने के कारण
		1999–2000	2000–2001	2001–2002		
1	2	3	4	5	6	7
गैस अथारिटी ऑफ इडिया लि. (गेल)	1. सर गंगाराम अस्पताल	3,62,294	1,63,204	3,94,572	1. मूलचन्द अस्पताल	सामान्य निबंधनों और शर्तों की अस्वीकृति
	2. कोलमेट अस्पताल	14,277	50,830	3,375	2. मोहिन्दर अस्पताल	
	3. बत्रा अस्पताल	2,54,440	45,880	1,85,100	3. उमकल अस्पताल	
	4. एस्कॉर्टस हार्टस इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर	6,68,231	3,37,778	7,13,473		
	5. अर्थो नोवा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड सर्जरी एंड रिसर्च	शून्य	4,105	शून्य		
	6. वसन्त लोक अस्पताल	शून्य	36,921	शून्य		
	7. नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट	38,140	59,964	शून्य		
	8. जयपुर गोल्डन अस्पताल	41,707	23,651	शून्य		
	9. माता चाननदेवी अस्पताल	87,003	8,895	1,78,503		
	10. शान्ति मुकुन्द अस्पताल	शून्य	शून्य	18,821		
	11. धर्मशिला कैन्सर अस्पताल और रिसर्च सेंटर	1,31,527	93,068	शून्य		
	योग	15,97,619	8,24,296	14,93,844		
इंजीनियर्स इंडिया लि. (ईआईएल)	1. बत्रा अस्तपाल एंड मेडिकल रिसर्च सेन्टर	21,84,649	34,14,637	29,08,064	1. धर्मशिला कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर	दरों में वृद्धि और अस्पताल की सेवाओं के लिए उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया अच्छी न होना
	2. दीपक मेमोरियल अस्पताल और मैडिकल रिसर्च सेंटर	4,58,891	3,52,126	4,75,923		
	3. धर्मशिला कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेन्टर	31,329	2,19,317	5,672	2. शांति मुकुन्द अरपताल	

1	2	3	4	5	6	7
	4. एस्कार्टस हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर	24,43,827	23,43,158	24,97,444		
	5. एस्कार्टस लिमिटेड मेडिकल सेंटर	1,05,789	1,30,619	75,061		
	6. गूजरमल मोदी अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर	2,93,436	2,64,251	1,01,507		
	7. होली एंजेल्स अस्पताल	83,138	1,37,799	1,17,916		
	8. होली फेमिली अस्पताल	6,30,241	6,54,327	9,21,394		
	9. इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल	34,35,848	55,90,672	28,00,396		
	10. जयपुर गोल्डन अस्पताल	15,22,959	11,96,357	11,28,152		
	11. कैलाश अस्पताल और रिसर्च सेंटर लि.	29,656	60,393	3,58,809		
	12. माता चानन देवी अस्पताल	11,90,758	8,36,850	7,79,910		
	13. मेट्रो अस्पताल और हार्ट इंस्टीट्यूट	1,72,286	1,11,148	1,33,531		
	14. नरेन्द्र मोहन अस्पताल	29,937	96,138	1,11,728		
	15. नोएडा मेडिकल सेंटर लि.	3,08,366	1,22,951	8,13,070		
	16. राजीव गांधी कैंसर अस्पताल	6,69,039	2,46,397	12,02,130		
	17. शान्ति मुकुन्द अस्पताल	7,24,645	4,74,286	2,10,401		
	18. मूल चन्द खैराती राम अस्पताल	6,83,254	9,44,650	13,09,353		
	19. सर गंगा राम अस्पताल	58,91,119	87,43,360	74,18,276		
	20. सीता राम भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एड रिसर्च	3,70,067	9,58,198	6,66,697		
	21. सेंट स्टीफेंस अस्पताल	84,103	86,061	2,54,111		
	22. सुन्दरलाल जैन चैरिटेबल अस्पताल	3,25,515	3,81,819	3,52,047		
	23. तीर्थ राम शाह चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल	1,50,675	1,08,931	94,897		
	24. उनकल अस्पताल और एम पी हार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट	1,84,089	1,84,347	4,26,240		

1	2	3	4	5	6	7
	25. वसन्त अस्पताल	30,732	62,368	44,950		
	26. वेणु नेत्र अस्पताल	2,82,599	2,30,345	2,90,277		
	27. यशोधा अस्पताल	6,705	शून्य	30,959		
	योग	2,23,23,652	2,79,51,505	2,55,48,915		
हिन्दुस्तान	1. बत्रा अस्पताल	7,24,158	7,62,376	1,90,002	शून्य	प्रश्न नहीं उठता
पेट्रोलियम	2. इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल	12,67,966	12,39,125	12,83,529		
कार्पोरेशन लि.	3. शान्ति मुकुन्द अस्पताल	1,16,410	1,29,556	1,33,761		
(एचपीसीएल)	4. महाराजा अग्रसेन अस्पताल	4,63,947	2,48,172	10,31,714		
	5. सेंट स्टीफेंस अस्पताल	1,04,453	22,250	1,22,004		
	6 माता चानन देवी अस्पताल	3,46,538	3,19,099	1,90,756		
	7. जयपुर गोल्डन अस्पताल	2,51,816	2,32,393	1,96,907		
	8. जीवन अस्पताल	शून्य	4,82,609	4,76,753		
	9. नोएडा मेडिकल सेंटर	1,97,751	1,49,762	28,154		
	10. मेट्रो अस्पताल और हार्ट इंस्टीट्यूट	शून्य	शून्य	15,000		
	11. कैलाश अस्पताल और मेडिकल रिसर्च सेंटर	शून्य	शून्य	शून्य		
	योग	32,75,288*	34,35,580*	36,25,426*		
चेन्नई पेट्रो.	सर गंगाराम अस्पताल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	प्रश्न नहीं उठत
कार्पो. लि.	(1.10.2001 से)					
(सीपीसीएल)						
इंडियन आयल	1. सर गंगा राम अस्पताल	1,41,45,589	1,44,07,602	1,83,51,362	शून्य	प्रश्न नहीं उठता
कार्पोरेशन लि.	2. मूलचन्द खैराती राम अस्पताल	8,05,089	6,35,257	13,11,509		
(आईओसीएल)	3. होली फैमिली अस्पताल	10,15,069	8,00,877	6,66,933		
	4. तीर्थराम शाह चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल और नर्सिंग होम	2,62,949	4,08,628	1,30,970		
	5. सेंट स्टीफेंस अस्पताल	2,57,714	2,79,238	7,31,056		

(*1999. 2000 और 2001 के लिए कैलेंडर वर्ष वार)

1	2	3	4	5	6	7
	6. बत्रा अस्पताल और रिसर्च सेंटर	41,95,075	52,81,320	86,48,504		
	7. डा. बी. के. एल. कपूर अस्पताल	शून्य	शून्य	शून्य		
	8. सुन्दर लाल जैन चैरिटेबल अस्पताल	2,62,642	1,88,247	1,89,870		
	9. दीपक मैमोरियल अस्पताल और मेडिकल रिसर्च सेंटर	2,61,926	3,44,801	3,64,216		
	10. एस्कार्ट हार्ट इंस्टीट्यूट	60,83,794	60,19,219	79,84,230		
	11. नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट	2,86,403	1,73,643	1,24,294		
	12. जयपुर गोल्डन अस्पताल	17,58,518	31,49,562	23,53,305		
	13. माता चानन देवी अस्पताल	12,93,958	11,28,884	7,41,721		
	14. आनन्द अस्पताल	1,43,168	56,310	2,92,775		
	15. इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल	1,06,11,721	1,69,73,076	1,97,98,606		
	16. राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट	16,68,690	22,60,700	39,33,797		
	17. महाराजा अग्रसेन अस्पताल	4,93,819	20,12,585	15,44,552		
	18. विमहंस	78,102	3,56,038	6,60,825		
	19. महेन्द्र अस्पताल	54,400	5,03,905	5,39,833		
	20. पुष्पावती सिंहानिया रिसर्च इंस्टीट्यूट	23,924	1,54,524	1,76,723		
	21. होली एंजेल्स अस्पताल	शून्य	71,039	1,32,969		
	22. सीताराम भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च सेंटर	3,72,814	4,89,232	4,59,725		
	23. इंडियन स्पाइनल इंजरीस सेंटर	33,985	89,016	45,081		
	24. कालरा अस्पताल	33,637	74,588	2,87,254		
	25. शान्ति मुकुन्द अस्पताल	1,16,662	1,90,330	5,02,608		
	26. सन्त परमानन्द अस्पताल	शून्य	शून्य	14,350		
	27. धर्मशिला कैंसर अस्पताल	89,305	2,01,093	3,62,304		
	योग	4,43,48,953	5,62,49,714	7,03,49,372		

1	2	3	4	5	6	7
बोंगाईगांव	1. सर गंगा राम अस्पताल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	प्रश्न नहीं उठता
रिफाइनरी एंड	2. मूलचन्द खेराती राम अस्पताल और आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट	शून्य	शून्य	शून्य		
पेट्रोकेमिकल्स						
लि.	3. बत्रा अस्पताल	12,84,507	10,55,117	5,16,997		
(बीआरपीएल)	4. होली फैमिली अस्पताल	शून्य	शून्य	शून्य		
	5. दीपक मैमोरियल अस्पताल	शून्य	शून्य	शून्य		
	6. तीर्थ राम शाह अस्पताल	शून्य	शून्य	शून्य		
	7. श्यामलाल अस्पताल	शून्य	शून्य	शून्य		
	8. गिरधारीलाल मैटरनिटी अस्पताल	शून्य	शून्य	शून्य		
	9. सेंट स्टीफेंस अस्पताल	शून्य	शून्य	शून्य		
	10. एस्कार्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट	शून्य	शून्य	शून्य		
	11. सुन्दर लाल जैन चैरिटेबल अस्पताल	शून्य	शून्य	शून्य		
	12. जयपुर गोल्डन ट्रस्ट अस्पताल	शून्य	शून्य	शून्य		
	13. नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट	3,95,015	24,720	1,94,996		
	14. डा. बी. एल. कपूर मैमोरियल अस्पताल	शून्य	शून्य	शून्य		
	15. इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल	1,04,930	1,89,876	9,06,749		
	16. मेट्रो अस्पताल	शून्य	शून्य	शून्य		
	17. गूजर मल मोदी अस्पताल	शून्य	शून्य	शून्य		
	योग	17,84,452	12,69,713	16,18,742		
आयल एंड	1. आनन्द अस्पताल	4,53,431	4,78,979	2,55,967	शून्य	प्रश्न नहीं उठता
नेचुरल गैस	2. बत्रा अस्पताल और मेडिकल	1,32,76,033	1,74,55,434	1,26,96,325		
कार्पोरेशन लि.	रिसर्च सेंटर					
(ओएनजीसी)	3. दीपक मैमोरियल अस्पताल और मेडिकल रिसर्च सेंटर	70,071	1,84,003	52,371		
	4. धर्मशिला कैंसर इंस्टीट्यूट	शून्य	शून्य	1,40,606		

1	2	3	4	5	6	7
	5. एस्कार्ट हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर	73,72,032	69,37,338	85,26,493		
	6. एस्कार्ट अस्पताल और रिसर्च सेंटर लि.	शून्य	शून्य	98,535		
	7. होली एंजेल्स अस्पताल	शून्य	शून्य	61,221		
	8 होली फैमिली अस्पताल	2,41,366	1,11,423	5,64,735		
	9. इंडियन स्पाइनल इंजरीस सेंटर	शून्य	शून्य	2,18,676		
	10. इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल	28,19,872	41,72,896	1,01,82,098		
	11. जयपुर गोल्डन अस्पताल	6,23,460	8,47,478	4,06,377		
	12. कैलाश अस्पताल और रिसर्च सेंटर लि.	48,783	1,50,479	1,87,524		
	13. कल्याणी अस्पताल प्रा. लि.	शून्य	शून्य	1,35,833		
	14. खेत्रपाल नर्सिंग होम	शून्य	शून्य	शून्य		
	15. कोलमेट अस्पताल	शून्य	शून्य	शून्य		
	16. माता चानन देवी अस्पताल	3,78,767	4,44,299	8,26,778		
	17. मेट्रो हार्ट एंड हास्पिटल्स लि.	63,32,653	71,10,306	31,19,397		
	18. महाराजा अग्रसेन हास्पिटल	शून्य	शून्य	1,33,351		
	19. मोहिन्दर हास्पिटल	शून्य	शून्य	42,865		
	20. श्री मूलचंद कुंवर हास्पिटल एंड आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर	3,69,086	5,74,498	6,01,710		
	21. नरेन्दर मोहन हास्पिटल	शून्य	शून्य	15,003		
	22. नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट	2,30,361	91,370	6,41,827		
	23. नोएडा मेडिकल सेंटर	2,36,761	3,36,944	10,31,765		
	24. परयाग हास्पिटल	शून्य	शून्य	शून्य		
	25. प्रकाश हास्पिटल प्रा. लि.	शून्य	शून्य	शून्य		
	26. राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर	24,05,283	72,31,742	87,62,874		

1	2	3	4	5	6	7
	27. राना नर्सिंग होम	शून्य	शून्य	शून्य		
	28. आर.जी. स्टोन यूरोलोजीकल रिसर्च सेंटर	शून्य	63,440	शून्य		
	29. सरोज हास्पिटल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट	शून्य	शून्य	21,712		
	30. शान्ति मुकुन्द हास्पिटल	शून्य	शून्य	1,68,196		
	31. श्री गंगा राम हास्पिटल	55,98,470	62,37,401	87,16,045		
	32. सीताराम भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च	शून्य	शून्य	8,000		
	33. सेंट स्टीफेंस हास्पिटल	41,350	46,468	1,37,437		
	34. सुन्दरलाल जैन चैरिटेबल हास्पिटल	27,327	80,525	72,624		
	35. तीरथ राम शाह हास्पिटल	शून्य	शून्य	शून्य		
	36. वेनू आई इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर	1,08,112	1,08,313	1,00,038		
	37. विमहान्स	शून्य	शून्य	4,47,004		
	38. वालिया नर्सिंग एंड मेटरनिटी होम	5,430	47,612	54,022		
	39. यशोदा हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर	शून्य	शून्य	99,309		
	योग	4,18,38,658	5,27,10,948	5,75,26,706		
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (बीपीसीएल)	बीपीसीएल की अपनी निजी चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना है जिसके तहत कर्मचारी अपनी रुचि के चिकित्सकों/अस्पतालों से चिकित्सा उपचार करा सकते हैं तथा कार्पोरेशन की चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना के तहत अपने हक के अनुसार चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की दावेदारी कर सकते हैं।	प्रश्न नहीं उठता	प्रश्न नहीं उठता	प्रश्न नहीं उठता	प्रश्न नहीं उठता	प्रश्न नहीं उठता
आयल इंडिया लि. (ओआईएल)	1. आनन्द हास्पिटल (आनन्द हास्पिटल एंड केआर सेंटर)	18,662	49,726	शून्य	शून्य	प्रश्न नहीं उठता
	2. अपोलो हास्पिटल	22,96,150	23,58,626	28,15,487		

1	2	3	4	5	6	7
	3. बत्रा हास्पिटल	25,586	21,533	शून्य		
	4. धर्मशिला कैंसर हास्पिटल	शून्य	1,82,044	28014		
	5. डा. बी. एल. कपूर मैमोरियल हास्पिटल	शून्य	शून्य	शून्य		
	6. डा. लाल पथ लैब प्रा. लि.	शून्य	शून्य	शून्य		
	7. एस्कोर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट	17,43,887	18,32,956	17,56,743		
	8. गंगाराम हास्पिटल	2500	1,32,639	98,184		
	9. होली फैमिली हास्पिटल	शून्य	54836	1,09,207		
	10. इंडियन स्पाइनल इंजरीज सेंटर	शून्य	शून्य	शून्य		
	11. जयपुर गोल्डन हास्पिटल	शून्य	1,24,119	शून्य		
	12. जरसा राम हास्पिटल	शून्य	शून्य	21,166		
	13. कोलमेट हास्पिटल	28,237	शून्य	शून्य		
	14. महाराजा अग्रसेन हास्पिटल	शून्य	शून्य	5245		
	15. माता चानन देवी हास्पिटल	शून्य	शून्य	शून्य		
	16. मूलचंद हास्पिटल	शून्य	शून्य	शून्य		
	17. नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट	11,850	शून्य	1,89,625		
	18. पटनायक लेसर आई इंस्टीट्यूट	22,700	शून्य	शून्य		
	19. पुष्पावती सिंघानिया रिसर्च इंस्टीट्यूट	शून्य	शून्य	5,57,486		
	20. राजीव गांधी कैंसर हास्पिटल	शून्य	14,548	शून्य		
	21. आर. जी. स्टोन यूरोलोजीकल एंड रिसर्च सेंटर	शून्य	शून्य	1,00,367		
	22. शान्तिमुकुन्द हास्पिटल	शून्य	19,252	शून्य		
	23. शर्मा नर्सिंग होम	शून्य	14,156	4,897		
	24. श्रोफ आई सेंटर	शून्य	70,656	1,24,643		
	25. सुजान मोहिन्दर हास्पिटल	90,844	1,26,812	72,344		

1	2	3	4	5	6	7
	26. तीरथ राम शाह हास्पिटल	शून्य	शून्य	शून्य		
	27. विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ (विमहान्स)	39,644	शून्य	शून्य		
	योग	42,80,060	50,01,903	58,83,408		
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि. (एनआरएल)	1. अपोलो हास्पिटल	1,45,000	2,60,000	88,000	शून्य	प्रश्न नहीं उठता
	2. बत्रा हास्पिटल	शून्य	शून्य	शून्य		
	3. होली फैमिली हास्पिटल	शून्य	शून्य	शून्य		
	योग	1,45,000	2,60,000	88,000		
बामर लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड	1. सर गंगा राम हास्पिटल 2. मूलचंद हास्पिटल 3. होली फैमिली हास्पिटल 4. एम्स 5. त्रिभुवन शाह हास्पिटल 6. सेंट स्टीफन हास्पिटल 7. बत्रा हास्पिटल 8. डा. बी. एल. कपूर मैमोरियल हास्पिटल 9. नवीन उपचार हास्पिटल 10. नोएडा मेडीकेयर सेंटर 11. सुन्दर लाल जैन चैरिटेबल हास्पिटल 12. दीपक मैमोरियल हास्पिटल 13. एस्कार्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट 14. नेशनल हार्ट इस्टीट्यूट 15. जयपुर गोल्डन हास्पिटल 16. राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर	यह कम्पनी अस्पतालों को सीधे भुगतान नहीं करती है। कर्मचारियों को अपने बिलों का समाधान करने की जरूरत होती है तथा अपनी पात्रता पर निर्भर करते हुए भुगतान की दावेदारी करनी होती है।			शून्य	प्रश्न नहीं उठता

1	2	3	4	5	6	7
बीको लारी लिमिटेड	1. सर गंगा राम हास्पिटल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	प्रश्न नहीं उठता
	2. मूलचन्द हास्पिटल	शून्य	शून्य	शून्य		
	3 होली फैमिली हास्पिटल	शून्य	शून्य	शून्य		
	4. एम्स	शून्य	शून्य	शून्य		
	5. तीरथ राम शाह हास्पिटल	शून्य	शून्य	शून्य		
	6. सेंट स्टीफन हास्पिटल	शून्य	शून्य	शून्य		
	7. बत्रा हास्पिटल	शून्य	शून्य	शून्य		
	8. डा. बी. एल. कपूर मैमोरियल हास्पिटल	शून्य	शून्य	शून्य		
	9. नवीन उपचार हास्पिटल	शून्य	शून्य	शून्य		
	10. नोएडा मेडीकेयर सेंटर	शून्य	शून्य	शून्य		
	11. सुन्दर लाल जैन चैरिटेबल हास्पिटल	शून्य	शून्य	शून्य		
	12 दीपक मैमोरियल हास्पिटल	शून्य	शून्य	शून्य		
	13. एस्कार्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट	शून्य	शून्य	शून्य		
	14. नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट	शून्य	शून्य	शून्य		
	15. जयपुर गोल्डन हास्पिटल	शून्य	शून्य	शून्य		
आईबीपी कं. लि.	1. सर गंगा राम हास्पिटल	85,000	70,000	2,36,162	शून्य	प्रश्न नहीं उठता
	2. मूलचन्द खैराती राम हास्पिटल	शून्य	शून्य	शून्य		
	3. होली फैमिली हास्पिटल	शून्य	शून्य	2,10,000		
	4. तीरथ राम शाह चैरिटेबल ट्रस्ट हास्पिटल	शून्य	शून्य	शून्य		
	5. सेंट स्टीफन हास्पिटल	शून्य	शून्य	शून्य		
	6. बत्रा हास्पिटल और रिसर्च सेंटर	1,54,322	1,72,000	शून्य		
	7. सुन्दर लाल जैन चैरिटेबल हास्पिटल	शून्य	शून्य	शून्य		

1	2	3	4	5	6	7
	8. दीपक मैमोरियल हास्पिटल और मेडीकल	शून्य	शून्य	शून्य		
	9. एस्कार्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट	4,20,418	9,06,670	71,000		
	10. नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट	शून्य	शून्य	शून्य		
	11. जयपुर गोल्डन हास्पिटल	शून्य	शून्य	शून्य		
	12. डा. बी. एल. कपूर मैमोरियल हास्पिटल	शून्य	शून्य	शून्य		
	13. राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर	शून्य	शून्य	शून्य		
	योग	6,59,740	11,48,670	5,17,162		
कोच्चि	1. सर गंगा राम हास्पिटल	शून्य	1,230	शून्य	शून्य	प्रश्न नहीं उठता
रिफाइनरीज	2. मूलचन्द खैराती राम हास्पिटल	शून्य	शून्य	शून्य		
लिमिटेड	3. होली फैमिली हास्पिटल	शून्य	शून्य	शून्य		
(केआरएल)	4. एम्स	शून्य	शून्य	शून्य		
	5. तीरथ राम शाह चैरिटेबल ट्रस्ट हास्पिटल	शून्य	शून्य	शून्य		
	6. सेंट स्टीफन हास्पिटल	शून्य	शून्य	शून्य		
	7. सिटी क्लीनिक	शून्य	शून्य	शून्य		
	8. बत्रा हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर	शून्य	शून्य	शून्य		
	9. डा. बी. एल. कपूर मैमोरियल हास्पिटल	शून्य	शून्य	शून्य		
	10. इसरानी मेडीकल सेंटर	शून्य	शून्य	शून्य		
	11. अपोलो हास्पिटल*	शून्य	86,542	शून्य		
	12. मोहिन्दर हास्पिटल*	शून्य	33,911	शून्य		
	13. वीरमानी हास्पिटल*	शून्य	2,091	शून्य		
	योग		1,23,774			

(*मान्यता प्राप्त के अलावा)

सौर वातानुकूलन पद्धति का विकास

666. श्री किरीट सोमैया : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक नए अनुसंधान सौर वातानुकूलन पद्धति के विकास पर गौर किया है;

(ख) यदि हा, तो तत्सबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह पद्धति विदेश में विकसित की गई है;

(घ) इसके विकास हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकारी नीति का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम कन्नप्पन) : (क) से (ग) वातानुकूलन ओर प्रशीतन के लिए विश्वसनीय और लागत प्रभावी सौर कूलिंग प्रणालियों के विकास के लिए अनेक देशों में कई वर्षों से अनुसंधान एवं विकास कार्य किया जाता रहा है। अब तक विकसित की गई प्रणालियों में शामिल हैं–

- सौर तापीय ऊर्जा पर आधारित वाष्प अवशोषण/अधिशोषण प्रशीतन प्रणालियां
- सौर बिजली पर आधारित वाष्प सम्पीड़न प्रशीतन प्रणालियां
- सौर की सहायता से शुष्कन कूलिंग

देश में मुख्यतया प्रशीतन उद्देश्यों के लिए अवशोषण और अधिशोषण दोनों पर ही आधारित प्रणालियों पर कार्य को वर्तमान में आईआईटी, बम्बई, आईआईटी, मद्रास और टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान में आगे बढ़ाया जा रहा है।

उक्त सिद्धांतों के आधार पर कई प्रोटोटाईप प्रणालियों को बनया गया है और इन्हें देश में तथा अन्य स्थानों पर प्रदर्शित किया गया है। यद्यपि सौर कूलिंग प्रणालियों की तकनीकी संभाव्यता को सिद्ध किया जा सकता है, उनकी विश्वसनीयता, आर्थिकिकी और वाणिज्यिक व्यवहार्यता में अभी भी सुधार लाया जाना है।

(घ) इस क्षेत्र में आधारभूत अध्ययनों और साथ ही ौर प्रशीतन एवं वातानुकूल प्रणालियों के लिए विभिन्न अनुसंधान एवं विकास संगठनों को मंत्रालय द्वारा कई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का निधियन किया गया है। क्षेत्र कार्य निष्पादन मूल्यांकन हेतु विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित कुछ प्रदर्शम परियोजनाओं की स्थापना की गई है।

(ङ) मंत्रालय के अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सौर प्रशीतन और वातानुकूलन को एक बल दिए जाने वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। वास्तविक कार्यक्षेत्र दशाओं के अंतर्गत विभिन्न संकल्पनाओं की जांच करने हेतु इस क्षेत्र में प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा 50% लागत भागीदारी के लिए प्रावधान किया गया है। मंत्रालय के सौर भवन कार्यक्रम के अंतर्गत भवनों के कूलिंग और हीटिंग पर आने वाले लोड को कम करने के लिए सौर आधारित भवन डिजाइन सिद्धांतों को आरंभ करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजनाएं

667. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के चार मेट्रो शहरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम परियोजना की अवसंरचना एवं अन्य सुविधाओं के विकास के लिए 15,000 करोड रुपए व्यय करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वह 15,000 करोड रुपए सुरक्षा संबंधी क्रियाकलापों के लिए खर्च किए जाने हेतु प्रस्तावित 17,000 करोड रुपये के अतिरिक्त थे;

(ग) क्या मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि अगले छह वर्षों में सभी पटरियों के नवीकरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो रेल द्वारा इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2002 को राष्ट्रीय रेल विकास योजना पर 15,000 करोड रु. के गैर–बजटीय निवेश की घोषणा की है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) विशेष संरक्षा निधि की स्थापना से, जो 1.4.2001 को रेलपथ नवीकरण के लिए बकाया थे, का 31.3.2007 तक नवीकरण किए जाने की योजना है बशर्ते की धन उपलब्ध हो। बहरहाल, 1.4.01 के बाद उत्पन्न रेलपथ नवीकरण के बकायों का निपटान मु.आ.नि. के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण

15 अगस्त, 2002 को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 15,000 करोड़ रु. के गैर-बजटीय निवेश का ब्यौरा

भारतीय रेल की 150वीं वर्षगांठ पर भारतीय रेलवे को तीव्र रेलपथ पर लाने के लिए 15 अगस्त, 2002 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 15,000 करोड़ रु. की राशि से राष्ट्रीय रेल विकास योजना नामक एक गैर-बजटीय निवेश की घोषणा की है। इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे-

(1) 8000 करोड रु. की लागत पर लम्बी दूरी की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां 100 किमी. प्रति घंटे की उच्चतर गति पर माल गाड़ियों को चलाने में रेलवे को सक्षम बनाने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज को सुदृढ़ बनाना।

(2) 3000 करोड रु. की लागत पर हिंटरलैंड के लिए और बहुआयामी गलियारो का विकास और पत्तनो के लिए रेल सम्पर्कों को मजबूत बनाना।

(3) 3500 करोड़ रु. की लागत पर चार मेगा पुलों का निर्माण-2 गंगा नदी पर, 1 ब्रह्मपुत्र नदी पर और एक कोसी नदी पर।

(4) 763 करोड़ रु. की लागत पर अंतिम चरण वाली परियोजना और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना।

[हिन्दी]

उर्वरकों का संग्रहण केन्द्र

668. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में रीवा और नीवारी में उर्वरकों का संग्रहण केन्द्र स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त स्थान पर संग्रहण केन्द्रों की स्थापना हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यातायात की मांग के आधार पर रीवा और नीवारी स्टेशन पर गुड्स शेड खोलने का औचित्य नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विदेशी सहायता प्राप्त विद्युत परियोजनाएं

669. श्री रामजी मांझी : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी सहायता से स्थापित की गई विद्युत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इनमें कितना उत्पादन होता है;

(ख) क्या आंतरिक सहायता से भी विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई थीं लेकिन उनमें विद्युत का उत्पादन आशानुरूप नहीं हो रहा है;

(ग) धनराशि के समुचित उपयोग न कर पाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उनके कार्यकरण में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) विदेशी सहायता प्राप्त जल विद्युत स्टेशनों और ताप विद्युत स्टेशनों, जो 31.3.2002 तक स्थापित किए गए

थे और वर्ष 2001–2002 के दौरान इन स्टेशनों से उत्पादित विद्युत का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

देश में सभी विद्युत परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन में सुधार होता रहा है। ताप विद्युत परियेजनाओं का पीएलएफ वर्ष 1997–98 में 64.7 % से बढ़कर वर्ष 2001–02 में 69. 9% हो गया है।

विद्युत क्षेत्र में विदेशी सहायता का समुपयोजन सामान्यत: य के अनुसार है। वर्ष 2001–2002 में स्थिति निम्नवत् –

(करोड़ रु. में)

बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक समुपयोजन	संशोधित अनुमान का प्रतिशत
4067.57	3707.84	3987.76	107.55%

विवरण

विदेशी सहायता से स्थापित विद्युत परियोजनाओं का विद्युत उत्पादन

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	राज्य/क्रियान्वयक एजेंसी	विदेशी वित्तपोषक एजेंसी	2001–02 के दौरान ऊर्जा उत्पादन (मि.यू.)
1	2	3	4	5	6
1.	कोठागुडम पावर	1170.00	आंध्र प्रदेश	आईबीआरडी	8035.00
2.	नागार्जुन सागर जल विद्युत	810.00	आंध्र प्रदेश	जेबीआईसी	1158
3.	रायलसीमा थर्मल पावर	420.00	आंध्र प्रदेश	एडीबी	3413.00
4.	श्रीसेलम लेफ्ट बैंक पीएसपी–2	450.00	आंध्र प्रदेश	जेबीआईसी	2341
5.	रामागुण्डम थर्मल	2100.00	आंध्र प्रदेश/एनटीपीसी	आईबीआरडी	15853.00
6.	सिम्हाद्री टीपीपी	1000.00	आंध्र प्रदेश/एनटीपीसी	जेबीआईसी	5.00
7.	नामरूप विस्तार द्वितीय	30.00	असम	इटली	418.00
8.	असम गैस टरबाईन	291.00	असम/नीपको	जेबीआईसी	1873.00
9.	कोपिली एचईपी	200.00	असम/नीपको	कुवैत	544.00
10.	पूर्वी गण्डक नहर	15.00	बिहार	जेबीआईसी	26.00
11.	कोरबा थर्मल पावर प्रोजेक्ट	2100.00	छत्तीसगढ़/एनटीपीसी	आईडीए	16620.00
12.	इन्द्रप्रस्थ थर्मल पावर प्रोजेक्ट	247.50	दिल्ली	यूएसए	815.00
13.	धुव्रण थर्मल पावर प्रोजेक्ट	27.00	गुजरात	यूएसए	1793.00
14.	गांधार गैस आधारित सीसीपीपी परियोजना	648.00	गुजरात/एनटीपीसी	जेबीआईसी	3609.00

1	2	3	4	5	6
15.	कवास गैस आधारित विद्युत परियोजना	644.00	गुजरात/एनटीपीसी	आईबीआरडी	3761
16.	पश्चिमी यमुना कैनाल एचईपी	48.00	हरियाणा	जेबीआईसी	232.00
17.	फरीदाबाद जीबीपीएस एंड एटीएसपी	430.00	हरियाणा/एनटीपीसी	जेबीआईसी	2862.00
18.	चमेरा एचईपी	540.00	हि.प्र./एनएचपीसी	कनाडा	1953.00
19.	उडी परियोजना	480.00	जे एंड के/एनएचपीसी	स्वीडन	2083.00
20.	कालिंदी एचईपी–2	810.00	कर्नाटक	कुवैत	2426.00
21.	येलाहंका विद्युत परियोजना	120.00	कर्नाटक	फ्रांस	771.00
22.	इडुक्की एचईपी	780.00	केरल	कनाडा	2766.00
23.	सबरीगिरी एचईपी	300.0	करेल	यूएसए	1406.00
24.	कायमकुलम थर्मल पावर प्रोजेक्ट	350.0	करेल/एनटीपीसी	आईबीआरडी	1331
25.	चन्द्रपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट	2340.00	महाराष्ट्र	आईबीआरडी	16231.00
26.	कोयना पावर	1420.00	महाराष्ट्र	आईबीआरडी	2976
27.	पैथान एचईपी	12.00	महाराष्ट्र	जेबीआईसी	8.00
28.	उज्जैन एचईपी	12.00	महाराष्ट्र	जेबीआईसी	5.00
29.	उरान संयुक्त साइकिल विद्युत परियोजना	672.00	महाराष्ट्र	जर्मनी	3673.00
30.	सतपुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट	1142.50	मध्य प्रदेश	यूएसए	7324.00
31.	हीराकुंड एचईपी	307.50	उडीसा	जेबीआईसी	969.00
32.	तालचेर थर्मल पावर प्रोजेक्ट	460.00	उड़ीसा	आईबीआरडी	2466.00
33	अपर इन्द्रावती हाइडल	300.00	उड़ीसा	जेबीआईसी	2968.00
34.	तालचेर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट	1000.00	उड़ीसा/एनटीपीसी	आईबीआरडी	6237.00
35.	राणा प्रताप सागर	172.00	राजस्थान	कनाडा	259.00
36.	अंता गैस आधारित विद्युत परियोजना	652.00	राजस्थान/एनटीपीसी	एडीबी	3060.00
37.	कुंडा थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण–1 से 4	555.00	तमिलनाडु	कनाडा	1350.00
38.	लोअर मेत्तूर एचईपी	120.00	तमिलनाडु	जेबीआईसी	369.00

1	2	3	4	5	6
39.	एनएलसी	2070.00	तमिलनाडु	जर्मनी	14409.00
40.	उत्तर मद्रास विद्युत परियोजना	630.00	तमिलनाडु	एडीबी	4671.00
41.	अनपारा बी थर्मल पावर प्रोजेक्ट 4	1000.00	उ.प्र.	जेबीआईसी	12130.00
42.	ऊंचाहार थर्मल पावर प्रोजेक्ट	840.00	उ.प्र./एनटीपीसी	एडीबी	6560.00
43.	औरैया गैस आधारित विद्युत परियोजना	413.00	उ.प्र./एनटीपीसी	आईबीआरडी	4701
44.	दादरी जीटी पावर प्रोजेक्ट	817.00	उ.प्र./एनटीपीसी	जर्मनी	5748.00
45.	नेशनल कैपिटल पावर दादरी	840.00	उ.प्र./एनटीपीसी	आईबीआरडी	6688.00
46.	रिहन्द पावर प्रोजेक्ट	1000.00	उ.प्र./एनटीपीसी	यू.के.	7675.00
47.	सिंगरौली थर्मल पावर प्रोजेक्ट	2000.00	उ.प्र./एनटीपीसी	आईडीए	15476.00
48.	गढवाल–ऋषिकेश चिल्ला एचईपी	144.00	उत्तरांचल	अबू धावी	541.00
49.	बक्रेश्वर टीपी प्रोजेक्ट	630.00	पश्चिमी बंगाल	जेबीआईसी	3162.00
50.	तीस्ता कैनाल हाइड्रो	67.50	पश्चिमी बंगाल	जेबीआईसी	172.00
51.	फरक्का थर्मल पावर प्रोजेक्ट	1600.00	पश्चिमी बंगाल/एनटीपीसी	आईबीआरडी	8448.00
52.	विन्ध्याचल थर्मल पावर प्रोजेक्ट	2260.00	म.प्र./एनटीपीसी	आईबीआरडी	15589

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा बिहार और उत्तर प्रदेश को दी गई धनराशि

670. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा बिहार और उत्तर प्रदेश के वाटर पम्पसेटों को विद्युत से चलाए जाने हेतु कितनी धनराशि दी गई;

(ख) गत तीनों वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा पम्पसेटों को विद्युत से चलाने हेतु विद्युत आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2001–02 के दौरान इस उद्देश्य के लिए इन राज्यों को कोई धनराशि नहीं दी गई; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) चालू वर्ष के अलावा पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य विद्युत बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल) (तत्कालीन यूपीएसईबी) ने जल पम्पसेटों के ऊर्जीकरण के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं प्राप्त की है।

(ख) के.वि.प्रा. के आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य में ऊर्जीकृत पम्पसेटों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं–

सूचना अनुसार ऊर्जीकृत पम्पसेटों की संख्या

	1999–2000	2000–01	2001–02
बिहार	1539	2282	1138
उत्तर प्रदेश	11403	8086	14929

(ग) और (घ) 2001–02 के दौरान बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं यूपीपीसीएल दोनों ने आरईसी से कोई वित्तीय सहायता नहीं ली है क्योंकि ये आरईसी की बकाया राशियों के भुगतान में लगातार विलम्ब कर रहे हैं। हालांकि भारत सरकार ने 2001–02 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत बिहार को 2457.90 लाख रुपये तथा उत्तर प्रदेश को 9417.00 लाख रुपये जारी किए हैं। इसके अलावा 2001–02 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी) के अंतर्गत भी बिहार को 948.00 लाख रुपये तथा उत्तर प्रदेश को 3923.00 लाख रुपये जारी किए गए।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वैधानिक और अवैधानिक देय

671. श्री महबूब जाहेदी : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कामगारों और कर्मचारियों के वैधानिक और अवैधानिक देय की भारी राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो देश के प्रत्येक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के वैधानिक और अवैधानिक बकाया देयों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या देयों के शीघ्र भुगतान हेतु कोई प्रयास किए गए हैं;

(घ) यदि हा, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्रशासनिक मंत्रालयों ने मंत्री समूह के निर्देशों के अनुसार भुगतान के तरीके के संबंध में कोई फार्मूला बनाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में मंत्री समूह द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (च) 31.12.2001 तक की उपलब्ध जानकारी के अनुसार उक्त तारीख तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 73 उद्यमों को वेतन व मजूरी तथा अन्य सांविधिक देयताओं के रूप में 2068.84 करोड रुपये के बकाया का भुगतान करना था। उद्यम–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सरकार कुछेक सरकारी उद्यमों को कर्मचारियों से संबंधित देनदारियां परिसमाप्त करने के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार अंतरिम वित्तीय सहायता देती रही है। बकाया का परिसमापन करने के लिए तौर–तरीकों की सिफारिश करने के वास्ते मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया गया है। मंत्रियों के समूह (जी.ओ.एम.) ने अपनी पिछली बैठक में प्रशासनिक मंत्रालयों/विभगों को निदेश दिया कि वे अपनी आय से अथवा अपनी गैर–निष्पादक परिसंपत्तियों की बिक्री से व्यय की पूर्ति कर पाने में समर्थ सरकारी उद्यमों की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए शीघ्रता से आकलन करें और बताएं कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कितनी बजटीय सहायता की आवश्यकता है। मंत्रियों के समूह के निर्देश पर आधारित अग्रेतर कार्रवाई की गई है और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ इस मामले को उठाया गया है।

विवरण

31.12.2001 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के 240 उद्यमों से प्राप्त सूचना के आधार पर बकाया सांविधिक देयताओं तथा वेतन एवं मजूरी की सरकारी उपक्रमवार स्थिति

(लाख रुपए)

क्र.सं.	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	कुल बकाया सांविधिक देयताएं	कुल बकाया वेतन/मजूरी	योग
1	2	3	4	5
1.	एण्ड्रयु यूले एण्ड कंपनी लि.	579.78	18.60	598.38
2.	बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मा. लि.	65.00	–	65.00

1	2	3	4	5
3.	बंगाल इम्युनिटी लि.	563.93	107.70	671.63
4.	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि. (31.3.2002 की स्थिति के अनुसार)	78.71	–	78.71
5.	भारत कोकिंग कोल लि.	41136.00	–	41136.00
6.	भारत अर्थ मूवर्स लि.	2.93	–	2.93
7.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.	76.96	0.26	77.22
8.	भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लि.	1233.34	–	1233.34
9.	भारत पम्प्स एण्ड कंप्रेशर्स	1111.62	–	1111.62
10.	भारत रिफ्रेक्ट्रीज लि.	4448.17	2562.54	7010.71
11.	भारत ऑथैल्मिक ग्लास लि. (31.3 2002 की स्थिति के अनुसार)	66.34	262.50	328.84
12.	भारत वेगन एण्ड इंजी. (31.3.2002 की स्थिति के अनुसार)	433.11	398.00	831.11
13.	बर्ड्र्ा. जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लि.	17.00	16.00	33.00
14.	ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि. (31.3.2002 की स्थिति के अनुसार)	1313.43	–	1313.43
15.	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि.	554.00	–	554.00
16.	बुशनेयर लि.	48.00	–	48.00
17.	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि. (31.3.2002 की स्थिति के अनुसार)	5041.90	250.00	5291.90
18.	कानुपर टेक्सटाईल लि.	34.00	–	34.00
19.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	1413.65	1131.45	2545.10
20	सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	196.00	–	196.00
21	केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन (30.4.2002 की स्थिति के अनुसार)	1503.00	1051.00	2554.00
22.	एल्गिन मिल्स कंपनी लि.	77.00	–	77.00
23.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन	8044.00	912.00	8956.00

1	2	3	4	5
24.	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.	1837.00	–	1837.00
25.	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	2744.37	–	2744.37
26.	हिन्दुस्तान कॉपर लि. (31.3.2002 की स्थिति के अनुसार)	916.00	2192.00	3108.00
27.	हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लि.	90.63	–	90.63
28.	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म मैन्यु.	484.25	319.41	803.66
29.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.	19.49	89.75	109.24
30.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. (31.3.2002 की स्थिति के अनुसार)	32.00	723.00	755.00
31.	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्र.	7070.00	12848.03	19918.03
32.	हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल कारपो.	1220.00	14.00	1234.00
33.	एचएमटी लि.	1809.00	976.00	2785.00
34.	हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजी. लि.	86.34	–	86.34
35.	अस्पताल परामर्शदायी सेवाएं लि. (31.1.2002 की स्थिति के अनुसार)	1.64	0.01	1.65
36.	होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	–	820.00	820.00
37.	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मा. लि.	8873.00	1133.00	10006.00
38.	इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि.	6931.00	–	6931.00
39.	इंस्ट्रूमेंटेशन लि.	1279.00	975.00	2254.00
40.	जेसप एण्ड कंपनी लि. (31.3.2002 तक की स्थिति के अनुसार)	1554.70	196.36	1751.06
41.	मझगांव डॉक लि.	31.21	0.97	32.18
42.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि.	89.03	–	89.03
43.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम	249.83	260.88	510.71
44.	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम	54.00	533.00	587.00
45.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि. (28.2.2002 की स्थिति के अनुसार)	165.42	727.00	892.42

1	2	3	4	5
46.	नेशनल जूट मैन्यु. कारपो. लि.	12790.00	3123.00	15913.00
47.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.	3067.00	1885.00	4952.00
48.	राष्ट्रीय बीज निगम लि.	265.58	189.23	454.81
49.	नेपा लि.	674.00	1282.00	1956.00
50–59.	नेटेका और इसकी सहायक कंपनियां	30372.00	8389.00	38761.00
60.	पांडिचेरी अशोक होटल निगम (30.4.02 की स्थिति के अनुसार)	0.70	–	0.70
61.	प्रागा टूल्स लि.	915.00	650.00	1565.00
62.	प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया	2194.07	–	2194.07
63.	रांची अशोक होटल कंपनी (31.1.02 तक की स्थिति के अनुसार)	6.93	3.55	10.48
64.	आरबीएल लि. (31.3.2002 तक की स्थिति के अनुसार)	52.79	60.65	113.44
65.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि.	277.90	460.00	737.90
66.	सांभर साल्ट्स लि.	14.95	112.46	127.41
67.	स्कूटर्स इंडिया लि.	16.08	–	16.08
68.	स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड फार्मा.	136.73	64.00	200.73
69.	राज्य फार्म्स निगम लि.	2400.00	450.00	2850.00
70.	चाय व्यापार निगम	872.00	1030.00	1902.00
71.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.	684.78	270.00	954.78
72.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि.	624.17	126.72	750.89
73.	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	1146.04	183.12	1329.16
	जोड़	160086.64	46797.19	206883.83
	करोड़ रुपए के तुल्य	1600.87	467.97	2068.84

एनटीपीसी द्वारा डाभोल चरण-1 का रख-रखाव

672. **श्री ए. नरेन्द्र :**
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री प्रबोध पण्डा :
श्री सी. श्रीनिवासन :
श्री अम्बरीश :
श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चिंतामन वनगा :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एनटीपीसी वर्तमान विवाद के निपटान के बाद महाराष्ट्र की डाभोल विद्युत परियोजना की प्रथम यूनिट के संचालन एवं रख–रखाव हेतु सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या नीति बनाई गई है;

(ग) अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या डीपीसी फेज–1 से बिजली खरीद की दर पर एनएसईबी और आईडीबीआई के नेतृत्व वाले ऋणदाताओं के बीच कोई समझौता हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या एनरॉन कंपनी द्वारा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) द्वारा किए गए प्रस्ताव से सहमत हो गया है, जो डाभोल पावर संयंत्र के प्रचालन हेतु वाणिज्यिक आधार पर तकनीकी सहायता प्रदान करने से संबंधित है। डाभोल विद्युत संयंत्र विवाद में एनटीपीसी पार्टी (पक्ष) नहीं है। डाभोल संयंत्र संबंधी विवाद संबंधित पार्टियों द्वारा हल किया जाना है।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एमएसईबी), एनटीपीसी, आईडीबीआई, केविप्रा तथा परियोजनाओं (जीई इंडिया तथा मैसर्स बेकटेल) के प्रवर्तकों द्वारा डाभोल पावर संयंत्र का आरंभिक निरीक्षण किया गया है ताकि इसकी स्थिति पर विचार किया जा सके और परियोजना के प्रथम चरण को पुनः शुरू करने के लिए कार्य योजना तैयार की जा सके। इसके ब्यौरे और मामले पर अंतिम निर्णय संबंधित एजेंसियों के बीच होना है।

(घ) और (ङ) महाराष्ट्र सरकार ने अपने निर्णय से आईडीबीआई को अवगत करा दिया है, जिसमें उसने एमएसईबी को रु. 2.80 प्रति यूनिट की दर पर 83% संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) पर दाभोल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण से विद्युत खरीदने की अनुमति प्रदान कर दी है। यह निर्णय कतिपय अवधारणाओं के आधार पर लिया गया है। यह व्यवस्था एक वर्ष के लिए अंतिम एवं तदर्थ आधार पर होगी और इसका एमएसईबी/महाराष्ट्र सरकार द्वारा मध्यस्थता/न्यायिक/महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग की लंबित कार्यवाहियों के बारे में दायर किए गए समादेश–याचिका (रिट) एवं अन्य मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। विनिर्दिष्ट पावर की दर और परिमाण एमईआरसी के अनुमोदन पर निर्भर करेगा। ईंधन अर्थात् नाथ्था की कीमत टैरिफ में शामिल होगा।

(च) दाभोल पावर संयंत्र को पुनः शुरू करने के लिए की जा रही उक्त पहलों के संदर्भ में भारत सरकार को एनरॉन से क्षतिपूर्ति का कोई दावा नहीं प्राप्त हुआ है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेश में भारतीय अधिकारियों का कार्यनिष्पादन

673. **श्रीमती कान्ति सिंह : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश में कई सूचना सेवा अधिकारी आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए समाचार एकत्रित करने के लिए नियुक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक स्थान पर नियुक्त अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और उन प्रत्येक अधिकारियों पर प्रतिवर्ष सरकार द्वारा कितना खर्च किया जाता है;

(ग) क्या ये अधिकारी अन्य चैनलों जो अपने टीवी चैनलों पर अधिक सूचना देते हैं की तुलना में अपनी प्रतिभा सिद्ध करने में सफल नहीं हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में वर्तमान नीति की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक स्थान पर नियुक्त किए गए अधिकारियों का, उन पर किए गए वार्षिक व्यय सहित ब्यौरा संलगन विवरण में दिया गया है।

(ग) देश से बाहर की घटनाओं को कवर करने के लिए प्रसार भारती के विदेश में विशेष संवाददाताओं के सात पद हैं। प्रसार भारती के श्रोताओं तथा दर्शकों की अपेक्षाओं को पूरा करने में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

(घ) विदेशों में नियुक्त संवाददाता घटनास्थल पर समाचारों की कवरेज तथा संबंधित देश/क्षेत्र में हुए घटनाक्रमों के गहन विश्लेषण, दोनों को उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। प्रसार भारती के विदेश में तैनात विशेष संवाददाता विदेशों की घटनाओं की कवरेज करने में आकाशवाणी और दूरदर्शन को महत्वपूर्ण सहयोग देते हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	नाम और देश	वर्षवार	वेतन और भत्ते + यातायात व्यय + कार्यालय व्यय (राशि)
1	2	3	4
1	श्रीमती शकुन्तला महवाल, ब्रुसेल्स संवाददाता	2000–2001	रु. 32.58 लाख
		2001–2002	रु. 36.87 लाख
		2002–2003	रु. 16.90 लाख (10/2002 तक)
2.	श्री ए. के. रौत, ढाका संवाददाता	2000–2001	रु. 35.57 लाख
		2001–2002	रु. 30.49 लाख
		2000–2003	रु. 14.31 लाख (10/2002 तक)
3.	श्री मोहन चाण्डक, कोलम्बो संवाददाता	2000–2001	रु. 22.94 लाख
		2001–2002	रु. 22.10 लाख
		2002–2003	रु. 14.65 लाख (10/2002 तक)
4.	श्री पी. जॉन चर्चिल, हांगकांग संवाददाता	2000–2001	रु. 44.75 लाख
		2001–2002	रु. 43.50 लाख
		2002–2003	रु. 30.60 लाख (10/2002 तक)

1	2	3	4
5.	श्री अमिताभ चक्रवर्ती, वाशिंगटन संवाददाता	2000–2001	रु. 30.62 लाख
		2001–2002	रु. 31.70 लाख
		2002–2003	रु. 23.30 लाख (10/2002 तक)
6.	श्री आर. एस. शुक्ला, काठमांडु संवाददाता, (31.5.2002 को सेवानिवृत्त)	2000–2001	रु. 21.82 लाख
		2001–2002	रु. 20.68 लाख
		2002–2003	रु. 05.94 लाख
7.	श्री रामजी त्रिपाठी, दुबई संवाददाता (28.2.2002 को सेवानिवृत्त)	2000–2001	रु. 33.09 लाख
		2001–2002	रु. 40.47 लाख
		2002–2003	–

पैलेस ऑन व्हील्स पर असर

674. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूयार्क में 11 सितम्बर के आतंकवादी हमले के मद्देनजर गत वर्ष विदेशी पर्यटकों के आगमन में भारी गिरावट से पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन भी प्रभावित हुई थी और इस वर्ष भी पर्यटन में बढ़ोत्तरी के लक्षण नहीं दिखने के कारण मंदी रहने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या विदेशियों के आगमन में गिरावट आई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले सीजन में विदेशी पर्यटकों को डॉलर दर सूची पर 25% की विशेष छूट और भारतीय नागरिकों के लिए रुपए में विशेष दर सूची प्रदान की गई थी।

(ग) जी, हां।

मूलभूत यात्री सुविधाएं

675. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8वीं योजना में रेलवे में जिन क्षेत्रों पर बल दिया गया था उनमें से एक सभी स्टेशनों पर प्राथमिकता के आधार पर मूलभूत यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराना था;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990–91 तक सभी कमियों को दूर करने की इसकी प्राक्कलन समिति के प्रति व्यक्त की गई प्रतिबद्धता के बावजूद आज तक मूलभूत सुविधाओं में व्याप्त कमियों को दूर न कर पाने के क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो धन के आवंटन और इसकी उपलब्धता के बावजूद विभिन्न रेल जोनों में मौलिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या आवंटित धन का पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) स्टेशनों पर आधारभूत यात्री सुविधाएं प्रदान करने

का रेलों का सदैव प्रयास रहा है। रेलवे ने प्राक्कलन समिति (1988–89) आठवीं लोक सभा को जवाब दिया था कि आधारभूत सुविधाओं अर्थात् प्रतीक्षालय, बैंच, उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था, पीने के पानी की सुविधाएं, शौचालय, उपयुक्त प्लेटफार्म, बुकिंग व्यवस्था और छायादार वृक्ष में कमियों को 30.3.1991 तक दूर करना संभव हो सकेगा।

आधारभूत सुविधाएं जैसा कि 1990–91 में परिभाषित थीं, स्टेशनों पर मुहैया करा दी गई थीं और यह कहना सही नहीं है कि समिति से की गई वचनबद्धता पूरी नहीं की गई। आधारभूत सुविधा गुणात्मक रूप में लगभग सभी स्टेशनों पर मुहैया करा दी गई हैं और जहां कहीं कमियां हैं; वे मात्रात्मक रूप में हैं। उदाहरण के लिए एक स्टेशन जिस पर कोटि विशेष के स्टेशन पर 12 टोंटियों के मानदंड की तुलना में 10 टोंटियां लगी हैं, वहां पीने का पानी उपलब्ध होने के बावजूद वह पीने के पानी की व्यवस्था में कमी के लिए गिना जाता है। रेलवे ऐसे मामलों को भी दूर करने का प्रयास कर रही है।

(घ) और (ङ) कुछ वर्षों में निधियों का विभिन्न कारणों जैसे संविदागत समस्याओं के कारण कार्य की धीमी प्रगति, नक्शे और अनुमानों को अंतिम रूप देने में विलम्ब, आंतरिक संसाधनों के कम सृजन के कारण वर्ष के दौरान किए गए योजनागत खर्च पर नियमन के कारण यातायात दशाओं और विगत कुछ वर्षों में कार्य करने में कठिनाई से धन का पूरा उपयोग नहीं किया जा सका।

अपराह्न 12.04 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बंगलौर का वर्ष 2001–2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6003/2002]

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उपधारा (3) के अंतर्गत निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2002, जो 3 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 935(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रंजी संस्कारण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6004/2002]

(2) भारत के विधि आयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) गिरफ्तारी से संबंधित विधि के बारे में एक सौ सतहत्तरवां प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6005/2002]

(दो) सिविल और दंड दोनों प्रकार की विभिन्न अधिनियमितियों में संशोधन करने की सिफारिशों के बारे में एक सौ अठहत्तरवां प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6006/2002]

(तीन) लोकहित प्रकटीकरण तथा भेदियों के संरक्षण के बारे में एक सौ उनासीवां प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6007/2002]

(चार) भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) तथा मौन रहने के अधिकार के बारे में एक सौ अस्सीवां प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6008/2002]

(पांच) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा

106 में संशोधन के बारे में एक सौ इक्यासीवां प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6009/2002]

(छह) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 में संशोधन के बारे में एक सौ बयासीवां प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6010/2002]

[हिन्दी]

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष महोदय मैं प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 34 के अंतर्गत प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (कनिष्ठ सुरक्षा पद) सेवा विनियम, 2002, जो 6 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1/16/2001–पीपीसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6011/2002]

[अनुवाद]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2000–2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखे जाने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6012/2002]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : महोदय, मैं भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 38 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय विद्युत (संशोधन) नियम, 2002, जो 20 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 274 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6013/2002]

मध्याह्न 12.05 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है–

(i) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 20 नवम्बर, 2002 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 30 जुलाई, 2002 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2002 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(ii) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 20 नवम्बर, 2002 को हुई आपकी बैठक में पारित वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2002 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा यथापारित वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2002 सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.05½ बजे

[अनुवाद]

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

सातवां, आठवां और नौवां प्रतिवेदन

श्री पी. एच. पांडियन (तिरुनेलवेली) : महोदय, मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का सातवां, आठवां और नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.06 बजे

[अनुवाद]

कार्य मंत्रणा समिति

बयालीसवां प्रतिवेदन

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का बयालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.06½ बजे

[अनुवाद]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति

दसवां प्रतिवेदन

डा. बी. वी. रमैया (एलूरु) : महोदय, मैं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 'संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन हेतु प्रस्ताव के बारे में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति का दसवां प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

---

*यह प्रतिवेदन अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 71क के अंतर्गत 12 अगस्त, 2002 को, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था, माननीय लोक सभा अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया। माननीय अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 280 के अंतर्गत इस प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

अपराह्न 12.06¼ बजे

[हिन्दी]

श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति

तेईसवां प्रतिवेदन

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : अध्यक्ष महोदय, मैं 'मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2002' के बारे में श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के तेईसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.07 बजे

[अनुवाद]

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

(एक) तिरानवेवां चौरानवेवां, पचानवेवां और छियानवेवां प्रतिवेदन

डा. बिक्रम सरकार (पंसकुरा) : महोदय, मैं गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) प्रतिस्पर्धा विधेयक, 2001 के बारे में तिरानवेवां प्रतिवेदन;

(2) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2002 के बारे में चौरानवेवां प्रतिवेदन;

(3) बंदी संप्रत्यावर्तन विधेयक, 2002 के बारे में पचानवेवां प्रतिवेदन; और

(4) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के बारे में छियानवेवां प्रतिवेदन।

(दो) साक्ष्य

डा. बिक्रम सरकार : महोदय, मैं निम्नलिखित विधेयकों के संबंध में समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) प्रतिस्पर्धा विधेयक, 2001 के बारे में तिरानवेवां प्रतिवेदन;

(2) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2002 के बारे में चौराननेवां प्रतिवेदन; और

(3) बंदी संप्रत्यावर्तन विधेयक, 2002 के बारे में पचानवेवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.08 बजे

[अनुवाद]

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति

(1) साठवां और इकसठवां प्रतिवेदन

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के (एक) देश में पर्यटन का विकास और (दो) भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2000 के बारे में क्रमशः साठवें और इकसठवें प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(दो) साक्ष्य

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, मैं भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2000 के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य के अभिलेख की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.9 बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य श्री आनन्दराव बिठोवा अडसुल, जो मंत्री नियुक्त हो जाने के कारण अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य नहीं रहे हैं, के स्थान पर, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ख के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से, नियम 254 के उपनियम (3) के अंतर्गत समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करें।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य श्री आनन्दराव बिठोवा अडसुल, जो मंत्री नियुक्त हो जाने के कारण अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य नहीं रहे हैं, के स्थान पर, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ख के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से, नियम 254 के उपनियम (3) के अंतर्गत समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री विक्रम वर्मा, जो मंत्री नियुक्त हो जाने के कारण सभा की सरकारी उपक्रमों सबंधी समिति के सदस्य नहीं रहे हैं, के स्थान पर समिति के शेष कार्यकाल के लिए समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट करने पर सहमत हो और ऐसे नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करें।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री विक्रम वर्मा, जो मंत्री नियुक्त हो जाने के कारण सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य नहीं रहे है, के स्थान पर समिति के शेष कार्यकाल के लिए समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट करने पर सहमत हो और ऐसे नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.10 बजे

[अनुवाद]

सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

(एक) मैसूर स्टेट लेजिस्लेचर (डेलिगेशन ऑफ पावर्स) निरसन विधेयक

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : महोदय, मैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि मैसूर स्टेट लेजिस्लेचर (डेलिगेशन ऑफ पावर्स) अधिनियम, 1971 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मैसूर स्टेट लेजिस्लेचर (डेलिगेशन ऑफ पावर्स) अधिनियम, 1971 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सीएच. विद्यासागर राव : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 21.11.2002 में प्रकाशित।

अपराह्न 12.11 बजे

[हिन्दी]

(दो) उत्प्रवास (संशोधन) विधेयक*

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्प्रवास अधिनियम, 1983 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि उत्प्रवास अधिनियम, 1983 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूं। विधेयक संवैधानिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। विधेयक में यह बताया गया है कि यदि विधेयक को अधिनियमित किया जाता है तो इसमें आवर्ती अथवा अनावर्ती की प्रकृति का कोई व्यय नहीं होगा। यह तथ्यों के विपरीत है। मुझे यह निवेदन करने की अनुमति दी जाए कि मैं इसमें निहित सिद्धांत का विरोध नहीं करता क्योंकि यदि विधेयक को ठीक प्रकार अधिनियमित किया जाता है तो यह विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय लोगों की बहुत मदद करेगा। मेरे राज्य केरल ने हजारों श्रमिक खाडी के देशों में भेजे हैं और वे वहां कार्य कर रहे हैं। उनके मामलों पर ठीक प्रकार से विचार नहीं किया जाता। भारतीय दूतावास भी उचित रूप से उनकी सेवा नहीं कर रहा है। इसके अलावा, मेरे राज्य में जब कोई मौत होती है तो अंतिम संस्कार नहीं हो पाता क्योंकि संबंधियों को खाड़ी देशों से आना पड़ेगा। यही स्थिति है।

महोदय, खाडी के देशों में प्रतिदिन एक मलयाली मरता है। आर्थिक और बहुत सी अन्य कठिनाइयों के कारण मृत शरीर को केरल लाना आसान नहीं है। यदि विधेयक को उचित रूप से पुरःस्थापित किया जाता तो मैं इसका समर्थन करने हेतु पूर्ण सहयोग देता।

अध्यक्ष महोदय : अपना भाषण संक्षेप में दीजिए।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 21.11.2002 में प्रकाशित।

श्री वरकला राधाकृष्णन : विधेयक में यह बताया गया है कि इस प्रयोजन के लिए सरकार 1 करोड़ का प्रावधान करेगी। परन्तु यह खाडी के देशों से शवों को केरल लाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अतः 1 करोड़ रुपए बहुत कम हैं। यह एक मजाक है।

अध्यक्ष महोदय : जब विधेयक पर विचार किया जाएगा, उस समय आप इन सभी बातों पर चर्चा कर सकते हैं। हम समझ गए हैं कि आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं।

[हिन्दी]

डा. साहिब सिंह वर्मा : जब डिस्कशन होगी तब ये सारी बातें कह सकते हैं। आपने दो बातें कही थीं।

[अनुवाद]

उन्होंने कहा है कि वह विधेयक का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर है। यह बिलकुल गलत है क्योंकि हमने इस अधिनियम को बनाया है और इसमें संशोधन करने का अधिकार भी हमारा है।

दूसरा, उन्होंने कहा है कि यह नागरिकता अधिनियम का उल्लंघन है।

[हिन्दी]

सिटिजन्स का इससे कोई लेना–देना नहीं है, वह बिल्कुल अलग चीज है। सिटिजन कैसे बनना है, क्या–क्या शर्तें हैं, वह उसमें आता है। इस एक्ट में उसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए आपकी इस प्रकार की सोच बिलकुल गलत है।

जो अन्य मुद्दे इन्होंने उठाए हैं कि किस प्रकार से हम ज्यादा भला कर सकते हैं, जब बिल पर चर्चा होगी तो उस समय ये अपनी बातें कह सकते हैं, उस समय हम जवाब देंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उत्प्रवास अधिनियम, 1983 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

डा. साहिब सिंह वर्मा : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित* करता हूं।

अपराह्न 12.16 बजे

[अनुवाद]

(तीन) संसद अधिकारी तथा संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक*

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 तथा संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 तथा संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

अपराह्न 12.17 बजे

[अनुवाद]

दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) विधेयक*

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली महानगर

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

**भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 21.11.2002 में प्रकाशित।

में मेट्रो रेल के प्रचालन और अनुरक्षण तथा उसके कार्यकरण को विनियमित करने तथा उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि दिल्ली महानगर में मेट्रो रेल के प्रचालन और अनुरक्षण तथा उसके कार्यकरण को विनियमित करने तथा उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूं क्योंकि यह संविधान के संघीय ढांचे के विरुद्ध है। दिल्ली एक राज्य है। वहां एक निर्वाचित विधान सभा है। मेट्रो रेल दिल्ली महानगर की सीमा तक समिति है।

सामान्यतः रेलवे एक अन्तरराज्यीय परिवहन है और इस तरह से केन्द्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन इस मामले में मेट्रो रेल महानगर की सीमा तक ही सीमित है। इसलिए, इसकी चर्चा दिल्ली प्रशासन में ही की जानी चाहिए थी और फिर दिल्ली विधान सभा में इसकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली प्रशासन की सहमति के बिना और दिल्ली विधान सभा में चर्चा किए बिना इस विधेयक को संघीय ढांचे की भावना और हमारे संविधान की संघीय प्रकृति के विपरीत यहां लाया गया है। ऐसे मामले में दिल्ली विधान सभा की क्या जरूरत है ?

इस तरह से रेलवे अन्तरराज्यीय एकक है और इसलिए वहां केन्द्र सरकार आती है। इस मामले में यह दिल्ली महानगर तक सीमित है। यहां तक कि इस विधेयक में यह भी उल्लेख है कि मेट्रो रेल को चलाने की अनुमति निजी पार्टियों को भी प्राप्त होगी। यह हास्यास्पद है। इस मामले में दिल्ली प्रशासन से विचार–विमर्श करना चाहिए था। यह संविधान की भावना के विपरीत है। यह संविधान के संघीय ढांचे के विरुद्ध है। इसलिए, मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने का विरोध करता हूं।

श्री अनन्त कुमार : भारत के संविधान के अनुसार रेलवे संघ सूची का विषय है। लेकिन सदस्य कह रहे हैं कि यह समवर्ती सूची में है। जो माननीय सदस्य कह रहे हैं उसे हम स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार रेलवे संघ सूची में है। इसलिए, हम इस विधेयक को ला रहे हैं।

यदि हम माननीय सदस्य के तर्क को मान लेते हैं तो भी समवर्ती सूची में केन्द्र इस विधेयक को लाने के लिए कानूनी रूप से सक्षम है। इसलिए हम इस विधेयक को ला रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली महानगर में मेट्रो रेल के प्रचालन और अनुरक्षण तथा उसके कार्यकरण को विनियमित करने तथा उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अनन्त कुमार : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं।

अपराह्न 12.19 बजे

[अनुवाद]

दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण)

अध्यादेश संबंधी विवरण

श्री अनंत कुमार : महोदय, मैं दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अध्यादेश, 2002 द्वारा तत्काल कानून बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[हिन्दी]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप इस तरह से करेंगे तो जीरो ऑवर नहीं होगा। मैं जीरो ऑवर लेना चाहता हूं। इस

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

इम्पोर्टेंट विषय पर बूटा सिंह जी, मैं आपको इजाजत देने वाला हूं। इस पर तीन लोगों ने मुझे नोटिस दिया है, सुमन जी, रामविलास पासवान जी और रामदास आठवले जी के नोटिस मुझे मिले हैं।

उन तीनों को जो कहना है, वह कहेंगे। बाद में मैं बूटा सिंह जी को इजाजत दूंगा और फिर प्रकाश अम्बेडकर जी को इजाजत दूंगा।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मुझे भी बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। आपने कहा है कि आप सरदार बूटा सिंह, श्री राभजीलाल सुमन और अन्यों को बोलने की अनुमति देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी अनुमति देने जा रहा हूं। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : मैंने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : उसको बाद में लेंगे। यह स्थगन प्रस्ताव का नोटिस है। आप अपने नोटिस पर बोलिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह काम नहीं चलेगा। इससे आप सबको नुकसान होगा। दो दिन के बाद शून्य काल शुरू हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री अवतार सिंह भडाना (मेरठ) : यू.पी. में किसान सड़कों पर उतर आया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं। यह विषय बाद में आएगा। मैंने आप को नहीं, रामजीलाल सुमन को बुलाया है। बूटा सिंह जी आप भी बैठें, मैं आपको इजाजत दूंगा। सुमन जी आप शुरू करें।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमारा आपसे इतना ही अनुरोध है कि दो दिनों के बाद की जगह इस पर कल चर्चा करवा लें। उत्तर प्रदेश की मिलों का मामला बड़ा गंभीर है।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, दशहरे के दिन बादशाहपुर में जो गुड़गांव और सोहना के बीच में है, वहां पर पांच लोग जो खाल का व्यापार करते थे, जिनके पास लाइसेंस था, ये लोग वहां से चले। वहां से इनको झज्जर पुलिस चौकी पर पकड़ा गया। सही मानो में यह बात थी कि उस पुलिस चौकी पर तीन हजार रुपया महीना जाता था। उस दिन दस हजार रुपए की और मांग की गई।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा : मैं इस मामले में इंटरप्ट करूंगा कि जो सच्ची बात है, वही बोलें।

श्री रामजीलाल सुमन : पहले हमें बोल लेने दीजिए। आप अपनी बात बाद में कहना।

अध्यक्ष महोदय : मैंने रामजीलाल सुमन को इजाजत दी है। मैं बीच में किसी को इजाजत नहीं दूंगा इसलिए आपका इंटरवैंशन नहीं सुनूंगा। आप प्रोसीजर का ध्यान रखें।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : यह हरियाणा से संबंधित मामला है और मैं उस प्रदेश से आता हूं।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। इन पांच लोगों को पकड़ा गया। रिश्वत के चक्कर में पुलिस ने एक आदमी की पिटाई की कि उसकी हत्या हो गई। बाद में हवा बना दी गई कि यह गोकशी में शामिल हैं। पुलिस और प्रशासन तमाशा देखते रहे। पुलिस चौकी के सामने इन लोगों को लाकर हत्या कर दी गई। अभी हमारे मित्र खड़े हुए थे और कह रहे थे कि वे गोकशी में शामिल थे यह हरियाणा सरकार की रिपोर्ट में है। उस रिपोर्ट में यह है कि भगतपुर में एक गाय की स्वाभाविक मौत हुई थी। उसका घटना से कोई संबंध नहीं है। एक तरफ विश्व हिन्दू परिषद के लोग अकलियत की नीयत पर शक करते हैं, वहीं दूसरी ओर दलितों की हत्या के बाद आचार्य गिरिराज किशोर का बयान छपा है कि विहिप को कोई मलाल नहीं है। पांच दलित मारे गए, उन पर विहिप को कोई मलाल नहीं है।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : उन्होंने ऐसा नहीं कहा। यह असत्य बात रिकार्ड पर नहीं जानी चाहिए।

श्री रामजीलाल सुमन : आज तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गुड़गांव के कमिश्नर उसकी जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्ट्या लोग दोषी हैं और प्रशासन खड़ा तमाशा देखता रहा। पुलिस ने कोई फायरिंग नहीं की। लोगों को तितर–बितर करने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। अध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। राज्य बनने का उद्देश्य क्या था, उसके पीछे क्या अवधारणा थी, यही कि कोई किसी की जान न ले, कोई किसी का हक न मारे। राज्य सबको सुरक्षा देने का काम करेगा। अध्यक्ष महोदय, यह बुनियादी सवाल है। जब पुलिस चौकी से खींचकर इतने लोगों को मार डाला जाएगा तो लोगों का इस तंत्र से विश्वास उठ जाएगा।...*(व्यवधान)* इससे ज्यादा गंभीर घटना और कोई नहीं हो सकती। विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को डराने और धमकाने का काम किया है। अब इनके निशाने पर दलित लोग बन गए हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अन्य सदस्यों को भी बोलना है, अब आप अपनी बात समाप्त करिए।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : मेरा निवेदन है कि तत्काल वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के जज से पूरे तथ्यों की जांच कराई जाए तब जाकर मामला प्रकाश में आएगा। ये जो साम्प्रदायिक लोग हैं...*(व्यवधान)* यह बहुत गंभीर घटना है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, मैंने झज्जर और बिहार दोनों पर नोटिस दिया है। कल झज्जर की घटना 15 तारीख की घटना है और उस दिन दशहरा का दिन था। ज्यों ही इस घटना का समाचार अखबार में आया, उसमें लिखा था कि दलितों ने जिंदा गाय की खाल खींचने का काम किया है, जिसके कारण उनको मारा गया है। मैं सच्ची बात कहता हूं कि हमारे जैसे लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने तुरन्त अपनी पार्टी के वहां के अध्यक्ष कैप्टिन शमशेर सिंह मलिक हैं, उनको भेजा कि आप इस घटना के बारे में पता लगाओ। उन्होंने पता लागने के बाद जो रिपोर्ट दी कि यह बिल्कुल गलत है। 16 तारीख को उन्होंने रिपोर्ट दी और 17 तारीख को मैं वहां चला गया। मैं जब गया तो वहां जो पुलिस के अधिकारी थे, उसे मैंने कहा कि मैं जगह देखना चाहता हूं। मैंने देखा कि झज्जर से धुलिना पुलिस चौकी सात कि.मी. की दूरी पर है। वहां मैजिस्ट्रेट थे, उनसे कहा कि जो गाय मरी है, उसकी हड्डी कहां हैं? उसने कहा कि उसका कोई पता नहीं है। हमने कहा कि किसी आदमी ने रिपोर्ट तो दर्ज की होगी कि हमारी गाय चोरी हो गई है तो उसका भी कोई पता नहीं है। हमने कहा कि मारने वाले कहां के थे तो मालूम हुआ कि वे चार आदमी थे, जो बादशाहपुर के थे जो पचास कि. मी. की दूरी पर है और एक आदमी करनाल से है, जो 125 कि.मी. की दूरी पर है। हमने पूछा कि वे कैसे आए थे तो मालूम हुआ कि वे टाटा गाडी से आए थे। हमने कहा कि टाटा गाड़ी से आए थे और जब वहां किसी को मारा गया होगा तो किसी हथियार से मारा होगा, आपने क्या कोई हथियार बरामद किया–तो बताया गया कि कोई हथियार बरामद नहीं किया गया। हमने कहा कि वे मारने के लिए आए तो थाना के बगल में सौ मीटर की दूरी को ही उन्होंने क्यों चुना और वह भी चार बजे शाम का समय चुना और वह भी जिंदा गाय को मारने के लिए–इसका हमें कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद जब मालूम किया तो वहां का रहस्य पता चला। वहां पांच आदमी आए थे। उनमें से एक के पास 40,000 रुपया था। एक दूसरे के पास 10,000 रुपया था। एक तीसरे के पास 6500 रुपया था। ये सब वैल–टू–डू लोग थे और उनके पास लाइसेंस भी था। थाना का जो अभिषित नियम होता है, उसके मुताबिक उनको चैक–पोस्ट पर रोका गया। उनसे पैसा मांगा गया। जब उन्होंने पैसा नहीं दिया तो उनको थाने के भीतर ले जाया गया और ले जाने के बाद उनको इतना मारा कि वे मर गए। यह घटना शाम चार बजे की है और झज्जर वहां से सात कि.मी. की दूरी पर है। वहां का एस.पी. माइनॉरिटी का है। वहां का डी.एम. शैड्यूल कास्ट का है। उनको चार घंटे के बाद मालूम हुआ। यदि भीड़ आ रही थी तो चार घंटे के बाद थाना में क्यों रखा गया? हमने मालूम किया था तो पता चला कि जब वे मर गए तो वहां से थाने का एक अफसर इस घटना को ट्विस्ट करने के लिए टेलीफोन करता है और मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा लेकिन खुराना साहब आप सब लोग संजीदा लोग हैं। आप वहां पता लगवाइए। वहां वीएचपी का एक ऐसा स्वामी परमहंस है और दूसरे बीजेपी के नेता रामचन्द्र हैं।...*(व्यवधान)* मैंने जानकारी के लिए कह दिया। आप नाम ओमिट कर दीजिएगा। मैंने कह दिया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको रोकने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मेरी आपसे विनती है कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए हम चाहते हैं और मुझसे विनती की गई है कि यहां गृह मंत्री उपस्थित होने चाहिए। इस विषय पर चर्चा बाद में हो सकती है।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : मैं इसमें कोई राजनीति नहीं लाना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। जब उनको टेलीफोन किया गया तो यह बात आई है कि वहां के कुछ लोग आए थे। आप जांच इंक्वायरी द्वारा पता लगवाइए। यदि 10,000 की भीड़ आएगी तो जमीन रौंदी जाएगी और कहीं न कहीं पौधा भी टूटेगा लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। कहीं कुछ नहीं हुआ। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे बहुत पुराने साथी और मुख्य मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने दूसरे दिन पुलिस के बयान के आधार पर कह दिया कि शायद ये लोग गाय को मारने के लिए आए थे। इसलिए भीड़ इतनी उग्र हो गई और पुलिस इन लोगों को बचा नहीं पाई। एक राउंड भी फायरिंग नहीं हुई और किसी के ऊपर कुछ नहीं हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, बादशाहपुर के लोगों को, वहां के सरपंच, श्री त्यागी, जो उच्च जाति के हैं और अन्य एक श्री भारद्वाज, जो गांव के प्रधान हैं और एक अन्य सरपंच, श्री वीरसिंह, जो दलित वर्ग के हैं—ये तीनों लोग हमारे साथ गिरफ्तारी में थे। उस वक्त जो लोग आए, उन्होंने कहा कि यह झूठ है, कोई धर्म का मामला नहीं है और कोई जाति का मामला भी नहीं है। इन लोगों को जान-बूझकर मारा गया। यहां इन लोगों ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पर और उनके परिवार के सारे के सारे लोगों ने गिरफ्तारी देने का काम किया है। मैं गिरिराज किशोर का नाम लेना चाहता हूं, मल्होत्रा जी उनका बयान आया है कि गाय का आदमी से ज्यादा महत्व है। मैं एक आदमी की तुलना गाय से नहीं करना चाहता हूं। यहां दिल्ली में एक्सीडेंट्स में रोज गाय मर जाती हैं, क्योंकि गाय को रोड्स पर किस तरीके से छोड़ दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि घटना की आफिसर से जांच नहीं हो सकती है। यह सैंटिमेंटल मामला है। पूरे देश में मीटिंग्स हो रही है। दलितों में आक्रोश है। यह कोई साधारण सी बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष के लोगों को इसको गंभीरता से लेने का काम करना चाहिए।

महोदय, दूसरी घटना हमारे बिहार की है। बिहार के गया जिले में फतेहपुर प्रखंड है और उस प्रखंड में लक्ष्मीपुर एक गांव है। देवन पासवान हमारी पार्टी के उस प्रखंड के अध्यक्ष हैं। उनकी पत्नी, उनकी मां और उनके बाप तथा उनकी भाभी को एक नवम्बर को मार दिया गया। वे लोग दिन में अपना मकान बना रहे थे, एक छोटा सा घर बना रहे थे। एक आदमी वहां गया और कहने लगा कि मुझे 5,000 रुपए दो। उन्होंने कहा कि हम पांच हजार रुपए कहां से देंगे, हम तो घर बना रहे हैं। जब उन्होंने रुपए नहीं दिए, तो उस व्यक्ति ने शाम को जाकर सभी को गोली से भून दिया। दो दिनों तक लाश कुएं में पड़ी रही। बाद में पुलिस पहुंची, लेकिन दो दिन तक लाश कुएं में पड़ी रही। हम लोग जिस दिन गए, उस दिन वहां की सरकार के मंत्री, श्री शकील अहमद पहुंचे हुए थे। उनको मालूम नहीं था। हम लोग तीन तारीख को पहुंचे। दिवाली से एक दिन पहले पहुंचे थे। वहां उन्होंने डीआईजी और एसपी को बुलाया। वे लोग आए। हमने पूछा—यह लाश दो दिन से कुएं में क्यों पड़ी हुई थी और लाश को निकालने के लिए आप क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा—हम लोग 4.30 बजे के बाद वहां नहीं जा सकते हैं। हमने पूछा—क्यों? उन्होंने कहा—इसलिए कि हमारे पास सेफ्टी नहीं है। हमने कहा—जब आपके पास सेफ्टी नहीं है, तो गांव में दलित के पास क्या सेफ्टी हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर हमारा आफिसर जाएगा, तो हथियार छीन लिए जाएंगे। हमने पूछा—तरीका क्या है? उन्होंने कहा—गांव के लोगों को दूसरी जगह पर बसा दें। हमने कहा कि कौन बसाएगा? हम लोग वहां लाश की इन्तजार में थे। यह भी मामला बहुत गंभीर है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मामला बहुत गंभीर है, इसीलिए मैंने इजाजत दी है।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। उसी जिले के कोंच प्रखंड में दो लाशें लाई गईं, जो दलित वर्ग से थीं। मैं बताना चाहता हूं, पासवान परिवार के लोगों को कैसे मारा गया। उन दोनों व्यक्तियों में से एक मिस्त्री था और एक मजदूर। यह पूछे जाने पर कि इनको क्यों मारा गया, तो बतलाया गया कि यह ट्रायल कर रहा था कि गोली का निशाना सही लगता है या नहीं। मैं पूछता हूं, इस देश में गरीब को, दलित को जीने का अधिकार है या नहीं? हम लोग यहां संसद में बैठे हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि 1977

में जब बेलछी की घटना हुई थी, जिसमें सात–आठ लोग मारे गए थे, उस समय श्री मोरारजी देसाई देश के प्रधान मंत्री थे। नियम 184 के अधीन सैंसर मोशन पर चर्चा हो रही थी और कांग्रेस की तरफ से जब वोटिंग का सवाल आया, तो श्री मोरारजी देसाई ने कहा कि वोटिंग का सवाल नहीं है, यह देश के लिए कलंक की बात है, हम लोग इस प्रस्ताव को पास करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय कि आज आप आसन पर बैठे हुए हैं, जिस तरह की घटना झज्जर और बिहार में हुई है, वह कोई मामूली चीज नहीं है, पांच आदमियों को जिन्दा जला दिया गया, उनसे जीने का अधिकार छीना गया और बिहार में भी छीना जा रहा है, देश के हर भाग में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इसलिए चेयर की तरफ से यह प्रस्ताव आना चाहिए और पार्लियामेंट में डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए बल्कि सीधे भारत सरकार की रेसपोंसिबिल्टी है, चाहे अकलियतों, दलितों या कमजोर वर्गों का मामला हो, उसका संवैधानिक दायित्व भारत सरकार के ऊपर है, भारत सरकार को इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए। जो सरकार दलितों और अकलियतों की रक्षा नहीं कर सकती है, उसे नियम 356 के अंतर्गत बर्खास्त करना चाहिए।...*(व्यवधान)* यह किसी पार्टी की बात नहीं है। यहां भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। आपके नेता के संबंध में वे क्या कहते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दलित की हत्या हो और उसकी तुलना एक गाय से करें तथा उसके मारने वाले के खिलाफ पुलिस जब कार्यवाही करती है, रोड पर चक्का जाम किया जाता है और कहा जाता है कि हम थाने में आग लगा देंगे। अगर इस तरह की वारदातें होती रहीं तो देश कहां जाएगा, हमें पता नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि पूरे सदन को इसे सीरियसली लेना चाहिए और चेयर को भी इसे गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए, यही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, दुलीना और झज्जर में जो हत्याकांड हुआ है, इसकी हम सब लोग निन्दा करते हैं। भारत के सभी लोग एक हैं, इस तरह जब अन्याय होता है, इस तरह की भावना देश में पैदा करने की आवश्यकता है। सवाल इतना ही है कि वहां के जो दलित लोग हैं, वे मरी हुई गाय का चमड़ा उतारने का काम ट्रेडिशनल पद्धति से हर गांव में करते हैं। वह गाय मरी होने के बावजूद भी जिन्दा है। वह इस तरह प्रचार करते हैं कि गाय हमारी माता है, यह ठीक बात है। अगर आपकी गाय माता होगी, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। दुलीना में मरी गाय थी, इस तरह का स्टेटमेंट मुख्य मंत्री जी का तथा अन्य लोगों का है। इसके बावजूद वहां चार–पांच हजार लोग जमा हुए, ऐसा उनका कहना है। वहां पांच लोगों की हत्या हुई है।...*(व्यवधान)* हमारा इतना ही कहना है कि अगर गाय या किसी अन्य जानवर का चमड़ा उतारने के बाद इस तरह दलितों की हत्या होगी तो हमें देश के दलितों को बताना होगा कि गांव में जब जानवर मरता है तो जिनका जानवर मरेगा, उसे उसका चमड़ा उतारने का काम करना चाहिए। मैं दलितों को अपील करता हूं कि इस तरह का जो काम है, उसे बाबासाहब अम्बेडकर जी ने हमें छोड़ने के लिए कहा है। हम लोगों को अपना–अपना काम करना चाहिए, लेकिन इस तरह हत्या नहीं होनी चाहिए। ओम प्रकाश चौटाला जी वहां थोड़ी लेट गए थे। जब वे गए थे तो वहां चार–पांच लोग मरे हुए थे।...*(व्यवधान)* उन्होंने उन्हें पांच लाख रुपया देने की बात की, मगर पांच लाख रुपया देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर कोई भी मरता है तो उसके बारे में सिमपैथी रखनी चाहिए। विश्व हिन्दू परिषद के लोगों ने एनाउंस कर दिया। अगर गाय के बारे में कोई इस तरह की कार्यवाही करेगा, इस तरह हत्या होगी और आप हमारे लोगों की हत्या करेंगे तो हम भी अपने हाथ में हथियार लेकर हत्या कर सकते हैं। मगर हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह हत्या करना हमें बाबासाहेब अम्बेडकर जी ने नहीं सिखाया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आठवले जी, आप बैठ जाइए।

श्री रामदास आठवले : हमने शान्ति स्वीकार की है, हम क्रान्ति और संघर्ष करना भी जानते हैं। इस तरह की हत्या इसके बाद नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम सरकार से, अटल बिहारी वाजपेयी जी से अपील करते हैं, आपकी सरकार दलितों की रक्षा करने वाली है या नहीं और चौटाला जी की सरकार दलितों की रक्षा करने वाली है या नहीं। अगर यह सरकार दलितों की रक्षा नहीं करती है तो वहां के मेम्बर्स को हमारे साथ आना चाहिए। सुशील कुमार इंदौरा जी भी एस सी के हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय :. आठवले जी, आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले : महोदय, इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, यह हमारी मांग है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर) : अध्यक्ष महोदय, हम दोनों ने नियम 193 के अधीन चर्चा हेतु सूचना के लिए हस्ताक्षर किए हैं। हमें भी इस मुद्दे पर बोलने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह (जालौर) : अध्यक्ष जी, हरियाणा के झज्जर में जो घटना हुई, उसे आज चालीस दिन हो गए हैं। इस घटना ने इंसानियत को हिलाकर रख दिया है। सभी सांसदों के आवाज उठाने पर हमें उस पर बोलने का मौका मिल रहा है। इस घटना के कारण हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। होना तो यह चाहिए था कि सदन के पहले ही दिन माननीय गृह मंत्री महोदय को एक स्वतः वक्तव्य देना चाहिए था जिससे दलितों को असलियत का पता चलता और उनके दिलों को शांति पहुंचती। लेकिन दुःख की बात है कि भारत सरकार का रवैया पक्षपाती रहा है और इस मामले को जितनी गंभीरता से उसे लेना चाहिए था उसने नहीं लिया। गृह मंत्री ने भले ही स्टेटमेंट दे दिया है कि हम दोषी को बचने नहीं देंगे, लेकिन दोषी को हाथ कौन आने देगा?

माननीय राम विलास पासवान जी और सुमन जी ने जैसा बताया कि वहां पर कोई गाय नहीं थी बल्कि पांच लोग चमड़े का ट्रक लेकर जा रहे थे। पुलिस स्टेशन के सामने उस ट्रक को रोका गया और उन लोगों से पैसे मांगे गए। इन्होंने सारी घटना का विवरण दे दिया है कि कोई गाय मारे जाने की बात नहीं थी। एक एफआईआर में पांच मृतकों के बारे में कहा गया है कि इन्हें भीड़ ने मार दिया है। विश्व–हिन्दू–परिषद ने जो एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें उन पांचों के बारे में कह दिया गया कि वे गाय के हत्यारे थे, इसलिए भीड़ ने उनको मार दिया। लेकिन उसमें किसी का नाम नहीं दिया गया है।

हरियाणा के मुख्य मंत्री का बयान आया। पहली बात तो मुख्य मंत्री जी के नाते वे घटना–स्थल पर ही नहीं गए। शायद उनको यह घटना महत्वपूर्ण नहीं लगी कि जाकर मृतकों को देख सकें और स्थिति को देखकर एडमिनिस्ट्रेशन को कोई गाइडलाइन दे सकें। वहां पर देश भर से नेता गए। माननीय सोनिया जी भी वहां पहुंचीं, मृतकों के परिवार वालों से मिलीं, मृतकों के परिवार वालों ने इस बात को तस्दीक किया कि कोई गाय नहीं मरी। उस समय एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और बाकी चारों को थाने लाया गया। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति गाय की खाल नहीं उतार रहा था और न ही उस समय कोई मरा हुआ पशु उनसे रिकवर हुआ। एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी छाप दी गई। लेकिन उस रिपोर्ट के बारे में भी लिखा है कि वह 24 घंटे पहले मरे हुए पशु की थी। इससे साफ जाहिर होता है कि पहले पुलिस ने पैसा मांगा और नहीं देने पर उसे इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। उस कत्ल को छिपाने के लिए गुरुकुल में आदमी भेजे गए, लोगों को भड़काया गया, भीड के सामने पांच लोगों को छोड़ दिया गया और उनको मरवा दिया गया। इस घटना का विवरण पंजाब और हरियाणा के सारे अखबारों में छपा है। मैं जानना चाहूंगा कि जिस मुख्य मंत्री ने यह बयान दिया है कि इस घटना के लिए किसी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं की जा सकती है, जब वह चीफ–कमिश्नर से इंक्वायरी की बात करते हैं तो उस राज्य का चीफ–कमिश्नर क्या इंक्वायरी करेगा। इसलिए यह इंक्वायरी जनता के साथ और दलितों के साथ एक धोखा है।

माननीय सोनिया गांधी जी ने मांग की थी कि इस घटना की जांच सीबीआई से कराई जाए। ह्यूमन राइट कमीशन और हरियाणा के 32 दलों ने भी मांग की है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। उसके बाद माननीय राम विलास पासवान जी, सीपीएम के वरिष्ठ नेता और अन्य पार्टियों के नेता भी घटना–स्थल पर गए। महोदय, मेरा कहना है कि जब तक इसकी जांच सीबीआई को नहीं सौंपी जाती है लोगों में रोष बढ़ता जाएगा।

इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हू कि नियम 193 के अधीन चर्चा कराने के लिए हमने जो नोटिस दिया है, उसके अंतर्गत इस पर चर्चा होनी चाहिए ताकि सदन के सभी सदस्यों को इस पर बोलने का मौका मिल सके और सब लोग सच्चाई तक पहुंच सकें। दूसरा, जिन सगठन के लोगों ने इन पांच दलितों की हत्या की, उनको दंड दिया जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, आज के अखबार में छपा है कि हरियाणा पुलिस मृतकों के परिवार वालों को हास और टैराराइज कर रही है। सुनने मे यह भी आया है कि समझौते की कोई योजना बनाई गई है और गुरुकुल के लोगों के साथ कोई एग्रीमेंट हो रहा है कि जांच के पहले इस मामले को मिट्टी में दबा दिया जाए। मेरी प्रार्थना है कि सदन में इस सच को खोलकर रखना चाहिए। भारत सरकार का कर्तव्य है कि वह इस मामले को स्वय देखे। माननीय उपप्रधान मंत्री खुद इसकी जांच कराएं या सीबीआई से जांच करवाकर उसकी रिपोर्ट सभा पटल पर रखें ताकि उस पर बहस हो सकें। सदन इस बात का फैसला करे। दलितों की हत्या इतने बडे पैमाने पर जहां हो रही हैं, उन पर रोक लगे। बिहार और तमिलनाडु में भी दलितों की हत्याएं हुईं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सदन की गाइडैंस ली जाए। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि नियम 193 के अंतर्गत इस पर चर्चा कराई जाए।...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कोई नियम होना चाहिए। हम इनके सारे भाषण आराम से सुनते हैं लेकिन जब इधर से कोई बोलना शुरू करता है तो सब खडे हो जाते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया हाउस में शांति बनाए रखें। हरेक को बोलने का अधिकार है।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, वहां जिन दलितों की हत्या हुई, मैं उनकी घोर निन्दा करता हूं। सारे सदन को उसकी घोर निन्दा करनी चाहिए। यह वीभत्सपूर्ण घटना है। इस प्रकार की घटनाएं सारे देश के लिए बहुत शर्म की बात है। देश भर में कोई दलित जिन्दा गाया की खाल नहीं खींचता है। देश में कहीं जिन्दा गाय की स्कीन उतारी जाती हो, ऐसा कहीं नहीं होता है। इसलिए यह कहना गलत है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष जी, यह भी सत्य है कि मरी गाय की खाल अगर कुछ लोग न उतारें तो उसे कोई और उतारने वाला नहीं है, यह बात भी आपने ठीक कही। वह गाय मरी हुई थी या नहीं, यह जांच का विषय है। यह गलत है कि कोई दलित गाय की हत्या करके गाय का मांस नहीं खाता है। इसे लेकर क्या घटना हुई, मैं इनसे सहमत हूं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अगर यह जांच से सहमत नहीं हैं और चाहते हैं कि इसकी दूसरे तरीके से जांच हो या न्यायिक जांच हो या सीबीआई जांच हो, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। इसकी बिलकुल जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई पूरी तरह प्रकट हो सके।

[अनुवाद]

श्री सुशील कुमार शिंदे : यदि उनकी सचमुच में ऐसी इच्छा है तो मैं वास्तव में उन्हें समर्थन दे रहा हूं। इसी कारण बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद सामने आए हैं। ...*(व्यवधान)* श्री मल्होत्रा की बात बिलकुल सही है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। नियम 193 के अधीन मैंने सूचना दी है।

[हिन्दी]

हम इस मामले की जुडिशियल एनक्वायरी करवाने का समर्थन करते हैं।...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि नियम 193 के अंतर्गत पूरे दिन हाउस में दलितों के सारे सवालों पर जरूर विचार होना चाहिए जिससे सदन के सारे सदस्य इसमें भाग ले सकें। मुझे दो–तीन बातों पर आपत्ति है–एक बात पर आपत्ति है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब इस विषय पर चर्चा होगी, उस समय आप इस पर बोलिए।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, यहां बहुत सी बातें कही गई हैं। जिन बातों का माननीय सदस्य ने जिक्र किया, उनके बारे में मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उस पूरे इलाके में विश्व हिन्दू परिषद या बजरंग दल का अस्तित्व ही नहीं है। वहां विश्व हिन्दू परिषद या बजरंग दल का कोई बहुत भारी संगठन ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है।...*(व्यवधान)* मैं इस बारे में कह रहा हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवादा

श्री सुशील कुमार शिंदे : प्रत्येक पत्र में इसका उल्लेख किया गया है...*(व्यवधान)* यह क्या है?...*(व्यवधान)* यह संसदीय ग्रंथालय के पत्रों का समूह है जिसमें सभी अखबारों की कतरनें हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : मुझे अपनी बात कहने दो। अगर कोई ऐसा वक्तव्य है और मैं उससे सहमत नहीं हूं कि किसी पशु या आदमी की जिन्दगी का मुकाबला किया जाए, वह भी ठीक नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला) : तब आप कंडेम क्यों नहीं करते हो?

अध्यक्ष महोदय : प्रकाश जी, आप बैठिए।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं सदन के सारे माननीय सदस्यों, चाहे वे कांग्रेस पार्टी से हों, समाजवादी पार्टी से हों, से कहना चाहता हूं कि वहां पांच व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इनमें एक दलित और बाकी चार दूसरे थे। उन्हें पकड़ने के बाद वहां की 400–500 गांवों की पंचायतों ने रास्ता रोक लिया और बाकी सब कुछ कर दिया गया। जब कभी वैसी बात आती तो कहते कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सारी पंचायतों में बहुमत है और ये कहते हैं कि कांग्रेस का वहां पूरा का पूरा अधिकार है। अगर कांग्रेस का उन पंचायतों पर अधिकार है तो इनके सदस्य वहां क्यों रास्ता बंद कर रहे हैं? जब वहां बी.जे.पी नहीं है, वी.एच.पी. नहीं है, फिर कांग्रेस के लोग रास्ता क्यों रोक रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री सुशील कुमार शिंदे : कानून और व्यवस्था की स्थिति से लेना–देना नहीं है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिणी दिल्ली) : मैं इनसे पूछता हूं कि जब इनके नेता चौ. भजन लाल वहां खड़े होकर कहते हैं कि सारी पंचायतों में उनका बहुमत है, फिर रास्ता क्यों बंद किया गया, वहां पर इस तरह का माहौल क्यों पैदा किया गया?

[अनुवाद]

यह एक गंभीर बात है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, यह कांग्रेस अथवा भाजपा की बात नहीं है बल्कि यह दलितों की बात है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, वहां की 300 गांवों की महापंचायतों में कांग्रेस के सदस्य नहीं हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, जहां तक उनके प्रथम भाग का प्रश्न है तो मैं प्रो. मल्होत्रा का समर्थन करता हूं लेकिन जहां तक उनके दूसरे भाग का प्रश्न है तो हम उनसे सहमत नहीं हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप उनसे सहमत नहीं हो सकते हैं लेकिन उन्हें बोलना है।

[हिन्दी]

श्री मल्होत्रा जी, आप कनक्लूड कीजिए।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, यहा कांग्रेस का सवाल नहीं है। मैं हाथ जोड़कर इनसे रिक्वैस्ट कर रहा हूं कि यह पार्टी का सवाल नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : लेकिन अखबारों में छपा है और आपको मनाने की बात हो रही है...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं इससे डिसएग्री कर रहा हूं। यह सवाल कांग्रेस, बी.जे.पी. या समाजवादी पार्टी का नहीं, यह दलितों पर होने वाले अत्याचार और उनकी हत्या का सवाल है। वहां इस प्रकार का वातावरण बना हुआ है कि 300 गांवों की पंचायतें मिलकर रास्ता बंद कर रही हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है।...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : मल्होत्रा जी, वहां इसके पहले भी इनके पक्ष में पंचायत हुई है। रास्ता रोकने के लिए हर गांव के लोगों की जरूरत नहीं है। इसके लिए मुट्ठीभर लोग काफी हैं। इसलिए पूरे गांवों का नाम मत लीजिए।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : लेकिन टी.वी. पर दलितों को, दलित सरपंचों और उनके लोगों को दिखाया जा रहा है। इसे राजनैतिक सवाल मत बनाइए।...*(व्यवधान)* मैं इसे कम नहीं मानता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मल्होत्रा को बोलने दीजिए, यह उनका अधिकार है।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, कांग्रेस के लोग करेंगे और नाम बी.जे.पी. का लेंगे कि उस पर बैन लगा दो, यह कहां का न्याय है? अभी वहां और बातें हो रही हैं। इसका लाभ उठाकर धर्मान्तरण कराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि धर्मान्तरण कर दिया, सब लोग वहां छोड़ दो। वहां विदेश से लोगों को लाकर कराया जा रहा है जबकि उन पांचों परिवारों ने कहा है कि हमने कोई धर्मान्तरण नहीं किया लेकिन वहां फोटो दिखाए जा रहे हैं। बड़े-बड़े नेता लोग वहां जा रहे हैं। असल में इसके अंतर्गत होने वाली गौ-हत्या की बात बढ़ाने की बात की जा रही है। मैं कहता हूं कि आप लोग ऐसी बातें मत करिए।

मैं कहता हूं कि इस तरह की बातें मत करिए। दलितों के सवाल को गोहत्या के साथ न जोड़ा जाए और न दलितों के सवाल को धर्मान्तरण के साथ जोड़ा जाए। इसलिए मैं इन तीनों बातों का समर्थन करता हूं। आप नियम 193 में इस पर पूरी बहस कराइए। वहां के लोग इस केस की जैसी इंक्वायरी चाहते हैं, वैसी इंक्वायरी कराई जाए और दोषियों को जल्दी से जल्दी सजा दी जाए। यह सवाल सारे देश, संसद और सभी लोगों के लिए महत्व का सवाल है, इसे राजनीतिक दलबंदी में मत खींचिए।...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार शिंदे : अध्यक्ष महोदय, जो सवाल उठाया गया है...*(व्यवधान)* अभी यह खुद कह रहे हैं कि क्राउड कंट्रोल नहीं हो रही है। सैंटर में इनकी सरकार है, वहां उनके सहयोगी हैं, फिर भी कंट्रोल नहीं होता है। जहां चार बजे इंसीडेंट हुई, छः बजे मर्डर होता है, तब तक पुलिस क्या कर रही थी। कुछ नहीं किया, कनाइवेंस कितनी है। मैं कहता हूं कि आज भी सब रास्ते बंद हैं। पुलिस क्या कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है।

[अनुवाद]

यदि राज्य सरकार स्थिति को नियंत्रण करने में असफल है तो क्या यह केन्द्र सरकार का दायित्व नहीं बनता कि हस्तक्षेप करे? यह हस्तक्षेप करने का बिलकुल उचित समय है।

[हिन्दी]

आप इसे साधारण रूप से मत लीजिए। क्योंकि बी. जे.पी. और विश्व हिन्दू परिषद का नाम जिसमें आया है। मेरे पास इतनी प्रैस कटिंग्स हैं, यह पार्लियामेंट लाइब्रेरी के पेपर्स हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्लीज आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार शिंदे : ये नाम उन्हें इंट्रोस्पैक्शन करके देने चाहिए और इसकी अर्जेन्टल जूडीशियल इंक्वायरी होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सब लोग बैठिए। देखिए यह विषय सचमुच बहुत गंभीर है, इस पर चर्चा होनी चाहिए और इस पर गृह मंत्री जी का उत्तर भी आना चाहिए। आप लोगों ने नियम 193 में चर्चा कराने का सजेशन दिया है। मैं जानता हूं कि ऐसे विषय पर पूरे डिटेल में चर्चा होने की जरूरत है। हम इस विषय को बी.ए.सी. में रखेंगे और जल्दी से जल्दी इस पर चर्चा किसी न किसी फोरम में लगाने की मैं कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसमें सहकार करें। मेरे पास ऐसे ही 26 महत्वपूर्ण विषय हैं, जिन विषयों पर लोगों ने प्रश्न उठाने हैं। हर सांसद का विषय महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि इनमें भी कुछ न कुछ विषय सदन और जनता के सामने आने की जरूरत है और इसलिए सब लोग चाहेंगे कि जो विषय चालू है उस पर चर्चा करें, क्या यह बात गलत होगी। एडजर्नमेंट मोशन था, मैंने शुरूआत में सोचा कि मैं केवल तीन लोगों को इजाजत दूंगा, लेकिन दूसरे भी पांच-छः लोगों को मैंने दे दी। इस विषय पर मैं नहीं सोचता हूं कि अभी चर्चा की जरूरत है। अब हम दूसरे विषय पर आ जाएं। देखिए जब नियम 193 में चर्चा होगी तो मैं दूसरे लोगों को चांस दूंगा।

(व्यवधान)

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां किसान तबाह और बरबाद हो रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उनके प्रश्न को लेने के लिए आप मुझे कोऑपरेट करिए। ऐसे विषय पर चर्चा होने की सख्त जरूरत है। दलितों पर अन्याय हुआ है, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं और जब चर्चा होगी तो उसका उत्तर आना चाहिए। मंत्री जी अचानक यहां उत्तर नहीं देंगे। मैं इस विषय

पर चर्चा जरूर कराऊंगा। आप सब लोग मेरे साथ सहकार करें। अभी मेरे सामने यहां दूसरा विषय किसानों के बारे में है, वह विषय मैं ले रहा हूं।

[अनुवाद]

अन्यथा अब एक बज गया है। मैं मध्याह्न भोजन के लिए सभा स्थगित करूंगा।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : तब एक भी दूसरा विषय नहीं आएगा, जो अच्छी बात नहीं है। आप लोगों ने जो नियम दिया है, उस नियम के अनुसार मैं काम करना चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि अभी मेरे सामने श्री राम नगीना मिश्र का किसानों का विषय है। इसके साथ मैं दो विषय और ले रहा हूं। एक विषय श्री धर्मराज सिंह पटेल का है—उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों के समक्ष समस्याएं। दूसरा विषय मेरे सामने श्री अवतार सिंह भडाना का है—उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों के समक्ष समस्याएं। अभी इन विषयों पर चर्चा होगी, उसके बाद आपका विषय लेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सब विषय एक साथ नहीं लिए जा सकते।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : अध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे पाकिस्तान प्राधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों को रिहा करने हेतु अनिवार्य कदम उठाने की आवश्यकता से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने की अनुमति दीजिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं दो–तीन विषय लेने को तैयार हूं। अगर आप सब लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे तो कोई विषय नहीं आएगा। मैं एक बजे हाउस एडजर्न करूंगा। देखिए यह किसानों का प्रश्न है।

अपराह्न 1.00 बजे

अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं हाउस एडजर्न कर दूंगा और सभी का नुकसान होगा। मैंने राम नगीना मिश्र जी का नाम पुकारा है। राम नगीना जी आप बोलिए।

(व्यवधान)

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) : महिलाओं पर कोई चर्चा नहीं होगी?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : राम नगीना जी, आप बोलिए।

श्री राम नगीना मिश्र : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने इतना महत्वपूर्ण विषय उठाने का मुझे मौका दिया। आज उत्तर प्रदेश का किसान कराह रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : दिल्ली में एक कालेज की छात्रा के साथ बलात्कार की घटना हुई है। मैंने उसके संबंध में नोटिस दिया है। वह इतना महत्वपूर्ण सवाल है, उसको आप नहीं ले रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कोई समझे कि मैं ऊंची आवाज में बोलूंगा तो मैं इजाजत दूंगा, ऐसी बात नहीं है। मैं नंबर से बुला रहा हूं।

श्री राम नगीना मिश्र : महोदय, उत्तर प्रदेश की आबादी 16 करोड़ से अधिक है। वहां की मुख्य फसल गन्ना है। वहां 125 मिलें हैं। आज वहां की स्थिति नाजुक है। वहां सारी मिलों ने इंकार कर दिया कि हम मिल नहीं चलाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने गत वर्ष 95 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का रेट फिक्स किया था। उसने कहा कि हम दाम नहीं बढ़ाएंगे। जो पिछले साल था, वह रेट देना अनिवार्य होगा। इस बार प्राइवेट मिलों ने उस रेट पर गन्ना लेने से इंकार कर दिया है। इसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया है। प्राइवेट मिलों का कहना है कि हम 64 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक दाम नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश का किसान कराह रहा है। अरबों रुपया मिलों पर बकाया

है। केवल मेरे जनपद में एक अरब रुपया बाकी है। सारी मिलें बंद हैं। आज मिलों के न चलने से हजारों–लाखों एकड़ गेहूं जो बाया जाता है, वह भी बंद हो गया है। मुजफ्फरनगर में किसान गन्ना जला रहा है। बड़ी भयावह स्थिति है। सारी मिलें बंद हैं।

अगर मिलें बंद हो गईं तो मरने के अलावा किसानों के पास कोई चारा नहीं रह जाता है। पहले से ही अरबों रुपया बकाया है। यहां जितनी चर्चाएं होनी हैं, उनमें सबसे पहले सबसे अधिक महत्वपूर्ण चर्चा गन्ना किसानों के बारे में होनी चाहिए। मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि वह मध्यस्थता करे, गन्ने की मिलों को चलवाए और गन्ने का उचित दाम दिलवाए। महोदय, 95 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का दाम है। इससे कम पर गन्ना किसान गन्ना देने को तैयार नहीं है। मिलें न चलने की वजह से 30–40 रुपए क्विंटल के भाव से गन्ना लिया जा रहा है। इससे गांवों में किसानों की समस्या हो रही है। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि मंत्री जी अविलंब हस्तक्षेप करें और एक हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश की सारी मिलें चलाने की व्यवस्था की जाए तभी जाकर किसानों का भला होगा।

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) : आरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य मिश्रा जी की बात का समर्थन करता हूं। जहां किसान एक तरफ सूखे की चपेट में है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में गन्ना बहुतायत संख्या में पैदा होता है और सबसे अधिक पूरे देश में चीनी अगर पैदा की जाती है तो उत्तर प्रदेश में पैदा की जाती है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान बरबादी के कगार पर है और चीनी मिल मालिक एक एसोसियेशन बनाकर गन्ना नहीं खरीद रहे हैं। किसान का गन्ना खेतों में खड़ा है और वह मजबूर है कि उसको कहां बेचे। दुख इस बात का है कि न उत्तर प्रदेश सरकार तय कर पा रही है और न केन्द्र सरकार दाम तय कर पा रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है। ऐसी स्थिति में गन्ने का किसान एक तरफ जहां सूखे से बरबाद हुआ है, वहीं दूसरी तरफ उसके गन्ना फूंके जाने की नौबत आ जाएगी और वह आत्महत्या करने को मजबूर होगा। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल हस्तक्षेप करके गन्ने का उचित दाम जो 95 रुपए प्रति क्विंटल है, उसी दर पर खरीदने के आदेश दिए जाएं।

श्री अवतार सिंह भड़ाना : अध्यक्ष महोदय, देश में किसानों की दुर्दशा के बारे में जो भी विचार माननीय सदस्यों ने वयक्त किए हैं, मैं उनसे अपने आपको संबद्ध करता हूं। आज उत्तर प्रदेश में किसानों की जो हालत है, उसको लेकर बहुत चिंता है। इसी चिंता के कारण हमने आपको नोटिस दिया क्योंकि आने वाले दो–तीन दिन में हालत और बिगड़ने वाली है।

महोदय, आज किसान गन्ने पर निर्भर हैं। उनका सारा जीवन गन्ने पर ही चलता है। जैसा कि सदस्यों ने कहा, आज जरूरत इस बात की है कि उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए। यह सरकार जहां मिल–मालिकों को बढ़ावा देने पर लगी है वहां किसान को बर्बाद करने पर तुली हुई है। आज अगर किसान को बर्बाद होने से बचाया नहीं जाएगा, जो यह देश के किसानों पर भारी अन्याय होगा।

महोदय, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं जहां गन्ना बहुतायत में पैदा होता है। आज हालत यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान सड़कों पर आ गया है, उत्तेजित है और आंदोलन पर उतारू है। मजबूरी में किसान आत्महत्या करने पर विवश है। आज जैसा कि कहा गया, वहां जो हमारी दूसरी फसल है, जिसकी बुवाई हो सकती थी, उसकी बुवाई नही हो सकी क्योंकि गन्ना मिल–मालिकों द्वारा किसानों का गन्ना नहीं लिया गया और अभी तक गन्ना खेतों में खड़ा है। आज सरकार की गलत नीति के कारण मिल–मालिक गन्ना किसानों का गन्ना नहीं ले रहा है और किसानों को मजबूरी में गन्ना खेतों में जलाना पड़ रहा है।

महोदय, एक तरफ जहां राजस्थान में किसान भूख से मर रहे हैं और पशुओं को चारा तक उपलब्ध नहीं हो रहा है। यह सरकार की गलत नीतियों के कारण हो रहा है। सरकार की गलत नीतियों के कारण आज उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का किसान बर्बाद हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने के किसानों को उनकी पेमेंट अभी तक नहीं मिली है।

महोदय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की सबसे ज्यादा बुवाई होती है। वहां अगर किसान अपने बच्चे को स्कूल भेजता है, तो वह गन्ने की पेमेंट पर निर्भर करता है। वहां अगर किसान की बेटी की शादी होती है, तो वह भी गन्ने की पेमेंट पर निर्भर करता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, देश के विभिन्न भागों से छात्र राजधानी, नई दिल्ली आते हैं। वे सड़कों पर प्रदर्शन कर प्रत्येक के लिए नौकरियों की मांग कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* श्री मोइनुल हसन ने इस महत्वपूर्ण विषय पर एक सूचना दी है। उन्हें बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री मोइनुल हसन (मुर्शिदाबाद) : महोदय, मैंने इस विषय पर सूचना दी है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अवतार सिंह भडाना : अध्यक्ष महोदय, सरकार की गलत नीतियों के कारण आज पूरे देश के गन्ना किसान बर्बादी के कगार पर हैं। उत्तर प्रदेश में मेरे संसदीय क्षेत्र के किसान के गन्ने की अगर पेमेंट नहीं होती, तो उसकी बेटी की शादी नहीं हो सकती, उसका बच्चा स्कूल नहीं जा सकता और स्थिति यहां तक बदतर है कि कई किसानों के घरों में चूल्हा तक नहीं जल सकता।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से मांग करूंगा कि सरकार तुरन्त ऐसे कदम उठाए जिससे वहां की मिलें चालू हो जाएं। यदि मिलें चालू नहीं हुईं, तो वहां ऐसी हालत बन जाएगी कि लोग भूखों मरने की स्थिति में आ जाएंगे। गन्ना किसान आत्म–हत्याएं करने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरी आपके माध्यम से सरकार से यही मांग है। धन्यवाद।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे किसानों की समस्याओं पर बोलने का अवसर प्रदान किया। अभी कल ही, इस सदन के अंदर आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने देश को अवगत कराया कि देश के भंडार अनाज से भरे हैं, लेकिन शायद प्रधान मंत्री जी भूल गए कि जिन किसानों ने अपनी मेहनत के बल पर देश के अनाज के भंडारों को भरने का काम किया है, उनकी देश में कितनी दुर्दशा है।

भारत सरकार ने इस साल धान का न्यूनतम मूल्य 530 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है और 20 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त सूखा राहत की बोनस के रूप में देने के नाम पर निर्धारित किया है। इस प्रकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसान को 550 रुपए प्रति क्विंटल धान का मूल्य देने की घोषणा केन्द्र सरकार ने की है।

हम उत्तर प्रदेश के जिस पूर्वी क्षेत्र से चुनकर आते हैं वह इलाका धान–बहुल इलाका है। वह इलाका गन्ना–बहुल इलाका है। हमारे यहां 15 अक्टूबर, 2002 से धान की फसल बाजारों में आ चुकी है, लेकिन मार्केट में 375, 380 और 390 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान का मूल्य बिचौलियों द्वारा किसानों को दिया जा रहा है। कहां तो उनको 550 रुपए प्रति क्विंटल मिलना चाहिए और कहां उनको इस सूखे की भयंकर विभीषिका में अधिक परिश्रम करके, अधिक मेहनत करके जो उन्होंने कुछ जनपदों में धान का रिकार्ड उत्पादन किया उसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए था, लेकिन केन्द्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण, उनकी लापरवाही के कारण, बिचौलियों से उनकी मिलीभगत के कारण आज धान के किसानों की भयंकर पैमाने पर लूट हो रही है।

महोदय, जहां धान के किसानों की भयंकर लूट हो रही है वहां गन्ना किसानों की हालत भी पूरे देश में अत्यन्त दयनीय है। आज गन्ना किसान मेरठ से बलिया तक और देवरिया से गाजियाबाद तक अपनी फसल को खेतों में जलाने के लिए मजबूर हैं क्योंकि अभी तक केन्द्र सरकार ने गन्ने के किसानों के लिए गन्ना मिलों के संदर्भ में कोई नीति निर्धारित नहीं की है। भारत सरकार ने किसानों के गन्ने का मूल्य 62 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित कर दिया कि भारत सरकार गन्ने का जो मूलय निर्धारित करेगी, उसी मूल्य पर मिल मालिक किसानों से गन्ना खरीदेंगे। भारत सरकार के इस निर्णय से उत्तर प्रदेश में अजीबो–गरीब स्थिति पैदा हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : आप दो मिनट में कन्कलूड कीजिए।

(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष गन्ना किसानों को 95 रुपए और 100 रुपए क्विंटल की दर से दाम मिला था। इस साल इस सूखे की भयंकर स्थिति में अगर 62 रुपए क्विंटल की दर से गन्ना किसानों को दाम दिया जाएगा तो इससे उनको गन्ने का दाम भी नहीं निकल पाएगा फिर गन्ना किसानों के सामने गन्ना जलाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहेगा।

हम इस सदन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार

को चीनी मिल–मालिकों और गन्ना किसानों को बैठकर एक स्पष्ट नीति निर्धारित करनी चाहिए तथा गत वर्ष गन्ना किसानों को जितना मूल्य दिया जाता था, कम से कम उतना मूल्य निर्धारित करना चाहिए। इसके साथ–साथ सरकार की चीनी उठाने की जो नीति है, वह भी दोषपूर्ण है। यदि सरकार चीनी मिलों से चीनी की उठान जारी नहीं करेगी तो मिल मालिकों के समक्ष भी कठिनाइयां आएंगी। चाहे वह सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलें हों या गन्ना क्षेत्र की चीनी मिलें हों। ...*(व्यवधान)* यह बहुत गंभीर सवाल है। अगर सरकार इस पर जवाब नहीं देगी तो हमारा इस सदन में वक्तव्य देने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बोलते हुए आगे क्यों आ रहे हैं? सबसे पहले आप पीछे जाइए।

(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह नहीं होगा। अगर आप वेल में आएंगे तो मैं हाउस को एडजर्न कर दूंगा। आप बैठिए।

(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज किसान त्राहि–त्राहि कर रहा है। इस सवाल पर सरकार बहुत संवेदनहीन हो चुकी है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार को बोल रहा हूं, लेकिन पहले आप बैठिए।

(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि आपने भी समाचार–पत्र देखे होंगे, इलेक्ट्रानिक मीडिया को भी सुना होगा कि किस तरह से किसान आज व्यथित है। आज वह आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। एक तरफ इस सूखे की मार में किसानों को राहत दी जानी चाहिए, उसके आंसू को पोछा जाना चाहिए वहीं दूसरी तरफ सरकार में बैठे हुए लोग किसान की दुर्दशा पर ठहाके लगाने का काम कर रहे हैं। किसान के साथ यह क्रूर मजाक है, धोखाधड़ी है। कल प्रधान मंत्री जी ने इस सदन के अंदर जो वक्तव्य दिया, हम सरकार चलाने वाले लोगों से पूछना चाहते हैं कि यदि उन्हें प्रधान मंत्री जी के प्रति थोड़ा–सा भी सम्मान है...*(व्यवधान)* आज भारत सरकार के कृषि मंत्री को सदन के पटल पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। गन्ना किसानों की समस्या का निराकरण कैसे होगा, हम यह जानना चाहते हैं। यहां पर प्रधान मंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री जी बैठे हुए हैं। आदरणीय जार्ज साहब बैठे हुए हैं। वे हमारे नेता रहे हैं। उन्होंने ही हमको राजनीति की ए, बी, सी, डी सिखाने का काम किया है। हम जार्ज साहब से कहना चाहते हैं कि आपने उत्तर प्रदेश से लेकर देश भर के गन्ना किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया है इसलिए आप देखिए कि आज गन्ना किसानों की हालत क्या हो गई है? मैं आपसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि इस सवाल पर ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको क्या चाहिए? क्या आप नहीं सोचते कि दूसरों को भी बोलने का चांस मिले?

(व्यवधान)

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : अध्यक्ष महोदय, गन्ने के विषय को लेकर सरकार पहले से ही चिंतित है। इस विषय से संबंधित जो मंत्री हैं, मैं उन तक माननीय सदस्य की भावनाओं को पहुंचा दूंगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी चर्चा नहीं हो सकती।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को सूचित करना चाहूंगा कि हाल ही में पाकिस्तान की तरफ वीरावल सीमा क्षेत्र में पांच भारतीय मछुआरे गिरफ्तार किए गए हैं। वे लोग श्रीकाकुलम जिले के कुंडुवानीपेटा गाव के रहने वाले हैं। यह आंध्र प्रदेश में मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आता है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मत्स्य मंत्री ने भी आंध्र प्रदेश विधान सभा को सूचित किया है कि वे केन्द्र के साथ इस मामले को उठा रहे हैं।

इस संबंध में मैंने विदेश मंत्री को पत्र लिखा है कि

इस मामले में बिना देरी के आगे कार्यवाही की जाए। उनके माता–पिता बहुत दुखी हैं। दिदेश मंत्री का यह कर्त्तव्य है कि बिना किसी विलंब के इस मामले में शीघ्रताशीघ्र कार्यवाही करें।

मैं आपके माध्यम से माननीय विदेश मंत्री से इन लोगों की तुरंत रिहाई हेतु अनुरोध करता हूं। इन लोगों के माता-पिता बहुत दुखी हैं। वे सिर्फ इन्हीं लोगों पर आश्रित हैं। जीने के लिए उनके पास कोई संपत्ति और जायदाद नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय विदेश मंत्री से उनकी सहायता करने का अनुरोध कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) : अध्यक्ष महोदय, मौलाना आजाद मेडिकल कालेज की एक छात्रा के साथ दिन–दहाड़े राजधानी दिल्ली में दुष्कर्म किया गया। आज तक वह अपराधी पकड़ा नहीं गया। इस घटना से सारा महिला समाज दहशत में है।...*(व्यवधान)* दिल्ली की ही नहीं बल्कि पूरे देश की महिला समाज दहशत में है कि राजधानी दिल्ली जो देश की नाक है, देश का हृदय है, वहां जब स्कूल की छात्राएं सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो अन्य प्रदेशों की क्या हालत होगी?

आज जो हालत है, चाहे स्कूल की छात्राएं हों, चाहे कालेज की छात्राएं हों और चाहे कामकाजी महिलाएं हों, वे जब घर से निकलती हैं तो उनके दिल में यही भावना होती है कि हम सुरक्षित वापिस लौट पाएंगे या नहीं। जब वे सुरक्षित वापिस लौटती हैं तो ईश्वर का लाख–लाख धन्यवाद करती हैं। दिल्ली शहर में कानून–व्यवस्था की हालत बिल्कुल बिगड़ गई है। यही कारण है कि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वे किसी भी दुष्कर्म को अंजाम देने के लिए रात का भी इंतजार नहीं करते। वे दिन–दहाड़े घटना को अंजाम देते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कोई मंत्री यहां नहीं बैठते ताकि जीरो आवर के महत्वपूर्ण विषय को भी सुनें, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि पुलिस अपराधियों को पकड नहीं पाती और कभी–कभार पकड़ भी लेती है तो न्याय प्रक्रिया इतनी लंबित रहती है कि अपराधियों को जल्दी सजा नहीं मिल पाती।...*(व्यवधान)* देश में पचास फीसदी महिलाएं हैं। विकास के दो पहियों में से वे एक पहिया महिलाएं हैं। मैं जानना चाहती हूं कि सरकार पूरे देश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करने जा रही हैं। हम यह भी जानना चाहते हैं कि जो व्यक्ति बलात्कार करता है, उस बलात्कारी के लिए सरकार कौन सी कठोर सजा सुनाने जा रही है? क्या उसे धारा 302 के तहत मौत की सजा सुनाएगी या आजीवन कारावास की सजा निर्धारित करेगी? हम चाहते हैं कि यह निर्धारित हो ताकि कोई बलात्कारी ऐसी हिम्मत न करे।

जिस प्रदेश में यह घटना होती है, क्या सरकार वहां की स्थानीय सरकार को बरखास्त करेगी? यदि यह सब नहीं करेगी तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार और क्या करने की सोच रही है? महिला सशक्तीकरण वर्ष भी मनाया गया, यह सब काम भी हुआ लेकिन वास्तव में महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया गया। सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करने जा रही है? हमें इसका जवाब चाहिए।

अपराह्न 1.17 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.07 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.07 बजे पुनः समवेत हुई।

(श्री पी. एच. पांडियन *पीठासीन हुए)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा में नियम 377 के अधीन मामले लिए जाएंगे।

[हिन्दी]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 पर नागफिनी गांव में कोईल नदी पर पुल का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता

प्रो. दुखा भगत (लोहरदगा) : झारखंड के राष्ट्रीय राजमार्ग 23 पर दक्षिण कोईल नदी है। इस मार्ग के ग्राम नागफिनी के आसपास के इलाकों के दौरान बरसात के दिनों में दक्षिण कोईल नदी उफान पर रहती है। बरसात के दिनों

[प्रो. दुखा भगत]

मैं नदी के पार जाने के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं। दूसरी तरफ जाने के लिए 100 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। यह सिलसिला प्रत्येक वर्ष हो रहा है। यह क्षेत्र गुमला क्षेत्र में स्थित है जो अत्यन्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र है।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बरसात के दिनों में लोगों की आवाजाही की सुविधा के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 23 के कोईल नदी पर ग्राम नागफिनी के पास एक पुल बनाया जाए।

[अनुवाद]

(दो) उड़ीसा में दैतारी-बांसपानी रेललाइन का निर्माण शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

श्री अनन्त नायक (क्योंझर) : उडीसा में दैतारी–बांसपानी 155 किलोमीटर लाइन के निर्माण कार्य को पूरा करने मे अत्यधिक विलंब हुआ है। चालू रेल लाइन राज्य के उन पिछड़े क्षेत्रों से होकर गुजर रही है जो काफी खनिज संसाधनों से संपन्न हैं। यदि इस लाइन का निर्माण कार्य एक बार पूरा हो जाएगा तो निर्यात प्रयोजनों हेतु पारादीप पत्तन तक लौह अयस्क, मैगनीज, बॉक्साइट और कई अन्य खनिजों की ढुलाई में आसानी हो जाएगी। इन उच्च गुणवत्ता वाले खनिजों जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी मांग है के निर्यात से राज्य को रॉयल्टी मिलेगी और राष्ट्रीय कोष में विदेशी मुद्रा की वृद्धि होगी। इसके अलावा इससे अत्यधिक गरीबी में जीवन–यापन कर रहे स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इन बातों के मद्देनजर मैं मांग करता हूं कि दैतारी–बांसपानी लाइन के निर्माण–कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2002–03 में पर्याप्त केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की जाए।

[हिन्दी]

(तीन) उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 के 262वें कि.मी. पर राप्ती नदी पर नए पुल का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : महोदय, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर वर्ष 1964 में कि.मी. 262 पर राप्ती नदी पर 9 स्पान का 410 मीटर लंबा वैलेंस कांटीलीवर सेतु बनाय गया था। 38 वर्ष बाद उक्त सेतु काफी जर्जर अवस्था में है जबकि यातायात का भार 1964 की तुलना में कई गुना बढ़ गया है। संकरा व कमजोर होने के कारण अब यह पुल भारी बोझ 40,000 पी.सी.यू. सहन करने की स्थिति में नहीं रह गया है। सेतु के सस्पैंडिड स्पेन की कुछ बेयरिंग भी झुक गई थीं जिन्हें वर्ष 1999–2000 में मरम्मत किया गया है। बिहार, बंगाल, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के अलावा नेपाल जाने के लिए यह एकमात्र सेतु है। इसके अलावा गोरखपुर उत्तरी भारत का प्रमुख पर्यटन स्थल होने के कारण बड़ी मात्रा में पर्यटक आते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 29 और रा.रा.मा. संख्या 28 का यातायात के लिए एकमात्र सेतु होने के कारण घंटों यातायात बाधित रहता है।

अतः मैं सदन के माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि गोरखपुर के राष्ट्रीय मार्ग संख्या 28 के कि. मी. 262 में राप्ती नदी पर नये सेतु निर्माण का प्रावधान भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक योजना में सम्मिलित किया जाए।

[अनुवाद]

(चार) उड़ीसा में सूखे से प्रभावित लोगों को राहत उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री के. पी. सिंह देव (ढेंकानाल) : उड़ीसा में काफी गंभीर स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि राज्य के काफी बड़े हिस्से को इस वर्ष भयंकर सूखे का सामना करना पड़ रहा है। उड़ीसा सूखा, चक्रवात, बाढ और ऐसी ही कुछ प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता रहा है। इस वर्ष के सूखे से सूखा प्रवण जिलों के किसानों और कृषि श्रमिकों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। दूसरी ओर जरूरतमंदों को समय पर सहायता नहीं पहुंची है। फसलों के न होने से आजीविका हेतु किसानों के पास किसी तरह का रोजगार नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में वे अपना घर छोड़कर सूरत, मुम्बई, हैदराबाद और दिल्ली जैसे दूरवर्ती क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं। सूखा प्रभावित क्षेत्रों के इन भूखे लोगों की दुर्दशा बयान नहीं की जा सकती।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह युद्धस्तर

पर राहत और पुनर्वास कार्य शुरू करे। सूखे से प्रभावित सभी जिलों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया जाए। श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए केन्द्रीय योजनाओं के तहत रोजगार सृजित किए जाएं।

[हिन्दी]

(पांच) बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य की लंबित रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : महोदय, सड़कों के समान ही बिहार राज्य में रेल मार्ग की स्थिति भी शोचनीय है। नई रेल लाइनो के बिछाने और रेल लाइन के आमान परिवर्तन एवं दोहरीकरण, रेल पुल के निर्माण, ट्रैकों के विद्युतीकरण तथा रोड ओवर ब्रिज/अंडर ब्रिज के निर्माण हेतु निम्नांकित योजनाएं शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त धनराशि मुहैया कराने हेतु केन्द्रीय सरकार के रेल मंत्रालय से पूरे राज्य में विकास हेतु आग्रह करता हूं। योजनाएं इस प्रकार की हैं–

(1) राजगीर, इस्लामपुर, (2) दनियावां, बिहारशरीफ, शेखपुरा, (3) देवघर, सुल्तानगंज।

इसके साथ–साथ रेलवे विद्युतीकरण निम्नांकित लाइनों में किया जाए–

(1) क्यूल, साहेबगंज, (2) गया, क्यूल, (3) राजगीर, इस्लामपुर, (4) दनियावां, बिहारशरीफ और शेखपुरा।

पुलों का निर्माण क्यूल, सिरारी, शेखपुरा, बारसलिगंज, नवादा, तिलैया, गया के नये पुलों का जीर्णोद्धार तथा करौता के पास रेल अंडर पुल का निर्माण कराना।

मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाकर आग्रह करना चाहता हूं कि अविलम्ब इसे स्वीकृत कर योजनाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ कराने की कृपा की जाए।

[अनुवाद]

(छह) अस्पृश्यता संबंधी कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता

श्री एस. अजय कुमार (ओट्टापलम) : महोदय, हमारी स्वतत्रता के 50 वर्ष बाद भी तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के होने के बावजूद हमारे देश के अनेक भागों में विशेषकर तमिलनाडु के दक्षिण भाग में अस्पृश्यता की घृणित प्रथा अब भी है।

तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में कई चाय की दुकानों में सवर्ण हिन्दुओं के दबाव में अछूतों के लिए अलग चाय का गिलास रखने की भेदभावकारी प्रथा अब भी है। हालाकि यह घृणित प्रथा सब जगह है पर संबंधित अधिकारी इस घृणित सामाजिक बुराई को कठोरता से रोकने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं और इस ओर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। कभी–कभी वे इस घृणित कृत्य करने वालों से मिले हुए भी पाए गए हैं। अधिकांश मामलों में पीड़ित सवर्ण हिन्दुओं के अत्याचार के डर से शिकायत दर्ज कराने से मना कर देते हैं या शिकायत पर बिलकुल भी ध्यान नहीं देते हैं।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह स्थिति की गंभीरता पर ध्यान दे और ऐसी अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रभावी उपाय करे।

[हिन्दी]

(सात) उत्तर प्रदेश के खीरी जिले में सूखा प्रभावित किसानों को राहत प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : सभापति महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र जनपद खीरी पूरे तौर पर सूखे से प्रभावित हुआ है। खरीफ की फसल बडे पैमाने पर नष्ट हो चुकी है। बिजली का अभाव बना हुआ है और चीनी मिलों पर लोगों का करोड़ों रुपया बकाया पड़ा हुआ है। सरकारी वसूली जबरदस्त तरीके से की जा रही है। क्षेत्र की अर्थव्यवस्था टूट रही है और ग्रामीण मजदूर शहरों की ओर मजबूर होकर भाग रहे हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि युद्ध स्तर पर कदम उठाते हुए ग्रामीण रोजगार की व्यवस्था करें तथा कृषि बीमा के माध्यम से किसानों को हुए नुकसान का भरपूर मुआवजा तत्काल देने का कष्ट करें।

[हिन्दी]

(आठ) महाराष्ट्र के नासिक जिले में भोअरगढ़ में राडार केन्द्र के निकट मशरूल में रह रहे अनुसूचित जनजातियों के लोगों के प्रस्तावित निष्क्रमण से उत्पन्न समस्याओं की जांच किए जाने की आवश्यकता

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : महोदय, भोअरगढ़, तहसील दिंडोरी, जिला नासिक, महाराष्ट्र में रडार यंत्र स्थित है। भोअरगढ से 13 किलोमीटर दूर मशरुल के पास 25 हजार आबादी, बडे–बड़े मकान बनाकर रहते हैं और आदिम जाति के लोगों ने मकान बनाने के लिए जगह खरीदी है। यहां नया संकट पैदा हो रहा है। रडार के अधिकारियों ने लोगों को नोटिस भी दे दिया है। 900 मीटर तक अन्य बस्तियों को रहना नहीं चाहिए, उठाना चाहिए। ऐसा होने से उनको भारत सरकार ने करोडों रुपया मुआवजा देना जरूरी है। नासिक जिले के कलेक्टर साहब ने संरक्षण विभागों को रिपोर्ट दे दी है कि पुरानी बस्ती यहां से उठाना और नए मकान बनाने के लिए पाबन्दी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि रडार यंत्र बस्ती से 13 किलोमीटर दूर है।

भारत सरकार से मेरी आपके माध्यम से विनती है कि इस संबंध में खास ध्यान देकर 25 हजार लोगों के ऊपर जो कठिनाई पैदा हो रही है, यह कठिनाई तुरन्त दूर करनी चाहिए और लोगों के मन में जो डर है, वह दूर करना चाहिए।

[अनुवाद]

(नौ) कुवैत से निष्क्रान्त उन भारतीयों के मामले को संयुक्त राष्ट्र प्रतिकर आयोग के साथ उठाए जाने की आवश्यकता जो समय सीमा समाप्त हो जाने के कारण प्रतिकर प्राप्त नहीं कर पाए थे

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, इराक–कुवैत युद्ध के परिणामस्वरूप कुवैत से विस्थापित अनेक भारतीय जानकारी न होने के कारण संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग द्वारा निर्धारित नये प्रपत्र में मुआवजे के लिए समय पर पुनः निवेदन नहीं कर सके। इन विस्थापितों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है। केरल सरकार अन्य लोगों और खुद मैंने सरकार से अनुरोध किया कि वह मुआवजे दावों संबंधी तिथि बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग पर दबाव बढ़ाएं। मैं एक बार फिर सरकार से अनुरोध करता हूं वह संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग के साथ इस मामले को उठाए और तिथि बढ़ाने के संबंध में इस पर दबाव डाले। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह भारतीय विस्थापितों की दुर्दशा पर विचार करे और उनकी सहायता और कल्याण के लिए विशेष उपाय करे।

[हिन्दी]

(दस) संत गुरु घासी दास जयन्ती 18 दिसम्बर को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : महोदय, निवेदन है कि संत बाबा घासी दास जी का जन्म ग्राम गिरौदा पुरी, तहसील बलौदा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ में 18 दिसम्बर, 1766 को हुआ था। इनके जीवन में प्रकाश लेकर आया। शोषित समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने हेतु उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके अनुयायी छत्तीसगढ़ मे ही नहीं बल्कि पूरे देश में फैले हुए हैं। इन्होंने सतनाम धर्म की स्थापना की तथा प्रतीक चिह्न के रूप में गुरु गद्दी एवं गांव–गांव में पहचान की दृष्टि से जय स्तम्भ निर्माण का संदेश दिया। उन्होंने अपनी मृतक पत्नी सपुरा माता को सतनाम का अमृत पिलाकर जिन्दा कर दिया तथा भंडारपुरी से लगे ग्राम तैलाशी में एक मृतक बछिया एवं मृतक व्यक्ति को सतनाम रूपी अमृत देकर जिन्दा कर दिया। उक्त चमत्कार से आश्चर्यचकित होकर उक्त समाज के लोग सतनाम धर्म स्वीकार कर बाबा जी के अनुयायी बन गए। वर्षों पूर्व मध्य प्रदेश ने उक्त बाबा के जन्म दिन पर 18 दिसम्बर को सार्वजनिक छुट्टी घोषित की थी।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि 18 दिसम्बर को राष्ट्रीय सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए, जिससे कि उनके अनुयायी बाबा जी की उपासना एवं श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें।

अपराह्न 2.21 बजे

[अनुवाद]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (दूसरा) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन विधेयक

सभापति महोदय : अब सभा मद संख्या 23 और 24 पर एक साथ विचार करेगी।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 21 अगस्त, 2002 को प्रख्यापित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (दूसरा) अध्यादेश, 2002 (2002 का संख्यांक 3) का निरनुमोदन करती है।"

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : मैं प्रस्ताव* करता हूं

"कि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन का विनियमन और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इस सरकार ने संसद तथा स्थायी समितियों से बचने के लिए अध्यादेश का रास्ता चुना है।

स्थायी समितियों का गठन महत्वपूर्ण विधेयकों की जांच करने के लिए किया गया था। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सभी विधेयकों को स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए, लेकिन इस तरह के महत्वपूर्ण विधेयकों को स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए। स्थायी समिति द्वारा बिना किसी जांच के इस अध्यादेश को पहले जून में प्रख्यापित किया गया था और विधेयक पुरःस्थापित किया गया था। लेकिन वह विधेयक पारित नहीं हो सका था। तब पुनः इसे 22 अगस्त को प्रख्यापित किया गया था क्योंकि इसके प्रख्यापन के दो माह के भीतर इसे कानून का रूप नहीं दिया गया था।

अंतरसत्रावधि के दौरान पांच अध्यादेश प्रख्यापित किए गए। यहां तक कि सभा आहूत किए जाने के दिन भी, एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था। सभा शाम में आहूत की गई और अध्यादेश को सुबह में प्रख्यापित किया गया था। इस तरह से यह सरकार धीरे–धीरे संसद और स्थायी समितियों से बच रही है।

इस अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य गैर–निष्पादनीय आस्तियों के खतरे को रोकना था। मुझे नहीं समझ में आता कि जब यह निष्पादन नहीं कर सकते तो इन्हें आस्ती क्यों कहा जाता है। इसे सबसे पहले जून के महीने में प्रख्यापित किया गया था। पहले ही पांच महीने बीत गए हैं। पांच महीनों तक अध्यादेश रहने के बावजूद, और ऐसी संस्था के होते हुए भी गैर–निष्पादनीय आस्तियों में हो रही वृद्धि को रोका नहीं जा सका।

चालू वर्ष में गैर–निष्पादक आस्तियों में लगभग 11 प्रतिशत वृद्धि हुई है। अब यह 70,904 करोड रुपए हो गई है। एक अध्यादेश प्रख्यापित होने के बावजूद उधार लेने वालों ने चालू वर्ष में चूक किया है। अध्यादेश प्रख्यापित होने के बाद, सरकार ने पहले ही कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। लेकिन क्या परिणाम निकला? सरकार चूक करने वालों पर कोई रोक या कभी कोई कठोर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई?

इसी सभा में हम बार–बार मांग करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि चूक करने वालों के विरुद्ध कुछ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। हम निरंतर यह मांग भी करते रहे हैं कि चूक करने वालों के नामों की सूची सभा पटल पर रखी जाए। उनके नामों का खुलासा किया जाना चाहिए। इस बारे में मुझसे ज्यादा आप जानते हैं।

मैंने इस सभा में इंडियन बैंक के मुद्दे को उठाया था। एक वर्ष में उस बैंक ने करीब 500 करोड रुपए का लाभ अर्जित किया, लेकिन अगले ही वर्ष, 1996–97 में उसी बैंक को 450 करोड रु. का घाटा हुआ। ऐसा क्यों हुआ? मैंने उन कम्पनियों के नामों की सूची पढी जिन्होंने 10 करोड

*विधेयक को 17.7.2002 को पुरःस्थापित किया गया।

[श्री बसुदेव आचार्य]

रुपए, 15 करोड़ रुपए और 20 करोड़ रुपए की भारी राशि का ऋण लिया। आप जानते हैं कि चूक करने वाली उन कम्पनियों के मालिक कौन हैं। यही कारण है कि उस बैंक को इतना घाटा हुआ। यह किसी एक बैंक का ही मामला नहीं है, यही हाल अधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंकों का है।

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों की गैर–निष्पादक आस्तियों के संबंध में एक रिपोर्ट जारी की है। यदि आप इस रिपोर्ट को पढें तो आप जान सकते हैं कि किस प्रकार से यह खतरनाक प्रवृत्ति बढ रही है। वर्ष 1992–93 में गैर–निष्पादनीय आस्तियों की कुल राशि 39,253.14 करोड़ रुपए थी।

वर्ष 1993–94 में यह राशि 41,000 करोड रुपए थी। यह कैसे प्रत्येक वर्ष बढ रही है? लेकिन अगले ही वर्ष 1994–95 में कमी आई। पुनः वर्ष 1996–97 में यह बढ गयी, वर्ष 1997–98 में इसमें वृद्धि हुई, जब यह आंकड़ा बढ़कर 45,652 करोड रुपए हो गया। वर्ष 1998–99 में, यह 51,000 करोड रुपए थी और उसके यह 53,000 करोड़ रु. हो गई और फिर 54,000 करोड़ रुपए। अब यह 70,904 करोड़ रुपए हो गई है। यदि आप गैर–प्राथमिकता क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों की गैर–निष्पादनीय आस्तियों को देखें, तो इलाहाबाद बैंक के मामले में यह 56.90 प्रतिशत है। मैं न तो प्राथमिकता क्षेत्र की बात कह रहा हूं, न लघु उद्योग क्षेत्र की और न ही कृषि क्षेत्र की। मैं गैर–प्राथमिकता क्षेत्र की बात कह रहा हूं। कृषि क्षेत्र में, यह केवल 10.04 करोड़ रुपए है। गैर–प्राथमिकता क्षेत्र में आंध्र बैंक का आंकड़ा 50.68 करोड रुपए है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में गैर–प्राथमिकता क्षेत्र में गैर–निष्पादक आस्तियों का प्रतिशत 50 से भी अधिक है। भारतीय स्टेट बैंक के मामले में यह 48.51 करोड रुपए है और स्टेट बैंक ऑफ त्रावनकोर के मामले में यह 62.85 करोड रुपए है। यह चौंकाने वाली बात है कि इसमें इतनी तेजी से वृद्धि हो रही है।

विकास और वित्तीय संस्थानों के मामले में, विशेषकर आई.डी.बी.आई. के मामले मे, मार्च, 1988 में, यह राशि 5,101 करोड़ रुपए थी। मार्च, 2001 में यह बढकर 10,880 करोड़ रु. हो गई। मार्च, 1998 में, आई.सी.आई.सी.आई का आंकड़ा 2,811 करोड रुपए का था जो मार्च, 2001 में बढकर 5,986 करोड रुपये हो गया। इसी तरह से, आई.एफ.सी.आई. के मामले में यह 2,663 करोड रुपए था जो बढकर 6,077 करोड रुपए हो गया। यह दोगुने से भी ज्यादा है। यही मामला आई.आई.बी.आई और एस.आई.डी.बी.आई का है। एस.आई.डी. बी.आई. का वर्तमान आंकड़ा उपलब्ध नहीं है लेकिन 2001 का आंकड़ा उपलब्ध है। फिर भी, सभी वित्तीय संस्थानों के मामले में गैर–निष्पादक आस्तियों के प्रतिशत में वृद्धि हुई है। आई.डी.बी.आई. का प्रतिशत 14.8 है। आई.एफ.सी.आई. का प्रतिशत 21 है, और आई.आई.बी.आई के मामले में यह 16.1 प्रतिशत है। गैर–निष्पादक आस्तियों के संबंध में स्थिति ऐसी ही है।

मैं एक मुद्दे पर माननीय मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा। हमें भी यह महसूस होता है कि इस मामले पर निगरानी रखने की सख्त जरूरत है, क्योंकि इसी सभा में उन्होंने गैर–निष्पादक आस्तियों को लूट बताया था न कि अशोध्य ऋण। यह सही है। उन्हें अब यह महसूस हुआ है कि ये अशोध्य ऋण नहीं है। यदि यह लूट है, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों को इस अशोध्य ऋण की कुछ राशि को बट्टे–खाते में डालने की अनुमति कैसे दी गई? पिछले वर्ष बट्टे–खाते में डाले गए ऋण की राशि का आंकडा मेरे पास है। स्टेट बैंक के मामले में 450 करोड रु. से भी अधिक की राशि बट्टे–खाते में डाली गई।

मंत्री महोदय ने इसे 'लूट' न कि 'अशोध्य ऋण' के रूप में बिलकुल सही वर्णन किया है। यदि यह लूट है, तो बैंक को गैर–निष्पादक आस्तियों के कुछ प्रतिशत को बट्टे–खाते में डालने की अनुमति कैसे दी गई? किसके ऋण को बट्टे–खाते में डाला गया? मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; उनमें से कितनों को सजा दी गई; और कितनों को धन लूटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यदि यह लूट है, तो कुछ विधिक कार्रवाई की जानी चाहिए थी। इस अध्यादेश के प्रख्यापन के बाद कितनी राशि वसूली गई? ऐसा इसलिए कि इस अध्यादेश के प्रख्यापन का मुख्य उद्देश्य चूककर्ताओं से धनराशि की वसूली करना था। कितनी राशि की वसूली की गई है?

मंत्री महोदय ने कहा था कि 1 अप्रैल, 2002 की स्थिति के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक की गैर–निष्पादनीय आस्तियों की कुल राशि 15,485.85 करोड रुपए थी। 4,137 करोड

रुपए की कुल राशि की वसूली की गई थी। ऐसा इसलिए कि हमारे यहां ऋण वसूली न्यायाधिकरण है। कुछ वर्ष पहले ही इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। ऋण वसूली न्यायाधिकरण की स्थापना के बाद कितनी राशि की वसूली की गई? उसमें एक कमी थी। ऋण वसूली न्यायाधिकरण स्थिति से निपटने में समर्थ नहीं था। इसी कारण सरकार ने यह महसूस किया कि एक दूसरा संगठन होना चाहिए और परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण के लिए एक दूसरा अधिनियम होना चाहिए। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य गैर–निष्पादनीय आस्तियों को कम करना और गैर–निष्पादनीय आस्तियों के रूप में पड़ी हुई राशि की वसूली करना है।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वर्ष 1999 से वर्ष 2002 तक की अवधि के दौरान 15485.85 करोड रुपए में से केवल 4,137 करोड रुपए की ही वसूली की गई। यह राशि एक-चौथाई से थोड़ी सी अधिक है। वर्ष 1999 में 414 करोड़ रुपए, वर्ष 2000 में 414 करोड़ और वर्ष 2001 में 98 करोड़ रुपए की राशि बट्टे–खाते में डाली गई थी। इस राशि में अचानक वृद्धि क्यों हुई? यह 414 करोड़ रुपए से बढ़कर 984 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। तत्पश्चात्, वर्ष 2002 के दौरान 2,492 करोड रुपए की राशि बट्टे–खाते में डाली गई। अशोध्य ऋण को बट्टे–खाते में डालने का क्या मानदंड है?

यदि यह डूबी रकम नहीं है तो फिर भारतीय स्टेट बैंक को अशोध्य ऋण बट्टे–खाते में डालने की अनुमति क्यों दी गई? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में हम चाहते हैं कि वित्त मंत्री हमें जानकारी दें।

वह हमें इसके बारे में अवगत कराएंगे। अध्यादेश को प्रख्यापित करने की क्या जल्दी थी? अध्यादेश को पिछले सत्र में क्यों नहीं प्रतिस्थापित किया गया? यदि कोई जल्दी थी तो पिछले सत्र में अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने हेतु विधेयक पारित करने से माननीय मंत्री को किसने रोका था? यह पुन: प्रख्यापित किया गया था। सत्र पहले क्यों स्थगित किया गया?...*(व्यवधान)* हम नहीं चाहते थे कि सत्र को स्थगित किया जाए। उसके लिए कौन जिम्मेदार था? हम विपक्ष में इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। मेरे मित्रो, आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए, इसे प्रतिस्थापित क्यों नहीं किया गया था? पहले अध्यादेश के प्रख्यापन से अब तक क्या कार्यवाही की गई? यह अच्छी परिपाटी नहीं है। एक अध्यादेश प्रख्यापित हुआ और इसका प्रतिस्थापन नहीं किया जा सका। फिर जब उस सत्र में उसे प्रतिस्थापित नहीं किया गया तो इसका पुन: प्रख्यापन किया गया। हमारे पास उदाहरण हैं कि एक अध्यादेश को तीन बार प्रख्यापित किया गया था।

अब, मैं स्थायी समिति की अनदेखी करने की पद्धति की बात करता हूं। स्थायी समिति ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक की छानबीन करने के लिए है। यह महत्वपूर्ण विधेयक है। परन्तु स्थायी समिति को ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक की छानबीन करने का कोई मौका नहीं मिला। फिर, यदि उस समिति के पास ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक की छानबीन करने की शक्ति नहीं है तो वित्त संबंधी स्थायी समिति रखने का क्या लाभ है? इसलिए, मैं कठोर उपाय करने के खिलाफ नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि और कठोर उपाय किए जाएं क्योंकि यह सभा की मांग है। गत कई वर्षों से हम हमेशा कहते रहे हैं कि जो चूककर्ता हैं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उनमें से कितनों को गिरफ्तार किया गया? उनकी सूची सभा पटल पर रखी जानी चाहिए ताकि लोगों को उनके बारे में पता चले जिन्होंने धन लूटा है। जैसा कि माननीय मंत्री ने सभा में इसके बारे में बताया है, उन चूककर्ताओं ने जनता का पैसा, हमारे देश के लोगों का पैसा लूटा है।

मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 21 अगस्त, 2002 को प्रख्यापित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (दूसरा) अध्यादेश, 2002 (2002 का संख्यांक–3) का निरनुमोदन करती है।"

"कि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन का विनिमयन और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई, उत्तर पूर्व) : सभापति महोदय, माननीय बसुदेव आचार्य जी ने जो भावना व्यक्त की है, मैं

[श्री किरीट सोमैया]

उससे सहमत हूं। उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि देश में विभिन्न बैंक्स और फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशंस ने कितना एन. पी.ए. जनरेट किया। उन्होंने इसका बहुत सुंदर और सही वर्णन किया है। अगर श्री बसुदेव आचार्य जी की स्पीच की तुलना पिछले दस सालों के विभिन्न समय पर, विभिन्न पार्टियों के विभिन्न वक्ताओं की सपीचेज से की जाए, चाहे वे इस साइड के हों, उस साइड के हो या थर्ड फ्रंट के हों, अगर उनके भाषणों से उनके भाषण की तुलना की जाए तो हमारे ध्यान में आएगा कि कभी श्री बसुदेव आचार्य जी यह भाषा बोल रहे हैं, कभी बी.जे.पी. का व्यक्ति यही भाषा बोल रहा था और कभी कांग्रेस के लोगों ने भी यही भावनाएं व्यक्त की हैं। रोज हमारे सबके ध्यान में यह आया है कि हमारे यहां जो फाइनेंशियल सिस्टम है, वह फाइनेंशियल सिस्टम नये–नये रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इंडस्ट्रियल इकोनोमी ग्रोथ के लिए, हमारी इकोनोमी ग्रोथ टोटल जी.डी.पी. छः परसेंट के ऊपर जाए, इस दृष्टि से, इस भावना से हमने इस सदन में इस प्रकार का सिस्टम तैयार किया। लेकिन हममें से हर एक व्यक्ति ने कभी न कभी, कहीं न कहीं यह चिंता व्यक्त की हमारी भावना तो अच्छी थी, लेकिन उसका इम्पलीमैन्टेशन क्या हो रहा है।

आज परिस्थिति क्या है? बसुदेव जी ने कहा और विभिन्न समय पर वक्ताओं ने भी कहा कि लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का, 25 हजार करोड रुपये का, 50 हजार करोड़ रुपये का या एक लाख करोड़ रुपये का एन.पी.ए. है। मैं मानता हूं कि यह एक लाख करोड रुपये का एन.पी.ए. कोई दो–तीन साल की पैदाइश नहीं है। माननीय जसवंत जी जब वित्त मंत्री बने, उसके कारण यह नहीं हो गया या यशवंत सिन्हा जी के कारण यह नहीं हुआ। मैं आपके सामने कुछ आंकडे रखना चाहूंगा। इसी विषय पर इसी प्रकार की चर्चा 15 साल पहले भी हुई थी और उस समय बी.आई.एफ.आर. की रचना की गई थी। बी.आई.एफ.आर. की परिस्थिति देखें। यदि कोई उसका या डैट रिकवरी ट्रिब्यूनल का पोस्टमार्टम करे तो पता चलेगा और हमारे यहां मराठी में एक कहावत है कि–'रोगापेक्षा उपचार महात।' यानी, रोग के ऊपर जो उपचार करें, वह तो रोग से ज्यादा उपचार निकला। हमने बी.आई. एफ.आर. बनाया, डैट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाया। बी.आई.एफ. आर. का मतलब था सिक कम्पनी है या बीमार कम्पनी है उनको पुनर्जीवित करना है, और उसके इंप्लॉइ की रक्षा करनी पड़ेगी, उसके ऐसेट्स को स्ट्रैन्थेन करेंगे, लेकिन क्या परिस्थिति निकली? मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा।

[अनुवाद]

31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार बी.आई.एफ.आर. में बैंक की स्थिति यह है। लागू की गई योजनाएं 1। हैं। मैं एक विशेष इकाई की बात कर रहा हूं। इसमें 14 करोड़ रुपए की राशि लगी। योजना के अनुमोदन में लिया गया औसत समय 7 वर्ष है। यह इलाहाबाद बैंक का मैं बता रहा हूं। 41 मामलों में बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसमें 173 करोड रुपए शामिल हैं। बी.आई.एफ.आर. द्वारा यह निष्कर्ष निकालने में कि इकाई अर्थक्षम नहीं है और बंद होने लायक है, लगभग आठ वर्ष का औसत समय लगा। जब तक प्रतिभूति ने बैंक का कार्य संभाला तब तक परिसंपत्तियों की स्थिति और खराब हो गई। 59 मामलों में सुनवाई चल रही है और इसमें 294 करोड रुपए शामिल हैं। प्रक्रिया पूरी होने में 10 से 12 वर्ष लगे। तीन मामलों में संदर्भ रद्द कर दिया गया और इसमें 10 करोड रुपए शामिल हैं।

[हिन्दी]

यानी बैंक ऑफ इलाहाबाद ने 491 करोड़ के 114 यूनिट्स की जानकारी दी, यह परिस्थिति है।

मैं मानता हूं कि रोग भयानक है लेकिन रोग के ऊपर उपचार कोई बताए कि 15–20 साल की इकोनॉमी में हमने एक बार प्रयत्न किया बी.आई.एफ.आर. का जो कि लगभग पूरी विफलता है। मैं बाद में उसके भी पूरे आंकड़े दूंगा कि डैट रिकवरी ट्रिब्यूनल उसको मजबूत करें। यह भी लगभग नान–स्टार्टर है। अभी सरकार ने एक प्रयत्न किया कि चलो हम एक और प्रयत्न करें, प्रयोग करें। मैं मानता हूं कि यह प्रयोग फूलप्रूफ नहीं हो सकता। हम ठोस और सकारात्मक बात करें कि किन सुधारों का सुझाव दिया जा सकता है कि यह पर्टिकुलर क्लॉज हैं सात, उसमें ये करेक्शन्स करने की आवश्यकता है। स्टैन्डिंग कमेटी में यह बिल नहीं गया, उचित नहीं हुआ यह मैं मानता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कभी इस सदन को यह भी सोचना पडेगा कि अगर हमें कोई अच्छा और त्वरित कदम उठाना है तो उसके लिए क्या करें। कितने महीने में कोई बिल या प्रस्ताव वित्त मंत्री या सरकार सदन के सामने रखती है तो तत्कालीन परिस्थिति की अर्जेन्सी को ध्यान में रखते हुए ऐसा करती है। उसको

कितने महीने में डिस्पोज ऑफ करना चाहिए? या तो हम पूरी तरह अस्वीकार कर सकते हैं या कुछ सुधार कर सकते हैं परन्तु कुछ समय–सीमा रखनी होगी। अगर दो या तीन साल तक वह ऐसे ही पेन्डिंग रहेगा तो रोग का दर्द एक बार नहीं, पुनः जन्म लेकर दूसरी बार भी उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा भी कहीं हो सकता है? इसलिए, एक अध्यादेश अवश्य होना चाहिए। परन्तु संशोधन किया जाना है। मैं इसके बारे में नहीं जानता। बाद में माननीय वित्त मंत्री अपने समापन भाषण में मेरी बात में सुधार कर सकते हैं। यह जो बिल आया है, उसके बारे में कहा गया कि क्या यह साल, दो साल तक स्टडी करके लाया गया है? इसके ऊपर वेरीयस कमेटियां एप्वाइंट हुई थीं और कौन–कौन से कमीशन ने, कौन–कौन सी पार्लियामैंट्री कमेटी ने इसके बारे में क्या–क्या रिकमेंडेशन दीं? मैंने शायद प्राक्कलन समिति, 1997–98 की रिपोर्ट का अध्ययन किया है। उन्होंने भी इस रोग के प्रति ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि एन.पी.ए. इस स्पीड में बढ रहे हैं, विलफुली डिफाल्टर्स बढ रहे हैं। कोई करैक्शन नहीं है, कोई रिक्वरी पॉसीबल नहीं है। एक जगह बहुत सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि जो सोया है, उसे आप उठा सकते हैं लेकिन जो सोने का ढोंग करता है, उसको कोई नहीं उठा सकता। यदि औद्योगिक इकाई रुग्ण है तो आप इसे ठीक कर सकते हैं। आप और पूंजी लगा सकते हैं। आप उसको वर्किंग कैपीटल दे सकते हो अथवा आप संपूर्ण क्रेडिट पोर्टफोलियो का पुनर्गठन कर सकते हैं। जो बीमार है, उसको आप जरूर अच्छा कर सकते हो, आप उसे नया रक्त दे सकते हो लेकिन जो बीमार होने का ढोंग करता है, तो मुझे लगता है कि उस उद्योगपति को, उस इंडस्ट्री को करैक्ट करना हमारी ताकत के बाहर है। जो रोग हिन्दुस्तान की इंडस्ट्री में पैदा हुआ है, मैं माननीय सदस्यों से यह भी कहना चाहूंगा कि जो एन.पी.ए. है, यदि हमें चूककर्ताओं की सूची चाहिए तो यह सब जगह उपलब्ध है। यह मेरे पास है। यह भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। यह वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आप जब वेबसाइट में जाओगे, वह लिस्ट अभी भी उपलब्ध है। यदि आप उसे चैक करोगे तो आपके ध्यान में आएगा कि बड़ी–बड़ी कम्पनियां हैं, अच्छे–अच्छे को–आपरेटिव ग्रुप्स हैं या जो अच्छी कम्पनियां चलती हैं, उनमें से एक आध भी सिक कम्पनी नजर नहीं आएगी। जो उद्योगपति, जो कापरेट हाउस या जो पी.एस. यूज. दो, चार या सात कम्पनियां चलाती हैं, यानी 100 करोड रुपए का टर्नओवर करती हैं, उसकी आपको एक आध कम्पनी भी इस लिस्ट में नहीं दिखाई देगी क्योंकि यह कार्य करना चाहते हैं। ये देश के औद्योगिक विकास में योगदान करना चाहते हैं। लेकिन आपको इसमें कौन सी कम्पनी दिखाई देगी–जिसकी मेनेटेलिटी यही है, जिसकी मानसिकता यही है। वह आपके पास आता है, हमारे पास आता है, अलग–अलग माध्यमों के पास जाता है और इस प्रकार का एक वातावरण तैयार करता है। मैं अपने आप इसे नहीं समझ सकता। लोग आकर यहां बोलते हैं कि सर, जिन्होंने हमें लांग टर्म लोन दिया था, उन्होंने वर्किंग कैपीटल समय पर नहीं दी थी। हम उस तर्क पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने वर्किंग कैपीटल दी थी लेकिन बाद में मैंने और 25 करोड रुपए मांगे, तो उन्होंने दिए नहीं। इस कारण मैं सिक बन गया। लोग इस तरह की व्याख्या कर रहे हैं। यदि आप इस सूची को देखें तो आप ऐसे सभी लोगों को वहीं पाएंगे। उनका एक मानस बन गया, एक टैंडेंसी बन गई है और ये लॉ मेकर को इस प्रकार से गुमराह करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि किन देशों में इस प्रकार के कानूनी प्रावधान हैं। मैं आपको लोन देता हूं, मैं आपको कर्जा देता हूं, अगर मैं आपको कर्जा देता हूं, अगर मैं व्यक्तिगत स्तर पर देता हूं तो मैं पर्सनल गारंटी लेता हूं। मैं हरेक प्रकार की गारंटी लेता हूं। मैं आपका फ्लैट अपने नाम पर लिखवा लेता हूं। अगर पैसे वापिस नहीं मिले,

[अनुवाद]

मुझे तत्काल धन वसूली करनी चाहिए अथवा मुझे परिसम्पत्ति का अधिग्रहण करना चाहिए। बड़े सरकारी क्षेत्र के बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों के मामले में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। क्या कारण है?

[हिन्दी]

इस प्रकार का कोई प्रावधान ही नहीं है। अगर उस प्रकार का प्रावधान माननीय मंत्री जी करना चाहते हैं तो फिर हम कहेंगे कि यह उचित नहीं है। इस बिल में क्या लिखा है? वही लिखा है कि अगर कोई कम्पनी विलफुली डिफाल्टर है, तो वह सिक्युरीटाइजेशन करें, एक नया सिस्टम एस्टेबलिश करें। उस कम्पनी के ऐसेट्स हम रिक्वायर करें और वह रिक्वायर करके उससे अच्छी कम्पनी चलाने वाली किसी कम्पनी के हाथ में दें। एक प्रावधान है। इसमें क्या

[श्री किरीट सोमैया]

लिखा है? अगर कोई कम्पनी हमारे ध्यान में आती है कि उसके जो ऐसेट्स हैं, उसको डायवर्ट करने का, साइफन करने का प्रयत्न हो रहा है तो ऐसी कम्पनी को हम अपने पास लेने का प्रयत्न करें। यह जो बी.आई.एफ.आर. में जाने या बीमार होने का कारण क्या है, एन.पी.ए. होने का कारण क्या है? कुछ कारण हो सकते हैं।

इसके कारण यदि कोई विशेष इकाई रुग्ण होती है तो हम विचार कर सकते हैं। पर हम यह प्रयत्न करेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि मुश्किल से दस प्रतिशत कम्पनियां हैं। और एन.पी.ए., जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज या कोई नैचुरल कैलेमिटी के कारण बीमार हुई हैं, लेकिन बाई एण्ड लार्ज हमें इस प्रकार की जो कम्पनियां हैं, मैं एक बात और माननीय मंत्री जी से कहूंगा, जिसके बारे में चिन्ता व्यक्त होती है और वह चिन्ता दो व्यक्तियों के बारे मे होती है। एक एम्पलाई के प्रति होती है, मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि क्या इस प्रकार का करैक्शन, प्रोवीन या गाइडलाइंस हम बाद में इश्यू कर सकते है कि एक कम्पनी के जो असैट्स हैं, अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दूसरी कम्पनी को बेचता है तो एम्पलाइज की सिक्योरिटी का हम कहां तक ध्यान रख सकते हैं। यदि उस कम्पनी को स्थायी रूप से बंद किया जाता है, तो हम वहां के जो एम्पलाइज हैं, उनको अच्छी वी.आर.एस. की स्कीम दे सकते हैं, उनके भविष्य का हम ध्यान रख सकते हैं। मेरा दूसरा सजेशन है कि उन कम्पनीज का क्या होगा, आपने तो सिर्फ एन.पी.एज. पर ध्यान दिया है, लेकिन मैं स्माल इन्वैस्टर्स की बात बताता हूं कि उन कम्पनियों में, जिनके शेयर्स में छोटे—छोटे इन्वैस्टर्स ने इन्वैस्ट किया, उनकी हालत क्या है। जिन्होंने डिबेंचर्स में इन्वैस्ट किया, उनकी हालत क्या है। लिस्टिड कम्पनियों में आज स्माल इन्वैस्टर्स के चार हजार करोड रुपये से ज्यादा फंस गए तो उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं, उसका भी माननीय वित्त मंत्री जी विचार करें।

इसी प्रकार मैं उनसे एक और विषय पर प्रार्थना करना चाहूंगा और माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। प्रणाली के अन्य पक्ष पर विचार करते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अधिकार के साथ—साथ उत्तरदायित्व भी हो कि जो लोन देते हैं, उनमें से कितने अधिकारियों की स्क्रुटिनी की गई है। उसमें कोई एकाउंटेबिलिटी नाम की चीज है क्या? कोई इस प्रकार की व्यवस्था अस्तित्व में है क्या कि फाइनेंसजि, लोन्स या एडवांसेज देते समय अगर प्रोजेक्ट फाइनेंस के नाम पर हम छोटी—छोटी वर्किंग कैपीटल देते जाएंगे तो राशि के वास्तविक उपयोग के ऊपर हम कोई चैक नहीं करेंगे। चाहे यह विधेयक हो अथवा कोई अन्य विधेयक, कानून में यह त्रुटि रह जाएगी। इसलिए मैं आपसे यह भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि कभी हम यह भी सोचें कि पिछले दो, पांच या सात साल में कितने बेल आउट किए, यू.टी.आई., आई.एफ.सी.आई., आई.डी.बी.आई., वैरियस पब्लिक सैक्टर बैंक्स में टोटल अगर हम एमाउंट करने जाएंगे तो गए तीन साल में अगर उसके पहले का भी काउंट करेंगे तो हमने बेलआउट के द्वारा 40,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का योगदान दिया है। 40 हजार करोड़ रुपया कहां से आया, बजट में से आया। अगर बजट में से आया तो यह 40 हजार करोड़ रुपया अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम नहीं दे रहे हैं, हम उस कारपोरेट को दे रहे हैं, हम मिसचीफ करने वाले लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि यह पैसा उनके पास जाता है, इन पैसे के बदले में हम अधिक अस्पताल खोल सकते थे, हम ज्यादा रास्ते का काम कर सकते थे, हम अनेक समाज कल्याण की योजना लागू कर सकते थे। मैं एक और अनुरोध करूंगा कि किसी संस्था का बेकआउट सहायता देते समय आप यह कहते हैं कि यह आखिरी है, इसके पश्चात् कुछ नहीं मिलेगा। और उसके साथ में एकाउंटेबिलिटी क्लाज भी इन्क्लूड होना चाहिए। आज भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में म्यूचुअल फंड्स में इस प्रकार की स्थिति है कि नोमिनी डायरैक्टर्स हैं।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यहां पर ही स्थिति ऐसी नहीं है। स्टेट फाइनेंशियल कारपोरेशन की अगर मैं स्थिति बताऊं, माननीय वित्त मंत्री जी से मैं यह भी जानकारी लेना चाहूंगा कि आप जो करैक्शन लाना चाहते हो, वह स्टेट फाइनेंशियल कारपोरेशंस पर लागू होगा क्या? स्टेट फाइनेंशियल कारपोरेशंस की परिस्थिति क्या है? 11,084 करोड रुपए की कुल ऋण और अग्रिम राशि में से 5777 करोड रुपए गैर—निष्पादनकारी आस्तियों के रूप में पड़े हैं। यह स्टेट फाइनेंशियल कारपोरेशंस की स्थिति है।

अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे पास एन. पी.ए. के और दूसरे बहुत सारे आंकड़े हैं, लेकिन मैं उन्हें पढ़ने का प्रयत्न नहीं कर रहा। मैं यही कहूंगा कि आइए मिलकर सोचें। एक लूट मचाने की आर्ट यहां पर डवलप हुई है, उसे कहीं जाने—अनजाने में समर्थन न कर बैठें।

उसके बदले में जो लुटेरों ने पैसा लूटकर चले गए हैं, उन्हें रिकवर करने के लिए हम किस प्रकार से मार्ग अपनाएं, यही मैं सदन से अपील करना चाहूंगा।

यह जो आर्डिनेंस या बिल आप लाए हैं, हम उसे सर्वसम्मति से मंजूर करें, यही मैं प्रार्थना करूंगा।

अपराह्न 3.00 बजे

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : सभापति महोदय, गैर–निष्पादक आस्तियों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के अशोध्य ऋण की प्रियोक्ति ने हमारे वित्तीय तंत्र और अर्थव्यवस्था को लंबे समय से बर्बाद कर दिया है। मैं श्री किरीट सोमैया को स्मरण कराना चाहूंगा कि वर्ष 1992–93 में विवेकपूर्ण मानदंडों को कार्यान्वित किए जाने के बाद गैर–निष्पादक आस्तियो में वृद्धि को कुछ समय के लिए नियंत्रित कर लिया गया था। हाल ही में गैर–निष्पादक आस्तियों में निरंतर वृद्धि हुई है, जो कि हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इसके कारण पूरा वित्तीय तंत्र क्षीण हो जाता है।

महोदय, श्री बसुदेव आचार्य ने हमें आंकड़े दिए कि कुछ बैंकों द्वारा अपनी गैर–निष्पादक आस्तियों को कम करके दिखाने की प्रवृत्ति के बावजूद गत कुछ वर्षों में गैर–निष्पादक आस्तियों में जबर्दस्त वृद्धि रही है। यदि मेरे आंकड़े सही हैं तो यह राशि केवल गत वर्ष–31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार 63,741/– करोड रुपए से बढ़कर 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार 70,904/– करोड रुपए हो गए हैं, 7163/– करोड़ रुपए की अत्यधिक वृद्धि, जो कि एक वर्ष में 11 प्रतिशत वृद्धि है, और यह राशि बैंकों द्वारा 11 प्रतिशत अग्रिम को दर्शाती है।

महोदय, हम सब महसूस करते हैं कि बैंक ऋण आर्थिक संवृद्धि का वास्तविक उत्प्रेरक है और अत्यधिक गैर–निष्पादक आस्तियां ऐसे गुण के निर्बाध प्रवाह में एक अड़चन है क्योंकि यह नए ऋण प्राप्तकर्ताओं के लिए निधियों के पुनर्चक्रीयकरण को रोकता है. इसके अतिरिक्त अवश्य ही ब्याज के ना प्राप्त होने के आधार पर नुकसान का कारण बन रहा है, जो कि वर्तमान स्तर के अनुसार उच्च सेवाई और मुकदमेबाजी के खर्च के तौर यथासंभव 5000 करोड़ रु. पहुंचता है। कोई भी अर्थव्यवस्था इसे कम से कम वहन कर सकती है क्योंकि अर्थव्यवस्था केवल उद्यमों के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध होने पर ही विकसित होती है।

महोदय, समस्या की गंभीरता को देखते हुए ऋणदाता बैंकों के हित की सुरक्षा और गैर–निष्पादक आस्तियों में कमी के लिए किए जाने वाले प्रयासों को हमारा समर्थन मिलेगा। हमारा विश्वास है कि वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था के वर्तमान परिदृश्य में बैंकिंग प्रणाली को आवश्यक सुधार प्रणाली और प्रक्रियाओं से वंचित नहीं रखा जा सकता। तदनुसार, हम वित्तीय परिसंपत्तियों/आस्तियों को छोटे स्तर पर व्यापार योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने की अवधारणा को स्वीकार करते हैं और नए ऋण प्राप्तकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए बैंकों के पास निधियों की आवश्यकता को मान्यता देते हैं। और हम अदायगी न करने की स्थिति में प्रतिभूति हित के प्रवर्तन लागू करने के लिए सांविधिक उपबंध बनाने की आवश्यकता भी महसूस करते हैं।

अपराह्न 3.03 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*)

महोदय, जबकि हम, सिद्धांत रूप में फंसी हुई परिसंपत्तियों को प्राप्त करने हेतु और ऐसी परिसंपत्तियों के लिए मार्केट का विकास करने के लिए बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से बातचीत करने हेतु परिसंपत्ति पुनर्गठन कम्पनी स्थापित करने की आवश्यकता का समर्थन करते हैं, तथापि हम ऐसी कम्पनियों का प्रावधान करने का समर्थन करते हैं जिससे बैंक एक सतत वसूली तकनीक के माध्यम से नकदी में परिवर्तित करने के लिए अपनी अशोध्य आस्तियों को बेच सकेंगे।

महोदय, इस विधेयक अर्थात् वर्तमान वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन विधेयक और इस विषय पर दो अध्यादेशों के अध्ययन के बाद, मुझे यह कहते हुए खेद है कि गैर–निष्पादक आस्तियों में कमी करने के मुद्दे पर सरकार के सुसम्मत व्यापक दृष्टिकोण का प्रमाण नहीं मिलता।

बल्कि इस अति दुर्दमनीय, जटिल समस्या के लिए स्पष्ट, एकपक्षीय दृष्टिकोण है। और यदि किसी को इन उपबंधों से गुजरना पड़े, तो वह फिर से यह अनुभव करता है कि मानो न्यायालयों को बलि का बकरा बनाया गया है।

कोई भी यह अनुभव करेगा कि शायद यह सरकार का निदान है कि इसका कारण न्यायालय ही है कि गैर–

[श्री पवन कुमार बंसल]

निष्पादक आस्तियां एक खतरे के समानुपात तक बढ गई हैं, और इसके लिए उनके द्वारा सोचा गया उपचार न्यायालयों के दरवाजे बंद कर देना है। वह उचित नहीं है। यदि न्यायिक प्रक्रिया को विभिन्न विषयों की वित्तीय जटिलताओं को समझने में जरूरत के अवसर आए होते, तो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और ऋण वसूली अधिकरण के अधिकार क्षेत्र को भी हटाने की जरूरत न होती, बल्कि इसमें सुधार की जरूरत होती। यहां, हम एक नया विधिशास्त्र पाते हैं। जांचकर्ता कम्पनियां बैंकों का अनुसरण करते हुए मुख्य महानगर दंडाधिकारी/मजिस्ट्रेट और जिला दंडाधिकारी/मजिस्ट्रेट से कार्रवाई करने का अनुरोध करेंगी।

मुझे यह 'रिक्वेस्ट' शब्द विधिक विधिशास्त्र में कहीं नहीं मिलता है और आपने इसका प्रबंध नहीं किया है। बल्कि, इस 'रिक्वेस्ट' शब्द का आपने प्रतिभूतिकरण कम्पनी की सनक के अनुसार मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और साथ ही जिला मजिस्ट्रेट की कार्रवाई करने के लिए निदेश देने के पर्याय के रूप में इस्तेमाल किया है। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि हम प्रतिभूतिकरण कम्पनियों का विकास चाहते हैं। बहुत संक्षिप्त में, माननीय मंत्री जी और अन्य सदस्यों की भावनाओं का साथ देते हुए, मैं कह चुका हूं कि हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। हमने कुछ अधिक सख्त कानून बनाने की भी तैयारी की है। मैं वह शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन ऐसे समय में हमें वास्तव में हमारे उद्देश्य के पक्ष और विपक्ष पर अवश्य विचार करना चाहिए। क्या हम इस विधेयक के उपबंधों के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हैं अथवा समर्थ हो पाएंगे?

यह अध्यादेश लाया गया था। पहला अध्यादेश 21 जून को प्रख्यापित किया गया था। इसको पांच महीने हो चुके हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री हमें यह बताएं कि इस अवधि के दौरान सरकार ने क्या उपलब्धि प्राप्त की है? क्या आपने उस भारतीय अस्ति पुनर्गठन कम्पनी लिमिटेड का गठन किया है जिसकी आपने घोषणा की थी? मेरा विचार है कि आपके द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धि उच्चतम न्यायालय में इस विधेयक के उपबंधों के लिए चुनौती है। यह हमारा डर है। हमारी चिंता है, हमारी इच्छा है कि जब आप इस तरह का कानून बनाते हैं, तो आपको वास्तव में इन उपबंधों से छेडछाड करने की आवश्यकता नहीं है। यही वह विषय है जिसे मैं दोहराना चाहूंगा। यही वह मुद्दा है जो श्री बसुदेव आचार्य द्वारा भी उठाया गया था। एक प्रयोजन के साथ ही हमने विभागीय समितियों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि पूर्ण अधिवेशन में हमने यह महसूस किया था कि कई बार हम ऐसी स्थिति में नहीं होते हैं कि सदन के सामने आने वाले विधायी प्रस्तावों के खंडों के विभिन्न उपबंधों पर लंबे समय तक चर्चा कर सकें। इसलिए वर्षों तक लंबे विचार–विमर्श और चर्चा के बाद एक निर्णय लिया गया कि विभागीय समितियां गठित की जाएं जहां इन विधेयकों पर गहराई से विचार–विमर्श हो। स्थायी समिति, जनता से प्राप्त सूचना पर आधारित राय के आधार पर अपनी सिफारिशें देगी। लेकिन, हाल ही हम क्या देखते हैं? कोई भी यह समझ सकता है और मैं भी सरकार के अध्यादेशों को जारी करने के अधिकार, परमाधिकार को स्वीकार करता हूं। जहां कहीं आपको एक अध्यादेश की तत्काल आवश्यकता है, अवश्य ही आपको अध्यादेश लाना चाहिए। तत्पश्चात् यह आवश्यक है कि संसद इन अध्यादेशों संबंधी प्रावधानों को निर्धारित अवधि में पारित करे, हम कभी इसके मार्ग में बाधा नहीं बनते। लेकिन बाद में क्या हुआ है? यह विशेष अध्यादेश लाया गया था। अभी दो दिन पहले और सभा की बैठक बुलाए जाने के दिन भी आपने और अध्यादेश जारी किए हैं। आपने राष्ट्रपति को भी पाठ पर हस्ताक्षर करने को बाध्य किया। पाठ में कहा गया है कि सदन का सत्र नहीं चल रहा है और आकस्मिक प्रावधान किए जाने अपेक्षित हैं, इसलिए, हम यह अध्यादेश प्रख्यापित कर रहे हैं। मेरा कहना है कि यह संवैधानिक प्रावधानों के साथ धोखा है। बल्कि आप ऐसा संसद को बहस न कराने के लिए कर रहे हैं।

चूंकि यह अध्यादेश हमारे सामने है, वास्तव में हम इस विधेयक को सरकार द्वारा पारित कराए जाने के मार्ग में बाधा नहीं डालना चाहते। जैसा कि मैंने कहा है हम भी इसका समर्थन करेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि अब से कई महीने पहले संशोधन लाए थे। हां, मेरा कहना है कि मेरे द्वारा सुझाए गए संशोधन सरकार को स्वीकार्य नहीं होंगे। लेकिन उन संशोधनों पर विचार करने का मंच कहां है? यदि मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो मुझे माननीय वित्त मंत्री का वह वक्तव्य याद है जो उन्होंने चैम्बर ऑफ कामर्स की एक बैठक में दिया था। मुझे यह याद नहीं कि यह सी.आई.आई. या 'फिक्की' या एसोचेम (ए.एस.एस.ओ.सी.एच.ए.एम.) था। लेकिन एक बैठक में उन्होंने कहा था, "हां, कुछ

कतिपय प्रावधानों जिनमें संशोधन की आवश्यकता है, हमारे ध्यान में आए हैं और हम ऐसा करेंगे।" उन संशोधनों का क्या हुआ?

मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि सरकार इस बात का लाभ उठा रही है कि यह विधेयक पूरी सभा के सामने है और इसे पारित किया जा रहा है। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, अतः वे चाहते हैं कि हम उनकी कही हुई बात को भूल जाएं।

इसमें एक प्रावधान है कि इस विधेयक के प्रावधान एक लाख से कम के ऋण के मामलों में लागू नहीं होंगे। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं क्या उनकी केवल उसी स्तर के लोगों पर नजर है या उन बड़े कर्जदारों पर नजर है जिन्होंने बैंक से बहुत अधिक उधार ले रखा है और उन्होंने उसका पुनर्भुगतान नहीं किया है। मुझे नहीं मालूम कि इस मामले के संबंध में श्री किरीट सोमैया के पास मुझसे अधिक सूचना है। उन्होंने पूरी सूची का अवलोकन किया होगा लेकिन क्या उन्होंने वास्तव में गैर–निष्पादनकारी आस्तियों के कारणों का अध्ययन किया है? इस प्रकार की समस्याएं विकसित देशों में भी हैं लेकिन हमारे यहां यह समस्या अत्यंत गंभीर रूप धारण कर रही है। इसलिए हमें अलग दृष्टि से सोचना होगा। इसी के साथ मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या वास्तव में हम इसके प्रति चिन्तित हैं और क्या हमने इसके कारणों को जानने की कोशिश की है?

मुझे इस पर आपत्ति है क्योंकि आप न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का हनन कर रहे हैं। क्या सभ्य समाज को इस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए? यदि न्यायालयों ने कोई फैसला नहीं दिया है तो न्यायिक प्रक्रिया में सुधार लाया जाए। हम यही बात हर सत्र में बार–बार कहते रहे हैं। क्या किया जा रहा है? आप न्यायालयों को समाप्त कर रहे हैं? आप ऋण वसूली अधिकरणों को भी समाप्त कर रहे हैं। मेरी यही आपत्ति है। आप प्रतिभूतिकरण कम्पनियों और पूंजी निर्माण कम्पनियों को उन बैंकों या वित्तीय संस्थानों के समकक्ष रख रहे हैं जिनकी परिसंपत्तियों का आपने अधिग्रहण कर लिया है। यदि बैंक कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएं तो आप चाहते हैं कि निजी कम्पनिया संविधानेतर प्रावधान द्वारा उस लक्ष्य को प्राप्त करें। यही मेरी आपत्ति है। मेरी आपत्ति इसके आधार को लेकर नहीं है बल्कि आप जो करना चाहते हैं उसको लेकर है। मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता कि कोई निजी कम्पनी न्यायालय को संपत्ति की कुर्की करने और उसे हस्तगत करने के निदेश दे। आप वैसा क्यों करेंगे? यदि आप यह अधिकार किसी अन्य को दे रहे हैं तो वही अधिकार आप बैंकों को क्यों नहीं देते। मेरी बात में कुछ विरोधाभास हो सकता है लेकिन मैं सोच–समझकर यह बात कह रहा हूं।

मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप इस प्रकार तबाही लाना चाहते हैं तो मैं शब्द का सही प्रयोग कर रहा हूं तो आप ऐसी एजेंसी क्यों लाना चाहते हैं जिसे आपको इतनी अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करें। मुझे विश्वास है, मैं इस कार्य की प्रशंसा कर रहा हूं, मुझे पता है कि हमारे माननीय वित्त मंत्री के ऊपर किसी की बात का प्रभाव नहीं पडेगा लेकिन मुझे पता है कि सरकार सभी प्रकार के मामलों से मुक्त नहीं है। इस सरकार के समय एक के बाद एक घोटाला हमारे ध्यान में आए हैं। आप किसी को चुनें और उसे आस्तियों के पुनर्निर्माण कम्पनी का अधिकार दें और यदि 100 करोड रुपए की गैर–निष्पादनकारी आस्तियों को 10 लाख रुपए में खरीदा जाए तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर रहे हैं, हम किसको मूर्ख बना रहे हैं और हम यह बताकर किसको प्रभावित करना चाहते हैं कि इन बैंकों का तुलनपत्र सही है और हम गैर–निष्पादनीय आस्तियों की अत्यत कठिन समस्या से निपट लेंगे? क्या ऐसा करने का यही तरीका है? मुझे इस पर गंभीर आपत्ति है और मुझे इसके बारे में सदेह है। आपत्ति तो है ही साथ ही मेरे मन में इस बात को लेकर बहुत अधिक संदेह है। मैं माननीय मंत्री से निश्चित रूप से यह अनुरोध करना चाहता हूं वे इसे मंजूरी दें और इस सभा को आश्वासन दें कि ये उसके दिशानिर्देश हैं।

यदि मुझे सही–सही याद है तो अधीनस्थ विधान सबंधी समिति की यह सिफारिश है कि सरकार जब भी सभा में कोई कानून लाती है तो उसके अंतर्गत नियमों को भी तैयार रखना चाहिए। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री हमें यह बताएं कि नियम तैयार है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले दिशानिदेश तैयार हैं और विधेयक पारित किए जाने के साथ ही वे नियम प्रख्यापित कर दिए जाएगे और उसी दिन से कार्रवाई शुरू की जाएगी।

मैं इसके कारणों के बारे में एक या दो बाते कहना चाहता हूं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, मेरी बात में थोडी बहुत पुनरावृत्ति हो सकती है लेकिन अपनी बात पर

[श्री पवन कुमार बंसल]

बल देने के लिए मैं कहना चाहता हूं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि गैर–निष्पादनकारी आस्तियों का प्रमुख कारण कर्जदाताओं में ऋण को न लौटाने की मानसिकता है जैसा कि सत्ता पक्ष में बैठे मेरे मित्रों ने भी ऋण को न लौटाने का उल्लेख किया है।

साथ ही निधियों को अन्य परियोजनाओं पर लगाने के भी उदाहरण हैं। निधियों को हड़पने, दुरुविनियोग और धोखाधड़ी के भी उदाहरण हैं। इस श्रेणी में अकेले उधारकर्त्ता ही नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से बैंक के अधिकारियों की भी इसमें मिलीभगत है और इससे यह समस्या गंभीर रूप धारण कर रही है और हमें चुनौती दे रही है।

लोगों ने ऋण वसूली अधिकरण की सफलता के बारे में व्यंग्यपूर्ण लहजे में बात की है। जैसा कि मैंने कहा, पीठासीन अधिकारियों और अन्यों को वित्तीय मामलों के प्रति सुग्राही बनाने की आवश्यकता होगी लेकिन स्थिति ऐसी है कि आप उनके आकार में कमी नहीं कर सकते। क्या आपने कभी इसकी कटु सत्यता पर विचार किया है कि ऐसा उन बैंक अधिकारियों के असहयोग के कारण होता है जो कि अधिकरणों में बैंक का पक्ष रखने को जाते हैं और इन मामलों में समय लगता है और 22 ऋण वसूली अधिकरणों और 5 अपीलीय अधिकरणों से हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं और 50,000 करोड रुपए के 40,000 मामले लंबित हैं? क्या आपने कभी मामलों के तह में जाने की कोशिश की है? हमें यह बताया जाता है कि 'न्यायालयों से दूर रहो, मामले हल हो जाएंगे।' मैं कहना चाहूंगा कि यह अत्यंत आत्मसतोषकारी दृष्टिकोण है जिससे उस तरह के परिणाम नहीं मिलेंगे जैसा कि हम वास्तव में चाहते हैं।

इनके अतिरिक्त गैर–निष्पादनीय आस्तियों के कुछ अन्य बाह्य कारण भी हैं और इनके संबंध में मैं अन्य माननीय सदस्यों से अलग बात करूंगा जिससे हम दोनों के बीच अन्तर कर सकें। जिन मामलों में कर्जदार दोषी हो, जहां वह जानबूझकर बैंक की निधियां हड़पने का प्रयास करता है उसके प्रति यथासंभव कठोरता बरतनी होगी। भाजपा के मेरे माननीय मित्रों ने सरकार की नीति में परिवर्तन का उल्लेख किया था और इसी बात पर मैं बल देना चाहता हूं। मुझे जानकारी है कि इस प्रकार के मामले बहुत कम हैं लेकिन इस प्रकार के मामले हैं और इस प्रकार के और मामले होने की संभावना भी है। मैं आपको उदाहरण दूंगा। उदाहरण के लिए–लघु उद्योग। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम लघु उद्योगों की उपलब्धियों से वास्तव में खुश नहीं थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे देश के लिए राजस्व अर्जित करने में सफल रहे हैं जबकि हमने उन्हें कतिपय लाभ दिए हैं। लेकिन इस वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में हम सब जानते हैं कि लघु उद्योगों का भविष्य क्या है? इसलिए नीति में अचानक परिवर्तन करने से यदि नीति के कारण लघु उद्योगों को मुसीबतों का सामना करना पड़े...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मुझे कुछ और बातें कहनी हैं। महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का उल्लेख नहीं करना चाहता। शायद आप भी उस बैठक में उपस्थित थे। हमने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कहा था कि इस विधेयक के लिए और अधिक समय की आवश्यकता है और हमें बताया गया था कि समय आवंटन में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस चर्चा के लिए पूरा समय दिए जाने की आवश्यकता है...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : समय आवंटित किया जा सकता है लेकिन यदि विषय और हो तो आप समय बढ़ा सकते हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं अपने दल की तरफ से प्रथम वक्ता हूं और अन्यों को अभी बोलना है। मुझे विश्वास है कि आप हमें आज विस्तृत चर्चा के लिए पूरा समय देंगे। मैंने अभी अपनी बात शुरू की है।...*(व्यवधान)*

महोदय, नीति में मैंने उस स्थान जहां से मैं आता हूं का नवीनतम उदाहरण दिया है। कार्यपालक आदेश जारी कर भारत सरकार ने चंडीगढ़ प्रशासन को बताया था कि यद्यपि आपको 'ईस्ट पंजाब अरबन रेंट रिसट्रिक्शन एक्ट' के निरसन का अधिकार नहीं है क्योंकि यह अधिकार संसद का है, यहां अवर्णित प्रावधान है जहां आप इस अधिनियम के प्रावधानों से कतिपय भवनों को सामूहिक रूप से छूट दे सकते हैं। आप इसको संपूर्ण रूप से लागू करें और घोषणा करें कि उन सभी परिसंपत्तियों जिनका मासिक किराया 1500 रुपए से अधिक है वे इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार में नहीं आएंगी।

अब, उन कम्पनियों का क्या हुआ? कोई युवा उद्यमी 10,000 रुपए किराया पर कोई भवन लेता है और उसमें

प्रतिष्ठान की स्थापना करता है। आज, उसे सरकार की नीति परिवर्तन के कारण बाहर जाने को कहा जाता है। उसने बैंक से कुछ ऋण लिया है। चूंकि उसका उत्पादन बंद हो जाएगा और वह सड़क पर आ जाएगा। आपके विवेकपूर्ण मानदंडों में जो कुछ कहा गया उन पर मेरा कोई विरोध नहीं है–यदि किस्त अथवा 90 दिन के ब्याज के भुगतान करने में कोई दोष है तो आप इसे संदेहास्पद कह सकते हैं।

12 माह के बाद खंड 2 के अंतर्गत वर्गीकरण स्तरीय नहीं है। यदि 90 दिन तक ब्याज का भुगतान न किया जाए तो यह स्तरीय है। यदि 12 महीने के बाद भी आप भुगतान नहीं कर सकते तो यह संदेहास्पद है और फिर इसे हानि से होने वाले प्रभाव कहा जाता है। हमें वास्तव में सर्वाधिक चिंता हानि से होने वाले प्रभावों की रखनी है। मैं जो यह उदाहरण दे रहा हूं वह केवल काल्पनिक है लेकिन अगले कुछ दिनों में चंडीगढ़ में ऐसे अनेकों उदाहरण मिलेंगे। वे सभी चूककर्ता घोषित कर दिए जाएंगे और आप उन्हें ऐसी पुनर्निर्माण कम्पनी को देंगे जिनके पास एकपक्षीय और मनमाने अधिकार होंगे और वह प्रबंधन पर अपना अधिकार करेगी, प्रबंध निदेशक को दूर कर देगी और अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त करेगी। निदेशक को हटाकर अपना निदेशक नियुक्त करेगी और प्रबंधक को हटाकर अपना प्रबंधक नियुक्त करेगी और उसे बेच देगी। केवल 60 दिन का नोटिस पर्याप्त है। इसीलिए मैं ऐसा कहता हूं। यदि आपने विधि के शासन पद्धति को अपनाया है तो इसका यह मतलब नहीं कि आप चाहे जितना कठोर और अविवेकपूर्ण कानून बनाएं और उसे लागू कर दें। विधि के शासन में कानून के प्रति सम्मान की भावना निहित होती है और नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रति सम्मान की भावना होती है। आप किसी व्यक्ति की बात सुनिए और उसे अवसर प्रदान कीजिए।

ये सब चीजें कहां मिलेंगी? महोदय, मैं उन प्रावधानों का बहुत संक्षेप में उल्लेख करूंगा। क्योंकि आपने मुझे एक बार टोका है। लेकिन मैं यही बात कहना चाहता हूं जो कि विधेयक में नहीं है और आपकी बचे–खुचे 75,000 करोड रुपए के सफाए संबंधी जो चिंता है वही चिंता हमारी भी है लेकिन ऐसा कदम उठाए जाने से कोई हानि न हो वास्तव में ऐसी चिंता व्यक्त करनी चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, वास्तव में गैर–निष्पादनकारी आस्तियों की वसूली एन.डी.ए. की वसूली नहीं होनी चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : साथ ही, बाह्य कारकों, जिनका कि मैं उल्लेख कर रहा था के अतिरिक्त कार्य की असफलता भी है जिस पर आपका नियंत्रण नहीं है। यहां भूकम्प, प्राकृतिक आपदा, श्रमिकों की हड़ताल इत्यादि भी हो सकती है। इस समय मैं श्रम संबंधी मामलों का उल्लेख नहीं करना चाहता। लेकिन आपके सामने वे प्रावधान और वे मामले भी आते हैं।

फिर उत्पाद पुराने पड गए हैं और प्रौद्योगिकी पुरानी पड़ गई है। जब मैं प्रौद्योगिकी की बात करता हूं तो मैं पुनः एक उचित उदाहरण देना चाहूंगा। 'सी–डॉट' भारत सरकार का एक अग्रणी संगठन था। लोग सी–डॉट प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे थे और हम इस पर गर्व महसूस कर रहे थे कि यहां एक संगठन है और सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है जो इस प्रकार के उत्तम श्रेणी के टेलीफोन स्विचों और एक्सचेंजों का उत्पादन कर रहा है। लेकिन हाल ही में क्या हुआ। सरकार की नीति में परिवर्तन के कारण सी–डॉट संकट में है।

अनेक व्यक्तियों द्वारा सी–डॉट की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा था, मुझे विश्वास है कि इस सभा को ज्ञात है कि वे लोग अब किस स्थिति में हैं। यह किसकी गलती होगी? यदि सी–डॉट की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे किसी व्यक्ति ने सरकार से कुछ ऋण लिया हो और उसके बाद सरकार की इस नीति परिवर्तन के कारण उस व्यक्ति को घाटा होता है और आप उसके ऋण को गैर–निष्पादनकारी आस्तियां घोषित करेंगे और उसे सब संपत्तियों से वंचित कर उसकी संपत्ति बेच देंगे। यह किनके द्वारा बेची जा रही हैं–यह निजी प्रतिभूति कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। इसी प्रकार तृतीय पक्ष के हितों के मामलों का भी ध्यान नहीं रखा गया है।

इसी प्रकार मैं दूरसंचार का पुनः उदाहरण दूंगा। एक कम्पनी के पास सेल्यूलर सेवा शुरू करने का लाइसेंस है और इसमें कौन से लोग शामिल हैं? उस कम्पनी ने बैंक से ऋण लिया होगा और चूककर्ता होने पर वह गैर–निष्पादनकारी

[श्री पवन कुमार बंसल]

आस्तियां बन जाता है। यह सही है कि हमें इस बढ़ोत्तरी को रोकने के लिए अवश्य ही कुछ उपाय करना चाहिए। किन्तु यदि आप डण्डा लेकर कारखाना बंद करवाते या अधिग्रहण करवाते हैं तो इससे कौन प्रभावित होगा? वह केवल भारत सरकार का लाइसेंसधारक मात्र नहीं है बल्कि भारत सरकार लाइसेंस दाता है; इसमें अवसरों का प्रश्न शामिल होगा। यदि यह उद्योग, यदि यह उद्यम बंद होता है तो बैंडविड्थ बेकार पडा रहेगा और यह होने वाला है। और लाखों लाख उपभोक्ता जिनके पास उस कम्पनी के टेलीफोन कनेक्शन हैं—चाहे लैंडलाइन हों या मोबाइल फोन हों—प्रभावित होंगे। क्या हमने इस प्रकार के उद्धरणों या ऐसी परिस्थिति जो पैदा हो सकती है उसका ध्यान रखा है?

मैं इस संबंध में अन्य बात भी कहना चाहूंगा। अगर ये सारी बातें हैं तो इसमें बैंकों की भूमिका क्या है? मैं इस बात से सहमत हूं कि नरसिम्हन समिति और अन्तियर्जुनिया समिति ने जो रिपोर्ट दी हैं उन पर चर्चा और विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने अत्यंत उत्कृष्ट कार्य किया था। उन्होंने न्यायालयों को समाप्त करने के साथ ही वित्तीय सुधारों और बैंकिंग प्रणाली में सुधारों की भी बात की है। आपने क्या सुधार किए हैं? यही बात मैं आपसे जानना चाहता हूं।

महोदय, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री हमें बताएं कि उन्होंने क्या निर्देश जारी किए हैं और बैंकों द्वारा ऋण संबंधी मामलों के कुशल प्रबंधन और स्वीकृति प्रक्रिया के संबंध में क्या उपलब्धियां रही हैं। मैंने पहले भी यह कहा है और हम सभी को यह पता है कि बैंक से ऋण लेने के लिए क्या करना पड़ता है। क्या उन्होंने इन प्रथाओं पर रोक लगाई है? मैं पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण नहीं अपना रहा हूं। मैं जानता हूं कि वर्षों और दशकों से ऐसा होता आ रहा है। परन्तु क्या वह इसे रोकने में समर्थ हुए हैं? या यह बढ़ा ही है। कई क्षेत्रों में हमारा अनुभव यह है कि स्थिति बद से बदतर हुई है। समस्या की गंभीरता बढ़ी है। इसमें वृद्धि हुई है।

महोदय, कर्ज लेने वालों के पूर्ववृत्त और विश्वसनीयता का सत्यापन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? क्या उन्होंने बैंकों के बीच पिछले चूककर्त्ताओं के विषय में सूचना उपलब्ध कराने की कोई सूचना प्रणाली स्थापित की है? ऐसे उदाहरण हैं कि कोई व्यक्ति एक संपत्ति के आधार पर एक बैंक से ऋण लेता है और उसी संपत्ति के आधार पर दूसरे बैंक से ऋण लेता है। क्या उन्होंने कोई सूचना प्रणाली स्थापित की है जिससे बैंक और वित्तीय संस्थान जो विभिन्न मामलों, विभिन्न परियोजनाओं में शामिल हों, एक—दूसरे के साथ ऋणधारकों के विषय में अपनी जानकारी का आदान—प्रदान कर सकें? मैं जानता हूं कि वे समानान्तर जमानत राशि रखे जाने पर बल देते हैं। यहां भी आप जो व्यक्ति समानान्तर जमानतराशि देता है उसे सजा देना चाहते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि यह इलाज नहीं है। इससे केवल लम्बे समय तक कानूनी लडाई चलेगी।

अब, मैं बैंक की स्वीकृति पश्चात् की जिम्मेदारियों की बात करता हूं। क्या उन्होंने खातों की कड़ी निगरानी की आवश्यकता में सुधार किया है, गैर—निष्पादनकारी अग्रिमों की शीघ्र पहचान और उसे रोकने के लिए समय पर कार्रवाई करने तथा गैर—निष्पादनीय आस्तियों को रोकने के लिए कोई प्रणाली स्थापित की है? मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं। बैंकों द्वारा गैर—निष्पादनीय आस्तियों का प्रभावी नियंत्रण, निगरानी और बोर्ड द्वारा पर्यवेक्षण के विषय में क्या किया जा रहा है? इस संबंध में, यदि मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो कुछ समय पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद को चेयरमैन के पद से अलग करने की सिफारिश थी। क्या उन्होंने इस संबंध में कुछ कार्रवाई की है या उन बोर्डों के अभी भी प्रबंध निदेशक—सह—चेयनमैन ही हैं? क्या हम इन अधिकारों का विभाजन कर रहे हैं जिससे यह अधिक पेशेवर बन सकें ताकि बैंक वास्तव में विकास प्रक्रिया के महत्वपूर्ण साधन बन सकें जिन्हें हमने अपने देश में स्थापित किया है?

इसके बाद भी यदि बैंक चूक करते हैं तो उन बैंकों के विरुद्ध वे क्या कार्रवाई करते हैं? हम सभी कहते हैं कि बैंक षड्यंत्र मे शामिल होते हैं। उनके विरुद्ध ये क्या कार्रवाई करते हैं? क्या इन्होंने कुछ—मैं 'अपचारी' शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा—बैंकों के विरुद्ध कार्रवाई की है जो लगभग अपचारी हैं? क्या उन्होंने यदि उन आचरणों का इन्हें दोषी पाया है तो इनकी नयी शाखाएं खुलने को या उनके व्यवसाय फैलाने को रोका है?

महोदय, एक वर्ष से निगम ऋण पुनर्गठन तंत्र लागू है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हू कि इसमें हमें कितनी सफलता मिली है। प्रगति कितनी हुई है? इससे भविष्य

में क्या लाभ मिलेगा? इसकी क्या–क्या संभावनाएं हैं? किस विश्वास के साथ हम अपने वर्तमान विधायी उपायों की ओर बढेंगे?

इसके साथ, मैं कुछ प्रावधानों का उल्लेख करता हूं क्योंकि हम वित्त संबंधी स्थायी समिति में इन विषयों को उठाने के अधिकार से वंचित थे। मैं कुछ खंडों का उल्लेख करना चाहता हूं। जिस पहली बात का उल्लेख मैं करना चाहता हूं वह आस्ति पुनर्गठन कम्पनियों को किसी भी बातचीत में शामिल होने, ऋण लेने के लिए कोई भी शर्त रखने को पूर्ण स्वतंत्रता देने से संबंधित है। सिद्धांत रूप में, मैं इसका विरोध नहीं करता किन्तु जैसा कि मैंने उदाहरण दिया था कि एक ऋण या हजारों करोड़ रुपए की गैर–निष्पादनकारी आस्तियों को कम राशि पर बेच दिया जाता है। इसी संबंध में मैंने एक संशोधन सुझाया है। मैं इस संशोधन पर बल नहीं दूंगा किन्तु मैंने इस बात पर बल देने के लिए सुझाव दिया था। आपको इसकी सीमा तय करनी होगी कि यदि आपको बैंक की एजेंसी के रूप में कार्य करना है तो आपको इस काम के लिए इतना कमीशन मिलेगा। मैंने चार प्रतिशत का सुझाव दिया था। मैं जानता हूं कि कई मामलों में यह बहुत कम होगा और कोई भी इसके लिए आगे नहीं आएगा किन्तु साथ ही मैं यह नहीं चाहता कि चार प्रतिशत बैंक को मिले और छियानवे प्रतिशत उस व्यक्ति को मिले जिसने वह कम्पनी बनाई है। इसलिए आपको इस संबंध में संतुलन बनाना होगा।

महोदय, मैं बहुत सी वे बातें नहीं बोल रहा हूं जो वास्तव में विस्तारपूर्वक बोलना चाहता था।

मैं खंड 6 पर आ रहा हूं। उनका कहना है "कि बैंक या वित्तीय संस्था, इसे समुचित समझती है, वित्तीय परिसम्पत्ति के अर्जन की सूचना देगी।" "यदि समुचित समझती है" जैसी उक्ति आप क्यों कहेंगे और यह उधार देने वाले को यह कहकर नोटिस क्यों नहीं देगी कि इसने उनकी परिसम्पत्तियां अपने अधिकार में ले ली हैं और स्थिति क्या है? फिर मैं एक बात और कह दूं कि अन्य अनुवर्ती परिवर्तन जो किए गए हैं वे बड़े नहीं हैं...यह परिवर्तन अधिकतर कार्य प्रणाली संबंधी हैं, पूरी प्रक्रिया में स्पष्टता के उस तत्व लाने की बात है। इसे नोटिस का समात्रित नहीं बनाया जाना चाहिए।

खंड 7(3) में प्रावधान है

"वित्तीय आस्तियों की उपधारा (2) के अधीन वसूल न किए जाने की दशा में, किसी प्रतिभूतिकरण कम्पनी या पुनर्गठन कम्पनी के अर्हित संस्थागत क्रेता, जिनके पास ऐसी कम्पनी द्वारा जारी की गई प्रतिभूति रसीदों के कुल मूल्य के पचहत्तर प्रतिशत से अन्यून की प्रतिभूति रसीदें हैं, सभी अर्हित संस्थागत क्रेताओं का अधिवेशन बुलाने के हकदार होंगे।"

यह लगभग असम्भव है। यदि वास्तव में आपका अर्थ कुछ और है, तो इसे 75 प्रतिशत से घटकार 51 प्रतिशत कीजिए। इसी का मैंने सुझाव दिया है।

मैंने न्यायालयों के बारे में बोला है। मैं पुनः उनके उपबंधों का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। यह भाग बहुत बड़ा है।

खंड 13(4) पर आते हुए आप उन्हें व्यापक शक्तियां दे रहे हैं, इन पर ध्यान देना होगा। ऋण वसूली अधिकरण की भूमिका को कम नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने एक संशोधन में सुझाव दिया है, आप इसे आगे बढा सकते हैं बशर्ते कि ऋण वसूली अधिकरण वास्तव में आपको ऐसा करने से न रोके।

जब आप 60 दिन का नोटिस जारी करें तो उस अवस्था में व्यक्ति को अधिकार है समय बीतने के बाद नहीं। संबंधित व्यक्ति, उधार लेने वाले अथवा दुखी व्यक्ति को उस अवस्था में ऋण वसूली अधिकरण के पास जाने का अधिकार होना चाहिए और वह कह सकें कि "उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनके हितों की रक्षा की जाए।"

ऋण वसूली अधिकरण थोडा समय निर्धारित करे। मै यह बात नहीं कह रहा हूं कि आप इसके लिए कुछ वर्ष निर्धारित करें। मैं और समय बढाना नहीं चाहता। आप तीन माह का समय निर्धारित कर सकते हैं और इन तीन माह की अवधि के भीतर ऋण वसूली अधिकरण को यह कहते हुए उत्तर देना चाहिए कि इस मामले में आप उनके विरुद्ध जा सकते हैं, इस मामले में आप उनके विरुद्ध नही जा सकते, यदि ऐसा है तो सामान्य मार्ग का अनुसरण करना होगा। यदि आप विशेष उपबध की व्यवस्था कर रहे हैं, तो साथ ही आपको उस पर विशेष सुरक्षणो की व्यवस्था करनी होगी। इस पर ध्यान नही दिया गया है। इस संबंध मे मेरी शिकायत है।

[श्री पवन कुमार बंसल]

अब मैं अपीलों की ओर आ रहा हूं। नुकसान होने के बाद ही अपीलों का प्रावधान किया जाता है। उस अपील का क्या अर्थ होगा? मैं इस प्रश्न पर नहीं आ रहा हूं कि आपको पचहत्तर प्रतिशत जमा करने हैं अथवा नहीं क्योंकि आपने इसे कम करने का अधिकार ऋण वसूली अधिकरण को दे दिया है, और यह बिलकुल ठीक है। ऐसा प्रावधान जारी रह सकता है किन्तु आपका दृष्टिकोण पूर्वक्रय का अधिकारी बने। संबंधित व्यक्ति का कुछ अधिकार हो। किसी व्यक्ति को 90 दिन की अवधि तक चूक करने के संबंध में वैध शिकायत हो सकती है। अतः इसे गैर–निष्पादनकारी आस्ति ही घोषित न करें और उसका सम्पूर्ण व्यवसाय नष्ट न कर दें और सब कुछ अपने अधिकार में ले लें।

प्रतिभूतिकरण कम्पनी अथवा आस्ति पुनर्गठन कम्पनी के कार्रवाई करने के पश्चात् आपने एक मात्र भूमिका जो आपने ऋण वसूली अधिकरण को दी है यदि कुछ राशि अतिशोध्य है यदि सब कुछ संतोषजनक नहीं रहा है तो आप ऋण वसूली अधिकरण के पास जा सकते हैं। यह स्थिति है जिस पर हमने ऋण वसूली अधिकरण को पहुंचा दिया है। जो मेरी राय में बहुत अनुचित प्रावधान है।

[हिन्दी]

मगर मैं उसमें कहना चाहता था इस विषय में प्रावधान अच्छा है। जरूरत इसलिए है लेकिन जिस जल्दबाजी के साथ संशोधन कानून आज तक चलता रहा है, उसमें संशोधन लाने की कोशिश की गई है, यह लोगों के हित में नहीं है। आपने एक लाख रुपए की लोन की सीमा रखी है जिस पर कानून नहीं लगेगा—क्या वह काफी है? मैं समझता हूं और कहना चाहूंगा कि क्यों नहीं आप स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए करते? आप कहां डालते हैं, क्या समस्याएं हैं, उन्हें देखिए। आपने एग्रीकल्चरल लैंड के लिए कर दिया, यह अच्छी बात है। रिजर्व बैंक को पॉलिसी मैटर्स में कुछ अधिकार दिया है और अपने हाथों में नहीं लिया। लेकिन इन चीजों को देखिए। आप हिदायत कर रहे हैं लेकिन मैं क्लॉज 9, 13, 14 और 15 का जिक्र खासतौर पर करना चाहता हूं। मैं इसमें कुछ खामियां महसूस करता हूं। समय के साथ वे खामियां आएंगी। इन खामियों के कारण शायद सुप्रीम कोर्ट में मसला गया तो उसने इसको ले लिया। वह एडमिट हो गया लेकिन उसमें उन्होंने क्या डायरैक्शन्स दी हैं और हमारे फैसले के बाद क्या वहां मसला फिर जाएगा। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पडनी चाहिए थी। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपने एक तरफ कह दिया कि कोर्ट के आगे अबेट नहीं करेंगे इसमें ऐसी कई समस्याएं हैं। आप कह रहे हैं, मैं उन पर ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि और सदस्यों को भी बोलना है। वैसे मुझे मालूम है कि समय बहुत है, हम आठ बजे तक भी इस पर चर्चा कर सकते थे।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी के और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। 35 मिनट आप बोल चुके हैं जबकि आपका 25 मिनट का समय था।

श्री पवन कुमार बंसल : मैं विस्तार से उन बातों में नहीं जाना चाहूंगा लेकिन यही गुजारिश करना चाहूंगा कि चाहिए तो यह था कि स्टैन्डिंग कमेटी में यह बिल जाता। इतने दिन में कह देते कि 15 दिन में समिति इस पर अपनी रिपोर्ट दे। वहां इस पर और गौर से बातें होतीं। वहां से संशोधन सुझाए जाते और उन पर बात होती। हम लोगों ने दे रखा है बनातवाला जी ने दे रखा है, आपने माना हुआ है, अखबार की रिपोर्ट है, मैं खुद उस मीटिंग में नहीं था कि आप इसमें कुछ संशोधन लाएंगे, इसको ठीक करेंगे। उसके लिए मैं आज भी यह कहूंगा कि 15 दिन का समय और लेना चाहते हैं तो ले आइए, फिर इस पर बहस हो जाए। चाहे आप आज भी कह दीजिए। नॉर्मली यह होता है कि मंत्री महोदय जब बिल पायलट करते हैं तो उस वक्त अपनी बात कहते हैं। उसमें बता देते हैं कि क्या चीजें वह मानने वाले हैं और क्या उन्होंने मानी हैं। वह नहीं किया। अब अंत में जवाब देते वक्त कहते हैं। इससे तो पहले ही कह दें। उससे हमारा विश्वास बढ़ेगा कि जम्हूरियत की जो भावनाएं होती हैं, उसके हिसाब से जो लोग कहते हैं, उसको मानते हैं। इस बिल को पास करने के लिए सब एकजुट हैं। सब इस समस्या से चिन्तित हैं और सब एक होकर इसका समाधान करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम पर कल यह इल्जाम लगे कि एक समस्या को दूर करने के लिए 20 समस्याएं हमने और खडी कर दीं। ऐसा नहीं होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

[अनुवाद]

डा. बी. बी. रमैया (एलूरू) : सभापति महोदय, मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन विधेयक, 2002 विचार–विमर्श हेतु और सरकार द्वारा पहले प्रख्यापित अध्यादेश को बदलने हेतु इसे पारित करने हेतु इस सदन के समक्ष लाया गया है।

महोदय, यहां मुख्य विषय गैर–निष्पादनीय आस्तियों का है। किन्तु मैं महसूस करता हूं गैर–निष्पादनीय आस्ति इस पूरे विधेयक का एक ही भाग है। सरकार को बडे मुद्दों को सुलझा लेना चाहिए था। मैं इसके बारे में बार–बार माननीय वित्त मंत्री को बताता रहा हूं जैसे उद्योगों की रुग्णता और इन उद्योगों का कैसे पुनरुद्धार किया जा सकता है और पुनर्गठन किया जा सकता है। उद्योगों की रुग्णता की यह परिघटना इस देश में ही विशेष नहीं है। संसार के सभी विकासशील देश इस अवस्था से गुजर रहे हैं। उन देशों में उद्योगों की रुग्णता है और अनुवर्ती गैर–निष्पादनीय आस्तियां भी हैं। किन्तु वे उचित विशेषज्ञता की सहायता से और संचालन की विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा इस समस्या को हल करने में सक्षम हैं।

महोदय, मैं देख रहा हूं कि सरकार ने बैंकों के पूंजी पर्याप्तता अनुपात को बनाए रखने के उद्देश्य से बैंकों मे मार्च 1999 के अंत तक 20446 करोड़ रुपए की धनराशि लगाई है। सरकार ने वर्मा आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर इंडियन बैंक, यू सी ओ बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में भी 2500 करोड़ रुपए की रकम लगाई है। लेकिन आज क्या स्थिति है? हम भारतीय यूनिट ट्रस्ट पर ध्यान दें। भारतीय यूनिट ट्रस्ट एक ऐसा संगठन है जो उन छोटे निवेशकों की सहायता करने के लिए है जिनके पास शेयर बाजार में निवेश करने के लिए अधिक पैसा नहीं है। लेकिन आज हमें नहीं पता कि सरकार को भारतीय यूनिट ट्रस्ट में कितनी और धनराशि लगानी पड़ेगी ताकि यह संगठन अपनी वित्तीय स्थिति पुनः प्राप्त कर सके। आई एफ सी आई के साथ भी यही मामला है। आज हम यह बात स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का क्या हुआ। इसलिए कोई भी ऋणदाता को जिम्मेदार ठहराए बिना ऋण लेने वाले को ही दोष नहीं दे सकता।

श्री सोमैया और श्री बंसल ने अनेक मुद्दे उठाए हैं। हमें ऋणी और ऋणदाता को इस वस्तुस्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराकर इस मुद्दे को हल करना चाहिए था। अनेक इकाइयां रुग्ण हो रही हैं।

बैंकों एवं अन्य संगठनों के बोर्डों में जो विशेषज्ञ हैं, उन्हें स्थिति का पूर्वानुमान लगाना चाहिए था और तदनुसार प्राधिकारियों को बताना चाहिए था। मैं दूसरे देशों में ऐसे कई मामलों के बारे में भी जानता हू, जहां विशेषज्ञ, लोगो, छोटे निवेशकों को उत्पादों की गुणवता, पैकेजिंग एवं विपणन एवं उनकी कमियों जैसी कुछ बातों के बारे में उनका मार्गदर्शन करते हैं।

यदि किसी प्रकार की आवश्यकता होती है, तो वे उद्योगों में सुधार करने एवं उनके संरक्षण हेतु आगे बढ़कर सहायता करते हैं। इसके विपरीत, इन कम्पनियों के बोर्डों में जिन लोगों को यहां रखा जाता है वे कोई सहायता प्रदान नहीं करते, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनियों में वे उपयोगी बनने के बजाय भार बन जाते हैं। इसलिए, जब तक हम इन बातों में सुधार नहीं करते, हम इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे।

जापान में, जहां मैं दो या तीन वर्ष पहले गया था, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन विभिन्न अन्य समस्याओं, जैसा कि अब हम अपने देश में जूझ रहे हैं, के कारण दस हजार से ज्यादा इकाइयां रुग्ण हो गई थीं। परन्तु वहां यह प्रणाली है कि वे विलय को बढावा देते हैं और शीघ्र कार्रवाई करते हैं। बैंक एवं वित्तीय संस्थान वहां ऐसे करने में समर्थ रहे हैं। जबकि यहां ऐसा कुछ भी नहीं है और एक बार जब कम्पनियां रुग्ण हो जाती हैं तो यह स्थाई रूप से रुग्ण हो जाती हैं।

आज मैं यह कह सकता हूं कि 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बेकार पड़ा हुआ है। यह बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों का धन है। उपकरण बेकार पड़े हुए हैं और बेरोजगारी की समस्या विद्यमान है। ये सभी कारक रुग्णता के कारण हैं। जब तक हम निवारणात्मक उपाय एवं कोई क्रियाविधि तैयार नहीं करते, हम इन मुद्दों से नहीं निपट सकते और इनकी सहायता नही कर सकते हैं। कुछ मामलों में यह भी देखने में आया है कि कैसे पर्याप्त योजना एवं पर्याप्त संसाधन न देकर और उन्हें बीच में ही रोककर और समस्याएं सृजित

[डा. बी. बी. रमैया]

कर लोगों को कठिनाइयों का सामना करने पर बाध्य किया जा रहा है। कुछ मामलों में हम विभिन्न कारणों की भी जांच कर सकते हैं। सम्भवतः, निवेशकों के पास पर्याप्त क्षमता न हो, हो सकता है पर्याप्त वित्तीय सहायता न हो और हो सकता है तकनीकी परिवर्तन के कारण जैसा कि श्री बंसल ने कहा है कि प्राकृतिक आपदाओं का भी दुष्प्रभाव होता है। हाल में, देश में आपने व्यापक सूखा, बाढ़ एवं भूकम्प देखा हो और इनसे भारी कठिनाई पैदा हो रही है।

इसके अतिरिक्त, गत दो अथवा तीन वर्ष के दौरान हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करते रहे हैं जो कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है। हमें अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों का सामना करना पड रहा है। जिससे हमें काफी कठिनाइयां हुई हैं, और वह उनसे उचित रूप से निपटने में समर्थ नहीं रहे हैं। हम उच्च ब्याज दर दे रहे हैं। अब हम उन्हें क्रमशः घटाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी, हम उनकी तुलना में कहीं नहीं हैं। आपको तुलनात्मक रूप से छोटी इकाइयों पर ध्यान देना चाहिए। आपको यह सुनिश्चित करना है कि कम्पनियों का एक साथ विलयन करने, अथवा अतिरिक्त सहायता देने, अथवा कई बातों को करने से प्रतिस्पर्धा बढती है। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कुछ समाधान है, परन्तु हमने वे उपाय नहीं किए हैं।

ऋण लेने के समय, एक व्यक्ति यह जानता है कि उसे किस प्रकार का संरक्षण मिला है। इसके साथ ही साथ, सरकार की सहायता भी कम की गई है और उसे अन्य प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पाटनरोधी जैसे समाधान मौजूद हैं। आप उनकी सहायता करने के लिए अन्य उपाय कर सकते हैं परन्तु इन बातों पर प्रभावी तरीके से विचार नहीं किया गया है। उन्हें इस प्रकार समय–समय पर उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए इस समय आप सिर्फ यह नहीं कह सकते हैं कि इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।

जैसा कि हमारे कुछ मित्रों ने कहा है कि हमें जानबूझकर चूक करने वालों की पहचान करनी चाहिए। आप सार्वभौमिक दृष्टिकोण नहीं अपना सकते हैं। इन बातों पर विचार किए बिना आप उनसे आगे बढने और ऐसा करने के लिए नहीं कह सकते हैं। आपको कुछ स्थितियां और कुछ सुझाव बनानी होंगी। हमें यह देखना है कि इन बातों का कार्यान्वयन तब तक न हो जब तक इन बातों की उचित देखभाल न करे। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि मुझे आशा है कि इस पर गौर किया जाएगा।

आज ऐसे कई मामले हैं जिनमें आप यह देख सकते हैं कि ऋणदाताओं द्वारा परियोजना का मूल्यांकन नहीं किया गया है और ऋणधारकों को इसके परिणामों को भुगतना पड रहा है। पुनः उन लोगों को इन सब पर गौर करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया है। इसका भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए वहां आज भारतीय औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड है परन्तु मेरे विचार से यह पर्याप्त नहीं है। हमारे पास ऐसे कई मामले हैं जिसमें पर्याप्त सहायता एवं समर्थन दिए जाने की आवश्यकता है। आपको यह देखना है कि आप उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति दे सकते हैं। इस हेतु आपको एक क्रियाविधि बनानी होगी।

विकासशील देशों में गैर–निष्पादनीय आस्तियां दो से तीन अथवा चार प्रतिशत के बीच होती हैं जबकि हमारे पास गैर–निष्पादनीय आस्तियों का प्रतिशत 6.74 है। इसे कम करना होगा। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, हमें विभिन्न उपायों का सहारा लेते हुए औद्योगिक रुग्णता में कमी लानी होगी। यदि कोई संस्था कृषि क्षेत्र में ऋण दे रही है, तो इसके पास अवश्य एक कृषि विशेषज्ञ होना चाहिए जो यह जानता हो कि क्षेत्र में कार्य कैसे होता है। किसी अन्य क्षेत्र में ऋण देने वाले के साथ उस क्षेत्र का विशेषज्ञ अवश्य होना चाहिए। इन विशेषज्ञों को सही समय पर संस्थानों को मार्गनिर्देश देना चाहिए जिससे कि रुग्णता नियंत्रण से बाहर न हो जाए। यदि आवश्यक हो तो उन्हें कम्पनी की सहायता करने हेतु कुछ और धन देना पड़ेगा और यह देखना होता है कि उन्हें पुनर्जीवित होकर सही दिशा में कार्य कर सके।

इसलिए, मैं जिस बात को महत्वपूर्ण महसूस करता हूं वह है कि आपके पास विशेषज्ञ होने चाहिए। वित्तीय संस्थानों के पास उचित व्यक्ति होने चाहिए जो इन संस्थानों को सही तरीके से संचालित और मार्ग निर्देशित कर सकें। उन्हें सिर्फ ब्याज एवं ऋण दरों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यह वह मानदंड नहीं है जिस पर हम इन व्यक्तियों का उपयोग कर सकेंगे। उन्हें उनके खर्चों में भी कमी करनी चाहिए। आजकल, हम ढेर सारे सेवानिवृत्ति लाभ एवं अन्य लाभ दे रहे हैं।

कृषि एवं लघु उद्योग क्षेत्र के संबंध में आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए 1 लाख रुपए पर्याप्त नहीं हैं। आपको कृषि हेतु विशेष प्रावधान करने चाहिए, जो कि विभिन्न स्तरों से गुजर रहा है। ऐसे भी प्रावधान होने चाहिए जिनके माध्यम से हम उनका संरक्षण कर सकें। लघु उद्योग क्षेत्र के संबंध में भी यही मामला है। यह क्षेत्र व्यापक स्तर पर रोजगार देता है। यह क्षेत्र कई मदों का निर्यात कर रहा है। हमें उनको समर्थन और सहानुभूति देने की आवश्यकता है। आज, लघु उद्योग क्षेत्र सबसे बडे निर्यातकों में से एक है। इसके पास रोजगार सृजन की क्षमता है।

इन बातों के मद्देनजर मैं समझता हूं कि वित्तीय संस्थाओं और बैंकों को उचित विशेषज्ञ उपलब्ध करा के उनको सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। हमें उन्हें उचित सहयोग देना चाहिए ताकि वे अच्छी तरह से कार्य निष्पादित कर सकें। उनमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आस्ति पुनर्गठन निर्माण निगम (एसेस् रिकन्सट्रक्शन कॉरपोरेशन) को कुछ परिसमापकों की आवश्यकता है। उन्हें उपयुक्त रिसिवरों को नियुक्त करना चाहिए जिनके पास समुचित ज्ञान एवं अनुभव हो। बैंक प्रत्येक कम्पनियों का अधिग्रहण कर उनका संचालन नहीं कर सकता। मैं एक राज्य वित्त निगम के बारे में जानता हूं जिसने कई गाडियों का वित्तपोषण किया था। कुछ ही वर्षों में सारी लारियां उन्हें क्षतिग्रस्त अवस्था में वापस लेनी पड़ीं। वे उपयोग के लायक नहीं थीं। वे नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या करना है। यही स्थिति सामने आएगी। यदि वे सभी कम्पनियों का अधिग्रहण करेंगे, वे उनको नहीं चला सकते क्योंकि वे नहीं जानते कि उनके साथ क्या करना है। उनके पास विशेषज्ञता नहीं है। इसलिए, आस्ति पुनर्निर्माण निगम के लिए उचित रूप से योजना बनाई जानी चाहिए। इसके लिए काफी समर्थन एवं विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी। हमारे साथ उपयुक्त ढंग के लोग होने चाहिए। हम उन्हें ऐसा कार्य नहीं सौंप सकते जिसके बारे में वह जानते नहीं कि इसका कैसे उपयोग करना है, कहां करना है और कब करना है।

इन बातों के साथ, मेरे विचार से हमें समुचित सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए यह देखना चाहिए कि वे इसका सावधानीपूर्वक उपयोग करें। यह मेरा अनुरोध है।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : महोदय, मैं वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन विधेयक, 2002 का समर्थन करता हू।

महोदय, वाद–विवाद की शुरूआत श्री बसुदेव आचार्य द्वारा की गई थी। उन्होंने मुख्यतः दो पक्षों का विशेष उल्लेख किया—जानबूझकर चूक करने वालों को गिरफ्तार करना और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना। वित्त संबंधी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था। प्रश्न था कि उनके गैर–निष्पादनीय आस्तियों में से कितना प्रतिशत जानबूझकर चूक करने वालों के पास फंसा है और कितना प्रतिशत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के पास फंसा हुआ है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, कमेटी की भीतरी बात का जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं, यह गलत है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बिना किसी का रैफरेंस दिए अपनी बात कहिए।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, यह समिति से जुडा मामला नहीं है। मैंने उनसे सिर्फ समिति के सदस्य के रूप में पूछा था। उनका उत्तर मेरे लिए अत्यन्त आश्चर्यजनक था। उन्होंने कहा कि गैर–निष्पादनकारी आस्तियों में से 70 प्रतिशत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के पास फंसा है और 30 प्रतिशत से भी कम ही जानबूझकर चूक करने वालों के पास फंसा है। महोदय, मैं सरकार के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट आपको दूंगा। 31.7.02 की तिथि के अनुसार औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के पास पंजीकृत सभी मामलों में घाटे की राशि 80283 करोड़ रु. है।

यह औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के पास जमा कुल घाटा है। यदि आप पंजीकृत मामलों और संदर्भों की संख्या देखें तो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के पास निजी क्षेत्र से पंजीकृत मामलों की संख्या 3838 है और सरकारी क्षेत्र में यह संस्था 185 है। अतः बी.आई.एफ.आर. के पास लंबित मामलों की संख्या 4023 है, और लंबित होने की अवधि एक वर्ष से कम से लेकर पद्रह वर्ष से कम तक की है।

[श्री खारबेल स्वाइं]

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बी.आई.एफ.आर. के पास 23 ऐसे मामले हैं जो 15 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं; 12 मामले 14 वर्ष से अधिक, 20 मामले 13 वर्ष से अधिक, 12 मामले 12 वर्षों से अधिक, 15 मामले 11 वर्षों से अधिक और 24 मामले 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं।

मैं माननीय सदस्य श्री बी. बी. रमैया से पूर्णतः सहमत हूं जब वे यह कहते हैं कि इन गैर–निष्पादनीय आस्तियों का मुख्य कारण रुग्ण उद्योग हैं। गैर–निष्पादनीय आस्तियों के संबंध में ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 40 प्रतिशत है। यदि आप यह मान लें कि सकल गैर–निष्पादनीय आस्तियां 15 प्रतिशत हैं तो सकल घरेलू उत्पाद को प्रभावित करने वाली गैर–निष्पादनीय आस्तियां चार प्रतिशत से कम हैं। यह थाईलैंड में 69 प्रतिशत और मलेशिया में 34 प्रतिशत है। अतः यह कहना सच नहीं है कि गैर–निष्पादनीय आस्तियां देश में तबाही ला देंगी। केवल भारत ही नहीं गैर–निष्पादनीय आस्तियां जापान जैसे देश को भी प्रभावित कर रही हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि चीन में गैर–निष्पादनीय आस्तियों का वास्तविक स्तर 50 प्रतिशत है। यह भारत में 20 प्रतिशत से भी कम है। किन्तु मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह उचित स्तर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि ऐसा होना बहुत अच्छा है। किन्तु मैं कहना चाहता हूं कि कतिपय पक्रियागत कमियों के कारण गैर–निष्पादनीय आस्तियों का स्तर प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है।

जैसा कि आप जानते हैं, आप पाएंगे कि भारत में कई रुग्ण कम्पनियां हैं, किन्तु आपको कभी भी रुग्ण प्रोमोटर नहीं मिलेगा। जब भी एक प्रोमोटर सोचता है कि उसे पैसे नहीं देने हैं तो स्वाभाविक रूप से वह क्या करेगा कि अपने उद्योग में तालाबन्दी कर देगा, वह मामले को बी.आई.एफ. आर. के सामने रखेगा और चाहेगा कि यह स्थायी रूप से वहीं फंसा रहे।

अतः मैं सरकार से पूर्णतः सहमत हूं कि इस विधेयक को लाकर एक सकारात्मक कदम उठाया गया है क्योंकि इस विधेयक के बिना बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समान अवसर नहीं मिलता। यह केवल भारत से संबंधित समस्या नहीं है। विश्व में सभी जगह ये समस्या है और सभी देशों ने कुछ उपाय किए हैं। भारत को भी अन्य देशों द्वारा अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर स्वीकृत उपाय करने चाहिए। किन्तु, दुर्भाग्यवश, भारतीय बैंकों के पास इन ऋणों को वसूल करने के लिए समान अवसर नहीं हैं। मैं यह नहीं कहता कि प्रत्येक तरीका हर प्रकार से ठीक है। कोई भी तरीका शत–प्रतिशत सही नहीं है। इसी प्रकार, हो सकता है कि सरकार द्वारा लाया गया विधेयक शत–प्रतिशत सही उपाय न हो। किन्तु यह विगत अधिनियमों और नियमों में सुधार अवश्य है। मैं देश की अर्थव्यवस्था पर गैर–निष्पादनीय आस्तियों के अब तक के प्रभाव तथा जो प्रभाव पड़ने वाला है उस विषय में संक्षेप में कहूंगा। वे प्रावधानगत आवश्यकताओं के माध्यम से चालू लाभ को खत्म करते हैं, वे ब्याज दर में कमी करते हैं और धनराशि के पुनःप्रयोग को सीमित करते हैं तथा इससे आस्तियों–देनदारी में असंतुलन पैदा करते हैं।

अतः तीन मूल बातें हैं। किन्तु जब ये तीन मूल बातें हैं तो बैंकों को आस्ति पुनर्गठन कम्पनी स्थापित करने तथा अपने बकाया की वसूली करने की अनुमति देने में गलत क्या है? मैं जानता हूं कि ये आस्ति पुनर्गठन कम्पनियां भारत में कोई नयी चीज नहीं हैं। यह अमरीका में भी है। यह संकल्पना 1980 में शुरू हुई थी। 1980 में यह स्कैण्डेनेवियन देशों में भी शुरू हुई थी। मैक्सिको में यह 1995 में शुरू हुई थी। कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे एशियाई देशों में आस्ति पुनर्गठन कम्पनी की शुरूआत इन देशों में 1997–98 के बाद बैंकिंग उद्योगों के विफल होने के बाद की गई थी। मैं यह नहीं कहता कि इस प्रणाली ने उसी समय चमत्कारिक सफलता प्राप्त की है। किन्तु इसे एक खास स्तर तक सफलता मिली है। यदि हम यह उपाय अपनाएंगे तो हमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ सफलता मिलेगी।

मैं यहां एक उदाहरण दूंगा। हमने कई बैंक प्रबंधकों, महाप्रबंधकों या चेयरमैन से पूछा था। उन्होंने कहा कि एक बार जब उन्होंने उन उद्योगपतियों की आस्तियों के अधिग्रहण की एक बार नोटिस भेजी है तो जिन्होंने बैंक के लोगों को गत दस या बीस वर्षों से अपना चेहरा नहीं दिखाया था वे बैंक के अधिकारियों के पास दौड़ रहे हैं और वे बातचीत से समाधान चाहते थे। वे बातचीत करने के लिए आगे आ रहे थे। एकमुश्त समाधान से कम से कम कुछ पैसों की वसूली तो हो जाती है। शत–प्रतिशत गैर–निष्पादनीय आस्तियां अब लाभकारी आस्ति में तब्दील हो रही हैं। पहले

जो शत–प्रतिशत गैर–निष्पादनीय आस्तियां थीं वह अब घटकर 20 प्रतिशत, 50 प्रतिशत या 70 प्रतिशत गैर–निष्पादनीय आस्ति में बदल रही हैं। गैर–निष्पादनीय आस्ति की 20 प्रतिशत या 50 प्रतिशत वसूली करना क्या सुधार नहीं है? केवल इस प्रकार के नोटिस जारी करने से ही बैंकों ने भारी राशि वसूली है। माननीय श्री बंसल ने जो कुर्की प्रक्रिया इत्यादि के संबंध में जो कुछ बातें उठाई हैं, मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं। मैं भी यही बातें कहता हूं। कुर्की प्रक्रिया के संबंध में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह यह है कि जब कुर्की की जाती है तो यह जिलाधीश द्वारा की जाएगी। किन्तु मेरा कहना है कि खंड 14 के अनुसार, जिलाशीध या चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा इन आस्तियों को वास्तव में अधिकार में लिया जाता है। क्या इन आस्तियों को जिलाधीश या चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के पास से वापस पाने की कोई संभावना है? क्या यह आसानी से संभव होगा? अतः मैं माननीय मंत्री से अपील करूंगा कि इस पहलू पर विचार करें।

अपराह्न 3.58 बजे

(**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** पीठासीन हुए)

इसके बाद श्री बंसल ने हम पर एक आरोप लगाया है। उन्होंने इस प्रकार कहा है जैसे केवल हमारी ही पार्टी में घोटाले होते हैं और देश को हम पर भरोसा नहीं रहा है, उनकी पार्टी ही ऐसी है जिसके शासनकाल में कोई घोटाला नहीं हुआ और लोगों को उनमें पूरा विश्वास था और इसीलिए लोगों ने उन्हें गत दो चुनावों में सत्ता से बाहर रखा। उन्होंने इस प्रकार कहा। मैं सिर्फ यह प्रश्न पूछ रहा हूं। जब तक राजनीतिक दल हैं तो क्या जिलाधीशों पर आस्तियों को जारी नहीं करने का दबाव नहीं होगा? अतः यह समस्या हो सकती है। अतः मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह इस विषय पर विचार करे।

दूसरी बात यह है। अपील करने से पहले बकाया 75 प्रतिशत भुगतान के प्रावधान के संबंध में भी मैं श्री बंसल से पूर्णतः सहमत हूं। कोई भी व्यक्ति जिसके पास 75 प्रतिशत धन बकाया है, जो इसे लौटा सकता है वह उस उद्योग को बैंक को क्यों सौंपेगा? वह ऐसा क्यों करेगा? बैंक अत्यंत प्रसन्नता से 75 प्रतिशत धन स्वीकार करेंगे। वे इसे जारी कर देंगे। वे अत्यंत प्रसन्नता से 50 प्रतिशत धन स्वीकार करेंगे। अतः यदि आपके पास 75 प्रतिशत धन नहीं है तो आप अपील नहीं कर सकते, इस प्रकार का प्रावधान रखने का क्या मतलब है। मैं नहीं समझता कि यह खंड उचित है।

अपराह्न 4.00 बजे

ऐसा इसलिए है क्योंकि जिसके पास भी 75 प्रतिशत पैसा है वह अपना उद्योग खो बैठेगा। इसे घटाना पडेगा। मैं समझता हूं कि यदि उसे भुगतान करना ही है तो 25 प्रतिशत बहुत उचित रहेगा। और फिर वह अपील भी कर सकेगा।

फिर कोई भी कह सकेगा कि यह तो बर्बर कानून है क्योंकि निदेशक मंडल और चेयरमैन को तत्काल हटाना संभव है। इस उपबंध के बारे में मुझे कडी आपत्ति है। इसलिए, जैसा श्री पवन कुमार बंसल ने कहा कि उन्हें भी अपील करने का अवसर दिया जाना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र में इस प्रकार के बर्बर उपबंध का प्रयोग नहीं होना चाहिए।

मैं पुनः जानबूझकर चूक करने वालों और अनजाने में चूक करने वालों के प्रश्न के संबंध में श्री पवन कुमार बंसल से सहमत हूं। इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं उन मुद्दों को दोहराना नहीं चाहता हूं जिन्हें अन्य माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया है। यदि सरकार की नीति में कोई परिवर्तन होता है और यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है अथवा यदि कुछ बाहरी देश अपने दायित्वों को पूरा नहीं करते हैं और भुगतान नहीं करते हैं तो उद्योग को उसके लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से अपील करता हूं कि इन्हें इस खंड पर भी पुनर्विचार करना चाहिए और जानबूझकर चूक करने वालों और अनजाने में चूक करने वालों के बीच अंतर होना चाहिए।

अब, मैं दो या तीन सुझाव देना चाहता हूं। रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम में रुग्ण उद्योगों के लिए कडे अवलम्ब का उपबंध किया गया है। इस कानून का तुरंत निरसन किया जाना चाहिए। निःसंदेह सरकार इसके लिए पहले भी एक विधेयक ला चुकी है। इसलिए इसका शीघ्रातिशीघ्र निरसन किया जाना चाहिए।

इस तरह, कम्पनी (दूसरे संशोधन) अधिनियम के माध्यम से दूसरा प्रावधान किया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करता

[श्री खारबेल स्वाइं]

हूं कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण का तत्काल गठन किया जाना चाहिए। इसके पास बी.आई.एफ.आर., कम्पनी विधि बोर्ड तथा उच्च न्यायालय की शक्तियां होनी चाहिए। मूल उद्देश्य है, मामले पर निर्णय करने में लिए जाने वाले समय को कम करना। यदि किसी उद्योग को बी.आई.एफ.आर. के पास भेज दिया गया है तो एन.सी.एल.टी. को हमें तेजी से निपटाना चाहिए। यह किसी न्यायालय में 20 से 30 वर्ष तक नहीं अटकाना चाहिए। यदि मामला ऐसा है तो श्रमिकों के साथ क्या होगा? मैं सरकार का एस.आई.सी.ए. के माध्यम से 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान करने, जो श्रमिकों को कुछ मुआवजा प्रदान करेगा, के लिए धन्यवाद देता हूं। यह 100 करोड रुपए की राशि बहुत कम है और मैं अपील करता हूं कि इसे बढाया जाना चाहिए।

फिर, बैंक पैसे के ढेर पर बैठे हुए हैं। वे अब पूरी तरह हतोत्साहित हैं और उनका एकमात्र कार्य है ऋण की वसूली करना। ये किसी को भी ऋण देने के लिए पूरी तरह अनिच्छुक हैं। कभी–कभी इनके पास अधिक जमा राशि भी नहीं रहती है इसलिए ये ऋण नहीं दे पाते हैं।

फिर हम जमा राशि पर हर वर्ष ब्याज दर घटा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऋण पर ब्याज दर को भी इसी प्रकार क्यों नहीं घटाया जा रहा? बैंक उन लोगों से अधिक ब्याज ले रहे हैं, जो बैंकों से ऋण लेते हैं परन्तु इसके साथ ही मैं यह जानना चाहता हूं कि वे जमाकर्ताओं को अधिक ब्याज का भुगतान क्यों नहीं कर रहे हैं? उद्योग को सस्ती दरों पर पैसा उधार देने का इरादा होना चाहिए ताकि विश्व स्तर पर हमारे उद्योग प्रतिस्पर्धात्मक बनें। परन्तु, ऋण दर को कम नहीं किया जा रहा है। इसलिए इस मुद्दे पर सरकार द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है।

फिर, एक क्रेडिट एक्सचेंज रेटिंग सिस्टम होना चाहिए। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि बैंक को यह जानना चाहिए कि एक व्यक्ति अन्य बैंक के साथ क्या कर रहा है।

बैंक को यह निर्णय लेने की कि उन्हें किसे ऋण देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए पूर्ण जिम्मेदारी और स्वायत्तता दी जानी चाहिए। इस संबंध में उन पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। इस संबंध में उनके पास पूर्ण स्वायत्तता होनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री से अपील करता हूं कि इसमें सुधार के लिए न्यूनतम परिवर्तन करें।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : माननीय सभापति महोदय, मेरी पहली आपत्ति अध्यादेश रूट के संबंध में है। मुझे याद है जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी इस तरफ बैठे थे, तो इन्होंने एक बार कांग्रेस सरकार को 'आर्डिनेंस राज' का नाम दिया था। अब इस सरकार को क्या हो गया मुझे पता नहीं। यहां तक कि जब स्थायी समितियां गठित की गई हैं, न केवल यह बल्कि अन्य बहुत से महत्वपूर्ण विधेयक यथा यूनिट ट्रस्ट प्राइवेटाइजेशन विधेयक और सेबी विधेयक अध्यादेश के जरिए आए थे। न तो हम इस पर स्थायी समिति में चर्चा कर सकते हैं और न ही यह समय दिया जाता है। केवल दो घंटे हैं और मुझे 20 बातें कहनी हैं। मैं समझता हूं कि सभी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं।

इस विधेयक से ऐसा क्या लाभ होने वाला है? मैं केवल इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री दलबीर सिंह की पहली प्रतिक्रिया उद्धृत कर रहा हूं

> "गैर–निष्पादनीय आस्तियों पर विचार करने की इस विधि से बैंकों को लाभ नहीं होगा क्योंकि अपचारित परिसंपत्तियां केवल ए.आर.सी. को हस्तांतरित की जाएंगी। परन्तु उन्हें उस समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब तक कम्पनी इन टेढी परिसंपत्तियों का निपटारा न कर ले।"

यह इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष की आपत्ति है। ऐसे बहुत से अर्थशास्त्री और अन्य व्यक्ति भी हैं। उनकी राय है कि इस विधेयक से कोई लाभ नहीं होगा। अपितु, इससे स्थिति और जटिल होगी। मुझे लगता है कि इस विधेयक पर अन्य सुधारों के परिप्रेक्ष्य में विचार किए जाने की आवश्यकता है। अन्य सुधार क्या हैं? बैककारी सुधार विधेयक को ही लीजिए। जब सरकार अपनी हिस्सेदारी कम करने का प्रयास कर रही है तो बैंकों को पूंजी बाजार में जाना पड़ेगा और वह पहले ही शुरू हो गया है। और हम एक विशेष घटना का ही जिक्र कर रहे हैं। चूककर्ता स्वयं बैंक को अधिग्रहण करने का प्रयास कर रहा है। शायद यह बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के सामने आने वाली गैर–निष्पादनीय आस्तियों की सबसे प्रमुख समस्या है। जानबूझकर चूक करने वाला वास्तव में बैंक का अधिग्रहण करने की योजना बना रहा है। वह बैंक का देनदार है।

अंततोगत्वा, हमने यह मुद्दा सार्वजनिक रूप से उठाया है। कर्मचारियों ने यह मुद्दा उठाया और भारतीय रिजर्व बैंक को हस्तक्षेप करना पड़ा। यह होने जा रहा है क्योंकि मुझे सरकार की इच्छा के बारे में संदेह है। कानून के उपबंधों की कमी कोई नहीं रही। मूल्यांकन कौन करेगा? हमने देखा है कि सरकार ने किसी को सेंटूर होटल का मूल्यांकन करने हेतु नियुक्त किया। उन्होंने इसका मूल्यांकन किया। यह 85 करोड़ रुपए में बेचा गया। लगभग तीन अथवा चार माह के पश्चात् इसे सहारा को बेचा गया। इस कम्पनी द्वारा 30 करोड़ रुपए का लाभ कमाया गया।

जब कम्प्यूटर मैंटिनेंस कारपोरेशन टाटा को सौंपा गया था तो पूंजी बाजार में कीमत में हेराफेरी की गई और इसे कम किया गया। हमें अन्य कहानियों का भी पता है कि किस प्रकार कम्पनियों का अधिग्रहण किया गया। बार–बार बी.आई.एफ.आर. कहकर बिलकुल गलत बात बताई जा रही है। बी.आई.एफ.आर. को भेजी गई कम्पनियों के खाते में 10 प्रतिशत से कम गैर–निष्पादनीयकारी आस्तियां थीं। मैं इसे कार्यवाही में शामिल करता हूं। यही बी.आई.एफ.आर. के अध्यक्ष का साक्ष्य है। अंत में वे कहते हैं कि यदि हम सरकारी क्षेत्र के बैंकों, गैर–सरकारी बैंकों, पुराने गैर–सरकारी बैंकों, नए गैर–सरकारी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं को ध्यान में रखें तो यह एक लाख तीस करोड़ से एक लाख पचास करोड़ रुपए के आसपास जा सकती है।

बी.आई.एफ.आर. के पास भेजी गई कम्पनियों के खाते में लगभग 10,000 करोड रुपए है। बी.आई.एफ.आर. नहीं खा रहा है। इसे कौन खा रहा है?

मैं राज्य सभा की चर्चा का जिक्र कर रहा हूं। चर्चा एक विशेष समूह के बारे में थी कि यह 11,000 करोड़ रुपए की चूक कर रहा था। यह दूसरी सभा में 23 जुलाई की चर्चा है। मैं उस कम्पनी का नाम ले सकता हूं, यह एस्सार ग्रुप था। यह दो वर्गों के लोगों के बीच कारपोरेट लड़ाई थी और वित्त मंत्री ने कहा था कि आई.डी.बी.आई. ने एस्सार पावर के खातों को 31 मार्च, 2001 को गैर–निष्पादनकारी वर्गीकृत किया था। परन्तु इसका 31 मार्च, 2002 को निष्पादनीय परिसम्पत्तियों के रूप में उन्नयन कर दिया गया। 11,000 करोड़ रुपए को 7,000 करोड़ रुपए दर्शाया गया। यह एक समूह के बारे में है। ऐसे सैकड़ों ग्रुप हैं जिन पर बैंकों का सैकड़ों करोड़ रुपए बकाया है। ऋण लेने वाले द्वारा अधिगृहीत की गई कम्पनी का मूल्यांकन कौन करेगा? हम मूल्यांकन प्रक्रिया जानते हैं। कोई पारदर्शिता नहीं है। इसमें कोई एकरूपता नहीं है। यह केवल वरणात्मक है।

मैंने केवल सेंटूर होटल, सी.एम.सी. इत्यादि का उल्लेख किया है। मैं बाल्को के संबंध में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणी का उल्लेख कर सकता हूं। और भी बहुत से हैं। कौन मूल्यांकन करेगा? क्या सभा आश्वस्त हो सकती है कि कोई भी कंपनी, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विशेष गैर–निष्पादनकारी आस्तियों से संबंधित हो उसे ए.आर.सी में भाग लेने अथवा उससे कोई संबंध रखने की अनुमति न दी जाए? क्या आश्वासन दिया जाएगा? नहीं। यह एक कमी है। वहां, सरकार की इच्छा पर संदेह किया जाता है कि बैंक सुधार विधेयक के पश्चात् सरकार के अंश के संबंध में अनुपात ह्रास किया जाता है और स्वयं चूककर्ता पर्दे के पीछे से इन बैंकों को संचालित करेंगे और प्रबंधन पर पकड़ जमाने का प्रयास करेंगे।

माननीय वित्त मंत्री ने गैर–निष्पादनीय आस्ति के खतरे का उल्लेख ऋण के रूप में नहीं किया बल्कि लूट के रूप में किया। यदि समाज में लूट की जाती है, तो क्या किया जाता है? आपराधिक दंड दिया जाता है। क्या सरकार इन चूककर्ताओं को अपराधियों के रूप में दंडित करने के लिए तैयार है? पाकिस्तान के बारे में भी आप यह नहीं कह सकते हैं कि वहां लोकतंत्र नहीं है, चूककर्ताओं को चुनावों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। विश्व में ऐसे कई देश हैं, जहां ऐसी लूटों की अनुमति नहीं दी जाती है। उसका निवारण है। यहां क्या निवारण है?

आज तक, किसी बैंक से ऋण लेने वाली कोई कम्पनी, किसी दूसरे बैंक के पास जाती है और वही चूककर्ता बैंकिंग प्रणाली के साथ धोखा करती है। उन्हें निदेशक मंडल में रखा जाता है। वित्तीय संस्थाओं के निदेशक मंडल में वही लोग रखे जाते हैं जिन्होंने कभी भी बैंकों को भुगतान नहीं किया है। यह इस सरकार की गंभीरता है कि अब लोगों को दंडित करने के बजाय, उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है, उच्च पदों पर पदोन्नत किया जा रहा है, राजनीतिक रूप से बढ़ावा, प्रोत्साहन एवं संरक्षण दिया जा रहा है? इसलिए, मुद्दा यह है कि इसमें कई कमियां हैं। इस विधेयक से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होने वाली। यह मेरा विचार नहीं है

[श्री रूपचन्द पाल]

बल्कि यह बैंकिंग समुदाय का विचार है, आई.बी.ए. प्रकरण का विचार है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विचार है।

यह इस विधेयक की प्रतिक्रिया है। आई.बी.ए. के प्रमुख ने कहा कि उन्होंने दूसरा विधेयक प्रस्तुत किया है। मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : वे मेरा भी ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं।

श्री रूपचन्द पाल : कृपया आप उन्हें पहले समाप्त करने दें। आई.बी.ए. प्रकरण ने एक स्थान पर यह व्यक्त किया है कि बैंकरों ने पूर्वबंध कानून के रूप में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

क्या यह कुछ अलग है? बैंकों द्वारा दिए गए सुझाव का क्या हुआ? वे ऐसा विश्वास करते हैं कि ऋण वसूली प्राधिकरण को अवसंरचना, आवश्यक संख्या में न्यायाधीश उपलब्ध कराने और कानून प्रणाली में कुछ परिवर्तन करने के दृष्टिकोण से सुदृढ़ किया जाता है। आई.बी.ए. का कहना है कि एक पृथक् वसूली प्रकोष्ठ, जो शाखाओं से उत्तरदायित्व एवं घाटों पर सीधा ध्यान देता है, विधायी उपाय के बजाय ज्यादा सहायक है। इसलिए, हम यह जानना चाहते हैं कि क्या बैंकिंग समुदाय, विशेषकर आई.बी.ए. ने पूर्वबंध के बारे में कोई वैकल्पिक प्रस्ताव रखा है। उन्होंने यह सुझाव दिया था कि वर्तमान प्रणाली ठीक ढंग से कार्य कर रही है और नई प्रावधानों के बजाय इसे सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

विश्व भर में ए.आर.सी. का क्या अनुभव है? चीन में यह असफल हो चुका है। अधिकतर देशों में यह असफल हो रहा है। यह राज्य वित्त निगम के मामले में भी असफल है क्योंकि बैंकों के पास विशेषज्ञता नहीं है। यदि उसका अधिग्रहण किया जाएगा, तो इसका अधिग्रहण कब किया जाएगा? यह सब बाजार पर निर्भर करता है, बाजार की समझ पर निर्भर करता है। इन सबका असर छूट पर दिखेगा। वसूली की मात्रा की गणना कौन करेगा? बैंकिंग समुदाय की ऐसी शंका है कि इससे कोई सहायता नहीं मिलने वाली और जो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, वह केवल कूड़ा ही होगा। अंततः बैंकों को इन नुकसानों को सहना होगा। ऐसा हो सकता है कि इस तरह से उस तरह से, ऐसे प्रावधान, भविय में ऐसे निवारण सहायक होंगे परन्तु पूर्व की गैर–निष्पादनीय आस्तियों का क्या हुआ। इस अवधि के दौरान, ऐसा हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सकल गैर–निष्पादनीय आस्तियों एवं निबल गैर–निष्पादनीय आस्तियों के मामलों में सुधार हुआ है। कृपया उन निजी बैंकों पर नजर डालिए जिन्हें स्वच्छ रिकार्डों के साथ खोला गया है। नए निजी बैंकों एवं पुराने निजी बैंकों के मामले में, गैर–निष्पादनीय आस्तियां बढ़ रही हैं। वस्तुतः, लूट हो रही है। वे लोग जिन्हें घोटाले की थोड़ी भी जानकारी है, वे ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, यू.टी.आई. बैंक के मामलों, प्रस्तावित विलय एवं कैसे भारतीय रिजर्व बैंक ने हस्तक्षेप किया है, आई.सी.आई.सी.आई. एवं मदुरा बैंक के मामलों को समझेंगे। ये गंभीर भ्रष्टाचार के मामले हैं और निजी क्षेत्र के बैंक इन गैर–निष्पादनीय आस्तियों को जारी रखे हुए हैं क्योंकि कदाचार एवं घोटाले जारी है।

इस विधेयक का मूल उद्देश्य विशेषज्ञ समिति–अध्युर्जना समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया था–जिसने नरसिंहम् समिति की सिफारिशों के कतिपय अध्यायों, विशेषकर दूसरे अध्याय पर कार्य किया। परन्तु एक सुझाव ए.आर.सी. कोष के बारे में था। ए.आर.सी. के बारे में नहीं। पुनः, ऐसा बार–बार कहा गया है कि ए.आर.सी. का चरित्र निजी होगा। आई.सी.आई.सी.आई. को नोडल एजेंसी का कार्य सौंपा गया है और एक प्रायोगिक परियोजना तैयार की जा रही है। इस प्रकार की एक योजना 10 करोड़ अथवा इतने के साथ संचालित की जा रही है। श्री नरसिंहम् जिन्होंने उस रिपोर्ट को तैयार किया है, भी इस थोडी सी धनराशि से चकित थे और यह कहा कि इससे किसी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होने वाली है।

इसलिए, न केवल मेरी तरफ से गंभीर आपत्ति है परन्तु उनके तरफ से भी है जो यह जानते हैं कि इससे किरी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होने वाली है। मैं मूल्यांकन के बारे में आश्वासन चाहता हूं। क्या प्रतिभूति प्राप्त क्रेडिटरों के प्रति पारदर्शक, प्रामाणिक, उपयुक्त एवं स्वीकार्य है?

सरकार, प्रतिभूति प्राप्त क्रेडिटरों को स्वीकार्य मूल्यांकन से संबंधित ऐसे प्रावधान के बारे में इस सभा को कैसे आश्वासन देने वाली है? यदि आई.बी.ए. प्रमुख के साथ या इन प्रावधानों पर आपत्ति प्रकट करने वाले सभी लोगों के साथ बातचीत का मौका मिला होता, तो हमने स्थायी समिति में ऐसा किया होता और समुचित सिफारिशें की होतीं। ऐसा हुआ होता तो, न्यायालय ने इस तरह से हस्तक्षेप नहीं किया होता, जैसा

कि किया गया था। परन्तु इस सभा में हमारे दृष्टिकोणों को महत्वपूर्ण लोगों के संबंधित सामूहिक विचारों को रखने के अवसर से वंचित किया जा रहा है।

क्या यह सरकार आश्वासन दे सकती है कि किसी कम्पनी अथवा इकाई से संबंधित किसी भी व्यक्ति को, जो कि चूककर्ता रहा था, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी के साथ किसी प्रकार का संबंध रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी? मुझे इस पर आपत्ति है। मान लीजिए कि परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी ठीक ढंग से कार्य कर रही है और यह कभी भी प्रवंचना नहीं करती, तो इन कार्यवाहियों का क्या होगा? विद्युत कम्पनियों की देनदारी एवं अन्य देनदारियों को पूरा करना होगा। कामगारों के बकायों का क्या होगा? मैं वहां कम्पनियों की कामगार के प्रति देनदारी को पाता हूं, जो कि जानबूझकर अथवा अन्यथा चूक करते हैं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने इसका सीमांकन किया है, और जानबूझकर करने वाले चूककर्ता और जान—बूझकर चूक ही करने वाले चूककर्ताओं के बीच भे सीमांकन करने से कोई लाभ नहीं होगा। बल्कि इसका दुरुपयोग होगा। मुझे सरकार की मंशा पर संदेह है कि क्या वे विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के मामले में एक समानता को सुनिश्चित करेंगे। क्या यह गैर—यादच्छिक होगा? सरकार किए जाने वाले दुरुपयोग के बारे में कैसे आश्वासन देगी? सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मूल्यांकन के संबंध में दुरुपयोग किया जाता है। स्वतंत्र कम्पनियों के साथ कुछ एकसमानता होनी चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री रूपचन्द पाल : मैं समाप्त कर रहा हूं।

हमें परिसंपत्तियों के वर्गीकरण विवेकपूर्ण विनियमों एवं आय विनियमों का अनुभव है। मुझे याद है कि एक बार भारतीय रिजर्व बैंक ने संतुलन पत्र में बैंकों की पारदर्शिता एवं बेहतर प्रकटीकरण हेतु 17—सूत्री प्रारूप को सामने रखा था। परन्तु इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया गया था। क्यों? क्या सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के उस 17—सूत्री प्रारूप को दखन क लिए तैयार है, जिसन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, तुलन पत्रक में बेहतर पारदर्शिता को सुनिश्चित किया है क्योंकि तुलन—पत्रक में हेर—फेर है। सरकारी प्रतिभूतियों में और सरकारी कोष में तथा जो भी संपत्ति शेष रहती हो, में जमा की भारी धनराशि को रखते हुए प्राप्त लाभ को लाभ के रूप में दर्शाया जाता है। पुनः, बैंक ठीक ढंग से कार्यवाही कर रहे हैं।

वसूली की क्रियाविधि को लागू करने के बारे में, क्या यह एक समान रूप से या विशेष रूप से लागू होगा? मेरे विचार से वसूली के मामलों में वर्गीकरण होना चाहिए। उदाहरण के लिए, क, ख, ग, घ एवं ङ का मामला लें। 50 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की चूक करने वालों को 'क' वर्ग में रखना चाहिए। यह प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। 10 करोड़ और 50 करोड़ रुपए के बीच की धनराशि वाले मामले श्रेणी 'ख' के अंतर्गत आने चाहिए; 5 करोड़ और 10 करोड़ रुपए के बीच की धनराशि वाले मामले श्रेणी 'ग' के अंतर्गत आने चाहिए, 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए के बीच की धनराशि वाले मामले श्रेणी 'घ' के अंतर्गत आने चाहिए और 1 करोड़ रुपए से नीचे की धनराशि के मामले श्रेणी 'ङ' के अंतर्गत आने चाहिए। लेकिन मुझे संदेह है कि स्थिति कुछ और ही होगी। लोग जितने अधिक कमजोर होंगे वे उतने ही अधिक लाचार होंगे और उन्हें ही निशाना बनाया जाएगा। जिनके लोग अथवा कारपोरेट मित्र राजनीति क्षेत्र में हैं उनको बिलकुल भी नहीं छेड़ा जाएगा। उनको बिलकुल भी नहीं छेड़ा जाएगा। उनको बिलकुल भी नहीं छेड़ा जाएगा क्योंकि वे चुनावों के लिए धनराशि जुटाने में सहायक हैं। ये लोग अन्य प्रयोजनों में भी सहायक होते हैं।

सभापति महोदय : आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री रूपचन्द पाल : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

सभापति महोदय : ऐसा इसलिए है कि इस विधेयक के लिए आवंटित समय केवल दो घंटे है। बहुत सारे सदस्यों को अभी बोलना है।

[हिन्दी]

डा. रघुवश प्रसाद सिंह (वैशाली) : यह लाखों—करोड़ों रुपए का बिल है इसलिए इतने कम समय में कैसे जस्टिस होगा। इस पर काफी बहस होनी चाहिए।

सभापति महोदय : बहस तो हो रही है। अभी इस पर काफी बोलने वाले हैं। उनको भी तो बोलने का मौका मिलना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : गैर–सरकारी क्षेत्र के बैंक अपनी शर्तें पूरी नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनकी गैर–निष्पादनकारी आस्तियां बढ़ रही हैं। ऐसी स्थिति में हमें यही देखने को मिल रहा है कि अधिकांश बैंक खतरे से खाली हो गए हैं। वे कृषि के लिए कुछ भी नहीं दे रहे हैं। मुझे देश के कतिपय भागों में समिति के सदस्य के रूप में कृषिविदों से बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैंने पाया कि गैर–सरकारी क्षेत्र का कोई भी बैंक ऋण देने की 13 प्रतिशत शर्तों का पालन नहीं कर रहा है। गैर–सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों के मामले का यहां तक संबंध है, वे इस मामले में पूरी तरह से विफल हो रहे हैं।

संविदा अधिनियम, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, स्टॉम्प अधिनियम आदि जैसे कतिपय अन्य कानूनों के संबंध में संशोधनों की आवश्यकता होगी। मुझे कुछ आशंकाएं हैं और यह समाचार है कि ऐसे कानून के पश्चात् जिसमें इतनी सारी खामियां हैं और चूककर्ता को सजा देने के संबंध में सरकार की नेकनीति ठीक नहीं है, ऋणदाता की देनदारियों के संबंध में एक विधेयक लाए जाने का प्रस्ताव है। ऋणदाता की कुछ देनदारियां होनी चाहिए ताकि जो भी प्रस्तावित है उसमें संतुलन पैदा किया जा सके। डी.आर.टी. में लंबित मामलों का क्या होगा? माननीय मंत्री जी से मेरा यह विशेष प्रश्न है। सी.बी.आई. ने एक अध्ययन किया था। उसके अनुसार गैर–निष्पादनीय आस्तियां और धोखाधड़ी लगभग एक ही बात है जहां जानबूझकर अथवा अनजाने में पैसा ले लिया जाता है अथवा अवैध रूप से इसे हस्तांतरित कर दिया जाता है, जहां कहीं कोई कार अथवा घर खरीद लिया जाता है तो वहां पर आदमी दिवालिया नहीं होगा। कम्पनियां दिवालिया हो गई हैं लेकिन कोई भी प्रमोटर कभी बीमार पड़ा। वे सत्ता पक्ष के मित्र हैं—मैं इस पक्ष की अथवा उस पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। वे जो भी सत्ता में रहते हैं हमेशा उनके साथ लाभ उठाते पाए गए हैं। उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है और उनकी सुरक्षा की जाती है। इस विधेयक का उन्हें दंडित करने का कोई आशय नहीं है। इसीलिए, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सभी चूककर्ताओं को उचित रूप से दंडित किया जाना चाहिए। जो चूककर्ता हैं और जो कानून के प्रावधानों का पालन नहीं करते हैं उन्हें उचित रूप से दंड दिया जाना चाहिए। जिन्होंने पैसे लिये हैं और इसे अवैध रूप से हस्तांतरित कर दिया है, उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। जिस व्यक्ति ने पैसा लिया है और उसने पैसा वापस नहीं किया है उसे और ऋण कभी भी प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए ऋण सूचना ब्यूरो स्थापित किया जाना चाहिए।

इस विधेयक को अलग से नहीं देखा जाना चाहिए। मेरी आशंका यह है कि यदि आप बैंकिंग सुधार अधिनियम को इस विधेयक के साथ रखकर देखें तो यह संदेह होता है कि यह सरकार इन चूककर्ताओं को दंडित किए बिना छोड़ देगी और उन्हें दोष मुक्त कर देगी। यही आशंका है। यह आशंका केवल मेरे अकेले के दिमाग में ही नहीं है। मुझे बैंकों के कई मुख्य अधिकारियों से बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आप आधा घंटे का समय ले चुके हैं।

श्री रूपचन्द पाल : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। इसी आशंका के साथ, मैं यह विश्वास करता हूं कि उचित संशोधनों को स्वीकार किया जाना चाहिए। एक बार मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को एक सुझाव दिया था कि हमें इकट्ठे बैठने और आवश्यक संशोधन तैयार करने के लिए कुछ समय दिया जाए ताकि इस विधेयक को और अधिक प्रयोजनात्मक, सार्थक और प्रभावी बनाया जा सके। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम यह सोचेंगे कि इस विधेयक को लाने में प्रयोजन के प्रति आपकी निष्ठा नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई, दक्षिण मध्य) : सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं अपनी पार्टी शिव सेना की तरफ से इस बिल का समर्थन करता हूं। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इसे आप नैशनलाइज्ड बैंक तक ही सीमित न रखकर को–आपरेटिव बैंक्स पर भी लागू करें। जब से यह कानून बना है या आप यह आर्डिनेंस लाए हैं तब से एन.पी.ए. की कतार लगी हुई है। मैं इसका भी समर्थन करता हूं। जनरल मुशर्रफ के साथ बेशक हमारे मतभेद होंगे लेकिन उन्होंने ऐलान किया था कि जो एन.पी.ए. के लिए जिम्मेदार होंगे उनको हम बिहाइंड द बार कर देंगे। वह हमारा दुश्मन

है। उसको हम छोड नहीं देंगे। यदि उसके कुछ अच्छे विचार हैं तो उसे हमें लेना चाहिए। मैं कह रहा था कि एन.पी.ए. की कतार लगी हुई है।

एन.पी.ए. वालों ने अब पैसा देना शुरू कर दिया है, यह कानून कुछ गलत नहीं है। यह बैंक और ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बीच आपसी समझ की बात होती है। तो बोरोअर को कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है। अगर बोरोअर और बैंक के बीच में कुछ सैटिलमेंट होता है तो वह करना चाहिए। सब की ऐसी भावना होनी चाहिए। कुछ दिन पहले हमारे यहां जो मिनिस्टर बैठे हुए हैं, जसवन्त सिंह जी, जिनके प्रति हमारे दिल में बहुत आदर है और हमें पूरी उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में एन.पी.ए. में और बैंक्स में कुछ सुधार होगा। उनके साथ में जूनियर मिनिस्टर श्री आनन्द अडसुल जी भी हैं, वे भी बैंक क्षेत्र से हैं, मुझे उम्मीद है कि बैंक में सुधार हो जाएगा।...*(व्यवधान)* जो घोटाला बैंक में होता है, उसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोन 'आउट ऑफ दि वे' लोगों को दिया हुआ है, जो आर. बी.आई. के रूल्स वायलेट करके दिया हुआ है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री महोदय ने कहा था, मैंने सुना था कि 83 हजार करोड़ रुपया एन.पी.ए. में है। यह कोई डेट नहीं है, बल्कि एक लूट है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बड़े उद्योगपति हैं, जिनके बारे में ओंकार कमेटी की रिपोर्ट में भी कहा गया है :

[अनुवाद]

> "रुग्ण बैंक और मजदूरी प्राप्त न करने वाले ऐसे मजदूर भी है लेकिन रुग्ण प्रमोटर मुश्किल से होंगे। यही तो बात है।"

[हिन्दी]

इसमें 89 से ज्यादा लोग ऐसे उद्योगपति हैं, जिन्होंने यह सारा रुपया डुबाया हुआ है। मेरे पास जो आंकडे हैं, उसमें इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वैस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया का एन.पी.ए. 10,880 करोड़ रुपए है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया का 5988 करोड़ रुपए है, इंडस्ट्रियल डवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का 6077 करोड़ रुपए है, स्माल स्केल इंडस्ट्रियल डवलपमेंट बैंक का 1021 करोड़ रुपए और सिडबी का 179 करोड़ रुपए है। मैं मंत्री महोदय से विनती करना चाहता हूं कि जो लोग एन.पी.ए. में चले जाते हैं, ऐसा कभी—कभी बैंक के डायरेक्टर भी करके चले जाते हैं, उस पर भी आप रोकथाम करिए।...*(व्यवधान)* मिनिस्टर भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं।

सभापति महोदय : आप उनका ध्यान जरूर खींचिए, लेकिन चेयर को एड्रैस करिए।

श्री मोहन रावले : ठीक है, मैं आपको एड्रैस करूंगा। लेकिन जिन्होंने घोटाला किया है, जैसे महाराष्ट्र में हुआ है, मैं मंत्री महोदय से विनती भी करता हूं कि एक ऐंगल से सबको आप देख रहे हैं, यह ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने घोटाला भी किया होगा तो जिन्होंने घोटाला किया है, उनके खिलाफ आपकी कार्रवाई होनी चाहिए। जो ओ.डी. दिया जाता है ओवरड्राफ्ट दिया जाता है, उसमें एक साजिश होती है, बैंक मैनेजर और टॉप लेविल के आफिसर्स मिलकर एक साजिश करते हैं। उसका पैसा कभी—कभी बैंक को नहीं मिलता है। इस तरह से लाखों—करोड़ों रुपया डूबा हुआ है, इसलिए उसकी भी जांच होनी चाहिए। मेरी जानकारी के मुताबिक, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक इतनी बड़ी कम्पनी है, मेरे ख्याल से मिनिस्टर साहब को भी उसका पता होगा। वह कम्पनी क्या करती है कि बैंक से 900 करोड़ रुपए, एक हजार करोड़ रुपए का लोन लेती है, उसमें से 5—6 सौ करोड़ रुपए तो अपने दूसरे खाते में डाल देती है और उसके बाद वह एन.पी.ए. हो जाता है। उसके बाद वह उसे एन. पी.ए. बताता है, सिक यूनिट बताता है। आप रियलिटी में जांचिए कि वह सिक यूनिट है या नहीं है। कोई कम्पनी सिक यूनिट हुई है या नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए, इसकी डायरैक्ट सी.बी.आई. से इन्क्वायरी होनी चाहिए। बाकी का पैसा एन.पी.ए. में, सैटलमेंट में केस होता है तो ओ. डी.एस. में वन टाइम सैटलमेंट में थोड़ा पैसा वे लोग देकर बैंक का काम निकाल देते हैं, इसके बारे में भी जांच होनी चाहिए, यह मैं विनती करता हूं।

कम्पनी क्यों सिक होती है—उसकी भी जांच होनी चाहिए। अभी इंडस्ट्रीज में रिसेशन शुरू है, उसके बारे में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिक यूनिट होगी तो सिक यूनिट को रिवाइव करने के लिए हमारी तरफ से मदद भी होनी चाहिए, अगर रियलिटी में सिक यूनिट हुई होगी तो उसका अच्छी तरह से अध्ययन होना चाहिए, नहीं तो इस तरह से वे बोलेंगे। आज एन.पी.ए. होने के कारण हमारे बैंक की ब्याज की दर

[श्री मोहन रावले]

कम हो रही है, हमारा इंटरैस्ट रेट कम हो रहा है, डिपॉजिटर्स का इंटरैस्ट रेट कम हो रहा है। डिपाजिट डूबने जा रहे हैं। सामान्यजन अपनी मेहनत की कमाई बैंकों में जमा कराते हैं। जो मजदूर हैं, रोज पैसा कमाते हैं या कर्मचारी हैं, छोटे–छोटे दुकानदार हैं, वे सब अपना पैसा बैंकों में जमा कराते हैं। इसी तरह से स्माल स्केल पर काम करने वाले भी अपना पैसा बैंकों में रखते हैं। लेकिन कभी–कभी बैंक डूब जाते हैं। बैंकों का इंशोरेंस होता है, लेकिन वह कुल एक लाख रुपए का होता है। अगर किसी व्यक्ति के बैंक में पांच लाख रुपए या दस लाख रुपए जमा हैं और बैंक डूब जाता है, तो उसे केवल एक लाख रुपया ही मिलता है। इसलिए मेरी वित्त मंत्री जी से प्रार्थना है कि इंशोरेंस की सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपए या दस लाख रुपए तक किया जाए। इसी तरह से अगर बैंक डूब जाए तो इंशोरेंस का पैसा जमाकर्ता को चार–पांच साल में मिलता है। अगर वह बैंक मर्ज हो जाए तो बात अलग है। मेरे क्षेत्र में यह हुआ है। वहां वसंत राव सहकारी बैंक के साथ ऐसा ही हुआ था, लेकिन समय रहते वह बच गया। इसलिए मेरा कहना यह है कि बैंक के डूबने पर लोगों को जो समय पर इंशोरेंस का पैसा नहीं मिलता, उस तरफ ध्यान दिया जाए और बैंक के जमाकर्ताओं को तुरंत छह महीने के अंदर वह रकम मिल जानी चाहिए।

बैंकों में अगर लोन लेने के लिए सामान्यजन जाते हैं तो बहुत सारी क्वैरीज की जाती हैं। लेकिन जो बडे–बड़े उद्योगपति हैं, जो आई.डी.बी.आई., आई.सी.आई.सी.आई, वगैरह बैंकों से लोन के लिए जाते हैं और प्रपोजल देते हैं, तो उन्हें तुरंत लोन मिल जाता है, भले ही बाद में वे खुद को दिवालिया घोषित कर दें। लेकिन छोटे–छोटे दुकानदार या बिजनेसमैन जब लोन के लिए बैंकों में जाते हैं तो वहां के अधिकारी क्वैरीज निकालते हैं। कभी–कभी तो बैंक एम्प्लाइज रिश्वत भी उनसे मांगते हैं। लेकिन उनके पास कुछ प्रूफ नहीं होता। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि आप बैंकों को ऐसा निर्देश दें कि ऐसा नहीं होना चाहिए।

1969 में हिन्दुस्तान में 8232 ब्रांचेज बैंकों की थीं, लेकिन आज इनकी संख्या बढ़कर 45,800 हो गई है। आज बैंकों में 969889 करोड़ रुपए जमा हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी प्रगति हुई है। 1969 में बैंकों द्वारा 3607 करोड रुपए दिए गए थे, लेकिन 31 मार्च, 2002 तक 480681 करोड़ रुपए लोन के रूप में दिए जा चुके हैं। बैंकों का लोगों पर बकाया के जो सरकारी आंकड़े हैं, उसके अनुसार 80,000 करोड़ से लेकर 1 लाख 30 हजार करोड़ रुपए है, लेकिन हमारा अनुमान है कि यह 1 लाख 50 हजार करोड़ रुपए तक हो सकता है।

मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूं। अभी बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है। सामान्यजन बैंकों में पैसा रखते हैं, उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे देश में यह कौन–सा कानून है कि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स देता है, फिर बैंक में पैसा जमा कराता है, तो वहां भी उसको ब्याज पर टैक्स देना पड़ता है। इस तरह दो बार उसको टैक्स देना पडता है। यह अंधा कानून है। शायद हिन्दुस्तान में ही ऐसा होता होगा।

सभापति जी, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि मैंने जो सुझाव मंत्री जी को दिए हैं, वे उस पर गौर करेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी. एच. पांडियन (तिरुनेलवेली) : महोदय, मैं वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन विधेयक, 2002 पर अपने विचार व्यक्त करता हूं। हम सभी जानते हैं कि साहूकारी के लिए धन कच्ची सामग्री है। इस कच्ची सामग्री का वितरण बैंकों द्वारा दबाव में गलत दिखावा करने और अनेक कारणों से किया गया है।

महोदय, मेरे सहयोगी श्री बसुदेव आचार्य, श्री रूपचन्द पाल और श्री पवन कुमार बंसल ने विचार व्यक्त किया है कि सरकार को चूककर्ताओं की सूची प्रकाशित करनी चाहिए। यद्यपि सरकार द्वारा सूची का प्रकशन नहीं किया गया था लेकिन मेरे पास अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ द्वारा प्रकाशित सूची है। महोदय, इस पुस्तक में चूककर्ताओं की सूची के 1100 पृष्ठ हैं। पिछले आवरण पृष्ठ में यह उल्लेख किया गया है कि 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि वाले 110 खाते, 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि वाले 254 खाते और 1 करोड़ से अधिक की धनराशि वाले 12,090 खाते हैं।...*(व्यवधान)* वे पूरे देश के आंकड़े हैं। महादेय, मैं कुछ नामों की जांच कर रहा था। वे ऋण प्राप्त करने के पहले कंगाल थे। मैंने यह देखा है कि 200 करोड रुपए, 300 करोड़ रुपए, 400 करोड रुपए की धनराशि का गबन

करने वाले चूककर्ता अपने जानबूझकर गबन के कारण अमीर हो गए हैं।

मैं सुझाव देता हूं कि गोपनीयता संबंधी खंड को सांविधिक पुस्तक से हटा दिया जाना चाहिए और चूककर्ता ऋणी को कोई सार्वजनिक पद धारण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह ऑल इंडिया बैंक एंप्लॉयज एसोसिएशन का सुझाव है। जानबूझकर की गई चूक को एक अपराध क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। ऋण प्रदान करने के पहले बैंक द्वारा पुनर्भुगतान करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जब ऋण प्राप्त करने के समय पुनर्भुगतान करने की क्षमता नहीं है तो क्या यह बैंक को धोखा देने का इरादा नहीं है? आप जानते हैं कि आप 100 करोड़ रुपए का भुगतान करने में सक्षम नहीं होंगे। आप जानते हैं कि आप 200 करोड़ रुपए का भुगतान करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए यह धोखाधड़ी करने का एक आपराधिक प्रयास है। वे भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत दंड के भागी हैं।

महोदय, उन्होंने इन ऋणों में से ही इतनी परिसंपत्तियां प्राप्त की हैं। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में एक प्रावधान है। आप ऋण के अनुपात में संपत्ति के अर्जन को शामिल करने हेतु कानून में संशोधन क्यों नहीं करते ताकि आप उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर सके और सभी संपत्ति को प्राप्त कर सकें। वह आय के अनुपात से अधिक संपत्ति का अधिग्रहण है और यह ऋण के अनुपात में संपत्ति का अधिग्रहण है।

महोदय, चूककर्ताओं की सूची में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास एक रोवर कार और एक दर्जन बेंज कारें हैं। वह कंगाल था। इसकी जांच के लिए एक दिन का समय भी कम है।

जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के कथन में उल्लेख किया गया है, अब कम से कम इस विधान के माध्यम से चाहे जो कुछ भी ऋण के समानुपात में है उस संपत्ति का कब्जा करने में सक्षम होंगे।

मैं इन बैंककारी मामलों के बारे में जानता हूं क्योंकि मैं संसद में आने से पहले इन मामलों का निपटान करता रहा था। वित्त मंत्री यहां बैठे हैं और मैं अपने पिछले मामले को उद्धृत करना चाहता हूं। एक व्यक्ति, जो 'काजू–बादाम के निर्यात का व्यापार कर रहे थे, ने इंडियन बैंक से 228 करोड रुपए का ऋण लिया। उन्होंने ऋण न सिर्फ इंडियन बैंक से लिया बल्कि सिंगापुर के एक बैंक से भी लिया। ब्याज के साथ ऋण की कुल धनराशि 348 करोड रुपए होती है। उन्होंने ऋण वसूली अधिकरण के सामने एक याचिका दायर की और कहा कि न्यायाधीश उनके मामले को निपटाने में यथायोग्य नहीं थे और स्थगन आदेश ले लिया। यह मेरे नामांकन भरने के पहले का दिन था। इंडियन बैंक ने मुसे कहा कि वे क्या करें। मैंने उन्हें कहा कि "कृपया इंतजार कीजिए मैं संसद जाने के पहले इस अंतिम मामले में इंडियन बैंक की ओर से पेश होऊंगा।" जब मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के सामने यह मामला आया तो मैंने न्यायाधीश से कहा कि "यह वही व्यक्ति है जिसने 348 करोड़ रुपए की धनराशि हड़पी है और स्थगन आदेश ले लिया है। महोदय, आपको इस मामले की सुनवाई जोरदार तरीके से करनी चाहिए क्योंकि मैं इस मामले में जोरदार तरीके से मुकदमा लड रहा हूं।" मुझे शुल्क के रूप में मात्र 50000 रुपए मिले हैं जबकि यह 300 करोड़ या 1000 करोड़ रुपए का मामला है और एक वकील को इससे ज्यादा नहीं मिलता है। बैंक शुल्क के रूप में 50000 रुपए देता है। न्यायाधीश ने स्थगन आदेश को समाप्त कर दिया। संबंधित व्यक्ति को पिछले वर्ष फ्रांस से गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार उसे भारत वापस लाने में सक्षम नहीं थी क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच इन अपराधियों को वापस लाने के लिए कोई संधि नहीं थी।

मैं कहूंगा कि बैंकों को ऋण वसूली अधिकरणों के माध्यम से गंभीर कदम उठाने चाहिए। हम जानते हैं कि ऋण वसूली अधिकरण संबंधित पार्टी और बैंक के समक्ष यह कहते हुए एक प्रस्ताव रखती है "एक बार का समझौता यह है। यदि आप प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो हम ब्याज माफ कर देंगे।" इसी कारण से वे बच जाते हैं और वे कोई ब्याज का भुगतान नहीं करते हैं। पाच अथवा सात वर्षों के बाद वे बैंकों को कोई ब्याज का भुगतान नहीं करते हैं। अब यह बैंककारी कानूनों अथवा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम जैसे किसी दांडिक कानूनों के संदर्भगत प्रावधान के अंतर्गत आपराधिक दोष बनाया जाएगा। हाल ही में एक क्रिकेट खिलाडी पर उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया गया था। यद्यपि वह सरकारी सेवक नहीं था लेकिन संबंधित क्रिकेट खिलाडी पर इसके लिए आरोप लगाया गया था।

[श्री पी. एच. पांडियन]

तब आप इन सभी लोगों पर आरोप क्यों नहीं लगाते हैं और उन्हें कारावास में क्यों नहीं डाल देते? आप आरोप क्यों नहीं लगाते और उनकी सभी संपत्तियों को जब्त क्यों नहीं करते? इस धनराशि से सरकार सूखे और बाढ़ से उपजी समस्याओं से निपटने हेतु सभी राज्यों को सहायता दे। ये लोग आराम से बैठे हैं। वे इसलिए आराम से बैठे हैं क्योंकि कुछ लोग उनके पास जाते हैं और उनसे चंदा प्राप्त करते हैं। उन्हें चैन से बैठने नहीं दिया जाना चाहिए और उनसे धनराशि वसूल की जानी चाहिए। यदि कोई साधारण अधिकारी अथवा कर्मचारी या कोई साधारण नागरिक चोरी अथवा घूस लेने का अपराध करता है तो उसे इस विधेयक के खंड 27 के अंतर्गत तुरंत गिरफ्तार किया जाता है, घर की तलाशी ली जाती है और धनराशि की वसूली की जाती है। इसी तरह के एक आपराधिक मामले के अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए और खंड 27 के अधीन वसूली की जानी चाहिए तथा उन्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को प्रताडित किया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए आप उन्हें प्रताड़ित करने हेतु अर्धसैनिक बलों को निर्देश दें। यहां उनके मामले में उन्हें प्रताड़ित करने हेतु कोई नहीं जाता है। वह एक वकील से संपर्क करता है और चैन से बैठता है न्यायालय में एक के बाद एक स्थगन के बाद वे लोग इसके बारे में भूल जाते हैं। अब मेरे पास वह उत्साह नहीं रहता जो दो वर्षों पहले होता था क्योंकि इसका कोई परिणाम नहीं निकलता है।

महोदय, मैं इस विषय पर पहले भी कई बार बोल चुका हूं। मैं उनकी अस्वस्थ और भ्रष्ट ज्ञान से ईर्ष्या नहीं कर रहा हूं। मैं मात्र यह कहना चाहता हूं कि प्रतिभूतिकरण विधेयक के प्रावधान और अन्य प्रावधान में बैंकों को आपराधिक कानून के अंतर्गत चूककर्ताओं से निपटने के लिए जो अधिकार दिए गए हैं वह पर्याप्त नहीं हैं। चूककर्ताओं को डराने वाला यदि कोई प्रावधान नहीं है यदि आप इन्हें जारी रहने देंगे, तो ये लोग चुनाव लडकर संसद के लिए निर्वाचित हो जाएंगे ...*(व्यवधान)*

भारतीय बैंकों के कर्मचारी संगठनों के अनुसार जो इन खातों को देखते हैं वे इन खातों से परेशान और प्रभावित हो सकते हैं। उन्हें उनका वेतन नहीं मिल रहा है। उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का भी प्रस्ताव दिया गया है। इसलिए, मैं यह कहता हूं कि यह स्वागत योग्य साधन/तरीका है, फिर भी यह पर्याप्त नहीं है। यदि इस बिल के साथ कोई आपराधिक कानून जोड़ दिया जाए तो इस बिल के प्रावधानों के अच्छे परिणाम होंगे।

जानबूझकर चूक करना अपराध है। हर व्यक्ति पहले से ही जानता है कि वह भुगतान करने में अक्षम है या नहीं। अब, यदि कोई व्यक्ति गाय खरीदने के लिए 1000 रु. का ऋण लेता है तो वह उसे लौटा देगा, यदि वह मोटर पम्प खरीदने के लिए 10,000 रु. का ऋण लेगा तो वह भी उसे लौटा देगा, यदि वह कुछ खरीदने के लिए 1,00,000 रु. का ऋण लेता है तो भी वह उसे लौटा देगा, यदि वह 10,00,000 रु. का ऋण लेगा तो वह उसे नहीं लौटाएगा। मैंने ऐसे कई बैंक संबंधी मामलों को देखा है। वह व्यक्ति सोचता है कि वे क्यों भुगतान करे। वह आराम से बैठेगा और किसी वकील को 40,000 रु. देगा ताकि वह उसके मामले को कई सालों तक लंबा खींचे। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बिल को किसी आपराधिक कानून के साथ जोड़ा जाना चाहिए। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वे बिल के प्रावधानों को दृढ़ता से लागू करने के लिए ऐसे आपराधिक कानून बनाएं और देश की बकाया राशि को वसूल करें।

महोदय, हमें शपथ लेनी चाहिए कि सरकार की बकाया धनराशि की वसूली के लिए संसद को शपथ लेनी चाहिए। श्री रूपचन्द पाल ने बताया कि एक कम्पनी ने सरकार से 11,000 करोड रु. लिए हैं। क्या ऐसी कम्पनी को ऋण लेने का विशेषाधिकार प्राप्त है? क्या इस कम्पनी की प्रबंधन समिति के सदस्य भारत के नागरिक हैं? इस कम्पनी ने सार्वजनिक धन को लूटा है। एक सार्वजनिक नौकर, सामान्य नागरिक 1000 रु. के लिए गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। अब, यदि किसी व्यक्ति ने जनता के 11,000 करोड़ रु. लूटे हैं और उसे समाज में स्वतंत्र रहने की अनुमति है तो हम सरकार नहीं चला रहे हैं। उन्हें सरकार के अस्तित्व का अहसास होना चाहिए। उन्हें कानून की ताकत का अहसास होना चाहिए।

मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी को इस समस्या से निबटने के लिए एक कानून बनाना चाहिए जिसमें कि दोषियों के लिए सजा का प्रावधान हो।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, हम वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन विधेयक, 2002 पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि मेरे काबिल दोस्तों ने कहा और मैं भी आपके माध्यम से सरकार से विनम्र आग्रह करना चाहूंगा कि बगैर संसद को विश्वास में लिए, हम जो अध्यादेश राष्ट्रपति जी से जारी करवाते हैं, यह परम्परा ठीक नहीं है। यह संसदीय जनतंत्र का उपहास है और इसे किसी भी कीमत पर न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता।

बैंकों से जो लोग कर्जा लेते हैं उस कर्जे की वापसी हो–निश्चित रूप से यह एक अच्छा प्रयास है। मेरी जानकारी के अनुसार मार्च 2001 तक 63 हजार करोड़ रुपए का कर्जा था जो अब बढ़कर लगभग 70 हजार करोड़ रुपए हो गया है। यदि कर्जदार की दौलत वापस आ जाती और देश के उत्पादन कार्यों में लगती तो मैं समझ सकता हूं कि उससे निश्चित रूप से देश के हालात को सुधारने में अच्छा काम हो सकता था।

आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि बैंकों से ऋण लेने वाले लोगों का एक कॉकस बन गया हैं यदि कोई कुटीर उद्योगों के लिए बैंक से ऋण लेना चाहेगा या कृषि कार्यों के लिए ऋण लेना चाहेगा, उसे ऋण नहीं मिलेगा। जो सही मायने में ऋण लेने के पात्र हैं, जसवन्त सिंह जी मुझे माफ करें, आम आदमी को इसमें बहुत परेशानी होती है। हमें जिन संस्थाओं पर विश्वास था कि वहां से इन्साफ मिलेगा, उनकी विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न लग गया है। मेहरबानी करके आप इस तरफ जरूर ध्यान देने का काम करें।

आज ऋण प्राप्त करने वाले लोगों को दो भागों में बांट दिया गया है–एक वर्ग जानबूझकर ऋण का भुगतान नहीं करता है और दूसरा वर्ग ऋण चुकाने में असमर्थ है। इस विधेयक में सरकार चाहती है कि जो ऋण चुका नहीं पाते हैं, उस स्थिति में उद्योगों के प्रबंध तंत्र पर बैंकों को हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा लेकिन आज बैंक खुद करप्शन में शामिल हैं। इससे तानाशाही और भ्रष्टाचार को और ज्यादा बढावा मिलेगा। इसके लिए एक स्वतंत्र एजेंसी बनाने की आवश्यकता है। बैंकों के काम करने के जो तौर–तरीके हैं, मुझे माफ करें, उनसे बैंकों की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग रहा है। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं लम्बी बात नहीं करना चाहता लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आज एक ही उद्योग समूह विभिन्न नाम बदलकर बैंकों से कर्जा लेते हैं। इसकी गोपनीयता रखी जाती है। एक ही परिवार और एक ही उद्योग समूह विभिन्न नामों से कर्जा लेता है और उनका भुगतान नहीं करता है जो बिलकुल ठीक बात नहीं है। बैंकों से कर्जा लेने के नियमों में जब तक पारदर्शिता नहीं होगी तब तक आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। मेरा आग्रह है कि आप बैंकों के काम करने के तौर–तरीके को पारदर्शी बनाए। उद्योगों के प्रबंध तंत्र में बैंकों का इतना हस्तक्षेप न हो जाए कि ये लोग तानाशाह हो जाएं। एक ही उद्योग समूह विभिन्न नामों से जो ऋण लेता है, वह बंद होना चाहिए। आप इस बारे में सख्त कानून बनाएं। जिन्होंने बैंकों से ऋण लेने का कॉकस बना लिया है और जिनके पास कर्जे के रूप में बेशुमार दौलत है, यदि उन्हें निकालने के मामले में कडाई बरतेंगे तो निश्चित रूप से देश के गरीबों का भला हो सकता है। मुझे यही निवेदन करना था। धन्यवाद।

अपराह्न 5.00 बजे

(श्री पी. एच. पांडियन पीठासीन हुए)

श्री आदि शंकर (कुड्डालोर) : महोदय, में इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह विधेयक स्वागत योग्य है। महोदय, इन दिनों लोग बैंकों की मिलीभगत से ऋण ले रहे हैं। निर्धन लोग और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी ब्याज के लिए पैसा जमा कराते हैं। परंतु बैंक चूककर्ताओं को ऋण देकर उनके धन का दुरुपयोग करते हैं।

महोदय, तमिलनाडु में दोषियों ने करीब 9000 करोड रु. लूटे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में श्री इथिराजा और उसके भाई नंदगोपाल नाम के दो व्यक्तियों ने करीब 500 करोड रु. के ऋण लिए हैं। बिन्नी लिमिटेड नाम की उनकी एक कम्पनी है जिसने इंडियन बैंक से दो करोड का ऋण लिया। इसी कम्पनी और उन्हीं लोगों ने वर्ष 2000 में 70 करोड रु. का ऋण लिया था। उसी वर्ष इंडियन बैंक ने श्री इथिराजा को लगभग तीन करोड रु. का ऋण दिया था। उसी वर्ष इन्हीं लोगों श्री इथिराजा और नंदगोपाल ने आई.सी.आई.सी. आई. बैंक से दस करोड़ रु. का ऋण लिया। वर्ष 1999 में इन्होंने दुबारा बिन्नी टैक्सटाइल लिमिटेड के नाम से 6 करोड का ऋण लिया है। वर्ष 1992 में इन्होंने भारतीय

[श्री आदि शंकर]

औद्योगिक विकास बैंक से बिन्नी लिमिटेड के नाम से 20 करोड रु. का ऋण लिया। श्री इथिराजा ने दुबारा भारतीय स्टेट बैंक से 50 करोड़ रु. का ऋण लिया। इस प्रकार इन्होंने लगभग 500 करोड़ रु. से ज्यादा के ऋण ले रखे हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : यह एक रहस्योद्घाटन है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आप बहुत रुचिपूर्ण खबर दे रहे हैं।

श्री आदि शंकर : इसलिए, इन विशेष व्यक्तियों ने सरकारी धन को लूटा है। लगभग 10 से 15 वर्ष पहले यह मात्र लौरी ड्राइवर थे और अब यह बड़े व्यवसायी हैं।

महोदय, चाहे जो भी दोषी हो, उसे जेल भेजना चाहिए। यह मेरा अनुरोध है। माननीय मंत्री को दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक विश्व व्यापार संगठन और उदारीकरण के संकल्पों से उत्पन्न स्थिति से निबटने के लिए सरकार द्वारा की गई एक शुरूआत है। भविष्य की दृष्टि को मद्देनजर रख स्वर्गीय राजीव गांधी अपने प्रधान मंत्री के कार्यकाल के दौरान कई अधिनियम लाए। ऐसा एक अधिनियम रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 है। यह बिल उदारीकरण और नई वित्तीय स्थिति के कारण उत्पन्न रुग्णता को ध्यान में रखकर बनाया गया था, परन्तु 1996 के बाद आने वाली सरकारों ने इसे ठीक ढंग से लागू नहीं किया। कांग्रेस शासन के दौरान बैंकों और वित्तीय संस्थानों के अधिनियम 1999 को बकाया ऋणों की वसूली के लिए लागू किया गया। यह भी एक सफल शुरूआत थी लेकिन इसे ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया क्योंकि बाद में आने वाली सरकारों ने पर्याप्त बेंचे स्थापित नहीं कीं। इसी कारण गैर–निष्पादित आस्तियों से संबंधी मामलों की संख्या काफी बढ़ गई। परन्तु हम यू.एन.सी.आई.टी.आर.ए.एल. के अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं के प्रति प्रतिबद्ध रहे राष्ट्रीय सीमाओं से परे हो रहे दिवालियेपन के संबंध में भी कानून बनाए क्योंकि हम 15 दिसम्बर, 1997 को पास किए गए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दिवालियेपन की प्रक्रिया के आदेश को प्रभावी करने के सदस्य हैं। यह सब संकल्प हमने लिये। अब, हमने इस तरह का कानून बनाने के लिए आने वाली बाधाओं का सामना करने के लिए जानकारी प्राप्त की है।

अब हमने राज्य नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39(ख) और (ग) को कानून बनाने का भी संकल्प लिया है। श्री पी. तिवारी की अध्यक्षता में गठित भारतीय रिजर्व बैंक की विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर एस.आई.सी.ए. लागू किया गया। परन्तु, बाद में हमने देखा कि सरकार ने मात्रात्मक प्रतिबंध हटाना प्रारम्भ कर दिया है। अतः कई कम्पनियां रुग्ण हो गईं। इसका अंतिम परिणाम यह हुआ कि निजी कम्पनियों के बहुत से मामले आने लगे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के 268 और निजी क्षेत्र की कम्पनियों के 5181 मामले हैं। कुल मिलाकर, 5449 मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास भेजे गए हैं। इसी तरह दर्ज किए गए निजी क्षेत्र के 3838 मामले हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के मामलों की संख्या 185 है। 31.07.2002 की स्थिति के अनुसार दर्ज मामलों की कुल हानि 80,283 करोड़ रुपए बैठती है।

अधिनियमन तो उचित ढंग से किया जाता है किंतु कार्यान्वयन उचित ढंग से नहीं किया जाता है। मामलों को अंबार लगने से रोकने के लिए और अधिक खंडपीठ स्थापित करने होंगे तथा और अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होगी...*(व्यवधान)*

विधान के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में समुचित संख्या में न्यायाधीशों की नियुक्ति करके तथा और अधिक खंडपीठ स्थापित करके बड़ी आसानी से सामना किया जा सकता है। जहां तक बैंकिंग मामलों का संबंध है, तो यह अधिनियम कहता है कि सभी तरह की बातों को उचित ढंग से बारह से पंद्रह महीने के बीच निपटाया जाना चाहिए। लेकिन इसमें लगभग सात वर्ष लगते हैं क्योंकि विभिन्न मंचों पर समुचित संख्या में न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की गई है। अब, यही स्थिति इस विधेयक के बाद भी निरंतर चलती रहने वाली है। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम के साथ मैं बड़ी आसानी से कह सकता हूं कि हम नए मंचों की स्थापना कर रहे हैं। यह बिलकुल नई बोतल में पुरानी शराब डालने की तरह है। यह किसी भी तरह से कतिपय क्षेत्रों में सहायता नहीं देने वाली है। अन्य कुछ क्षेत्रों में यह सहायक होगी।

अब मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान परिभाषा

खंड की ओर आकर्षित कराना चाहूंगा, जो प्रतिभूत लेनदार व्यक्ति, कमी और गैर–निष्पादनीय आस्ति शब्दों को परिभाषित करता है। यह वे तीन परिभाषाएं हैं जिन पर बडी सावधानी से विचार किया जाना है। मैं सिर्फ डिफाल्ट शब्द की परिभाषा पढ़कर सुनाऊंगा। इसका अर्थ है

> " 'व्यतिक्रम' से किसी उधार लेने वाले द्वारा किसी प्रतिभूत लेनदार को संदेय किसी मूल ऋण या उस पर ब्याज या किसी अन्य रकम का असंख्य अभिप्रेत है जिसके परिणामस्वरूप, रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार प्रतिभूत लेनदार की लेखा बहियों में ऐसे उधार लेने वाले के खाते को गैर–निष्पादनीय आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।"

इसका अर्थ है कि प्रतिभूत लेनदार के हाथ में सारे अधिकार हैं। इसी प्रकार से पहले के अधिनियमों में गैर–निष्पादनीय आस्ति की परिभाषा नहीं थी। लेकिन यहां यह इस प्रकार दी गई है :

'गैर–निष्पादनीय आस्तियों' से किसी उधार लेने वाले की ऐसी आस्ति या खाता अभिप्रेत है, जो किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा जारी किए गए आस्तियों के वर्गीकरण से संबंधित निर्देशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन या उनके अनुसार अवमानक, शंकास्पद या नष्ट आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसका अर्थ है कि अब सारे अधिकार कार्यपालिका और साथ ही रिजर्व बैंक के हाथों में है ताकि वे इसके बीच अंतर कर सकें कि क्या संदेहास्पद है, क्या हानि की परिसंपत्ति है और कौन सी बेकार परिसंपत्ति है। इस प्रकार की संदिग्धता विधान में नहीं होनी चाहिए। यह विधान पूरी तरह स्पष्ट रूप से प्रस्तुत होनी चाहिए कि क्या कुछ परिसपत्ति के 50 प्रतिशत से अधिक होने पर आप इसे एक गैर–निष्पादक आस्ति के तौर पर मानने जा रहे हैं और उनके द्वारा लिए जाने वाले कर्ज का प्रतिशत क्या है?

ऐसी स्पष्टता इस प्रकार के विधान में कार्यपालिका, विशेष रूप से रिजर्व बैंक को अधिकार देते समय होनी चाहिए। राजनीतिक स्थिति के दबाव के अंतर्गत कुछ भी घटित हो सकता है।

दो नई कम्पनियों का गठन किया गया है। उक्त कम्पनी को कौन चलाएगा? खंड 3(ख) कहता है

> "दो करोड रुपए से अन्यून की स्वयं की निधि या ऐसी अन्य रकम जो अर्जित या अर्जित की जाने वाली कुल आस्तियों के पद्रह प्रतिशत से अधिक न हो..."

इसका अर्थ है कि जानबूझकर ऋण न चुकाने वाला व्यक्ति इस विशेष खंड का फायदा उठाकर कम्पनी बना सकता है और आस्ति को कम्पनी के नाम पर हस्तांतरित कर सकता है। इसमें इस प्रकार की खामियां नहीं होनी चाहिए। कम्पनियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन के उद्देश्य से बनाई गई कम्पनी में कुछ ऐसा होना चाहिए, उसे कुछ ऐसा अनुभव होना चाहिए कि यह प्रतिभूतिकरण कम्पनी को जोरदार तरीके से सामान्य स्थिति में वापस ला सके।

इस संबंध में, मैं इंग्लैंड के कानून के एक अंश का उद्धरण देता हूं। इसे यू.के. इन्सोल्वेंसी एक्ट, 1986—प्रशासनिक आदेश प्रक्रिया—धारा 8(3)(घ) कहा जाता है :

> "कम्पनी आस्तियों की अधिक फायदेमंद वसूली तब उनके समापन पर प्रभावी होगी...

यह उद्देश्य होना चाहिए। इस अधिनियम का उद्देश्य कम्पनी को समाप्त होने से अथवा दिवालिया होने से बचाना होना चाहिए। इससे कम्पनी का पुनरुद्धार होना चाहिए। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस पहलू पर विचार किया गया है अथवा नहीं? यह वह प्रश्न है जिसका अब उत्तर दिया जाना चाहिए।

मैं एक अन्य खंड भी दिखाना चाहूंगा।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन : यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसका मैं उल्लेख करने जा रहा हूं।

सभापति महोदय : आप पहले ही दस मिनट का समय ले चुके हैं।

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन : मैं कुछ ही मिनट और लूंगा।

विषय पर आते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रतिभूत लेनदार के पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि वह खंड 13 का उपयोग कर सकता है और आस्तियों को दो कम्पनियों अथवा दोनों में से किसी भी कम्पनी को हस्तांतरित

[श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन]

कर सकता है। अन्य विकल्प खंड 14 है। वह मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की आज्ञा लेकर आस्तियों को स्वयं के लिए अपने अधिकार में ले सकता है। और, खंड 15 के अनुसार, वह प्रबंध को स्वयं के अधिकार में ले सकता है। खंड 14 और 15 समाचार–पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे। हमें खंड 13 की भी जानकारी है। बाजार के उतार–चढ़ाव के कारण घाटा उठा रही अच्छी स्थिति वाली कम्पनियों की स्थिति क्या होगी? प्रत्येक कम्पनी बाजार के माहौल के अनुसार काम कर रही है। मान लीजिए कि एक कम्पनी दायित्वों की अल्पावधि के भीतर पूरा नहीं कर पाती। एक बैंकर अथवा वित्तीय संस्थान, जिसका कोई उद्देश्य है वह तत्काल खंड 13 के लिए आवेदन कर सकता है और 60 दिन की अवधि नियत करते हुए एक नोटिस जारी कर सकता है और स्वयं कम्पनी को अधिकार में ले सकता है। क्या यह कुछ लोगों के हाथ में अधिकारवादी कानून नहीं होगा? वे खुले बाजार से धन ले रही सार्थक जोखिम उठाने वाली कम्पनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

इसके बाद, मैं आपका ध्यान उन्मोचन खंडों की ओर आकर्षित कराना चाहूंगा कि उन्मोचन खंड किस पर तैयार किए जाते हैं। यह स्पष्ट करेगा कि यह विधान किस प्रकार बनाया जाता है। उन्मोचन के विषय में, खंड 31(i) कहता है

"कृषि भूमि में सृजन किया गया कोई प्रतिभूति हित"

यह पर्याप्त है। अनेक माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है कि अनेक कम्पनियों में कृषि भूमि प्रतिभूति के रूप में दी है। ऐसे व्यक्तियों को इस अधिनियमन से छूट दी जाती है। बिलकुल इसी प्रकार से, एक लाख रुपए तक की वित्तीय आस्ति की पुनः अदायगी सुरक्षित करने के लिए उन्मोचन किसी भी प्रतिभूति हित पर लागू होगा। साधारण, छोटी कम्पनियों के लिए क्या होगा? यह राशि एक करोड रुपए से अधिक होनी चाहिए। इस प्रकार का व्यतिक्रम प्रत्येक छोटी कम्पनी, छोटे उद्यमियों को दिवालिया बना देगा अथवा उन्हें समाप्त कर देगा। बिलकुल इसी तरह से, खंड (i) कहता है

"ऐसा मामला जिसमें शोध्य रकम, मूल रकम और उस पर ब्याज के बीस प्रतिशत से कम हैं।"

इसमें भी विरोधाभास है। यहां सरकार एक अन्य कानून ला रही है जो यह कहता है कि यदि शुद्ध व्यतिक्रम 50 प्रतिशत होता है, तो वह कम्पनी एक गैर–निष्पादकीय आस्ति र ,ही जाएगी। बिलकुल, इसी प्रकार से, मैं सदन का ध्यान स सत्य की ओर आकर्षित कराना चाहूंगा कि वे कम्पनियां जो सिर्फ खातों में सब ठीक–ठाक रख सकती हैं, वे इस कानून के शिकंजे से आसानी से बच सकती हैं।

वे अपने बोझ को दूसरे पर डाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कई बैंक लाभ कमा रहे हैं, लेकिन यह खातों का दिखावा मात्र है। वे अपने ऋण को अन्य कम्पनी को हस्तांतरित कर रहे हैं और इस तरह से वे यह दर्शाते हैं कि वे लाभ कमा रहे हैं। इसलिए, इस विधेयक पर पूरी तरह से विचार किया जाना चाहिए और जोखिम और साख द्वारा ऊपर उठने वाली तथा शेयर बाजार में अच्छा शेयर मूल्य रखने वाली कम्पनियों को बैंकों में बैठे कुछ व्यक्तियों द्वारा दंडित नहीं किया जाना चाहिए। वे आसानी से इस विधेयक के खंड 13 को लागू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वे छोटी कम्पनियां, जो अन्य बडी कम्पनी की प्रतियोगी हैं, बंद कर दी जाएं।

इन्हीं शब्दों के साथ इस चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर देने के लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय चाहते हैं कि चर्चा अगले 15 मिनटों में पूरी हो जाए। अतः मैं बाकी पांच सदस्यों से केवल 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करने का अनुरोध करता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सभापति महोदय, ऐसा मंत्री महोदय चाहते हैं या आप?

सभापति महोदय : मंत्री महोदय चाहते हैं, मैं नहीं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में हम इस चर्चा को आज पूरा करने पर सहमत हुए थे, लेकिन चूंकि यह महत्वपूर्ण विधेयक है इसलिए हम सरकार के साथ सहयोग करेंगे। चूंकि और माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं इसलिए कृपया उन्हें बोलने की अनुमति दीजिए। आप भी कार्यमंत्रणा समिति के फैसले में शामिल थे।

सभापति महोदय : मैंने केवल आठ मिनट भाषण दिया श्री प्रियरंजन दासमुंशी, आप हमेशा बोलते रहते हैं। आपको इतना अधिक नहीं बोलना चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, विपक्ष का बचाव करना और अपने विचारों को जोरदार ढंग से व्यक्त करना मेरा कर्त्तव्य है। हम सरकार की सहायता करना चाहते हैं न कि उसे फंसाना। यदि वे यह नहीं चाहते हैं तो अलग बात है। अतः आपको हमारे साथ सहयोग करना चाहिए।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, जो अध्यादेश आया है, उसके संबंध मे सब लोग सरकार की आलोचना कर चुके हैं। यह पहले 21 जून फिर 21 अगस्त और अब आज आया है लेकिन ऐसा लगता है कि यह आज पास हो जाएगा। मेरी आपत्ति इसके नाम पर है। क्या किसी विधेयक का ऐसा नाम होना चाहिए? विधेयक का नाम ऐसा होना चाहिए जिसे लोग आसानी से बोल सकें, याद कर सकें। एक सामान्य बुद्धि का आदमी भी उसे याद कर सके। मुझे आपके विभाग में इंटेलीजेंस और कामनसेंस का अभाव लगता है। इसका नाम सिक्युरीटाइजेशन एंड रीकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असैट्स एंड ऐनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिट इंटरैस्ट बिल, 2002 है। यह क्या कानून बनेगा? लोगों को इसका नाम भी रखना नहीं आता। हिन्दी में इसका नाम वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन विधेयक, 2002 है। इसका नाम लेने से कुछ भी पता नहीं चलता कि यह क्या बिल है? मेरा कहना है कि हमसे ज्यादा विद्वान लोगों को यहां भाषण हुआ है। वे काबिल लोग हैं, अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ भी हैं। कोई भी विधेयक को देखे बगैर इसका नाम नहीं बता सकता। ऐसा क्या बिल हुआ?

मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि कितनी जबरदस्त गड़बड़ी है कि लोगों ने फ्रॉड करके पैसा ले लिया लेकिन अब उसे दे नहीं पा रहे हैं। उसका नाम नॉन परफार्मिंग असैट्स है इसमें भी हमें पेच लगता है। गांव में लोगों ने कर्जा ले लिया, डूबो दिया, कर्जा ले लिया और डूबो दिया। वे पैसा नहीं दे रहे हैं लेकिन यहां उसका नॉन परफार्मिंग असैट्स यढ़िया नाम रख लिया है। इतना भारी पेच है क्योंकि इससे उनकी धड़ाधड़ पकड होगी। यह सब कैसे होगा? अब कुछ जानकार लोग हमें फिगर बता देते हैं तो हम उसे याद कर लेते हैं।

जसवंत सिंह जी वहां थे। उस समय भी हम लोगों ने बहुत जोर का हल्ला किया था कि नॉन परफार्मिंग असैट्स कैसे बढ़ रहा है। जनता को बैंकिंग से लुटवाया, यू.टी.आई. से लुटवाया और अब बैंक भी लूटे जा रहे हैं। उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उस समय से हम लोग ऐजीटेट कर रहे हैं कि इसे रोकें, इसे घटाएं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब सरकार ने दावा किया है कि नरसिम्हन कमेटी, जुरिना की एक रिपोर्ट है, इन रिपोर्ट पर ये विधेयक लाए। 1998 में रिपोर्ट हुई और सन् 2002 में आर्डीनेंस होते–होते अब विधेयक आया है। इसमें 62,000 करोड़, सुनते है कि 83,000 करोड़ की आफीशियल फिगर है। किसी एजेसी ने जांच की है। वह कहती है कि एक लाख तीस हजार करोड से डेढ़ लाख करोड़ नान–परफार्मिंग असैट्स है। सरकार इस बात को साफ करे कि उसकी क्या जानकारी है, वह एजेंसी किस आधार पर बोल रही है या इसमें क्या घपला हो रहा है, ज्यादा लिखा जा रहा है और बोला कम जा रहा है। दो करोड़, पांच करोड़, दस करोड रहे तो अलग बात है लेकिन 83,000 करोड़, एक लाख तीस हजार करोड से डेढ लाख करोड तक का अनुमान है यानी लगभग दुगना बनता है। यह किस हिसाब–किताब से चल रहा है, हमें समझ में नहीं आता। दुगनी फिगर की हेराफेरी बहुत आश्चर्य का विषय है। इस देश में दो तरह का कानून चल रहा है। गाव में किसी व्यक्ति पर 5,000–10,000 रुपए बकाया हों तो उसकी वसूली के लिए उसकी गर्दन में गमछा लगाया जाता है, उसे जेल में डाला जाता है लेकिन ये लोग जो धन ले रहे हैं, उनसे वसूली का कोई कानून ही नहीं है।...*(व्यवधान)* यह साफ होना चाहिए। पुराने वित्त मंत्री थे। फिक्की, ऐसोचैम, सी.आई.आई. सब संस्थाएं बनाई हुई हैं। इन सस्था वालों के यहां कितना रुपया बकाया है, इसमें उनका कितना प्रतिशत है। फिक्की, ऐसोचैम की मीटिंग में जसवंत सिंह जी तो कम जा रहे हैं, हम प्रधान मंत्री जी को भी मीटिंग में बराबर देखते हैं। जो कर्जखोर लोग हैं और रुपया डुबाया हुआ है, क्या उसमें प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री के जाने से पैसे की वसूली होने वाली है? देश के साथ इतनी भारी धोखाधडी है। देश में दो तरह का कानून है। यदि कोई गरीब आदमी लोन लेता है तो उससे पैसे की वसूली के लिए उसे जेल हो जाती है, उसका सामान जब्त कर लिया जाता है लेकिन इन लोगों के लिए कोई कानून नहीं है और ये कह रहे हैं कि हम कानून बना रहे हैं कि उनके असैट्स जब्त करेंगे और ए.आर.सी. बना रहे हैं। बैंकिग एसोसिएशन वाले बोल

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

रहे हैं कि ए.आर.सी. से कुछ नहीं होता, उनको और मौका मिल जाएगा, अपनी सम्पत्ति बेचकर पैसा डुबा देंगे।

हमारे यहा एक कांड हुआ था। इसमें हम क्लाज 13 पढ़ रहे थे, उसमें यह विषय है, जिसमें क्या–क्या बात करनी है, वह लिखा है, लेकिन उसमें कहीं वह बात है ही नहीं। हमारे यहां का अर्बन कोआपरेटिव बैंक का घोटाला सब लोगों ने सुना होगा। उसमें असैट्स की जो सिक्योरिटी देता है, उसमें गांधी मैदान को गिरवी रख दिया और रेलवे प्लेटफार्म को रख दिया। यहां भी जांच होगी तो बोट क्लब भी गिरवी में रखा होगा तो उसे ये कैसे बेचेंगे और कैसे रिकवरी करेंगे। इस पर देश भर में हंगामा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला था। इस पर साधारण लड़ाई नहीं हुई थी, इतना जाल फरेब हुआ था। इस तरह की कोई भावना हमने इसमें नहीं देखी, इसलिए पहले तो इसका नाम सुधार होना चाहिए। एन.पी.ए. का भी सब नाम सोचिए और वह रखिए। सी.बी. आई. ने जांच की है, रूपचन्द दादा बोल रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है, वह सुनिए

[अनुवाद]

> "हालांकि, चिंताजनक बात यह है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आर्थिक अपराधों की घटनाओं के संबंध में किए गए एक गहन अध्ययन से पता चलता है कि बैंकों में धोखाधडी से गैर–निष्पादक आस्तियां बढती हैं।"

[हिन्दी]

फ्राड हुआ है, तब इतना एन.पी.ए. बढ रहा है, और ज्यादा हो गया है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कल बताया कि सभी गैर–निष्पादक आस्तियां धोखाधड़ी का ही परिणाम नहीं होतीं। इसमें कोई शक नहीं है कि धोखाधडी से गैर–निष्पादक आस्तियां बढती हैं।

[हिन्दी]

इसके माने फ्राड हुआ है, तब एन.पी.ए. हुआ है और उसका नाम ऐसा है, जैसे यह तो रुपए–पैसे का मामला है, उन्हें नोटिस वगैरह जाएगा, उनका कुछ बिगाडा नहीं जाएगा और उसकी सम्पत्ति होगी तो जब्त करेंगे। अगर सम्पत्ति में बोट क्लब जैसी चीज लिखी होगी तो क्या इसकी रिकवरी होगी? उसकी कैसे रिकवरी होगी, इसलिए इसका नाम आप क्यों नहीं लूट रिकवरी एक्ट रखते। आपने राज्य सभा में कहा भी है कि यह डेट नहीं है, यह लूट है तो फिर क्यों एन.पी.ए. नाम लिखा, इसका नाम लूट रिकवरी बिल रखिए कि हमारा रुपया लूट लिया है, हम उसकी रिकवरी करेंगे। हमारा रुपया ले लिया है, उसे डुबा रहा है, उसकी रिकवरी करेंगे। इस तरह से सख्ती से पेश आना होगा। आपने क्यों नहीं क्रिमिनल ऑफेंस बनाया है, सामान वगैरह जब्ती करके उसे भले आदमी की तरह छोड़ दीजिएगा तो सब आप लोगों के साथ ही तो बैठेंगे तो कैसे वसूली होगी। इसीलिए देश का आर्थिक संकट और एन.पी.ए. ज्यादा बढ़ता रहेगा।

इकोनोमिक ग्रोथ पर आप लोग भारी–भारी भाषण करते हैं कि आठ परसेंट करेंगे, प्रधानमंत्री कहते हैं कि 10 परसेंट करेंगे। सही लोग कहते हैं कि नहीं कम होगा तो आठ परसेंट पर होता है और वास्तव में 4.4, 5.5 पर ये लोग रह जाते हैं। कोई इकोनोमिस्ट बताए, समाजशास्त्री या काबिल आदमी बताए कि एन.पी.ए. बढेगा तो इनकी इकोनोमी की ग्रोथ कैसे बढेगी, नहीं बढ सकती। एन.पी.ए. बढेगा तो इकोनोमिक ग्रोथ घटेगी, यह साधारण फार्मूला मोटा–मोटा हम लोग समझते हैं कि एन.पी.ए. बढने से इकोनोमिक ग्रोथ घटेगी। दोनों एक–दूसरे का इनवर्शली प्रोपोर्शन है, इसीलिए इकोनोमिक ग्रोथ बढाना चाहते हैं तो सख्ती से क्यों नहीं इससे निपटना चाहते, नहीं तो इस तरह का कानून सभी जबर लोगों को मालूम है। सभी लोगों ने इस पर आशंका व्यक्त की है! देश में जो एन.पी.ए. की लूट हुई है, उसकी इससे रिकवरी नहीं हो सकती है। लगता है कि बहुत लूट हुई है, इस कानून की झाड़ दिखाने से पूंजीपतियों से कुछ और वसूली हो जाएगी। यह सब भी चलता रहता है और भाजपा के लोग तो इसमें पारंगत हैं, धनपशु उनके मददगार हैं। सभी मामलों में आप क्यों नहीं इसे क्रिमिनल आफेंस मान रहे हैं, क्यों नहीं जेल में बन्द करने का कानून बनाते। सभापति महोदय, आपने भी वहां से कहा है कि इसे क्यों नहीं क्रिमिनल ऑफेंस माना जाए।

बैंक में ट्रांसपेरेंसी और एकाउंटेबिलिटी नहीं है। बैंकों में बैंकर्स नहीं हैं, अब बैंकों में सिविल सर्विस के लोग हैं, जो बैंकर का गुण और काबलियत होनी चाहिए, वह उनमें नहीं है। वे बैंक सिविल सर्वेण्ट्स के लिए हैं, बैंकर्स नहीं हैं। इसीलिए आप बैंक रिफार्म का कॉम्प्रीहेंसिव बिल लाएंगे

तो तब हम आपको बताएंगे कि बैंकों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बैंकों में सीक्रेसी क्यों है, सबका नाम प्रकाशित होना चाहिए कि किसने कितना रुपया लिया है।

इसीलिए देश को अगर बचाना है, जनता का पैसा लेकर जो ये चंद लोग अरबपति और खरबपति बन रहे हैं, आम जनता मर रही है, देश की आर्थिक हालत खराब हो रही है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा सख्त कानून बनाना चाहिए कि लूट की छूट न हो और लूट बंद हो। जिन्होंने देश का रुपया डुबो दिया है, उन लोगों को जेलों में रखा जाए और तब तक रखा जाए, जब तक वह पैसा वसूल न कर लिया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, माननीय सदस्य श्री प्रबोध पण्डा बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सभापति महोदय, उल्लंघन–कर्त्ताओं और चूककर्त्ताओं से अपराधियों की भांति निपटना चाहिए। उन पर कोई दया नहीं करनी चाहिए। यही जनता और इस सभा की सामूहिक इच्छा है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अभी सभी सदस्य यहां मौजूद नहीं हैं। यदि सभी सदस्य यहां हों और वे कहें तो मैं निर्णय दे सकता हूं।

अब, श्री प्रबोध पण्डा बोलेंगे।

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर) : सभापति महोदय, आपने मुझे वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन विधेयक 2002 पर बोलने का अवसर दिया है।

महोदय, मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति का भी सदस्य हूं। ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर पहले स्थायी समिति में चर्चा होनी चाहिए। अतः आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मेरी अपील है कि इसे स्थायी समिति को भेजा जाय ताकि इस विधेयक पर गहराई से अध्ययन और जांच की जा सके। गैर–निष्पादनीय आस्तियों की सारी धनराशि के बारे में काफी कुछ कहा गया है। ए.आई.बी.ई.ए. ने चूककर्त्ताओं की बडी सूची प्रकाशित करके बहुत बढ़िया काम किया है, यह काम सरकार को ही करना चाहिए था। विधेयक में यह बात निहित है कि सुरक्षित ऋणदाताओं पर यह दायित्व बनता है कि वे वित्तीय क्षेत्र में वसूली हेतु अपने पास रखी प्रतिभूतियों के संबंध में कार्रवाई करें। काफी भ्रम उठाए गए हैं। यहां तक कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी कुछ महत्वपूर्ण बातें उठाई हैं। वे पहले से ही भ्रम में हैं। अतः यह स्पष्ट नहीं है कि यह विधेयक किस तरह उद्देश्य को पूरा करेगा काफी भ्रम की स्थिति है। मैं इस बात से सहमत हूं कि जानबूझकर चूक करने वालों और भुगतान करने में असमर्थ रहने वालों के बीच अंतर करना चाहिए।

अपराह्न 5.33 बजे

(डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए)*

कई मुद्दों पर काफी स्पष्टीकरण अब भी लिया जाना बाकी है। उदाहरणस्वरूप, यह अब भी स्पष्ट नहीं है कि किस प्राधिकारी को अधिसूचना जारी करना है, क्या कारोबार को शुरू करने वालों को खुद ही अधिसूचना जारी करनी होगी।

डी.आर.टी. के सामने कई मुद्दे लंबित हैं। माननीय सदस्य श्री रूपचन्द पाल ने भी ठीक ही उल्लेख किया है कि ऋण वसूली अधिकरण या सिविल न्यायालयों के सामने बडी संख्या में मामले लंबित हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अध्यादेश आधारित कार्रवाई के विरुद्ध ऋणवसूली अधिकरण में अपील की अनुमति दी जाएगी या नहीं? यह स्पष्ट नहीं है। बैंक केवल ऋण लेने वालों को नोटिस जारी कर रहे हैं। और क्या गारंटी देने वालों को कोई अधिसूचना जारी की जाती है, यह स्पष्ट नहीं है। इस मामले में जहां पहले गिरवी धारक की बकाया धनराशि भी बगैर चुकी रह जाती है तो दूसरा गिरवी धारक जमा कराई गई प्रतिभूति का ब्याज की वसूली के लिए प्रयोग करता है।

संयुक्त वित्त की दशा में भ्रम बना रहता है। यदि कोई एक बैंकर परिसम्पत्तियों को गैर निष्पादनकारी आस्तियों के रूप में वर्गीकृत करता है तो दूसरा इसे मानक परिसंपत्ति मानता है फिर इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। इस कारण ये सभी भ्रम बने रहते हैं। इन सबको मिटाया जाना चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि कृपा करके यह विधेयक स्थायी समिति को भेजा

[श्री प्रबोध पण्डा]

जाए। स्थायी समिति द्वारा गहन अध्ययन किए जाने के बाद यह विधेयक इस सम्मानित सभा के पास लाया जाए।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय, गैर–निष्पादनीय आस्तियों के बढ़ने का प्रश्न लम्बे अरसे से सभी का ध्यान आकृष्ट करता रहा है। इस दौरान गैर निष्पादनीय आस्तियां काफी बढ़ गई हैं। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की गैर–निष्पादनीय आस्तियों के वर्तमान में एक लाख हजार करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसकी विधेयक में चर्चा होनी चाहिए। इस विधेयक का वस्तुतः लम्बे समय से इंतजार था और बड़े पैमाने की गैर–निष्पादनीय आस्तियों के इस अहम प्रश्न को सुलझाने के लिए कानूनी उपायों की बड़ी जरूरत है। इस दौरान निसंदेह अर्द्धन्यायिक निकाय अर्थात् औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, ऋण वसूली अधिकरण, निगमित संरचना, 5 लाख तक के लघु धन के लिए लोक अदालत जैसी कई संरचनाएं और व्यवस्थाएं थीं। यह विधेयक ऋणदाता और देनदार के संबंधों की पुनर्व्याख्या का एक प्रयास है और ये दूरगामी महत्व के होंगे।

यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तरह के दूरगामी परिणामों वाले कानूनी उपाय के मामले में स्थिति से निबटने के लिए सरकार ने एक अध्यादेश प्रख्यापित करने का तरीका ढूंढ निकाला। शायद यह इसलिए कि सरकार उस कठोर विधायी तरीके की जहमत नहीं उठाना चाहती थी जिससे कि विधेयक को उससे गुजरना पड़े अथवा उस प्रक्रिया से विधेयक को गुजरना पडे। मैं समझता हूं कि बजट सत्र से पूर्व ही कैबिनेट ने इस कानून के उपबंधों को स्पष्ट कर दिया था परन्तु फिर भी सरकार ने यह जरूरी नहीं समझा कि वह इस विधेयक को बजट सत्र में लाए। इसने बजट सत्र के अवसान का इन्तजार किया। और फिर बजट सत्र के लिए प्रख्यापित किए जाने का इन्तजार किया। इस अध्यादेश को जून में ही प्रख्यापित किया गया। इसके बाद भी, मानसून सत्र में भी इसे प्राथमिकता नहीं दी गई। मैं समझता हूं कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि इस अध्यादेश के स्थान पर एक सम्यक् विधेयक लाया जाए।

मेरी दो आपत्तियां हैं–पहली इस अध्यादेश राज पर और दूसरी निःसंदेह ऐसे दूरगामी महत्व और दूरगामी प्रासंगिकता वाले विधेयक के संबंध में है जो अनेक खामियों से भरा पडा है।

पहली बात तो यह कि इस विधेयक की प्रयोजनीयता सीमित है। इस कानून के उपबंध मात्र प्रतिभूति वाले ऋणों पर लागू होते हैं। ये वहीं लागू होते हैं जहां बैंकों ने समान प्रतिभूति रखी हुई है। अब जरा गैर–निष्पादनीय आस्तियों की प्रकृति भी देखी जाए। हम देखते हैं कि लगभग 35 प्रतिशत गैर–निष्पादनीय आस्तियां ऐसी हैं जो समान राशि की प्रतिभूति के साथ रखी जाती हैं। दूसरे शब्दों गैर–निष्पादनीय आस्तियों का लगभग 65 प्रतिशत इस विधेयक के उपबंधों की सरहदों के बाहर है क्योंकि उन मामलों में हमारे पास बराबर राशि की प्रतिभूति अथवा प्रतिभूति वाला ऋण नहीं है।

अपराह्न 5.41 बजे

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

अध्यक्ष महोदय, यह एक गंभीर खामी है। यह विधेयक स्वयं उन 30 प्रतिशत गैर–निष्पादनीय आस्तियों के प्रश्न के संबंध में है जो समान राशि की प्रतिभूति द्वारा समर्थित है और यह तथ्य गलत नहीं है कि 70 प्रतिशत गैर–निष्पादनीय आस्तियां जो समान राशि की प्रतिभूति राशि द्वारा समर्थित नहीं हैं वे इस विधेयक की सीमा से परे हैं।

यह विधेयक जानबूझकर चूक करने वालों और अन्य के बीच भेद करने में भी असफल है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में यह भेद करने की जरूरत है। मैं यह नहीं चाहता कि मैं इसके बारे में प्रकाश डालता रहूं लेकिन जानबूझकर चूक करने वालों के प्रश्न भी हैं और उन लोगों के प्रश्न भी हैं जो वाकई सही हैं परन्तु वे गलती में शुमार कर लिए गए हैं। जानबूझकर चूक करने वालों और अन्य के बीच भेद करने के लिए कुछ सुरक्षोपाय किए जाने की जरूरत है।

यह विधेयक भ्रष्टाचार को आमंत्रण देता है। भ्रष्टाचार का यह खुला आमंत्रण है। इस विधेयक के कई ऐसे उपबंध हैं जो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ाएंगे। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस विधेयक में कोई सुरक्षोपाय नहीं है। उदाहरण के लिए यह उन परिसम्पत्तियों की कीमतें निर्धारण करने का अहम प्रश्न है जो बैंकों से परिसम्पत्ति प्रबधन कम्पनी को स्थानांतरित की जा रही हैं। कीमत निर्धारण के मामले में, हम इस बिल में मुश्किल से कोई उपबंध या दिशानिर्देश पाते हैं। इसलिए मैं सशंकित हू कि यह भ्रष्टाचार को आमंत्रित करेगा।

जहां तक हमारी अर्थव्यवस्था का संबंध है इसमें कई अन्य ऐसे उपबंध हैं जिनसे भ्रष्टाचार और बढ़ेगा और समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। उदाहरण के लिए, उस देनदार की पहचान करना अहम सवाल है जिसके विरुद्ध विधेयक में उपबंध किए जाते हैं। यह बैंक के विवेक पर है। बैंक किसी के विरुद्ध तो इस विधेयक के उपबंधों का प्रयोग कर सकता है और किसी के विरुद्ध नहीं। कोई ठीक से कारणों को समझे।

इस विधेयक के उपबंधों के दुरुपयोग के संबंध में कोई भी सुरक्षोपाय नहीं हैं और इससे ऋण लेने वाले फायदा उठा रहे हैं। उदाहरण के लिए, इस विधेयक में उधारकर्त्ता पर परिसम्पत्ति खरीद्र, परिसम्पत्ति की पुनर्खरीद, प्रतिभूतिकरण कम्पनी से परिसम्पत्ति पुनः प्राप्त करने के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है।

मुंबई में एक अत्यंत घृण्य घटना घटी। सेंटूर एयरपोर्ट होटल थोडे से पैसों के लिए बेचा गया और फिर खरीददार ने कुछ महीनों बाद इसे भारी लाभ पर पुनः बेच दिया। इससे राजकोष को भारी घाटा हुआ। यहां हम इससे सबक लें क्योंकि विधेयक में प्रतिबंध लगाने के संबंध में कोई उपबंध नहीं किया गया है कि उधारकर्त्ता प्रतिभूतिकरण कम्पनी से बैंक द्वारा इसे हस्तांतरित किए जाने के बाद पुनः प्राप्त नहीं कर सकता है।

महोदय, सरकार ने अध्यादेश प्रख्यापित करने का रास्ता अपनाया। इसलिए विधेयक का स्थायी समिति के पास जाने का प्रश्न ही नहीं उठा। इसके परिणामस्वरूप इसमें कई खामियां हैं और कई कानूनी दिक्कतें हैं। अध्यादेश का मामला न्यायालय के समक्ष है और एक कानूनी सवाल पहले ही उठ खड़ा हुआ है कि यदि इसने बकायों की वसूली के लिए अन्य कोई प्रक्रिया पहले ही प्रारम्भ कर दी है तो बैंक उस विधेयक या अध्यादेश के उपबंधों के तहत कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। जब हम विधेयक को अध्यादेश की जगह रखने का प्रयास कर रहे हैं तो यह जरूरी है कि इस संबंध में स्थिति स्पष्ट हो। ऐसी दिक्कतें पहले ही आ चुकी हैं और उन पर न्यायालय में विचार हो रहा है।

तत्कालीन माननीय वित्त मंत्री ने स्पष्ट रूप से वायदा किया था कि जब इस अध्यादेश को विधेयक के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा तो इसकी समीक्षा की जाएगी और तब ही आवश्यक संशोधन किए जाएंगे और बाद में समीक्षा नहीं की गई।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, हम इसे जारी रख सकते हैं। मेरे पास इस विधेयक की बाधाओं, खामियों और कमियों को स्पष्ट करने वाले विभिन्न पहलुओं से संबंधित लगभग 18 संशोधन हैं। यदि विधेयक को स्थायी समिति को सौंप दिया जाता तो मुझे पूरा विश्वास था कि ऋण दाताओं के हाथ और मजबूत हो गए होते और निष्पादक आस्तियों का प्रश्न कारगर ढंग से पूरा हो गया होता।

महोदय, मैं यह कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि हम पूर्णतः विधिक प्रावधानों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। बहुत कुछ स्तर और बैंकों के प्रबंधन की गुणता पर निर्भर करेगा। उदाहरणार्थ राज्य वित्त निगमों को ही ले लीजिए। इस विधेयक में समाहित अधिकारों के समान ही इन वित्त निगमों के पास आस्तियां अर्जित करने, बेचने और उन्हें पट्टे पर देने के अधिकार हैं तो भी कोई इन राज्य वित्त निगमों की वित्तीय स्थिति से खुश नहीं है। इससे इस बात का पता चलता है कि विधिक प्रावधानों के साथ–साथ बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रबधन की गुणता में सुधार संबंधी प्रश्न से भी निपटना पड़ता है।

महोदय, मैं सरकार से यह अपील करते हुए अपने भाषण को समाप्त करता हूं कि इस विलम्ब की अवस्था में भी विभिन्न प्रावधानों की समीक्षा के प्रश्न पर विचार करना चाहिए ताकि विधेयक गैर–निष्पादक आस्तियों की वसूली के दुष्कर कार्य में यह वास्तव में प्रतीकमान बन सके।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं अब माननीय मत्री जी को आमंत्रित कर सकता हू क्योंकि समय कम है?

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, मुझे दो मिनट की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, हमें इस विधेयक को 6 बजे तक पूरा करना है और उसके बाद एक और विधेयक पर चर्चा की जानी है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, कृपया उन्हें पांच मिनट का समय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : दूसरे विधेयक पर केवल पांच से दस मिनट का समय लगेगा। यह बहुत छोटा है, इस विधेयक को 6 बजे तक पूरा करना है और माननीय मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

श्री किरीट सोमैया : महोदय, उन्हें अगले विधेयक पर चर्चा के समय बोलने के लिए पहला मौका दिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री किरीट सोमैया के सुझाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस पर कई माननीय सदस्यों ने बोला है और उन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं, यह स्पष्ट है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, मेरा नाम इस सूची में शामिल है।

श्री रामदास आठवले : महोदय, मेरा नाम भी शामिल है।

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, हमारे पास आज समय नहीं है। इस विधेयक को 6 बजे तक पूरा किया जाना है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : सर, दो–दो मिनट्स दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, केवल दो–दो मिनट्स ही बोलें। पहले श्री वरकला राधाकृष्णन दो मिनट्स बोलेंगे। मात्र दो माननीय सदस्यों को ही बोलना है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : धन्यवाद, महोदय, मैंने सोचा कि मुझे समय नहीं मिलेगा। चूंकि मैं उपान्तिम वक्ता हूं, इसलिए मैं मात्र आवश्यक मुद्दों को उठाने तक सीमित रहूंगा।

सरकार का गैर–निष्पादनीय आस्तियों की स्थिति को सुधारने का यह दूसरा प्रयास है। पहला प्रयास औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के माध्यम से किया गया। हमारे कई उद्योग नियंत्रण से परे हो गए हैं। इन उद्योगों के ऋण भी नियंत्रण से परे हो गए हैं और सरकार रुग्ण उद्योगों के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए एक नया विधेयक लाई है और इस उद्देश्य के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आरम्भ से ही यह विधेयक त्रुटिपूर्ण था, त्रुटिपूर्ण इस अर्थ में कि इसमें कोई अधिकार नहीं दिया गया था। यह कार्य नहीं कर सका क्योंकि इसमें स्टाफ की व्यवस्था नहीं है और यहां तक कि बैंच के सदस्यों का भी कोई महत्व नहीं रखा गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि बोर्ड के समक्ष 12 से 15 वर्षों तक मामले लम्बित थे, इसके परिणामस्वरूप गैर–निष्पादक आस्तियों की स्थिति में सुधार नहीं किया। इस तथ्य के बावजूद कि यह मामला सरकार के ध्यान में लाया गया, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए अब, वे दूसरे विधेयक को लाए हैं। इसके साथ भी वही होगा अर्थात् यह भी कार्य नहीं कर पाएगा।

पहली बात जिसे मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि बैंकिंग अथवा वित्तीय कम्पनियों के लिए इसमें कोई अधिकार नहीं है। उनके पास निर्णयों को लागू करने के लिए कोई अधिकार नहीं है। वसूली के अधिकार भी उनके पास नहीं हैं। उन्हें डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट से सम्पर्क करना होगा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से है दांडिक प्रावधान चाहे वे छोटे दांडिक प्रावधान या अर्धदण्ड हों को लगाया जाएगा। उन्हें मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अथवा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसा भी मामला हो के माध्यम से लगाया जा सकता है।

इसका कुल परिणाम पूर्ण असफलता होगी और यहां वसूली भी नहीं हो पाएगी और जैसा कि कई मित्रों ने कहा है कि पूंजीपति ऐसे ही बने रहेंगे। जब तक इस विधेयक की समीक्षा नहीं की जाती कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा।

अब, आप देखेंगे कि इस विधान को लाने के लिए विचार 10 वर्ष से चल रहा है। जब भारत में सुधार आरम्भ किए गए थे, तो स्वाभाविक रूप से बैंकिंग क्षेत्र में भी सुधार हुए, लेकिन सरकार ने बहुत ही धीमी गति से कार्य किया, अब उन्हें यह मानना पड रहा है कि कतिपय क्षेत्रों में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के पास विश्व में वित्तीय बाजारों में अन्य भागीदारों की तुलना में समकार्य स्तर का क्षेत्र नही है।

इसलिए, हम पिछड रहे हैं। हमने पहले कार्य क्यों नहीं किया? अब हमारे समक्ष यह कानून त्रुटिपूर्ण है। यह मूलतः कमजोर है अर्थात् वे इस विधेयक से भी कार्य नहीं कर सकते हैं।

बैंकिंग उद्योग की भी यही राय है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस विधान से उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यदि इस विधेयक को स्थायी समिति को सौंप दिया गया होता तो यह सब रुक जाता। हमने इस पर स्थायी समिति में विचार किया होता तो हमें उन तरीकों के बारे में सुझाव मिल गया होता और हमने विधेयक में संशोधन कर लिए होते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। सरकार ने इस विधेयक को स्थायी समिति को उसकी राय, संशोधन और संवीक्षा हेतु नहीं सौंपा। यदि ऐसा किया गया होता तो यह अच्छा होता। इसलिए इस आधार पर, मैं सरकार से उनकी स्थिति पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करता हूं और एक नया विधान लाने जिसके द्वारा ऐसे पवित्र विचार जिनके बारे में सरकार दावा करती है, को कार्यान्वित किया जा सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, नरसिम्हन कमेटी और अंथियारुजनिया कमेटी ने बहुत से सुझाव दिए। बहुत सी वित्तीय संस्थाएं जो कर्जा देती हैं, उनका कर्जा वापस नहीं किया जाता है। इसमें सुधार लाने के लिए जसवन्त सिंह जी यह बिल लाए हैं। मैंने गम्भीरता से इस बिल पर विचार किया और अच्छा महसूस करने के बाद ही इस बिल का समर्थन कर रहा हूं। इस बिल के पास होने के बाद इसके रिजल्ट्स निल नहीं होने चाहिए। इस बिल के माध्यम से आप कुछ सुधार करने जा रहे हैं। जो बड़ी कम्पनियां हैं और जो 500–1000 और दस हजार करोड़ रुपए कर्ज के रूप में लेते हैं, वे कर्जा वापस नहीं करते हैं। उस राशि की रिकवरी नहीं हो पाती। इस बिल के द्वारा उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की परमिशन मागी गई है जो एक अच्छी बात है। जो सिक और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जिनमें 50 करोड रुपए की पूंजी लगी है, वहां यह कानून लागू नही होना चाहिए। उन्हें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए जिससे उनकी कम्पनियां विकसित हों। सिक इंडस्ट्रीज की हालत सुधारने के लिए उन्हें अधिक से अधिक मदद देनी चाहिए। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। अभी जसवन्त सिंह जी इस विभाग के नए मंत्री बने हैं। इससे पहले यशवन्त सिन्हा जी इस विभाग के मंत्री थे। तब बात अलग थी। अब आप इस विभाग के मंत्री बन गए हैं इसलिए यहां ज्यादा से ज्यादा सुधार आएगा। उम्मीद है कि आने वाले बजट में अच्छा परिवर्तन करने में आपके सुझाव महत्वपूर्ण रहेंगे।

अडसुल जी वित्त राज्य मंत्री बन गए हैं। वह हमारे लिए कुछ करें। सिक इंडस्ट्रीज का ज्यादा से ज्यादा समर्थन करने की आवश्यकता है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन आप भी हमें धन्यवाद करिए।

[अनुवाद]

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने अपने विचारों से सरकार को लाभान्वित किया है। महोदय, मैं उस समय भी बहुत कम बोला था जब इस विधेयक पर विचार किया गया था और मैं इस समय भी आज समय को ध्यान में रखते हुए बहुत कम बोलूंगा। परन्तु, यद्यपि मैं कम बोलूंगा फिर भी मैं माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझावों के उत्तर अवश्य दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी, मुझे एक मिनट के लिए हस्तक्षेप करना पड़ेगा।

मैं सभा की अनुमति से इस विधेयक और अगले विधेयक के पारित होने तक सभा का समय बढ़ा रहा हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आप इस विधेयक के पारित होने तक ही सभा का समय बढ़ाएं अगला विधेयक पारित होने तक नहीं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह बहुत छोटा विधेयक है। उस विधेयक पर किसी चर्चा की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, अगला विधेयक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर है। सदस्य उस विधेयक पर अवश्य बोलना चाहेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आप कृपया इस विधेयक के पारित होने तक ही सभा का समय बढाए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति में निर्णय लिया गया था कि अगला विधेयक भी पारित किया जाएगा क्योंकि अगले विधेयक पर अधिक विचार–विमर्श की आवश्यकता नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : अगले विधेयक पर बहुत सी बातें हैं। इसमें समय लगेगा। इसलिए, आप अगले विधेयक पर कल विचार करें।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : जो मेम्बर्स बोलना चाहेंगे, शायद वे इस वक्त नहीं होंगे क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह बी ए सी में तय हुआ है।

श्री पवन कुमार बंसल : लेकिन यह बात एनाउन्स नहीं हुई कि वह बिल छः बजे के बाद टेकअप होगा।

[अनुवाद]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटिल) : जिस अगले विधेयक पर विचार किया जाना है वह स्थायी समिति के पास भेजा गया था। इसलिए, यह उतना जटिल नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : खैर, हम इस विधेयक को पारित करने के बाद इस मुद्दे पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मुझे बहुत खेद है कि मंत्री जी ऐसा कह रहे हैं। यह निर्णय नहीं लिया गया था कि सभा छः बजे के बाद बैठेगी। इसलिए, जिन सदस्यों को उस चर्चा में भाग लेना था, वे शायद यह सोचकर कि आज विधेयक पर विचार नही किया जाएगा, सदन से चले गए है।

सायं 6.00 बजे

अध्यक्ष महोदय : अब, मैं विधेयक पर निर्णय होने तक समय बढा रहा हूं। तत्पश्चात् मैं पुनः सभा की राय लूगा।

श्री जसवंत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हू कि वे उन कानूनों, जिन्हें हम ला रहे हैं, में रुचि ले रहे हैं। मैं यहां दिखाई गई रुचि के लिए भी बहुत आभारी हूं। मैं उन सभी माननीय सदस्यों से पूरी तरह सहमत हूं जो कहते हैं कि अध्यादेश का मार्ग अच्छा मार्ग नहीं है। हां, यह इस सीमा तक अच्छा मार्ग नहीं है कि सरकार इससे परहेज करती है। हम इससे बचते हैं, सभी सरकारों को आवश्यकताओं अथवा परिस्थितियों के कारण किसी न किसी समय इस मार्ग का सहारा लेना पडता है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता।

आखिरकार, मैं इसी सभा में था जब स्थायी समितियों की पद्धति की स्थापना की गई थी। मैं उस समिति का सदस्य था। हम सबको स्वयं को प्रतिबिंबित करना है, हमें प्रतिबिंबित करना होगा कि क्या स्थायी समितियों में उनके पास भेजे गए विधेयकों पर लगा समय वास्तव में लगने वाला समय होना चाहिए क्योंकि इस प्रक्रिया में स्थायी समिति का पूरा उद्देश्य वास्तव में पूर्ण नहीं हो रहा है। फिर भी यह अलग विषय है और मैं उसकी बिल्कुल बात नहीं करूंगा।

अब जब विधेयक को विचारार्थ लिया जाना था तो जैसा कि मैंने सभी माननीय सदस्यों को शुरू में बताया था कि यह विधेयक अनिवार्य रूप से वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण हेतु है ताकि तत्काल लिक्विडिटी सृजित की जा सके और यह प्रतिभूति को लागू करने के लिए भी है, और इस समय कोई शक्तियां नहीं हैं क्योंकि सभी माननीय सदस्य समय नष्ट करने वाली न्यायिक प्रक्रियाओं के बारे में जानते हैं जो कि हमारी न्यायिक प्रणाली का हिस्सा है। यह भी जीवन के यथार्थ का हिस्सा है कि देश और विदेश दोनों में व्यावसायिक परिस्थितिया बदल रही हैं। इसका परिणाम होता है, आस्तियों–देनदारियों का असंतुलन और गैर–निष्पादनीयकारी आस्तियों (एन पी ए) का बढ़ता हुआ स्तर। मैं गैर–निष्पादनीय आस्तियों (एन पी ए) के सकल घरेलू उत्पाद के साथ अनुपात में नहीं जाना चाहता। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में भारत की गैर–निष्पादनीय आस्तियां (एन पी ए) कुछ देशों से वास्तव में बहुत कम हैं। मैं इस समय उस बहस में नहीं जाना चाहता।

मैं यहा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करूगा। मैं सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हू—कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि यह विधेयक अथवा अध्यादेश पर्याप्त रूप से कठोर या प्रभावी नहीं है, अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह पहले ही बहुत कठोर है इसलिए इसका

दुरुपयोग न हो यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधान होने चाहिए। माननीय सदस्यों द्वारा दोनों प्रकार के मत रखे गए हैं कि जैसे–जैसे हम इस मार्ग पर बढते हैं तो सरकार उन प्रावधानों, जो संसद आज हमारे लिए बना रही है, की लगातार समीक्षा करने और उनमें सुधार करने के लिए वचनबद्ध है। हां, महोदय मैंने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि यदि किसी प्रावधान में हमें लगता है कि पुनर्विचार की आवश्यकता है तो सरकार अथवा वित्त मंत्रालय को पुनर्विचार करने और इस तरह का संशोधन करने में कोई संकोच नहीं होगा।

हमने अध्यादेश का रास्ता क्यों अपनाया? हम मानते हैं कि देश के भीतर एक वातावरण बनाना होगा ताकि ऋण लेने वालों और ऋण देने वालों दोनों में जिम्मेदारी की भावना पैदा की जा सके कि हम बिना किसी प्रमुख राष्ट्रीय उद्देश्य के इस रास्ते को इस प्रकार जारी नहीं रख सकते जिस प्रकार हम रख रहे हैं।

मैं माननीय सदस्यों, विशेषकर, माननीय सदस्यों श्री किरीट सोमैया एवं श्री रूपचन्द पाल को भी आश्वासन देना चाहता हूं कि हां, हमने एक लाख लगाए हैं, परन्तु उसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम एक लाख से शुरू करेंगे। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि हम वृहत् गैर–निष्पादनकारी आस्तियों से आरंभ करेंगे।

[हिन्दी]

रघुवंश बाबू हम पर बहुत गुस्सा कर रहे थे और जोरों से बोल रहे थे कि आप क्यों इतने ऐसेट्स छोड़े जा रहे हैं और इसे क्यों इतना बड़ा लंबा नाम दिया है। कानून में पेचीदगी है। ऐसे ऐसेट्स को लायेबिलिटी थोड़े ही कह सकते हैं। वह जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं।

जहां तक बडे कर्जदारों की बात है, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और जो छोटे कर्जदार हैं, सरकार उनके प्रति कोई पक्षपात नहीं करने जा रही है। यह सही है कि कर्जदारों ने बडे पैमाने पर कर्ज लिया हुआ है, लेकिन मुझे अभी वित्त मंत्रालय का भार संभाले तीन महीने ही हुए हैं। मैं इस बारे में सजग हूं। आप विश्वास रखिए कि विदाउट फियर एंड फेवर, जैसा हम शपथ लेते हैं, वित्त मंत्रालय में हम न किसी की तरफदारी करते हैं, न हमें किसी की घबराहट है।

[अनुवाद]

हमें बिना किसी भय के एवं बिना किसी का पक्ष लिए कार्य करना है और वित्त मंत्रालय केवल देश–हित में काम करता है, उस सीमा तक जहां तक ईश्वर उन्हें सक्षम बनाता है।

महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस विधेयक के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य वित्त निगमों को भी शामिल किया जाएगा।

[हिन्दी]

बनातवाला साहब ने फरमाया, वह अब तो हाजिर हैं नहीं। स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन्स में ऐसे प्रोविजन्स एक्जिस्ट करते हैं। एक माननीय सदस्य जानना चाहते थे कि क्या कर्मचारियों पर इसका कोई असर होगा?

[अनुवाद]

मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कर्मचारी इस परिवर्तन से प्रभावित नहीं होंगे और कोई भी कर्मचारी, चाहे वह प्रबंधन का हो अथवा कोई कामगार हो, इस कारण से प्रभावित नहीं होगा।

महोदय, बट्टे–खाते में डालने से संबंधित एक प्रश्न था। मेरे विचार से, निरानुमोदन हेतु प्रस्ताव के माननीय प्रस्तावक ने पूछा कि बट्टे–खाते में क्यों डाला जा रहा है। क्या यह यादृच्छिक है? क्या यह गैर–यादृच्छिक है। बट्टे–खाते में डालना एक ऐसा प्रावधान है जिसे बैंक वस्तुतः कराधान संरचना का लाभ लेने हेतु अपनाता है और वस्तुतः यह बट्टे–खाते में डाला गया धन नहीं है। यह एक समायोजन है और बकाया ऋण की वसूली, इसे बट्टे–खाते में डालने के बाद भी की जा रही है। निरानुमोदन के प्रस्ताव के माननीय प्रस्तावक यह जानना चाहते हैं कि क्या नियमों को अधिसूचित किया गया अथवा नहीं। जी हा, इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यादेश के अंतर्गत दिशानिर्देश जारी करने की प्रक्रिया मे अधिसूचित किया गया है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि अध्यादेश ऋणदाता एवं ऋण प्राप्तकर्त्ता के बीच के संबंधों को नियंत्रित करता है और यदि इसमें कोई तीसरी पार्टी भी शामिल है, तो तीसरी पार्टी इस संबंध में हमेशा न्यायालय से सपर्क कर सकती है।

[श्री जसवंत सिंह]

महोदय, अभी–अभी एक माननीय सदस्य ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट इत्यादि की सहायता लेने का उल्लेख किया है। मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि जब भी आवश्यक हो, बैंक परिसंपत्तियों के अर्जन हेतु मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की सहायता ले सकते हैं। यह ऐसा कर सकता है। परन्तु इस प्रयोजन हेतु न्यायालय के किसी निर्णय की जरूरत नहीं है। इस चीज को स्पष्ट करें। यह अंतिम उपाय नहीं है। हम पारस्परिक उत्तरदायित्व की भावना का वातावरण तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

महोदय, कुछ अन्य जानकारी भी मांगी गई थी। सरकारी क्षेत्र के 27 बैंकों में से 25 बैंकों ने 10,000 पुराने ऋण प्राप्तकर्त्ताओं के खातों के बारे में, अध्यादेश के लंबित होने के दौरान नोटिस जारी किए गए थे। बैंकों ने यह सूचित किया है कि अध्यादेश का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और कुछ ऋण प्राप्तकर्त्ताओं ने सुलह या बातचीत से समाधान के लिए संपर्क किया है। वित्तीय संस्थानों ने 113 ऋण प्राप्तकर्त्ताओं के खातों के संबंध में नोटिस जारी किए हैं और विशेषकर आई डी बी आई ने अब यह रिपोर्ट दी है कि अब एकमुश्त रूप से बातचीत से समझौते की बात की जा रही है।

महोदय, मैं दो और अतिरिक्त बिन्दुओं की बात करना चाहता हूं। मैं कानून की जटिलता एवं व्यावसायिक अपराधों की जटिलता को पहचानता हूं कि हमें वस्तुतः उपलब्ध विद्यमान कानून की रूपरेखा से आगे जाने की आवश्यकता है।

वित्त मंत्रालय के संबंध में मेरा निष्कर्ष है और शायद वह स्वयं आ गया है। जब सभी मामलों को केवल केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी क्योंकि व्यावसायिक अपराधों, धोखेबाजी, जिनका कि हम सामना करते हैं, की जटिलता अत्यधिक है। अतएव, जब मैंने यह पद संभाला तो हमने यह निर्णय लिया था कि वित्त मंत्रालय, जिसका कि कम्पनी कार्य विभाग एक भाग है, सीरियस फ्रॉड आफिसेज स्थापित करने के लिए तत्काल कदम उठाएगा और यह सीरियस फ्रॉड ऑफिस इन सभी पहलुओं को समाविष्ट करेगा। मुझे सभा को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि हमने इस संबंध में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हम विधि मंत्रालय से विचार–विमर्श करते रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि हम सभा में एक सुविचारित विधेयक रखेंगे। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि यह अध्यादेश नहीं होगा क्योंकि मैं आपके विचार चाहता हूं।

दूसरा पहलू जिसे मैं बांटना चाहता हूं, वह बस यह है जैसे ऋण प्राप्तकर्त्ता का उत्तरदायित्व होता है–वित्त मंत्रालय के संबंध में यह मेरा दृष्टिकोण है और यह सरकार का सामूहिक दृष्टिकोण है–ऋणदाता का भी उत्तरदायित्व है। हम सब यह महसूस करें कि जहां ऋण प्राप्तकर्त्ता द्वारा लिए गए ऋण का पुनर्भुगतान करने का उत्तरदायित्व एवं बाध्यता होती है, जो कि व्यावसायिक एवं नैतिक दोनों होती है, और ऋणदाता की बाध्यता ऋण प्राप्तकर्त्ता को सकारात्मक रूप से सेवा देते रहने की है और यदि दोनों विभिन्न संगठनों के झगड़ालू हिस्सेदार हैं, तो हमेशा ऐसा नहीं है। हमें ऐसे रवैये को छोड़ना होगा। इसलिए, हम ऋणदाता देनदारी कानून पर विचार कर रहे हैं जिससे कि लोक संस्थानों एवं बैंकों से धन का संवितरण चयनात्मक, वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता; कि उन पर व्यवसायिक रूप से विचार करते हुए नियंत्रण हो, और ऋण देने की प्रक्रिया में उन्हें उसी प्रकार मानदंडों का अनुपालन करना जारी रखना होगा जैसा कि ऋण प्राप्तकर्त्ता मानदंडों का अनुपालन करते हैं।

इसी कारण से और विभिन्न कारणों से मैं इस विधेयक को सभा के विचारार्थ रखता हूं। मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि कृपया हमें अपनी सहमति दें। यदि कोई सुझाव, संशोधन, प्रावधान, सुधार का प्रस्ताव आता है, तो मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि हम ऐसा जरूर करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैंने अपना संवैधानिक संकल्प रखते हुए, यह स्पष्ट किया कि हम विधेयक की विषय–वस्तु के विरुद्ध नहीं थे। हम सरकार के अध्यादेश लाने का रास्ता अपनाए जाने के विरुद्ध हैं।

इस अंतरसत्रावधि के दौरान कम से कम पांच अध्यादेश प्रख्यापित किए गए हैं। कुछ अध्यादेशों को सत्र की पूर्वसंध्या पर प्रख्यापित किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सरकार विधेयक रख सकती थी और उक्त विधेयक को छानबीन हेतु स्थायी समिति को भेजा जा सकता था। हम इतने महत्वपूर्ण विधेयक को तीन–चार घंटे में पारित कर रहे हैं। समय की कमी के कारण उठाए गए अधिकतर मुद्दे अनुत्तरित रह गए हैं। इसलिए, मेरी यह अपील है कि इस विधेयक को स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए।

हम इस समस्या को महसूस करते हैं कि स्थायी समिति सभा को वापस सूचित करने में काफी समय लेती है। स्थायी समिति द्वारा सभा में प्रतिवेदन रखने की समय–सीमा तीन माह की की जा सकती है।

यह सामान्य अनुदेश नहीं होना चाहिए, परन्तु जिन

महत्वपूर्ण विधेयकों को तत्काल पारित किया जाना है, तो ऐसा किया जाता है। हम यह भी जानते हैं कि गैर–निष्पादनकारी आस्तियों को कम करने और लोक धन को लूटने वालों से निपटने के लिए इस संकट से उबरने के लिए ऐसे उपाय किए जाने चाहिए। स्वयं वित्त मंत्री ने उल्लेख किया है कि ये अशोध्य ऋण नहीं हैं बल्कि यह लूट मात्र है। अतएव, उनको कुछ दंड भी दिया जाना चाहिए। लोक धन को लूटने वाले उन चूककर्त्ताओं पर आपराधिक मुकदमे क्यों नहीं चलाए जा सकते? यही प्रश्न यहां भी है।

भविष्य में इस अधिनियम को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न सदस्यों एवं मेरे द्वारा दिए गए सुझाव पर सरकार को विचार करना चाहिए। निश्चित ही हम इन सब बातों को पूरी तरह नहीं रोक सकते हैं परन्तु इन्हें कम कर सकते हैं। यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति मौजूद है, तो हम इनको कम करने और गैर–निष्पादनकारी आस्तियों के धन को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि बेहतर उद्देश्यों हेतु उपयोग करने में समर्थ होंगे। हमें धन की आवश्यकता है। हमें धन की अत्यधिक आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय भविष्य में इस अधिनियम में संशोधन हेतु हमारे सुझावों पर निश्चित रूप से विचार करेंगे ताकि हम गैर–निष्पादनीय आस्तियों की समस्या और जानबूझकर ऋण न देने वाले चूककर्त्ताओं की समस्या से निपटने में सक्षम हो सकें।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपना सांविधिक संकल्प वापिस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री बसुदेव आचार्य द्वारा रखे गए संकल्प को वापस लेने की अनुमति देती है?

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हितों के प्रवर्तन का विनियमन और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 प्रतिभूतिकरण कम्पनियों या पुनर्गठन कम्पनियों का रजिस्ट्रीकरण

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7,—

पंक्ति 24 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए—

"(7) उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए किए गए प्रत्येक आवेदन का रिजर्व बैंक द्वारा उक्त आवेदन के प्राप्त होने के तीन मास के भीतर निपटान किया जाएगा।" (44)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री जी. एम. बनातवाला द्वारा खंड 3 के लिए लाए गए संशोधन सं. 44 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 44 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड दिया गया।

खंड 4 रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का रद्दकरण

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 8,—

पंक्ति 5 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए—

"(च) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन वित्तीय आस्तियां, जिनकी कुल संकलित रकम इसके स्वामित्वाधीन निधि की कुल रकम और धारा 7 के अधीन जुटाई गई निधि के तीन गुना से अधिक हो जाती है, रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना अर्जित कर ली है।" (45)

पृष्ठ 8, पंक्ति 17—

"अपील कर सकेगी" के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए—

"और ऐसी अपील फाइल करने और उसकी सुनवाई की प्रक्रिया केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विहित नियमों के अनुसार होगी" (46)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री जी. एम. बनातवाला द्वारा खंड 4 के लिए लाए गए संशोधन संख्या 45 और 46 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 45 और 46 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 वित्तीय आस्तियों में अधिकारों और हित का अर्जन

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं श्री पवन कुमार बंसल अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 8, पंक्ति 40 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए,—

"(2क) प्रतिभूत आस्तियों से पूर्णतः अथवा अंशतः विनिर्मित अथवा उत्पादित किसी माल, जो उपधारा (1) के अधीन अर्जित वित्तीय आस्तियों का एक भाग है, के संबंध में प्रतिभूतिकरण कम्पनी अथवा पुनर्गठन कम्पनी के वही अधिकार और शक्तियां होंगी।" (32)

पृष्ठ 9, पंक्ति 21 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए—

"(5) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 अथवा भारतीय स्टांप अधिनियम अथवा किसी राज्य में तत्समान अधिनियमों में से किसी भी अधिनियम में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी किसी प्रतिभूतिकरण कम्पनी अथवा पुनर्गठन कम्पनी द्वारा उपधारा (1) के अधीन किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान की वित्तीय आस्ति का अर्जन किसी रजिस्ट्रीकरण फीस अथवा स्टांप शुल्क के अध्यधीन नहीं होगा।" (33)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री जी. एम. बनातवाला द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 32 और 33 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 32 और 33 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 बाध्यताधारी को सूचना और ऐसे बाध्यताधारी की बाध्यता का उन्मोचन

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 9, पंक्ति 22,—

"यदि इसे समुचित समझती है," का लोप किया जाए। (3)

पृष्ठ 9, पंक्ति 27—28,—

"जहां किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा उपधारा (1) के अधीन वित्तीय आस्ति के अर्जन की कोई सूचना दी गई है वहां" का लोप किया जाए। (4)

पृष्ठ 9,—

पंक्ति 33 से 39 का लोप किया जाए। (5)

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 9, पंक्ति 22 और 23,—

"बैंक या वित्तीय संस्था यदि इसे समुचित समझती है, किसी प्रतिभूतिकरण कम्पनी का पुनर्गठन कम्पनी द्वारा वित्तीय आस्तियों के अर्जन की" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"किसी प्रतिभूतिकरण कम्पनी अथवा पुनर्गठन कम्पनी द्वारा वित्तीय आस्तियों के अर्जन के दो मास के भीतर ऐसे अर्जन की" (34)

पृष्ठ 9, पंक्ति 33 से 35,—

"जहां किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा उपधारा (1) के अधीन वित्तीय आस्ति के अर्जन की कोई सूचना नहीं दी गई है वहां बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा तत्पश्चात् प्राप्त कोई धन या अन्य संपत्तियां" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा उपधारा (1) के अधीन वित्तीय आस्ति के अर्जन के तत्पश्चात् प्राप्त किया गया कोई धन या अन्य संपत्तियां" (35)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री पवन कुमार बंसल द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 3, 4 और 5 तथा श्री जी. एम. बनातवाला द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 34 और 35 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 3, 4 और 5 तथा 34 और 35 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड दिया गया।

खंड 7 प्रतिभूतिकरण कम्पनी या पुनर्गठन कम्पनी द्वारा प्राप्तियों या निधियों की स्थापना करके प्रतिभूति का पुरोद्धरण

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 10, पंक्ति 10,—

"पचहत्तर" के स्थान पर "इक्यावन" प्रतिस्थापित किया जाए। (6)

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

पृष्ठ 10, पंक्ति 10,—

"पचहत्तर प्रतिशत" के स्थान पर "साठ प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाए। (36)

पृष्ठ 10, पंक्ति 12,—

"ऐसे अधिवेशन में" के पश्चात "वैयक्तिक रूप से अथवा जहां प्रॉक्सी की अनुमति है, प्रॉक्सी द्वारा" अंत:स्थापित किया जाए। (47)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री पवन कुमार बसल द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 6 तथा श्री जी. एम. बनातवाला द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 36 और 47 को सभा के मतदान के लिए रखूगा।

संशोधन संख्या 6, 36 और 47 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 विधेयक मे जोड़ दिया गया।

खंड 9 आस्ति पुनर्गठन के लिए उपाय

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मे प्रस्ताव करता हूं

पृष्ठ 10, पंक्ति 29,—

"या प्रबंध ग्रहण" का लोप किया जाए। (7)

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, मे प्रस्ताव करता हूं

पृष्ठ 10,—

पंक्ति 35 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,—

"परन्तु जहा प्रतिभूतिकरण कम्पनी या पुनर्गठन कम्पनी इस धारा के खंड (ख) या खंड (घ) के अधीन कार्यवाही करती है, वहां उधार लेने वाले या उसके अभिकर्ता के लिए कारबार प्रतिभूत आस्ति में किसी हित का क्रय करना या अर्जन करना विधिपूर्ण नही होगा।" (37)

अध्यक्ष महोदय : अब मै श्री पवन कुमार बसल द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 7 और श्री जी एम. बनातवाला द्वारा प्रस्तुत संशोधन स. 37 को सभा के मतदान के लिए रखूगा।

संशोधन संख्या 7 और 37 मतदान के लिए रख गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खड 9 विधेयक का अग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9 विधेयक मे जोड दिया गया।

खंड 10 और 12 विधेयक मे जोड़ दिए गए।

खंड 13 प्रतिभूति हित का प्रवर्तन

श्री पवन कुमार बंसल : सशोधन सख्या 9 को छोडकर, मैं अन्य सभी सशोधन प्रस्तुत करना चाहूंगा।

मै प्रस्ताव करता हू

पृष्ठ 12, पंक्ति 5,–

"न्यायालय या अधिकरण के मध्यक्षेप के बिना" का **लोप** किया जाए। (8)

पृष्ठ 12, पक्ति 19.–

"असफल रहता है" के पश्चात्

"और ऋण वसूली अधिकरण द्वारा 17 के अधीन कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया है" अन्तःस्थापित किया जाए। (10)

पृष्ठ 12, पक्ति 20.–

"अधिक उपाय" के पश्चात् "करने के लिए अनुज्ञा प्रदान करने की अधिकारिता रखने वाले ऋण वसूली अधिकरण को आवदेन" अंतःस्थापित किया जाए। (11)

पृष्ठ 12, पंक्ति 34 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए–

"परन्तु ऋण वसूली अधिकरण उपधारा 4 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर ऋण लेने वाले से इस बात की सुनवाई करेगा कि ऐसी अनुज्ञा क्यो नहीं दी जानी चाहिए और चार मास के भीतर मामले का विनिश्चिय करेगा।" (12)

पृष्ठ 13, पंक्ति 2,–

"प्रतिभूत लेनदार" के स्थान पर

"ऋण वसूली अधिकरण" प्रतिस्थापित किया जाए। (13)

पृष्ठ 13, पक्ति 3 –

"उसके द्वारा" के स्थान पर

"प्रतिभूत लेनदार द्वारा" प्रतिस्थापित किया जाए। (14)

पृष्ठ 14, पंक्ति 14–16,–

"इस अधिनियम के अधीन प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में उपधारा (4) के खंड (3) के खंड (घ) में विनिर्दिष्ट किसी उपाय को पहले किए बिना" के स्थान पर "उपधारा (4) के अधीन विहित रीति से" प्रतिस्थापित किया जाए। (15)

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हू

पृष्ठ 12, पंक्ति 11,–

"साठ दिन" के स्थान पर

"नब्बे दिन" प्रतिस्थापित किया जाए। (38)

पृष्ठ 14, पक्ति 16.–

"प्रत्याभूतिदाताओ के विरुद्ध कार्रवाई करने या" का लोप किया जाए। (39)

पृष्ठ 14, पंक्ति 17,–

"करने" के पश्चात्

"या कोई ऐसा उपाय करने के पश्चात् प्रत्याभूतिदाता के विरुद्ध कार्रवाई, यदि आवश्यक हो, करने" अंतःस्थापित किया जाए। (40)

पृष्ठ 14, पंक्ति 24 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए–

"(14) जहां कि प्रतिभूति लेनदार ने उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन किसी उधार लेने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की है, वहां उधार लेने वाले के द्वारा या उसके विरुद्ध बाद के प्रयोजनों के लिए प्रतिभूत लेनदार को प्रतिभूत परिसंपत्तियों का स्वामी माना जाएगा और उधार लेने वाले के नाम से वाद करेगा या वाद चलाया जाएगा".

"(15) जहा प्रतिभूत लेनदार को यह आशका हो कि उधार लेने वाला प्रतिभूत परिसपत्ति को अपसारित कर सकता है वहा प्रतिभूत लेनदार मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट, जिसकी अधिकारिता मे ऐसी प्रतिभूत परिसंपत्ति हो, के पास अन्तरिम व्यादेश के लिए आवेदन कर सकेगा ताकि उधार लेने वाले को प्रतिभूत लेनदार

की पूर्व अनुमति के बिना प्रतिभूत परिसंपत्ति को इस प्रकार अपसारित करने के अवरुद्ध किया जा सके।" (41)

पृष्ठ 12, पंक्ति 21.—

"उधार लेने वाले" से पहले निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए—

"प्रतिभूति आस्तियों पर उधार लेने वाले के समस्त अधिकारों सहित" (48)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री पवन कुमार बंसल द्वारा प्रस्तुत सशोधन संख्या 8, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 और जी. एम. बनातवाला द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 38, 39, 40, 41 और 48 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 8, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 तथा 38, 39, 40, 41 और 48 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 13 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 14 मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिभूत लेनदार की प्रतिभूत आस्ति का कब्जा लेने में सहायता किया जाना

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

पृष्ठ 14, पंक्ति 30.—

"लिखित में" का लोप किया जाए। (16)

पृष्ठ 14, पक्ति 32.—

"निवेदन" के स्थान पर

"आवेदन" प्रतिस्थापित किया जाए। (17)

पृष्ठ 14, पक्ति 32 से 34 के स्थान पर

निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए.—

"ऐसा आवेदन किए जाने पर,—

पक्षकारों की सुनवाई करेगा और तीन माह के भीतर विनिश्चय करेगा कि क्या,—

(क) ऐसी आस्ति और उससे सबंधित दस्तावेजों का कब्जा लिया जाए; और

(ख) ऐसी आस्ति और दस्तावेजों को प्रतिभूत लेनदार को अग्रेषित किया जाए।" (18)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री पवन कुमार बसल द्वारा प्रस्तुत सशोधन सख्या 16, 17 और 18 को सभा के मतदान के लिए रखूगा।

संशोधन संख्या 16, 17 और 18 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 14 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खड 14 विधेयक में जोड दिया गया।

खंड 15 प्रबंध ग्रहण करने की रीति और उसका प्रभाव

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हू

पृष्ठ 15, पक्ति 1.—

"लिया जाता" के स्थान पर

"परिवर्तित किए जाने की मांग की जाती है" प्रतिस्थापित किया जाए। (19)

पृष्ठ 15, पंक्ति 5 से 10 के स्थान पर

निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"समाचार पत्र में, उक्त सूचना के प्रकाशन द्वारा—

(क) ऐसी दशा मे जहा उधार लेने वाला, कम्पनी अधिनियम, 1956 मे यथापरिभाषित कम्पनी है, उक्त अधिनियम के उपबधों के अनुसार उस उधार लेने वाले के निदेशकों के रूप में; या

(ख) किसी अन्य दशा मे, उधार लेने वाले के कारबार के प्रशासक के रूप में, नियुक्त करेगा।" (20)

पृष्ठ 15, पंक्ति 7.—

"निदेशकों के रूप में;" के स्थान पर

"उतनी संख्या में निदेशक जो विद्यमान निदेशकों से एक अधिक हों;" प्रतिस्थापित किया जाए। (21)

पृष्ठ 15, पंक्ति 8 और 9.—

"के रूप में" का लोप किया जाए। (22)

पृष्ठ 15, पंक्ति 12 से 20 का लोप किया जाए। (23)

पृष्ठ 15, पंक्ति 31.—

"सभी शक्तियों का" के पश्चात् "विद्यमान प्रबंध के साथ परामर्श करके" अंतःस्थापित किया जाए। (24)

पृष्ठ 16, पंक्ति 4.—

"ग्रहण" के स्थान पर "परिवर्तित" प्रतिस्थापित किया जाए। (25)

पृष्ठ 16, पंक्ति 5.—

"पूर्ण वसूली होने पर" के पश्चात् "अपने प्रतिनिधि वापस ले लेगा और" अंतःस्थापित किया जाए। (26)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री पवन कुमार बसल द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 19 से 26 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 19 से 26 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 15 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 16 विधेयक में जोड दिया गया।

खंड 17 अपील का अधिकार

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

पृष्ठ 16, पंक्ति 18.—

"धारा 13 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट कोई उपाय करने से" के स्थान पर "धारा 13 की उप–धारा (2) के अधीन जारी किसी सूचना से" प्रतिस्थापित किया जाए। (27)

पृष्ठ 16, पंक्ति 19 और 20.—

"पैंतालीस दिन" के स्थान पर

"पन्द्रह दिन" प्रतिस्थापित किया जाए। (28)

पृष्ठ 16, पंक्ति 19.—

"जिसको ऐसा उपाय किया गया था," के स्थान पर

"जिसको उसके द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त की गई थी" प्रतिस्थापित किया जाए। (29)

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

पृष्ठ 16, पंक्ति 21 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए—

"परन्तु यह कि ऋण वसूली अधिकरण पैंतालिस दिनों के पश्चात् किसी अपील की अनुमति दे सकेगा, किन्तु उपाय किए जाने के नब्बे दिनों के बाद नहीं, बशर्ते कि उधार लेने वाला ऋण वसूली अधिकरण को इस बात से संतुष्ट कर दे कि पैंतालिस दिनों के भीतर अपील न किए जाने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण हैं।" (42)

पृष्ठ 16, पंक्ति 24.—

"पचहत्तर प्रतिशत" के स्थान पर "चालीस प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाएगा। (43)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री पवन कुमार बसल द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 27, 28 और 29 तथा श्री बनातवाला द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 42 और 43 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 27 से 29 और 42 तथा 43 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 17 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 17 विधेयक में जोड दिया गया।

खंड 18 अपील अभिकरण में अपील

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हू ·

"पृष्ठ 16, पंक्ति 32,—

"अधिकरण द्वारा" के पश्चात् "धारा 13 या" अंत:स्थापित किया जाए। (30)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री पवन कुमार बसल द्वारा प्रस्तुत सशोधन सं. 30 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 30 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 18 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 18 विधेयक में जोड दिया गया।

खंड 19 से 36 विधेयक में जोड दिए गए।

खंड 37 अन्य विधियों के लागू होने का वर्णन नहीं

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हू :

"पृष्ठ 21,—

पंक्ति 4 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए—

(2) "इस अधिनियम के अलावा, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अधीन आरम्भ की गई किसी वसूली कार्यवाही के होते हुए भी कोई बैंक अथवा कोई वित्तीय संस्था अथवा प्रतिभूतिकरण कम्पनी अथवा पुनर्गठन कम्पनी इस अधिनियम के उपबंधो के अधीन जैसा कि वह उचित समझे, कोई कार्रवाई कर सकेगी और ऐसी किसी कार्रवाई के चलते, किसी ऐसी अन्य विधि के अधीन की जा रही वसूली कार्यवाही उपशमित हो जाएगी :

परन्तु यह कि किसी ऐसे उपशमन के होते हुए भी वसूली कार्यवाही के अधीन की गई कोई कार्रवाई, जो उपशमित हो जाती है, विधिमान्य समझी जाएगी और इसे किसी कानूनी शैथिल्य से ग्रस्त नहीं माना जाएगा।" (49)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बनातवाला द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 49 को सभा के मतदान के लिए रखता हू।

संशोधन संख्या 49 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 37 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 37 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 38 से 41 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 42 निरसन और व्यावृति

संशोधन किया गया

पृष्ठ 22,—

पंक्ति 11 और 12 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए

"42 (1) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (दूसरा) अध्यादेश (2002 का अध्यादेश संख्यांक 3) को एतदद्वारा निरसित किया जाता है। (1)

(श्री जसवंत सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खड 42, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बन।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 42, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अनुसूची

अध्यक्ष महोदय : श्री पवन कुमार बंसल, क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री पवन कुमार बंसल : जी, नही।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड दी गई।

खड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक मे जोड दिए गए।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 6.31 बजे

[अनुवाद]

परक्राम्य लिखत (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) विधेयक

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं "कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री मोइनुल हसन (मुर्शिदाबाद) : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से केवल दो विषयों पर स्पष्टीकरण चाहूंगा। इस विधेयक को पारित करने पर लगभग आम सहमति है। इसलिए मैं केवल दो विषयों पर बोल रहा हू।

पहला विषय उस रिपोर्ट के बारे में है जिसका मुझे पता चला। यह सच है कि जब कार्यकारी समूह का गठन किया गया तो यह बताया गया कि देश के विभिन्न भागों मे विभिन्न न्यायालयों में काफी मामले लंबित है। इस संबंध मे बंबई रिपोर्ट के नाम से एक रिपोर्ट है। लगभग सत्तर हजार लंबित मामलों में 6000 करोड रुपए फंसे हुए हैं। इसलिए माननीय मत्री महोदय से मेरा यह प्रश्न है कि मामलों के निपटान में तेजी कैसे लाई जाए। माननीय मंत्री महोदय से मेरा दूसरा प्रश्न धारा 141 के बारे में है। मेरे विचार से यह थोडा कठोर है क्योंकि कार्यकारी निदेशक और सामान्य निदेशक के बीच कोई अंतर नहीं है। इसलिए इस धारा के द्वारा आम आदमी को परेशान किए जाने की संभावना है। मैं वित्त मंत्री महोदय से इन विषयों का समाधान करने के लिए अनुरोध करना चाहूगा। मैं इस विधेयक के पक्ष मे हू।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, फिर वही दिक्कत आ रही है। नैगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का हिन्दी में अनुवाद किया है 'परक्राम्य लिखत'। नैगोशिएबल का अर्थ तो सब जानते हैं, लेकिन यह जो परक्राम्य लिखत लिखा है, इसकी जानकारी भी लोगों को होनी चाहिए। गांव के व्यक्ति को अगर जानकारी नहीं होगी कि चैक डिसओनर होगा तो उसके लिए दंड का प्रावधान बढ़ाने जा रहे हैं, तो कैसे उसे पता लगेगा। अगर कोई इस पर बहस नहीं होगी, लोग जान नहीं पाएंगे, तो कैसे आप लोगों को सावधान कर पाएंगे? कानून है कि इग्नोरेंस ऑफ ला इज नॉट एन एक्सक्यूज।

आपने कानून बना दिया गया, जनता जाने या नहीं जाने कि चैक डिसओनर हो जाएगा तो उनको सजा बढ जाएगी। फिर इसमें एक बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम वित्त मंत्री का है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में भी संशोधन है। जो सूचना प्रौद्योगिकी मत्री बैठे हैं, उनको भी विधेयक इसमें शामिल कर दिया। तीन–तीन विधेयक इसमें हैं जिसमें संशोधन एक विधेयक में ले आया गया। सभी की राय है कि इसको पास कर दिया जाए। लेकिन इसका नाम थोडा ठीक होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या नाम रखना चाहिए? आप क्या सुझाव दे रहे हैं?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : एक तो पराक्रम शब्द हम लोग जानते थे लेकिन परक्राम्य कहा से आ गया? इंस्ट्रूमेंट्स की हिन्दी लिखत किस हिसाब से हो गई? इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब औजार होता है। कहा से लोग डिक्शनरी देखते हैं कि ऐसा–ऐसा खतरनाक कानून बन रहा है। जनता नहीं जानती है कि उसका पैसा घट गया या सजा बढ जाएगी। इसलिए इन सभी बातों में सुधार होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रमोद जी, आपने मेरा भी काम कर दिया।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : मुझे इस पर कडी आपत्ति है। यदि हम यह विधेयक बिना चर्चा के पारित करते हैं तो इससे एक बहुत कठिन स्थिति पैदा हो जाएगी ...*(व्यवधान)* यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विरुद्ध है। यह सिविल प्रक्रिया सहिता में सम्मान की प्रक्रिया के विरुद्ध है। इस पर भारत का कोई वकील सहमत नहीं होगा। इसे इस प्रकार पारित नही किया जा सकता। मुझे इस पर कडी आपत्ति है। इस पर चर्चा की जाए...*(व्यवधान)* अथवा मैं इससे सहमत नहीं हूं। जैसा मैंने पहले कहा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सिविल प्रक्रिया संहिता और और भी बहुत सी बातें हैं। सारा वकील समुदाय हमारे विरुद्ध विद्रोह कर देगा यदि हम इस प्रस्ताव की इसी अवस्था पर सहमत हो जाए। हमें पर्याप्त सुरक्षोपाय करने होंगे। अब स्पीड पोस्ट और कूरियर सेवाएं चल रही हैं। अतः इसे अब मत कीजिए। श्री संसदीय कार्य मंत्री जी, वकीलों द्वारा आपको बाहर कर दिया जाएगा। यह मत कहिए कि जहा तक इस विधेयक का संबंध है, अब इस विधेयक पर पूर्ण मतैक्य है। इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। हमें इस पर चर्चा करनी होगी।

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : आप हमें बाहर फिकवाना नही चाहते है। यदि आप इसे चाहते हैं तो आप हमें ऐसा करने दीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मुझे विधेयक को इस प्रकार पारित करने पर कडी आपत्ति है। हम इसे उचित चर्चा किए बिना, इसमें उचित संशोधन किए बिना पारित नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, कृपया अपनी बात कहिए। उन्होंने अपनी बात कह दी है।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : यदि हम इस विधेयक को पारित करते है तो हमें देश भर के वकीलों की ओर से कठिनाई हो जाएगी। मैं बाहर नहीं जा सकता। वकील मेरे विरुद्ध विद्रोह कर देंगे और वे मुझसे पूछेंगे कि हमने बिना चर्चा के यह अधिनियम कैसे पारित कर दिया। कृपया ऐसा मत कीजिए। इस पर कोई मतैक्य नहीं हो सकता। कोई समझौता नहीं हो सकता। हमें इस उपबंध पर सूक्ष्म रूप से चर्चा करनी होगी। अथवा हमें गम्भीर परिणाम भुगतने होंगे। ईश्वर के लिए मैं आपसे इस मामले पर चर्चा करने का अनुरोध करता हू। यह कोई साधारण मामला नहीं है।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। हम कार्यकारी निदेशक और धारा 141 आदि के बारे में भी ध्यान रखेंगे।

जहां तक इस विधेयक पर चर्चा करने का संबध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक पर चर्चा की गई है और स्थायी समिति द्वारा विचार किया गया है। यह विधेयक स्थायी समिति की सिफारिशों पर आधारित है जो इस विधेयक पर सर्वसम्मति है।

[हिन्दी]

रघुवंश बाबू ने इसके नामकरण पर कुछ आपत्तियां उठाई हैं। लेकिन मैं रघुवंश बाबू को बता दू कि यदि वह इसको देखें तो जो पूर्व बिल है, वह 125 साल पुराना है। उसका नाम भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटस एक्ट, 1881 और फिर बैंकर्स बुक्स एवीडेंस एक्ट, 1891 था तो रघुवंश बाबू इतना तो जानते हैं कि बिहार एक पढा–लिखा, सुशिक्षित प्रांत रहा है। वहां आपकी बैंक प्रणाली बहुत पहले आई और राजस्थान जैसे प्रांत से कहीं पहले आई। आप 1881 से परिचित हैं। बिहार का गांव–गांव इससे परिचित है। आप इस पर आपत्ति न उठाएं तो अच्छा रहेगा।...*(व्यवधान)* यह 125 साल से अंग्रेजों के जमाने से है।

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : अंग्रेजी के शब्द ज्यादे समझने लायक हैं। जो हिन्दी इन्होंने उठाई है, वह गलत है।...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : लेकिन रघुवंश बाबू को उसी से आपत्ति है कि आपने अंग्रेजी का शब्द क्यों रहने दिया? मैं निवेदन करता हूं कि इस बिल को पास किया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881, बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1881 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है

"कि खड 2 और 3 विधेयक के अग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खड 2 और 3 विधेयक मे जोड दिए गए।

खंड 4—धारा 81 का संशोधन

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 37 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए—

"परन्तु यह कि बैंककार जिसने सदाय किया है, सदाय के 30 दिनो के भीतर संक्षेपित चेक को मांगने का सदैव हकदार होगा।' (1)

अध्यक्ष महोदय : मै अब श्री जी. एम. बनातवाला द्वारा प्रस्तुत संशोधन स. 1 को सभा के मतदान के लिए रखूगा।

सशोधन सख्या 1 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है .

"कि खड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड दिया गया।

खंड 5 से 8 विधेयक में जोड दिए गए।

खंड 9 धारा 142 का संशोधन

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हू

पृष्ठ 3, पंक्ति 33—34.—

"विस्ति अवधि" के पश्चात,

निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए—

"किन्तु विहित अवधि के पश्चात छह महीने के बाद नही।" (2)

अध्यक्ष महोदय : मै अब श्री जी. एम. बनातवाला द्वारा प्रस्तुत सशोधन स. 2 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।"

संशोधन संख्या 2 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9 विधेयक में जोड दिया गया।

खंड 10 से 13 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को पारित करने में पक्षकार नहीं हो सकता *...(व्यवधान)*

सायं 6.42 बजे

(इस समय श्री वरकला राधाकृष्णन और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 6.43 बजे

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात, लोक सभा शुक्रवार, 22 नवम्बर 2002/ 1 अग्रहायण 1924 (शक) के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।